दशम माला, खंड 39, अंक 16

शुक्रवार, 28 अप्रैल, 1995
8 वैशाख, 1917 (शक)

लोक सभा वाद–विवाद
का
हिन्दी संस्करण

तेरहवां - सत्र

(दसवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खंड 39 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

दिनांक 28 अप्रैल, 1995 के लोक सभा वाद-विवाद
(हिन्दी संस्करण) का शुद्धि-पत्र

कॉलम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
विषय सूची	नीचे से 4	सत्तानवमें	सत्तानवे
विषय सूची ii	4	सौरा	दौरा
•	नीचे से 5	तम्बाकू बोर्ड का लोप कर उसे चौथी तथा पांचवीं पंक्ति के बीच में पढ़िए ।	
28	9	डा० कीर्तिकेश्वर पात्र	डा० कार्तिकेश्वर पात्र
31	नीचे से 9	केशारालाल	केशरीलाल
87	नीचे से 9	3818	3718
133	2	374	3749
172	4	रिजर्न	रिजर्व
184	नीचे से 7	श्री द्वाराका नाथ दास	श्री द्वारका नाथ दास
193	नीचे से 11 (15)	पशु	पुश
232	नीचे से प्रथम पंक्ति का लोप किया जाए ।		

विषय-सूची

दशम माला, खंड 39, तेरहवां सत्र 1995/1917 (शक)

अंक 19, शुक्रवार, 28 अप्रैल, 1995/8 वैशाख, 1917 (शक)

विषय	कॉलम
निधन संबंधी उल्लेख	1
प्रश्नो क मौखिक उत्तर :	2-36
*तारांकित प्रश्न संख्या: 361, 362 और 363	2-62
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	37-360
तारांकित प्रश्न संख्या : 364-380	37-73
अतारांकित प्रश्न संख्या : 3700-3929	74-359
सभा पटल पर रखे गये पत्र	361-368
प्राक्कलन समिति	369
उनचासवां, बावनवां और तिरेपनवां प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश - *प्रस्तुत*	
लोक लेखा समिति	370
चौरानवें वां, सत्तानवमें वां, सौंवां, एक सौ एकवां, एक सौ दो वां और एक सौ तीनवां प्रतिवेदन- *प्रस्तुत*	
सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति	370
चालीसवां और बयालीसंवा प्रतिवेदन - *प्रस्तुत*	370
कार्यवाही सारांश- सभा पटल पर रखा गया	371

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था ।

विषय	कॉलम
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति	371
(एक) अड़तालीसवा उनचासवां, पचासवां, और इक्यावनवां प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश- *प्रस्तुत*	371
(दो) अध्ययन सौरा प्रतिवेदन- सभा पटल पर रखा गया	372
कार्य मंत्रणा समिति	372
उनचासवां प्रतिवेदन- *प्रस्तुत*	
उर्जा संबंधी स्थायी समिति	372
तेरहवां प्रतिवेदन- *प्रस्तुत*	
विदेश मामलों संबंधी स्थायी समिति	373
पांचवा और छठा प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश- *प्रस्तुत*	
पेट्रोलियम और रसायन संबंधी स्थायी समिति	373
चौदहवां, पन्द्रहवां, और सोलहवां प्रतिवेदन- *प्रस्तुत*	
मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति	373
बाईसवां प्रतिवेदन- सभा पटल पर रखा गया	
विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी समिति	374
उन्नीसवां प्रतिवेदन- सभा पटल पर रखा गया	
सभा का कार्य	374-376
समिति के लिए निर्वाचन तम्बाकू बोर्ड	377-378
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव- जारी	379-482
श्री एम. आर. कादम्बूर जनार्दनन	379-385
श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी	385-388
श्री ई. अहमद	389-392

विषय		कॉलम
	श्री शरद यादव	393-400
	श्री के. प्रधानी	401-402
	श्री चिन्मयानन्द स्वामी	403-411
	प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेश्वरलु	412-418
	श्री सैयद मसूदल हुसैन	418-421
	श्री पी.जी. नारायणन	422-425
	श्री श्रवण कुमार पटेल	425-428
	श्री भोगेन्द्र झा	429-432
	श्री याइमा सिंह युमनाम	432-434
	श्री मोहन रावले	435-439
	श्री जगमीत सिंह बरार	440-445
	श्री पी.वी. नरसिंह राव	446-482

लोक सभा

शुक्रवार, 28 अप्रैल, 1995/8 वैशाख, 1917 (शक)

लोक सभा 11 बजे म॰ पू॰ पर समवेत हुई ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

निधन संबंधी उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, सभा को यह सूचित करते हुए मुझे दुख हो रहा है कि हमारी एक पूर्व सहयोगी अर्थात श्रीमती हंसा मेहता का निधन हो गया है।

श्रीमती हंसा मेहता संविधान सभा की एक सदस्या थी जिन्होंने 1946-1950 के दौरान बम्बई का प्रतिनिधित्व किया था, वह एक प्रमुख महिला नेता थी जिसने हमारे देश के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था। उनका जन्म 1897 में हुआ था। उन्होंने अपना राजनैतिक जीवन विभिन्न महिला संगठनों के क्रियाकलापों में सक्रिय रुप से भाग लेकर किया। वह राष्ट्रीय महिला परिषद् की सचिव थी और बाद में 1945-46 के दौरान अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की उपाध्यक्ष और अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। उससे पहले वह वर्ष 1937-39 और पुन: 1946-1952 तक बम्बई विधान परिषद की सदस्य रही थी। वर्ष 1937-1939 के दौरान उन्होंने संसदीय सचिव के पद पर कार्य किया।

श्रीमती हंसा मेहता का व्यक्तित्व बहुमुखी था और वह प्रख्यात शिक्षाविद थी। वह 1931-1946 के दौरान बम्बई विश्वविद्यालय की सीनेट की सदस्या और 1935 में बम्बई विश्वविद्यालय की गुजराती में बोर्ड आफ स्टडीज की सदस्या रहीं। 1949-1958 के दौरान वह बड़ौदा के महाराजा सयागी राव विश्वविद्यालय की उपकुलपति रहीं। इसके अतिरिक्त वह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और विभिन्न शैक्षिक संगठनों से सक्रिय रूप से संबद्ध थी। अनेक विश्वविद्यालयों ने श्रीमती मेहता को मानद उपाधियाँ प्रदान की थी।

श्रीमती हंसा मेहता ने 1947 से 1952 के दौरान राष्ट्र संघ के मानवाधिकार आयोग में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। वह 1948 में राष्ट्रमंडलीय संसदीय सम्मेलन में गए भारतीय प्रतिनिधिमंडल की सदस्या भी थीं। 1958 में पेरिस में हुए विश्व परिवार कांग्रेस में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का उन्होंनें नेतृत्व किया था। वह 1956 और 1958-1960 में यूनेस्को सम्मेलन में गए भारतीय प्रतिनिधिमंडल की सदस्या थी और उन्होंनें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक सम्मेलनों में भाग लिया था।

वह महिलाओं की भलाई के लिए अग्रसर रही। वह महिलाओं की शिक्षा और उनकी दशा सुधारने के लिए विभिन्न राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय मंचों से निरंतर अपनी बात कहती रही। उनकी विशिष्ट उपलब्धियों को तब यथोचित मान्यता मिली जब उनको 1959 में 'पद्म भूषण' का प्रतिष्ठित सम्मान दिया गया।

श्रीमती हंसा मेहता ने गुजराती भाषा में अनेक पुस्तकें लिखी। उन्होंनें 'हैमलेट' और 'मर्चेंट आफ वेनिस' का गुजराती भाषा में अनुवाद किया। उन्होंने संस्कृत में लिखी एक कालजयी पुस्तक का भी गुजराती में अनुवाद किया। इनके अलावा उन्होंने महिलाओं के विषयों और युद्धोत्तर शैक्षिक पुनर्निर्माण से संबंधित विषयों पर अंग्रेजी में कुछ प्रमुख पुस्तकें प्रकाशित की।

श्रीमती हंसा मेहता का 98 वर्ष की आयु में बम्बई में 4 अप्रैल, 1995 को निधन हो गया।

हमें अपने इस मित्र के निधन पर गहरा दुख है और मुझे विश्वास है कि यह सभा मेरे साथ उनके शोक संतप्त परिवार को अपनी शोक संवेदना प्रकट करेगी।

अब सभा दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर के लिए मौन खड़ी होगी।

11.02 म. पू.

तत्पश्चात सदस्यगण दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

11.04 म. प.

[हिन्दी]

आयकर विभाग द्वारा छापे

*** 361. श्री छीतूभाई गामीत:**
श्री चन्द्रेश पटेल:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) गत एक वर्ष के दौरान आयकर विभाग द्वारा राज्यवार कुल कितने छापे-मारे गए;

(ख) इन छापों के दौरान बरामद लेखा बाह्य धन, दस्तावेज, सोना-चांदी और अन्य वस्तुओं तथा पाई गई अन्य अघोषित सम्पत्ति का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में कितने व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया/कितने व्यक्ति दोषी ठहराए गए; और

(घ) प्रत्येक राज्य में कुल कितने आयकर दाता हैं तथा गत दो वर्षों के दौरान सरकार द्वारा राज्यवार कितना कर वसूल किया गया ?

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति): (क) और (ख). ब्यौरे संलग्न विवरण-एक में दिए गए हैं।

(ग) संलग्न विवरण-एक में सूचित मामलों के सम्बन्ध में कोई मुकदमें नहीं चलाये गए हैं क्योंकि कर निर्धारणों को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

(घ) पिछले दो वर्षों के दौरान आयकर निर्धारितियों की कुल संख्या के ब्यौरे संलग्न विवरण-दो में और वसूल किये गए कर की धनराशि के ब्यौरे संलग्न विवरण-तीन में दिये गये हैं।

विवरण-एक

राज्य	वारंटों की संख्या	पकड़ी गयी परिसंपत्तियों का मूल्य			
		नकद	आभूषण	अन्य परिसंपत्तियां (रु. लाखों में)	कुल योग
1	2	3	4	5	6
आन्ध्र प्रदेश	385	561.28	534.76	2314.54	3410.58
असम	12	-	-	-	-
बिहार	101	223.36	9.06	237.11	469.53
दिल्ली	614	785.98	1013.88	613.51	2413.37
गोवा	1	6.00	-	-	6.00
गुजरात	531	606.46	747.59	2353.70	3707.75
हरियाणा	94	109.21	59.59	194.93	363.73
हिमाचल प्रदेश	7	32.90	6.45	56.80	96.15
जम्मू व कश्मीर	-	-	-	-	-
कर्नाटक	197	495.50	195.81	3779.17	4470.48
केरल	112	221.74	175.50	509.58	906.82
मध्य प्रदेश	58	146.34	90.85	1342.73	1579.92

राज्य	वारंटों की संख्या	पकड़ी गयी परिसंपत्तियों का मूल्य			
		नकद	आभूषण	अन्य परिसंपत्तियां (रु. लाखों में)	कुल योग
1	2	3	4	5	6
महाराष्ट्र	1090	1775.95	1338.75	5850.11	8964.81
उड़ीसा	10	5.31	-	17.60	22.91
पांडिचेरी	2	-	-	-	-
पंजाब	406	406.30	504.98	1338.84	2250.12
राजस्थान	162	159.72	315.87	233.59	709.18
तमिलनाडु	315	531.50	614.38	1886.20	3032.08
त्रिपुरा	8	0.10	5.09	-	5.19
उत्तर प्रदेश	228	305.63	104.18	985.38	1395.19
पं. बंगाल	497	624.23	1170.36	2544.57	4339.16
योग	4830	6997.51	6887.10	24258.36	38142.97

विवरण-दो

वित्तीय वर्ष 1993-94 और 1994-95 (फरवरी, 1995 तक) के दौरान आयकर निर्धारितियों की संख्या का विवरण

क्र. सं.	मुख्य आयकर आयुक्त एवं केन्द्रीय प्रभार	राज्य/संघ क्षेत्र का नाम जिसमें मुख्य आयकर आयुक्त का क्षेत्राधिकार आता है	1993-94	1994-95* (फरवरी, 1995 तक)
1.	अहमदाबाद	गुजरात, दमन, दीव, दादरा व नागर हवेली	913550	932641
2.	बंगलौर	कर्नाटक, गोवा	524684	567362
3.	भोपाल	मध्य प्रदेश	433640	466212
4.	क) बंबई ख) पुणे	महाराष्ट्र	2123447	2100984

क्र. सं.	मुख्य आयकर आयुक्त एंव केन्द्रीय प्रभार	राज्य/संघ क्षेत्र का नाम जिसमें मुख्य आयकर आयुक्त का क्षेत्राधिकार आता है	1993-94	1994-95* (फरवरी, 1995 तक)
5.	कलकत्ता	प. बंगाल, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	1200011	1208791
6.	कोचीन	केरल, लक्षद्वीप	241255	288737
7.	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश	567356	544094
8.	जयपुर	राजस्थान	411644	416741
9.	मद्रास	तमिलनाडु, पांडिचेरी	833116	868720
10.	नई दिल्ली	दिल्ली	691410	679982
11.	चण्डीगढ़ (उ. प्र. क्षेत्र)	पंजाब, हरियाणा, जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और चण्डीगढ़	736146	769496
12.	क) कानपुर ख) लखनऊ	उत्तरप्रदेश	763107	749416
13.	पटना	बिहार, उड़ीसा एवं उत्तर पूर्वी राज्य	766355	777770
	योग		10205721	10370946

*अनंतिम

विवरण-तीन

वित्तीय वर्ष 1993-94 और 1994-95 के दौरान वसूल किये गये कर के सम्बंध में मुख्य आयकर-आयुक्त-प्रभार-वार ब्यौरे

(रु. करोड़ों में)

क्र. सं.	मुख्य आयकर आयुक्त एवं केन्द्रीय प्रभार	राज्य/संघ क्षेत्र का नाम जिसमें मुख्य आयकर आयुक्त का क्षेत्राधिकार आता है	1993-94		1994-95 (अनन्तिम)	
			निगम कर	आयकर	निगम कर	आयकर
1.	अहमदाबाद	गुजरात, दमन, दीव, दादरा एवं नागर हवेली	227.66	793.77	288.97	927.35
2.	बंगलौर	कर्नाटक, गोवा	319.59	535.97	342.10	665.27
3.	भोपाल	मध्य प्रदेश	55.09	252.35	43.94	308.91
4.	क) बंबई ख) पुणे	महाराष्ट्र	4389.56	2847.81	6600.98	3914.57

(रु. करोड़ों में)

क्र. सं.	मुख्य आयकर आयुक्त एवं केन्द्रीय प्रभार	राज्य/संघ क्षेत्र का नाम जिसमें मुख्य आयकर आयुक्त का क्षेत्राधिकार आता है	1993-94		1994-95 (अनन्तिम)	
			निगम कर	आयकर	निगम कर	आयकर
5.	कलकत्ता	पं. बंगाल, अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	1043.38	535.84	1103.71	636.78
6.	कोचीन	केरल, लक्षद्वीप	142.62	243.54	101.88	296.91
7.	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश	223.82	340.61	265.54	501.66
8.	जयपुर	राजस्थान	59.29	181.77	42.06	230.08
9.	मद्रास	तमिलनाडु, पांडिचेरी	354.02	732.58	536.03	1066.22
10.	नई दिल्ली	दिल्ली	1308.68	1048.59	1825.41	1634.16
11.	चण्डीगढ़ (उ. प. क्षेत्र)	पंजाब, हरियाणा, जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और चण्डीगढ़	216.63	437.18	227.57	578.63
12.	क) कानपुर ख) लखनऊ	उत्तर प्रदेश	184.93	493.69	274.60	579.84
13.	पटना	बिहार, उड़ीसा व उत्तर पूर्वी राज्य	71.40	398.79	171.60	444.37
	योग		8796.67	8842.49	11824.39	11784.75
	केन्द्रीय स्रोत पर कर कटौती		1263.62	276.62	1634.11 (फरवरी, 95 तक)	289.32 (फरवरी, 95 तक)
		कुल योग	10060.29	9119.11	13458.50	12074.07

[हिन्दी]

श्री छीतूभाई गामीत : अध्यक्ष महोदय, देश में काला धन बढ़ता जा रहा है और इसके बढ़ने का एक कारण यह भी है कि हमारे देश के आय कर की कहीं पूरी वसूली नहीं होती है। मंत्री जी ने अपने जवाब में बताया है कि पिछले एक वर्ष में आय कर छिपाने वालों के कुल 4830 छापे मार कर 38142.97 लाख रू. का काला धन पकड़ा गया है। इन काले धन छिपाने वालों पर अभी तक कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की गई हैं, इसका क्या कारण है ? मैं मंत्री महोदय से यह भी जानना चाहता हूँ कि आय कर कानून में कई ऐसी खामियां हैं जिसकी वजह से आय कर छिपाने वालों पर कानूनी कार्यवाही नहीं की जाती, क्या मंत्री महोदय इन खामियों को दूर करने के लिए कोई ठोस कदम उठाने जा रहे हैं ? यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

[अनुवाद]

श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : महोदय, काला धन समाप्त करने के लिए सरकार अनेक कदम उठा रही है। हमने तलाशियां ली हैं और परिसंपत्तियां पकड़ी है। मैं बताना चाहता हूं कि वर्ष 1992-93 में हमने लगभग 4777 तलाशियां ली हैं और पकड़ी गई परिसंपत्तियों का मूल्य 384.02 करोड़ रुपये है और बताई गई अघोषित आय की राशि 448.82 है, 1994-95 में हमने लगभग 4830 तलाशियां

ली और 381.42 करोड़ रुपये की परिसंपत्तियां जब्त की गई और बताई गई अघोषित आय 577.08 करोड़ थी। सरकार काले धन की समस्या से निबटने के लिए सभी कदम उठा रही है।

[हिन्दी]

श्री छीतूभाई गामीत : अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा सवाल यह है, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि पिछले पांच वर्षों में, प्रत्येक वर्ष में आय कर वसूली का कुल कितना लक्ष्य था और इसमें से कितना आय कर वसूल किया गया? अभी तक देश में कुल आय कर की कितनी बकाया राशि है और उन बड़ी कम्पनियों और व्यक्तियों के क्या नाम हैं जिनके पास बड़ी मात्रा में आय कर की बकाया राशि बाकी है?

[अनुवाद]

श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : महोदय, उदारीकरण और कर ढांचे में कमी किए जाने से हमें अधिक राजस्व प्राप्त हो रहा है। 1993-94 में हमें निगमित कर और आय कर से 19,179.48 करोड़ रुपये की राजस्व की प्राप्ति हुई। 1994-95 में यह अनन्तिम आंकड़े हैं - हमें 25, 532.57 करोड़ रुपये के राजस्व की प्राप्ति होगी। राजस्व में लगभग 6,000 करोड़ की वृद्धि हुई है। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री छीतूभाई गामीत : यह बता दें कि बाकी टोटल कितना है?

[अनुवाद]

श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : महोदय, यदि माननीय सदस्य किसी खास मामले के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे इसके लिए अलग से सूचना मिलनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आपको नाम और दूसरी बातें देने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास वे नाम भी नहीं होंगे, परन्तु आप निर्धारित लक्ष्य एकत्रित की गई राशि और क्या यह आपके योजना के अनुसार है, के बारे में ब्यौरा दे सकते हैं।

श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : निर्धारित लक्ष्य और जो राशि हमने वसूल की है उसके बारे में...

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : क्या आप अपने लक्ष्य से आगे निकल गए हैं?

श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : हम अपने निर्धारित लक्ष्य से आगे निकल गए हैं। 1994-95 में अनन्तिम तौर पर हमें आयकर और निगमित कर के रूप में 6,000 करोड़ रूपये का राजस्व प्राप्त हुआ।

प्रमुख आयकर न देले वालों का जहां तक सवाल है, इसकी एक बड़ी सूची है और यदि आप मुझे अनुमति देंगे तो मैं उसे सभा पटल पर रखने के लिए तैयार हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप यह उन्हें दे सकते हैं यह एक प्रकाशित दस्तावेज है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : यद्यपि मैं मंत्री महोदय की यह सुझाव देकर सहायता कर रहा था कि वे अपने लक्ष्य से आगे निकल गए हैं, पर विवरण में एक त्रुटि है और मैं इस ओर उनका ध्यान दिलाना चाहूंगा।

1994-95 के आंकड़े अनन्तिम हैं जो पुनरीक्षित अनुमानों पर आधारित हैं। यदि आप पिछले पांच अथवा छः वर्ष को देखें तो आप हमेशा यह पायेंगे कि वास्तविक आंकड़े वसूली के रूप में पुनरीक्षित अनुमानों से कम हैं। ऐसी बात है और इसका उल्लेख न केवल मैंने अपने पिछले वर्ष के बजट भाषण में किया है अपितु हर बार किया है। इसलिए यह तुलना वास्तव में वैध नहीं है।

परन्तु मेरा दूसरा प्वाइंट है, वह यह है कि यदि आपके कर छापे इतने सफल हुए हैं तो मैं जानना चाहूंगा कि क्या उत्पादन कर अपवंचकों, आय कर अपवंचकों और बैंक के चूककर्ताओं के मामले में आय कर विभाग में कोई तालमेल है। यह बताया गया है कि बैंकों में 90,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी हुई है। घोटेले से यह पता चलता है कि कोई एक करोड़ रुपये की हेराफेरी की गई है। क्या कर के छापों और दूसरी बातों के संबंध में कोई समन्वय है और एक एकीकृत प्रणाली है?

श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : विभाग हर कार्रवाई कर रहा है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : वे कदम क्या हैं?

श्री एम.वी.चन्द्रशेखर मूर्ति : वे राज्यों के बिक्री कर आयुक्तों से संपर्क बनाए हुए हैं और वे उनको लिख रहे हैं। वे उत्पाद कर विभागों को लिख रहे हैं जो राजस्व विभाग के अन्तर्गत आते हैं। हमारे पास उनकी सारी जानकारी है। अनुदेश यह दिए गए हैं कि 20,000 रुपये से अधिक के लेन-देन चेक के बिना नहीं किए जाएंगे। हमें इन स्रोतों से सारी जानकारी मिल रही है। सरकार अधिक जानकारी एकत्रित करने के लिए सभी कदम उठा रही है ताकि इस संबंध में अधिक संख्या में कर निर्धारितियों को इसमें शामिल किया जा सके।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : अध्यक्ष जी, एनेक्स्वर "ए" में दिए गए आंकड़ों से पता चलता है कि असम में केवल 12 रेड्स डाली गई, लेकिन कुछ प्राप्त नहीं हुआ। जम्मू-कश्मीर में एक भी रेड नहीं डाली गई, गोआ में एक रेड डाली गई, जिसमें 6 लाख रूपए मिले। पांडीचेरी में 2 रेड्स में कुछ नहीं मिला। मेरा प्रश्न यह है कि इन 4

प्रदेशों की ओर पर्याप्त ध्यान क्यों नहीं दिया जाता। क्या वहां कार्यरत अधिकारी विश्वसनीय हैं या उनके द्वारा रेड्स की पूर्व सूचना संबंधित व्यक्ति को दे दी जाती है, जिसके परिणामस्वरूप रेड में कुछ नहीं मिलता । मैं यह जानना चाहता हूं कि इन 4 राज्यों में रेड्स कम होने के कारण हैं और रेड्स में धन तथा अन्य वस्तुओं के न मिलने के क्या कारण हैं।

[अनुवाद]

श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : तलाशियां और जब्ती सूचना पर आधारित होती हैं। मैं कार्यवाही के लिए माननीय सदस्य के सुझाव पर ध्यान दूँगा।

अध्यक्ष महोदय : परन्तु उन्होंने कोई सुझाव नहीं दिया है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया, मंत्री महोदय को कुछ जानकारी तो देनी ही चाहिए। जम्मू-कश्मीर के बारे में सब जानते हैं कि वहां पर अधिकारी रेड डालने की हिम्मत नहीं करते हैं। असम में अलग प्रकार की आतंकवादी समस्याएं हैं। इन प्रदेशों में सरकारी तंत्र सक्षम हो, इसके लिए सरकार क्या कार्रवाई कर रही है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : पैसा जहां होगा वहां से मिलेगा।

[हिन्दी]

श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा : क्या यह बात सही है कि पिछले पाँच वर्षों से बकाया राशि की मात्रा बढ़ती जा रही है और 50 प्रतिशत भी बकाया राशि की वसूली नहीं हो पाती है।

[अनुवाद]

श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : महोदय, जब एक बार मांग की जाती है तो निर्धारिती अपील दायर करेंगे, अपील दायर करने के बाद निर्णय के लम्बित रहने तक हम वसूली नहीं कर सकते हैं और इस प्रकार यह काम बहुत कठिन हो जाता है। यदि माननीय सदस्य के ध्यान में कोई विशेष कंपनी है या कोई ....
(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री वर्मा, आप अपना प्रश्न फिर पूछ सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा : मैं यह जानना चाहता हूं कि पिछले पांच वर्षों से बकाया राशि बढ़ती जा रही है और सरकार बकाया राशि का 58 प्रतिशत भी वसूल नहीं कर पा रही है। ऐसा क्यों है ?

[अनुवाद]

श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : यह सही नहीं है,लोग न्यायालय में जाकर अपील दायर करते हैं जो वे कानून के प्रावधानों के अन्तर्गत कर सकते हैं। मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिला सकता हूं कि हमने पचास प्रतिशत से अधिक राशि वसूल की है। इस समय मेरे पास आंकड़े नहीं हैं। छापे और तलाशियों के काम के बढ़ने से आय कर निर्धारितियों की संख्या भी बढ़ी है। इसलिए यह स्वाभाविक है कि बकाया राशि में भी वृद्धि हुई है।

[हिन्दी]

श्री दत्ता मेघे : आयकर वसूल करने के लिए कानून बने हैं, लेकिन बहुत से लोग जिनके पास पैसा है, प्रापर्टी है, आयकर नहीं देते हैं और तारीखें बढ़वाते रहते हैं। विभाग वाले तीन-चार साल तक सिर्फ पत्र ही लिखते रहते हैं, जबकि उसके लिए कानून है कि जो पैसा नहीं दे सके, उसकी प्रापर्टी जब्त कर सकते हैं। हमने देखा है कि पिछले पांच-छः वर्षों से एक ही व्यक्ति के ऊपर टैक्स की रकम बढ़ती जा रही है, मगर वह आयकर अदा नहीं कर रहे हैं। आपके पास कितने ऐसे केसेज हैं जिनमें आयकर नहीं देने वाले लोगों की सम्पत्ति जब्त की है या जब्त करने का इरादा रखते हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, यदि आप इस प्रश्न को समझ गए हैं तभी इसका उत्तर दे सकते हैं।

श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : महोदय, मैंने माननीय सदस्य द्वारा पहले पूछे गए प्रश्न का उत्तर दे दिया है कि हम राशि वसूल करने के लिए सभी कदम उठा रहे हैं। हम इस संबंध में गंभीर प्रयास कर रहे हैं। हमें ऐसा संविधान के दायरे में करना होगा।

अध्यक्ष महोदय : वह जानना चाहते हैं कि आप राशि की वसूली के लिए उनकी सम्पत्ति जब्त क्यों नहीं कर लेते हैं।

श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : हम ऐसा कर रहे हैं। यह कर वसूली अधिकारियों का कर्त्तव्य है। वे अपने काम पर हैं। वह ऐसा अपने पूरे प्रयासों से कर रहे हैं।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत : जो अघोषित आयकर सम्पत्ति है सोना, चांदी और आभूषण; इनके बारे में कोई सूचना देता हैं उसको सरकार इनाम की राशि प्रदान करती थी ताकि अधिकाधिक लोग ऐसे लोगों के बारे में सूचना दें जो कि आयकर देने में सक्षम हैं, लेकिन कर चोरी करते हैं। क्या ऐसी कोई योजना अब भी चल रही है ? मेरे प्रश्न का ख भाग है.....

अध्यक्ष महोदय : इसका एक ही भाग ठीक है।

[अनुवाद]

श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : महोदय, मैं उनका प्रश्न समझ नहीं सका हूं। माननीय सदस्य अपना प्रश्न दुबारा करें।

अध्यक्ष महोदय : आप सूचना देने वालों को इनाम दे रहे हैं। क्या आपने उस योजना को जारी रखा हुआ है।

श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : जी हाँ, यह जारी है ।

अध्यक्ष महोदय : यदि आपके पास कोई सूचना है तो आप दे सकते हैं।

श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : जहां भी तलाशियाँ ली जाती है वहाँ अधिकारियों तक को ईनाम दिया जाता है।

श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये : अध्यक्ष महोदय, केवल एक ही छापा गोवा में मारा गया है। तथापि मैं देखता हूं कि इतने अधिक लोग रातों रात अमीर हो गए हैं। मुझे अखबारों से पता चला है कि याकूब मेमन ने गोवा में जमीन खरीदी है। मैं जानना चाहता हूं कि केवल एक ही बार छापा वहां क्यों मारा गया।

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न का उत्तर पहले ही दिया जा चुका है।

[हिन्दी]

श्री प्रभू दयाल कठेरिया : आयकर वसूली दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है। सरकार ने ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रति अभी तक क्या कार्रवाई की है जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं ? क्योंकि आयकर दाता और इनकी मिलीभगत से वसूली नहीं हो पा रही है उसके लिए अभी तक सरकार ने क्या ठोस कदम उठाया है ?

अध्यक्ष महोदय : उसके लिए कानून है, उसके तहत कदम उठाते हैं।

श्री प्रभू दयाल कठेरिया : अध्यक्ष महोदय, आयकर में जबरदस्त भ्रष्टाचार हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय : उसके लिये कानून बना हुआ है, आपको क्या चाहिये ?

श्री कृष्ण दत्त सुलतानपुरी : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि इस वक्त राज्यवार टोटल मुकद्दमात कितने हैं और उनकी डिस्पोज़ल कितनी देर से होती है ? क्या सालभर वे कंटिन्यू रहते हैं या आगे कोर्ट में जाते रहते हैं ? दूसरे, उनके डिस्पोज़ल की क्या पोज़ीशन है ? जैसे आपके द्वारा पूछा गया था कि इसका लक्ष्य कितना है ? इतना कम क्यों रहा और ज्यादा क्यों नहीं हो पा रहा है ? गरीब आदमी से वसूली की जा रही है जबकि अमीर आदमी से नहीं होती है। इसका स्पष्ट रूप से मंत्री जी उत्तर सदन को बतायें।

[अनुवाद]

श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : मैंने जब्ती और तलाशियों के मामलों का ब्यौरा दिया है। इसके अतिरिक्त, तलाशियों और जब्तियों के संबंध में निर्धारण दो वर्षों के समय में पूरा करना है। वित्त विधेयक में प्रस्तावित नई प्रक्रिया के अंतर्गत, जिस पर हम कुछ दिनों में चर्चा करने जा रहे हैं, इस पर निर्णय लिया जाना चाहिए और निर्धारण का कार्य एक वर्ष के अन्दर पूरा हो जाना चाहिए।

राज्यों द्वारा ओवरड्राफ्ट

+

*362. **श्री कोडीकुन्नील सुरेश** :
श्री दत्ता मेघे :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय अनेक राज्यों के समक्ष ओवरड्राफ्ट की समस्या है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य ने कितनी राशि का ओवरड्राफ्ट लिया हुआ है;

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रत्येक राज्य के लिए आर्थिक संसाधनों की पृथक-पृथक सीमा निर्धारित की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या कुछ राज्यों ने निर्धारित सीमा से अधिक धनराशि प्राप्त कर ली है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और इसके क्या कारण हैं;

(छ) क्या सरकार ने राज्यों को बाजार ऋणों के माध्यमों से संसाधन जुटाने

की अनुमति दे दी है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति): (क) से (ज) एक विवरण सभा के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) से (च). प्रत्येक राज्य की लेन-देन की मात्रा के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रत्येक राज्य के लिए अलग से साधन सीमा नियत की है। राज्यों को अपने-अपने खातों से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियत की गई सीमा तक ओवरड्राफ्ट करने की अनुमति है। जब राज्य लगातार 10 कार्य दिवसों से अधिक के लिए साधन सीमा से अधिक ड्रा करते हैं तो भारतीय रिजर्व बैंक अदायगी रोक देता है।

रोकड़ शेष और ओवरड्रावल की स्थिति दिन प्रतिदिन और एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न-भिन्न होती है। चूंकि यह बैंकर और ग्राहक (भारतीय रिजर्व बैंक और एक राज्य सरकार के बीच) के बीच परस्पर संबंध का मामला है, इसलिए जिन राज्यों ने भारतीय रिजर्व बैंक के साथ अपने खातों से ओवरड्रा किया है, उनके बारे में सूचना भारत सरकार द्वारा प्रकट नहीं की जाती है। राज्यों के वित्तीय प्रबन्धन की जिम्मेवारी राज्य सरकारों पर होती है जिसके लिए वे अपनी-अपनी राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है।

प्रत्येक राज्य के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अलग से नियत साधन सीमा दर्शाते हुए एक विवरण अनुबंध-I पर संलग्न है।

(छ) एवं (ज). योजना आयोग राज्यों की वार्षिक योजना का निर्धारण करते समय "बातचीत से तय किए गए ऋण" "बाज़ार ऋण" और "ऋण पत्रों और बांड" की ऐसी सीमाएं भी निर्धारित करता है जिन तक कोई राज्य सरकार अपनी वार्षिक योजना हेतु निधि जुटाने के लिए बातचीत द्वारा तय करके ऋण ले सकती है और बाजार ऋण एकत्र कर सकती है। बाजार ऋण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा राज्य सरकारों की ओर से चालू किए जाते हैं और एस.एल.आर. (सांविधिक नकदी अनुपात) से जोड़े जाते हैं। वर्ष 1995-96 के लिए बातचीत से तय किए गए ऋण एस. एल. आर. आधारित बाजार ऋण और बांड तथा ऋणपत्रों की राज्यवार राशि दर्शाते हुए एक विवरण अनुबंध- II पर संलग्न है। इस विवरण में ऐसे 19 राज्य हैं जिनके योजना आवंटनों को योजना आयोग द्वारा अंतिम रूप दे दिया गया है।

राज्य सरकारों को बाजार से ऋण लेने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 293 के अधीन केन्द्रीय सरकार की सहमति लेना आवश्यक है।

अनुबंध-I

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रत्येक राज्य के लिए नियत साधन सीमा (करोड़ रुपये में)

1.11.1993 से साधन अग्रिमों के लिए संशोधित सीमाएं

क्र.स.	राज्य	सामान्य	विशेष	योग
1.	आंध्र प्रदेश	84.00	32.00	116.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	8.40	3.20	11.60
3.	असम	33.60	12.80	46.40
4.	बिहार	58.80	22.40	81.20
5.	गोवा	8.40	3.20	11.60
6.	गुजरात	58.80	22.40	81.20
7.	हरियाणा	25.20	9.60	34.80

क्र.स.	राज्य	सामान्य	विशेष	योग
8.	हिमाचल प्रदेश	16.80	6.40	23.20
9.	जम्मू एवं कश्मीर			*
10.	कर्नाटक	67.20	25.60	92.80
11.	केरल	50.40	19.20	69.60
12.	मध्य प्रदेश	67.20	25.60	92.80
13.	महाराष्ट्र	126.00	48.00	174.00
14.	मणिपुर	8.40	3.20	11.60
15.	मेघालय	8.40	3.20	11.60
16.	मिजोरम	8.40	3.20	11.60
17.	नागालैण्ड	8.40	3.20	11.60
18.	उड़ीसा	50.40	19.20	69.60
19.	पंजाब	50.40	19.20	69.60
20.	राजस्थान	50.40	19.20	69.60
21.	सिक्किम			*
22.	तमिलनाडु	92.40	35.20	127.60
23.	त्रिपुरा	8.40	3.20	11.60
24.	उत्तर प्रदेश	142.80	54.40	197.20
25.	पश्चिम बंगाल	84.00	32.00	116.00
	योग	1117.20	425.60	1542.80

* भारतीय रिजर्व बैंक के साथ खाता नहीं है।

अनुबंध- II

वर्ष 1995-96 के लिए बाजार ऋण, बातचीत से तय ऋण और बाँड एवं ऋणपत्रों की राज्यवार राशि (करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	बाजार ऋण	बातचीत से तय ऋण	बांड एवं ऋणपत्र
1.	आंध्र प्रदेश	401.53	289.17	0.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	*	*	*
3.	असम	162.63	36.74	0.00
4.	बिहार	*	*	*
5.	गोवा	17.50	10.07	0.00
6.	गुजरात	*	*	*
7.	हरियाणा	133.09	123.82	25.00
8.	हिमाचल प्रदेश	40.00	45.23	0.00
9.	जम्मू एवं कश्मीर	66.00	40.00	0.00
10.	कर्नाटक	211.84	193.20	543.28
11.	केरल	345.61	108.59	170.00
12.	मध्य प्रदेश	400.85	241.68	40.00
13.	महाराष्ट्र	*	*	*
14.	मणिपुर	*	*	*
15.	मेघालय	25.00	48.30	0.00
16.	मिजोरम	15.00	4.02	0.00
17.	नागालैण्ड	39.65	21.00	0.00
18.	उड़ीसा	*	*	*
19.	पंजाब	221.24	95.32	100.00

क्र.सं.	राज्य	बाजार ऋण	बातचीत से तय ऋण	बांड एवं ऋणपत्र
20.	राजस्थान	394.27	149.28	300.00
21.	सिक्किम	15.65	1.00	0.00
22.	तमिलनाडु	403.42	201.29	475.00
23.	त्रिपुरा	17.92	21.40	0.00
24.	उत्तर प्रदेश	937.42	607.84	0.00
25.	पश्चिम बंगाल	447.42	204.07	0.00
	योग	4376.84	2522.02	1653.28

* अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

श्री कोडीकुन्नील सुरेश : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार ओवरड्राफ्ट की सीमा बढ़ाने पर विचार करेगी क्योंकि अधिकांश राज्य घाटे का बजट प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या आर्थिक उदारीकरण नीति के कारण रूपये का मूल्य गिर रहा है क्योंकि इससे राज्य सरकारें भी प्रभावित होती हैं।

श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : भारतीय रिजर्व बैंक ओवरड्राफ्ट की मात्रा निर्धारित करता है जो किसी विशेष राज्य द्वारा किए जा रहे लेन-देन की मात्रा पर निर्भर करता है और यह सीमा बढ़ाने का काम भारतीय रिजर्व बैंक और राज्य सरकारों के बीच का है।

श्री कोडीकुन्नील सुरेश : भारत सरकार ने कुछ वित्तीय अनुशासन बरतने का सुझाव दिया है। परन्तु कुछ राज्य सरकारें इसका पालन नहीं कर रही हैं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार वित्तीय अनुशासन पर चर्चा करने के लिए वित्त मंत्रियों का सम्मेलन बुलाएगी ताकि विभिन्न राज्य इसका अनुपालन करें।

श्री एम. वी. चन्दशेखर मूर्ति : जब भी राष्ट्रीय विकास परिषद और राज्यों के वित्त मंत्रियों का सम्मेलन हुआ, इस विषय पर हमेशा चर्चा हुई इसके अलावा इस विषय पर चर्चा करने के लिए शीघ्र ही वित्त मंत्रियों का सम्मेलन बुलाया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री दत्ता मेघे : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि 1995-96 की मार्किटिंग बोरोइंग डिबेंचर्स के अंतर्गत महाराष्ट्र और बिहार में लोगों को कुछ भी लाभ नहीं मिला है। क्या प्लानिंग कमीशन की कोई मीटिंग करने का कोई प्रोपोजल नहीं था जो इन राज्यों को नहीं दिया गया। क्या महाराष्ट्र के लिए कोई प्रोपोजल नहीं था? हमें यह बतायें कि जिनको आडर्स दिए गए थे, सब लोगों को पैसे वापस किये गए या नहीं? वे कौन-कौन से राज्य हैं ?

[अनुवाद]

श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति: सामान्यत: योजना आयोग विभिन्न राज्यों में बाजार से कितना ऋण लिया जाए उसका आबंटन करता है। महाराष्ट्र और कुछ अन्य राज्यों में अभी हाल ही में चुनाव हुए हैं। चुनावों के कारण उनकी योजनाओं को अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका है, योजना आयोग में उस पर चर्चा होगी और उसे अन्तिम रूप दिया जाएगा। माननीय सदस्य राज्य और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के संबंध को समझेंगे। यह ऐसा विषय है जिसे बताया नहीं जा सकता नहीं तो किसी राज्य विशेष की प्रतिष्ठा कम होगी।

श्री पृथ्वीराज डी. चव्हाण: महाराष्ट्र के संबंध में 1995-96 के बाजार ऋण के आंकड़े, परक्रामित ऋण, बाँड और डिबेंचर को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया। क्या मंत्री महोदय महाराष्ट्र राज्य के लिए 1994-95 के बाँड और डिबेंचर के आंकड़े देगी? यह विशिष्ट सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्रीय सरकार से सिंचाई बाँड जारी करने का अनुरोध किया था जिससे कृष्ण बेसिन सिंचाई परियोजनाओं को वर्ष 2000 से पूर्व समयबद्ध आधार पर पूरा किया जा सके और उन्होंने कृष्ण बेसिन सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 750 करोड़ रुपये का बाजार ऋण लेने के लिए अनुमति देने का अनुरोध किया था। क्या मंत्री महोदय सभा को सूचित करेंगे कि क्या यह

अनुमति प्रदान कर दी गई है और यदि हां तो ऋण लेनेका क्या दर्जा है।

श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति- वर्ष 1994-95 के लिए महाराष्ट्र का बाजार ऋण 385.80 करोड़ रु. बातचीत द्वारा तय ऋण 144.43 करोड़ रुपये और बॉंड तथा डिबेंचर 425 करोड़ रुपये आता है।

जहां तक इन सिंचाई बॉंडों के लिए अनुमति देने का प्रश्न है, मेरे पास इसके लिए कोई जानकारी नहीं है मैं जानकारी एकत्र करूंगा और माननीय सदस्य को दूंगा।

[हिन्दी]

प्रो. प्रेम धूमल : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने कहा कि बाजार का जो ऋण लेना है, वह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और प्रदेश सरकार के बीच का मामला है। आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि जब कभी प्रदेश सरकार के साधन कम होते हैं, तब ओवरड्राफ्ट की नौबत आती है और ऋण लेने की तभी आवश्यकता पड़ती है। जब ओवरड्राफ्ट अधिक होता है तो राज्य सरकारों द्वारा केन्द्र सरकार से मांग की जाती है कि हमें अधिक सहायता दी जाए। क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि जिन प्रदेशों में मार्केट लोन की सीमा निश्चित हो गई थी जैसे हिमाचल प्रदेश में 40 करोड़ और बातचीत के द्वारा 45.23 करोड़ की सीमा निश्चित की गई, गत दिनों हिमाचल प्रदेश की सरकार ने 400 करोड़ रुपये से ज्यादा का ऋण लिया और उसमें सर्विस चार्जेज लगभग 50 लाख रुपए कॉमर्शियल कंपनी को दिये जो पहली बार प्रदेश में हुआ। क्या ऐसी अनियमितताएं और अधिक रेट ऑफ इंटरस्ट कोमर्शियल बैंक को दिया जा रहा है। अंत में सारी बात केन्द्र पर आएगी क्योंकि प्रदेश के पास साधन नहीं हैं। तो क्या आप इस मामले में हस्तक्षेप करेंगे और ऐसे अनाप-शनाप ऋण लेने से उनको रोकेंगे?

[अनुवाद]

श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : महोदय, मैंने पहले ही बताया है कि केन्द्र से राज्यों को संसाधनों का अंतरण मुख्य रूप से दो माध्यमों से होता है योजना आयोग और वित्त आयोग की सिफारिशों पर।

जहां तक बाजार से ऋण की मात्रा और परक्रामित ऋण का संबंध है, इसके बारे में योजना आयोग में चर्चा की जाएगी। योजना आयोग किसी विशेष राज्य की योजना के पूर्व आकार और वर्तमान योजना के विशेष प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए विचार करेगा और निर्णय करेगा। यह काम योजना आयोग का है कि वह बाजार ऋण और परक्रामित ऋण के बारे में निर्णय करे।

प्रो. प्रेम धूमल : मेरा प्रश्न इस मामले में केन्द्र की भूमिका के बारे में है।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूँ कि मंत्री महोदय को यह ही नहीं कहना चाहिए कि योजना आयोग और अन्य इसके लिए उत्तरदायी हैं, आपकी अपनी नीति और योजना होनी चाहिए और इसके बारे में सदस्यों को स्पष्ट कीजिए।

श्री शरद दिघे : महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि ऐसा पहली बार हुआ है जब सरकार ने जहां तक ओवरड्राफ्ट का प्रश्न है, एक स्पष्ट नीति अपनाई है वह यह है बैंकर और ग्राहक का आपसी संबंध यानि रिजर्व बैंक आफ इंडिया और राज्य ग्राहक के रूप में। इसलिए आप ओवरड्राफ्ट की स्थिति के बारे में बताना नहीं चाहते।

दूसरा, उन्होंने एक नया कदम उठाया है वह है राज्यों का वित्तीय प्रबन्ध जो राज्य सरकारों के पास है जिसके लिए वे अपने-अपने राज्य विधान मंडलों के प्रति उत्तरदायी हैं। मैं समझता हूं कि जहां तक राज्यों का संबंध है पिछले दस वर्षों से ओवरड्राफ्ट के आंकड़े हमेशा सभा को प्रस्तुत किए जाते रहे हैं। यह नया कदम उन्होंने उठाया है, मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने ऐसा नया कदम क्यों उठाया है। क्या राज्यों ने उन्हें ऐसा कमद उठाने को कहा है? मंत्री महोदय ने बताया है कि जब राज्य लगातार 10 कार्य दिवसों तक अपनी सीमा से अधिक खर्च करते हैं तो रिजर्व बैंक भुगतान रोक देता है, मैं जानना चाहता हूं कि क्या रिजर्व बैंक इनको कड़ाई के साथ क्रियान्वित कर रहा है या नहीं।

श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति: महोदय, यह सच है कि हमने दोनों सभाओं में उन राज्यों के बारे में चर्चा की है जिन्होंने ओवरड्राफ्ट लिया है और कुछ सदस्यों ने यह राय जाहिर की है कि इसको प्रकट नहीं किया जाना चाहिए। सरकार उन राज्यों के नाम प्रकाशित नहीं कर रही है जिन्होंने ओवरड्राफ्ट लिया है.... (व्यवधान)

कुछ माननीय सदस्य : क्यों?

श्री शरद दिघे : उन्हें उत्तर देने दीजिए।

श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति: मैंने पहले ही स्पष्ट किया है, मैं, जिन राज्यों ने ओवरड्राफ्ट लिया है उनके बारे में मेरे पास उपलब्ध जानकारी देने को तैयार हूं।

श्री शरद दिघे : यही मैं कह रहा हूं। क्या आप उस जानकारी को सभा पटल पर रखेंगे।

श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : महोदय, यदि आप मुझे अनुमति देंगे तो मैं वैसा करूंगा।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको नीति संबंधी निदेश नहीं दूंगा। नीति निर्धारित करना आपका कार्य है, अन्यथा आप कहेंगे कि मैंने कहा था और आपने किया।

श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : यह किसी विशेष राज्य के संबंध में नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : यदि यह आपकी नीति की बात है तो आप उस नीति पर अमल कीजिए जो आप बनाते हैं।

श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : ठीक है, महोदय ....(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : श्रीमान बसु, आप मेरी अनुमति के बिना हमेशा खड़े हो जाते हैं। यह ठीक नहीं है, आप अन्य सदस्यों का अधिकार नहीं छीन सकते हैं। यदि आप अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप अनुमति लेकर अनुपूरक प्रश्न पूछिए।

श्री शरद दिघे : क्या मैं यह कह सकता हूं कि यह सभा का अधिकार है कि वह आंकड़ों को जाने और उन्हें सभा को वे आंकड़े देने चाहिएं।

अध्यक्ष महोदय : वे सही नीति बनाएंगे और फिर उस पर चलेंगे।

श्री ई. अहमद : अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकारों की एक अत्यधिक महत्वपूर्ण समस्या बढ़ता हुआ घाटे का बजट है, ऐसा इसलिए है क्योंकि कल्याण योजनाएं और भारत सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा बनाई गई अन्य अनेक योजनाओं पर राज्य टंकन काम कर रही है। उदाहरण के लिए, केरल में सरकार 40 प्रतिशत राशि शिक्षा और साक्षरता पर और पर्याप्त राशि नि:शुल्क चिकित्सा सहायता और उपेक्षित तथा दुर्बल वर्गों पर व्यय कर रही है। यह एक तरह से मानव संसाधनों पर लगाया गया निवेश है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार हर वर्ष अपने कर्मचारियों के लिए मंहगाई भत्ता बढ़ाती है। इससे राज्य सरकारों पर जिम्मेदारी आएगी कि वह केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के बराबर अपने कर्मचारियों को भी मंहगाई भत्ता दे, केरल जैसे राज्य में एक वर्ष में इसके लिए 120 करोड़ रुपये व्यय करने पड़े। इसलिए भारत सरकार का यह कर्त्तव्य हो जाता है कि वह इस कारण राज्यों को सहायता दे। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार राज्य की सहायता करने के लिए कोई नीति बनाएगी जिससे वे भारत सरकार तथा राज्य सरकारों की नीति के अनुसार कल्याण योजनाओं पर धन व्यय कर सकें। एक ओर तो वे नीति घोषित करते हैं जिसके अनुसार राज्य सरकारें धन व्यय कर रही हैं और दूसरी ओर वे राज्य सरकारों की सहायता नहीं कर रही हैं .....(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : श्री अहमद, इसका निर्णय योजना आयोग और वित्त आयोग को करना है।

श्री ई. अहमद : जी नहीं, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इस पर मंत्री महोदय की प्रतिक्रिया क्या होगी ?

अध्यक्ष महोदय : नहीं, आप उन्हें एक दूसरे क्षेत्र में ले जा रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री विजय कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, देश में कुछ डवलप्ड स्टेट हैं तो कुछ बैकवर्ड स्टेट हैं। जब बैकवर्ड स्टेट के पास धन की कमी हो जाती है तो ओवरड्राफ्ट हो जाता है। क्या सरकार इस बात को ध्यान में रखेगी कि जो स्टेट सचमुच में बैकवर्ड है और उसी वजह से उन पर ओवरड्राफ्ट हुआ है तो उनकी मदद करने पर सरकार क्या विचार करेगी ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या आप राज्य के पिछड़ेपन को देखते हुए ओवरड्राफ्ट की सीमा निर्धारित करेंगे ?

श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : ऐसा वास्तव में नहीं है।

डा. कीर्तिकेश्वर पात्र : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या संघ सरकार उन राज्यों के मामले के बारे में अवगत हैं जो अनुच्छेद 293 के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार की सहमति के बिना बाजार से ऋण ले रहे हैं और यदि ऐसे मामले हैं तो संघ सरकार क्या कदम उठा रही है।

श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : महोदय, केवल एक को छोड़कर किसी राज्य ने प्राइवेट एजेंसियों से ऋण नहीं लिया है। यह मिजोरम सरकार है, जब भी राज्य बाहरी एजेंसियों से ऋण लेना चाहते हैं अर्थात प्राइवेट एजेंसियों से तो उन्हें संविधान के अनुच्छेद 293 के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार से अनुमति लेनी होती है।

श्री अनिल बसु : महोदय, मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में यह स्वीकार किया है कि पहले राज्यों की ओवरड्राफ्ट के सम्बन्ध में स्थिति सभा को दी जाती थी। बाद में मंत्री जी ने इस तर्क पर जानकारी देनी बंद कर दी कि सभा के कुछ सदस्य चाहते थे कि इस तरह की जानकारी सभा को नहीं दी जानी चाहिए। इसका मतलब है कि सभा जानकारी प्राप्त न करने के लिए जिम्मेदार है, यह नीतिगत निर्णय नहीं है यह सभा के कुछ सदस्यों की इच्छा है कि जानकारी न दी जाए, महोदय, आपने उनको कहा है कि यदि यह नीतिगत प्रश्न नहीं है तो आप जोर नहीं देंगे, मंत्री महोदय के उत्तर के अनुसार यह नीतिगत प्रश्न नहीं है.....(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : यह नीतिगत प्रश्न नहीं है, मैंने जोर नहीं दिया है। मैंने बताया है कि मैं नीति पर जोर नहीं दे रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री अनिल बसु : उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया है कि सभा के कुछ सदस्य चाहते हैं कि इस प्रकार की जानकारी नहीं बताई जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : जी हां,

श्री अनिल बसु : महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि सारी सभा चाहती है कि मंत्री महोदय ऐसा जानकारी दें क्योंकि नई आर्थिक नीति के बाद सरकार के

और विशेषकर वित्त मंत्रालय के कार्य की पारदर्शिता देश के भविष्य के लिए आवश्यक है।

अध्यक्ष महोदय : सारी सभा ? सदस्य कैसे जानते हैं कि सारी सभा इसके लिए मांग कर रही है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप इसकी जानकारी मांग रहे हैं न कि सारी सभा।

श्री अनिल बसु : मैं सभा के एक भाग का प्रतिनिधित्व करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप अपने सहयोगियों से परामर्श कीजिए और फिर इसको उठाइये।

श्री अनिल बसु : मैं यह निवेदन कर रहा था....**(व्यवधान)**

श्री ई. अहमद: ऐसी बातें राज्य के बजट में रखी जानी चाहिए.....

(व्यवधान)

श्री अनिल बसु: मेरा सभा के समक्ष यह कहना है....**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया समझिये।

श्री अनिल बसु : मेरा कहना है कि यह जानकारी सभा को देने से नहीं रोकी जा सकती ।

अध्यक्ष महोदय : आपको समझना चाहिए कि एक सदस्य का वक्तव्य सभा का वक्तव्य नहीं है। आप कृपया बैठ जाइये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, आप कुछ भी नहीं कहेंगे। श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही अपना अनुपूरक प्रश्न पूछें।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : अध्यक्ष महोदय, ...**(व्यवधान)**

श्री अनिल बसु : यह क्या बात है ?

अध्यक्ष महोदय : आपको समझना चाहिए कि आपका वक्तव्य सभा का वक्तव्य नहीं है।

श्री अनिल बसु : मेरा यह कहना है कि सभा के कुछ सदस्य ऐसा चाहते हैं, क्या सभा उत्तरदायी है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं अज्ञानता के खिलाफ बोल रहा हूं। आपको जानना चाहिए कि यदि खड़े होकर यह कहें कि सारी सभा पूछ रहीहै तो यह सारी सभा नहीं है जो पूछ रही है।

श्री अनिल बसु : मैं सभा के सदस्य के रूप में पूछ रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : महोदय, ऐसी राय बन रही है कि राज्य के वित्त के मामले में पारदर्शिता बनाई रखी जानी चाहिए। इसलिए उस दृष्टि से ओवरड्राफ्ट के बारे में आंकड़े देने का स्वागत किया जाएगा। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस संबंध में राज्य सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है ? कितनी राज्य सरकारों ने सरकार से अनुरोध किया है कि ओवरड्राफ्ट के आंकड़ों को गोपनीय रखा जाए।

दूसरा, ओवरड्राफ्ट का यह मामला जटिल बनता जा रहा है। एक समय कुछ राज्यों और भारत सरकार के बीच भी विवाद था कि शर्तों आदि में छूट दी जाए। परन्तु रिजर्व बैंक आफ इंडिया इसको निर्धारित करता है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह मामला मुख्य मंत्रियों के या राज्य के वित्त मंत्रियों के किसी सम्मेलन में आया है और यदि हां तो ऐसे सम्मेलन में क्या सर्वसम्मति हुई है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है।

श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : महोदय, अभी तक हमें किसी राज्य सरकार से अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : किसके बारे में ?

श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : ओवरड्राफ्ट की स्थिति बताने के बारे में। महोदय, आपकी अनुमति से मैं बताना चाहता हूं कि इस मामले पर राज्य सभा में दो घंटे से अधिक समय तक चर्चा हुई थी।

राज्य सभा के अनेक सदस्यों ने यह राय व्यक्त की थी कि हमें यह सूचना नहीं देनी चाहिए कि ऐसे कौन से राज्य हैं जिन्होंने अधिक पैसा निकाला है क्योंकि उन राज्यों की बदनामी होगी।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : यह समाचार पत्रों में आ रहा है।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय जी, क्योंकि सभा में कुछ सदस्यों ने अपना मत व्यक्त किया है इसलिए आप उन सदस्यों के मत को इसलिए भी नहीं ले सकते क्योंकि दूसरे सदस्य भी हैं जो अपना मत व्यक्त करना चाहेंगे। इसलिए सरकार के लिए इस पर अपना संतुलित मत बना कर सही निष्कर्ष पर पहुंचना तथा नीति बनाना आवश्यक है। कृपया इस कारण से ही कभी एक तरफ तो कभी दूसरी तरफ मत जाइये क्योंकि कुछ सदस्यों ने ऐसा कहा है तो कुछ सदस्यों ने

दूसरी राय व्यक्त की है।

श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : जी हां, हम इस संबंध में निश्चित रूप से नीति बनाएंगे।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : महोदय, प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर अभी नहीं दिया गया है–क्या ओवरड्राफ्ट के बारे में कोई सर्व सम्मत राय किसी सम्मेलन में बनी है।

श्री सैयद शहाबुद्दीन: अध्यक्ष महोदय, मैं सर्वप्रथम यह कहना चाहता हूं कि प्रत्येक राज्य की वित्तीय स्थिति जनहित का मामला है और संविधान के अंतर्गत यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह प्रत्येक राज्य की वित्तीय प्रबंध पर निगरानी रखें क्योंकि इसके पास आवश्यकता पड़ने पर वित्तीय एमरजेंसी लागू करने का अधिकार है, इसलिए सरकार के पास इसकी जानकारी होनी चाहिए कि क्या किसी विशेष राज्य का वित्त के मामले में मानदंड़ो के अनुसार चलाया जा रहा है, महोदय, मंत्री जी के पास आज इस बात की जानकारी नहीं है कि विभिन्न राज्यों ने ओवरड्राफ्ट के मामले में कितनी सीमा पार कर ली है। यदि वे यह जानकारी देने के लिए सहमत हैं तो मैं जहां तक संभव है प्रत्येक राज्य के मामले में यह जानकारी लेना चाहूंगा कि रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने कुल कितने दिन भुगतान रोके रखा क्योंकि यह प्रत्येक राज्य की वित्तीय स्थिति की परीक्षा होगी। इसलिए मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि यदि उनके पास जानकारी है, वास्तविक राशि नहीं जिसकी सीमा पार कर दी गई है परन्तु कम से कम यह कि ओवरड्राफ्ट लेने के कारण पिछले वित्त वर्ष के दौरान किसी विशेष राज्य को किया जाने वाला भुगतान कितने दिनों तक रोके रखा गया था।

श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : मैं यह जानकारी लेकर माननीय सदस्य को दूंगा।

[हिन्दी]

श्री केशरा लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिन राज्यों ने ओवरड्राफ्ट के माध्यम से धन प्राप्त किया है। क्या उन्होंने वह धन परियोजनाओं में लगाया है, जिसके नाम से वह पैसा लिया था अन्यथा वहां के मुख्यमंत्रियों ने वह धन किसी और कार्य में खर्च किया है ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत अच्छा प्रश्न है।

श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति: सरकार के लिए इस प्रश्न का उत्तर देना बहुत कठिन होगा।

अध्यक्ष महोदय : क्यों ? यदि आप जानकारी एकत्र नहीं करते हैं और यदि आप सभा को जानकारी नहीं देते हैं तो हम कैसे सरकार के खर्च पर वित्तीय नियंत्रण रख सकते हैं ?

श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति: यदि किसी खास मामले मैं धन को अन्यत्र खर्च किया गया है तो इसका मैं पता लगाकर मंत्री महोदय को सूचित करुंगा।

अध्यक्ष महोदय : आप जानकारी एकत्र कीजिए। और इस पर निगरानी रखिए और सभा भी इस पर निगरानी रखे।

श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : जी हां।

[अनुवाद]

वस्त्रों का आयात

363. **श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल**
कुमारी उमा भारती:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 1995-96 के दौरान स्पेशल लाइसेंस रुट के द्वारा सिन्थेटिक वस्त्रों सहित अन्य प्रकार के वस्त्रों और परिधानों के आयात की अनुमति देने का निर्णय किया है,

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने यह आकलन किया है कि इससे हथकरघा और विद्युतकरघा क्षेत्र के वस्त्र उत्पादन पर और इनसे प्राप्त होने वाले राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा,

(ग) यदि हा, तो गत दो वर्षों के दौरान इस क्षेत्र से कितने राजस्व की प्राप्ति हुई और आगामी दो वर्षों मे इसमें कितनी कमी होने की सम्भावना है;औरै , और

(घ) सरकार ने हथकरघा/विद्युतकरघा क्षेत्र के हितों की रक्षा हेतु क्या कदम उठाए हैं ?

वस्त्र मंत्री (श्री जी वेंकट स्वामी) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा है।

(क) जी हां।

(ख) से (घ) विशेष आयात लाइसेंस (एस आई एल) सूची के अन्तर्गत रखी गई वस्त्र तथा क्लोदिंग की मदों को आयात की सामान्य शुल्क की दर पर ही आयात किया जा सकता है जोकि अभी भी काफी है। विशेष आयात लाइसेंस मार्ग के द्वारा भी प्रवेश की सीमा सीमित है। इसके अतिरिक्त यदि आवश्यकता पड़े तो

कम लागत के वस्त्र उत्पादों के आयात को निरुत्साहित करने के लिए यथा मूल्य आयात शुल्क के विकल्प के रूप में जो भी अधिक हो, के आधार पर विशिष्ट आयात शुल्क लगाया जा सकता है। आयातकों पर आयात शुल्क के अतिरिक्त घरेलू उद्योगों द्वारा अदा किए गए उत्पाद शुल्क आदि के बराबर एक अतिरिक्त शुल्क लगाया जा सकता है। इन कारणों से विशेष आयात लाइसेंस योजना के अन्तर्गत तथा क्लोदिंग मदों के आयात से हथकरघा तथा विद्युत करघा बुनकरों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशा नहीं है।

विकेन्द्रीकृत कृत क्षेत्र से राजस्व अर्जन की कोई अलग सूचना नहीं रखी जाती है।

श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल :- माननीय मंत्री जी के जवाब से यह मालूम होता है कि स्पेशल इम्पोर्ट लाइसेंस के जरिये इस देश में सिंथेटिक वस्त्र और कई अन्य प्रकार के वस्त्र आयात किये जाने वाले हैं। इससे आयात होने वाले वस्त्र की कीमत काफी कम रहने की संभावना है क्यो कि कई देशों से आयात होने वाला 54 इंच का कपड़ा हिन्दुस्तान में 17.75 पैसे का मिलता है जबकि यहां से तैयार हुआ 49 इंच का कपड़ा 22 रुपये में मिलता है। इस कारण इस में देश के नागरिकों को देश में बने हुए कपड़े की कीमत बाहर के कपड़े की कीमत से ज्यादा देनी पड़ती है। इसका सबसे बुरा असर टैक्सटाईल इंडस्ट्री खासकर हथकरघा व पावर इंडस्ट्री पर पड़ने वाला है जिससे लाखों वर्कर्स बेरोजगार होंगे।

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आप आयात होने वाले कपड़े के ऊपर स्पेशल ड्यूटी लगाकर इसकी कीमत देश मे बने कपड़े की कीमत तक लाने के लिए क्या करने जा रहे हैं ? क्या आप इसके लिए कुछ कर रहे है ?

श्री जी. वेंकट स्वामी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का यह सवाल है कि बाहर से आने वाले कपड़े का रेट कम होगा और हमारी इंडस्ट्री में तैयार किए हुए कपड़े का रेट ज्यादा होगा जिसकी वजह से डोमैस्टिक मार्केट पर असर पड़ेगा। आप जानते हैं कि उरूग्वे राउंड एग्रीमेंट में स्पेशल इम्पोर्ट टैक्सेस का क्लाज रखा गया है जो बहुत महत्वपूर्ण है। बाहर के देशों ने उस क्लॉज को निकालने की बहुत कोशिश की लेकिन हमने नहीं माना। हमारे देश में जो कपड़ा बनाता है, उसे बैलेंस करने के लिए हमने वह क्लाज रखा है। हमारी इंडस्ट्री पर उसका कोई असर न पड़े, इसलिए उस हथियार को भारत सरकार ने अपने हाथ में रखा है। हमारा टैरिफ रेट 50 प्रतिशत है, यदि कुछ असर हुआ तो हम अपना टैरिफ रेट बढ़ाएंगे।

श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने बताया कि स्पैशल इम्पोर्ट लाईसैंस रूट लिमिटेड देशों के लिए है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इसमें कौन-कौन से देश आते हैं ?

श्री जी. वेंकट स्वामी : सारे देशों में टैरिफ रेट बहुत कम है, हमारे यहां 50 प्रतिशत है। इसके अलावा हमने और भी टैक्सेस लगाने का अधिकार हासिल किया है और वह अमरीका और यूरोपियन मार्केट से उरूग्वे राउंड के बाईलेटरल एग्रीमैंट में हुआ। उसमें भी हमने इस चीज को रखा है। मैं हाउस को बताना चाहता हूँ कि पिछले साल हमने टोटल टैक्सटाइल प्रोडक्शन का 30 प्रतिशत एक्सपोर्ट किया है जोकि 9.5 बिलियन डॉलर का होता है।.....(व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह : वह तो डब्लू.टी ओ. का मामला हूं, उसमें मत उलझिए।

श्री जी. वेकंट स्वामी :मैं विश्वास दिलाता हूं कि टैक्सटाइल की तरफ से हमने उरूग्वे राउंड मे जो भी एग्रीमेंट किया है, वह हमारे देश के हित में है।.....(व्यवधान) उरूग्वे राउंड के एग्रीमेंट के बाद यू. एस.ए और युरोपियन मार्केट से बाईलेटरल एग्रीमेंट हुआ। पहले कोटा सिस्टम से हमारे यहां से कपड़े जाता था। अब हैंडलूम , हैंडीक्राफ्टस और कांटेज इंडस्ट्री को कोटा सिस्टम से निकाल दिया है। अब जितना चाहे हैडलूम यू.एस.ए और यूरोपियन मार्केट मे जा सकता है। हमने अगले साल के लिए साढ़े दस बिलयन डॉलर एक्सपोर्ट का टारगैट टैक्सटाइल मिनिस्ट्री के लिए रखा है। मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि वहां से जो कपड़ा आएगा, उसको हम डोमैस्टिक इंडस्ट्री पर असर पड़े बिना परमीशन देंगे। यदि चाहे तो हमारे हाथ में टैरिफ रेट को इनक्रीज करने का भी अधिकार है।

कुमारी उमा भारती: आपने तथ्यों को तोड़-मरोड़कर प्रथम प्रश्नकर्ता को शांत करके बिठा दिया है। मैं सीधा सवाल करूंगी और मुझे उसका सीधा उत्तर दीजिए, गुमराह करने वाला उत्तर मत दीजिए। मेरा मंत्री महोदय से सीधा सवाल यह है कि विशेष आयात लाईसैंस स्कीम के अन्तर्गत विदेशों से जो वस्त्र इस देश में आएगा, उसका विधुत करघा, हथकरघा बुनकरों द्वारा बनाए जाने वाले वस्त्र पर असर पड़ेगा। इसका विद्युत करघा, हथकरघा बुनकरों द्वारा बनाए जाने वाले वस्त्र पर असर पड़ेगा। इसका मुख्य कारण उसपर लगने वाला उत्पाद शुल्क है जोकि 7.60 रुपये है।

इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि क्या यह सही नहीं है कि इसके कारण औसतन 20-25 प्रतिशत कम दामों में विदेशी वस्त्र बिकेंगे? इसलिए अगर इस उत्पाद शुल्क को, जो कि 7.60 रुपये है, खत्म कर दिया जाय तो जो हमारे हथकरघा और विद्युतकरघा बुनकरों के द्वारा बनाये गये वस्त्र हैं, वह उनके साथ मार्केट में कम्पीटेशन में आ जायेंगे। क्योंकि हम नही चाहते हैं कि भारत के नागिरकों को अच्छा, सस्ता और टिकाऊ कपड़ा न मिले, वह उनको मिलना चाहिए, उनका अधिकार है लेकिन इसके लिए कम्पीटीशन में हमारे भारतीय उद्योग ठीक ढंग से खडे हो सकें, इसके लिये मुझे सीधा उत्तर दीजिए कि क्या आप यह उत्पादन शुल्क, जो कि 7.60 रुपये है, इसको हटाऐंगे ?

श्री जी. वेंकट स्वामी : अध्यक्ष जी, आनरेबल मैम्बर्स को मैं पहले जवाब दे चुका हूं कि हमारे पास जो भी एक्सपोर्ट होगा, उदाहरण के लिए हाई वैल्यू एडीशन में 5000 डालर में एक सूट आता है जो आप हिसाब लगा लीजिए, यहां पर कौन खरीदने वाले हैं, कितने खरीदने वाले हैं। हाई वैल्यू के 313 आइटम्स को हमने उसमें एग्री किया है इसके बाद भी हमने यह हथियार अपने हाथ में रखा है

कि अगर उससे हमारी इण्डस्ट्री पर असर पड़ेगा तो हमारा टैरिफ रेट बढ़ जायेगा। रेट बढ़ाने का हमारा अधिकार होगा। मैं ऐसा नहीं समझता कि वह हमसे ज्यादा होगा।

हैण्डलूम के बारे में उन्होंने पूछा है। हैंण्डलूम के बारे में हमने जो बाइलेटरल एग्रीमेंट किया है उसमें यूरोप में तो 7000 टन का फ्लेक्स बिलिटी इस्तेमाल करने का एग्रीमेंट किया है। इसके अलावा यूरोप में जितना चाहे हैण्डलूम का कपड़ा लेने के लिए उसको कोटा सिस्टम से निकाल दिया है।

कुमारी उमा भारती : यह सीधा या टेढ़ा कुछ भी मेरे सवाल का तो जवाब ही नहीं आया है। मैंने तो यह सवाल किया ही नहीं, आप जवाब किस सवाल का दे रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : एक्साइज ड्यूटी कम करने जा रहे हैं क्या? लम्बे सवाल में छोटा सा जो प्रश्न है, वह यह है कि एक्साइज ड्यूटी कम करने जा रहे हैं क्या ?

कुमारी उमा भारती: क्या 7.60 रुपये को आप खत्म करेंगे ? आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। आप लाखों बुनकरों को बेरोजगार करने जा रहे है। आप करोड़ों लोगों के पेट की रोटी काट रहे हैं।.....**(व्यवधान)**

महोदय, वह उसके बारे में अच्छी तरह से जानते हैं।

अध्यक्ष महोदय : अब आप बैठ जाइये। सवाल छोटा सा है। एक्साइज ड्यूटी कम करने जा रहे हैं क्या ?

श्री जी. वेंकट स्वामी: एक्साइज ड्यूटी बाहर से आने वाले कपड़े पर ?

अध्यक्ष महोदय : नहीं, यहां के कपड़े पर।

कुमारी उमा भारती: यहां पर हैण्डलूम और हथकरघे से जो वस्त्र बनता है, उसपर।

श्री जी वेंकट स्वामी : जो बुनकर तैयार करते हैं, उसपर एक्साइज डयूटी है, ऐसा कहा क्या ?.....(व्यवधान) मुझे जहां तक मालूम है, हैण्डलूम वीवर्स जो कपड़ा तैयार करते है, उस कपड़े पर एक्साइज ड्यूटी नहीं है। अगर.....(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कुमारी उमा भारती जी, यह सही नहीं है।

श्री एम . आर. कादम्बूर जनार्दनन: अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया है कि स्पेशल इम्पोर्ट लाइसेंस रुट सीमित है। मैं इस संबंध में स्पष्टीकरण चाहता हूं। आपका सीमित से क्या अभिप्राय है। क्या इससे निर्यात बाजार प्रभावित नहीं होगा ? उरुग्वे सम्मेलन में कुछ भी निर्यात किया गया हो परन्तु आपकी लाइसेंस प्रणाली से सिंथेटिक कपड़े की तस्करी एक संस्थागत रूप ले लेगी। इसलिए मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि निर्यात में सुधार लाने के लिए स्पेशल इम्पोर्ट लाइसेंस केवल उन्हीं लोगों को दिया जाऐगा जो वास्तव में वस्त्रों का निर्माण करके उनका निर्यात कर रहे हैं या नहीं। केवल उस कोटि के लोगों को विशेष आयात लाइसेंस दिया जाना चाहिए तब ही निर्यात बाजार प्रभावित नहीं होगा। सरकार इस बात पर क्या कहना चाहती है।

श्री जी. वेंकट स्वामी : महोदय, वर्ष 1994-95 के दौरान 1200 करोड़ रुपये का विशेष आयात लाइसेंस जारी किया गया था।

श्री एम. आर. कादम्बूर जनार्दनन :- मैं यह सभी ब्यौरे नहीं चाहता हूं। आपने बताया है कि स्पेशल लाइसेंस रूट सीमित है। यदि यह सीमित है तो क्या यह वास्तविक निर्माताओं को दिए जाएंगे जो वस्त्रों का निर्यात कर रहे हैं।

श्री जी. वेंकट स्वामी: मैं निर्यात उत्पादन के बारे में ब्यौरा कैसे दे सकता हूं?

अध्यक्ष महोदय: कृपया आप इसे देखें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह सुझाव है, आप इसकी जांच करायें।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष महोदय, अभी इजाजत वगैरह देने की जो बात हुई है, उसका बिल्कुल गोल मटोल जवाब दिया गया है। इसका मंत्री महोदय कोई ठोस जवाब नहीं दे सके हैं। यह जवाब अपनी जगह पर है। इसके अलावा आज बर्मा और भारत के बीच खुले व्यापार का इंतजाम मोरे यानि मणिपुर के रास्ते से हुआ है और इसके तहत बर्मा के मार्ग से चीन अपने कपड़े को आज हिन्दुस्तान से इतनी बड़ी मात्रा में भेज रहा है जिसका हिसाब इनके पास नहीं है। इसी प्रकार नेपाल मार्ग से भी चीन का कपड़ा आज हिन्दुस्तान में आ रहा है और बाजार में बिक रहा है। यह पहले केवल सीमावर्ती इलाकों में ही बेचा जाता था। आज रेडिमेड कपड़े और दूसरे कपड़े हिन्दुस्तान के अनेक महानगरों तक पहुंच रहे है। इनको रोकने के लिये क्या सरकार विचार करेगी, चूंकि जो परेशानी बुनकरों की है, वह केवल बुनकरों तक ही सीमित नहीं रहेगी, वह समूचे कपड़े उद्योग को भी हानि पहुंचायेगी। इसके साथ ही विदेशी कपड़ा आयात करने के विज्ञापन खुले आम आ रहे हैं। इंग्लिशस्तान से मंगाया हुआ सूट लैंथ 70 हजार रुपये में बेचा जा रहा है। बिना किसी शर्म के उसके विज्ञापन दिये जा रहे हैं। विदेश से मंगाया हुआ सूट लैथ 70 हजार रुपये में हिन्दुस्तान के बाजार में मिल रहा है। क्या इन दोनों चीजों को रोकने के लिये और हमारे कपड़ा उद्योग को बचाने के लिये सरकार कुछ सोचने को तैयार है ?

श्री जी. वेंकटस्वामी : अध्यक्ष महोदय, पहला सवाल जो माननीय सदस्य

का है कि मणिपुर और बर्मा के बीच स्मगलिंग कपड़े की हो रही है और वह यहां से वहां जा रहा है, मैं जहां तक समझता हूँ यह मेरी मिनिस्ट्री से सम्बन्धित नहीं है। यह कामर्स और फाईनान्स मिनिस्ट्री से सम्बन्धित है जो एग्रीमेंट बर्मा और इंडिया के बीच हुआ है मुझे उसके डिटेल्स पता नहीं हैं ....(व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष महोदय, यह भारत सरकार के मंत्री हैं। टैक्सटाइल मिनिस्ट्री की भी जिम्मेदारी है।

श्री जी वेंकटस्वामी : मुझे बोलने का चांस तो दिया जाये ..(व्यवधान) माननीय सदस्य समझते नहीं है तो मैं क्या करूं? मैं तो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। भारत सरकार के एग्रीमेंट के बाद मणिपुर से लूंगी जा रही है, उस बारे में मुछे जानकारी है लेकिन उस एग्रीमेंट के तहत स्मगलिंग हो रही है और नेपाल के रास्ते से हो रही है, उसकी तरफ मैं फाइनान्स मिनिस्टर का ध्यान दिलाऊंगा। सिल्क की जो डम्पिंग हो रही है,उसके बारे में मैंने फाइनान्स मिनिस्टर को लैटर लिखा है। मेरे पास ऐसी कोई मशीनरी नहीं है जिससे मैं स्मगलिंग पर रोक लगा सकूं। इसको फाइनान्स मिनिस्ट्री इसके ऊपर ऐक्शन लेगी।

[अनुवाद]

श्री के. पी. रेड्डय्या यादव: विदेशों को 9.7 बिलियन डालर कपड़ा निर्यात करने के बाद भी हमें 'गेट' जी.ए टी.टी. समझौते के अंतर्गत कपड़े के उत्पादन का कम से कम 3 प्रतिशत आयात करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि निर्यात करने के बाद भी हम कपड़े के मामले में आत्म निर्भर बन गए हैं। भारत सरकार उस तीन प्रतिशत कपड़े का क्या कर रही है जो हम (गेट) समझौते के अंतर्गत आयात कर रहे हैं। सरकार की इस संबंध में क्या योजनाएं हैं क्योंकि निर्यात करने के बाद भी हम कपड़े के उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर हैं। जब समझौता लागू होगा तो हमें कपड़े के उत्पादन का कम से कम तीन प्रतिशत कपड़ा आयात करना पड़ेगा ।भारत सरकार उस कपड़े का क्या करेगी.... (व्यवधान)

श्री.जी. वेंकटस्वामी : किसी भी सीमा तक बाजार पंहुचा जा सकता है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

[अनुवाद]

प्रश्नों के लिखित उत्तर

गैर-संरकारी बैंक खोलने की अनुमति

364. **श्री मोहन रावले** :
श्री नवल किशोर राय :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) उन संस्थानों का ब्यौरा क्या है जिन्हें 1994-95 के दौरान गैर-सरकारी क्षेत्र में बैंक खोलने की अनुमति दी गई तथा इसी अवधि के दौरान किन-किन संस्थाओं के प्रस्ताव अस्वीकृत किए गये हैं, इन प्रस्ताओं को अस्वीकृत किए जाने के क्या कारण थे;

(ख) सरकार के पास स्वीकृति हेतु अभी भी लंबित प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और ये प्रस्ताव किस तिथि तक अंतिम रूप से निपटा दिए जायेंगे;

(ग) ऐसे गैर-सरकारी बैंकों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया मानदंडों का ब्यौरा क्या है, और

(घ) गैर-सरकारी क्षेत्र में बैंक खोलने हेतु अनुमति देने के लिए क्या मानदंड अपनाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी चन्द्रशेखर मूर्ति): (क) भारतीय रिजर्व बैंक आर. बी.आई. ने सूचित किया है कि वर्ष 1994-95 के दौरान जब उसने बैंक आफ पंजाब लि. के प्रवर्तकों को सिद्वान्त रूप से स्वीकृति दे दी थी, तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक ने निम्नलिखित के आवेदनों को नीचे दिये गये कारणों से रद्द कर दिया था-- (क)कुछ अनियमिततायें करने (ख)गै र - बैंककारी वित्तीय कंपनियों का भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी कुछ मार्ग निर्देशों का उल्लंघन करने, और राज्य सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी होने के कारण:-

1. श्री आर. सी. सुनेजा. भूतपूर्व अध्यक्ष, न्यू बैंक आफ इंडिया
2. रॉस मोरारका फाइनेंस लि.
3. पियरलेस जेनरल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी लि.
4. सहारा इंडिया फाइनेंसियल कार्पोरेशन लि.
5. पद्ममजा फाइनेंसियल सर्विसेज लि.
6. मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम लि.

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि दिनांक 31.3.1995 की स्थिति के अनुसार गैर-सरकारी क्षेत्र में नये बैंक स्थापित करने के लिये 33 आवेदन उसके पास लंबित हैं। ऐसे आवेदकों के नाम विवरण में दिये गये हैं। इन आवेदनों पर अलग-अलग चरणों में कार्रवाई की जा रही है और इस अवस्था में यह बताना कठिन है कि किस तारीख तक इन आवेदनों का अंतिम रूप से निपटान कर दिया जायेगा।

(ग) और (घ) गैर सरकारी क्षेत्र में बैंक स्थापित करने के लिये भारतीय

रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा निर्देश विवरण-२में दिया गया है।

1. एक्जीम बैंक लि.

2. आई. टी. सी. लि0

3. पिनिक्स ओवरसीज लि0

4. श्री एच.टी.पटेल

5. श्री एस.पी वाई. रेड्डी

6. रिलायंस इंडस्ट्रीज

7. इस्पात फाइनांस लि0

8. माडर्न ग्रुप आफ इंडस्ट्रीज

9. एस.आर.एफ. लि0

10 श्री आर .एस .मार्डिया. आफ-मार्डिया केमिकल्स

11. जैन ग्रुप आफ इंडस्ट्रीज

12. सी. आर. बी. कैपिटल मार्केटस

13. नेगोलिक लि. एंड श्री जय किशन भागचंदका

14. श्री आर.पी गोयल

15. डाडेन इंवेस्टमेंट एंड फाइनांस लि0

16. कांक्सएंड सिंग फाइनांस लि0

17. श्री प्रफुल पटेल

18. श्री जम्बू कुमार भण्डारी आफ अल्पाईन सौंल्वेक्स लि0

19. इंडियन सीमलेस फाइनांस सर्विसेज लि0

20. श्री रामदेव पीट्टी

21. एपल इंडस्ट्रीज लि0

22. कापरो ग्रुप लि0 लंदन श्री स्वराज पौल

23. बिरला ग्रोथ फण्ड

24. सेई इंटरनेशल फाइनांस लि0

25. डी. एल. एफ. यूनीवर्सल लि0

26. श्री दत्तराज सलगांवकर

27. रौनक फाइनांस लि0

28. श्री गुलाम ग्रोस

29. जय उल्ला शरीफ

30. इपेव इंवेस्टमेंट्स

31. रुचि सोभा इं इस्ट्रीज (प्रा.लि0

33. श्री जे.सी लूथर, आई. आर. एस. रिटायर्ड

विवरण - II

नए गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंको के प्रवेश संबंधी मार्ग निर्देश

(क) कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत ऐसा बैंक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में पंजीकृत किया जायेगा।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ऐसे बैंक के लिए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत गुण-दोषों के आधार पर लाइसेंस जारी कर सकता है। बैंक को उचित समय पर भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में भी शामिल किया जा सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक का निर्णय इन मामलों में अंतिम होगा।

(ग) बैंक जहां तक उसका संबंध प्राधिकृत, अभिदत्त और चुकता पूंजी से हैं, बैंककारी विनियमन अधिनियम के प्रावधानों से नियंत्रत होगा। ऐसे बैंकों की न्यूनतम चुकता पूंजी 100 करोड़ रुपए होगी। ऐसे बैकों के लिए प्रवर्तक के अंशदान का निर्णय भारतीय रिजर्व बैंक करेगा और वह लागू विनियमों के अनुरूप होगा।

(घ) बैंक के शेयर स्टाक बाजार में सूचीबद्ध होंगे।

(ङ) महानगरीय शहरों और अन्य अधिक बैंकों वाले क्षेत्रों में नए बैंकों के मुख्यालयों के संकेन्द्रण से बचने के लिए, लाइसेंस जारी करते समय उन्हें तरजीह दी जाए जिनके मुख्यालय ऐसे स्थान पर हों जहां किसी अन्य बैंक का मुख्यालय न हो।

(च) किसी एक शेयर धारक का वोट देने का अधिकार कुल वोट देने के अधिकारों का 10 प्रतिशत की अधिकतम सीमा द्वारा नियंत्रित होगा जैसाकि बैंककारी विनियमन अधिनियम की धारा 12 (2)में कहा गया है। तथापि सरकारी वित्तीय संस्थाओं को उक्त अधिनियम की धारा 53 के अंतर्गत इस सीमा में छूट दी जा सकती है।

(छ) ऐसे किसी व्यक्ति को निदेशक बनाने की अनुमति नए बैंक को नहीं दी जाएगी जो किसी ऐसी अन्य बैंकिंग कंपनी या कंपनियों का निदेशक हो जो अपने आप में बैकिंग कंपनी के सभी शेयर धारकों के वोट देने के अधिकारों के 20% से अधिक का वोट देने का अधिकार रखता हो, जैसाकि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 में निर्धारित है।

(ज) यह बैंक अपने प्रबंधन स्थापना नगदी आवश्यकताओं और अपने कार्यकलापों की सम्भावना के संबंध में रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 और अन्य संगत सावधानियों के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित होगा। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए निदेश, अनुदेश मार्गनिर्देश अन्य बैंकों के मामले के अनुरूप ऐसे किसी बैंक पर लागू होंगे। यह सुनिश्चित करना होगा कि एक नया बैंक प्रारम्भ में महत्वपूर्ण (कोर) बैंकिंग कार्यकलापों पर ही केन्द्रित हो।

(झ) ऐसा बैंक बैंकिंग कार्यों, लेखा संबंधी नीतियों और अन्य नीतियों, जैसी भारतीय रिजर्व बैंक ने निर्धारित की है, के संबंध में विवेकपूर्ण मानदंडों के अधीन होगा। बैंक को बहुत पहले ही जोखिमवाली आस्तियों की 8 प्रतिशत की पूंजी पर्याप्ता प्राप्त करनी होगी। इसी प्रकार से इसे प्रारंभ से ही आय की पहचान संबंधी मानदण्ड परिसंत्तियों के वर्गीकरण और व्यवस्थाएं भी लागू होंगी। इसी प्रकार की एकल ऋणकर्ता और ग्रुप ऋणकर्ता की एक्सपोजर सीमाएं होंगी जो समय-समय पर लागू होंगी।

(ञ) बैंक को अन्य घरेलू बैंकों पर लागू प्राथमिकता क्षेत्र ऋण लक्ष्यों का अनुपालन करना होगा। बहरहाल, इस तथ्य की पुष्टि में कि प्राथमिकता वाले क्षेत्र की सभी श्रेणियों को ऋण देने में कुछ समय लगना अपेक्षित होगा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तीन वर्षों की प्रारंभिक अवधि के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्र के ऋणों की संरचना में कुछ संशोधनों पर विचार किया जा सकता है।

(ट) ऐसे बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक को इस प्रकार के निर्देशों की भी अनुपालना करनी होगी जैसाकि सभी निर्यात ऋण के मामले में विद्यमान बैकों पर लागू हैं। इसकी सुविधा के रूप मे इसे विदेशी मुद्रा में कार्य करने के लिए जब आवेदन करें, प्राधिकृत डीलर लाइसेंस जारी किया जाये।

(ठ) किसी नए बैंक की उसकी स्थापना के पश्चात कम से कम तीन वर्षो के लिए कोई अनुषंगी या म्यूचुअल फण्ड के गठन की अनुमति नहीं होगी। ऐसे किसी बैंक की अन्य कंपनियों की इक्विटी की धारिता अन्य बैंक को लागू विद्यमान प्रावधानों द्वारा नियंत्रित होगा-अर्थात

(I) जैसा कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत निर्धारित है, बैंक या नियंत्रित करने वाली कंपनी की पूंजी निधियों का 30 प्रतिशत, जो भी कम हो, और

(II) भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों के अनुसार एक वर्ष के दौरान बैंक की वृद्धिशील जमाराशियों का 1.5 प्रतिशत। अनुषंगियों और म्यूचुअल फंड (यदि और जब स्थापित हो) और अन्य कंपनियो में पोर्टफोलियो निवेशों में ऐसे निवेशकों का कुल बैंकों के अपनी प्राप्त पूंजी और प्रारक्षित धन का 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

(ड) शाखा खोलने के संबंध में यह विद्यमान नीति द्वारा नियंत्रित होगा कि बैंकों द्वारा एक बार पूंजी पर्याप्तता और विवेकपूर्ण लेखा संबंधी मानदंडों के पूरा करने पर भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्वानुमति के बगैर वे शहरी, महानगरीय केन्द्रों सहित विभिन्न केन्द्रों मे शाखाएं खोलने के लिए स्वतंत्र हैं। बहरहाल, महानगरीय क्षेत्रों और शहरों में उनकी शाखाओं के अधिक संकेन्द्रीकरण को दूर करने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किए गए अनुसार किसी नए बैंक को ग्रामीण और अर्धशहरी शाखाओं का खोलना अपेक्षित होगा।

(ढ) ऐसे बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक की समग्र नीति मार्गनिर्देशों केंभीतर अपनी ऋण नीति को निर्धारित करना होगा। ऐसा करते समय, इसे सम्बद्ध पार्टी संबंधी लेनदेनों को शामिल करते हुए, विवेकपूर्ण मानदंडों की विशेषरुप से व्यवस्था करनी पड़ेगी।

(ण) ऐसे बैंक को बेहतर ग्राहक सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से कार्यालय उपस्कर, कम्प्यूटर, दूर-संचार आदि में नवीनतम आधारभूत सुविधाओं का पूर्ण उपयोग करना होगा। बैंक को ग्राहकों की शिकायतों पर कार्रवाई करने के लिए एक उच्च शक्ति प्राप्त ग्राहक शिकायत कक्ष रखना चाहिए।

(त) ऐसी अन्य शर्तें जैसी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाएं।

[हिन्दी]

विदेशी व्यापार (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1992

*365. **श्री काशीराम राणा: क्या वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विदेशी व्यापार (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1992 के उपबन्धों का पालन न करने वाली फर्मों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है;

(ख) क्या इस अधिनियम के अन्तर्गत जुर्माना किए जाने के प्रावधान के

कारण ऐसी फर्मों की संख्या कम होती जा रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने भविष्य में ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाने हेतु क्या कदम उठाए हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री. पी. चिदम्बरम): (क) से (घ). देश के विदेश व्यापार का विनियमन विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 के अधीन किया जाता है। इस अधिनियम के उपबन्धों को लागू करने के लिए विदेश व्यापार, (विनियमन) नियमावली, 1993 अधिसूचित की गई है। सरकार द्वारा इसी अधिनियम की धारा 5 के तहत आयात एवं निर्यात नीति तैयार की जाती है और उसकी घोषणा की जाती है। इस अधिनियम के उपबंधों नियमावली अथवा नीति का किसी भी प्रकार का उल्लंघन करने के लिए चूककर्ता फर्मों के विरूद्ध यथोचित कार्रवाई की जाती है। पूर्ववर्ती आयात एवं निर्यात, (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 तथा उसके तहत बनाए गए आदेशों और विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 के अधीन पिछले 3 वर्षों के दौरान जिन फर्मों के विरुद्ध कार्रवाई की गई उनकी संख्या निम्नानुसार है:-

वर्ष	वंचित फर्मों की संख्या	उन फर्मों की संख्या जिन पर अर्थदण्ड लगाया	लगाए गए अर्थदण्ड की राशि (करोड़ रु.)
1992-93	130	188	48.22
1993-94	40	58	11.71
1994-95	39	38	81.52

कपास की खेती

[अनुवाद]

*366. **श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति:**
श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रुई निगम ने देश में कपास की उत्पादकता बढ़ाने हेतु कोई नई योजना शुरू करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) चालू वर्ष के दौरान देश में कपास की मांग की तुलना में इसका कितना उत्पादन होने का अनुमान है;

(घ) क्या सरकार का विचार विभिन्न राज्यों में कपास की गहन खेती करने का है;

(ङ) यदि हां, तो कपास उत्पादक राज्यों में उत्पादकता बढ़ाने हेतु शुरू की गई नई योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में क्या उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी): (क) और (ख). जी हां। भारतीय कपास निगम कर्नाटक, गुजरात, मध्यप्रदेश तथा राजस्थान राज्यों में प्रम्णाणीकृत बीजों के उत्पादन तथा वितरण की परियोजना का कार्यान्वयन कर रहा है। 1995-96 के दौरान इस कार्यक्रम को पंजाब में भी कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है।

(ग) चालू कपास वर्ष के दौरान देश में कपास का अनुमानित उत्पादन तथा मांग कपास सलाहकार बोर्ड द्वारा यथा-अमुमानित क्रमशः 125.50 लाख गांठें तथा 127 लाख गांठें है।

(घ) और (ङ). कृषि मंत्रालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु तथा उत्तर प्रदेश राज्यों में केन्द्र द्वारा प्रायोजित गहन कपास विकास कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रजनक आधार तथा प्रमाणीकृत बीजों के उत्पादन, प्रमाणीकृत बीजों के वितरण तथा उत्पादन प्रौद्योगिकी पर प्रदर्शन आयोजन करने के लिए इन राज्यों को वित्तीय सहायता दी जाती है।

(च) देश में कपास का उत्पादन 1991-92 में 119 लाख गांठ से बढ़कर 1992-93 मे 135 लाख गांठ हो गया। तथापि, कपास उपजाने वाले राज्यों में नाशीकीटों तथा अन्धड़ के कारण 1993-94 में उत्पादन 121.50 लाख गांठ का हुआ।

बैंक द्वारा धनराशि का विनियोग

*367. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए यह आवश्यक होता है कि वे अशोध्य तथा संदिग्ध ऋणों के मामले में अपनी आरक्षित निधि से किए गए विनियोग का ब्यौरा सरकार अथवा भारतीय रिजर्व बैंक या अपने निदेशक मंडलों को दें; और

(ख) यदि हां तो 1992,1993 और 1994 के प्रत्येक लेखा वर्ष में भारतीय स्टेट बैंक सहित सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक बैंक के पास इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आरक्षित थी और इन बैंकों के द्वारा इस हेतु कितनी धनराशि का विनियोग किया गया ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान करने के पश्चात लाभ और हानि लेखों में लाभ की शेष राशि का परिकलन किया जाता है। बैंक के निदेशक बोर्ड और लेखा परीक्षकों के अनुमोदन से ये प्रावधान किए जाते हैं।

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 17 (1) के तहत बैंकों को किसी प्रकार के लाभांश की घोषणा करने के पहले लाभ और हानि लेखों में प्रकट किए गए अनुसार प्रत्येक वर्ष लाभ के कम से कम 20 प्रतिशत के बराबर की राशि अंतरित करके आरक्षित निधि सृजित करनी अपेक्षित है। उस मामले में जिसमें इस आरक्षित निधि से विनियोग किया जाना है, बैंक को इसकी सूचना भारतीय रिजर्व बैंक को देनी होती है जिसमें निर्धारित अवधि के अंतर्गत पुनर्विनियोग की परिस्थितियां स्पष्ट की जाती हैं । भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि इस धारा के अंतर्गत 1992 से 1994 के दौरान सरकारी क्षेत्र के किसी भी बैंक से ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

प्राकृतिक रबड़ का आयात

*368. **प्रो. सावित्री लक्ष्मणन :**
श्री पी.सी. थामस :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस समय अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्राकृतिक रबड़ के मूल्य घरेलू बाजार की तुलना में अधिक हैं;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) चालू वर्ष के दौरान प्राकृतिक रबड़ का आयात किए जाने का निर्णय लेते समय रबड़ बोर्ड के पास प्राकृतिक रबड़ का कितना स्टाक मौजूद था;

(घ) क्या प्राकृतिक रबड़ का आयात सरकार की उत्पादन और मांग के बीच अन्तर को समाप्त करने संबंधी नीति के विपरीत है;

(ङ) यदि हां, तो इस आयात के क्या कारण हैं; और

(च) सरकार रबड़ उत्पादकों के हितों की रक्षा करने के लिए तथा रबड़ के आयात पर अंकुश लगाने हेतु क्या कदम उठा रही है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम)

(क) और (ख). जी हां, महोदय, दिनांक 21.4.95 को कोट्टायम और कुआलालम्पुर (मलेशिया) में आर एस एस-4 ग्रेड की रबड़ की कीमत निम्न प्रकार से थी:

	रुपये /क्विंटल
कुआलालम्पुर बाजार	5514
कोट्टायम बाजार	5400

(ग) रबड़ बोर्ड वितरण के लिए कोई वाणिज्यिक भंडार नहीं रखता है। तथापि, देश में प्राकृतिक रबड़ की अनुमानित भंडारण क्षमता निम्न प्रकार से है:

महा के अंत में	मात्रा (.000 मी.ट.)
जनवरी, 1995	101
फरवरी, 1995	83
मार्च, 1995	69

(घ) से (च). चालू आयात निर्यात नीति के अनुसार रबड़ आयात के लिए प्रतिबंधित सूची में है और विशेष आयात लाइसेंस के अंतर्गत आयात किया जाता है। मांग और पूर्ति के बीच अंतर को देखते हुए समय-समय पर प्राकृतिक रबड़ के आयात की अनुमति लाइसेंस के अंतर्गत दी जाती है। इस दृष्टिकोण के अनुसार मार्च, 1995 मे शून्य शुल्क पर 20,000 मी.ट. प्राकृतिक रबड़ के आयात की अनुमति दी गई। मांग पूर्ति परिस्थितियों और अंतर्राष्ट्रीय तथा घरेलू कीमतों के बीच के अंतर को ध्यान में रखते हुए यह आशा नहीं है कि ऐसा आयात रबड़ उत्पादकों के हितों को प्रभावित करेगा। अग्रेतर भविष्य में आयात आवश्यकताओं को न्यूनतम करने के लिए रबड़ बोर्ड देश में उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए कदम उठा रहा है।

इंडियन एयरलाइन्स को घाटा

*369. **श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स: क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इंडियन एयर लाइन्स में घाटे के कारणों की बारीकी से जांच करने हेतु कोई समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति का गठन कब किया गया था और इस समिति के सदस्य कौन-कौन हैं; और

(ग) यह समिति कब तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देगी?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) जी,हां।

(ख) दिनांक 13.2.1995 को एक समिति का गठन किया गया था जिसमें निम्नलिखित सदस्य हैं:

1. डा. विजय केलकर, सचिव पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय — अध्यक्ष
2. श्री दीपक पारिख, प्रबंध निदेशक, आवास विकास वित्त निगम — सदस्य
3. श्री. पी. जी. मंकड, अपर सचिव औद्योगिक विकास विभाग — सदस्य
4. श्री सुरेश कृष्ण, अध्यक्ष टी वी सुन्दरम ग्रुप — सदस्य
5. कैप्टन डी.एस. माथुर, प्रबन्ध निदेशक, एयर इंडिया — सदस्य
6. श्री पी. सी. सेन, प्रबंध निदेशक इंडियन एयर लाइंस — सदस्य
7. डा जी.के. अग्रवाल, निदेशक योजना इंडियन एयरलाइंस — सचिव

विचारार्थ विषय

1. इंडियन एयरलाइंस ने पूर्व स्थिति बहाल करने के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों कार्यनीतियां विकसित करना और उन्हें प्राथमिकता प्रदान करना और पूर्व स्थिति बहाली संबंधी कार्यनीति के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय पुन: संरचना सहित कार्यवाही की योजना विकसित करना।
2. भावी चुनौतियों से निपटने के लिए वेतन नीतियों सहित संगठनात्मक ढांचे की पुन: संरचना के बारें में सिफारिश करना।
3. ऐसे क्षेत्रों का पता लगाना जिनमें सरकार की सहायता की आवश्यकता हो।
4. ऊपर उल्लिखित मुद्दों से संबंधित कोई अन्य विषय।

(ग) समिति को अप्रैल, 1995 के अंत तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।

भारत पर्यटन विकास निगम की बकाया राशि

***370. श्री अमर राय प्रधान :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ग्राहकों पर भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों की भारी धनराशि बकाया है;

(ख) यदि हां, तो इस बकाया धनराशि का ब्यौरा क्या है और भारत पर्यटन विकास निगम के किन-किन होटलों की धनराशि बकाया है; और

(ग) सरकार का इस बकाया धनराशि की वसूली हेतु क्या कदम उठाने का विचार हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख). 31.3.94 की स्थिति के अनुसार भारत पर्यटन विकास निगम के अपने और उसी के द्वारा प्रचालित 26 होटलों के संबंध में होटल-वार बकाया राशि के ब्यौरे दर्शाने वाला एक विवरण नीचे दिया गया है:-

क्रम सं	होटल का नाम	कुल बकाया (रु. लाखों में)
1.	होटल अशोक, नई दिल्ली	641.65
2.	होटल जनपथ, नई दिल्ली	130.34
3.	होटल लोधी, नई दिल्ली	80.49
4.	होटल रणजीत, नई दिल्ली	64.91
5.	होटल अशोक, बंगलौर	98.20
6.	होटल हसन अशोक	16.42
7.	होटल जम्मू अशोक	5.30
8.	होटल औरंगाबाद अशोक	14.48
9.	होटल खजुराहों अशोक	17.79

क्रम सं	होटल का नाम	कुल बकाया, रु. लाखों में
10.	होटल कोवलम अशोक बीच रिर्सटो, कोवलम	178.14
11.	लक्ष्मी विलास पैलेस होटल, उदयपुर	48.62
12.	टेम्पल बे अशोक बीच रिसोर्ट, माम्मल्लापुरम	21.05
13.	होटल वाराणसी अशोक	94.22
14.	होटल कुतब,नई दिल्ली	43.20
15.	ललित महल पैलेस होटल, मैसूर	65.14
16.	एअर पोर्ट अशोक कलकत्ता	275.71
17.	पाटलीपुत्र अशोक, पटना	28.72
18.	होटल जयपुर अशोक	33.25
19.	होटल कलिंग अशोक, भुवनेश्वर	29.08
20.	होटल मदुरै अशोक	23.73
21.	होटल सम्राट, नई दिल्ली	145.61
22.	होटल कनिष्क, नई दिल्ली	150.11
23.	अशोक यात्री निवास, नई दिल्ली	37.71
24.	होटल आगरा अशोक	40.44
25.	होटल बोधगया अशोक	41.76
26.	होटल मनाली अशोक	2.50
	जोड़	2328.57

(ग) बकाया राशि की उगाही करना एक सतत् प्रक्रिया है जिसमें अनुस्मारकों, निजी संपर्कों, एकक और निगम स्तर दोनों पर आवधिक पुनरीक्षण, जहां कहीं भी आवश्यक हो कानूनी कार्रवाई आदि के तरीकों से नियमित अनुवर्तन करना शामिल है।

पुष्पों का निर्यात

371. **श्री मनोरंजन भक्तः क्या वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विश्व पुष्प बाजार में भारत का हिस्सा बहुत ही कम है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस समय इसके वास्तविक हिस्से का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार पुष्पों के निर्यात को बढ़ाने हेतु क्या कदम उठा रही है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) और (ख). इस समय भारत का तोड़े गए फूलों के विश्व बाजार के छोटा सा हिस्सा है। इसके कुछ कारण हैं। अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में लोकप्रिय किस्मों का सीमित उत्पादन होना ग्रीन हाउसों के तहत फूलों की छोटे पैमाने पर खेती होना, असंगठित घरेलू बाजार और प्रि-कूलिंग/कोल्ड स्टोरेज की सुविधाएं पर्याप्त नहीं होना,

(ग) सरकार द्वारा फूलों का निर्यात बढ़ाने के लिए किए जा रहे उपायों में अन्य उपायों के साथ-साथ निम्नलिखित भी शामिल हैं:-

(1) रेफ्रिजरेटेड/इन्सुलेटेड वैनों और प्रि-कूलिंग/कोल्ड स्टोरेज एककों की स्थापना जैसी बुनियादी सुविधाओं के विकास हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना ;

(2) निकासी के लिए प्रतीक्षारत निर्यात खेपों के लिए पांच-वाक-इन टाइप कोल्ड स्टोरेजों की स्थापना करना;

(3) कार्गो की त्वरित क्लीयरैंस के लिए पौध संरोधन क्रियाविधियों का सुव्यवस्थीकरण और सरलीकरण;

(4) ग्रीन हाउसों के लिए अपेक्षित विनिर्दिष्ट माल पर रियायती सीमा शुल्क;

(5) निर्यात अभिमुख एककों/निर्यात प्रोसेसिंग जोनों संबंधी योजना के तहत शुल्क मुक्त आयात का लाभ पुष्पोत्पादन में लगे एककों को भी उपलब्ध करवाना और उनके उत्पादन के 50 %भाग की बिक्री घरेलू टैरिफ क्षेत्र में करने की अनुमति देना;

(6) फूलों का उत्पादन तथा निर्यात बढ़ाने के लिए पुष्पोत्पादन संबंधी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम 'यू.एन. डी. पी' सहायता प्राप्त परियोजना का क्रियान्वयन। इस परियोजना में किए जाने वाले क्रियाकलापों मे से कुछ ये हैं-उद्यमियों को फूलों के उत्पादन, फसल नियम पुस्तिकाएं तैयार करने में सलाह देना, बाजार सर्वेक्षण करना और बाजार जानकारी

प्रदान करना; और

(7) अन्तर्राष्ट्रीय मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लेना।

पर्यटन उद्योग को घाटा

*** 372. श्री हरिन पाठक:** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पर्यटन उद्योग घाटे में चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और वर्ष 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान इसे कितना घाटा हुआ;

(ग) क्या पर्यटन उद्योग को निकट भविष्य में भी घाटा होने की सम्भावना है; और

(घ) इस स्थिति में सुधार हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) सरकार के पास उपलब्ध सूचना से पर्यटन उद्योग को समग्र तौर पर किसी आवर्ती घाटे के संकेत नहीं मिलते हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रदत्त वर्तमान प्रवृत्तियों के चलते निकट भविष्य में पर्यटन उद्योग को घाटा उठाने की कोई सम्भावना नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

इंडियन एयरलाइन्स के बेड़े में विमानों की संख्या

* 373. **प्रो. के वी थामस:**
श्री पी कुमारासामी:

क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि;

(क) इंडियन एयरलाइन्स के बेड़े में कुल कितने विमान हैं;

(ख) क्या इंडियन एयरलाइन्स के बेड़े में कुछ और विमान शामिल करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस हेतु अनुमानतः कितनी धनराशि खर्च किये जाने की संभावना है;और

(ङ) इस प्रयोजनार्थ किस स्रोत से धनराशि जुटाई जाएगी ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) इंडियन एयरलाइंस के पास 58 प्रचालनात्मक विमान हैं, जो इस प्रकार हैं:

एयरबस	300	-	10
एयरबस	320	-	30
बोइंग	737	-	18

इनके अलावा, वायुदूत जो इंडियन एयरलाइंस के एक अलग प्रभाग के रूप में प्रचालन करता है के बेड़े में 3 डोर्नियर 228 विमान हैं।

(ख) से (ङ). सरकार को, अभी तक इंडियन एयरलाइंस के बेड़े में और विमान शामिल करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

बेरोजगारी

*374. **श्री सनत कुमार मंडल:** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आर्थिक सुधारों के फलस्वरुप बेरोजगारी की स्थिति में, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में उल्लेखनीय बदलाव आया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उनके मंत्रालय ने अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन रिपोर्ट 1995 का अध्ययन किया है; और

(घ) यदि हां, तो निम्न उत्पादकता वाले ग्रामीण और अनौपचारिक शहरी क्षेत्रों में भारी संख्या में बसे हुए श्रमिकों की कार्य कुशलता और उनके जीवन-स्तर में सुधार करते हुए आधुनिक क्षेत्र में रोजगार के और अधिक अवसर पैदा करने के लिए क्या नीति अपनाने का विचार किया गया है ?

श्रम मंत्री (श्री पी.ए. संगमा): (क) से (घ). योजना आयोग द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार वर्ष 1992-93, 1993-94 तथा 1994-95 में सृजित अतिरिक्त रोजगार 6.71, 5.71 तथा 7.20 मिलियन है। ग्रामीण क्षेत्र के लिये पृथक अनुमान नहीं रखा जाता है।

मंत्रालय में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट, "विश्व रोजगार 1995"

भी प्राप्त हुई है। रोजगार सृजन हेतु सरकार द्वारा उठाये गये विशिष्ट कदम निम्नलिखित हैं:-

(i) ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों में अधिकतम निवेश करना - आईआरडीपी, ट्राइसम, जेआरवाई, नेहरू रोजगार योजना, प्राधान मंत्री रोजगार योजना, रोजगार आश्वासन स्कीम। आठवीं योजना का ग्रामीण विकास परिव्यय 35997 करोड़ रुपए है।

(ii) रोजगार चाहने वालों की रोजगार क्षमता में सुधार लाने हेतु आधुनिक उपकरण प्राप्त करके, रोजगार संगत व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठयक्रम आरम्भ करके, शिक्षण-शिक्षण सामग्री इत्यादि को संशोधित करके देश में व्यावसायिक प्रशिक्षण की संरचना का आधुनिकीकरण एवं विस्तार करना ।

(iii) एन आर एफ के अंतर्गत कामगारों के प्रशिक्षण एवं पुन: प्रशिक्षण को प्रोत्साहित करना जिससे कि उद्योग द्वारा नई प्रौद्योगिकी अपनाने पर उन्हें पुन: नियोजित किया जा सके।

(iv) व्यापक औद्योगिक विनियमन क्षमता में 3.4 मिलियन की प्रत्यक्ष रोजगार सम्भाव्यता है। लगभग 20 % निवेश आशय को कार्यान्वित कर लिया गया है तथा अन्य 20% कार्यान्वयन के विविध चरणों में हैं इससे 1.4 मिलियन व्यक्तियों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने का अनुमान है।

(v) एक उच्चाधिकार समिति ने प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में खादी तथा ग्रामोद्योगों को सशक्त बनाने तथा उनमें सुधार करने एवं 2 मिलियन व्यक्तियों हेतु अतिरिक्त रोजगार जुटाने के लिए एक कार्य योजना को अपनाया है।

[हिन्दी]

बाल-श्रमिक

*** 375. श्री लाल बाबू राय:** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संविधान के अनुच्छेद 24 के अंतर्गत खतरनाक उद्योगों में बाल श्रमिकों का नियोजन निषिद्ध है;

(ख) यदि हां, तो क्या संविधान के इन उपबंधों का पालन किया जा रहा हैं;

(ग) यदि नहीं, तो गत तीन वर्षों के दौरान उक्त उपबंधों का उल्लंघन करने के संबंध में कितने नियोजकों के विरूद्ध मामले दर्ज किए गये;

(घ) क्या सरकार का विचार इस स्थिति पर निगरानी रखने हेतु कोई राष्ट्रीय बाल श्रमिक आयोग गठित करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्री (श्री पी.ए संगमा) (क) से (ग). संविधान के अनुच्छेद 24 में यह प्रावधान है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। संविधान के इस उपबंध के अनुसरण में सरकार ने बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 अधिनियमित किया है जिसमें अधिनियम की अनुसूची में समाविष्ट कतिपय व्यवसायों और प्रक्रियाओं में बच्चों के नियोजन के प्रतिषेध की व्यवस्था है। बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियमन, 1986 की अनुसूची संलग्न विवरण के भाग (क) तथा (ख) में वे व्यवसाय और प्रक्रियाएं समाविष्ट हैं जहां 14 वर्षों से कम उम्र के बच्चों का नियोजन प्रतिषिद्ध है। उक्त अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत गठित बाल श्रम तकनीकी सलाहकार समिति, अनुसूची में व्यवसायों और प्रक्रियाओं को जोड़ने के उद्देश्य के लिए सरकार को सलाह देती है। केन्द्र तथा राज्य सरकारें/ संघ शासित क्षेत्र अपने संबंधित क्षेत्रों में अधिनियम के विभिन्न उपबंधों का प्रवर्तन करते हैं।

राज्य सरकारें /संघ शासित क्षेत्रों द्वारा यथा सूचित अधिनियम के अन्तर्गत उल्लंघनों/ अभियोगों की संख्या निम्नानुसार है:-

वर्ष	उल्लघनों की संख्या	अभियोगों की संख्या
1991-92	683	787
1992-93	1884	1869
1993-94	1814	1308

(घ) बाल श्रम के बारे में राष्ट्रीय आयोग गठित करके का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

(च) सरकार ने बाल श्रम की समस्या से निपटने के लिए पहले ही अनेक कदम उठाए हैं। बाल श्रम (प्रतिषेध तथा विनियमन) अधिनियम नामक एक व्यापक कानून वर्ष 1986 में अधिनियमित किया गया था। राष्ट्रीय बाल श्रम नीति, 1987 के अनुसार बाल श्रम की समस्या से (क) विधान (ख) बाल श्रम के लाभ के लिए सामान्य विकास कार्यक्रमों और (ग) राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाएं क्रियान्वित करने के माध्यम से निपटा जा रहा है। सितम्बर, 1994 में राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण का केन्द्रीय श्रम मंत्री की अध्यक्षता में गठन किया गया।

सरकार इस समय बाल श्रम, जिसकी अनुमानित संख्या 20 लाख है, के खतरनाक व्यवसायों में चरणबद्ध रुप में उन्मूलन के लिए एक प्रमुख कार्य योजना तैयार करने की प्रक्रिया में लगी है। खतरनाक व्यवसायों में सन 2000 ई. तक बाल श्रम उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

बच्चों के हितों की सुरक्षा के साथ-साथ विभिन्न श्रम कानूनों, जैसे कारखाना अधिनियम, 1948 खान अधिनियम, 1952, मोटर परिवहन (कर्मकार) अधिनियम, 1961 आदि में भी संरक्षणात्मक उपबंध हैं। सरकार का उद्देश्य बाल श्रम संबंधी सभी कानूनी उपबंधों को सुव्यवस्थित तरीके से क्रियान्वित करना है। इन अधिनियमों के उपबन्धों को लागू करने के लिए केन्द्र तथा राज्य स्तर पर प्रवर्तन तन्त्र विद्यमान हैं। इन कानूनों के बेहतर प्रवर्त्तन के लिए प्रवर्त्तन कार्मिकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अत: स्थिति का प्रबोधन करने के लिए राष्ट्रीय बाल श्रम आयोग गठित करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

विवरण

भाग-क
व्यवसाय

निम्नलिखित से संबद्ध कोई व्यवसाय-

(1) यात्री, माल अथवा रेलवे द्वारा डाक परिवहन,

(2) सिंडर उठाना, राख के गढ्ढे की सफाई अथवा रेल परिसरों में भवन निर्माण,

(3) रेलवे स्टेशन पर खान-पान प्रतिष्ठान में कार्य, इसमें बैंडरों अथवा प्रतिष्ठान के किसी अन्य कर्मचारी द्वारा एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म अथवा चलती रेल गाड़ी में अथवा बाहर की गति विधि शामिल है,

(4) रेलवे स्टेशन का निर्माण से संबंधित कार्य अथवा कोई अन्य कार्य जहां ऐसा कार्य रेलवे लाईन के अत्यधिक समीप अथवा रेलवे लाइनों के बीच किया जाता है,

(5) किसी पन्तन की सीमाओं के भीतर पत्तन प्राधिकरण,

* (6) अस्थाई लाइसेन्सों वाली दुकानों में पटाखों तथा आतिशबाजी की बिक्री से संबंधित कार्य,

** (7) बूचड़ खाने/ पशुवध गृह।

भाग-ख
प्रक्रियाएं

(1) बीड़ी बनाना

(2) कालीन बुनाई

(3) सीमेन्ट विनिर्माण, सीमेन्ट को बोरी में भरने सहित।

(4) कपड़ा छपाई, रंगाई तथा बुनाई

(5) माचिस विनिर्माण, विष्फोटक तथा आतिशबाजी

(6) अभ्रक कटाई तथा विखण्डन

(7) शेलैक विनिर्माण

(8) साबुन विनिर्माण

(9) चमड़ा शोधन

(10) ऊन की सफाई

(11) भवन निर्माण तथा विनिर्पाण उद्योग

* (12) स्लेट पेंसिल विनिर्माण (पैकिंग सहित)

* (13) गोमेद से उत्पाद विनिर्माण

* (14) विषैली धातुओं तथा सीसा, पारा, मैगनीज, क्रोमियम, कैडेमियम, बैंजिन, कीटनाशक तथा एसबेस्टास जैसे पदार्थों के प्रयोग से विनिर्माण प्रक्रियाएं।

**(15) जोखिमकारी प्रक्रियाएं जैसा कि धारा 2 (गख) में परिभाषित किया गया है और 'खतरनाक कार्य 'जैसा कि कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) की धारा 87 के अंतर्गत बने नियमों में अधिसूचित किया गया है।

(16) छपाई जैसा कि कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) की धारा 2(ट)(iv) में परिभाषित किया गया है।

**(17) काजू तथा कैशूनट की छिलाई करना तथा तैयार करना

**(18) इलैक्ट्रोनिक उद्योगों में सौल्डरिंग कार्य

---

* भारत के राजपत्र असाधारण, में दिनांक 5 जून, 1989 को प्रकाशित अधिसूचना संख्या का. आ संख्या 404 (अ.) द्वारा।

** भारत के राजपत्र असाधारण, में दिनांक 29 मार्च, 1994 को प्रकाशित अधिसूचना का. आ. संख्या 263(अ.) द्वारा।

राष्ट्रीय वस्त्र निगम को घाटा

***376 . श्रीमती शीला गौतम:**
श्री अमर पाल सिंह :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान, वर्ष-वार राष्ट्रीय वस्त्र निगम के प्रत्येक एकक को कितना-कितना लाभ घाटा हुआ;

(ख) घाटा होने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा ऐसे एककों को लाभप्रद बनाने हेतु क्या कदम उठाए गये हैं। उठाए जाने का विचार है ?

वस्त्र मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान एन टी सी की प्रत्येक इकाई द्वारा उठाये गए लाभ-घाटे का वर्ष-वार विवरण संलग्न है।

(ख) नेशनल टैक्सटाईल कारपोरेशन अपर्याप्त आधुनिकीकरण, अप्रचलित मशीनरी, आधिक्य मानव-शक्ति, कार्यशील पूंजी की कमी आदि के कारण घाटा उठाता रहा है।

(ग) टैक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशनों ने 2005.72 करोड़ रु. के निवेश से 79 मिलों के आधुनिकीकरण के लिए आधुनिकीकरण योजना बनाई थी। आधुनिकीकरण योजना में 36 गैर-अर्धक्षम मिलों को 18 अर्धक्षम मिलों में पुनर्संरचित करना शामिल है। एन टी सी पर श्रम मंत्रालय की विशेष त्रिपक्षीय समित ने अन्य बातों के साथ-साथ सिफारिश की है कि एन टी सी की मिलों तथा इसकी अधिगृहित मिलों को टैक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशनों द्वारा यथा प्रस्तावित अनुसार आधुनिकीकरण द्वारा अर्थक्षम बनाया जा सकता है और यह कि एन टी सी की मिलों की बेशी भूमि तथा परिसम्पत्तियों को बेच दिया जाए और उससे प्राप्त धन को प्रबन्धन द्वारा आधुनिकीकरण कार्यशील पूंजी आदि के रूप में प्रयोग किया जाए। इसी रूपरेखा पर एक संशोधित सर्वांगीण सुधार नीति सरकार के विचाराधीन है। चूंकि एन टी सी के 9 सहायक निगमों में से 8 निगमों के मामले बी. आई. एफ. आर. को भेजे गए हैं, को भी अन्तिम योजना उभरेगी, कार्यान्वयन से पूर्व उस पर बी. आई. एफ. आर. का अनुमोदन अपेक्षित होगा।

विवरण

वर्ष 1992-93 तथा उसके बाद मिल-वार, क्षेत्र वार निवल लाभ-हानि

(करोड़ रु.)

क्रमांक	मिल का नाम	नगर	1992-93	1993-94	1994-95 (अप्रैल- जनवरी) (अनन्तिम)
			लेखा परीक्षित		
1.	दयाल बाग मिल्स	अमृतसर	-3.21	-2.78	-3.05
2.	सूरज टैक्सटाइल	मलौत	-1.96	-0.83	-1.37
3.	श्री विजय मिल्स	विजयनगर	-2.89	-1.95	-1.81
4.	खरड़ टैक्स.	खरड़	-1.67	-0.30	-1.54
5.	उदयपुर मिल्स	उदयपुर	-1.49	.0.64	-1.54
6.	अजुध्या मिल्स	दिल्ली	-8.92	-11.27	-9.71
7.	महालक्ष्मी मिल्स	ब्यावर	-3.72	-4.20	-4.11
8.	एडवर्ड मिल्स	ब्यावर	-4.98	-4.40	-4.22

(करोड़ रु.)

क्रमांक	मिल का नाम	नगर	1992-93	1993-94	1994-95 (अप्रैल- जनवरी) (अनन्तिम)
			लेखा परीक्षित		
9.	पानीपत मिल्स	खरड़	-3.46	-3.96	-3.76
10.	हीरा मिल्स	उज्जैन	-11.20	-11.72	-9.78
11.	स्वदेशी मिल्स	इन्दौर	-9.68	-9.29	-8.82
12.	न्यू भोपाल मिल	भोपाल	-8.29	-6.05	-6.16
13.	बुरहानपुर मिल्स	बुरहानपुर	-4.40	-3.70	-4.75
14.	बंगाल नागपुर	राजनन्दगांव	-9.12	-9.77	-11.49
15.	इन्दौर माल्वा	इन्दौर	-15.25	-14.93	-13.49
16.	कल्याणमल मिल्स	इन्दौर	-10.30	-12.06	-10.63
17.	श्री बिक्रम मिल	लखनऊ	-4.07	-5.37	-3.57
18.	बिजली मिल्स	हाथरस	-3.09	-5.74	-2.83
19.	स्वदेशी मिल	माउनाथभंजन	-2.11	-1.68	-1.49
20.	रायबरेली मिल्स	रायबरेली	-2.44	-2.64	-1.70
21.	स्वदेशी मिल्स	नैनी	-7.05	-7.30	-8.31
22.	मयूर मिल्स	कानपुर	-14.21	-17.54	-14.52
23.	न्यू विक्टोरिया	कानपुर	-17.81	-21.36	-18.27
24.	लार्ड कृष्णा मिल्स	सहारनपुर	-9.30	-10.04	-9.93
25.	स्वदेशी मिल्स	कानपुर	-18.86	-21.48	-18.58
26.	बर्शी मिल्स	बर्शी	-0.18	-0.01	-0.01
27.	अपोलो मिल्स	बम्बई	-7.66	-6.03	-7.07

(करोड़ रु.)

क्रमांक	मिल का नाम	नगर	1992-93	1993-94	1994-95 (अप्रैल- जनवरी) (अनन्तिम)
			लेखा परीक्षित		
28.	भारत टैक्सटाइल्स	बम्बई	-6.11	-6.29	-7.55
29.	दिग्विजय मिल्स	बम्बई	-6.43	-7.34	-10.34
30.	जुपीटर मिल्स	बम्बई	-13.34	-13.72	-12.29
31.	न्यू हिन्द मिल्स	बम्बई	-11.52	-13.48	-12.15
32.	मुम्बई मिल्स	बम्बई	-12.37	-12.42	-11.84
33.	औरंगाबाद	औरंगाबाद	-1.67	-0.94	-1.39
34.	चालीसगांव टैक्स.	चालीसगांव	-1.88	0.21	-1.52
35.	धुले टैक्स.	धुले	-4.01	-3.67	-3.87
36.	नान्देड टैक्स.	नान्देड़	-3.58	-3.15	-4.04
37.	इन्दू नं. 1	बम्बई	-11.16	-14.29	-15.80
38.	इन्दू नं. 2	बम्बई	-8.56	-12.12	-10.45
39. व 40.	इन्दू नं. 3 व 4	बम्बई	-12.66	-15.71	-15.47
41.	इन्दू नं. 5	बम्बई	-5.91	-6.66	-6.62
42.	इन्दू डाईज वर्क्स	बम्बई	-2.94	-4.98	-5.54
43.	माडल मिल्स	नागपुर	-9.07	-12.39	-10.22
44.	आर. एस. आर. जी. मिल्स	अकोला	-3.82	-4.71	-4.26
45.	आर वी. बी. ए. मिल्स	हिगंनघाट	-1.82	-3.05	-3.38
46.	सर्वत्तम मिल्स	अकोला	-3.37	-3.65	-3.08

(करोड़ रु.)

क्रमांक	मिल का नाम	नगर	1992-93	1993-94	1994-95 (अप्रैल- जनवरी) (अनन्तिम)
			लेखा परीक्षित		
47.	विधर्म मिल्स	अचलपुर	-3.53	-5.07	-3.67
48.	राजकोट मिल्स	राजकोट	-2.98	-3.35	-3.09
49.	महालक्ष्मी मिल्स	भावनगर	-8.45	-8.26	-8.24
50.	पेटलेड मिल्स	पेटलेड	-4.76	-5.33	-5.45
51.	अहमदाबाद न्यू	अहमदाबाद	-10.69	-9.92	-9.74
52.	अहमद जुपीटर	अहमदाबाद	-13.37	-13.51	-13.29
53.	जहांगीर मिल्स	अहमदाबाद	-9.38	-10.51	-12.04
54 व 55.	राजनगर 1 व 2	अहमदाबाद	-13.59	-12.53	-12.57
56.	वीरमगांव टैक्स.	वीरमगांव	-6.06	-6.66	-6.57
57.	न्यू मानक चौक	अहमदाबाद	-5.65	-6.59	-7.12
58.	हिमाद्री मिल्स	अहमदाबाद	-3.94	-4.99	-5.84
59.	नैथा	सिकन्दराबाद	-0.79	-1.27	-1.05
60.	नटराज मिल्स	निर्मल	-1.95	-2.31	-1.16
61.	आनन्तपुर मिल्स	टाडापतरी	-2.10	-1.03	-0.51
62.	तिरुपति मिल्स	रेणुगुप्टा	-1.79	-0.99	-0.78
63.	श्री यल्लमा	टोलाहंस	-2.53	-1.52	-0.92
64.	कन्नानूर कैन.	कन्नानूर	-0.73	-0.56	-0.08
65.	केरल लक्ष्मी	त्रिचुर	-0.33	-0.73	-0.56

(करोड़ रु.)

क्रमांक	मिल का नाम	नगर	1992-93	1993-94	1994-95 (अप्रैल- जनवरी) (अनन्तिम)
			लेखा परीक्षित		
66.	विजय मोहिनी	त्रिवेन्द्रम	-0.72	-0.14	-0.57
67.	कन्नानूर माहे	माहे	-0.35	-0.88	-0.23
68.	अदोनी मिल्स	अदोनी	-1.02	-0.51	-0.41
69.	अल्गप्पा मिल्स	अल्गप्पा	-0.69	-0.72	-0.44
70.	मैसूर मिल्स	बंगलौर	-9.71	-7.75	-3.31
71.	मिनर्वा मिल्स	बंगलौर	-9.32	-10.85	-2.71
72.	मै.के. मिल्स	गुलबर्गा	-6.95	-7.39	-3.30
73.	पारवती मिल्स	क्योलोन	-4.75	-3.18	-1.69
74.	आजमजाही मिल्स	वारंगल	-6.70	-6.24	-1.90
75.	ओमपराशक्ति	कोयम्बटूर	-0.56	1.26	+0.20
76.	कम्बोडिया मिल्स	कोयम्बटूर	0.53	1.29	+0.22
77.	कृष्णावाणी मिल	कोयम्बटूर	-0.42	-0.28	-0.64
78.	श्री रंगविलास	कोयम्बटूर	-1.15	-0.94	-0.09
79.	पंकज	कोयम्बटूर	-0.06	1.61	+0.24
80.	पायनीयर मिल्स	कमूदाकदी	-0.31	-1.00	+0.06
81.	बलराम वर्मा	शेनको	-0.18	0.48	-0.31
82.	कलेश्वरर बी	ानरकोय	0.10	0.76	-0.64
83.	यायम्व. मुरगन	कोयम्बटूर	0.04	-3.04	-3.83
84.	सांमगुन्दरम मिल	कोयम्बटूर	-1.24	-0.39	-1.55

(करोड़ रु.)

क्रमांक	मिल का नाम	नगर	1992-93	1993-94	1994-95
			लेखा परीक्षित		(अप्रैल- जनवरी) (अनन्तिम)
85.	कलेश्वरर ए	कोयम्बटूर	-2.53	-3.17	-3.65
86.	कोयम्ब एस एण्ड एम	कोयम्बटूर	-3.31	+0.27	-2.19
87.	श्री भारती मिल	पाण्डिचेरी	-2.53	-2.54	-2.26
88.	स्वदेशी काटन	पाण्डिचेरी	-3.36	-3.29	-3.11
89.	श्री शारदा मिल्स	पोदूनूर	-0.78	-0.01	-0.63
90.	बंगाल टैक्सटाइल	कासिमबाजार	-3.04	-2.66	-2.34
91.	लक्ष्मी नारायणन	रिशरा	-3.19	-2.21	-2.60
92.	आरती काटन	हावड़ा	-2.08	-2.10	-1.51
93.	बंगाल फाइन-II	कटागंज	-0.69	-1.25	-0.98
94.	सोमपुर	सोमपुर	-1.28	-1.22	-0.97
95.	एसोसिएटिड	चन्द्रपुर	-1.94	-2.20	-1.98
96.	बिहार कौआप.	मोकामह	-1.82	-1.52	-1.63
97.	उड़ीसा काटन	भगतपुर	-1.35	-1.74	-1.93
98.	सेन्ट्रल काटन	बेलूर	-4.66	-3.88	-3.45
99.	बंगाल फाइन-1	कौननगर	-3.63	-2.38	-2.93
100.	बंगाल लक्ष्मी	सेरामपुर	-4.76	-3.36	-2.64
101.	श्री महालक्ष्मी	पल्टा	-3.94	-3.65	-3.04
102.	रामपुरिया	सेरामपुर	-5.21	-4.17	-3.94
103.	बंगाश्री	सुखचर	-2.04	-1.78	-1.54

(करोड़ रु.)

क्रमांक	मिल का नाम	नगर	1992-93	1993-94	1994-95 (अप्रैल- जनवरी) (अनन्तिम)
			लेखा परीक्षित		
104.	ज्योति वी. फैक्ट.	कलकत्ता	-1.41	-1.33	-1.14
105.	गया काटन	गया	-2.84	-2.53	-2.26
106.	लक्ष्मीरतन	कानपुर	-20.29	-14.06	-16.25
107.	अथर्टन मिल्स	कानपुर	-15.55	-20.36	-12.38
108.	एल्फिस्टोन	बम्बई	-5.74	-11.81	-7.94
109.	गोल्ड मुहर	बम्बई	-6.59	-10.12	-6.53
110.	जाम मैन्यु.	बम्बई	-11.68	-15.51	-8.31
111. से 113.	कोहिनूर 1,2,3	बम्बई	-11.47	-65.97	-11.01
114.	श्री मधुसूदन	बम्बई	-10.79	-24.46	-7.60
115.	न्यू सिटी	बम्बई	-4.12	-2.04	-4.64
116.	पोद्दार	बम्बई	-3.73	-2.93	-5.07
117.	पोद्दार प्रोसेसर	बम्बई	-1.91	-2.99	-3.18
118.	श्री सीताराम	बम्बई	-7.17	-23.33	-5.86
119.	टाटा	बम्बई	-7.22	-12.79	-6.57
120.	फिन्ले	बम्बई	-6.30	-15.00	-8.52

[अनुवाद]

नारियल गिरी और कच्चे नारियल का निर्यात

*377. डा. (श्रीमती) के. एस. सौन्दरम : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कच्चे नारियल सहित कुल कितनी मात्रा में नारियल गिरि और नारियल-जटा उत्पादों का निर्यात किया गया और इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई;

(ख) उक्त अवधि के दौरान निर्यात में आई गिरावट के क्या कारण हैं; और

(ग) इन वस्तुओं के निर्यात को बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान नारियल गिरी तथा कॅयर उत्पादों के निर्यातों की कुल मात्रा तथा मूल्य निम्नानुसार हैं:-

(मूल्य लाख रु. में)
मात्रा : मी. टन में

	नारियल गिरी ताजा, डेसीकेटिड और सूखी		कॅयर उत्पाद	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1991-92	4.00	1.62	26.579	59,81.19
1992-93	44.38	3.21	29,108	78,34.37
1993-94	28.60	4.83	35,419	1,15,50.92
1994-95 (नवम्बर तक)	113.70	6.21	28,051	93,51.85

(स्रोत: डी जी सी आई एंड एस, कलकत्ता)

(ख) और (ग). निर्यात मुख्य रूप में कॅयर उत्पाद खंडों के होते हैं जिनमें पिछले तीन वर्षों के दौरान सकारात्मक रूप दिखाई पड़ा है। नारियल गिरी तथा कॅयर उत्पादों के उत्पादन तथा निर्यातों को बढ़ाने के लिए किए गए उपायों में अन्य उपायों के साथ-साथ ये भी शामिल हैं:-

(1) नारियल उद्योग के एकीकृत विकास के लिए केन्द्रीय क्षेत्र तथा केन्द्रीय रूप से प्रायोजित दोनों परियोजनाओं के लिए आठवीं योजना में अधिक परिव्यव की व्यवस्था करना;

(2) गुणवत्ता वाली रोपण सामग्री को उपलब्ध कराकर नारियल के उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि करना, सस्य क्षेत्र के विस्तार को प्रोत्साहन देना, नवीनीकरण कार्यक्रम शुरू करना, बीमारी की रोकथाम तथा विस्तार क्रियाकलाप करना;

(3) विभिन्न कॅयर उत्पादों से बने कॅयर तथा वस्त्रों के उपयोग को लोकप्रिय बनाने के लिए संगोष्ठियां/कार्यशालाएं आयोजित करना;

(4) सामान्य सुविधा केन्द्रों की स्थापना करने के लिए वित्तीय सहायता देना तथा कॅयर उत्पादों के लिए लूमशेडों का निर्माण करना;

(5) महत्वपूर्ण मेलों/प्रदर्शनियों में कॅयर बोर्ड द्वारा भाग लेना।

[हिन्दी]

चावल का निर्यात

*378. **श्री फूलचन्द वर्मा :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चावल के निर्यात के मामले में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है;

(ख) क्या सरकार न चावल का निर्यात बढ़ाने के लिए कोई नीति बनाई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस समय निर्यात किए जाने वाले चावल की किस्मों का ब्यौरा क्या है और कौन-कौन से देश भारत से चावल का आयात कर रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) भारत 1993 में चावल का विश्व का छठा सबसे बड़ा निर्यातक था अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में इसका 4.0 प्रतिशत हिस्सा बनता था। (स्रोत :एफ ए ओ, फरवरी ,1995)

(ख) और (ग). चावल के निर्यात को बढ़ाने के लिए कुछ उपाय किए हैं,

उनमें शामिल हैं:-

(1) मूल्य और मात्रा की बंदिश हटाना।

(2) भारतीय खाद्य निगम को वर्ष 1995-96 के दौरान केन्द्रीय पूल से 2.0 मिलियन मिट्रिक टन उत्तम तथा सर्वोत्तम किस्म के चावल का निर्यात/बिक्री करने की अनुमति प्रदान करना।

(3) विदेशों में व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों में भागीदारी के लिए अभियान चलाने में सहायता करना।

(घ) देश से बासमती और गैर-बासमती दोनों प्रकार के चावलों का निर्यात किया जाता है। चावल की किस्मवार निर्यात के ब्यौरे नहीं रखे जाते। बासमती चावल के निर्यात के मुख्य गन्तव्य देश हैं-सउदी अरब, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात और यूनाइटेड किंगडम। गैर-बासमती चावल मुख्यत: सउदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, इरान और नेपाल को ही भेजा जा रहा है। (इसके देशवार ब्यौरे वाणिज्यिक जानकारी एवं सांख्यिकी महानिदेशालय, कलकत्ता के मासिक प्रकाशन में उपलब्ध हैं, जिसकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध है।)

[अनुवाद]

विश्व बैंक ऋण

*379. **श्री श्रवण कुमार पटेल** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत वित्तीय वर्ष के दौरान विश्व बैंक द्वारा निर्धारित कतिपय आवश्यक शर्तों को पूरा न करने के कारण भारत को 700 मिलियन डालर के ऋण से वंचित रहना पड़ा था;

(ख) यदि हां, तो विश्व बैंक की वस्तुत: शर्तें क्या थीं और इन्हें पूरा न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) इसका किन-किन योजनाओं और परियोजनाओं पर प्रभाव पड़ा है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग). विश्व बैंक द्वारा निर्धारित कतिपय आवश्यक शर्तों को पूरा न कर पाने के कारण बैंक के किसी भी ऋण को गंवाया नहीं गया है। तथापि, पोर्टफोलियो का योक्तिकीकरण एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें परियोजना प्राधिकारियों और विश्व बैंक के परामर्श से परियोजनाओं की व्यापक छानबीन की जाती है। कतिपय ऋण राशि को होने वाली बचतों, परियोजनाओं की पुनर्संरचना और ऋण के समापन अथवा उसके धीमें उपयोग के कारण रद्द कर दिया जाता है।

प्लास्टिक स्क्रैप का आयात

*380. **श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार:** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की क्या कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पी. ई. टी. को छोड़कर प्लास्टिक स्क्रैप के आयात पर प्रतिबंध लगा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रतिबंध के फलस्वरूप लघु उद्योगों को कितना नुकसान हुआ है;

(ग) क्या सरकार का विचार लघु उद्योगों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से प्रत्येक किस्म के प्लास्टिक स्क्रैप का आयात किए जाने की अनुमति देने का है;

(घ) यदि हां, तो सरकार किस तिथि से इस क्रैप के आयात की अनुमति प्रदान कर देगी;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार इस स्थिति से निपटने हेतु क्या कदम उठा रही है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (च). पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए होने वाले खतरों को ध्यान में रखते हुए (पी ई टी बोतल अवशिष्ट को छोड़कर) प्लास्टिक अवशिष्ट के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और इसका आयात विशिष्ट लाइसेंस पर ही किया जा सकता है अन्यथा नहीं। फिर भी, लघु उद्योगों और अन्य क्षेत्रों द्वारा कच्चे माल के रूप में प्लास्टिक (उत्तम किस्म) को मुक्त रूप से आयात करने की अनुमति पहले से ही है।

ऋण स्वीकृति हेतु प्रतिभूतियां

3700. **प्रो. पी. जे कुरियन:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मेरी राय के मामले में उच्चतम न्यायालय के 24 फरवरी, 1986 के निर्णय की कठिनाईयों की जांच कराई है जिसका संबंध केरल में सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा ऋण और अग्रिमों के लिए प्रतिभूति के रूप में अचल सम्पत्ति को स्वीकार करने के मामले में केरल में क्रिश्चियन-पूर्व त्रावन कोर-कोचीन क्षेत्र पर त्रावन कोर कोचीन ईसाई उत्तराधिकार अधिनियम और कोचीन उत्तराधिकार अधिनियम लागू करने से है;

(ख) यदि हां, तो निर्णय के परिणामस्वरूप, बैंकों द्वारा उठाई गई हानि का बैंकवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा उक्त ईसाईयों को ऋण नहीं दिया जा रहा है, जैसा कि पहले बताया जा चुका है;

(घ) यदि हां, तो ऋण न देने की पीछे क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस निर्णय के हानिकारक प्रभावों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति): (क) से (ङ). ना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी ज ।।

बिना तराशे हीरों का आयात

3701. **श्री गोपी नाथ गजपति:** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बिना तराशे हीरों के आयात के लिए जायरे के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर किये है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

ई. पी. सी. जी. योजना

3702. **श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी:** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को निर्यात संवर्द्धन पूंजीगत सामान योजना, विशेष आयात लाइसेंस योजना में परिवर्तन करने और स्वायतशासी राष्ट्रीय निर्यातोन्मुखी इकाइयां/निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र प्राधिकरण की स्थापना करने के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग). जी, हां। निर्यात और आयात नीति 1992-97 में 31 मार्च, 1995 को संशोधन करते समय इन सुझावों को ध्यान में रखा गया था। संशोधित नीति की एक प्रति संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध है।

रुपया-रूबल ऋण भुगतान समझौता

3703. **श्री आर. प्रभु:** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि गत दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान जिन निर्यातकों ने रुपया-रूबल ऋण भुगतान समझौते का लाभ उठाया है तथा रूस को एक करोड़ से भी अधिक मूल्य का सामान निर्यात किया है, उनका निर्यात किये गए सामान और इसके मूल्य सहित ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : ऋण पुन: भुगतान के रूप में रूस को किए जाने वाले निर्यातों की भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मानीटरी की जाती है। वित्तीय वर्ष 1993-94 और 1994-95 के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक ने बी. एफ. ई. ए.. और आर. बी. आई. के बीच बैकिंग व्यवस्था के अंतर्गत क्रमश: 450.71 करोड़ रु. (29.10.93 से 31.3.94 तक) और 2046.31 करोड़ रु. मूल्य के निर्यात दावों का निपटान किया है। तथापि, माननीय सदस्य द्वारा दी गई सूचना भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा संकलित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

इंडियन एयरलाइन्स का वायु यातायात

3704. **श्री अमल दत्त:** क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिसम्बर, 1994 से फरवरी, 1995 तक घरेलू ट्रंक मार्गों पर इंडियन एयरलाइन्स और विभिन्न प्राइवेट कम्पनियों द्वारा कितने-कितने यात्रियों ने यात्रा की; और

(ख) इंडियन एयरलाइन्स के यात्रियों में कितनी कमी आई है और प्राइवेट विमान कम्पनियों से स्पर्धा के कारण यात्रियों की संख्या में कितनी कमी आई है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख). अनुसूचित विमान कम्पनियों द्वारा अंतर्देशीय ट्रंक मार्गों (श्रेणी- I मार्ग) पर दिसम्बर, 94 से फरवरी, 95 की अवधि में वाहित हवाई यातायात निम्नवत् है:-

विमान कम्पनियों के नाम	वाहित यात्री		
	दिसम्बर, 94	जनवरी, 95	फरवरी, 95
इंडियन एयरलाइन्स	243299	252174	226058
ईस्ट-वेस्ट एयरलाइंस	36325	40583	25985
मोदीलुफ्त	23113	23101	22561
जेट एयरवेज	73553	68991	56895
दमानिया एयरवेज	37980	37097	27699

प्रतिस्पर्धा के कारण कोई भी विमान कम्पनी यातायात को अपरिवर्तित नहीं बनाए रख सकी। तथापि इस अवधि में इंडियन एयरलाइन्स का यातायात पिछले वर्ष की इसी अवधि के सापेक्ष कम नहीं हुआ है।

(हिन्दी)

मध्य प्रदेश में विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं

3705. **श्री खेलन राम जांगड़े :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश में विदेशी सहायता से कहां-कहां कौन-कौन सी परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं;

(ख) इन परियोजनाओं के लिए अभी तक कितनी धनराशि जारी की गई है और ये परियोजनाएं कब तक पूरी हो जायेंगी; और

(ग) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा परियोजना-वार इन परियोजनाओं को कितनी धनराशि प्रदान की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(अनुवाद)

दिल्ली-बागडोगरा-गुवाहाटी-कलकत्ता-बागडोगरा उड़ान

3706. **श्री जितेन्द्र नाथ दास:** क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनेक निजी एयरलाइन्स ने दिल्ली-बागडोगरा-गुवाहाटी-कलकत्ता-बागडोगरा खंड में अपनी हवाई उड़ान आरम्भ किए जाने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुमति मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन निजी एयरलाइन्स ने क्या शर्तें रखी हैं; और

(ग) इस पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ग). निजी विमान कम्पनियों के लिए स्वीकृत अनुसूचियों के अनुसार निम्नलिखित तीन प्रचालक इनके सम्मुख दर्शाए गए अनुसार प्रचालन कर रहे हैं:-

- मैसर्स जेट एयरवेज दिल्ली-बागडोगरा-गुवाहाटी और वापस, सैक्टर पर एक दैनिक उड़ान का प्रचालन करता है।

- मैसर्स दमानियाँ एयरवेज कलकत्ता-गुवाहाटी-कलकत्ता की एक दैनिक उड़ान का प्रचालन करता है।

- मैसर्स ईस्ट-वेस्ट एयरलाइन्स कलकत्ता-गुवाहाटी सैक्टर पर रविवार के अलावा प्रतिदिन तीन उड़ानें प्रचालित करता है। रविवार को यह केवल एक उड़ान का प्रचालन करता है।

वायुयान अधिनियम, 1934 तथा इसके अंतर्गत निर्मित वायुयान नियमों के अलावा प्रचालकों को 1-3-94 को प्रवर्तित न्यूनतम प्रचालनात्मक अपेक्षाओं से संबंधित नागर विमानन अपेक्षाओं तथा 1-3-94 को प्रवर्तित उनकी उड़ानों को श्रेणीवार लगाए जाने संबंधित मार्गदर्शी सिद्धान्त भी पूरे करने होते हैं।

साधारण बीमा निगम में प्रोन्नति के अवसर

3707. **प्रो. अशोक आनंदराव देशमुख :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या साधारण बीमा निगम ने 1987 में "कैरियर ओरिएंटेड इंश्योरेंस एजुकेशन" की शुरूआत करते हुए उन्होंने अपने प्रौस्पेक्टस/पैम्फलेट में यह कहा था कि साधारण में दो वर्ष के व्यावसायिक पाठ्यक्रम पूरा करने वाले अभ्यार्थी साधारण बीमा निगम में तीन वर्ष सहायक के पद पर कार्य करने के बाद वर्ग-एक के अधिकारी के रूप में प्रोन्नत किए जाने हेतु विचार योग्य पात्र होंगे;

(ख) यदि हां, तो साधारण बीमा निगम की चार सहायक कंपनियों में से प्रत्येक में उपरोक्त योजना के अंतर्गत अब तक कितने अभ्यार्थी वर्ग-एक के अधिकारी के रूप में प्रोन्नत होने के योग्य हो गए हैं; और

(ग) कब तक योग्य अभ्यार्थियों को आम लोगों के लिए परिचालित प्रौस्पेक्टस के अनुसार उन्हें अपेक्षित प्रोन्नति मिलेगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति): (क) से (ग). भारतीय साधारण बीमा निगम और केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा एक पैम्फलेट तयार किया गया, जिसे 1988 में तत्कालीन वित्त मंत्री द्वारा बीमा में व्यावसायिक पाठ्यक्रम के उद्घाटन के समय परिचालित किया गया था और जिसमें इस योजना की मुख्य बातों पर प्रकाश डाला। यह एक "प्रौस्पेक्ट्स" नहीं है। इस पैम्फलेट में अन्य बातों के साथ-साथ इस बात का उल्लेख किया गया कि "सहायकों के रूप में तीन वर्षों की अर्हकारी सेवा के बाद "उन्हें श्रेणी- I के अधिकारियों के रूप में पदोन्नत करने के लिए विचार किए जाने के योग्य समझा जाएगा। हालांकि साधारण बीमा निगम ने साधारण बीमा उद्योग की पदोन्नति नीति के अनुसार यह बताया है कि सहायकों, जिसमें 10+2 स्तर से प्रवेश करने वाले विद्यार्थी शामिल हैं, जो भारतीय बीमा संस्थान की शिक्षावृत्ति परीक्षा उत्तीर्ण करते

हैं, वे इस उद्योग में सहायक प्रशासनिक अधिकारी के स्तर में पदोन्नत होने के लिए प्रतियोगी परीक्षा में बैठ सकते हैं। 10+2 स्तर के विद्यार्थी तीन वर्षों की अवधि में शिक्षावृति परीक्षा उत्तीर्ण कर सकते हैं। पदोन्नति नीति के उपबंधों के बाहर 10+2 स्तर के विद्यार्थियों को श्रेणी- I अधिकारियों के रूप में प्रत्यक्ष पदोन्नति देने की कोई व्यवस्था नहीं है।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों की साम्य पूंजी

3708. श्री सैयद शहाबुद्दीन: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 मार्च, 1994 की स्थिति के अनुसार बैंकवार सरकारी क्षेत्र के बैंकों की साम्य पूंजी में सरकार का कितना हिस्सा है;

(ख) 1994-95 के दौरान सरकार ने बैंकवार कितनी अतिरिक्त साम्य पूंजी खरीदी;

(ग) उन बैंकों का ब्यौरा क्या है जिनकी 1993-94 के दौरान साम्य पूंजी खरीदी गई और जिन्हें घाटा हुआ;

(घ) क्या इस घाटे के लिए कोई जिम्मेदारी निर्धारित की गई है और इसके लिए जिम्मेदार पाए गये व्यक्तियों के विरूद्ध कोई दण्डात्मक कार्यवाही की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति): (क) दिनांक 31.3.1994 की स्थिति के अनुसार, सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों की 100% शेयर पूंजी भारत सरकार के पास है।

(ख) वर्ष 1994-95 के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों की शेयर पूंजी में भारत सरकार के अंशदान को संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

(ग) वर्ष 1994-95 के दौरान जिन बैंकों ने सरकार से अपनी पूंजी के लिए अंशदान प्राप्त कर लिया है, परन्तु वर्ष 1993-94 के दौरान जिन्हें घाटा हुआ है, उनके ब्यौरे निम्नलिखित हैं:-

	बैंक का नाम	(करोड़ रुपए में) निवल घाटा
1.	इलाहाबाद बैंक	367.72
2.	आन्ध्रा बैंक	162.25
3.	बैंक आफ इंडिया	1089.15
4.	बैंक आफ महाराष्ट्र	296.93
5.	सैन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	711.93
6.	देना बैंक	69.84
7.	इंडियन बैंक	390.65
8.	इंडियन ओवरसीज बैंक	351.18
9.	पंजाब एण्ड सिंध बैंक	175.99
10.	सिंडिकेट बैंक	299.40
11.	यूको बैंक	546.45
12.	युनाइटेड बैंक आफ इंडिया	618.06

(घ) और (ङ). बैंकों में घाटे के लिए उत्तरदायी एक प्रमुख कारक अधिक अनुपयोज्य आस्तियों का होना है। आय की पहचान और प्रावधान करने संबंधी विवेक संगत मानदण्डों को लागू करने से बैंक अनुपयोज्य आस्तियों पर उचित लेकिन प्राप्त न हुए ब्याज के कारण उसे आय लेखे में दर्ज नहीं कर सके, घाटे वाले बैंकों को विशेष परिस्थितियों को छोड़कर कोई भी पूंजीगत खर्च करने से रोका गया है, इन बैंकों ने अनुकंपा आधार पर भर्ती तथा कंप्यूटरीकरण, निवेश, राजकोषीय संचालनों तथा विदेशी मुद्रा कारोबार के लिए विशेषज्ञ भर्ती करने के मामलों को छोड़कर भर्ती पर प्रतिबंध भी लगा रखा है।

विवरण

	बैंक का नाम	1994-95 के दौरान अंशदान की गई पूंजी (करोड़ रुपए)	
		स्तर-I	स्तर-II
1.	इलाहाबाद बैंक	356.20	101.61
2.	आन्ध्रा बैंक	184.32	-
3.	बैंक आफ इंडिया	848.38	[illegible]48.22

बैंक का नाम	1994-95 के दौरान अंशदान की गई पूंजी (करोड़ रुपए)	
	स्तर-I	स्तर-II
4. बैंक आफ महाराष्ट्र	334.19	-
5. सैन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	632.46	-
6. देना बैंक	6.11	72.28
7. इंडियन बैंक	230.96	180.94
8. इंडियन ओवरसीज बैंक	258.60	132.74
9. पंजाब एण्ड सिंध बैंक	116.03	-
10. सिंडिकेट बैंक	278.59	88.79
11. यूको बैंक	515.52	-
12. यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया	538.87	-
13. विजया बैंक	62.31	-
जोड़	4362.54	924.58

कृषि क्षेत्र में मजूरी

3709. श्री जगमीत सिंह बरार: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1994-95 के आर्थिक सर्वेक्षण के अन्तर्गत देश में कराये गए कुछ अध्ययनों से यह पता चलता है कि 1991-92 में कृषि क्षेत्र में मंजूरी में 5 प्रतिशत की कमी आयी है;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है, जहां यह कमी आई;

(ग) क्या 1992-93 और 1993-94 के दौरान कुछ राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में यह कमी आनी बन्द हुई है;

(घ) यदि हां, तो इन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार इस कमी की प्रवृत्ति को रोकने हेतु कुछ कदम उठाने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति): (क) और (ख). पूरे देश के लिए अकुशल कृषि मजदूरों के लिए वर्ष 1991-92 (कृषि वर्ष-जुलाई से जून) में औसत वास्तविक मजदूरी में 5.3 प्रतिशत की गिरावट आई है। गिरावट की यह प्रवृत्ति आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में पाई गई है।

(ग) और (घ). वर्ष 1992-93 और 1993-94 में पूरे देश के लिए औसत वास्तविक कृषि मजदूरी में 5.6 और 3.6 प्रतिशत क्रमशः की बढ़ोतरी हुई। वर्ष 1992-93 में इनमें बढ़ोत्तरी आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में दर्ज की गई। वर्ष 1993-94 में वास्तविक मजदूरी आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब और तमिलनाडु में बढ़ी है।

(ङ) से (छ). ग्रामीण विकास जिसमें गरीबी उन्मूलन और रोजगार के लिए मुख्य कार्यक्रमों के लिए केन्द्रीय आयोजना परिव्यय वर्ष 1993-94 (वित्त वर्ष) में 5010 करोड़ रूपए (बजट अनुमान) से वर्ष 1995-96 में बढ़ाकर 7700 करोड़ रूपए (बजट अनुमान) कर दिया गया है, जो 53.69 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाकर कृषि मजदूरी में वृद्धि होने की सम्भावना है। हाल के वर्षों में समग्र उच्च आर्थिक वृद्धि से कृषि मजदूरी को सुधारने में सहायता मिलने की भी सम्भावना की गई है।

(हिन्दी)

आर. ई. पी. लाइसेंसों की चोरी

3710. श्री भगवान शंकर रावत: क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आर. ई. पी. लाइसेंसों की चोरी के मामलों की जांच की है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले;

(ग) इन मामलों में कितने व्यक्ति लिप्त पाए गए तथा कितने व्यक्तियों को आरोप-पत्र जारी किए गए;

(घ) जिन व्यक्तियों का लाइसेंस चोरी हो गया उनका ब्यौरा क्या है तथा उनमें से कितने व्यक्तियों को डुप्लीकेट लाइसेंस जारी की गई है;

(ङ) डुप्लीकेट लाइसेंसों के लिए जिन व्यक्तियों ने आवेदन दिया है परंतु उन्हें अभी तक लाइसेंस जारी नहीं की गई है उनका ब्यौरा क्या है; और

(च) डुप्लीकेट लाइसेंस जारी करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (च). जब कभी लाइसेंसों की चोरी की खबर मिलती है तो चोरी किए गए लाइसेंसों के संभावित दुरुपयोग को रोकने के लिए समुचित ऐतियाती कार्रवाई की जाती है। इस प्रकार के मामले और आगे की जांच के लिए सी.बी आई./स्थानीय पुलिस को भी सौंपे जाते हैं। क्षेत्रीय लाइसेसिंग कार्यालयों से इस बारे में ब्यौरे एकत्रित किए जा रहे हैं और उन्हें सभापटल पर रख दिया जायेगा।

[अनुवाद]

झींगा मछली आहार

3711. श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में झींगा मछली आहार की कुल कितनी आवश्यकता है;

(ख) देश में कुल कितना और कितनी कीमत के झींगा मछली आहार का उत्पादन किया गया और बाहर से इसका कितना तथा कितनी कीमत का आयात किया गया; और

(ग) देश के अन्दर ही झींगा मछली आहार के उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु क्या कदम उठाए गये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) देश में झींगा मछली आहार की इस समय कुल वार्षिक जरूरत लगभग 1,50,000 मी. टन है।

(ख) देश में उत्पादित तथा विदेशों से आयातित झींगा मछली आहार की अनुमानित मात्रा और मूल्य (औसत दर पर) निम्नलिखित है:-

देश में उत्पादित झींगा मछली आहार की मात्रा	- 60,000 मी. टन
देश में उत्पादित झींगा मछली आहार का मूल्य	- 120 करोड़ रुपया
विदेशों से आयातित झींगा मछली आहार की मात्रा	- 40,000 मी. टन
विदेशों से आयातित झींगा मछली आहार का मूल्य	- 160 करोड़ रुपया

(ग) देश में झींगा मछली आहार के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित प्रयास किए गए हैं:-

(i) झींगा मछली आहार परियोजनाओं में और झींगा मछली आहार मिल वाली एकीकृत मत्स्य पालन परियोजनाओं में एम्पीडा की इक्विटी भागीदारी।

(ii) प्रमुख कच्चे माल जैसे मत्स्य-आहार पर पूर्ण शुल्क छूट का अनुदान और आहार उत्पादन के लिए अपेक्षित विटामिन पूर्व-मिश्रणों जैसे अन्य इनपुटों पर शुल्क में कमी।

(iii) झींगा मछली मिलें स्थापित करन के लिए विदेशी/एन. आर. आई. निवेश की अनुमति देना।

जूट उद्योग पर बिक्री कर

3712. श्री अंकुशराव टोपे : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जूट की वस्तुओं पर कई जगह लिए जाने वाले बिक्री कर के विरोध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है ?

वस्त्र मंत्री (श्री जी. वेंकटस्वामी): (क) से (ग). इस सम्बन्ध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा लगाए गए बहु-स्तरीय करों के विभिन्न प्रतिकूल प्रभावों का उल्लेख किया गया है और इसके स्थान पर एकल कर का सुझाव दिया गया है। चूंकि बिक्री कर राज्य का मामला है, पटसन आयुक्त के कार्यालय ने इन अभ्यावेदनों पर उचित विचार करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार से अनुरोध किया है।

[हिन्दी]

पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए समझौते

3713. श्री सुरेन्द्रपाल पाठक: क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये अन्य देशों के साथ कितने समझौते किये गये हैं और इन देशों के नाम क्या हैं;

(ख) इन समझौतों के अंतर्गत पर्यटन को बढ़ावा देने संबंधी कौन-कौन सी परियोजनाएं प्रारम्भ की गई है;

(ग) समझौतों के अंतर्गत इन परियोजनाओं के लिए विदेशों से कैसी और कितनी सहायता प्राप्त हुई है या मिल रही है; और

(घ) इन परियोजनाओं की प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद): (क) भारत ने 1.1.93 से 31.12.94 तक की अवधि के दौरान, निम्नलिखित देशों के साथ द्विपक्षी पर्यटन सहयोग करारों पर हस्ताक्षर किए हैं:-

- बेलारस
- इजराइल
- उज्बेकिस्तान
- कोरिया
- सिंगापुर
- बुल्गारिया
- रशियन फेडरेशन

(ख) से (घ). द्विपक्षी पर्यटन सहयोग करार, सहयोग और सहानुभूति के निश्चय की मौलिक अभ्युक्ति हैं। इन करारों के अन्तर्गत, देश में कोई पर्यटन परियोजनाएं प्रारम्भ नहीं की गई हैं।

[अनुवाद]

हैदराबाद हवाई अड्डे का आधुनिकीकरण

3714. श्री डी. वेंकटेश्वर राव: क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हैदराबाद हवाई अड्डे के आधुनिकीकरण का कार्य पूरा होने वाला है;

(ख) यदि हां, तो कौन सी मुख्य आधुनिकीकरण योजनाएं पूरी हो गई हैं; और

(ग) ये कहां तक उपयोगी सिद्ध होंगी ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) जी, हां।

(ख) और (ग). उपस्कर अवतरण प्रणाली और दूरी मापक उपकरण के संस्थापन का कार्य अप्रैल 1994 में पूरा हो गया है।

प्रारंभिक और गौण राडारों के संस्थापन का कार्य पूरा हो गया है और जून, 1995 में शुरू होने की संभावना है।

अंतराष्ट्रीय टर्मिनल भवन के निर्माण और मौजूदा भवन के विस्तार का कार्य प्रगति पर है।

हैदराबाद हवाई अड्डे की आधुनिकीकरण परियोजना पूरी हो जाने पर, वहां एक समय में 3000 यात्रियों को हैंडल किया जा सकेगा।

[हिन्दी]

गुजरात में चिट और वित्त कंपनियां

3715. श्री एन. जे राठवा: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) फरवरी, 1995 में गुजरात, विशेष रूप से आदिवासी क्षेत्रों में बैंक गारंटी के अन्तर्गत पंजीकृत चिट और वित्त कंपनियों की संख्या कितनी थी; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान कितनी वित्त कंपनियों को दिवालिया घोषित किया गया अथवा बंद किया गया ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति): (क) भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई) ने बताया है कि दिनांक 28 फरवरी, 1995 की स्थिति के अनुसार. भारतीय रिजर्व बैंक की डाक सूची में गुजरात राज्य में चिट फंड कंपनियों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एन.बी.एफ.सी) की संख्या क्रमश: 12 और 2414 है। जहां तक जनजातीय क्षेत्रों में इन कंपनियों के भौगोलिक प्रसार का संबंध है, भारतीय रिजर्व बैंक अलग-अलग आंकड़े नहीं रख रहा है।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया है कि उसकी मौजूदा आंकड़ा निगरानी प्रणाली में यह सूचना एकत्र नहीं की जाती है।

[अनुवाद]

बीड़ी कामगार

3716. श्री दत्तात्रेय बंडारु: क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आन्ध्र प्रेदश में तम्बाकू और बीड़ी कामगारों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) इन श्रमिकों के लिए निर्धारित की गई न्यूनतम वेतन की दर कितनी है; और

(ग) न्यूनतम वेतन के सही कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, आन्ध्र प्रदेश में तम्बाकू कर्मकारों की संख्या लगभग 10,000 आंकी गयी है। आन्ध्र प्रदेश में बीड़ी कर्मकारों की अनुमानित संख्या 6.25 लाख है।

(ख) बीड़ी कर्मकारों के लिए यथा अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी 18.65 रू. (जोन- I) और 17.35 रू. (जोन- II), जमा परिवर्ती मंहगाई भत्ता है।

(ग) राज्य श्रम विभाग ने 6745 पंजीकृत बीड़ी प्रतिष्ठानों में से 2501 बीड़ी प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया है और 60 मामलों में अभियोजन चलाए।

कालीकट विमानपत्तन पर यंत्रीय अवतरण प्रणाली

3717. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन:** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कालीकट विमानपत्तन पर यन्त्रीय अवतरण प्रणाली स्थापित कर दी गई है;

(ख) यदि नहीं, तो इसे कब तक स्थापित कर दिया जायेगा; और

(ग) इसे लगाने पर अनुमानतः कितनी लागत आयेगी?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ग). भारत विमानपत्तन प्राधिकरण ने कालीकट हवाई अड्डे पर 2.50 करोड़ की लागत पर उपस्कर अवतरण प्रणाली को लगाने का कार्य पहले ही शुरू कर दिया है। कार्य अगस्त, 1995 तक पूरे किए जाने की आशा है।

दिल्ली में पर्यटकों के लिए आवास की कमी

3818. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा:** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में पर्यटकों के लिए आवास की भारी कमी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस स्थिति से निपटने के लिए दिल्ली में "पेइंग गेस्ट" आवास का चयन करने का निर्णय लिया है; और

(ग) यदि हां, तो अब तक क्या कदम उठाये गये हैं और क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद): (क) जी, हां,। यातायात, व्यवसाय सम्मेलनों, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों, सेमिनारों आदि में बढ़ोतरी हो जाने के कारण पिछले दो-तीन महीनों से दिल्ली को आवास की कमी का सामना करना पड़ रहा है।

(ख) और (ग). स्थिति ने निपटने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ, सरकार ने गृहस्वामियों से पेइंग गेस्ट आवास यूनिटों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। ऐसे चालीस आवेदन पत्रों को पहले ही अनुमोदित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, दिल्ली में सात होटल परियोजनाओं को अनुमोदित कर दिया गया है, जिनमें 971 कमरे हैं और जो पूरा होने की भिन्न-भिन्न अवस्थाओं में हैं।

[हिन्दी]

बिहार में हवाई अड्डों का आधुनिकीकरण

3719. **श्री राम टहल चौधरी:** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को बिहार में हवाई अड्डों के आधुनिकीकरण के बारे में राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस कार्य पर कितना ख़र्च आने की संभावना है;

(ग) इस संबंध में राज्य सरकार के प्रस्ताव पर केन्द्रीय सरकार ने क्या निर्णय लिया है;

(घ) क्या इस कार्य को पूरा करने के लिए कोई समय-सीमा तय की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ङ). जी, हां,। बिहार सरकार का प्रस्ताव है कि गया हवाई अड्डे को बोइंग 737/एयरबस 320 किस्म के विमानों के प्रचालन के लिए विकसित किया जाए। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा किए गए व्यवहार्यता अध्ययन से ज्ञात होता है कि गया हवाई अड्डे का बोइंग 737 और एयरबस 320 किस्म के विमानों के प्रचालन के लिए उन्नयन किया जा सकता है। उक्त परियोजना की अनुमानित लागत बिना राडार 24.30 करोड़ रूपए और राडार सहित 54.30 करोड़ रूपए है। संसाधनों की कमी के कारण भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के लिए इस हवाई अड्डे का उन्नयन करना सम्भव नहीं है।

[अनुवाद]

औरंगाबाद-भोपाल-खजुराहो के लिए वायु सेवा

3720. **श्री सुशील चन्द्र वर्मा:** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने 1 नवम्बर, 1992 को औरंगाबाद-भोपाल-खजुराहो के लिए वायुसेवा शुरू करने की घोषणी की थी;

(ख) क्या यह सेवा अभी तक शुरू नहीं की गई है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और यह सेवा शुरु करने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ग). जनवरी, 1992 में इंडियन एयरलाइन्स ने बंबई-औरंगाबाद-भोपाल-खुजराहों मार्ग पर 1 नवम्बर, 1992 से सप्ताह में तीन सेवाएं शुरू करने की योजना की घोषणा की थी, तथापि प्रचालन कर्मी दल की कमी के कारण यह सेवा शुरु नहीं हो सकी। इस समय, वाणिज्यिक कारणों और प्रचालनात्मक दवाबों के कारण इंडियन एयरलाइन्स की यह उड़ान शुरू करने की कोई योजना नहीं है।

हथकरघा विकास केन्द्र

3721. श्री अन्ना जोशी: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेगे कि:

(क) क्या सरकार का चालू वित्तीय वर्ष के दौराम देश में कुछ और हथकरघा विकास केन्द्र और गुणवत्ता रंजक एकक स्थापित करने का प्रस्ताव है:

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में बुनकरों को लगातार रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रभावी उपाय किये गये हैं ?

वस्त्र मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) जी हां।

(ख) वर्ष 1995-96 के लिए हथकरघा विकास केन्द्रों और उत्कर्ष रंगाई इकाईयों की स्थापना हेतु राज्यवार निर्धारित लक्ष्य सलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) देश के बुनकरों को निरंतर रोजगार प्रदान करने के लिए सरकार कई योजनायें क्रियान्वित कर रही है। इन योजनाओं में हथकरघा विकास केन्द्रों की स्थापना, प्रोजेक्ट पैकेज योजना, एकीकृत हथकरघा ग्राम विकास योजना, निस्सहाय बुनकरों के लिए मार्जिन मनी योजना, राष्ट्रीय रेशम सूत्त बैंक योजना, राष्ट्रीय डिजायन संग्रह कार्यक्रम निर्यातोन्मुख योजनाएं और जनता कपड़ा योजना शामिल हैं। विपणन विकास सहायता योजना से भी हथकरघा उत्पादों की बिक्री में मदद मिलती है और इससे बुनकरों को निरंतर रोजगार मिलता है।

विवरण

वर्ष 1995-96 के लिए हथकरघा विकास केन्द्रों और उत्कर्ष रंगाई इकाईयों के लक्ष्य का राज्यवार ब्यौरा:-

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	ह. वि. के.	उ. रं.इ.
1.	आन्ध्र प्रदेश	126	16
2.	अरुणाचल प्रदेश	9	3
3.	असम	100	20
4.	बिहार	50	5
5.	गुजरात	10	2
6.	गोवा	1	-
7.	हरियाणा	12	2
8.	हिमाचल प्रदेश	22	4
9.	जम्मू व कश्मीर	25	4

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	ह. वि. के.	उ. रं.इ.
10.	कर्नाटक	55	7
11.	केरल	20	5
12.	मध्य प्रदेश	25	3
13.	महाराष्ट्र	50	5
14.	मनीपुर	50	13
15.	मेघालय	8	2
16.	मिजोरम	15	4
17.	नागालैण्ड	25	4
18.	उड़ीसा	75	5
19.	पंजाब	6	2
20.	राजस्थान	22	4
21.	तमिलनाडु	150	30
22.	त्रिपुरा	25	5
23.	उत्तर प्रदेश	160	20
24.	पश्चिम बंगाल	140	33
25.	दिल्ली	6	1
26.	पाण्डिचेरी	13	1
	कुल	1200	200

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को बैंक ऋण

3722. श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशों के बावजूद राष्ट्रीयकृत बैंक सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को ऋण प्रदान नहीं कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को दिए जाने वाले ऋण पर सरकार द्वारा गारंटी देने के संबंध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जायेगी; और

(घ) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की ऋण आवश्यकता पूरी करने के लिए उन्हें समय पर वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए उठाए जाने वाले अन्य कदमों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग). भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसे इस आशय की कोई विशिष्ट शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बैंक ऋण प्रदान नहीं कर रहे हैं। फिर भी, यह जोड़ा जा सकता है कि सार्वजनिक क्षेत्र के रुग्ण उपक्रमों को छोड़कर सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य उपक्रमों के मामले में बैंक उनकी नयी/परियोजनाओं के विस्तार के लिए वित्तीय सहायता देने पर विचार करते हैं जो परियोजना की अर्थक्षमता और प्रवर्तकों के अंशदान, ऋण इक्विटी अनुपात, चालू अनुपात, विवेकसम्मत एक्सपोजर सीमा आदि से संबंधित सामान्य मानदण्डों का उनके द्वारा पालन किए जाने पर आधारित होती है। सार्वजनिक क्षेत्र के रुग्ण उपक्रमों के संबंध में जहां रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 (एस.आई.सी.ए) के उपबंधों के अंतर्गत औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निमाण बोर्ड (बाइफर) द्वारा पुनरुद्धार योजना मंजूर की गई है, बैंक मंजूरशुदा योजना की शर्तों के अनुसार सुविधायें प्रदान करते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य रुग्ण उपक्रमों के मामले में (जिनमें बाइफर को अभी निर्णय लेना है), बैंक परिचालन "जारी रखने" (होल्डिंग आन) की अनुमति देते हैं और अलग-अलग मामलों के आधार पर आवश्यकता पर आधारित सहायता देते हैं।

(घ) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को मंजूर किए गए ऋणों के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों को सरकारी गारंटियां अलग-अलग मामलों में अलग होती हैं।

तुर्की के साथ पर्यटन समझौता

3723. **श्री वसुन्धरा राजे** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और तुर्की ने एक पर्यटन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे क्या-क्या लाभ प्राप्त होंगे ?

नागर विमानन और पर्यदन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद): (क) जी, हां। भारत और तुर्की ने दिनांक 31.1.1995 को नई दिल्ली में एक द्विपक्षीय पर्यटन सहयोग करार पर हस्ताक्षर किए हैं।

(ख) पक्षकार, दोनों देशों के बीच पर्यटन का संवर्धन और विस्तार करेंगे। दोनों देश संयुक्त प्रचार अभियान चलाएंगे, पर्यटन संवर्धनात्मक सामग्री का आदान-प्रदान करेंगे और पर्यटन के सैक्टर में पूंजी निवेश के लिए संयुक्त सहयोग की सम्भावनाओं का पता लगाएंगे।

(ग) यह पर्यटन करार पर्यटक आगमनों में वृद्धि करने में और दोनों देशों के बीच मैत्री संबंधों को सुदृढ़ करने में मदद करेगा।

रूप्सी विमानपत्तन

3724. **श्री नुरूल इस्लाम**: क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का रुप्सी विमानपत्तन पर वायु संचार व्यवस्था को बहाल किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख). रूप्सी से/ को विमान सेवाएं शुरू करने के लिए किसी विमान कम्पनी प्रचालक से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

शेयरों पर प्रीमियम

3725. **श्री राम कापसे**: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बाजार में जब कोई इश्यू जारी किया जाता है तो शेयरों के अंकित मूल्य पर लिए जाने वाले प्रीमियम के लिए सरकार ने कोई मानदंड निर्धारित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो शेयरों के अंकित मूल्य पर प्रीमियम निर्धारित करने में कंपनियों को पूरी छूट देने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति): (क) से (ग). जी, नहीं। मौजूदा कंपनियां जनता को प्रीमियम पर शेयर जारी करने के लिए स्वतंत्र हैं बशर्ते कि वे विवरणिकाओं में अपने शेयरों की पिछली व्यापार कीमतों और अन्य महत्वपूर्ण सूचना का पूर्ण प्रकटन करें, ताकि संभावित निदेशक प्रीमियम के औचित्य के बारे में सूचित निर्णय लेने में समर्थ हो सकें। तथापि, नइ कंपनियों को नए इश्युओं पर तब तक प्रीमियम चार्ज करने की अनुमति नहीं है जब तक ऐसी कंपनियां पूर्ववर्ती तीन वर्षों के दौरान लाभप्रदता और लाभांश भुगतान से सतत ट्रैक रिकार्ड वाली मौजूदा कंपनियों द्वारा समर्थित नहीं की जाती।

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा बाण्ड इश्यू जारी करना

3726. **श्री एस. एम. लालजान वाशा**: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय औद्योगिक वित्त निगम का 250 करोड़ रुपये के बाण्ड इश्यू जारी करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारतीय औद्योगिक वित्त निगमं एक विपुल धनराशि अपने ग्राहकों को वितरित करने में असमर्थ रहा है;

(घ) नयी पूंजी जुटाने हेतु इसे इसकी इक्विटी धारिता से वंचित करने के लिए क्या उपाय किये गये हैं;

(ङ) क्या भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के पास विभिन्न कम्पनियों के अत्यधिक शेयर हैं; और

(च) यदि हां, तो भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा ऐसी निधियों का उपयोग न करने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति): (क) और (ख). अपनी कार्यशील पूंजी को बढ़ाने के लिए भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लि. (आई.एफ सी.आई) ने मार्च 1995 में, निजी आधार पर कुल 203 करोड़ रुपए के बाण्ड जारी किए हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) से (च). आई.एफ.सी.आई ने सूचित किया है कि 31.3.1994 की स्थिति के अनुसार ऋणों और अग्रिमों की तुलना में निवेश का अनुपात 0.04:1 था। जब कभी बाजार की स्थिति अनुकूल होती है, तो आई.एफ.सी. आई. विनिवेश करता है।

पारितोषिक रकम

3727. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने प्रधान सीमाशुल्क कलेक्टर, दिल्ली, सहित सीमाशुल्क के कुछ उच्च अधिकारियों के विरूद्ध पारितोषिक रकम (रिवार्ड मनी) के कथित घोटाले की जांच के संबंध में एक मामला दर्ज किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में दोषी पाए गए अधिकारियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) भविष्य में पारितोषिक रकम के अपयोजन को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति): (क) से (ङ). जी, हां। केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा अभी भी मामले की जांच पड़ताल की जा रही है।

(च) पारितोषिक स्वीकृत किए जाने के बारे में मौजूदा अनुदेशों तथा कार्यविधियों में पारितोषिक की राशि के अपयोजन के प्रति रक्षोपाय अन्तर्विष्ट हैं। तथापि, केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर ही इनकी पुनरीक्षा की जाएगी।

प्रतिभूति घोटाला

3728. **श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य:**
श्री निर्मल कान्ति चटर्जी:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रतिभूति घोटाले संबंधी संयुक्त संसदीय समिति के प्रतिवेदन के परिप्रेक्ष्य में, सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक ने विशेष अधिकारियों द्वारा घोटाले में शामिल बैंकों की प्रतिभूति संबंधी लेन-देन की विस्तृत जांच कराए जाने के लिए कोई प्रावधान बनाया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बीच जांच-कार्य पूरा हो गया है और इसकी रिपोर्ट प्राप्त हो गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति): (क) से (ग). प्रतिभूति लेने देनों में की गई अनियमिताओं के लिए उच्च प्रबंधन की जिम्मेदारी निर्धारित करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकारी क्षेत्र के निम्नलिखित 8 बैंकों और अनुषंगियों में विशेष अधिकारियों के रूप में सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा (आई. ए. एस..) के अधिकारियों की नियुक्ति की थी:-

1. आन्ध्र बैंक और आन्ध्रा बैंक फाइनांशियल सर्विसेज लि.।

2. इलाहाबाद बैंक और आल बैंक फाइनांस लिमिटेड।

3. केनरा बैंक और इसकी अनुषंगियां अर्थात् केनबैंक म्यूचुअल फण्ड (सी.बी.एम.एफ) और द कैनबैंक फाइनांशियल सर्विसेज लि.।

4. एस .बी .आई. कैपिटल मार्केट्स लि.।

5. सिंडिकेट बैंक

6. स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र

7. बैंक आफ इंडिया फाइनांस लि., और

8. स्टेट बैंक आफ पटियाला

स्टेट बैंक आफ पाटियाला के मामले को छोड़कर, जिसके संबंध में हाल में भारतीय रिजर्व बैंक के पास रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, दूसरे बैंकों के बारे में विशेष अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्टों की भारतीय रिजर्व बैंक ने जांच की थी और विशेष अधिकारियों की रिपोर्ट के आधार पर संबंधित बैंकों ने कार्रवाई शुरू कर दी है। विशेष अधिकारियों की रिपोर्टों को जांच के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो के पास भी भेजा गया है ताकि जहां कहीं आवश्यक समझा जाये वहां अलग-अलग कार्यपालकों पर आपराधिक सदोषता निर्धारित की जा सके।

यात्रा सुरक्षा रिपोर्ट

3729. श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :
श्री तारा सिंह :
श्री मोहन रावले :
श्री गुरूदास कामत :
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :
श्री सनत कुमार मंडल :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंटरनेशनल एयरलाइन पैसेंजर एसोसियेशन ने अपनी यात्रा सुरक्षा संबंधी नवीनतम रिपोर्ट में यह कहा है कि इंडियन एयरलाइन्स एयरबस की उड़ानें एशिया में सबसे अधिक जोखिमभरी उड़ाने हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई विरोध किया गया है;

(ग) क्या इंडियन एयरलाइन्स का कार्य-निष्पादन और उड़न योग्यता संदिग्ध है तथा इसे अपनी छवि में और सुधार करने की आवश्यकता है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाने का विचार है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) जी हां।

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय एयरलाइन्स यात्री संघ द्वारा जारी समाचार-पत्र तथ्यों पर आधारित नहीं है। नागर विमानन महानिदेशालय ने यह मामला अन्तरराष्ट्रीय एयरलाइन्स यात्री संघ के साथ उठाया है लेकिन उनसे कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) और (घ). इंडियन एयरलाइन्स के सभी विमान नागर विमानन महानिदेशालय, विमान का निर्माण करने वाले देशों द्वारा निर्धारित उड़न योग्यता के मानक पूरा करते हैं। इसके अतिरिक्त, हवाई अड्डों पर सुविधाओं का निरीक्षण करने, रिकार्डरों का निरीक्षण करके, एयरलाइनों की सुरक्षा जांच, निर्धारित प्रक्रियाओं मौसम संबंधी न्यूनतम अपेक्षाओं का पालन करके सुरक्षा संबंधी सूचनाओं का प्रसार करके, हवाई अड्डों का आवधिक निरीक्षण करके और सुरक्षा गोष्ठियां आदि आयोजित करके सभी प्रकार के विमान प्रचालनों में सुरक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए प्रयास किये जाते हैं।

गुजरात में विद्युत संयंत्रों का व्यवहार्यता संबंधी अध्ययन

3730. डा. खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी :
श्री शंकर सिंह वाघेला :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम ने गुजरात में गैर-सरकारी क्षेत्र में विद्युत संयंत्रों की तकनीकी अथवा व्यवहार्यता संबंधी अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम को राज्य में गैर-सरकारी क्षेत्र के विद्युत संयंत्रों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो 1993-94 और 1994-95 के दौरान अब तक प्राप्त हुए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति): (क) और (ख). भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम लि. (आई.सी.आई.सी.आई) ने सूचित किया है कि उसने गुजरात में गैर-सरकारी क्षेत्र के विद्युत संयंत्रों का तकनीकी और वित्तीय व्यवहार्यता अध्ययन नहीं किया है। फिर भी, वित्तीय सहायता मंजूर करने की प्रक्रिया के एक भाग के रूप में आई. सी.आई सी. आई.

गैर-सरकारी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा उसके पास प्रस्तुत किए गए परियोजना प्रस्तावों का भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और/या भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लि. के साथ मिलकर तकनीकी, वित्तीय और वाणिज्यिक मूल्यांकन करता है।

(ग) और (घ). आई. सी. आई. सी. आई. ने सूचित किया है कि 655 एम डब्ल्यू का गैस पर आधारित संयुक्त साइकल विद्युत संयंत्र स्थापित करने के लिए 1994-95 के दौरान उसे गुजरात टोरेंट ऊर्जा निगम लिमिटेड (जी. टी.ई. सी.) से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। आई. सी. आई. सी.आई. ने परियोजना को पहले ही वित्तीय सहायता मंजूर कर दी है।

ग्रामीण गोदामों के लिए ऋण

3731. **प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगें कि:

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंक ग्रामीण गोदामों के लिए मानक ऋण शर्तें तय करने की संभावना पर विचार कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ऋण देने वाली संस्थाओं के सहयोग से उन्हें ब्याज में किसी प्रकार की छूट दी जाएगी?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति): (क) से (ग). सरकारी क्षेत्र के बैंक किसानों को भांडागारों, गोदामों, खत्तियों (साइलो) और शीत भंडारों के निर्माण और उन्हें चलाने के लिए अग्रिम मंजूर करते हैं, जिन्हें कृषि के लिए प्रत्यक्ष वित्त के रुप में माना जाता है और यह प्राथमिकता क्षेत्र का भाग होता है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) राज्य भांडागार निगमों से विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त होने पर गोदामों के निर्माण और नई भण्डारण क्षमता के सृजन/वर्तमान भण्डारण क्षमता में वृद्धि करने के लिए बैंकों को पुनर्वित्त प्रदान करता है। अलबत्ता, गैर-सरकारी पार्टियों द्वारा गोदामों के निर्माण के लिए नाबार्ड से पुनर्वित्त सहायता उपलब्ध नहीं है।

[हिंदी]

ओमन इन्टरनेशनल बैंक, मुम्बई द्वारा शेयरों के एवज में ऋण

3732. **श्री विश्वनाथ शास्त्री:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ओमन इन्टरनेशनल बैंक की मुम्बई शाखा ने वर्ष 1991 के दौरान कुछ दलालों को उनके शेयरों को गिरवी रखकर 150 करोड़ रूपए की अग्रिम राशि दी थी,

(ख) क्या इतनी भारी रकम का अग्रिम भुगतान किया जाना भारतीय रिज़र्व बैंक के सर्वमान्य नियमों का उल्लघंन है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति): (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सहकारी मिलों को ऋण

3733. **डा. लाल बहादुर रावल:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सहकारी मिलों की स्थापना के लिए दीर्घावधि ऋण देने हेतु किन-किन राज्यों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन केन्द्रीय वित्तीय संस्थाओं ने राज्य-वार कितनी धनराशि के ऋण स्वीकृत किए?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति): (क) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने सूचित किया है कि महाराष्ट्र राज्य सरकार ने उसे बताया था कि आठवीं योजना अवधि के दौरान महाराष्ट्र में 50 सहकारी कताई मिलें स्थापित की जाएंगी। इनमें से, अब तक 29 मिलों ने सहायता हेतु वित्तीय संस्थानों से सम्पर्क किया है।

(ख) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने सूचित किया है कि इन मिलों को स्थापित करने के लिए वित्तीय संस्थानों ने अभी तक कोई मंजूरी नहीं दी है।

फार्मास्यूटिकल्स का निर्यात

3734. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1993-94 और 1994-95 के दौरान औषधों और फार्मास्यूटिकल्स की कुल कितनी-कितनी मात्रा का देश-वार निर्यात किया गया और इससे कितनी-कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई; और

(ख) सरकार द्वारा औषधों और फार्मास्यूटिकल्स के निर्यात को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्): (क) वर्ष 1993-94 तथा 1994-95 की जिस अवधि के लिए आंकड़े अपलब्ध हैं, उस अवधि के दौरान औषधियों तथा भेषजीय पदार्थों (सूक्ष्म रसायनों सहित) के कुल निर्यात के आकंड़े निम्नानुसार हैं:-

मूल्य-करोड़ रु.

1993-94	1994-95 (अप्रैल-जून 95)
2013.84	1978.04

देशवार ब्यौरे डी.डी.सी.आई. एण्ड एस. के प्रकाशन "फारेन ट्रेड स्टेटिस्टिक्स ऑफ इण्डिया" में दिए गए हैं जो संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(ख) सरकार ने औषधियों तथा भेषजीय पदार्थो को निर्यात संवर्धन हेतु "अत्यधिक ध्यान" दिए जाने वाले मद-समूह के रुप में अभिज्ञात किया है। इसके अनुसार, सरकार द्वारा किए गए उपायों में अन्य बातों के अलावा, ये शामिल है-बाजार विकास सहायता का विस्तार, नीति एवं क्रियाविधियों में उदारीकरण और व्यापार प्रतिनिधि मण्डलों के आदान-प्रदान, विदेशों में व्यापार क्षेत्रों में सहभागिता और संगत जानकारी के आदान-प्रदान एवं प्रचार-प्रसार जैसे उपायों को बढ़ावा देना।

[अनुवाद]

कृषि मजदूर

3735. डा. के. वी. आर. चौधरी: क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कृषि मजदूरों की राज्यवार और संघ राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) इन मजदूरों हेतु राज्य-वार और संघ राज्य-वार कितना न्यूनतम वेतन निर्धारित किया गया है; और

(ग) सरकार द्वारा रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

श्रम मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) और (ख). कृषि श्रमिकों की संख्या और भिन्न-भिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों और केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा निर्धारित मजदूरी की न्यूनतम दरों के बारे में उपलब्ध सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए समय-समय पर विभिन्न निर्धनता उन्मूलन और रोजगार सृजन संबंधी कार्यक्रम शुरू किये हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के कृषि श्रमिकों सहित बेरोजगार और अल्प-रोजगार वाले व्यक्तियों के लिए अतिरिक्त अर्थपूर्ण रोजगार सृजित करने हेतु 1989-90 में शुरू की गयी जवाहर रोजगार योजना (जे. आर. वाई) को कार्यान्वित किया जा रहा है। 1993-94 के दौरान जवाहर रोजगार यौजना (जे. आर.वाई.) को देश के उन चुनिन्दा 120 पिछड़े जिलों में तेज किया गया है जिनमें बेरोजगारी और अल्प-रोजगार की बहुलता है। भारत सरकार ने 2 अक्तूबर, 1994 से रोजगार आश्वासन योजना (ई. ए.एस.) भी शुरू की है, जिसका उद्देश्य लीन कृषि अवधि के दौरान 18 से 60 वर्ष के बीच की आयु वाले रोजगार की आवश्यकता और रोजगार चाहने वाले व्यक्तियों को 100 दिन का निश्चित रोजगार मुहैय्या करवाना है। यह योजना देश के उन 2443 पिछड़े ब्लाकों में संचालित की जा रही है जो सूखा उन्मुख क्षेत्रों, रेगिस्तानी क्षेत्रों और पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित हैं।

विवरण

विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दरें और कृषि कर्मकारों की संख्या

क्रं. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	*कृषि कर्मकारों की संख्या (हजारों में)	अकुशल कृषि कर्मकारों हेतु न्यूनतम मजदूरी
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	आन्ध्र प्रदेश	11625	रू. 16.80 से रू. 23.40 प्रतिदिन (जोन के अनुसार) (8.4.91)
2.	अरूणाचल प्रदेश	20	रू. 21.00 से रू. 24.00 प्रतिदिन (क्षेत्रों के अनुसार) (1.11.90)

क्रं. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	*कृषि कर्मकारों की संख्या (हजारों में)	अकुशल कृषि कर्मकारों हेतु न्यूनतम मजदूरी
(1)	(2)	(3)	(4)
3.	असम	845	रू. 1134.00 प्रतिमाह या रू. 984.00 प्रतिमाह जमा भोजन, आवास और कपड़े (1.2.92)
4.	बिहार	9513	रू. 21.00 प्रतिदिन (19.7.93)
5.	गोवा	35	रू. 27.50 प्रतिदिन (5.2.92)
6.	गुजरात	3231	रू. 15.00 प्रतिदिन (1.8.90)
7.	हरियाणा	897	रू. 42.60 प्रतिदिन भोजन सहित या रू. 46.60 प्रतिदिन बिना भोजन के (1.1.95)
8.	हिमाचल प्रदेश	59	रू. 24.00 प्रतिदिन से रू. 26.00 प्रतिदिन (1.10.94)
9.	जम्मू व कश्मीर	-	रू. 15.00 प्रतिदिन (24.3.89)
10.	कर्नाटक	5000	रू. 12.00 से रू. 17.65 प्रतिदिन (12.7.88)
11.	केरल	2120	रू. 30.00 प्रतिदिन महिलाओं हेतु रू. 40.20 प्रतिदिन पुरूषों हेतु (31.3.92)
12.	मध्य प्रदेश	5863	रू. 30.76 प्रतिदिन (29.1.94)
13.	महाराष्ट्र	8313	20.00 रू. से 29.00 रू. प्रतिदिन (जोन के अनुसार) (26.6.94)
14.	मणिपुर	47	40.90 रू. प्रतिदिन पहाड़ी क्षेत्रों के लिए और 37.90 रु. प्रतिदिन पहाड़ी क्षेत्रों से भिन्न क्षेत्रों के लिए (23.12.88)

क्रं. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	*कृषि कर्मकारों की संख्या (हजारों में)	अकुशल कृषि कर्मकारों हेतु न्यूनतम मजदूरी
(1)	(2)	(3)	(4)
15.	मेघालय	89	35.00 रू. प्रतिदिन (16.3.94)
16.	मिजोरम	10	28.00 रू. प्रतिदिन (1.11.92)
17.	नागालैण्ड	7	25.00 रू. प्रतिदिन (6.7.92)
18.	उड़ीसा	2967	25.00 रू. प्रतिदिन (1.7.90)
19.	पंजाब	1453	46.17 रू. प्रतिदिन बिना भोजन या 42.17 रू. प्रतिदिन भोजन सहित (1.9.94)
20.	राजस्थान	1392	22.00 रू. प्रतिदिन (2.7.90)
21.	सिक्किम	13	न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 अभी लागू किया जाना है।
22.	तमिलनाडु	7899	20.00 रू. प्रतिदिन (6.4.93)
23.	त्रिपुरा	188	23.65 रू. प्रतिदिन (20.12.93)
24.	उत्तर प्रदेश	7833	33.00 रू. प्रतिदिन से 35.00 रू. प्रतिदिन (7.1.92)
25.	पश्चिम बंगाल	5055	32.72 रू. प्रतिदिन 29.52 रू. प्रतिदिन जमा दो मुख्य भोजन (1.7.94)
26.	अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	5	27.00 रू. प्रतिदिन (अंडमान) 28.00 रू प्रतिदिन (निकोबार) ([illegible].8.92)
27.	चंडीगढ़	2	39.42 रु. प्रतिदिन भोजन सहित या 43.25 रु. प्रतिदिन बिना भोजन (1.3.92)

क्रं. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	*कृषि कर्मकारों की संख्या (हजारों में)	अकुशल कृषि कर्मकारों हेतु न्यूनतम मजदूरी
(1)	(2)	(3)	(4)
28.	दादरा व नगर हवेली	6	23.00 रू. प्रतिदिन (15.12.92)
29.	दिल्ली	25	57.50 रू. प्रतिदिन (1.8.94)
30.	दमन एवं दीव	1	22.00 रू. प्रतिदिन (19.3.93)
31.	लक्षद्वीप	–	30.00 रु. प्रतिदिन (1.1.93)
32.	**पांडिचेरी क्षेत्र**	7	
	(i) पांडिचेरी क्षेत्र		14.00 रू. प्रतिदिन (15.12.89)
	(ii) माहे क्षेत्र		12.00 रू. प्रतिदिन हल्के कार्य हेतु 15.00 रू. प्रतिदिन भारी कार्य हेतु (18.2.87)
	(iii) यनम क्षेत्र		11.00 रू. प्रतिदिन (15.3.88)
	(iv) करैकल		14.00 रू. प्रतिदिन या 7 किलो धान और 4.90 रू. प्रतिदिन (31.1.90)
33.	केन्द्रीय क्षेत्र		46.62 रू. प्रतिदिन (1.4.95)

टिप्पणी : *सूचना 1991 की जनगणना पर आधारित है।

[हिन्दी]

रुग्ण केन्द्रीय सहकारी बैंकों को ऋण

3736. **श्री सूरजभानु सोलंकी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने 16 रुग्ण केन्द्रीय सहकारी बैंकों के समय-बाधित ऋणों को कम करने के लिए लम्बी अवधि के ऋण देने हेतु केन्द्रीय सरकार के पास कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति): (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

ग्रामीण सहकारी बैंकों को अर्थक्षम बनाना

3737. **श्री तारा सिंह :**
श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार ग्रामीण सहकारी बैकों को अर्थक्षम बनाने हेतु एक व्यापक योजना शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में ग्रामीण सहकारी बैंकों का कार्य-निष्पादन सन्तोषप्रद नहीं पाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो ग्रामीण सहकारी बैंकों के कार्य-निष्पादन में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहें हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति): (क) और (ख). राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सरकार के कहने पर देश में सहकारी बैंकों को मजबूत बनाने के लिए पहल की है, जिसमें सहकारी बैंकों से उसके द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप विकास कार्य योजनाएं (डी.ए.पी) तैयार करने को कहा गया है। इन विकास कार्य योजनाओं में, अन्य बातों के साथ-साथ, अतिदेय राशियों की वसूली को गति प्रदान करने, लेन-देन की लागत/प्रबंध लागत को कम करने, मानव संसाधन विकास की पुनरीक्षा करने, आधारभूत स्तर पर बैंकों के ऋण कारोबार को बढ़ाने और विविधिकृत करने और ऋण की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए संयुक्त योजनाबद्ध प्रयास करने की परिकल्पना की गई है। विकास कार्य योजनाओं में दिये गये कार्य बिन्दुओं के आधार पर, राज्य सहकारी बैंकों, राज्य भूमि विकास बैंकों और सम्बद्ध राज्य सरकारों द्वारा नाबार्ड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया जा रहा है। यह आशा की जाती है कि समझौता ज्ञापन में दिये गए कार्य बिन्दुओं को सफल कार्यान्वयन सहकारी बैंकों को स्थायी रूप से अर्थक्षम बनायेगा।

(ग) और (घ). बहुत से सहकारी बैंकों का कार्यनिष्पादन, ऋण की वसूली, कारोबार का निम्न स्तर, लेन-देन की उच्च लागत, व्यापक संचित हानि, बकाया ऋण में असंतुलन, अशोध्य ऋण और राज्य सरकारों से प्राप्त होने वाली पुरानी देय राशियों जैसे विभिन्न कारणों से संतोषजनक नहीं रहा है। उन विशिष्ट समस्याओं की पहचान करने, जो सहकारी बैंक के कार्यनिष्पादन को बाधित करते हैं और उन्हें दूर करने की योजना बनाने के उद्देश्य से नाबार्ड ने सहकारी बैंकों से कम से कम 5 वर्ष की अवधि के लिये विशिष्ट विकास कार्य योजनायें तैयार करने को कहा है।

व्यवसाय कर

3738. **श्री जगत वीर सिंह द्रोण :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह बात सरकार की जानकारी में आई है कि व्यवसाय कर के रूप में केंद्रीय सरकार द्वारा दी गयी राहत का विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के कानपुर में छोटी औद्योगिक इकाइयों द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रकार की राहत का दुरुपयोग किये जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) भविष्य में ऐसे दुरुपयोग को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति): (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और प्रस्तुत कर दी जाएगी

[हिन्दी]

रसोई गैस पर सीमा-शुल्क

3739. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रसोई गैस उद्योग ने सरकार से मांग की है कि निजी पार्टियों द्वारा रसोई गैस के आयात पर सीमा शुल्क समाप्त कर दिया जाए;

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या निजी पार्टियों द्वारा रसोई गैस के आयात पर सीमा शुल्क हटा देने से घरेलू रसोई गैस को प्रदान की जा रही राजसहायता कम कर दी जाएगी; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति): (क) सरकार

को समानान्तर विपणन के लिए एल. पी. जी. के आयातकों से एल. पी. जी. पर सीमाशुल्क समाप्त करने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) वर्ष 1995-96 के बजट में सीमाशुल्क को 15% से कम करके 10% कर दिया गया है।

(ग) और (घ). एल. पी. जी. पर सीमाशुल्क में कमी करने से घरेलू एल. पी. जी. (रसोई गैस) को उपलब्ध कराई जा रही आर्थिक सहायता पर प्रभाव पड़ेगा।

[अनुवाद]

लघु बचत संग्रह

3740. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान लघु बचत के माध्यम से संकलित धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस अवधि के दौरान लघु बचत जमा में कमी आई है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

(घ) क्या इस बारे में कोई लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं?

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

(च) लघु बचत के लक्ष्यों को पूरा न कर पाने के क्या कारण हैं; और

(छ) लघु बचत योजना के माध्यम से जमा धनराशि में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति): (क) यह सूचना संलग्न विवरण में दर्शायी गई है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) और (च). प्रश्न नहीं उठता।

(छ) बचत स्कीमों के अन्तर्गत जमा धनराशि में वृद्धि करने के लिए उठाए गए कदमों में आकर्षक लाभ, कर रियायतों का विस्तार प्रचार आदि शामिल है।

डाकघरों में राज्यवार निवल लघु बचत जमाराशियां

(करोड़ रूपए)

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1994-95 (2/95 तक)	1993-94 (अनन्तिम)	1992-93
1.	आन्ध्र प्रदेश	695.36	569.07	206.94
2.	अरुणाचल प्रदेश	5.71	2.03	2.18
3.	असम	594.11	117.08	108.33
4.	बिहार	342.62	247.43	148.65
5.	गोआ	19. 3	7.24	3.69

(करोड़ रूपए)

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1994-95 (2/95 तक)	1993-94 (अनन्तिम)	1992-93
6.	गुजरात	729.21	466.62	396.23
7.	हरियाणा	325.07	201.56	137.58
8.	हिमाचल प्रदेश	480.15	143.61	25.59
9.	जम्मू तथा कश्मीर	120.62	84.35	58.85
10.	कर्नाटक	1115.84	278.32	317.28
11.	केरल	542.36	270.45	134.06
12.	मध्यप्रदेश	349.79	201.08	120.25
13.	महाराष्ट्र	1090.31	222.15	127.66
14.	मणिपुर	6.73	4.74	2.84
15.	मेघालय	14.89	13.75	5.60
16.	मिजोरम	6.28	2.63	3.96
17.	नागालैंड	2.43	0.66	1.18
18.	उड़ीसा	301.67	147.83	26.90
19.	पंजाब	499.3	365.94	267.68
20.	राजस्थान	529.54	403.30	304.03
21.	सिक्किम	4.89	0.94	0.26
22.	तमिलनाडु	503.77	454.99	571.22
23.	त्रिपुरा	20.77	17.66	10.07
24.	उत्तर प्रदेश	1998.98	1122.65	795.40
25.	पश्चिमी बंगाल	1688.84	1207.94	595.41
	जोड़-राज्य	11988.54	6554.02	4371.81

[हिन्दी]

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का पुनर्गठन

3741. श्री संतोष कुमार गंगवार : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1994-95 के दौरान पुनर्गठन की दृष्टि से विस्तृत जांच के लिए चुने गए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का ब्यौरा क्या है;

(ख) अब तक इन बैंकों को बैंक-वार कितना घाटा और लाभ हुआ है; और

(ग) इन घाटों को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) 1994-95 के दौरान व्यापक पुनर्गठन के लिए सरकार द्वारा चुने गए 49 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की सूची संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) वित्तीय वर्ष 1993-94 के दौरान इन 49 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को हुई हानियां और अर्जित लाभ तथा 31 मार्च, 1994 की स्थिति के अनुसार हानि उठाने वाले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को हुई हानि की बैंकवार राशि संलग्न विवरण-II में दर्शाई गई है।

(ग) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को मजबूत बनाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक तथा राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक ने उपाय किए हैं और उपायों के एक पैकेज की घोषणा दिसम्बर 1993 में की गई थी। 1994-95 के दौरान व्यापक पुनर्गठन के लिए देश के कुल 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में से 49 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का पता लगाया गया है। इन 49 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको का अनुभव बाद के वर्षों में दूसरे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए अपनायी जाने वाली योजना का मार्गदर्शन करेगा। इस समय कमजोर और बीमार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को विकेन्द्रीकृत ग्रामीण बैंकिंग के वित्तीय रूप से सक्षम और प्रभावी लिखत में परिवर्तित करने का उद्देश्य है। इसके साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक ने जनवरी 1995 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनकी गैर एस .एल .आर. अधिशेष निधियों को विनिर्दिष्ट लाभप्रद क्षेत्रों और प्रायोजक बैंकों द्वारा जारी किए जाने वाले जोखिम रहित शेयर भागीदारी प्रमाणपत्रों के माध्यम से अपने प्रायोजक बैंकों के ऋण पोर्टफोलियों में निवेश करने की अनुमति दी है।

पूंजी आधार को मजबूत बनाने और हुई हानियों को कवर करने और/या चल निधि प्रदान करने के लिए इन 49 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के वास्ते अतिरिक्त पूंजी के लिए केन्द्रीय सरकार के हिस्से के रूप में 1.50 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है ताकि वे आने वाले वर्षों में अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार कर सकें।

विवरण - I

व्यापक पुनर्गठन के लिए चुने गए 49 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की सूची

क्रम सं.	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का नाम	प्रायोजक बैंक	राज्य
1	2	3	4
1.	सरयू ग्रामीण बैंक	इलाहाबाद बैंक	उत्तर प्रदेश
2.	भगीरथ ग्रामीण बैंक	इलाहाबाद बैंक	उत्तर प्रदेश
3.	विंध्यावासिनी ग्रामीण बैंक	इलाहाबाद बैंक	उत्तर प्रदेश
4.	शारदा ग्रामीण बैंक	इलाहाबाद बैंक	मध्य प्रदेश
5.	गोदावरी ग्रामीण बैंक	आन्ध्रा बैंक	आन्ध्र प्रदेश
6.	सूरत भरूच ग्रामीण बैंक	बैंक आफ बड़ौदा	गुजरात
7.	वलसाड डांगस ग्रामीण बैंक	बैंक आफ बड़ौदा	गुजरात

क्रम सं.	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का नाम	प्रायोजक बैंक	राज्य
1	2	3	4
8.	भीलवाड़ा अजमेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	बैंक आफ बड़ौदा	राजस्थान
9.	अवध ग्रामीण बैंक	बैंक आफ इंडिया	उत्तर प्रदेश
10.	फरूखाबाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	बैंक आफ इंडिया	उत्तर प्रदेश
11.	ठाणे ग्रामीण बैंक	बैंक आफ महाराष्ट्र	महाराष्ट्र
12.	औरंगाबाद जालना ग्रामीण बैंक	बैंक आफ महाराष्ट्र	महाराष्ट्र
13.	साऊथ मालाबार ग्रामीण बैंक	केनरा बैंक	केरल
14.	तुंगभद्रा ग्रामीण बैंक	केनरा बैंक	कर्नाटक
15.	गोपालगंज क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	बिहार
16.	सीवान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	बिहार
17.	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, होशंगाबाद	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	मध्य प्रदेश
18.	दुर्ग राजनंदगांव ग्रामीण बैंक	देना बैंक	मध्य प्रदेश
19.	कंकदुग ग्रामीण बैंक	इंडियन बैंक	आन्ध्र प्रदेश
20.	वल्लार ग्राम बैंक	इंडियन बैंक	तमिलनाडु
21.	जम्मू ग्रामीण बैंक	जम्मू एंड कश्मीर बैंक लि.	जम्मू एंड कश्मीर
22.	हिमाचल ग्रामीण बैंक	पंजाब नैशनल बैंक	हिमाचल प्रदेश
23.	मगध ग्रामीण बैंक	पंजाब नैशनल बैंक	बिहार
24.	भोजपुर रोहतास ग्रामीण बैंक	पंजाब नैशनल बैंक	बिहार
25.	शेखावती रोहतास ग्रामीण बैंक	पंजाब नैशनल बैंक	राजस्थान
26.	फरीदकोट भंटिडा ग्रामीग बैंक	पंजाब एण्ड सिंध बैंक	पंजाब
27.	श्री राम ग्रामीण बैंक	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	आन्ध्र प्रदेश

क्रम सं.	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का नाम	प्रायोजक बैंक	राज्य
1	2	3	4
28.	श्री सथवाहना ग्रामीण बैंक	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	आन्ध्र प्रदेश
29.	बस्ती ग्रामीण बैंक	भारतीय स्टेट बैंक	उत्तर प्रदेश
30.	गोरखपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	भारतीय स्टेट बैंक	उत्तर प्रदेश
31.	बुंदेलखंड क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	भारतीय स्टेट बैंक	मध्य प्रदेश
32.	कोरापत पंचवटी ग्राम्य बैंक	भारतीय स्टेट बैंक	उड़ीसा
33.	अरुणाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक	भारतीय स्टेट बैंक	अरुणाचल प्रदेश
34 .	काबैंक नोंगकिंगडोंग रि कासी जैंता ग्रामीण बैंक	भारतीय स्टेट बैंक	मेघालय
35.	नागालैंड ग्रामीण बैंक	भारतीय स्टेट बैंक	नागालैंड
36.	मिजोरम ग्रामीण बैंक	भारतीय स्टेट बैंक	मिजोरम
37.	मलप्रभा ग्रामीण बैंक	सिंडिकेट बैंक	कर्नाटक
38.	बीजापुर ग्रामीण बैंक	सिंडिकेट बैंक	कर्नाटक
39.	गुड़गांव ग्रामीण बैंक	सिंडिकेट बैंक	हरियाणा
40.	प्रथमा बैंक	सिंडिकेट बैंक	उत्तर प्रदेश
41.	कटक ग्राम्य बैंक	यूको बैंक	उड़ीसा
42.	मुंगेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	यूको बैंक	बिहार
43.	वर्धमान ग्रामीण बैंक	यूको बैंक	पश्चिम बंगाल
44.	हावड़ा ग्रामीण बैंक	यूको बैंक	पश्चिम बंगाल
45.	जयपुर नागौर आंचलिक ग्रामीण बैंक	यूको बैंक	राजस्थान
46.	रीवा सिधि ग्रामीण बैंक	यूनियन बैंक आफ इंडिया	मध्य प्रदेश

क्रम सं.	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का नाम	प्रायोजक बैंक	राज्य
1	2	3	4
47.	सम्युत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	यूनियन बैंक आफ इंडिया	उत्तर प्रदेश
48.	प्रागज्योतिश गोनलिया बैंक	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	असम
49.	मणिपुर ग्रामीण बैंक	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	मणिपुर

विवरण-II

31 मार्च, 1994 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लाभ और हानि के आंकड़ों का विवरण

क्रम सं.	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का नाम	लाभ/हानि	संचित हानियां
1.	गुड़गांव ग्रामीण बैंक	(-)134.04	471.85
2.	हिमाचल ग्रामीण बैंक	(-) 282.56	671.34
3.	जम्मू ग्रामीण बैंक	(-) 410.54	810.11
4.	फरीदकोट भंटिडा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	8.12	
5.	शेखावती ग्रामीण बैंक	(-) 328.48	1371.83
6.	जयपुर नागौर आंचलिक ग्रामीण बैंक	(-) 189.70	648.94
7.	भीलवाड़ा-अजमेर क्षेत्रीय बैंक	(-) 144.51	194.78
8.	अरुणाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक	(-) 27.69	112.17
9.	प्रागज्योतिश गोंलिया बैंक	(-) 573.57	1105.93
10.	मणिपुर ग्रामीण बैंक	(-) 96.96	350.79
11.	काशी जेनितिया ग्रामीण (का बैंक)	122.31	9.95
12.	मिजोरम ग्रामीण बैंक	(-) 67.46	398.28
13.	नागालैंड ग्रमीण बैंक	(-) 28.86	99.34

क्रम सं.	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का नाम	लाभ/हानि	संचित हानियां
14.	सीवान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	(-) 98.81	248.04
15.	मगध ग्रामीण बैंक	(-) 197.15	184.68
16.	गोपालगंज क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	(-) 77.97	148.67
17.	मुंगेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	(-)557.92	586.38
18.	भोजपुर रोहतास ग्रामीण बैंक	(-) 79-37	
19.	कटक ग्रामीण बैंक	(-) 350.23	1195.55
20.	कोरापुत पंचवटी ग्रामीण बैंक	(-)117.31	
21.	वर्धमान ग्रामीण बैंक	(-)163.17	307.78
22.	हावड़ा ग्रामीण बैंक	(-)47.89	155.24
23.	दुर्ग राजनंदगांव ग्रामीण बैंक	(-)279.09	965.79
24.	बुंदेलखंड क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	(-)402.74	1063.59
25.	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होशंगाबाद	(-)1234.18	695.54
26.	शारदा ग्रामीण बैंक	(-)164.91	581.85
27.	रीवा सिधी ग्रामीण बैंक	(-)38.51	55.42
28.	प्रथमा बैंक	84.28	285.71
29.	अवध ग्रामीण बैंक	128.25	
30.	सरयू ग्रामीण बैंक	36.71	14.73
31.	विंध्यावासिनी ग्रामीण बैंक	18.47	
32.	गोरखपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	927.58	
33.	फर्रुखाबाद ग्रामीण बैंक	39.55	
34.	भगीरथ ग्रामीण बैंक	219.53	

क्रम सं.	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का नाम	लाभ/हानि	संचित हानियां
35.	बस्ती ग्रामीण बैंक	25.04	
36.	सम्युत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	222.80	
37.	सूरत भरुच ग्रामीण बैंक	(-)60.85	298.43
38.	वलसाड डांगस ग्रामीण बैंक	(-) 22.09	156.03
39.	औरंगाबाद जालना ग्रामीणबैंक	(-)91.54	241.96
40.	ठाणे ग्रामीण बैंक	(-)9.11	46.32
41.	श्री सथवाहना ग्रामीण बैंक	(-)45.00	73.06
42.	श्रीराम ग्रामीण बैंक	39.20	
43.	कनकडुगरा ग्रामीण बैंक	5.03	
44.	गोदावरी ग्रामीण बैंक	21.62	
45.	बीजापुर ग्रामीण बैंक	(-) 37.37	275.85
46.	मलप्रभा ग्रामीण बैंक	10.87	227.20
47.	तुंगभद्रा ग्रामीण बैंक	64.94	
48.	साऊथ मालाबार ग्रामीण बैंक	125.31	
49.	बल्लालार ग्रामीण बैंक	(-) 16.01	64.61

बैंकों को बन्द किया जाना

3742. **डा. परशुराम गंगवार** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1994 के दौरान बन्द किए गए बैंकों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इनमें से प्रत्येक बैंक को बंद किए जाने के क्या कारण थे;

(ग) इन बैंकों के खाताधारियों की जमा राशियों को किस प्रकार और कब तक वापस भुगतान कर दिया जायेगा; और

(घ) सेठ काशीनाथ बैंक लिमिटेड, शाहजहांपुर अपना कारोबार कब से शुरु कर देगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि वर्ष 1994 के दौरान कोई बैंक बन्द नहीं किया गया है।

(ख) और (ग). ये सवाल पैदा ही नहीं होते।

(घ) एक कारोबार समूह द्वारा काशीनाथ सेठ बैंक लि., शाहजहांपुर का अधिग्रहण करने का अद्यतन प्रस्ताव अभी तक कार्यान्वित नहीं हुआ है और इस प्रकार वह समय बताना संभव नहीं होगा, जब बैंक कारोबार करना शुरु कर देगा।

[अनुवाद]

दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ व्यापार संबंध

3743. प्रो. रासासिंह रावत : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार के पास दक्षिण पूर्व एशियाई देशों सहित विकसित देशों के साथ व्यापर संबंध स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख). केन्द्रीय सरकार ने विकसित देशों के साथ-साथ दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ पहले ही व्यापार संबंध स्थापित किया है। सरकार यह देखने का प्रयत्न कर रही है पहले से ही स्थापित व्यापार संबंधों को और अधिक सुदृढ़ किया जाए। इसके लिए संयुक्त व्यापार समितियों, संयुक्त मंत्री स्तरीय आयोगों की संस्थागत व्यवस्था तथा सरकारी एवं व्यापार दोनों स्तरों पर द्विपक्षीय व्यापार के बारे में विचार विमर्श किये जा रहे हैं।

[हिन्दी]

भारत और किर्गिस्तान के बीच विमान सम्पर्क

3744. श्री पंकज चौधरी :
श्री राम पाल सिंह :
श्री महेश कनोडिया :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और किर्गिस्तान के बीच सीधी उड़ान शुरू करने का निर्णय लिया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दोनों देशों के बीच सीधी उड़ानें कब तक शुरू किये जाने का विचार है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख). यद्यपि भारत और किर्गिस्तान ने पहले ही हवाई सेवा करार पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, तथापि, अपर्याप्त यातायात संभाव्यता के कारण दोनों देशों के बीच अनुसूचित हवाई सेवाएं आरंभ करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है। फिर भी, वर्तमान उदारीकरण नीति के अधीन, आवश्यकता के आधार पर, पर्यटक चार्टर तथा मालवाही सेवाएं प्रचालित की जा सकती हैं।

[अनुवाद]

कपास संसाधन एकक

3745. श्री सी. श्रीनिवासन : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कपास संसाधन एककों में कपास ओटाई सुविधा विशेष रूप से लघु क्षेत्र एकक अपर्याप्त एवं अनुपयुक्त है; और

(ख) यदि हां, तो अच्छी गुणवत्ता वाले सूती धागों के उत्पादन के लिए इन एककों को व्यापक औटाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

वस्त्र मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) और (ख). कपास की अच्छी ओटाई के लिए कपास ओटाई सुविधाओं में सुधार करने की आवश्यकता है। हाल ही में सरकार ने एक रिपोर्ट तैयार करवाई है जिसके अनुसार यह मुख्यत: कम प्रशिक्षित कामगारों तथा घटिया ओटाई पद्धतियों तथा कुछ हद तक अप्रचलित मशीनों के कारण हैं। इन्हें उद्योग में वांछित प्रक्रियाओं को अपनाने तथा आधुनिकीकरण के द्वारा दूर किया जा सकता है।

विमानचालक दल का निलंबन

3746. श्री हरि किशोर सिंह : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फरवरी, 1995 के दौरान विमान चालक दल के सदस्यों का निलंबन किये जाने के कारण एयर इंडिया को कोई घाटा हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख). केबिन क्रू द्वारा आंदोलन करने पर उड़ानों में व्यवधान आने और उन्हें रद्द करने के कारण एयर इंडिया को 51.47 लाख रुपए की निवल हानि हुई है।

कृषि आधारित उद्योगों को सहायता

3747. श्रीमती दिल कुमारी भंडारी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान "नाबार्ड" द्वारा कृषि आधारित उद्योगों के विकास के लिए प्रदान की गई वित्तीय सहायता का वर्षवार एवं राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या नाबार्ड का सिक्किम को चालू वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य में कृषि आधारित उद्योगों के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति): (क) कृषि पर आधारित उद्योंगों का विकास करने के लिए 1992-93 और 1993-94 के दौरान राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सहायता का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। वर्ष 1994-95 का ब्यौरा अभी एकत्र किया जाना है।

(ख)से (घ). नाबार्ड ने सूचित किया है कि उसने सिक्किम राज्य के लिए पुनर्वित्त का कोई आबंटन नहीं किया है, क्योंकि राज्य में किसी भी बैंक से कृषि पर आधारित उद्योगों के वित्तपोषण/स्थापना के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। अलबत्ता, यदि इस प्रकार का कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है तो नाबार्ड उस पर परियोजना की तकनीकी व्यवहार्यता और वित्तीय अर्थक्षमता को ध्यान में रखते हुए गुण-दोषों के आधार पर विचार करेगा।

विवरण

कृषि आधारित उद्योगों के विकास के लिए 1992-93 और 1993-94 के दौरान नाबार्ड द्वारा उपलब्ध कराये गये वित्तीय सहायता का राज्यवार ब्यौरा

(लाख रु.)

	राज्य	1992-93	1993-94
1.	जम्मू और कश्मीर	35.813	8.767
2.	पंजाब	5.334	35.262
3.	हिमाचल प्रदेश	-	1.691
4.	हरियाणा	119.376	447.382
5.	राजस्थान	78.785	-
6.	मध्य प्रदेश	23.474	54.518
7.	उत्तर प्रदेश	77.515	199.059
8.	गुजरात	300.431	451.211
9.	महाराष्ट्र	261.171	328.216
10.	गोवा	0.797	3.646
11.	आन्ध्र.प्रदेश	133.061	197.125
12.	कर्नाटक	359.800	813.723
13.	केरल	502.623	681.381

(लाख रु.)

	राज्य	1992-93	1993-94
14.	तमिलनाडु	194.197	513.081
15.	पाण्डिचेरी	-	12.64
16.	उड़ीसा	6.91	25.437
17.	बिहार	67.856	76.889
18.	पश्चिम बंगाल	325.103	311.928
19.	सिक्किम	-	0.500
20.	असम	1.26	18.982
21.	मणिपुर	2.135	11.722
22.	मेघालय	-	2.121
23.	मिजोरम	-	2.75
24.	नागालैण्ड	2.3	1.0
25.	दादरा हवेली	1.38	0.51
		2498.061	4399.542

नारियल के तेल पर उत्पादन शुल्क

3748. **श्रीमती गीता मुखर्जी:**
प्रो. के. वी. थामस:
श्री लोकनाथ चौधरी:
श्री के. मुरलीधरण:
श्रीमती सुशीला गोपालन:
श्री पी. सी. थामस:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नारियल **के तेल** और नारियल तेल उत्पादों पर उत्पादन शुल्क लगाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या केरल के नारियल उत्पादकों ने सरकार के इस कदम का विरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) जी नहीं, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, बाजार में विभिन्न पैकिंग साइजों में बिकने वाले नारियल तेल के सही वर्गीकरण का मामला, कुछ समय से विचाराधीन है। इस संबंध में विभिन्न व्यक्तियों से प्राप्त कुछेक पत्रों पर विचार किया जा रहा है।

गांजा और अफीम

374. श्री सुकदेव पासवान : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में गांजा और अफीम की मांग के संबंध में कोई व्यापक सर्वेक्षण कराया है;

(ख) क्या बिहार, उत्तर प्रदेश और कुछ अन्य राज्यों में शराब की खपत बढ़ने के साथ-साथ गांजा, अफीम और भांग की मांग में वृद्धि हो रही है;

(ग) क्या मांग पूरी करने हेतु पड़ोसी देशों से इन नशीले पदार्थों को बड़े स्तर पर तस्करी द्वारा देश में लाया जाता है;

(घ) क्या सरकार का विचार नेपाल के तराई क्षेत्र उत्तर बिहार के पूर्णिया और अराड़ी जिलों में अफीम और गांजे की खेती करने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) सरकार ने देश में गांजा/भांग और अफीम की मांग के संबंध में ऐसा कोई व्यापक सर्वेक्षण नहीं कराया है। कल्याण मंत्रालय द्वारा निधिबद्ध परामर्शदायी तथा अव्यसन केन्द्रों के आंकड़ों के आधार पर वर्ष 1992-93 तथा 1993-94 के दौरान देश में तथा बिहार एवं उत्तर प्रदेश में अफीम, गांजा/भांग की खपत के मामलों की संख्या नीचे दी गई है:-

	1992-93		1993-94	
	अफीम	गांजा/भांग	अफीम	गांजा/भांग
बिहार	3567	1922	3542	2511
उत्तर प्रदेश	5771	3110	5359	3799
भारत	45118	24315	41670	29527

(ग) स्वापक औषधों की नेपाल तथा अन्य पड़ोसी देशों से हमारे देश में तस्करी होती है। भारत में गोल्डन क्रिसेंट की निकटता के कारण इंडो-पाक सीमा तथा गोल्डन ट्रायंगल के कारण इंडो-म्यांमार सीमा क्षेत्र देश में औषध अवैध व्यापार के लिए संवेदनशील है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) लाइसेंस युक्त अफीम पोस्त की खेती उत्तर प्रदेश, राजस्थान तथा मध्य प्रदेश आदि तीन राज्यों में स्वापकों की देशीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय मांग को पूरा करने के लिए कड़ी लाइसेंसयुक्त शर्तों पर की जाती है। नए राज्यों में इस खेती का विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि स्वापकों की वैद्य मांग की पूर्ति के लिए वर्तमान व्यवस्था पर्याप्त है।

भांग (जिससे गांजे का उत्पादन होता है) की खेती, चिकित्सा तथा वैज्ञानिक उद्देश्य के अलावा एन. डी. पी. एस. एक्ट के अंतर्गत निषिद्ध है। चिकित्सा तथा वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए भांग की खेती के लिए अनुमति तथा अधिकार राज्य सरकार प्रदान करती है।

बिजलीकरघा बुनकर सहकारी समितियाँ

3750. श्री पी. पी. कालिया पेरूमल : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार राज्य सरकारों को बिजलीकरघा बुनकर सहकारी समितियों की स्थापना हेतु सहायता प्रदान करती हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तमिलनाडु में बिजलीकरघा बुनकर सहकारी समितियों की स्थापना हेतु गत तीन वर्षों के दौरान विशेष 'कंपोनेंट' योजना के अन्तर्गत दी गयी केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन समितियों के नाम क्या हैं जिन्हें राज्य में उपरोक्त अवधि के दौरान केन्द्रीय सहायता प्रदान की गयी थी ?

वस्त्र मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

राज्य व्यापार निगम द्वारा कर्षित तेल का निर्यात

3751. **श्री प्रमथेश मुखर्जी :** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1993-94 और 1994-95 के दौरान कुल कितने कर्षित तेल का निर्यात किया गया;

(ख) इसी अवधि के दौरान स्वदेशी बाजार में कर्षित तेल की कुल कितनी बिक्री हुई;

(ग) क्या उपर्युक्त सौदों में राज्य व्यापार निगम को कोई लाभ हुआ है;

(घ) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं तथा सौदों में हुई हानि का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या उपर्युक्त सौदों में हुई हानि के लिए सरकार ने किसी को उत्तरदायी ठहराया है, अथवा इस बारे में कोई जांच करवायी है;

(छ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ज) इस दिशा में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) एस. टी. सी. द्वारा वर्ष 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान किए गए खली के निर्यात की कुल मात्रा नीचे दी गयी है:-

1993-94	1,21,069 मी. टन
1994-95	48,174 मी. टन (अनंतिम)

(ख) एस. टी. सी. द्वारा वर्ष 1993-94 तथा 1994-95 में घरेलू बाजार में बेची गयी खली की कुल मात्री नीचे दी गयी है:-

1993-94	8156 मी. टन
1994-95	5777 मी. टन (अनंतिम)

(ग) से (ङ). एस.टी.सी. को वर्ष 1993-94 के दौरान उपरोक्त कारोबार में 0.97 करोड़ रु. का घाटा हुआ। यह व्यापार घाटा घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तिलहनों, तेलों एवं खली की कीमतों में निरन्तर परिवर्तनशीलता के कारण हुआ है। वर्ष 1994-95 के परिणाम संकलित किए जा रहे हैं।

(च) से (ज). लाभ और हानि बाजार की स्थिति के आधार पर तय की जाती है। इसलिए हरेक मामले में जांच करने की जरूरत नहीं है। तथापि, एस टी सी ने सूचित किया है कि इस मामले में की गयी आन्तरिक जांच के आधार पर यह बात जाहिर नहीं हुई कि इसमें निगम के अधिकारियों की कोई गलत मंशा रही हो। तथापि, प्राप्त अनुभव के आधार पर कार्यचालन की दक्षता बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों द्वारा किया गया व्यापार

3752. **डा. अमृतलाल कालिदास पटेल :** क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा चलाये जा रहे होटलों ने विगत दो वर्षों के दौरान अपने व्यापार में वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) भारत पर्यटन विकास निगम के उन होटलों के नाम क्या हैं जिन्होंने वर्ष 1994-95 के दौरान अपनी क्षमता के 90 प्रतिशत से अधिक का उपयोग किया है; और

(घ) गुजरात में भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों के विकास हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख). जी, हां। भारत पर्यटन विकास निगम के होटल प्रभाग के कारोबार में 18 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो वर्ष 1993-94 में 114.45 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 1994-95 में 135.03 करोड़ रु. (अनन्तिम आंकड़े) हो गया है। इसी तरह उक्त समयावधि के दौरान मुनाफा भी 136.2 प्रतिशत तक बढ़ गया है जो 8.28 करोड़ रू. से बढ़कर 19.56 करोड़ रु. (अनन्तिम आंकड़े) हो गया है।

(ग) वर्ष 1994-95 के दौरान भारत पर्यटन विकास निगम का कोई होटल भी अपनी क्षमता का 90 प्रतिशत का उपयोग नहीं कर पाया है।

(घ) भारत पर्यटन विकास निगम की वर्ष 1995-96 की वार्षिक योजना में गुजरात राज्य में होटलों के निर्माण के लिए कोई विशिष्ट योजनागत स्कीम/प्रावधान करने पर विचार नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

बीड़ी मजदूर

3753. श्री सी. पी. मुदाल गिरियप्पा:
श्री वी. कृष्णा राव:
श्री के. जी. शिवप्पा:

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूरे देश में बीड़ी मजदूर बीड़ी उद्योग में कार्यरत मजदूरों का मूल वेतन प्रति एक हजार बीड़ी 50 रुपये निर्धारित करने की मांग कर रहे हैं;

(ख) क्या उन्होंने आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम वेतन का विनिश्चय करने हेतु विशेष समिति की नियुक्ति से पूर्व 1300 प्वाइंट (वर्ष 1960 को आधार मानकर) से ऊपर प्रति प्वाइंट 5 पैसे की दर से महंगाई भत्ता देने की मांग भी की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) से (ग). 1000 बीड़ियां लपेटने हेतु 50 रुपये की न्यूनतम राष्ट्रीय मजदूरी नियत करने की मांग करते हुए अखिल भारतीय बीड़ी सिगार और तंबाकू कर्मकार परिसंघ ने एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था। परिसंघ ने सूचकांक संख्या में प्रति एक अंक वृद्धि हेतु 10 पैसे की दर पर मंहगाई भत्ते के भुगतान में एकरूपता लाने और महंगाई भत्ते का आकलन अर्द्ध वार्षिक रूप से किये जाने की भी मांग की।

[अनुवाद]

कार बीमा प्रीमियम

3754. डा. रामकृष्ण कुसमरिया : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बीमा कम्पनियों द्वारा कार बीमा प्रीमियम में 200 प्रतिशत की वृद्धि किये जाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कम बीमा प्रीमियम ही बीमा कम्पनियों के घाटे का एक मात्र कारण है; और

(घ) यदि नहीं, तो व्यवस्था में सुधार न लाने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति): (क) से (घ). भारतीय साधारण बीमा निगम ने सूचित किया है कि मोटर प्रीमियम के अपर्याप्त होने; सड़क दुर्घटनाओं की बारम्बारता में वृद्धि होने; न्यायालयों द्वारा दिए गए तृतीय पक्षीय दावों के अधिनिर्णयों में वृद्धि होने; अतिरिक्त पुर्जों और श्रम प्रभारों की लागतों में वृद्धि होने और हाल ही में मोटर वाहन अधिनियम में किए गए संशोधनों के कारण जिसमें "नो-फाल्ट-लायबिलिटी, हिट एंड रन" दावों के अन्तर्गत देय मुआवजों में वृद्धि किए जाने और एक व्यवस्थित मुआवजा फार्मूले आदि को लागू किए जाने के कारण साधारण बीमा उद्योग मोटर पोर्टफोलियो में भारी नुकसान उठा रहा है। बीमा अधिनियम, 1938 के अन्तर्गत स्थापित एक सांविधिक निकाय - टैरिफ सलाहकार समिति यदि बीमा उद्योग में अनुभव किए जा रहे प्रतिकूल दावों के आधार पर इस प्रकार की वृद्धि करने की सिफारिश करेगी तभी साधारण बीमा उद्योग मोटर टैरिफ में वृद्धि कर सकता है। टैरिफ सलाहकार समिति इस विषय को पूर्णतया समझती है। टैरिफ सलाहकार समिति की सिफारिशों के आधार पर साधारण बीमा उद्योग उपयुक्त समय पर मोटर टैरिफ को युक्तियुक्त बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाएगा।

यू. टी. आई. बैंक लिमिटेड

3755. श्री गुरदास कामत: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यू. टी. आई. बैंक लिमिटेड ने फुटकर खातों के न्यूनतम आवश्यकर जमा राशि को कम कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह सवाल ही नहीं उठता।

पंजीकृत बेरोजगार

3756. श्री बसुदेव आचार्य:
प्रो. सुशान्त चक्रवर्ती:
श्री एन. डेनिस :
श्री हाराधन राय:
डा. लाल बहादुर रावल:
मेजर डी. डी. खनोरिया:
श्री संदीपन भगवान थोरात:
श्री हरि केवल प्रसाद:

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष विभिन्न रोजगार कार्यालयों में राज्य-वार, श्रेणी-वार, लिंग-वार और शैक्षिक योग्यता-वार पंजीकृत बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या कितनी है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान कितने बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार कार्यालयों के माध्यम से नौकरियाँ उपलब्ध कराई गई; और

(ग) सरकार ने बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

श्रम मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) देश में वर्ष 1992, 1993 तथा 1994 में रोजगार कार्यालयों द्वारा की गई नियुक्तियों की संख्या क्रमश: 238.7, 231.4 तथा 204.9 हजार थी।

(ग) आठवीं योजना में रोजगार पर विशेष बल दिया गया है।

विवरण

वर्ष 1992, 1993 तथा 1994 के अंत में रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर रोजगार चाहने वालों की संख्या

(हजार में)

राज्य/संघ शासित प्रदेश		1992							
		योग	पुरुष	महिलाएं	अ.जा.	अ.ज.जा.	अवर स्नातक	स्नातक	परा स्नातक
1		2	3	4	5	6	7	8	9
राज्य									
1.	आंध्र प्रदेश	3330.9	2803.5	527.4	406.6	81.8	1636.5	280.9	28.4
2.	अरुणाचल प्रदेश	5.3	3.7	1.5	**	0.5	0.2	**	**
3.	असम	1365.1	1880.5	284.7	74.9	143.5	692.5	88.0	4.3
4.	बिहार	3486.8	3259.8	227.0	381.2	203.6	1818.1	341.9	17.6
5.	गोवा	108.2	74.7	33.5	1.1	**	69.7	11.4	0.7
6.	गुजरात	1027.0	891.0	136.0	174.9	91.2	602.2	66.4	8.2
7.	हरियाणा	653.7	549.3	104.4	107.4	**	352.0	59..6	7.8
8.	हिमाचल प्रदेश	472.4	364.6	107.9	84.7	13.6	275.9	32.0	13.0
9.	जम्मू और कश्मीर	130.7	110.3	20.4	8.0	0.3	35.0	10.6	3.3
10.	कर्नाटक	1501.8	1189.9	311.9	173.5	24.1	814.6	127.7	22.0
11.	केरल	3826.1	1924.0	1902.1	325.5	18.3	2103.8	160.9	34.0
12.	मध्य प्रदेश	1962.5	1704.7	277.7	258.2	176.1	1184.8	179.9	53.5

	राज्य/संघ शासित प्रदेश	1992							
		योग	पुरुष	महिलाएं	अ.जा.	अ.ज.जा.	अवर स्नातक	स्नातक	परा स्नातक
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13.	महाराष्ट्र	3320.7	2786.4	532.3	518.6	109.1	1975.9	245.0	25.4
14.	मणिपुर	212.9	154.6	58.3	1.6	53.2	118.5	24.5	1.4
15.	मेघालय	24.9	15.5	9.4	0.2	17.6	9.5	1.7	0.1
16.	मिजोरम	36.3	27.6	8.7	–	36.3	12.7	2.1	0.2
17.	नागालैंड	20.7	14.4	6.2	1.1	20.6	9.0	1.4	0.1
18.	उड़ीसा	896.9	771.0	125.9	114.3	74.0	419.8	125.3	8.0
19.	पंजाब	721.5	563.1	158.4	196.1	**	355.7	93.6	17.4
20.	राजस्थान	864.7	779.9	84.8	121.5	54.0	400.8	131.2	16.0
21.	सिक्किम*								
22.	तमिलनाडु	3736.7	2613.4	1123.4	748.1	12.1	1776.2	402.1	47.3
23.	त्रिपुरा	179.7	120.2	59.5	10.8	12.3	46.9	9.5	1.6
24.	उत्तर प्रदेश	2534.7	2333.1	201.6	474.4	10.4	1429.6	291.6	72.5
25.	पश्चिम बंगाल	5091.2	4015.7	1075.5	437.2	79.2	2356.2	527.6	46.4
संघ शासित प्रदेश									
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	17.0	11.8	5.2	–	0.7	6.8	1.6	0.2
27.	चंडीगढ़	161.9	128.9	33.1	42.3	0.1	67.6	21.2	3.4
28.	दादर और नगर हवेली	2.9	2.1	0.8	0.2	0.9	1.0	0.2	@
29.	दिल्ली	905.5	711.6	193.9	129.8	16.6	465.7	202.6	20.0

राज्य/संघ शासित प्रदेश		1992							
		योग	पुरुष	महिलाएं	अ.जा.	अ.ज.जा.	अवर स्नातक	स्नातक	परा स्नातक
1		2	3	4	5	6	7	8	9
30.	दमन और दीव	2.5	1.9	0.5	0.2	0.3	1.3	0.3	0.1
31.	लक्षद्वीप	6.9	5.4	1.5	-	6.4	1.6	**	@
32.	पांडिचेरी	130.4	91.0	39.5	9.5	0.1	61.5	9.6	2.0
	योग	36750.4	29105.5	7652.9	4801.9	1256.5	19101.2	3450.0	455.0

टिप्पणी:- 1. * राज्य में कोई रोजगार कार्यालय नहीं है।
2. ** आंकड़े 50 से कम।
3. हो सकता है कि पूर्णांकों के कारण आंकड़े योग से मेल न खायें।
4. रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर सभी रोजगार चाहने वाले आवश्यक नहीं कि बेरोजगार हों।

राज्य/संघ शासित प्रदेश		1993							
		योग	पुरुष	महिलाएं	अ.जा.	अ.ज.जा.	अवर स्नातक	स्नातक	परा स्नातक
1		2	3	4	5	6	7	8	9
राज्य									
1.	आंध्र प्रदेश	2996.6	2495.8	500.8	399.4	70.9	1672.6	320.2	30.4
2.	अरुणाचल प्रदेश	7.7	5.5	2.3	**	0.4	0.2	**	@
3.	असम	1377.0	1089.0	228.0	75.3	140.0	705.7	88.6	3.8
4.	बिहार	3339.03	3116.3	223.0	379.7	242.8	1870.1	366.1	20.2
5.	गोवा	116.3	79.4	36.9	1.4	**	73.1	11.7	0.7
6.	गुजरात	973.6	840.8	132.8	172.2	93.6	561.8	60.2	10.6
7.	हरियाणा	676.3	567.6	108.8	110.3	**	364.0	58.6	9.0
8.	हिमाचल प्रदेश	182.6	372.2	110.6	90.3	13.9	288.8	32.5	12.9

राज्य/संघ शासित प्रदेश		1993							
		योग	पुरुष	महिलाएं	अ.जा.	अ.ज.जा.	अवर स्नातक	स्नातक	परा स्नातक
1		2	3	4	5	6	7	8	9
9.	जम्मू और कश्मीर	137.8	114.1	23.7	8.6	0.5	43.8	14.3	4.3
10.	कर्नाटक	1575.4	1245.0	330.5	187.5	28.3	835.8	172.5	25.6
11.	केरल	4171.0	2075.3	2095.7	393.6	20.1	2501.9	177.5	37.2
12.	मध्य प्रदेश	1939.6	1664.0	275.6	273.8	190.0	1189.6	185.2	60.8
13.	महाराष्ट्र	3349.4	2790.0	559.3	536.6	118.9	2032.9	241.4	28.5
14.	मणिपुर	229.9	166.9	63.0	1.8	54.1	126.9	26.2	1.5
15.	मेघालय	27.6	17.0	10.6	0.3	18.7	10.5	1.8	0.1
16.	मिजोरम	39.9	30.0	9.9	–	38.8	14.6	2.2	0.1
17.	नागालैंड	20.7	14.6	6.0	1.1	19.5	10.7	1.6	0.1
18.	उड़ीसा	857.8	731.8	126.0	117.1	73.4	402.6	127.1	8.4
19.	पंजाब	545.8	503.0	142.8	181.3	**	332.0	86.4	14.7
20.	राजस्थान	828.7	744.0	84.7	127.3	57.8	374.9	133.8	16.6
21.	सिक्किम*								
22.	तमिलनाडु	3860.0	2691.9	1168.1	804.4	13.9	1923.0	384.1	60.8
23.	त्रिपुरा	189.2	125.2	64.0	12.0	13.9	44.0	9.3	1.4
24.	उत्तर प्रदेश	2379.6	2187.4	192.2	454.0	9.8	1333.5	272.2	65.6
25.	पश्चिम बंगाल	4815.1	3786.9	1028.1	456.2	86.8	2322.3	519.1	48.1

राज्य/संघ शासित प्रदेश		1993							
		योग	पुरुष	महिलाएं	अ.जा.	अ.ज.जा.	अवर स्नातक	स्नातक	परा स्नातक
1		2	3	4	5	6	7	8	9
संघ शासित प्रदेश									
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	18.8	12.6	6.1	-	0.7	6.8	1.6	0.2
27.	चंडीगढ़	161.6	128.5	33.2	41.9	0.1	66.4	20.9	3.4
28.	दादरा और नगर हवेली	3.5	2.6	1.0	0.2	0.9	1.0	0.2	**
29.	दिल्ली	908.0	711.0	197.0	138.7	18.6	469.5	205.4	19.9
30.	दमन और दीव	3.0	2.3	0.7	0.2	0.3	0.8	0.3	**
31.	लक्षद्वीप	7.9	6.1	1.9	-	6.4	1.6	**	**
32.	पांडिचेरी	135.5	93.3	42.2	10.0	**	66.5	10.0	2.1
	योग	36275.5	28410.2	7865.3	4975.2	1333.2	19647.9	3531.5	487.0

टिप्पणी 1.* राज्य में कोई रोजगार कार्यालय नहीं है।

2. **आंकड़े 50 से कम।

3. हो सकता है कि पूर्णांकों के कारण आंकड़े योग से मेल न खायें।

4. रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर सभी रोजगार चाहने वाले आवश्यक नहीं कि बेरोजगार हों।

5. वर्ष 1993 के लिये अवर स्नातक, स्नातक तथा परा-स्नातकों के आंकड़े अनंतिम हैं।

(हजार में)

राज्य/ संघ शासित प्रदेश		1994			
		कुल	पुरूष	महिला	
1.		2.	3.	4.	
राज्य					
1.	आन्ध्र प्रदेश	2828.6	2348.9	479.6	* वर्ष 1994 हेतु श्रेणीवार एवं योग्यतावार ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।
2.	अरुणाचल प्रदेश	10.6	7.4	3.1	
3.	असम	1276.3	1014.9	261.4	

राज्य/ संघ शासित प्रदेश		1994		
		कुल	पुरूष	महिला
1.		2.	3.	4.
4.	बिहार	3701.0	3452.7	248.2
5.	गोबा	114.8	77.3	37.5
6.	गुजरात	906.3	777.2	129.1
7.	हरियाणा	663.2	549.4	113.8
8.	हिमाचल प्रदेश	534.4	407.4	126.9
9.	जम्मू और कश्मीर	138.2	114.8	23.4
10.	कर्नाटक	1662.3	1311.6	350.7
11.	केरल	4185.5	2065.1	2120.5
12.	मध्य प्रदेश	2035.6	1754.6	281.0
13.	महाराष्ट्र	3437.6	2836.8	600.8
14.	मणिपुर	253.9	187.0	67.0
15.	मेघालय	27.2	16.7	10.5
16.	मिज़ोरम	42.6	31.3	11.3
17.	नागालैण्ड	21.3	14.2	7.0
18.	उड़ीसा	861.4	725.3	136.0
19.	पंजाब	564.6	435.7	128.9
20.	राजस्थान	806.9	725.6	81.3
21.	सिक्किम*	-	-	-
22.	तमिलनाडु	3667.8	2532.7	1135.1

राज्य/ संघ शासित प्रदेश		1994		
		कुल	पुरूष	महिला
1.		2.	3.	4.
23.	त्रिपुरा	194.6	128.8	65.8
24.	उत्तर प्रदेश	2356.6	2139.0	217.6
25.	पश्चिम बंगाल	5093.0	3987.9	1105.1
संघ शासित प्रदेश				
26.	अडंमान एवं निकोबार द्वीप समूह	19.8	12.9	6.9
27.	चंडीगढ़	157.2	125.3	31.9
28.	दादरा और नगर हवेली	4.0	2.9	1.1
29.	दिल्ली	970.1	755.9	214.2
30.	दमन और दीव	5.2	4.2	1.0
31.	लक्षद्वीप	8.5	6.5	2.0
32.	पाडिचेरी लक्षदीप	8.5	6.5	2.0
	योग	36691.5	28647.0	8044.5

टिप्पणी : 1. * राज्य में कोई रोजगार कार्यालय नहीं है।

2. हो सकता है कि पूंर्णाकों के कारण अंकड़े योग से मेल न खांये।

3. रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर सभी रोजगार चाहने वाले आवश्यक नहीं कि बेरोजगार हो।

4. वर्ष 1993 के लिए अनु.जाति/अनु. जनजाति तथा शिक्षत (अवर स्नातकों तथा परा-स्नातकों) रोजगार चाहने वालों के आंकड़े अनंतिम हैं।

पर्यटन स्थलों के विकास के लिए कार्य योजना

3757. डा. जी.एल कनौजिया: क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत पर्यटन विकास निगम ने पर्यटन स्थलों के विकास के लिए सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में आधुनिक आरामदायक बस और टैक्सी सेवाओं के विकास के लिए गैर-सरकारी निवेश आकर्षित करने हेतु तथा और ज्यादा होटल प्रबंध संस्थान खोलने के लिए एवं पर्यटन क्षेत्र में ज्यादा संख्या में श्रम शक्ति को प्रशिक्षण देने के लिए कोई कार्य योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख). पर्यटक स्थलों का विकास करना राज्य सरकारों की जिम्मेवारी है। प्राइवेट पूंजी-निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से भारत पर्यटन विकास निगम के 10% शेयर हाल ही में उपनियोजित कर दिए गए है। अपने परिवहन बेड़े को सुदृढ़ बनाने और परिवहन सेवाओं को सुधारने की दृष्टि से भारत पर्यटन विकास निगम एक प्रतिष्ठित परिवहन फर्म के साथ सहयोग करार पर कार्य कर रहा है।

भारत पर्यटन विकास निगम के जन-शक्ति विकास केन्द्र का अगले पांच वर्षो के दौरान नीचे दिए गए ब्यौरों के अनुसार पर्यटन से संबंधित क्रियाकलापों में प्रशिक्षण देने का प्रस्ताव है:

वर्ष	प्रशिक्षित की जाने वाली जन-शक्ति की संख्या
1995-96	4544
1996-97	5170
1997-98	5510
1998-99	5840
1999-2000	6080

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

राज्य व्यापार निगम द्वारा खाद्यान्न का निर्यात

3758. डा. महादीपक सिंह शाक्य:
श्री गुमान मल लोढा:

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य व्यापार निगम ने 1994 और 1995 के दौरान खाद्यान्न का निर्यात किया है;

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी मात्रा में खाद्यान्न का निर्यात हुआ और देशवार उनकी कीमत क्या थी;

(ग) क्या सरकार ने चीन को खाद्यान्न का निर्यात करने का कोई निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) राज्य व्यापार निगम के माध्यम से सभी खाद्यान्नों के निर्यात नहीं होने के क्या कारण हैं;

(च) क्या राज्य व्यापार निगम द्वारा निर्यात किए गए गेहूं का मूल्य देश में भारतीय खाद्य निगम द्वारा तय किए गए गेहूं की आर्थिक लागत से कम है; और

(छ) यदि नहीं तो यह कीमत किस हद तक अधिक है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी0 चिदम्बरम): (क) और (ख) यद्यपि एस. टी. सी. ने वर्ष 1994 के दौरान खाद्यान्नों का निर्यात नहीं किया, लेकिन वर्ष 1995 के दौरान निर्यात किए गए खाद्यान्नों की मात्रा का देशवार ब्यौरा तथा उनका मूल्य नीचे दिया गया है:-

वस्तु	देश	निर्यातित मात्रा (मी.टन)	मूल्य (करोड़ रु. में)
गेहूं	यू. ए. ई.	33689	16.18
चावल	बांग्ला देश	35468	28.36

(ग) से (ङ). खाद्य मंत्रालय ने सूचित किया है कि सरकार ने चीन को खाद्यान्न का निर्यात करने के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया है। खाद्यान्न एस.टी.सी. के जरिए निर्यात किये जाने वाली सरणीयन मद नहीं है।

(च) जी, हां । तथापि, यह उल्लेखनीय है कि एस टी सी ने एफ सी आई से एक्स-गोडाउन आधार पर उसके द्वारा बताई गई मूल्य दर पर गेहूँ खरीदा है। एस टी सी ने इस गेहूं का निर्यात ऐसे मूल्य पर किया जिससे एक्स-गोडाउन खर्चे एंव निर्यात करने में हुए खर्चे तथा एस टी सी के सेवा मार्जिन कवर हो गए।

(छ) प्रश्न नहीं उठता

[अनुवाद]

बैरिंग्स बैंक, लन्दन

3759. श्री प्रकाश वी. पाटील : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकारी क्षेत्र के उन बैंकों का ब्यौरा क्या है जिनका इंग्लैंड के बैरिंग्स बैंक के साथ लेन-देन था;

(ख) इन लेन-देनों में हमारे बैंकों का कितना धन अतंर्ग्रस्त है; और

(ग) इंग्लैंड के बैरिंग्स बैंक के दिवालिया हो जाने से भारत को अनुमानतः कितना घाटा हुआ ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति): (क) से (ग)सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

प्रसंस्कृत अनन्नास का निर्यात

3760. श्री प्रवीन डेका: क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश से, विशेषरूप से पूर्वोत्तर राज्यों और पश्चिम बंगाल से प्रसंस्कृत अनन्नास के निर्यात की भारी संभावना है;

(ख) क्या सरकार ने प्रसंस्कृत अनन्नास के निर्यात को प्रोत्साहन देने हेतु कोई योजना बनाई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) से (ग). वर्ष 1993-94 में केवल 13.00 लाख रुपये मूल्य के 120 एम- टी अनन्नास का ही निर्यात हुआ, परन्तु, इसके और अधिक बढ़ने की गुंजाइश है। प्रसंस्कृत अनन्नास का निर्यात संवर्धन करने के लिए कोई विशेष योजना तैयार नहीं की गई है, परन्तु अनन्नास सहित ताजे और प्रसंस्कृत फलों के निर्यातक, सामान्य योजनाओं का लाभ उठाने के पात्र है जिसमें विशेषीकृत परिवहन की खरीद में सहायता, विकसित पैकेजिंग, गुणवत्ता उन्नयन, निर्यात संवर्धन और विपणन विकास की व्यवस्था है।

[हिन्दी]

रुई का उत्पादन

3761. डा. चिन्ता मोहन:
श्री गुमान मल लोढा:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में वर्ष 1994-95 के दौरान रुई के उत्पादन की मात्रा का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो इस समय अन्तिम रूप से स्वीकार्य उत्पादन की अनुमानित मात्रा कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने देश की रूई की कुल आवश्यकता का अनुमान भी लगाया है;

(घ) यदि हां, तो वर्ष 1995-96 के लिए मिलों, हथकरघों, विद्युत करघों व अन्य प्रयोजनों के उपयोग हेतु देश में रुई की कितनी अनुमानित मात्रा की आवश्यकता है;

(ङ) क्या सरकार ने इस अवधि के दौरान निर्यात की जाने वाली रूई की मात्रा के संबंध में भी कोई निर्णय लिया है;

(च) यदि हां, तो इसकी मात्रा कितनी है; और

(छ) घरेलू खपत के पश्चात देश में वर्ष के अन्त तक रूई का कुल कितना अनुमानित भण्डार होगा?

वस्त्र मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी): (क) से (ग) कपास सलाहकार बोर्ड ने दिनांक 28-1-95 को हुई अपनी बैठक में वर्ष 1994-95 कपास मौसम के दौरान कपास की आवश्यकता तथा उत्पादन का अनुमान निम्न प्रकार लगाया:-

उत्पादन - 125.50 लाख गांठें- प्रत्येक गांठ 170 किग्रा.

आवश्यकता - 127.00 लाख गांठें- प्रत्येक गांठ 170 किग्रा.

(घ) कपास सलाहकार बोर्ड ने वर्ष 1995-96 के लिए कपास की आवश्यकता का अभी तक प्रक्षेपण नहीं किया है।

(ङ) और (च). दीर्घावधि निर्यात नीति के संबंध में सरकार ने 1994-95 के कपास मौसम के लिए निर्यात के लिए 5 लाख गांठों की मात्रा की घोषणा की है। परन्तु वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए निर्यात के लिए जब तक बंगाल देशी कपास की केवल एक लाख गांठों की अनुमति दी गई है।

(छ) वर्ष 1994-95 के लिए मौसम की समाप्ति पर स्टाक का अनुमान 26.20 लाख गांठें लगाया गया है।

उत्तराखण्ड में सहकारी बैंक

3762. श्री बलराज पासी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार उत्तर प्रदेश के उत्तराखण्ड क्षेत्र में सहकारी बैंकों की संख्या में वृद्धि करने का है; और

(ख) यहि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति): (क) और (ख). तीन स्तरीय सहकारी ढांचे के अन्तर्गत, केन्द्रीय वित्तपोषण एजेंसी के रूप में जिलों में जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक कार्यरत हैं और ये जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक (प्रत्येक जिले में एक जिला सहकारी बैंक) भारतीय रिजर्व बैंक से अनुमति लिए बिना अपने परिचालन के क्षेत्र (सम्पूर्ण जिले) के अन्दर शाखाएं खोलने के लिए स्वतंत्र है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उत्तराखण्ड क्षेत्र सहित उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में पहले से ही कार्यरत 57 जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक हैं जो अपने परिचालन के क्षेत्र में लोगों की ऋण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं।

बैंकों में धोखाधड़ी के मामले

3763. श्री छेदी पासवान:
श्री खेलन राम जांगडे:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के राष्ट्रीयकृत बैंकों और विदेशी बैंकों में धोखाधड़ी और जालसाजी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं;

(ख) पिछले 12 महीनों के दौरान ऐसे कितने मामले जानकारी में आये हैं तथा इसमें कितनी धनराशि शामिल थी और पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में ऐसे मामलों में कमी या वृद्धि का बैंक-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इन मामलों में संलग्न व्यक्तियों के कार्य करने का क्या तरीका है और इन मामलों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं; और

(घ) इन मामलों में कितने बैंक कर्मचारी शामिल थे जिन्होंने ऐसे मामलों को बढ़ाया दिया और उनके विरूद्ध की गई कार्रवाई का बैंक-वार ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति): (क) और (ख). सरकारी क्षेत्र के बैकों और विदेशी बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक

(आई.आर.बी.आई.) को दी गई सूचना के अनुसार 1993 और 1994 के वर्षों के दौरान धोखाधड़ियों की संख्या की बैंक-वार स्थिति और अंतर्गस्त राशि संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ग) और (घ). भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि बैंकों में की गई धोखाधड़ियों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है:-

(i) बैंक ग्राहकों द्वारा दी गई नकदी का दुर्विनियोजन और प्रेषणों में नकदी का दुर्विनियोजन।

(ii) जाली लिखतों के माध्यम से जमा खातों से निकासी।

(iii) छद्म/काल्पनिक नामों से खाते खोलकर परक्राम्य लिखतों की धोखाधड़ी पूर्ण भुनाई।

(iv) लेखा बहियों में हेर-फेर करके दुर्विनियोजन।

(v) समाशोधन लेन-देनों के माध्यम से धोखाधड़ी।

(vi) प्रत्यायोजित शक्ति का दुरुपयोग।

(vii) बिना उचित प्राधिकार के साख-पत्रों, बैंक गारंटियों, लिखतों को खोलना/ जारी करना।

(viii) विदेशी मुद्रा लेन-देनों में धोखाधड़ी।

सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देश पर सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने कदाचार को नियंत्रित करने और धोखाधड़ियों को रोकने के लिए समय-समय पर कई कदम उठाये हैं। इन उपायों में बैकों में नियंत्रक तंत्र को मजबूत बनाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विस्तृत मार्गनिर्देश जारी करना, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निरंतर आधार पर धोखाधड़ियो के मामले की पुनरीक्षा करना, भारतीय रिजर्व बैंक में विशेष जांच कक्ष की स्थापना करना, परिचालन कर्मचारियों को उचित प्रशिक्षण देना आदि सम्मिलित हैं।

1993 और 1994 के वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैकों द्वारा धोखाधड़ियों के लिए दोषी कर्मचारियों के विरुध की गई कार्रवाई के संबंध में बैंकवार सूचना संलग्न विवरण-II में दर्शायी गई है।

विवरण - I

वर्ष 1993 और 1994 के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैकों और विदेशी बैंकों में पता लगाई गई धोखाधड़ियों की बैंकवार संख्या और उसमें अन्तर्ग्रस्त राशि को दर्शाने वाला विवरण

सरकारी क्षेत्र के बैंक (लाख रुपए)

क्र.सं.	सरकारी क्षेत्र के बैंक	धोखाधड़ियों की सं.		अंतर्ग्रस्त राशि	
		1993	1994	1993	1994
1.	भारतीय स्टेट बैंक	597 *02	616	773.44 25.08	2,010.97
2.	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर	36	21	536.63	11.06
3.	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	28	23	97.11	63.55
4.	स्टेट बैंक आफ इन्दौर	20	26	161.63	1,169.39
5.	स्टेट बैंक आफ मैसूर	28	37	7.51	252.95
6.	स्टेट बैंक आफ पटियाला	26	30	222.61	100.05
7.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	07	12	16.17	17.98

क्र0सं0	सरकारी क्षेत्र के बैंक	धोखाधड़ियों की स0		अंतर्ग्रस्त राशि	
		1993	1994	1993	1994
8.	स्टेट बैक आफ त्रावणकोर	20	25	32.49	70.22
9.	इलाहाबाद बैंक	33	39	45.14	2,343.58
10.	आन्ध्रा बैंक	66	25	2,130.92	131.00
11.	बैंक आफ बड़ौदा	139	159	568.46	2,905.71
		*12	15	35.54	528.63 (+ यू.श.9844000)
12.	बैंक आफ इंडिया	168	215	725.19	728.62
		*16	11	4,249.29	988.51
13.	बैंक आफ महाराष्ट्र	22	50	404.65	465.11
14.	केनरा बैंक	259	217	801.13	1,402.21
15.	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	85	130	3,234.72	347.46
16.	कारपोरेशन बैंक	31.	38	42.24	38.28
17.	देना बैंक	20	22	159.65	1,049.62
18.	इंडियन बैंक	41	60	638.24	286.26
19.	इंडियन ओवरसीज बैंक	75	71	143.54	356.97
20.	न्यू बैंक आफ इंडिया	29	–	69.72	–
21.	ओरियंटल बैंक आफ कॉमर्स	22	14	102.97	230.88
22.	पंजाब नैशनल बैंक	88	118	3,224.29	2,003.36
23.	पंजाब एंड सिंध बैंक	21	17	654.21	163.26
24.	सिंडिकेट बैंक	139	103	174.10	1,371.80
25.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	61	39	756.54	336.54

क्र0सं0	सरकारी क्षेत्र के बैंक	धोखाधड़ियों की स.		अंतर्ग्रस्त राशि	
		1993	1994	1993	1994
26.	यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया	50	43	11,459.66	171.09
27.	यूको बैंक	35	58	183.46	416.89
		*04		165.27	
28.	विजया बैंक	33	32	190.83	45.93
	कुल	2213	2266	32,032.43	20,007.88 (+ यू. श.984400

* भारत के बाहर

यू.श - यूगान्डा शिलिंग

विदेशी बैंक

क्र.सं.	विदेशी बैंक	धोखाधड़ियों की सं0		अंतर्गस्त राशि	
		1993	1994	1993	1994
1.	आबू धाबी कामर्शियल बैंक	-	-	-	-
2.	एबीएन- आम्रो बैंक	-	-	-	-
3.	अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक	01	01	2,99	2.40
4.	एएनजेड ग्रिंडलेज बैंक	62	65	357.44	62.48
5.	बैंक आफ अमेरिका	01	02	0.56	0.32
6.	बैंक आफ बहरिन एंड कुवैत	01	-	1.00	-
7.	बैंक आफ टोक्यो	-	01	-	19.33
8.	बैंक इंडोस्वेज	-	-	-	-
9.	बैंक नेशनल द पेरिस	-	02	0	0.55
10.	ब्रिटिश बैंक आफ द मिडल ईस्ट	01	01	0.09	0.26

क्र0सं0	विदेशी बैंक	धोखाधड़ियों की सं0		अंतर्गस्त राशि	
		1993	1994	1993	1994
11.	बारक्लेज बैंक	-	01	-	8.54
12.	सिटी बैंक एन. ए.	84	55	306.35	16.06
13.	स्टैन्डर्ड चार्टर्ड बैंक	10	03	43.47	51.12
14.	क्रेडिट ल्योनाईज	-	-	-	-
15.	ड्यूच बैंक	03	-	173.30	-
16.	होगकोंग एंड संघाई बैकिग कारपोरेशन	04	04	19.98	20.40
17.	माश्रेक बैंक पी. एस. सी.	-	01	-	32.39
18.	ओमान इंटरनेशनल बैंक	-	-	-	4.49
19.	सोसायट जनरल	-	-	-	-
20.	सकूरा बैंक	-	-	-	-
21.	स्कोटी बैंक	-	-	-	-
22.	सोनाली बैंक	-	-	-	-
कुल		167	137	905.18	218.34

विवरण -II

(आकड़े अनन्तिम)

1993 और 1994 के वर्षों के दौरान धोखाधड़ियों के लिए दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई।

बैंक का नाम	दोष सिद्ध हुआ		बड़ा/लघु दण्ड दिया गया		तीन में से निकाले गए/ बरखास्त किए गए	
	1993	1994	1993	1994	1993	1994
1	2	3	4	5	6	7
भारतीय स्टेट बैंक	24	24	164	180	58	53
स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर	-	-	20	14	05	01

बैंक का नाम	दोष सिद्ध हुआ		बड़ा/लघु दण्ड दिया गया		तीन में से निकाले गए/ बरखास्त किए गए	
	1993	1994	1993	1994	1993	1994
1	2	3	4	5	6	7
स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	15	04	33	17	09	02
स्टेट बैंक आफ इन्दौर	-	-	-	10	-	01
स्टेट बैंक आफ मैसूर	-	-	16	11	05	04
स्टेट बैंक आफ पटियाला	-	-	09	10	03	05
स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	-	-	01	03	01	02
स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	-	-	06	29	01	05
इलाहाबाद बैंक	-	-	29	23	06	06
आन्ध्रा बैंक	02	05	20	18	03	04
बैंक आफ बड़ौदा	-	-	13	13	06	01
बैंक आफ इंडिया	-	-	11	17	07	12
बैक आफ महाराष्ट्र	—	—	13	10	08	07
केनरा बैंक	05	-	88	61	26	22
सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	-	01	67	67	42	34
कारपोरेशन बैंक	05	-	05	04	04	04
देना बैंक	-	-	27	19	07	04
इंडियन बैंक	01	-	64		06	04
इंडियन ओवरसीज बैकं	03	02	[illegible]	46	13	18
ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	-		01	06	03	03
पंजाब नैशनल बैंक	01	02	91	170	22	45

बैंक का नाम	दोष सिद्ध हुआ		बड़ा/लघु दण्ड दिया गया		तीन में से निकाले गए/ बरखास्त किए गए	
	1993	1994	1993	1994	1993	1994
1	2	3	4	5	6	7
पंजाब एंड सिंध बैंक	-	-	10	27	05	05
सिंडिकेट बैक	-	-	55	20	42	12
यूनियन बैंक आफ इंडिया	-	-	26	26	14	07
यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया	-	-	-	12	-	02
यूको बैंक	01	-	30	-	11	-
विजया बैंक	-	02	28	07	03	02
कुल	57	40	874	902	312	265

* केवल सितम्बर 1994 तक की सूचना उपलब्ध है।

[अनुवाद]

द्विपक्षीय विमान सेवा समझौते

3764. **श्री शरत पटनायक:**
श्री एम. वी .वी .एस. मूर्ति :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय वायु सेवा समझौता करने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या इस संबंध में कोई कार्य योजना तैयार की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी विवरण क्या है; और

(घ) इस योजना के कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से(घ) भारत ने 75 देशों के साथ द्विपक्षीय हवाई सेवा करारों पर पहले ही हस्ताक्षर/ आद्याक्षर किए हैं। अतिरिक्त देशों के साथ हवाई सेवा करारों पर हस्ताक्षर करने के लिए कोई निश्चित कार्य योजना तैयार नहीं गई है क्योंकि यह संबंधित राज्यों की अनुक्रिया पारस्परिक लाभों की उपलब्धता, अन्तरराष्ट्रीय यात्रा पर्यटन तथा व्यापार आदि से संबंधित जरूरतों पर निर्भर करेगा।

बैंकों द्वारा बट्टे खाते डाले गये ऋण

3765. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी:**
श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नये मानदंडों के अनुसार वर्ष 1992-93 और 1993-94 के दौरान राष्ट्रीयकृत बैकों द्वारा अपने तुलन-पत्रों के बट्टे खाते डाले गये अथवा संदेहास्पद वसूली वाले जिन ऋणों के लिए प्रावधान किया है उनकी राशि का बैंक वार ब्यौरा क्या है;

(ख) बट्टे खाते डाले गये ऋण के उपर्युक्त प्रावधान का (i)औद्योगिक क्षेत्र (ii)कृषि क्षेत्र (iii) व्यापार और उद्योग क्षेत्र और लघु ऋण क्षेत्र का ओर बकाया राशि की दृष्टि से पृथक पृथक ब्यौरा क्या है;

(ग) वित्तीय वर्ष 1994-95 के दौरान वर्ष 1992-93 और 1993-94 के बट्टे खाते डाले गये अथवा संदेहास्पद वसूली वाले ऋण के बारे में यदि कोई वसूली की गयी है, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) बकाया ऋण को वसूल करने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है अथवा करने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) (क) वर्ष 1992-93 (अद्यतन उपलब्ध) के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा निष्क्रिय परिसम्पत्तियों के लिए किया गया प्रावधान संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक को आंकड़ा सूचना प्रणाली से पूछे गए अनुसार सूचना प्राप्त नहीं होती।

(घ) सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकों पर ऋण का मूल्यांकन करने और कारगर पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण करने के लिए अपनी मशीनरी को मजबूत बनाने की आवश्यकता पर जोर देते रहे हैं,. ताकि उधार दी गई निधियों का समुचित अंतिम उपयोग, प्रधान कार्यालयों में वसूली कक्षों का सृजन और उत्पादकता के स्तरों में सुधार सुनिश्चित किया जा सके। सरकार ने बैकों की देयराशियों की वसूली में तेजी लाने के लिए ऋण वसूली अधिकरणों की स्थापना भी की है।

विवरण

क्रम सं.	बैंक का नाम	(31.3.93 की स्थिति) अनुबंध एन. पी. ए. के लिए प्रवधान (करोड़ रु)
1.	इलाहाबाद बैंक	215.27
2.	आन्ध्रा बैंक	151.21
3.	बैंक आफ बड़ौदा	784.04
4.	बैंक आफ इंडिया	1042.36
5.	बैंक आफ महाराष्ट्र	264.35
6.	केनरा बैंक	794.20
7.	सेन्ट्रल बैंक	850.43
8.	कार्पोरेशन बैंक	8.33
9.	देना बैंक	126.34
10.	इण्डियन बैंक	372.43
11.	इंडियन ओवरसीज बैंक	860.14
12.	न्यू बैंक आफ इंडिया	115.10
13.	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	92.34
14.	पंजाब नैशनल बैंक	263.19
15.	पंजाब एण्ड सिंध बैंक	219.90
16.	सिण्डिकेट बैंक	380.69
17.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	254.07
18.	युनाइटेड बैंक आफ इंडिया	232.12
19.	यूको बैंक	667.51
20.	विजया बैंक	163.01
21.	भारतीय स्टेट बैंक	8845.01
22.	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर	215.59
23.	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	289.59
24.	स्टेट बैंक आफ इन्दौर	80.72
25.	स्टेट बैक आफ मैसूर	97.45
26.	स्टेट बैक आफ पटियाला	259.90
27.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	111.09
28.	स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	83.53

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में यात्री निवासों का निर्माण

3766. श्री सत्य देव सिंह :
श्री प्रभु दयाल कठेरिया:

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को उत्तर प्रदेश सरकार से मध्य वर्गीय पर्यटकों के लिए राज्य में यात्री निवासों का निर्माण करने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने क्या निर्णय लिया है और यदि इस प्रयोजनार्थ कोई वित्तीय सहायता दिये जाने का प्रस्ताव है, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) पर्यटन विभाग ने राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित यात्री निवासों को मंजूरी दी है।

	परियोजना का नाम	स्वीकृति की तारीख	स्वीकृत राशि (लाख रूपयों में)
(क)	यात्री निवास इलाहाबाद	31.3.87	28.00
(ख)	यात्री निवास अयोध्या	30.3.92	10.00
(ग)	यात्री निवास माल्दीपुरी	12.3.91	20.00
(घ)	यात्री निवास चित्रकूट	30.3.92	30.00

[अनुवाद]

गुजरात में लघु उद्योगों को बैकों से ऋण

3767. श्री अरविन्द त्रिवेदी: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान गुजरात में सरकारी क्षेत्र के बैंकों को लघु उद्योगों से ऋण के संबंध में कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए इनमें से कितने आवेदनों पर ऋण दिया गया तथा कुल कितनी ऋण राशि मंजूर की गई;

(ख) क्या उक्त बैंकों ने लघु उद्योगों को रुग्णता से बचाने के लिए इन्हे समय पर ऋण दिया;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी चन्द्रशेखर मूर्ति): (क) भारतीय रिजर्व बैंक की आंकड़ा सूचना प्रणाली से पूछे गए तरीके के अनुसार सूचना प्राप्त नहीं होती। अलबत्ता, जून 1991 ,जून 1992 और जून 1993 के अन्त की स्थिति के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए अद्यतन उपलब्ध आकंड़ों के अनुसार कर्नाटक राज्य में लघु उद्योग एककों की संख्या और अनुसूचित वाणिज्यिक बैकों द्वारा संवितरित ऋण निम्नानुसार था:

वर्ष को समाप्त	खातों की संख्या	(करोड़ रुपए में) संवितरित राशि
जून 1991	36466	248.15
जून 1992	39697	241.34
जून 1993	15230	233.16

(ख) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को हिदायतें जारी की थी कि 25,000/- रुपए की ऋण सीमा के आवेदन उसके प्राप्त होने की तारीख से एक पखवाड़े के अन्दर और 25.000/- रुपए से अधिक के ऋण आवेदन 8-9 सप्ताह के अन्दर निपटा दिए जाने चाहिएं। बैकों से यह भी कहा गया है कि ऋण सीमाओं में वृद्धि के अनुरोधों पर शीघ्र विचार किया जाना चाहिए और निर्णय तुरंत तथा 6 सप्ताह के अन्दर हर हालत में ले लिया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

धार्मिक और ऐतिहासिक स्थानों पर वायुयान सेवा

3768. श्रीमती सरोज दुबे : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार का धार्मिक और ऐतिहासिक स्थानों पर वायुयान सेवा प्रारंभ करने का विचार है ताकि पर्यटन को बढावा दिया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) अधिकतर धार्मिक और ऐतिहासिक स्थान पहले से ही विमान द्वारा जुड़े हुए हैं। इस समय इंडियन एयरलाइंस और वायुदूत का किसी अन्य स्टेशन को प्रचालन करने का काई प्रस्ताव नहीं है। निजी प्रचालक अनुसूचित प्रचालनों के लिए खुले

किसी भी स्टेशन को प्रचालन करने हेतु स्वतंत्र हैं।

हरियाणा में ऋण राहत योजना

3769. श्री अवतार सिंह भडाना: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हरियाणा में ऋण राहत योजना से कितने किसान और ग्रामीण दशतकार लाभान्वित हुए हैं;

(ख) इस प्रयोजनार्थ अब तक कुल कितनी धनराशि जारी की गई है;

(ग) शेष राशि कब तक जारी कर दी जायेगी;

(घ) क्या इस ए.आर.डी.आर. योजना से सहकारी ऋणों की वसूली पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और वसूली का सामान्य वातावरण दूषित हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो सहकारी संस्थाओं की ऋण वसूली पद्धति में सुधार लाने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम .वी. चन्द्रेशखर मूर्ति) : (क) हरियाणा राज्य में विभिन्न कार्यान्वयन अभिकरणों अर्थात् गैर-सरकारी क्षेत्र के बैकों, सहकारी बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैकों के जरिए कृषि एवं ग्रामीण ऋण राहत (.आर.डी.आर.) योजना, 1990 के तहत, किसानों, भूमिहीन श्रमिकों, ग्रामीण कारीगरों तथा बुनकरों सहित, 5,97,894 लाभग्राहियों को 232.17 करोड़ रुपए की ऋण राहत दी गई है। यह योजना दिनांक 31.3.1991 को बन्द हो गई।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने बताया है कि हरियाणा में (गुड़गांव ग्रामीण बैंक को छोड़कर) बैंकों के ए. आर..डी. आर. दावों का अब तक पूरा और अंतिम निपटान कर दिया गया हैं। राज्य में सहकारी बैंकों को ए .आर डी. आर. योजना के तहत अनुदान और ऋण के रूप में 126.08 करोड़ रुपए की प्रतिपूर्ति कर दी गई है। इसी प्रयोजन के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को 17.09 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया गया है।

(घ)और(ङ) जहां तक हरियाणा राज्य का संबंध है, वर्ष 1989-90 की वसूली कर ली गई थी। सहकारी ऋण संस्थानों की समग्र वसूली निष्पादन में अब सुधार हुआ है। जहां वर्ष 1993-94 के दौरान राज्य में अल्पावधिक संरचना में 88.3 प्रतिशत वसूली के साथ यह राज्य लगातार दूसरे वर्ष देश में प्रथम स्थान पर रहा, 1993-94 में दीर्घावधिक संरचना में 86.3% वसूली दर के साथ यह राज्य देश में दूसरे स्थान पर था।

हवाई पट्टियां

3770. श्री महेश कनोडिया:
श्री रामेश्वर पाटीदार:

क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश भर में सरकारी हवाई पट्टियों सहित निजी स्वामित्व और निजी संचालित हवाई पट्टियों की संख्या, अलग-अलग कितनी है;

(ख) राज्यवार एवं स्थानवार ऐसी हवाई पट्टियों की संख्या क्या है;

(ग) क्या उपरोक्त सभी हवाई पट्टियां सरकार के क्षेत्राधिकार में हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) :
(घ). विभिन्न अभिकरणों की हवाई पट्टियों विमानपत्तनों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

अभिकरणवार विमानपत्तनों का संख्या

क्र.स.	राज्य	भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण	नागर विमानन महानिदेशालय	रक्षा	राज्य सरकार	निजी विमानपत्तनों का संख्या	योग
1.	आंध्र प्रदेश	6	1	5	4	3	19
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	-	6	2	-	9

क्र. सं.	राज्य	भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण	नागर विमानन महानिदेशालय	रक्षा	राज्य सरकार	निजी विमानपत्तनों का संख्या	योग
3.	असम	6	–	12	–	10	28
4.	बिहार	7	–	7	26	4	44
5.	गोवा	–	–	1	–	–	1
6.	गुजरात	8	–	5	12	1	26
7.	हरियाणा	–	–	3	5	–	8
8.	हिमाचल प्रदेश	3	–	–	–	–	3
9.	जम्मू और काश्मीर	–	–	17	1	1	19
10.	कर्नाटक	5	–	3	3	6	17
11.	केरल	2	–	1	1	1	5
12.	मध्य प्रदेश	9	–	8	21	8	46
13.	महाराष्ट्र	7	1	6	10	3	27
14.	मणिपुर	1	–	2	–	–	3
15.	मेघालय	1	–	–	1	–	2
16.	मिजोरम	1	–	–	–	–	1
17.	नागालैंड	–	–	1	–	–	1
18.	उड़ीसा	2	–	2	19	3	26
19.	पंजाब	2	–	9	3	4	18
20.	राजस्थान	3	–	9	23	2	37
21.	तमिलनाडु	8	–	6	2	1	17
22.	त्रिपुरा	4	–	–	–	–	4

क्र. सं.	राज्य	भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण	नागर विमानन महानिदेशालय	रक्षा	राज्य सरकार	निजी विमानपत्तनों का संख्या	योग
23.	उत्तर प्रदेश	7	–	15	6	5	33
24.	पश्चिम बंगाल	5	–	18	3	12	38
25.	दिल्ली	2	–	–	–	–	2
केन्द्र शासित प्रदेश							
1.	अंडमान और निकोबार	–	–	2	–	–	2
2.	चंडीगढ़	–	–	1	–	–	1
3.	दमन और दीव	–	–	1	1	–	2
4.	लक्ष्यद्वीप	1	–	–	–	–	1
5.	पांडीचेरी	1	–	–	–	–	1
योग		92	2	140	143	64	441

निर्यात वस्तुएं

3771. श्री अर्जुन सिंह यादव: क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश से निर्यात की नई वस्तुओं में आयातित कल-पुर्जों के उपयोग में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन निर्यात्त वस्तुओं का ब्यौरा क्या है जिनमें आयातित माल का अधिक उपयोग किया जाता है; और

(घ) निर्यात मदों में आयातित्त कल-पुर्जों के उपयोग पर रोक लगाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख) पिछली 3 लाइसेंसिग अवधियों अर्थात् 1992-93, 1993-94 तथा 1994-95 दिसंबर, 1994 तक के दौरान अग्रिम लाइसेंसों के माध्यम से किए गए निर्यात के संबंध में संघटनों सहित आयातित निविष्टियों के आयात का अंश क्रमश: 42.53%, 41.2% तथा 42.82% रहा। आयात मात्रा के, विशेष रूप से निर्यात उत्पादों में आयातित संघटकों के उपयोग के बारे में आंकड़े अलग से नहीं रखे जाते हैं।

(ग) और (घ) निर्यात संवर्धन उपाय के रूप में और अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा के उद्देश्य से संघटकों, उपभोक्ता वस्तुओं, पुर्जों, अनुषंगी सामान, अनिवार्य अतिरिक्त पुर्जों (5% तक) और पैकिंग सामग्री सहित कच्चे माल की सभी आवश्यक निविष्टियों के आयात की अनुमति समुचित मूल्यवर्धन वाले निर्यात उत्पाद के लिए तथा आवश्यक मात्रा तक दी जाती है। निर्यात उत्पाद के लिए आयातित संघटकों के प्रयोग के लिए अलग से कोई मानदण्ड निर्धारित नहीं किया गया है। फलस्वरूप, ऐसे निर्यात उत्पादों के आंकड़े भी अलग से नहीं रखे जाते हैं जिनमें आयातित सामग्री का प्रयोग होता है।

[अनुवाद]

धागे की आपूर्ति

3772. डा. असीम बाला : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कताई मिलों, हथकरघा, विद्युत और हौजरी उद्योग को धागे की आपूर्ति में बार-बार आने वाली कमी के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार धागे के उचित वितरण को विनियमित करने के लिए एक समिति स्थापित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं, और

(ङ) यह समिति कब तक स्थापित किये जाने की सम्भावना है ?

वस्त्र मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) और (ख) स्पिनिंग मिलों हथकरघा, विद्युत्करघा तथा हौजरी क्षेत्रों को यार्न की आपूर्ति अथवा उपलब्धता के किसी प्रकार के संकट की कोई रिपोर्ट नहीं है। तथापि, हथकरघा बुनकर हैंक यार्न की कीमतों में वृद्धि के कारण हाल ही के महीनो में समस्याओं का सामना कर रहे हैं।

(ग) से (ङ) यार्न के उपयुक्त वितरण को विनियमित करने के लिए कोई समिति गठित करने के लिए सरकार के सम्मुख कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, हथकरघा बुनकरों को उचित कीमतों पर हैंक यार्न उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं जैसे कि मिल गेट कीमत योजना जारी रखना , हैंक यार्न दायित्व योजना का कठोर कार्यान्वयन, हैंक यार्न कीमत इमदाद योजना लागू करना, आदि।

विदेशो में रोजगार

3773. श्री मंजय लाल: क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बेरोजगारी की समस्या से निपटने हेतु नागरिकों के लिए विदेशों में रोजगार की सम्भावनाओं का पता लगाने का है;

(ख)क्या सरकार का इस प्रयोजनार्थ विदेशों में स्थित दूतावासों और उच्चायोगों तथा विदेशों में जाने वाले शिष्टमंडलों की सेवाएं लेने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है कि इसके परिणामस्वरूप प्रतिभा पलायन न होने पाये ?

श्रम मंत्री श्री पी.ए संगमा: (क) से (घ): विभिन्न सेवाएं प्रदान करने हेतु श्रमिकों व्यावसायियों का नियोजन वर्तमान में विभिन्न देशों के उत्प्रवास नियमों द्वारा शासित किया जाता हैं तथापि, भारत जनरल एग्रीमेन्ट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज (गैट्स)के अंतर्गत डब्लयू. टी. ओ. में बातचीत जो विभिन्न सेवा क्षेत्रों में बाजार तक पहुंच की प्रतिबद्धता और सेवा संविदा के एक भाग के रूप में कुशल कार्मिकों के अस्थाई पुन: नियोजन या अंतराव्यावसाय स्थानान्तरणों और व्यावसायिक यात्रियों की क्षेणियों में बातचीत का ढांचा प्रदान करता है, द्वारा अपने नागरिकों के लिए संवर्धित बाजार पहुंच प्राप्त करने का प्रयास करता रहा है। भारत विभिन्न सेवा क्षेत्रों में अपने कुशल कार्मिकों के लिए अपने प्रमुख व्यापारिक सहभागियों में बाजार पहुंच प्राप्त कर रहा है। नैसकॉम, जो कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर व्यावसायियों का प्रतिनिधित्व करता है, जैसे व्यावसायिक संगठन सैफ सैक्टोरल प्रतिनिधिमंडलों को, लक्ष्य देशों में ले गये हैं। विभिन्न स्तरों का संबंधित सरकारों के साथ द्विपक्षीय बातचीत के दौरान भी मामला उठाया गया है।

[अनुवाद]

बेरोजगार युवक

3774. श्री के. प्रधानी: क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा में 31 मार्च, 1995 तक शिक्षित बेरोजगार युवकों की संख्या कितनी थी;

(ख) क्या सरकार के पास इन शिक्षित बेरोजगार युवकों को रोजगार उपलब्ध कराने सम्बन्धी कोई योजना है;

(ग) यदि हां, तो उन्हें रोजगार कब तक उपलब्ध करा दिया जाएगा; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या योजना बनाई गई है ?

श्रम मंत्री (श्री पी.ए.संगमा): (क) 31.12.1993 (नवीनतम उपलब्ध) की स्थिति के अनुसार, उड़ीसा के रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर शिक्षित मैट्रिक एवं उससे अधिक बेरोजगारों की संख्या, यह अनिवार्य नहीं कि वे सभी बेरोजगार हों, 538.1 हजार (अनंतिम) थी।

(ख) से (घ): आठवीं पंचवर्षीय योजना नीति में 2002 तक लगभग पूर्ण रोजगार स्थिति प्राप्त करना परिकल्पित है। इस लक्ष्य की प्राप्ति, रोजगारोन्मुखी सैक्टरों, सब-सैक्टरों एवं कार्यकलापों में तीव्रतर विकास के आधार पर उत्पादनकारी रोजगार अवसरों में द्रुततर वृद्धि ने द्वारा किया जाना है। योजना में बाजार में लचीलापन तथा प्रतिक्रियात्मकता शामिल करने के लिए शिक्षा तथा प्रशिक्षण प्रणाली के नवीकरण की आवश्यकता पर भी बल दिया है। इस नीति के परिणामस्वरूप, सामान्य विकास प्रक्रिया के माध्यम से शिक्षित एंव अशिक्षित दोनों बेरोजगार व्यक्तियों हेतु रोजगार के अवसर सृजन करने के अतिरिक्त, स्व-रोजगार के अवसर सृजन करने के उद्देश्य से, विशेषत: उड़ीसा सहित विभिन्न राज्यों के शिक्षित बेरोजगार नवयुवकों हेतु , 2 अक्तूबर, 1993 को प्रधान मंत्री की रोजगार

योजना शुरू की गई।

राष्ट्रीय वस्त्र निगम के विरुद्ध बकाया राशि

3775. श्री दिलीप भाई संघाणी: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 मार्च, 1995 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय कपड़ा निगम पर गुजरात सरकार की बकाया राशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) बकाया राशि का भुगतान न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) गुजरात सरकार को बकाया राशि का कब तक भुगतान किये जाने की संभावना है?

वस्त्र मंत्री (श्री. जी. वेंकट स्वामी) : (क) एन टी सी को 19.57 करोड़ रु. की बकाया राशि का भुगतान करना है, जिसमें कपास, ई, एस, आई, विद्युत म्युनिसिपल कर तथा अन्य करों के बकाया शामिल हैं।

(ख)और (ग).एन.टी.सी. कार्यशील पूंजी की गंभीर कमी का सामना कर रहा है। एन.टी.सी द्वारा बकाया देयताओं का भुगतान कर दिए जाने की आशा है जोकि कार्यशील पूंजी की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

पत्रकारों को अंतरिम राहत

3776. **श्री रवि राय:**
श्री चन्द्रेश पटेल:

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय समाचार पत्र कर्मचारी संघ तथा भारतीय पत्रकार संघ के शिष्टमंडल ने उनसे अप्रैल, 1995 के प्रथम सप्ताह में मुलाकात की थी;

(ख) यदि हां, तो उनके द्वारा की गई मांगों का ब्यौरा क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार समाचार पत्र के पत्रकारों तथा कर्मचारियों को अंतरिम राहत देने के मामले पर विचार करने हेतु वेतन बोर्ड को सौंपने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन कर्मचारियों द्वारा उठाई गई अन्य मागों पर क्या कार्यवाही की जाएगी?

श्रम मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) से (ङ).जी, हां, समाचार कर्मचारी राष्ट्रीय परिसंघ और राष्ट्रीय पत्रकार संघ (भारत) ने अन्य बातों के साथ-साथ समाचार पत्र कर्मचारियों को अंतरिम राहत का मुद्दा उठाया है। अभ्यावेदनों के साथ-साथ अंतरिम राहत का मुद्दा श्रमजीवी पत्रकारों और गैर-पत्रकार समाचारपत्र कर्मचारियों तथा समाचार-एजेंसी कर्मचारियों संबंधी मजदूरी बोर्डों को संदर्भित कर दिया गया है।

बीड़ी श्रमिक

3777. डा. आर. मल्लू: क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार आन्ध्र प्रदेश के बीड़ी श्रमिकों के लिए नई रोजगार दक्षताओं हेतु प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने का है;

(ख) यहि हां, तो क्या ऐसे प्रयोजन के लिए राष्ट्रीय नवीकरण निधि से धन उपलब्ध किया जाता है;

(ग) क्या इस संबंध में राज्य सरकार के साथ प्रारम्भिक बातचीत की गई है; और

(घ) प्रस्तावित बीड़ी कानून से कितने श्रमिक बेरोजगार हो जायेंगे?

श्रम मंत्री श्री पी.ए संगमा : (क) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग)-प्रश्न नहीं उठता।

(घ) स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित विधान का उद्देश्य शैक्षणिक संस्थानों और अस्पतालों के आस-पास के अलावा तंबाकू के प्रयोग या बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का नहीं है। अत: यह महसूस किया जाता है कि वर्तमान में बीड़ी उद्योग में रोजगार स्थिति पर महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा।

लोक भविष्य निधि संबंधी दावे

3778 श्री राम कापसे क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार के पास लम्बित लोक भविष्य निधि दावों के अंतिम भुगतान संबंधी मामलों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और ये दावे कब से लम्बित हैं:

(ख) इन दावों के लम्बित रहने के क्या कारण है; और

(ग) सरकार ने इन दावों की राशि का तत्काल भुगतान करने हेतु क्या उपाय किए हैं और इसमें विलम्ब के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम0 वी0 चन्द्रशेखर मूर्ति): (क) लोक

भविष्य निधि योजना, 1968 के उपबंधो के अनुसार लोक भविष्य निधि दावों के अन्तिम भुगतानों के मामले सीधे ही उस बैंक/डाकघर द्वारा निपटाए जाते हैं जहां उसके खाते होते हैं। इसलिए सरकार के पास कोई भी दावे लम्बित नहीं हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

मेघालय में विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं

3779. श्री पीटर जी. मरबनिआंग: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मेघालय में कहां-कहां पर कौन-कौन सी परियोजनाएं विदेशी सहायता से कार्यान्वित की जा रही हैं, ।

(ख) अभी तक उनके लिए कितनी राशि जारी की जा चुकी है और वे कब तक पूरी हो जायेगी; और

(ग) मेघालय सरकार द्वारा परियोजना-वार इन परियोजनाओं को कितनी राशि प्रदान की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम0 वी0 चन्द्रशेखर मूर्ति): (क) मेघालय में विदेशी सहायता प्राप्त राज्यीय अथवा बहुराज्यीय कोई परियोजना चालू नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

राज्यों को विदेशी वित्तीय सहायता

3780. श्री गिरधारी लाल भार्गव: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा राज्यों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता भेजने में केन्द्र सरकार द्वारा किन-किन मानदंडों का पालन किया जाता है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने इस सहायता को राज्यों को उन्हीं शर्तों पर भेजने हेतु कोई निर्णय लिया है जिन शर्तों पर यह सहायता अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रदान की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम0 वी0 चन्द्रशेखर मूर्ति): (क) राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं के कारण प्राप्त हुई विदेशी सहायता अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में सम्बन्धित राज्यों को पूर्णत: दे दी जाती है। अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता की शर्तें राज्य योजनाओं के लिए दी जाने वाली सामान्य केन्द्रीय सहायता के समान ही है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नही उठता।

[अनुवाद]

भुवनेश्वर विमानपत्तन को विकसित करने की योजना

3781. डा. कार्तिकेश्वर पात्र: क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार भुवनेश्वर विमानपत्तन का विकास करने के बारे में विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रयोजनार्थ कोई भूमि अधिगृहीत की गयी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण नये टर्मिनल भवन के निर्माण, उपकरण अवतरण प्रणाली और दूरी मापक उपस्कर के संस्थापन से संबंधित कार्य कर रहा है। इसके अतिरिक्त वर्तमान धावनपथ की लंबाई को 9000 फुट तक बढ़ाने का प्रस्ताव है।

(ग) और (घ) राज्य सरकार ने लगभग 70 एकड़ भूमि प्राप्त की है और इसे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को सौंप दिया है।

असम के रुग्ण चाय बागान

3782. श्री द्वारका नाथ दास: क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या असम विशेष रूप से दक्षिण असम में ऐसे कतिपय रुग्ण और उत्पादन अक्षम चाय के बागान है जिनमें से कुछ पर तो उत्पादन कार्य पहले ही छोड़ा जा चुका है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस प्रकार के रुग्ण तथा

उत्पादन अक्षम चाय बागानों के श्रमिक इस समय दयनीय अवस्था में है, और

(घ) यदि हां, तो इस प्रकार के चाय बागानों को उत्पादनक्षम बनाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) और (ख). टी बोर्ड द्वारा सन 1989 में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार में रुग्ण एवं जीर्ण-शीर्ण बागानों के बारे में निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए:-

चाय क्षेत्र	जीर्ण-शीर्ण चाय बागानों की संख्या	बन्द चाय बागानों की संख्या
जोर हाट	9	2
तेजपुर	5	1
बराक घाटी	29	1
गुवहाटी	4	1
योग	47	5

(ग) और (घ). रुग्ण एवं जीर्ण-शीर्ण चाय बागानों के सामने आ रही समस्याएं काफी जटिल रही हैं जिसमें प्रबंधकीय/वित्तीय कुव्यवस्था से लेकर दीर्घकालिक मुकदमेंबाजी शामिल है। चाय बोर्ड ने इस प्रकार के जीर्ण-शीर्ण चाय बागनों का पता पहले ही लगा लिया है और इनकी रुग्णता के कारण भी मालूम कर लिए हैं।

चाय बोर्ड ने वाणिज्यिक बैंकों एवं संबंधित चाय बागानों के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श किया है ताकि यह व्यापक पुनर्वास पैकेज तैयार कर इन बागानों को पुनर्जीवित करने के उपाय किए जा सके। चाय अनुसंधान संगठन से भी अनुरोध किया है कि वह रियायती अंशदान दर पर अपनी सदस्यता में इन जीर्ण-शीर्ण बागानों को स्वीकार कर इन्हें तकनीकी जानकारी प्रदान करें ताकि इनका कल्याण हो सके।

महिला सेवा बैंक

3783. श्री आनन्द रत्न मौर्य: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महिलाओं का "सेवा बैंक" गुजरात में गरीब महिला कामगारों के लिए सहकारी समितियां बनाने के मामले में उत्प्रेरक भूमिका निभा रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत एक वर्ष के दौरान राज्य में इस बैंक के कार्य निष्पादन का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार अन्य राज्यों विशेषकर उत्तर प्रदेश में भी ऐसे बैंक खोलने का है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति): (क) से (ङ). सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

हवाई अड्डों का आधुनिकीकरण

3784. श्री राम पाल सिंह : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कसी अन्य देश ने इस देश में हवाई अड्डों के आधुनिकीकरण और निर्माण में भारत के साथ सहयोग करने के प्रस्ताव भेजे हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख). सरकार ने किसी भी विदेशी कंपनी से कोई विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त नहीं किया है।

वस्त्र उद्योग का आधुनिकीकरण

3785. श्री गुमान मल लोढा:
डा. चिन्ता मोहन:
श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी:
श्री सुधीर गिरि:
डा. खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगें कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में क्षेत्र-वार वस्त्रों का कितना उत्पादन हुआ; और

(ख) वस्त्रों की किस्म और मात्रा में सुधार के लिए सरकार द्वारा क्या कदम ठठाए गए हैं ताकि इन्हें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अधिक प्रतिस्पर्द्धात्मक बनाया जा सके ?

वस्त्र मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में कपड़े का क्षेत्र-वार उत्पादन निम्न प्रकार है:-

(मिलियन वर्ग मीटर में)

क्षेत्र	1992-93	1993-94	1994-95	
मिल	2000	1990	1875	(अनंतिम)
विद्युतकरघा	17286	19631	5750	
हथकरघा	5219	5851	20100	
	25045	27472	27725	
खादी, ऊन तथा रेशम	430	430	430	
कुल	25475	27902	28155	

(ख) सरकार वस्त्र उद्योग के विकास पर अत्यधिक ध्यान देती है। वस्त्र उत्पादों की गुणवत्ता तथा मात्रा में सुधार करने तथा इसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए समय-समय पर अनेक कदम उठाए जाते हैं जैसे कि उदारीकृत लाइसेंसिंग नीति, विभिन्न वस्त्र अनुसंधान संघों के माध्यम से अनुसंधान एवं विकास पर बल, कंप्यूटर सहायित डिजायन केन्द्रों की स्थापना, कच्ची सामग्रियों की उपलब्धता की बारीकी से मानीटरी करना, राष्ट्रीय फैशन टैक्नालाजी संस्थान जैसे संस्थानों के माध्यम से प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करना आदि।

[अनुवाद]

चाय (विपणन) नियंत्रण आदेश, 1975 को रद्द किया जाना

3786. **श्री विजय कृष्ण हान्डिक** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चाय उत्पादक संघों ने चाय (विपणन) नियंत्रण आदेश, 1975 को रद्द करने की दलील दी है;

(ख) क्या उनके इस कदम का चाय व्यापारियों ने विरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) जी, हां। चाय उत्पादकों के प्रतिनिधि चाय (विपणन) नियंत्रण आदेश, 1984 के प्रावधानों को रद्द करने की दलील देते रहें हैं जिसमें यह व्यवस्था है कि उपज का 75% अनिवार्य रूप से नीलामी के जरिए बेचा जाए।

(ख) और (ग) जी, हां। चाय के व्यापारियों ने इच्छा व्यक्त की है कि इस व्यवस्था को जारी रखने की जरूरत है, क्योंकि नीलामी व्यवस्था चाय की बिक्री करने के लिए सबसे अधिक पारदर्शी व्यवस्था है और नीलामी में कीमतें मांग और आपूर्ति तथा गुणवत्ता संबंधी कारकों के आधार पर तय की जाती है। व्यापारी संघ के अनुसार निर्यात एवं ब्रांड संवर्धन को बढ़ाने के उद्देश्य से कतिपय उत्पादक वर्गों को उचित छूट देने के लिए इस व्यवस्था में आवश्यक लोचशीलता मौजूद है।

(घ) सरकार ने इस बारे में प्रतिनिधियों के दोनों समूहों के साथ विचार-विमर्श शुरू कर दिया है।

[हिन्दी]

बैंकों की नयी शाखाएं खोलना

3787. **डा. गुणवन्त रामभाऊ सरोदे**: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के बैंकों की नयी शाखाओं को खोलने से संबंधित नियमों को हाल ही में संशोधित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) विगत दो वर्षों के दौरान विभिन्न बैंकों की खोली गयी नयी शाखाओं की राज्यवार संख्या क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति): (क) जी, नहीं।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

(ग) वर्ष 1993 और 1994 के दौरान विभिन्न बैंकों द्वारा खोली गई शाखाओं की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

1993 और 1994 के द्वौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा खोली गई शाखाओं की संख्या-राज्यवार

राज्य	1993	1994
आन्ध्र प्रदेश	69	32
अरुणाचल प्रदेश	-	-
असम	4	2
बिहार	23	9
गोवा	5	3
गुजरात	41	19
हरियाणा	30	12
हिमाचल प्रदेश	13	3
जम्मू और कश्मीर	-	2
कर्नाटक	31	15
केरल	54	17
मध्य प्रदेश	33	8
महाराष्ट्र	60	27
मणिपुर	-	1
मेघालय	6	-

राज्य	1993	1932
मिज़ोरम	1	-
नागालैण्ड	1	-
उड़ीसा	24	3
पंजाब	45	16
राजस्थान	46	12
सिक्किम	7	2
तमिलनाडु	47	23
त्रिपुरा	2	-
उत्तर प्रदेश	61	16
पश्चिम बंगाल	28	8
अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	4	-
चण्डीगढ़	5	2
दादरा और नागर हवेली	-	
दमन और दीव	-	
दिल्ली	13	11
लक्षद्वीप	-	-
पाण्डिचेरी	1	
जोड़	654	243

[अनुवाद]

रेशम कीट पालन प्रशिक्षण संस्थान

3788. **श्री हरिभाई पटेल:**
डा. खुशीराम डुगरोमल जेस्वाणी :
श्री एन.जे. राठवा:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात में 1994-95 के दौरान कितनी मात्रा में रेशम का उत्पादन हुआ;

(ख) राज्य में सी.एस.बी. के कौन-कौन से रेशम कीट पालक प्रशिक्षण संस्थान चल रहे हैं और ये संस्थान कहां-कहां स्थित हैं;

(ग) क्या सरकार ने इन संस्थानों के कार्य निष्पादन की समीक्षा की है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) राज्य में राष्ट्रीय कीट पालन परियोजना के अंतर्गत किए गए अथवा किए जाने वाले कार्य का ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी): (क) वर्ष 1994-95 के दौरान गुजरात में उत्पादित अपरिष्कृत रेशम की मात्रा 250 कि.ग्रा. (अंन्तिम) थी।

(ख) इस समय केन्द्रीय रेशम बोर्ड का एक रेशम उत्पादन प्रशिक्षण विद्यालय सूरत में कार्य कर रहा है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय रेशम बोर्ड के कार्य निष्पादन की समीक्षा सरकार द्वारा समय-समय पर की जाती है। केन्द्रीय रेशम बोर्ड भी गुजरात में उक्त प्रशिक्षण विद्यालय सहित अपने निजी एककों की समीक्षा उनके उपयुक्त कार्यचालन के लिए करता है।

(ङ) 401.73 लाख रु. की कुल लागत पर गुजरात के सूरत तथा बलसाड जिलों में केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय रेशम उत्पादन परियोजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

वर्ष 1989-90 से 1994-95 तक एन.एस.पी. के अन्तर्गत उपलब्धियां तथा 1995-96 के लिए कार्य योजना निम्न प्रकार हैं:

क्र.सं.	घटक	उपलब्धि (1989-90 से 1994-95)	1995-96 के लिए लक्ष्य
1.	संचित शहतूती बागान (एकड़)	1087.65	350.00
2.	लाभान्वित लाभभोगी (सं.)	997	300
3.	वितरित शहतूती कलमें (सं. लाख में)	95.20	17.50
4.	प्रशिक्षित कृषक (व्यक्ति)	483	175
5.	उत्पादित कोसें (मि.ट.)	19.97	1.20
6.	स्थापित तकनीकी सेवा केन्द्र (सं.)	5	-
7.	स्थापित प्रदर्शन-सह-प्रशिक्षण केन्द्र (सं.)	1	-
8.	कोसा रंगाई घर (सं.)	1	-
9.	रेशम उत्पादन प्रशिक्षण विद्यालय	1	-
10.	कुल व्यय (लाख रु. में)	152.64 (दिसम्बर, 94 तक)	22.50

गैर सरकारी विमान कंपनियाँ

3789. श्री पीयूष तीरकी: क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में यात्रियों और माल दोनों के लिए गैर सरकारी क्षेत्र की कितनी विमान कंपनियां कार्य कर रही हैं; और

(ख) इन कंपनियों के साथ अनुबंध की शर्तों का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) इस समय देश में छः प्राइवेट अनुसूचित एयरलाइनें प्रचालनरत हैं। वे यात्रियों के साथ-साथ कार्गो के वहन के लिए स्वतंत्र हैं।

(ख) वायुयान अधिनियम, 1934 तथा उक्त अधिनियम के अन्तर्गत बनाए गए नियमों के उपबंधों के अतिरिक्त अनुसूचित अन्तर्देशीय प्रचालकों को न्यूनतम प्रचालन संबंधी अपेक्षाओं के बारें में 1.3.1994 को प्रस्थापित नागर विमानन संबंधी अपेक्षाएं पूरी करनी होती हैं और अपनी उड़ानों के श्रेणीवार प्रचालनों से संबंधित 1.3.94 को जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों का पालन करना होता है।

"पशु बटन टूरिज्म किआस्क्"

3790. श्री येल्लैया नंदी: क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 22 जनवरी, 1995 के दैनिक समाचार पत्र "टाइम्स आफ इंडिया" में "पशु बटन टूरिज्म किआस्क्" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या महाराष्ट्र नवीन सूचना प्रणाली सहित इस प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराने वाला प्रथम राज्य है;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार पर्यटन के हित में राष्ट्रीय राजधानी, राज्यों की राजधानियों तथा देश के प्रमुख शहरों और कस्बों में इस प्रकार की प्रणाली शुरू करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम ने बम्बई के घरेलू हवाई अड्डे पर, पर्यटकों के फायदे के लिए बंबई शहर के बारे में विस्तृत सूचना और ग्राफिक्स देने वाला एक बहु-मीडिया सूचना टर्मिनल स्थापित किया है।

(ग) से (च). देश के विभिन्न भागों में स्थित इक्कीस, भारत सरकार पर्यटक कार्यालयों में से सोलह कार्यालय वर्ष 1989 से कम्प्यूटरीकृत पर्यटक सूचना प्रणाली से लैस हैं। भारत भर में पर्यटक स्थलों तथा पर्यटक सुविधाओं के बारे में उपलब्ध जानकारी इन्हीं कम्प्यूटरों के माध्यम से पाठगत रूप में उपलब्ध कराई जाती हैं। राजस्थान आदि जैसे कुछ राज्यों ने भी ऐसी सुविधाएं चालू करना आरम्भ कर दिया है।

विमानों का निर्माण

3791. श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने निजी क्षेत्र में विमानों के निर्माण की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिये क्या-क्या प्रक्रियायें निर्धारित की गई हैं और विमानों का निर्माण करने के लिए अनुमादित संगठनों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) विमानों का गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) जी, हां।

(ख) अभिकल्प एवं विनिर्माण प्रक्रिया की अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित करके नागर विमानन महानिदेशक संगठनों को विमान विनिर्मित करने की मंजूरी देते हैं। विमान विनिर्मित करने वाली कंपनियों को वायुयान नियमों एवं नागर विमानन अपेक्षाओं में निर्धारित अपेक्षाओं को पूरा करके आवश्यक मानकों की पुष्टि करनी होती है। निजी क्षेत्र की निम्नलिखित विमान कंपनियां सिविल विमानों का विनिर्माण कर रही हैं:-

(1) मैसर्स तनेजा ऐरोस्पेस एण्ड ऐविएशन (प्रा.) लिमिटेड, होसर
(2) मैसर्स राज हंस (प्रा.) लिमिटेड, मैसूर
(3) मैसर्स पिनाकी (प्रा.) लिमिटेड, हैदराबाद

(ग) नागर विमानन महानिदेशालय के प्रतिनिधि इन संगठनों की सतत् निगरानी करते हैं।

सरकारी कर्मचारियों को अंतरिम राहत

3792. डा. कृपासिंधु भोई: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को अंतरिम राहत की दूसरी किस्त देने के बारे में सरकार ने कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिया जायेगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग). सरकार ने यह मामला पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग को भेज दिया है। आयोग से रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

कलकत्ता विमानपत्तन पर टर्मिनल भवन

3793. श्री निर्मल कान्ति चटर्जी: क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कलकत्ता विमानपत्तन के नए टर्मिनल भवन में निजी विमान कंपनियों को इंडियन एयरलाइंस से अधिक स्थान दिए जाने के क्या कारण हैं;

(ख) आगमन और प्रस्थान क्षेत्र में आरक्षित लांज तथा पुलिस स्टेशन के लिए स्थान में पहले की अपेक्षा कमी किए जाने के क्या कारण है;

(ग) अन्य विमानपत्तनों, जैसे कि दिल्ली विमानपत्तन, की भांति विमानपत्तन क्षेत्र में से निजी परिवहन को आवागमन की अनुमति न देने के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस स्थिति में सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (घ) नेताजी सुभाष चन्द्र बोस अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन, कलकत्ता के नए अंतर्देशीय टर्मिनल भवन में निजी विमान कंपनियों को इंडियन एयरलाइन्स से अधिक स्थान उपलब्ध नहीं कराया गया है।

आरक्षित लाउंजों एवं पुलिस थाने में भी पहले से कम स्थान नहीं है।

निजी सिटी बसों को विमानपत्तन क्षेत्र में नहीं आने दिया जाता क्योंकि इनसे यात्रियों को व्यवधान होगा। बसें जेसोर रोड से चलती हैं। नगर परिवहन प्राधिकरण के साथ परामर्श से जेसोर रोड पर बस स्टैंड के लिए स्थान भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराया गया है।

[हिन्दी]

बैंक ऋण बकायादारों की सूची

3794. श्री हरि केवल प्रसाद: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उन ऋण बकायादारों की कोई सूची प्रकाशित की है जिन पर एक करोड़ रुपये से अधिक का ऋण बकाया है और जिनके विरुद्ध मुकदमे दायर किए गए हैं तथा जिनके अनुसूचित बैंकों में एक करोड़ रुपये से अधिक के बैंक खातें चल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति): (क) से (ग). सरकार ने ऐसी कोई सूचि प्रकाशित नहीं की है। भारतीय रिजर्व बैंक ने मुकदमा दायर खातों के चूककर्ताओं से संबंधित सूचना एकत्र करने और उसे परिचालित करने की एक योजना तैयार की है। योजना के अनुसार बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को प्रत्येक वर्ष 15 अप्रैल और अक्तूबर को उन ऋणकर्ता खातों का ब्यौरा भारतीय रिजर्व बैंक के पास भेजना अपेक्षित है जिन्हें संदिग्ध, हानि वाले तथा एक करोड़ रुपये और इससे अधिक की कुल बकाया राशि (निधिबद्ध और गैर-निधिबद्ध दोनों) वाले मुकदमा दायर खातों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। पहले चरण में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एकत्र की गई सूचना बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के पास भेज दी गई है ताकि सूची में उल्लिखित चूक करने वाले ऋणकर्ताओं तथा स्वत्वधारियों/ साझीदारों/ निदेशकों आदि द्वारा या तो अपने नाम पर या उन दूसरी इकाइयों के नाम पर, जिनके साथ वे संबंद्ध हैं, नयी या अतिरिक्त ऋण सीमाओं के अनुरोध पर गुण-दोषों के आधार पर विचार करते समय वे इसका उपयोग कर सकें।

[अनुवाद]

निर्यातोन्मुख इकाइयां/मुक्त व्यापार क्षेत्र

3795. श्रीमती भावना चिखलिया: क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुख इकाइयों और मुक्त व्यापार क्षेत्रों के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन किया है ताकि तंत्र-वार कुल निर्यात व अर्जित लाभ एवं प्राप्त लक्ष्यों का आकलन किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान इन क्षेत्रों में कितनी और कितने मूल्य की वस्तुएं निर्यात की गई और इन योजनाओं की परिचालन/ प्रशासनिक कमियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई अथवा करने का विचार है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्): (क) से (ग). निर्यात संसाधन क्षेत्रों (ई.पी.जेड) तथा निर्यातोन्मुख एकको (ई.ओ.यू) से निर्यातों की वृद्धि का रूख सामान्यत: सकारात्मक बना रहा। ई.पी.जेड के निर्यात लक्ष्य तथा इन क्षेत्रों एवं ई.ओ.यू. द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान किए गए वास्तविक निर्यात नीचे दिए गए हैं। ई.ओ.यू. के मामले में कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किये जाते हैं।

(करोड़ रूपए)

वर्ष	ई.पी.जेड एकक निर्यात लक्ष्य	निर्यात	ई.ओ.यू. द्वारा निर्यात
1992-93	1330	1376.31	2170.14
1993-94	2050	1959.91	3086.05
1994-95	2500	2628.00 (अनन्तिम)	4200.00 (अनन्तिम)

एककों के उत्पादन तथा उनके द्वारा अर्जित लाभ के आंकड़े इन क्षेत्रों द्वारा नहीं रखे जाते हैं। सीमा सुल्क बाण्डिंग की आवश्यकताओं के जरिए अपेक्षाकृत अधिक कठोर वातावरण लागू किये जाने तथा ई.ओ.यू./ई.पी.जेड एककों को मिल रहे तुलनात्मक लाभ उदारीकरण की प्रक्रिया के फलस्वरुप कुछ हद तक कम हो जाने के बारे में प्रतिवेदन प्राप्त होते रहे है। ई.ओ.यू./ई.पी.जेड एककों पर लागू नीति तथा प्रक्रियाओं की समीक्षा करने के लिए एक समिति की स्थापना की गई थी तथा इसके सुझावों के आधार पर ई.ओ.यू./ई.पी.जेड एककों के निष्पादन में सुधार करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। इनमें शामिल हैं। :- सीमाशुल्क प्रक्रियाओं का सरलीकरण घरेलू बाजार में और ज्यादा पहुंच मूल्यवर्धन के लचीले मानदण्ड तथा इनके क्रियाकलाप का क्षेत्र-विस्तार करने के लिए व्यापार, पुन: पैकिंग/लेबल लगाने, मरम्मत, पुन: सुधार तथा पुन: इंजीनियरिंग के बाद पुन: निर्यात को भी इनके कार्यक्षेत्र में शामिल किया गया है।

बैंकों में भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार

3796. **श्री सुधीर सावंत:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ऐसे सेना कर्मियों की संख्या कितनी है जो पेंशन नहीं ले रहे हैं और राष्ट्रीयकृत बैंकों में कार्यरत हैं;

(ख) क्या ऐसे कर्मचारियों की पेंशन के प्रयोजनार्थ उनकी सेना सेवा पर विचार किया जाता है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी.चन्द्रशेखर मूर्ति): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल भर रख दी जाएगी।

ब्लैंक सिक्कों का आयात

3797. **श्री अनंतराव देशमुख:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने स्टेनलैस स्टील क्वॉइन ब्लैंक्स की आपूर्ति के लिए इतालवी सरकार मुद्रण कार्यालय एवं टकसाल के साथ कोई समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त समझौते का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इटली से ब्लैंक क्वॉइन का आयात करने के क्या कारण है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति): (क) और (ख) सरकार ने नीचे दिए गए ब्यौरों के अनुसार भारत सरकार टकसाल के लिए 3277.5 मीट्रिक टन स्टेनलेस स्टील सिक्कों के सौंचों की आपूर्ति हेतु मेसर्स इंस्टीटूटों पोली ग्राफिक्स बेरेज्ञ को आदेश दिया है:-

मूल्य वर्ग	मीट्रिक टन में प्रमात्रा
1 रुपए	2085.5
50 पैसे	758
25 पैसे	212
10 पैसे	222

(ग) सिक्के के सौंचों की आवश्यकता को सरकार द्वारा विभिन्न साधनों के माध्यम से पूरा किया गया जिनमें सेलम इस्पात सयंत्र, विदेशी आपूर्तिकारों से आयात द्वारा आपूर्तियों जैसे विदेशी साधनों से प्राप्त किए जाने सहित भारत सरकार टकसालों द्वारा सिक्कों के सौंचों का अपना उत्पादन किया जाना शामिल है।

काला धन

3798. **श्री एन. डेनिस:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1994-95 के दौरान पकड़े गए काले धन का ब्यौरा क्या है; और

(ख) भविष्य में ऐसे काले धन का पता लगाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति): (क) वर्ष 1994-95 के दौरान पकड़े गए काले धन की राशि नहीं बताई जा सकती क्योंकि ऐसे ब्यौरे नहीं रखे जाते हैं। फिर भी विभाग द्वारा की गई तलाशी और जब्ती के कार्यों के दौरान नकदी, आभूषण और अन्य रूप में लेखा-बाह्य परिसम्पत्तियों को पकड़ा जाता है। वर्ष 1994-95 के दौरान पकड़ी गई परिसम्पत्तियों का कुल मूल्य 381.43 करोड़ रुपये था।

(ख) कर अपवंचन को रोकना और काले धन का पता लगाना किसी भी अर्थ-व्यवस्था में निहित निरन्तर चलने वाली प्रक्रियाएं हैं। काले धन का पता लगाने के लिए सरकार समय-समय पर उचित समझे गए आवश्यक कानूनी, वित्तीय और प्रशासनिक उपाय करती आ रही है। कराधान/दर में उत्तरोत्तर कमी की जाती रही है और आय स्तरों को उत्तरोत्तर युक्तिपूर्ण बनाया गया है। इसके साथ ही साथ आयकर अधिनियम 1961 में अनेक उपबंध हैं जिनका उद्देश्य काले धन का पता लगाना है। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ धारा 44-कक और 44 क ख के अन्तर्गत उचित मामलों में लाखों का अनिवार्य अनुरक्षण और उनकी लेखा परीक्षा धारा 40 क (3), 269- ध ध और 269 (न) के अन्तर्गत नकद लेनदेनों पर प्रतिबंध, अध्याय XX-7 के अन्तर्गत सम्पत्तियों की पूर्व क्रयाधिकार खरीद और कर चुककर्ताओं को सजा देने के लिए आर्थिक दंड और अभियोजनों के बारे में उपबंध शामिल हैं। काले धन का पता लगाने के लिए अधिनियम में सम्मन, सर्वेक्षण, तलाशी और दूसरे जांच कार्यों से संबंधित उपबंध भी शामिल हैं। उचित मामलों में इन उपबंधों का सहारा लिया जाता है. काले धन का पता लगाने के लिए मशीनरी को अधिक सुदृढ़ करने हेतु वित्त विधेयक , 1995 द्वारा आयकर अधिनियम में हाल ही में संशोधनों का प्रस्ताव किया गया है।

कॉफी की मांग में कमी

3799. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी: क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि देश के दक्षिणी भाग में कॉफी की खपत में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा व इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार को युनाइटेड प्लांटर्स एसोसिएशन से कॉफी के साथ कासमी (चिकरी) को मिलाने के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्): (क) जी, नहीं। इस तरह की कोई सूचना नहीं है जिससे इस बात का इंगित हो कि देश के दक्षिणी भागों में कॉफी की खपत में कमी हो रही है।

(ख) उपर्युक्त "क" को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) युनाइटेड प्लांटर्स एसोसिएशन ने मंत्रालय से अनुरोध किया है कि वह विशुद्ध कॉफी की खपत का संवर्धन करने के लिए कॉफी में चिकरी के मिश्रण को रोकने/विनियमित करने के उपाय करें।

(ङ) कॉफी के चिकरी का मिश्रण खाद्य अपमिश्रण अधिनियम, 1954 के उपबंधों के अनुसार किया जाता है जो ब्लेंडेड काफी में 49% तक चिकरी की अनुमति देता है। तथापि कॉफी बोर्ड केवल विशुद्ध कॉफी के उपभोग का ही संवर्धन करता है।

[हिन्दी]

इंडियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया में निःशुल्क यात्रा सुविधा

3800. श्री कुंजी लाल : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इंडियन एयरलाइन्स ऐयर इंडिया में निःशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या मानदंड अपनाये गये हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान मुफ्त यात्रा के कितने पास उपलब्ध कराए गए हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) नागर विमानन और पर्यटन मंत्री द्वारा उनके विवेकाधिकार के अधीन, पात्र मामलों में, स्वास्थ्य सेवा के महानिदेशक की सिफारिश पर, विदेश में इलाज के लिए, निशुल्क पास जारी किए जाते हैं। नागर विमानन और पर्यटन मंत्री द्वारा अपने विवेकाधिकार से अन्य पात्र मामलों में भी निःशुल्क पास जारी किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त , पर्यटन विभाग ने पर्यटन प्रोत्साहन प्रयोजन के लिए निशुल्क पासों का कोटा चालू किया है वे भी मंत्री (नागर विमानन और पर्यटन) के आदेशों के अधीन जारी किए जाते हैं।

(ग) उपरोक्त वर्णित मानदण्डों के अधीन जारी किए गए निशुल्क पासों की संख्या नीचे दर्शाई गई है:-

वर्ष	विदेश में इलाज सहित मंत्री (नागर विमानन और पर्यटन) द्वारा जारी किए गए निशुल्क पास	पर्यटन विभाग द्वारा प्रस्तावित निशुल्क पास
1991-92	124 (एआर इंडिया पर)	* 850 (एआर इंडिया पर)
	*675 इंडियन एयरलाइन्स पर)	* 970 (एयर इंडिया पर)
1992-93	173 (एआर इंडियार पर)	* 675 (इंडियन एयरलाइन्स पर)
		* 1000 (एआर इंडिया पर)
1994-95	250 (एआर इंडिया पर)	* 1000 (एआर इंडिया पर)
	-	* 800 इंडियन एयरलाइन्स पर)

* वास्तविक उपयोग संबंधी आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु कार्य योजना

3801. श्री बृजभूषण शरण सिंह: क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु आठवीं पंचवर्षीय योजना में कितनी कार्य योजनाओं को शामिल किया गया है और इसके लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(ख) इस उद्देश्य से चुने गए स्थानों पर उपलब्ध करायी जाने वाली सुविधाओं का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से प्राप्त पूर्ण प्रस्तावों के आधार पर आठवीं पंचवर्षीय योजना के पहले तीन वर्षों के दौरान 398.00 लाख रुपए की लागत की 29 परियोजनाएं/ स्कीमें स्वीकृत की हैं।

(ख) राज्य सरकार द्वारा अभिनिर्धारित स्थानों पर प्रदान करवाई गई और प्रदान करवाई जाने वाली पर्यटक सुविधाओं में यात्री निवासों, पर्यटक कुटीरों, पर्यटक परिसरों, मार्गस्थ सुख-सुविधाओं, तम्बुओं वाली कालोनियों, मनन-प्रार्थना केन्द्रों, स्वागत केन्द्रों और जन-सुविधाओं आदि के निर्माण की सुविधाएं शामिल हैं।

[अनुवाद]

वेतन का भुगतान

3802. श्री जॉर्ज फर्नान्डीज: क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि राजस्थान संगमरमर और बलुआ पत्थर की खानों में कार्यरत श्रमिकों को इन खानों के मालिकों द्वारा उनकी जाति के आधार पर वेतन दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस प्रथा पर रोक लगाने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्री (श्री पी.ए. संगमा): (क) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत, जाति के आधार पर मजदूरी का भुगतान किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। केन्द्रीय सरकार जो पत्थर की खानों और संगमरमर की खानों में अनुसूचित नियोजनों के संबंध में समुचित सरकार है, को राजस्थान से पत्थर तथा संगमरमर की खानों में जाति के आधार पर मजदूरी के भुगतान के बारे में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है तथा निरीक्षणों के दौरान ऐसी कोई शिकायत सरकार के ध्यान में नहीं आई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

अवैध आयात

3803. कुमारी सुशीला तिरिया: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सीमा शुल्क कर्मचारियों और राजस्व आसूचना निदेशालय के बीच तालमेल न होने के कारण अवैध आयात की मात्रा में वृद्धि हुई है, और

(ख) यदि हां, तो देश में अवैध आयात रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति): (क) और

(ख) देश में माल की तस्करी को रोकने तथा इसका पता लगाने के लिए राजस्व आसूचना निदेशालय और क्षेत्रीय सीमाशुल्क कार्यालयों सहित सरकार की सभी एजेंन्सियों के बीच घनिष्ठ ताल-मेल बनाए रखा जा रहा है। देश में अवैध आयातों का पता लगाने तथा इसे रोकने के लिए क्षेत्रीय कार्यालय और आसूचना एजेन्सियां सतर्क हैं।

गुजरात में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

3804. श्री गाभाजी मंगाजी ठाकुर: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात में क्षेत्रीय ग्रामिण बैंक कहां-कहां पर स्थित है;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान इन बैंकों ने वर्षवार कितना-कितना लक्ष्य प्राप्त किया है;

(ग) क्या कुछ बैंक गंभीर वित्तीय संकट का सामना कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इन बैंकों की कार्यकुशलता में वृद्धि करने के लिए क्या उपाय किये गये हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति): (क) गुजरात राज्य में 9 क्षेत्रीय-ग्रामीण बैंक कार्य कर रहे हैं जिनके प्रधान कार्यालय भुज, जामनगर, पाटन, गोधरा, सुरेन्द्रनगर, वालसाड़, भरुच, हिम्मतनगर और जूनागढ़ में हैं।

(ख) 1992-93 और 1993-94 के वर्षों के दौरान वार्षिक ऋण योजना के अंतर्गत गुजरात में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की उपलब्धियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में हैं।

(ग) और (घ) चूंकी राज्य के सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को हानियां हो रही हैं इसलिए उनकी वित्तीय स्थिति संतोषजनक नहीं है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को हानि होने के कई कारण हैं जिनमें ग्राहकों की सीमित संख्या, परिचालन का सीमित क्षेत्र, कम ब्याज मार्जिन, विशेष रूप से राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण के पंचाट को कार्यान्वित करने के पश्चात बढ़ती हुई स्थापना की कीमत आदि शामिल हैं।

(ङ) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को मजबूत बनाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक तथा राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक ने उपाय किए हैं और उपायों के एक पैकेज की घोषणा दिसम्बर, 1993 में की गई थी। 1994-95 के दौरान व्यापक पुनर्गठन के लिए कुल 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में से 49 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का पता लगाया गया है। इन 49 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का अनुभव बाद के वर्षों में दूसरे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए अपनायी जाने वाली योजना का मार्गदर्शन करेगा। इस समय कमजोर और बीमार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की विकेन्द्रीकृत ग्रामीण बैंकिंग के वित्तीय रुप से सक्षम और प्रभावी लिखत में परिवर्तित करने का उद्देश्य है। इसके साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक ने जनवरी, 1995 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनकी गैर-एसएलआर अधिशेष निधियों को विनिर्दिष्ट लाभप्रद क्षेत्रों और प्रायोजक बैंकों द्वारा जारी किए जाने वाले जोखिम रहित शेयर भागीदारी प्रमाणपत्रों के माध्यम से अपने प्रायोजक बैंकों के ऋण पोर्टफोलियो में निवेश करने की अनुमति दी है।

देश में व्यापक पुनर्गठन के लिए चुने गए 49 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में दो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक गुजरात के हैं।

विवरण

वार्षिक ऋण योजना के तहत वर्ष 1992-93 और 1993-94 के दौरान गुजरात में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लक्ष्यों और उनके द्वारा प्राप्त उपलब्धियों को दर्शानेवाला विवरण

		1992-93			1993-94		
क्र.सं.	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का नाम	लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि की मात्रा	लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि की मात्रा
1.	कच्छ ग्रामीण बैंक	225.00	228.00	101.3	288.00	260.00	90.3
2.	जामनगर ग्रामीण बैंक	654.75	727.2	111.1	978.00	932.00	95.3
3.	बनसकंठा मेहसाणा ग्रामीण बैंक	528.15	449.61	85.1	492.17	502.09	102.0
4.	पंचमहल वडोदरा ग्रामीण बैंक	482.65	430.67	89.2	483.47	815.22	168.6
5.	सुन्दरनगर भावनगर ग्रामीण बैंक	241.43	206.36	85.5	282.00	342.00	121.3

क्र.सं.	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का नाम	1992-93			1993-94		
		लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि की मात्रा	लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि की मात्रा
6.	वलसाद ग्रामीण बैंक	314.19	304.11	96.8	N.A	N.A	-
7.	सूरत भरूच ग्रामीण बैंक	351.93	310.17	88.1	N.A	N.A	-
8.	साबरकंठा गांधीनगर ग्रामीण बैंक	165.66	165.59	99.9.	160.46	229.79	143.2
9.	जूनागढ़ अमरैली ग्रामीण बैंक	314.38	280.70	89.3	319.07	378.29	118.6

भारत पर्यटन विकास निगम के होटल

3805. श्री चिन्मयानन्द स्वामी: क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत पर्यटन विकास निगम के घाटे में चलने वाले होटलों का गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष होटलवार ब्यौरा क्या है;

(ख) घाटे में चलने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने स्थिति में सुधार करने और घाटे में चल रहे होटलों को लाभार्जन एककों में बदलने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) कुछ होटलों के नुकसान में रहने की स्थिति के प्रमुख कारण प्राकृतिक आपदाएं और कुछ प्रतिकूल पर्यटन सिनारिओ रहे हैं जो कि पर्यटक सरकिट में होटलों को प्रभावित करते हैं।

(ग) भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा होटलों के निष्पादन को सुधारने के लिए उठाए गए/उठाए जाने वाले कदमों में प्रगतिशील विपणन प्रयास, विशेष टैरिफ/पैकेजिस, होटल परिसम्पत्तियों का उन्नयन/सुधार/पुनसंरचना, प्रचालन लागतों की निगरानी और नियंत्रण, उचित प्रशिक्षण देकर मानव संसाधन का विकास करना आदि शामिल है।

विवरण

भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड

वर्ष 1992-93, 1993-94 और 1994-95 (अनन्तिम) के दौरान जिन होटलों ने घाटा उठाया उनके नामों को दर्शाने वाला विवरण

(रु. लाखों में)

क्रम स.	एकक का नाम	1992-93	1993-94	1994-95 अनन्तिम
1.	एयरपोर्ट अशोक, कलकत्ता	16.18	61.38	45.42
2.	होटल जम्मू अशोक, जम्मू	23.24	13.16	22.33
3.	कलिंग अशोक, भुवनेश्वर	42.59	37.76	31.41
4.	पाटलीपुत्र अशोक, पटना	32.65	8.94	25.00

क्रम सं.	एकक का नाम	1992-93	1993-94	1994-95 अनन्तिम
5.	रणजीत होटल, नई दिल्ली	115.95	72.07	66.34
6.	होटल मनाली अशोक, मनाली	24.30	4.00	-
7.	होटल सम्राट, नई दिल्ली	98.80	21.92	-
8.	टैम्पल बे अशोक बीच रिजार्ट्स मामल्लापुरम	12.89	10.84	-
9.	खजुराहो अशोक, खजुराहो	-	3.53	23.10
10.	मदुरै अशोक, मदुरे	-	2.68	-
11.	वाराणसी अशोक, वाराणसी	14.81	14.80	42.09
12.	अशोक होटल, नई दिल्ली	11.33	-	-
13.	जनपथ होटल, नई दिल्ली	31.92	-	-
14.	कुतुब होटल, नई दिल्ली	2.65	-	-
15.	लोधी होटल, नई दिल्ली	21.33	-	-
16.	होटल अशोक, बंगलौर	-	0.46	-
17.	होटल आगरा अशोक, आगरा	6.58	-	39.46
18.	अशोक यात्री निवास, नई दिल्ली	60.87	87.40	-
19.	ओरंगाबाद अशोक, औरंगाबाद	-	12.06	17.87
20.	होटल जयपुर अशोक	-	-	7.09
	जोड़:	516.09	351.00	320.11
	घाटे वाले एककों की संख्या	15	14	10

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ऋण का वितरण

3806. **डा. साक्षीजी:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1993-94 और 1994-95 में उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र के ऋण के वितरण के लिए निर्धारित लक्ष्य क्या थे, पृथक-पृथक ब्यौरा दें;

(ख) क्या उक्त उल्लिखित लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.बी. चन्द्रशेखर मूर्ति): (क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए मार्गनिर्देशकों के अनुसार, प्राथमिकता क्षेत्र ऋणों का समग्र निर्धारण निवल बैंक ऋणों का 40 प्रतिशत है.

(ख) से (घ) उत्तर प्रदेश के संयोजक बैंक, भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि 1993-94 में उत्तर प्रदेश में सभी राष्ट्रीय बैंकों ने उपर्युक्त निर्धारण को प्राप्त कर लिया था। राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा उत्तर प्रदेश में दिए गए प्राथमिकता क्षेत्र ऋणों का ब्यौरा नीचे दर्शाया गया हैं:-

(करोड़ रुपए में)

	31.3.1994 की स्थिति के अनुसार	31.12.1994 की स्थिति के अनुसार (अद्यतन उपलब्ध)
राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिया गया कुल उधार	10494.25	10333.70
कुल प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम	5668.24	5916.70
कुल अग्रिमों की तुलना में प्रातमिकता क्षेत्र अग्रियों का प्रतिशत	54.0	57.26

शुल्क दर में कटौती और निर्यात संवर्धन

3807. **श्री सुधीर गिरि:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पूंजीगत मदों के संचयन में सहायता प्राप्त करने हेतु वर्ष 1994-95 में आयात पर कुल कितनी मात्रा में शुल्क दर में कमी की गई;

(ख) इसी वर्ष में भारतीय मुद्रा के रूप में कितना निर्यात संवर्धन हुआ;

(ग) वर्ष 1994-95 के दौरान वित्तीय संस्थानों द्वारा कुल कितनी मात्रा में निर्यात की स्वीकृति प्रदान की गई; और

(घ)इस वर्ष में व्यापार यूनिटों को कितनी मात्रा में बाजार विकास सहायता प्रदान की गई?

वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम.वी.चन्द्रशेखर मूर्ति): (क) 15 मार्च, 1995 को पेश किए गए बजट से पहले अधिकांश पूंजीगत माल पर 25% के हिसाब से सीमा शुल्क लगता था। इस बजट में, जनरेटिंग सेटों और वेइंग मशीनों सहित कुछेक अन्य पूंजीगत माल पर सीमा शुल्क को घटा कर 25% कर दिया गया। इसी प्रकार, मशीनी औजारों के लिए, सीमा शुल्क की दर को 35%/ 45% से घटा कर 25% कर दिया गया। इसके अलावा, परीक्षण, गुणवत्ता नियंत्रण, अन्य उपस्करों और उनके पुर्जों पर सीमा शुल्क को 60/40% से घटा कर 25% कर दिया गया। पूंजीगत माल के उन संघटकों पर भी शुल्क घटा कर 25% कर दिया गया जिनमें इलेक्ट्रोनिक पुर्जे और मोटर वाहन पुर्जों सहित इन्टरचेंजेबल संघटक शामिल होते हैं।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) 659 करोड़ रुपए।

राष्ट्रीयकृत बैंक के तार अंतरण और डिमांड ड्राफ्ट प्रभार

3808. **श्री रतिलाल वर्मा:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों के बैंकवार तार अंतरण और डिमांड ड्राफ्ट प्रभारों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) हाल ही में राष्ट्रीयकृत बैंकों में कितनी वृद्धि की गई है तथा विभिन्न बैंकों के अलग-अलग प्रभार वसूल करने के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति): (क) और (ख) भारतीय बैंक संघ (आई.बी.ए.) ने दिनांक 16 दिसम्बर, 1994 को अपने सभी सदस्य बैंकों को सेवा प्रभार की बैन्च मार्क सूची परिचालित की थी, जिसके आधार पर अलग-अलग बैंकों ने तार अंतरण तथा डिमांड ड्राफ्ट सहित विभिन्न सेवाओं के लिए अपने स्वयं के सेवा प्रभारों में अंश संशोधन किया है। डिमांड ड्राफ्टों के लिए सेवा प्रभारों के बैंकवार ब्यौरे सलंग्न विवरण में दिए गये थें। जहां तक तार अंतरण का संबंध है, प्रेषण प्रभारों के अलावा, वास्तविक डाक,व्यय/टेलीग्राम/तार-प्रभार शामिल किए जाते हैं।

कुल मिलाकर, राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा निर्धारित सेवा प्रभार भारतीय बैंक संघ द्वारा निर्धारित सेवा प्रभारों के बैंच मार्क सूची के अनुरूप हैं।

विवरण

मांग ड्राफ्ट (डिमांड ड्राफ्ट) के लिए सेवा प्रभारों का बैंक-वार विस्तृत ब्यौरा

1. युनाइटेड बैंक आफ इंडिया

लिखत की राशि	प्रभार
500/- रु. तक	5/-रु.
500 रु. से अधिक और 1000/- रु. तक	10/-रु.
1000/- रु. से अधिक और 5000/-रु. तक	15/-रु.
5000/-रु. से अधिक और 10000/-रु. तक	20/-रु.
10,000/-रु. से अधिक और 100000/-रु. तक	2/-रु. प्रति हजार या उसका एक भाग न्यूनतम 20/-रु.
1,00,000/-रु. से अधिक और 10,00,000/-रु. तक	1.50/-रु. प्रति हजार या उसका एक भाग न्यूनतम 200/-रु.
10,00,000/-रु.से अधिक	1.00/-रु. प्रति हजार या उसका एक भाग न्यूनतम 1500 रु.

तार-अन्तरण-समान + तार प्रभार

2. सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया

लिखत की राशि	प्रभार
500/-रु. तक	5/-रु.
500/-रु. से अधिक और 1000/-रु. तक	10/-रु.
1000/-रु. से अधिक और 5000/-रु. तक	15/-रु.
5000/-रु.. से अधिक और 10,000/-रु. तक	20/-रु.
10,000/-रु. से अधिक और 1 लाख रु. तक	2 रु. प्रति हजार या उसका एक भाग
1 लाख रु. से अधिक और 10 लाख रु. तक	1.50 रु. प्रति हजार या 200/-रु. न्यूनतम सहित उसका एक भाग
10 लाख रु. से अधिक	1 रु. प्रति हजार या 1500 रु. न्यूनतम और 5000 रु. अधिकतम सहित उसका एक भाग

लिखत की राशि	प्रभार
3. कारपोरेशन बैंक	
500/-रु. तक	5/-रु.
500/-रु. से अधिक और 1000/-रु. तक	10/-रु.
1000/-रु. से अधिक और 5000/-रु.. तक	15/-रु.
5000/-रु. से अधिक और 10000/-रु. तक	20/-रु.
10,000/-रु. से अधिक और 1,00000/-रु. तक	2/-रु. प्रति हजार और उसका एक भाग
100000/-रु. से अधिक और 10 लाख रु. तक	1.50 रु. प्रति हजार या उसका एक भाग (न्यूनतम 200 रु.)
10 लाख रु. से अधिक	1500/-रु. और 1 लाख रु. से 10 लाख रु. के स्लैब के अंतर्गत लिए जाने वाले प्रभार का 25% (अर्थात 1.50 रु. प्रति हजार या उसका एक भाग) 50 लाख रु. के लिए लागू अधिकतम प्रभार अर्थात 3000 रु. के अध्यधीन

4. इंडियन ओवरसीज बैंक

लिखत की राशि	प्रभार
500/-रु. तक और उसके सहित	5/-रु.
500/-रु. से अधिक और 1000/-रु. तक	10/-रु.
1000/-रु. से अधिक और 5000/-रु. तक	15/-रु.
5000/-रु. से अधिक और 10000/-रु. तक	20/-रु.
10000/-रु. से अधिक और 1 लाख रु. तक	2 रु. प्रति हजार और उसका एक भाग
1 लाख रु. से अधिक और 10 लाख रु. तक	1.50 रु. प्रति हजार (न्यूनतम 200 रु.) एक समान दर 2500/-रु.

5. यूनियन बैंक आफ इंडिया

लिखत की राशि	प्रभार
500/-रु. तक	5/-रु.
500/-रु. से अधिक और 1000/-रु. तक	10/-रु.

लिखत की राशि	प्रभार
1000/-रू. से अधिक और 5000/-रू. तक	15/-रू.
5000/-रू. से अधिक और 10000/-रू.	20/-रू.
10000/-रू. से अधिक और 1 लाख रू. तक	2 रू. प्रति हजार और या उसका एक भाग
एक लाख रू. से अधिक	1.50 रू. प्रति हजार और उसका एक भाग न्यूनतम 200 रू.

6. बैंक आफ इंडिया

लिखत की राशि	प्रभार
500/-रू. तक	5/-रू.
500/-रू. से अधिक और 1000/-रू. तक	10/-रू.
1000/-रू. से अधिक और 2500/-रू. तक 2500/-रू. से अधिक और 5000/-रू. तक	15/-रू.
5000/-रू. से अधिक और 10000/-रू. तक	2/-रू.
1 लाख रू से अधिक और 10 लाख रू. तक	1.50 रू. प्रति हजार (न्यूनतम 200 रू.)
10 लाख रू. से अधिक	1 रू. प्रति हजार न्यूनतम 1500 रू. अधिकतम 10000/-रू.

7. देना बैंक

लिखत की राशि	महानगर/शहरी/अर्धशहरी क्षेत्रों के लिए प्रभार
500/-रू. तक	5/-रू.
500/-रू. से अधिक और 1000/- रू. तक	10/-रू.
1000/-रू. से अधिक और 5000/-रू. तक	15/-रू.
5000/-रू. से अधिक और 10000/-रू. तक	20/-रू.
10000/-रू. से अधिक और 1 लाख रू. तक	2 रू. प्रति हजार या उसका एक भाग

लिखत की राशि	प्रभार
1 लाख रू॰ से अधिक और 10 लाख रू. तक	1.50 रू. प्रति हजार न्यूनतम 200 रू.
10 लाख रू. से अधिक	1.25 रू. प्रति हजार न्यूनतम 1500/-रू.

8. पंजाब एंड सिंध बैंक

लिखत की राशि	प्रभार
500/-रू. तक	5/-रू.
500 रू. से अधिक और 1000 रू. तक	10/-रू.
1000 रू. से अधिक और 5000 रू. तक	15/-रू.
5000 रू. से अधिक और 10000 रू. तक	20/-रू.
10,000/-रू. से अधिक और 1 लाख रू. तक	2 रू. प्रति हजार या उसका एक भाग
एक लाख रू॰ से अधिक	1.50 रू. प्रति हजार या 200 रू. न्यूनतम और 3 हजार रू. अधिकतम सहित उसका एक भाग

9. पंजाब नेशनल बैंक

लिखत की राशि	**प्रभार**
500 रू. तक	5/-रू.
500/-रू. से अधिक और 1000 रू. तक	10/-रू.
1000/-रू. से अधिक और 5000 रू. तक	15/-रू.
5000 रू. से अधिक और 10000 रू. तक	20/-रू.
10000/-रू. से अधिक और 1 लाख रू. तक	2 रू. प्रति हजार
1 लाख रू. से अधिक और 10 लाख रू. तक	1.50 रू. प्रति हजार न्यूनतम 200 रू.
10 लाख रू. से अधिक	1500 रू. 0.75 रू. प्रति हजार या 10 लाख रू. से अधिक उसका एक भाग

10. सिंडिकेट बैंक

लिखत की राशि	प्रभार
500 रू. से अधिक	5 रू.
500 रू. से अधिक और 1000 रू. तक	10 रू.
1000 रू. से अधिक और 5000 रू. तक	15 रू.
5000 रू. से अधिक और 10000 रू. तक	20 रू.
10000 रू. से अधिक और 1 लाख रू. तक	2 रू. प्रति हजार या उसका एक भाग
1 लाख रू. से अधिक	1.50 रू. प्रति हजार या उसका एक न्यूनतम 200 रू. अधिकतम 3000 रू.

11. आन्ध्रा बैंक

लिखत की राशि	प्रभार
500 रू. से अधिक	5 रू.
500 रू. से अधिक और 1000 रू. तक	10 रू.
1000 रू. से अधिक और 5000 रू. तक	15/-रू.
5000 रू. से अधिक और 10,000 रू. तक	20 रू.
10,000 रू. से अधिक और 1 लाख रू. तक	2 रू. प्रति हजार या उसका एक भाग
1 लाख रू॰ से अधिक और 10 लाख रू॰ तक	1.50 रू. प्रति हजार या उसका एक भाग न्यूनतम 200 रू.

12. केनरा बैंक

लिखत की राशि	प्रभार
500 रू. से अधिक	5/-रू.
500 रू. से अधिक और 1000 रू. तक	10/-रू.
1000 रू. से अधिक और 5000 रू. तक	15/-रू.

लिखत की राशि	प्रभार
5000 रू. से अधिक और 10000 रू. तक	20/-रू.
10,000/-रू. से अधिक और 1 लाख रू. तक	2 रू. प्रति हजार या उसका एक भाग
1 लाख रू. से अधिक और 10 लाख रू. तक	1.50 प्रति हजार या 200 रू. न्यूनतम सहित उसका एक भाग
10 लाख रू. से अधिक	एक समान 1500 रू.

13. विजया बैंक

लिखत की राशि	प्रभार
500 रू. से अधिक	5 रू.
500 रू. से अधिक और 1000 रू तक	10/-रू.
1000 रू. से अधिक और 2500 रू. तक	-तदैव-
2500/-रू. से अधिक और 5000/-रू. तक	-तदैव-
1000 रू. से अधिक और 5000 रू. तक	15/- रू.
5000 रू. से अधिक और 10000 रू. तक	20/-रू.
10,000 रू. से अधिक और 1 लाख रू. तक	2 रू. प्रति हजार और उसका एक भाग
1 लाख रू. से अधिक और 10 लाख रू. तक	1.50 रू. प्रति हजार और 200 रू. न्यूनतम सहित उसका एक भाग
10 लाख रू. से अधिक	1500/-रू.+1 रू. प्रति हजार या 10 लाख रू. से अधिक की राशि के लिए उसका एक भाग

14. बैंक आफ महाराष्ट्र

लिखत की राशि	प्रभार
5000 रू. तक	प्रति प्रेषण 5 रू. न्यूनतम और 15 रू. अधिकतम सहित ड्राफ्ट की राशि का एक प्रतिशत

लिखत की राशि	प्रभार
5000 रू. से अधिक और 10000 रू. तक	20 रू. प्रतिप्रेषण
10000 रू. से अधिक और 1 लाख रू. तक	2 रू. प्रति हजार और उसका एक भाग
1 लाख रू. से अधिक और 10 लाख रू.तक	1.50 प्रति हजार और उसका एक भाग न्यूनतम 200 रू.

15. यूको बैंक

लिखत की राशि	प्रभार
500 रू. तक	5/-रू.
500 रू. से अधिक और 1000 रू. तक	10/-रू.
1000 रू. से अधिक और 5000 रू. तक	15/-रू.
5000 रू. से अधिक और 10,000 रू. तक	20/-रू.
10,000 रू. से अधिक और 1 लाख रू. तक	2 रू. प्रति हजार और उसका एक भाग
1 लाख रू. से अधिक और 10 लाख रू. तक	1.50 रू. प्रति हजार और उसका एक भाग न्यूनतम 200 रू.
10 लाख रू. से अधिक	1.50 रू. प्रति हजार न्यूनतम 2000 रू.

16. इलाहाबाद बैंक

लिखत की राशि	प्रभार
500 रू० तक	5/-रू०
500 रू० से अधिक और 1000 रू० तक	10/- रू०
1000 रू से अधिक और 5000 रू० तक	15/- रू
5000 रू से अधिक और 10,000/-रू तक	20/-रू
10,000 /रू० से अधिक और 1 लाख रू० तक	2 रू प्रति हजार
1 लाख रू० से अधिक और 10 लाख रू० तक	1.50 रू० प्रति हजार न्यूनतम 200 रू०
10 लाख रू से अधिक	1.50 रू० प्रति हजार न्यूनतम 2000 रू

17. ओरियंटल बैंक आफ कामर्स

लिखत की राशि	प्रभार
500 रू. तक	5/-रू.
500 रू. से अधिक और 1000 रू. तक	10/-रू.
1000 रू. से अधिक और 5000 रू. तक	15/-रू.
5000 रू. से अधिक और 10000 रू. तक	20/-रू.
10000 रू. से अधिक और 1 लाख रू. तक	2 प्रति हजार
1 लाख रु. से अधिक और 10 लाख रु. तक	1.50 प्रति हजार न्यूनतम 200 रु.
10 लाख रू. से अधिक	1500 रू.

18. इंडियन बैंक

लिखत की राशि	प्रभार
500 रू. तक	5/-रू.
500 रू. से अधिक और 1000 रू. तक	10/-रू.
1000 रू. से अधिक और 5000 रू. तक	15/-रू.
5000 रू. से अधिक और 10000/-रू. तक	20/-रू.
10,000/-रू. से अधिक और 1 लाख रू. तक	2 रू. प्रति हजार या उसका एक भाग
1 लाख रू. से अधिक और 10 लाख रू. तक	1.50 रू. प्रति हजार या 200 रू. न्यूनतम सहित उसका एक भाग

19. बैंक आफ बड़ौदा

लिखत की राशि	प्रभार
500 रू. तक	5/-रू.
500 रू. से अधिक और 1000 रू. तक	10/-रू.
1000 रू. से अधिक और 5000/-रू. तक	15/-रू.
5000 रू. से अधिक और 10000/-रू. तक	20/-रू.

लिखत की राशि	प्रभार
10000/-रू. से अधिक और 1 लाख रू. तक	2 रू. प्रति हजार या उसका एक भाग
1 लाख रू. से अधिक और 10 लाख रू. तक	1.50 रू. प्रति हजार या 200 रू. न्यूनतम के अध्यधीन उसका एक भाग
10 लाख रू. से अधिक	1.50 रू. प्रति हजार या 3000 रू. अधिकतम के अद्यधीन उसका एक भाग

नोट : ग्रामीण शाखाओं में ग्राहकों के लिए सेवा प्रभार सामान्य दरों से 20 प्रतिशत कम है।

विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि

3809. डॉ. रमेश चन्द तोमर: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन महीनों के दौरान भारत की विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि की प्रवृत्ति कैसी रही;

(ख) क्या इस आरक्षित निधि की मात्रा में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी विवरण क्या हैं; और

(घ) सरकार ने इस आरक्षित निधि का किस प्रकार उपयोग किया है ?

वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चंद्रशेखर मूर्ति): (क) विदेशी मुद्रा भंडारों (सोना और विशेष आहरण अधिकारों सहित) ने पिछले तीन महीनों के दौरान वृद्धिकारी प्रवृत्ति दिखाई और जो नीचे दी गई है:

के अन्त में	भारत के विदेशी मुद्रा भंडार (मिलियन अमरीकी डॉलर)
जनवरी, 1995	23790
फरवरी, 1995	23951
मार्च, 1995	25186

(ख) और (ग) जी हां। भंडारों में निर्माण अल्पकालिक और लागत पूर्ण ऋण के प्रगतिशील नकदीकरण सहित पाया जाता है और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश तथा पोर्टपोलियो निवेश जैसे गैर-ऋण सृजित विदेशी मुद्रा अन्त:प्रवाह पर अधिक महत्व दिया जाता है।

(घ) विदेशी मुद्रा भंडारों का अनेकों मुद्राओं/विदेशी साधनों में विवेकपूर्ण भंडारों के प्रबन्धन के मानदंडों के अनुकूल परिनियोजन किया गया है।

इन्दौर हवाई अड्डा

3810. श्रीमती सुमित्रा महाजन: क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को मध्य प्रदेश सरकार से इन्दौर हवाई अड्डे को एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई निर्णय लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) ये प्रश्न नहीं उठते।

"नाबार्ड" द्वारा सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को ऋण सुविधा

3811. श्री राम निहोर राय : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या "नाबार्ड" ने सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को ऋण देने की एक योजना बनाई है ताकि देश के 100 जनजातीय बहुल जिलों के अनुसूचित जनजातियों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति): (क) और (ख) जी, हां। बारह राज्यों में फैले हुए 114 जिलों के आदिवासियों को दिए जाने वाले ऋण के प्रवाह की समस्या पर अधिक ध्यान देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने चालू वर्ष 1995-96 से जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को मौसमी कृषि परिचालनों का वित्तपोषण करने के लिए अलग से अल्पावधिक ऋण सीमा मंजूर करने का निर्णय लिया है। इस प्रयोजन के लिए इसने 400 करोड़ रुपए निर्धारित किए हैं।

औषधीय उत्पादों पर शुल्क रियायत

3812. श्री सोमजीभाई डामोर: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या औषध उद्योग और औषधीय दवाइयों को, जिनका देश के लोगों के स्वास्थ्य से सीधा संबंध हैं, रियायतों और उपयुक्त शुल्क विशेषतया उत्पाद शुल्क से वंचित रखा गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इसका क्या औचित्य है;

(ग)क्या सरकार को इस संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है अथवा दिए जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) औषधियों और औषध निर्मितियों के संबंध में सीमा शुल्क और उत्पादन शुल्क ढांचे और दर को सभी संगत बातों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया गया है।

बल्क औषधियों और औषध निर्मितियों पर उत्पाद शुल्क की सामान्य प्रभावी दर क्रमशः 10% और 15% जारी रखी गई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम में प्रयोग की गई विनिर्दिष्ट बल्क औषधियों और औषध निर्मितियों, प्रजातिगत नाम से बेची गई औषधियों और कुछेक विनिर्दिष्ट औषधियों को उत्पाद शुल्क से पूर्ण छूट दी गई है। कुछेक विनिर्दिष्ट औषधियों के लिए उत्पादन शुल्क की 10% की रिआयती दर भी उपलब्ध है। जहां तक सीमाशुल्क का संबंध है, विनिर्दिष्ट जीवन रक्षक औषधियों तथा ऐसी औषधियों के विनिर्माण के लिए प्रयोग में लाई गई कच्ची सामग्री को सीमा शुल्क से पूर्णतः छूट दी गई है। कुछेक विनिर्दिष्ट औषधियों और ऐसी औषधियों के लिए कच्ची सामग्रियों के लिए शुल्क की रिआयती दर भी उपलब्ध है।

(ग) और (घ) सरकार को औषध उद्योग से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं अन्य बातों के साथ-साथ निम्मलिखित के लिए भी मांग की गई है:-

(i) मॉडवेट क्रेडिट की अधिकता से बचने के लिए बल्क औषधियों पर उत्पादन शुल्क को 10% से बढ़ाकर 15% करना।

(ii) उन औषधियों के लिए मामूली सा उत्पादन शुल्क निर्धारित करना जिन्हें उत्पादन शुल्क से पूर्णतया छूट प्राप्त है।

(iii) विनिर्दिष्ट कच्ची सामग्रियों और औषध मध्यवार्तियों पर सीमा शुल्क की रिआयती दर निधारित करना।

(ङ) इन सभी अनुरोधों पर बजट-पूर्व समीक्षा के एक भाग के रूप में विचार किया गया था। उत्पादन शुल्क के सामान्य ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया गया था। औषधियों के विनिर्माण के लिए कच्ची सामग्रियों पर सीमाशुल्क को रिआयती दर की योजना भी कुछेक परिवर्तनों के साथ जारी रखी गई है।

गुजरात में पर्यटन संवर्द्धन

3813. श्री हरि सिंह चावड़ा: क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कोई सपान योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या ऐसी योजना के अंतर्गत गुजरात के स्थानों को भी शामिल किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

नगर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, हां।

(ख) पर्यटन आधारिक संरचना के विकास, साहसिक क्रीड़ाओं के विकास, संबर्धन और प्रचार प्रयासों, जन शक्ति संसाधनों के विकास के क्षेत्र में सभी राज्यों ओर संघ शासित क्षेत्रों की सहायता के लिए केन्द्रीय पर्यटन विभाग की समान स्कीमें हैं। राज्य सरकारों से विशिष्ट और पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होने पर केन्द्रीय पर्यटन विभाग द्वारा परियोजनाओं को प्रत्येक मामले में गुण-दोषों और निधियों की उपलब्धता के आधार पर स्वीकृत किया जाता है।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) पर्यटन आधारिक संरचना के विकास, विपणन और प्रचार

साहसिक क्रीड़ाओं आदि के विकास जैसी विभिन्न स्कीमों के लिए गुजरात को स्वीकृत की गई राशि नीचे दी गई है :-

वर्ष	स्वीकृत साशि (रु. लाखों में)
1991-92	141.58
1992-93	20.90
1993-94	65.76
1994-95	21.19

भारत के विरुद्ध अमरीकी "स्पेशल 301"

3814. श्री रामचन्द्र मारोतराव घंगारे: क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिजनेस सॉफ्टवेयर एलाइन्स ने क्लिंटन प्रशासन से भारत के विरुद्ध अमरीकी व्यापार कानून दण्डात्मक प्रावधान स्पेशन 301 का प्रयोग करने का आग्रह किया है क्योंकि अमरीका की बौद्धिक सम्पदा को 44 मिलियन डालर का वार्षिक घाटा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्): (क) से (ग) अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक सम्पदा संधि (आई.आई.पी.ए.) जिसमें व्यापार सॉफ्टवेयर संधि सहित संयुक्त राज्य में आठ कॉपीराइट उद्योग संघ शामिल हैं, ने संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि (यू. एस. टी. आर.) को दिए गए 1991 के अपनी विशेष 301 याचिका में भारत को प्राथमिकता निगरानी सूची में रखे रहने के सिफारिश की है। प्राथमिकता निगरानी सूची संयुक्त राज्य के कानून द्वारा निर्मित वर्गीकरण नहीं है बल्कि यह एक प्रशासनिक तरीका है। निगरानी सूची से संयुक्त राज्य प्रशासन के लिए कानूनी रूप से कोई बाध्यकरी परिणाम नहीं है।

सरकार ने संयुक्त राज्य प्रशासन को बताया है कि डब्ल्यू. टी. ओ. के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत कोई एक पक्षीय निर्णय या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए तथा ऐसे मामलों के बहुपक्षीय रूप से सुलझाया जाना चाहिए क्योंकि एकपक्षीय व्यापार उपाय उरुग्वे दौर के समझौते के अन्तर्गत संयुक्त राज्य के दायित्व के विपरीत होगा।

मार्ग परिवर्तित विमान

3815. श्री अमल दत्त: क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूसरे विमानपत्तन के लिए विमान का मार्ग परिवर्तित कर देने की स्थिति में परिवर्तित विमानपत्तन पर यात्रियों को आवास, भोजन, परिवहन और संचार जैसी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) दिसम्बर, 1994 से फरवरी, 1995 तक ऐसा परिवर्तन कितनी बार किया गया और परिवर्तित विमानपत्तन पर यात्रियों को प्रदान की गई सुविधाओं का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ग): एअर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स अपवर्तित हवाई अड्डे पर उपलब्ध सुविधाओं और ठहरने की अवधि पर निर्भर करते हुए, उड़ानों के मार्ग परिवर्तन के मामले में अपने यात्रियों को, आवास, भोजन, परिवहन तथा टेलीफोन इत्यादि जैसी सुविधाएं प्रदान करती है।

दिसम्बर, 1994 से फरवरी 1995 की अवधि के दौरान इंडियन एयरलाइन्स की 19 उड़ानों तथा एअर इंडिया की 4 उड़ानों का अपवर्तन किया गया था और इन अपवर्तित उड़ानों के यात्रियों को, एयरलाइनों की लागत पर भोजन तथा ठहरने और परिवहन खर्च की प्रतिपूर्ति जैसी सभी संभव सुविधाएं प्रदान की गई थीं।

बागडोगरा हवाई अड्डे का प्रयोग

3816. श्री जितेन्द्र नाथ दास: क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय को बागडोगरा हवाई अड्डे के प्रयोग के लिए रक्षा मंत्रालय को कुछ धनराशि देनी पड़ती है; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक वर्ष कितनी धनराशि दी जाती है और इसकी क्या शर्तें हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) जी नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

एयर इंडिया की कीमत पर सरकारी मितव्ययिता

3817. श्री सनत कुमार मंडल: क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 26 मार्च, 1995 के "दि सन्डे टाइम्स" में

(क) क्या सरकार का ध्यान 26 मार्च, 1995 के ''दि सन्डे टाइम्स'' में ''गवर्मिंट ऑस्टेरिटि एट ए. आई. कॉस्ट'' शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) क्या इसमें उठाये गये मुद्दों की जांच की गई है; और

(ग) यदि हां, तो एयर इंडिया के विमानों से विशेष रूप से दिल्ली लन्दन/दिल्ली-न्यूयॉर्क और उस तरह के अन्य व्यस्त मार्गों से यात्रा करते समय बिजनेस जे. क्लास टिकटधारी अति विशिष्ट व्यक्तियों का दर्जा बढ़ाने की प्रथा को रोकने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) ''श्रेणी उन्नयन'' की विमान कम्पनियों में आम परिपाटी है। यह सुविधा वाणिज्यिक संबंधों/विशिष्ट व्यक्तियों/विमानकम्पनियों तथा सरकार के अधिकारियों को दी जाती है। ''श्रेणी उन्नयन'' द्वारा विमानकम्पनी रिक्त हुई सीटों को प्रतीक्षा-सूची वाले यात्रियों को देकर उपलब्ध क्षमता का इष्टतम प्रयोग भी सुनिश्चित कर पाती है। अत: ''श्रेणी उन्नयन'' पर सामान्य रोक लगा देना वांछनीय नहीं है।

रुपए का मूल्य

3818. **श्री सैयद शहाबुद्दीन:** क्या **वित्त मंत्री** 24 मार्च, 1995 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1792 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मार्च, 1993,1994 और 1995 में प्रमुख यूरोपीय मुद्राओं की तुलना में भारतीय रुपए का क्या मूल्य रहा है; और

(ख) क्या व्यापार के लिए इन सभी मुद्राओं के बदले रुपया पूर्णत: परिवर्तनीय है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चंद्रशेखर मूर्ति): (क) मार्च, 1993, 1994 और 1995 के दौरान मुख्य यूरोपीय मुद्राओं के सन्दर्भ में भारतीय रुपए का मासिक औसत मूल्य नीचे की तालिका में दिया गया है:

विदेशी मुद्राओं का प्रति इकाई रुपया

(मासिक औसत दरें)

मुद्रा	मार्च 1993	मार्च 1994	मार्च 1995
पौंड स्टर्लिंग	45.9520	46.7971	50.6595
ड्यूश मार्क	19.1156	18.5319	22.4961
नीदरलैंड्स गिल्डर	17.0428	16.5047	20.0928
स्विस फ्रेंक	20.7457	21.9351	27.0426
फ्रेंच फ्रेंक	5.6395	5.4419	6.3623
स्वीडिश क्रोनर	4.0712	3.9687	4.3587

(ख) जी हां।

शहतूत की खेती

3819. **श्री कोडीकुन्नील सुरेश:** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से राज्य में बड़े पैमाने पर शहतूत की खेती करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है?

वस्त्र मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए आयकर योजना

3820. **श्री सुरेन्द्रपाल पाठक:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) छोटे दुकानदारों और व्यापारियों के लिए "अनुपानित एक मुश्त आयकर योजना" के अन्तर्गत हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस संबंध में सरकार द्वारा निर्धारित किए गए लक्ष्यों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इस योजना के अन्तर्गत वास्तव में कितनी धनराशि उगाही गई हैं;

(ग) इस योजना में अब तक कुल कितने लोगों ने अपनी रुचि दिखाई है;

(घ) क्या सरकार का इस योजना पर पुनर्विचार करने का इरादा है; और

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस योजना को अधिक आकर्षक बनाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना नीचे दी गई है:-

(i)	1994-95 के दौरान अनुमानित कर - स्कीम के अन्तर्गत मामलों की संख्या	324584
(ii)	1994-95 के दौरान अनुमानित कर - स्कीम के अन्तर्गत वसूली	45.67 करोड़ रुपए

(ये आकड़े अनंतिम है।)

चूंकि इस स्कीम के अन्तर्गत वसूलिया आयकर के अधीन कुल वसूली का हिस्सा हैं, अत: इस स्कीम के अन्तर्गत कोई अलग लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) लोगों को इस स्कीम के बारे में अधिक जानकारी देने और छोटे व्यापारियों को इस स्कीम से किस प्रकार लाभ होगा यह उन्हें बताने के लिए आयकर अधिनियम की धारा 115- ट के अधीन अनुमानित कर स्कीम का प्रचार करने हेतु सम्पूर्ण देश में इलैक्ट्रानिक और मुद्रित प्रचार सामग्रियों के माध्यम से प्रचार अभियान चलाया गया।

[हिन्दी]

पोस्त चूर्ण जब्त किया जाना

3821. **श्री एन. जे. राठवा:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) स्वापक विभाग ने मार्च, 1995 की स्थिति के अनुसार गुजरात में किन-किन स्थानों पर कितने-कितने मूल्य का पोस्त-चूर्ण जब्त किया है;

(क) क्या सरकार का विचार पोस्त चूर्ण के व्यापार के लिए नैफेड को लाइसेंस देने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) स्वापक औषध तथा मन: प्रभावी पदार्थ एक्ट 1985 के खंड 10 की शर्तों में राज्य सरकार को पोस्त स्ट्रा (जिसे सामान्यत: पोस्त भूसी/चूर्ण के नाम से जाना जाता है) की अनुमति तथा स्वामित्व का विनियमन,परिवहन, अन्तर-राज्य आयात, अन्तर-राज्य निर्यात, गोदाम में रखने, विक्रय, क्रय, उपभोग तथा उपयोग का अधिकार है। पोस्त चूर्ण की जब्ती के आंकड़े इस मंत्रालय में नहीं रखे गये हैं। पोस्त चूर्ण के व्यापार के लिए लाइसेंस जारी रखने के लिए केन्द्रीय सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है।

लंबित पर्यटन परियोजनाएं

3822. **श्री काशीराम राणा:** क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान गुजरात सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई पर्यटन संबंधी परियोजनाएं अभी भी केन्द्रीय सरकार के पास लंबित पड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन लंबित परियोजनाओ को शीघ्र मंजूरी देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान गुजरात राज्य सरकार से प्राप्त उन सभी पर्यटन परियोजना प्रस्तावों को जिन्हे हर तरह से पूर्ण पाया गया था, स्वीकृत कर दिया गया है।

विश्व व्यापार संगठन सन्धि

3823. **श्री दत्तात्रेय बन्डारू: क्या वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि उन देशों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने विश्व व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं और जिनके साथ भारत के व्यापारिक संबंध हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्): अब तक चौरासी देशों ने डब्ल्यू. टी. ओ. करार पर हस्ताक्षर किए हैं। 25 अन्य देशों को करार में शामिल करने के मामले में कार्यवाही प्रगति पर है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार 119 ऐसे देश हैं जिन्होंने अब तक डब्ल्यू टी ओ करार पर हस्ताक्षर नहीं किए है। भारत का इनमें से कुछ देशों के साथ काफी महत्वपूर्ण व्यापार होता है, लेकिन अन्य प्रकार देशों के साथ (इनमें कई छोटे देश हैं।) कोई महत्वपूर्ण व्यापार नहीं होता है। 119 देश ये है :- केनेरी द्विप, केप वर्ड द्विप, कोमोरस, जिबूती, इथोपिया, इक्वेटोरिया, इक्वेटोरिय गुरन, गुएना, लाइबेरिया, रुनियन, साओ थोमो एवं प्रिसपल, सेकेल्स, सोमालिया, सेन हेलन एसेन्सन का सेंट हेलेना, लिबिया, सूडान, ग्रिनलैंड, सेंट पिएरा एंड मैकेलन, बहा मास, माउन्टसेरात, अमेरिकन समोआ, ब्रिटिश वर्जिन द्विप, केमान द्विप समूह, फाकलैंड द्विप समूह, ग्वाडेलोप, मार्टिनिक, पनामा नहर क्षेत्र, पोर्टो रिकवे, टर्क्स एवं कैकस द्विप समूह, अमेरिकी वर्जित द्विप समूह, अफगानिस्तान, भुटान, क्रिसमस द्विप समूह, कूक द्विप समूह, ईरान, किरीबाती गणराज्य, लाओ पिपुल्स डेमोक्रेटिक गणराज्य, मंगोलिया, नौको गणराज्य, नेपाल, पापुआ और न्यूगिनी, सोलोमन द्विप समूह, तोंगा, तूवालू, वियतनाम, पश्चिमी समोआ, इराक, लेबनान, ओमान, सीरिया, यमन अरब गणराज्य, यमन पिपुल्स डेमोक्रेटिक गणराज्य, काकोस द्विप समूह, फ्रेंच गआना, फ्रेंच पोलिनेसिंया, गुआम, यू कैलिडोनिया, न्यू हैब्रिड्स, निओ द्विप समूह, नोरफौक द्विप समूह, पेसिफिक द्विप समूह, पिंटकैरन द्विप समूह, तैमूर पूर्तगाल, लोकेलाउ द्विप समूह, वालिस और फतूना द्विप समूह, वानूआतू गणराज्य, फारो द्विप समूह, एन्डोरा नहर द्विप समूह और जिब्राल्टर अंगोला, बेनिन, बोलिविया, बोत्सवाना, बर्किना फासो, बूरून्डी, कैमरून, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, कांगो, साइप्रस, मिश्र, अल-सल्वाडोर, फिजी, ग्वाटेमाला, गुएनिया बिसो, हैती, लिसटेन्टीन, मैडागारस्कर, मलावी, मालदीव, माली, मारीतानिया, मोजाम्बिक, निकारा गुआ, नाइजर, पोलैण्ड, स्लोवेनिया, टोगो जैरे अल्वानिया, अल्जीरिया, आमेनिया, बेलारस, बुलगारिया, कम्बोडिया, चीन, क्रोसिया, इक्काडोर, जोर्डन, लाटविया, लिथुआनिया, पूर्ववर्ती युगोस्लाविया गणराज्य का मैसिडोनिया गणराज्य, मालडोवा, पनामा, रूसी परिसंघ, सउदी अरब, वाइनीज ताईपेइ, उक्रेन, उजबेकिस्तान।

निजी बैंकों का विलय

3824. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन: क्या वित्त मंत्री** बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार इस वर्ष किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के साथ किसी निजी बैंक के विलय का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) किसी निजी बैंक को किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में विलय करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

महाराष्ट्र में नागर विमानन का विकास

3825. **प्रो. अन्ना जोशी: क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने आठवीं योजना के दौरान महाराष्ट्र में नागर विमानन के लिये आधारभूत सुविधाओं के विकास हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किये है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और इस प्रयोजन हेतु कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) भारत विमानपत्तन प्राधिकरण ने औरंगाबाद, नागपुर, पुणे और बंबई विमानपत्तनों के उन्नयन के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना में 420.45 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की है।

सिल्क का निर्यात

3826. **श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये: क्या वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सिल्क संवर्धन परिषद ने सिल्क के निर्यात को बढ़ाने के लिए एक दीर्घावधिक योजना के लिए अन्य बातों के साथ-साथ सरकार को एक ज्ञापन भी दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके प्रति केन्द्र सरकार को क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) सिल्क का निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं/उठाने का प्रस्ताव है ?

वस्त्र मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी): (क) और (ख) : इस सदी के अन्त तक रेशम उत्पादों के निर्यात बढ़ाने के लिए फरवरी, 1995 में इण्डियन सिल्क एक्सपोर्ट प्रोमोशन काऊंसिल (आई एस ई पी सी) द्वारा दिए गए मुख्य सुझाव निम्नोक्त प्रकार हैं :-

1. भारतीय रेशम उत्पादों के लिए विदेशों में व्यापक संवर्धन प्रचार

आरम्भ करने की आवश्यकता।

2. पारिअनुकूलन रंजकों के प्रयोग को बढ़ाना।

3. रेशमी परिधानों के लिए शुल्क वापसी के लिए अखिल भारतीय दरों को बढ़ाना।

4. रेशम फैब्रिक्स के विनिर्माण/प्रसंरकरण के लिए नवीनतम मशीनें प्राप्त करते हुए उद्योग के आधुनिकीकरण की आवश्यकता।

5. रेशम के लिए घरेलू बाजारों, पैदावार सरभाव्यताओं, बाजार खण्डों और बाह्य बाजारों का गहन अध्ययन आरम्भ करने की आवश्यकता।

(ग) सरकार ने आई एस ई पी सी द्वारा दिए गए सुझावों को नोट कर लिया है। वर्तमान एक्जिम नीति के अन्तर्गत निर्यात योग्य रेशम उत्पादों के विनिर्माण में लगी ईकाईयों के आधुनिकीकरण के लिए अपेक्षित मशीनों के आयात के लिए सुविधाएं उपलब्ध हैं। वस्त्र क्षेत्र में परि-अनुकूलन रंजकों के संवर्धन के लिए पहले ही और अधिक कदम उठाए गए हैं। इसके अतिरिक्त केंद्रीय रेशम बोर्ड ने रेशम उद्योग के गहन अध्ययन को आरम्भ करने के लिए सिफारिशों और शर्तों को अन्तिम रूप देने के लिए निर्यातकों की चार क्षेत्रीय सलाहकार समितियों के गठन के लिए कदम उठाए हैं। अन्य सुझावों के सन्दर्भ में, काऊंसिल द्वारा ठोस प्रस्तावों को प्रस्तुत करना अपेक्षित हैं।

(घ) निर्यात उत्पादन के लिए कच्चे माल/पूंजीगत माल के आयात के लिए एक्जिम नीति के अन्तर्गत अनुमत विभिन्न सुविधाओं के अतिरिक्त सरकार आई एस ई पी सी को विभिन्न निर्यात संवर्धन क्रियाकलापों के लिए सहायता प्रदान कर रही है, जिसमें विदेशों में मेलों में भाग लेना, बिक्री-सह-अध्ययन दौरों और क्रेता-विक्रेता बैठकों को प्रायोजित करना, विदेशी व्यापार पत्रिकाओं में प्रचार, निर्यातकों में समुद्रपारीय व्यापार आसूचना का प्रचार-प्रसार आदि शामिल हैं।

प्राइमरी डीलरों के लिए मार्ग-निर्देश

3827. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने गौण बाजार में प्राइमरी डीलरों के लिए कड़े मार्गनिर्देश तैयार करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इससे किस उद्देश्य की प्राप्ति की जाएगी; और

(घ) उक्त मार्गनिर्देशों को कब तक कार्यान्वित करने और लागू किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रेशखर मूर्ति): (क) जी हां,

(ख) और (ग) सरकारी प्रतिभूतियों की प्रमुख व्यापार प्रणाली के मुख्य लक्ष्य निम्नलिखित है :-

(1) अवस्थापना संबंधी सुविधाओं को सुदृढ़ बनाना ताकि व्यापक स्तर पर निवेशकों के बीच सरकारी प्रतिभूतियों की स्वैच्छिक धारिता को प्रोत्साहन मिल सके।

(2) भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य क्षेत्र से बाहर सरकारी प्रतिभूतियां जारी करने के लिए हामीदारी एवं बाजार प्रबन्ध सुविधाओं का विकास करना ताकि भारतीय रिज़र्व बैंक धीरे-धीरे इन कार्यों से मुक्त हो सके, और

(3) खुले बाजार अभियानों के संचालन हेतु प्रमुख व्यापार प्रणाली को एक कारगर माध्यम बनाना।

प्रमुख रुप से सरकारी प्रतिभूति बाजार में कार्य कर रही बैंकों की शाखाएं अथवा वित्तीय संस्थाएं और कम्पनियां जिनके पास कम से कम 50 करोड़ रुपए की निवल निजी राशि है, प्रमुख व्यापारी के लिए आवेदन करने की पात्र हैं।

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने पहले ही 29 मार्च, 1995 को मार्गदर्शी सिद्धान्तों की घोषणा कर दी है।

प्रतिभूति घोटाले में विदेशी बैंकों की संलिप्तता

3828. श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रतिभूति घोटाले में संलिप्त पाए गए विदेशी बैंकों के विरुद्ध की गई कार्यवाही और प्रस्तावित कार्यवाही का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन-बैंकों पर कोई जुर्माना लगाया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति): (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसने पोर्टफोलियों प्रबंध योजना और/या तैयार वायदा लेनदेनों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के अनुदेशों के उल्लंघन के लिए 9 विदेशी बैंकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए थे। इन बैंकों के नाम

और लगाए गए दण्ड एवं उनके द्वारा अदा की राशि नीचे दी गई है :-

	बैंक का नाम	दण्ड की राशि (रुपए में)	अदा करने की तारीख
1.	सिटी बैंक	50,52,01,365	30.9.94
2.	स्टेंडर्ड चार्टर्ड बैंक	36,16,55,199	26.10.94
3.	हागकांग एण्ड संघाई बैंकिंग कार्पोरेशन	17,92,43,008	19.10.94
4.	बैंक आफ अमेरिका	8,18,19,661	6.10.94
5.	अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक	3,34,18,379	3.10.94
6.	ए एने जड ग्रिंडलेज बैंक	3,22,79,435	29.09.94
7.	बैंक इंडोस्वज	2,15,33,425	30.09.94
8.	डयूश बैंक	1,95,72,389	12.10.94/17.4.95
9.	ब्रिटिश बैंक आफ मिडल ईस्ट	2,18,627	17.09.94
		123,49,41,488	

दण्ड लगाने के अतिरिक्त निम्नलिखित कार्रवाई भी की गई है:-

(1) भारतीय रिजर्व बैंक ने 6 अगस्त, 1994 से शुरू होने वाले पखवाड़े से उपर्युक्त विदेशी बैंकों सहित 12 विदेशी बैंकों की 10 प्रतिशत वृद्धिशील नकदी प्रारक्षित निधि अनुपात के रख-रखाव की छूट वापस ले ली थी। अलबत्ता, समीक्षा करने के बाद 3 विदेशी बैंकों के मामले में वापस ली गई छूट पुनः प्रदान कर दी गई है।

(2) भारतीय रिजर्व बैंक ने 11 विदेशी बैंकों के संबंध में संबंधित देश के पर्यवेक्षी प्राधिकारियों के साथ यह सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई की थी, कि क्या संबंधित बैंकों द्वारा उनके भारतीय परिचालनों में किए गए राजकोषीय/प्रत्ययी परिचालनों में अनियमित प्रतिभूति लेनदेन/प्रथा अपने आप में अनुज्ञय है या अन्यथा संबंधित/तुलनीय मूल देश के प्रतिभूति विधान/विनियम के अधीन है।

(3) भारतीय रिजर्व बैंक ने अनियमित प्रतिभूति लेनदेनों में अंतर्ग्रस्त होने के कारण, अतिरिक्त शाखाओं के लिए लाइसेंस जारी करने हेतु निम्नलिखित विदेशी बैंकों के आवेदनों पर विचार नहीं किया/अस्थगित रखा :

1. एएनजेड ग्रिंडलेज बैंक
2. बैंक आफ अमेरिका
3. सिटी बैंक
4. स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक
5. हांगकांग संघाई एण्ड बैकिंग कार्पोरेशन
6. बी.बी.एम.ई.

(4) निम्नलिखित बैंकों को 1992 से अपने लाभ प्रेषित करने की अनुमति प्रदान नहीं की गई है:

1. अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक

2. सिटी बैंक

3. एएनजेड ग्रिंडलेज बैंक

4. बैंक ऑफ अमेरिका

5. ए.बी.एन आमरी बैक एन. वी.

6. हांगकांग एण्ड शंघाई बैंकिंग कारपोरेशन

8 विदेशी बैंकों ने प्रति-भूति लेनदेनों में अनियमितताओं के लिए उत्तरदायी पाये गए अपने 65 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की है।

अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन स्थल बंगलौर

3829. श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स: क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर शहर में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन स्थल बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रयोजनार्थ विश्व व्यापी निविदाएं आमंत्रित की गयी हैं;

(ग) प्रस्तावित केन्द्र पर कितनी लागत आने का अनुमान है;

(घ) क्या भूमि की पहचान और अधिग्रहण कर लिया गया;

(ङ) क्या राज्य सरकार भूमि की लागत और अन्य व्यय वहन करने को सहमत हो गई है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) निर्माण कार्य कब से शुरु होने की संभावना है; और

(ज) प्रस्तावित सम्मेलन स्थल की क्षमता कितनी है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, हां।

(ख) इस प्रयोजन के लिए सिंगापुर आधारित कम्पनी यानी चैस्टर फील्ड इंटरनेशनल प्रा. लि., कर्नाटक राज्य सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन में शामिल हुई है।

(ग) 400 करोड़ रुपए।

(घ) उपर्युक्त कम्पनी ने बंगलौर दक्षिण तालुक में कुछ भूमि अभिनिर्धारित की है तथा इस भूमि की प्राप्ति हेतु कर्नाटक सरकार की सहायता मांगी है।

(ङ) जी, हां।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

(छ) भूमि प्राप्त करने के बाद।

(ज) इस सम्मेलन केन्द्र परिसर में, आधुनिक सम्मेलन सुविधाओं सहित एक 5000 सीटों वाला सम्मेलन हाल, एक पांच सितारा डीलक्स होटल, एक 2,00,000 वर्ग फुट का प्रदर्शनी हाल, एक भीतरी मनोरंजन परिसर, एक शोरुम और शापिंग परिसर, कार्यलय तथा सेवा कक्ष होंगे।

अभ्रक खानों को बंद किया जाना

3830. श्री लाल बाबू राय: क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में अभ्रक खानों के बंद होने के परिणामस्वरू प बेरोजगार हुए मजदूरों के पुनर्वास के लिए उपाय करने का है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्री (श्री पी. ए. संगमा): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

चीन को गेहूं का निर्यात

3831. श्री डी. वेंकटेश्वर राव: क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चीन में खाद्यान्न की अत्यधिक कमी को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सरकार ने इस देश को दो मिलियन टन गेंहू का निर्यात करने का निर्णय लिया है:

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार और स्वदेशी बाजार में गेहूं के प्रचलित मूल्य की तुलना में कम मूल्य रखा गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) वर्ष 1995 के दौरान चीन को कुल कितनी मात्रा में गेहूं की आपूर्ति की जायेगी ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) सरकार ने वर्ष 1995-96 के दौरान निर्यात के लिए 2.5 मि. टन गैर-दुड़म गेहूं जारी किया है। निर्धारित सीमा के भीतर चीन समेत किसी भी गंतव्य स्थान को निर्यात करने के लिए सरकार की किसी निश्चित अनुमति अथवा निर्णय की जरूरत नहीं है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

तंबाकू का निर्यात

3832. प्रो. सावित्री लक्ष्मण: क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार तंबाकू के उत्पादन में वृद्धि करने तथा इसकी गुणवत्ता में सुधार करने हेतु कोई उपाय करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि तंबाकू से निर्यात राजस्व तथा रोजगार के अवसरों में अत्यधिक वृद्धि की संभावना है,

(घ) क्या सरकार का विचार मूल्य वर्धित तंबाकू उत्पादों तथा सिगरेट तथा अन्य वस्तुएं जिनसे पता तंबाकू के मूल्य चार से पांच गुणा आय होती है, के निर्यात में वृद्धि करने का है,

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्): (क) और (ख) वर्जिनिया तंबाकू की गुणवत्ता और उपज में सुधार लाने के लिए किए गए उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ ये शामिल हैं:

(i) कोयला, उर्वरक, कीटनाशी और चूषकनाशी (सक्करी साईड्स) जैसी निविष्टियों की रियायती दरों पर आपूर्ति करना;

(ii) स्प्रिंकलर सिंचाई सैटों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना;

(iii) उन्नत किस्म के बीच तथा पौधों की आपूर्ति करना;

(iv) सैन्ट्रल टोबेको रिसर्च इंस्टीट्यूट (सी. टी. आर. आई.) के सहयोग से नमूनों का संग्रहण तथा विश्लेषण करना ताकि कीटनाशी अवशिष्टों की मानीटरी तथा उन पर नियंत्रण किया जा सके।

(v) कम तारकोल तथा निकोटिन वाली किस्म तैयार करने के लिए सी टी आर. आई. के माध्यम से अनुसंधान को प्रोत्साहन देना,

(vi) लवणता/नीचे की भूमि में तंबाकू की खेती को हतोत्साहित करना;

(vii) उड़ीसा तथा आन्ध्र प्रदेश में एफ. सी. बी. तंबाकू के लिए उपयुक्त हल्की मिट्टी वाले क्षेत्रों का निर्धारण करना।

(ग) से (च) इस क्षेत्र द्वारा सृजित राजस्व/रोजगार तथा निर्धन लोगो को ध्यान में रखते हुए मूल्यवद्धित तंबाकू उत्पादों का निर्यात बढ़ाने के लिए किए गए कुछ उपाय हैं- सिगरेट तथा कटे हुए तंबाकू के लिए निर्यात-अभिमुख एककों को स्थापना का संवर्धन करना, सिगरेट उद्योग में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करना, बीड़ी, हुक्का तथा तंबाकू-पेस्ट जैसे उत्पादों के लिए पैकेजिंग को विकसित करने में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग को शामिल करना तथा भारतीय तंबाकू के उत्पादों के निर्यात-सवर्धन के लिए बाजार सर्वेक्षण करना।

विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं

3833. **श्री हरिन पाठक:**
श्रीमती भावना चिखलिया:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में विदेशी सहायता से कौन-कौन सी परियोजनाएं शुरू की गई हैं;

(ख) इन परियोजनाओं को किस तरह की सहायता दी जा रही है; और

(ग) इनमें से प्रत्येक परियोजना के संबंध में कितनी प्रगति हुई हैं और वे कब तक पूरी हो जायेंगी?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) परियोजनाओं का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) सम्पूर्ण विदेशी सहायता राज्यों को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में दे दी जाती है। इसकी शर्तें राज्य योजनाओं को की जाने वाली केन्द्रीय सहायता की शर्तों के समान होती है।

विवरण

गुजरात में विदेशी सहाायता प्राप्त परियोजनाओं का ब्यौरा

क्रम सं. परियोजना का नाम	दाता	परियोजना की प्रगति और पूरा होने की तिथि
1. गुजरात ग्रामीण सड़क परियोजना (सी आर सं. 1757-आई-एन)	विश्व बैंक	वित्तीय प्रगति 80% है वास्तविक प्रगति 76% है परियोजना के पूरा होने की तिथि दिसम्बर 1995 है।
2. गुजरात तकनीकी शिक्षा परियोजना (सी आर सं. 2130-आई एन)	विश्व बैंक	8500 लाख रुपये के कुल आबंटन की तुलना में 1763 लाख रुपये का व्यय हुआ है। इसलिए वित्तीय प्रगति 56% है। परियोजना के पूरा होने की तिथि दिसम्बर , 1997 है।
3. एकीकृत जलसंभार विकास परियोजना (सी आर सं. 2131-आई एन)	विश्व बैंक	49 करोड़ रुपये के कुल आबंटन की तुलना में मार्च, 1995 तक 17.21 करोड़ रुपये का व्यय हो चुका है। मार्च 1995 तक 29000 हेक्टेयर भूमि को कवर कर लिया गया है। परियोजना के पूरा होने की तिथि सितम्बर, 1997 है।
4. महिलाओं को कृषि में प्रशिक्षण	नीदरलैंड से सहायता प्राप्त	वित्तीय प्रगति 50:01% है। वास्तविक प्रगति 80% है। परियोजना के पूरा होने की तिथि मार्च, 1996 है।

3834. श्री मोहन रावले: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सीमा सुरक्षा बल ने दक्षिण और उत्तर बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर जनवरी और फरवरी, 1995 में चार करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की पुरा तात्विक वस्तुएं जब्त की;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, इस संबंध में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति और उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है; और

(ग) पुरावस्तुओं की तस्करी रोकने के लिए इन क्षेत्रों में बाहरी चौकियों को सुदृढ़ बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति): (क) और (ख) सीमा सुरक्षा बल ने दक्षिणी और उत्तरी पश्चिमी बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर जनवरी-फरवरी, 1995 में ऐसी 4 मूर्तियां पकड़ी हैं जिन्हें पुरातात्विक कला वस्तु बताया गया है। इन पुरातात्विक कला वस्तुओं का मूल्य 3.17 करोड़ रुपए आंका गया है। इस संबंध में एक बंगलादेशी राष्ट्रिक को गिरफ्तार किया गया है।

(ग) भारत-बांग्लादेश सीमा में सीमावर्ती क्षेत्रों में तस्करी की रोकथाम करने के लिए किए गए उपायों में सीमा सुरक्षा बल की अधिकाधिक तैनाती करना और सीमा शुल्क क्षेत्रीय कार्यालयों को सुदृढ़ करना, आसूचना संजाल को सुदृढ़ करना और तस्करी को रोकने के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों को बेहत्तर साधनों से सुसज्जित करना शामिल है।

[हिन्दी] **पुरातात्विक वस्तुओं की जब्ती**

नशीली दवाओं की तस्करी

3835. श्री फूल चन्द वर्मा:
डा. के.वी.आर. चौधरी :
श्री एन.जे. राठवा :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में देश में नशीली दवाओं की तस्करी करते हुए राज्यवार कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया;

(ख) तस्करी के इन मामलों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) गिरफ्तार किए गये व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान पकड़े गए व्यक्तियों की संख्या तथा मामलों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) पकड़े गए सभी व्यक्ति स्वापक औषध तथा मन: प्रभावी पदार्थ ऐक्ट, 1985 के तहत कड़े दण्ड के भागी हैं।

विवरण

राज्य	1992		1993		1994	
	मामलों की संख्या	पकड़े गए व्यक्ति	मामलों की संख्या	पकड़े गए व्यक्ति	मामलों की संख्या	पकड़े गए व्यक्ति
1. आंध्र प्रदेश	8	20	215	218	383	404
2. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	3	3	1	1	3	3
3. अरुणाचल प्रदेश	13	4	12	12	47	50
4. असम	96	127	198	201	116	122
5. बिहार	373	110	124	126	189	198

राज्य	1992		1993		1994	
	मामलों की संख्या	पकड़े गए व्यक्ति	मामलों की संख्या	पकड़े गए व्यक्ति	मामलों की संख्या	पकड़े गए व्यक्ति
6. चंडीगढ़	41	35	8	9	12	13
7. दादरा और नागर हवेली	-	-	-	-	-	-
8. दमन और दीव	-	-	-	-	-	-
9. दिल्ली	620	612	588	597	644	679
10. गोवा	20	32	35	36	35	37
11. गुजरात	19	32	209	212	279	294
12. हरियाणा	132	135	151	154	136	143
13. हिमाचल प्रदेश	63	46	71	72	88	93
14. जम्मू और कश्मीर	41	44	36	37	41	43
15. कर्नाटक	62	53	213	217	130	137
16. केरल	161	159	20	22	144	152
17. लक्षद्वीप	-	-	-	-	-	-
18. मध्यप्रदेश	96	112	741	752	1052	1110
19. महाराष्ट्र	860	1022	1388	1404	659	694
20. मणिपुर	372	290	323	328	894	941
21. मेघालय	34	14	39	40	87	92
22. मिजोरम	162	203	120	122	99	104
23. नागालैंड	94	159	114	116	75	79
24. उड़ीसा	15	16	91	92	206	217

राज्य	1992		1993		1994	
	मामलों की संख्या	पकड़े गए व्यक्ति	मामलों की संख्या	पकड़े गए व्यक्ति	मामलों की संख्या	पकड़े गए व्यक्ति
25. पांडिचेरी	6	–	4	4	1	1
26. पंजाब	103	211	319	324	300	316
27. राजस्थान	113	113	197	203	403	424
28. सिक्किम	1	–	–	–	–	–
29. तमिलनाडु	3080	2929	2468	2503	2700	2850
30. त्रिपुरा	1	1	15	16	30	32
31. उत्तर प्रदेश	6071	6284	5646	5732	5662	5969
32. पश्चिम बंगाल	91	77	172	173	242	255
योग	12751	12850	13518	13723	14657	15452

[अनुवाद]

बंधुआ बाल मजदूर

3836. श्री श्रवण कुमार पटेल: क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष विभिन्न उद्योगों विशेषकर जोखिम वाले उद्योगों में कार्यरत कितने बंधुआ बाल मजदूरों को मुक्त कराया गया; और

(ख) स्थितियों चरणों तथा निर्धारित लक्ष्यों सहित इस सम्बन्ध में लागू की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्री (श्री पी. ए. संगमा): (क) संबंधित राज्य सरकारों द्वारा यथा सूचित विभिन्न राज्यों में अभिज्ञात और पुनर्वासित बंधित बाल श्रमिकों की संख्या निम्नानुसार है:

	राज्य का नाम	अभिज्ञात तथा पुनर्वासित बंधित बाल श्रमिकों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	118
2.	बिहार	388
3.	उत्तर प्रदेश	341
4.	कर्नाटक	75
5.	मध्य प्रदेश	545
6.	महाराष्ट्र	5
7.	हरियाणा	45
8.	दिल्ली	7

प्रत्येक राज्य के उन उद्योगों के नाम जिनमें ये बालक बंधुआ हालत में कार्य कर रहे थे, उपलब्ध नहीं है। तथापि उत्तर प्रदेश राज्य से सूचित बंधुआ बाल श्रमिक कालीन उद्योग में नियोजक थे और दिल्ली में उन्हें निर्माण कामगार के रूप में कार्य करते पाया गया।

(ख) केन्द्रीय सरकार की एक केन्द्र प्रायोजित योजना है जिसके अंतर्गत पहचान किये गये बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास, जिनमें बाल बंधुआ श्रमिक भी शामिल हैं, हेतु राज्य सरकारों को 50 : 50 आधार पर सहायता प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, पहचान किये गये बंधुआ श्रमिकों के प्रभावी पुनर्वास हेतु संसाधनों के एकीकरण के लिए राज्य सरकारों को केन्द्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत उपलब्ध सहायता को विभिन्न गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के अंतर्गत उपलब्ध निधियों के साथ उचित समन्वयन की सलाह दी गई है। कुछ राज्य जैसे आन्ध्र प्रदेश बंधुआ बाल श्रमिकों को आश्रम स्कूलों/रिहायशी स्कूलों आदि में प्रवेश देने में प्राथमिकता देते हैं जहां उन्हें अध्ययन की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

प्रसाधन साबुनों से निर्माण हेतु "मनी क्रेडिट स्कीम"

3837. श्री छीतू भाई गामीत : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रसाधन साबुन उद्योग को प्रसाधन साबुनों के निर्माण में काम आने वाले तेलों (माइनर ऑयल्स) के मामले में उत्पाद शुल्क के संदर्भ में उदार शर्तों पर ऋण दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बात की जांच हेतु सरकारी तंत्र पर पूरी तरह से भरोसा किया जा सकता है कि क्या प्रसाधन साबुनों के निर्माण में काम आने वाले माइनर ऑयल्स का वास्तव में प्रयोग किया जाता है;

(ग) खादी एवं ग्रामोद्योग और लघु उद्योग के ऐसे कितने एकल हैं जो प्रसाधन साबुनों के निर्माण में लेगे हुए हैं और जिन्हें "मनी क्रेडिट स्कीम" का कोई लाभ मिल रहा है;

(घ) क्या (माइनर ऑयल्स) के परिष्करण की क्षमता वाली केवल बहुराष्ट्रीय कंपनियों को ही प्रसाधन साबुनों के निर्माण में माइनर ऑयल्स के प्रयोग हेतु "मनी क्रेडिट स्कीम" का लाभ मिलता है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस योजना को बंद करने का है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति): (क) और (ख) दिनांक 11.10.89 की यथा-संशोधित अधिसूचना. 46/89 - के. उ. श. (गै. टे.) में माइनर ऑयल पर शुल्क की विनिर्दिष्ट राशि के क्रेडिट के लिए व्यवस्था है यदि इसे साबुन के विनिर्माण के लिए उपयोग में लाया गया है।

इस संबंध में क्षेत्रीय इकाइयों को नियमित तौर पर पी. बी. सी. जांच, उत्पादन के विभिन्न स्तरों पर विनिर्माताओं द्वारा रखे जाने वाले निर्धारित सांविधिक रिकार्डों की जांच, विभाग को प्रस्तुत की जाने वाली अपेक्षित मासिक रिटर्नों की जांच, और समय-समय आकस्मिक जांच और विशेष लेखा परीक्षा आदि करनी होती है।

(ग) से (च). इस समय नौ लघु उद्योग इकाइयां मनी क्रेडिट सुविधा का लाभ उठा रही हैं। इस योजना के अंतर्गत लाभ सभी प्रसाधन साबुन विनिर्माताओं के लिए उपलब्ध हैं, चाहे वे लघु उद्योग इकाइयां हैं अथवा नहीं, और चाहे वे अपने कारखाने में ही हाईड्रोजिनेशन/हाईड्रोलिसिस की प्रक्रिया करते हैं अथवा उजरती कार्य आधार पर बाहर से करवाते हैं।

मनी क्रेडिट स्कीम का आशय माइनर ऑयल के अधिकतम कर्षण के लिए, विशेषकर खाद्य ग्रेड के माइनर ऑयल के कर्षण के लिए प्रोत्साहन देना है तथा प्रसाधन साबुन और वनस्पति तेलों के विनिर्माण में इनके प्रयोग को प्रेरित करना है चूंकि इस स्कीम से लघु उद्योग भी लाभ उठाने में सक्षम होते हैं, अत: इस समय इस स्कीम को समाप्त करने का कोई विचार नहीं है।

विदेशी क्रेताओं से प्राप्त शिकायत

3838. प्रो. रासा सिंह रावत: क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1994-95 के दौरान सरकार की विदेशी क्रेताओं से घटिया स्तर की वस्तुओं की आपूर्ति के संबंध में क्रेताओं से शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) जी, हां।

(ख) ये शिकायते मुख्य रूप से अनुमत उत्पाद विशिष्टियों का पालन न करने, गलत बेकिंग, वस्तओं को ठीक से डिलीवर न करने, खाद्य/शराब होने वाली वस्तुओं के संबंध में बिगाड़ अथवा दूषण, आदि से संबंधित हैं।

(ग) इस प्रकार की शिकायतों के निपटान के लिए अहमदाबाद, बंबई, बंगलोर, कलकत्ता, कोचीन, दिल्ली, हैदराबाद, कानपुर, लुधियाना और मद्रास में गुणवत्ता शिकायतों से संबंधित क्षेत्रीय स्थायी समितियों का गठन किया गया है। इन समितियों ने 1994-95 के दौरान इस तरह की 66 शिकायतों का निपटान किया। 7 भ्रष्ट निर्यातकों के विरुद्ध विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 के तहत कार्यवाई शुरु की गई है।

चाय बागानों को सहायता

3839. श्रीमती दिल कुमारी भंडारी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सिक्किम में गैर-सरकारी क्षेत्र में चाय की खेती के विकास हेतु नाबार्ड के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति): (क) और (ख): 20 एकड़ तक के स्वामित्व वाले किसानों को चाय बागानों के लिए दिए जाने वाले अल्पावधिक अग्रिमों को प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिमों के रूप में माना जाता है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) गैर सरकारी क्षेत्र सहित चाय बागानों के विकास के लिए बैंकों को सामान्य उधार कार्यक्रम के अंतर्गत पुनर्वित्त सहायता प्रदान करता है।

मुम्बई के लिए नया हवाई अडडा

3840. श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** मुम्बई में हवाई अड्डा के बारे में 19 अगस्त, 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3638 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कार्यदल ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें की गई सिफारिशों सहित इसका ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस पर क्या निर्णय लिया है; और

(ग) यदि नहीं, तो कार्यदल द्वारा कब तक अपना प्रतिवेदन दिये जाने की संभावना है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रारूप प्रतिवेदन कार्यदल के सदस्यों को शीघ्र ही परिचालित किया जा रहा है। इन सदस्यों की टिप्पणियां प्राप्त होने पर प्रतिवेदन को अंतिम रूप दिया जाएगा।

विदेशी मुद्रा की तुलना में रुपये का मूल्य

3841. श्री इन्द्रजीत गुप्त: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मार्च, 1995 से डालर, पाउन्ड स्टरलिंग, डच मार्क और येन की तुलना में रुपये के विनिमय मूल्य में भारी गिरावट आई है;

(ख) प्रत्येक प्रमुख मुद्रा की तुलना में रुपये के मूल्य में कितना उतार-चढ़ाव आया है; और

(ग) रुपये के मूल्य में गिरावट का भारत के विदेश व्यापार की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा तथा रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता प्राप्त किये जाने की क्या संभावनाएं हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति): (क) और (ख) मार्च, 1995 से रुपए के मूल्य में अमेरिकी डालर के विपरीत वृद्धि हुई है लेकिन पोण्ड स्टलिंग, ड्यूश मार्क और येन की तुलना में मूल्य में कमी आई है। इन मुख्य मुद्राओं की तुलना में रुपए के मूल्य में निस्सरण नीचे सारणी में दर्शाए गए हैं:-

सारणी

विदेशी मुद्रा की यूनिट के अनुसार रुपया

(एफ. ई. डी. ए. आई. द्वारा निर्देशित दरों पर आधारित)

मुद्रा	31 मार्च, 1995	19 अप्रैल, 1995	मूल्य वृद्धि/ मूल्य ह्रास (-) प्रतिशत
अमेरिकी डॉलर	31.4950	31.3900	0.33
पौण्ड स्टलिंग	50.5650	50.6863	-0.24
ड्यूश मार्क	22.3600	23.2250	-3.72
जापानी येन	0.3529	0.3911	-9.77

(ग) अन्य वस्तुएं समान होते हुए, रुपए के मूल्य में वास्तविक कमी निर्यात और आयात किए जाने वाले उत्पादन के प्रतिस्थापन्न में संसाधनों को प्राप्त करने में सहायक होती है और उनके द्वारा विदेशी व्यापार आयों में वृद्धि करने में सहायता मिलती है। भारत रुपए की परिवर्तनीयता की ओर एक नियमित दृष्टिकोण का अनुगमन कर रहा है।

दार्जिलिंग चाय

3842. **श्री अमर रायप्रधान :**
श्री जितेन्द्र नाथ दास :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी और असम में चाय का कुल कितना-कितना उत्पादन हुआ;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष देशवार दार्जिलिंग चाय का कुल कितना निर्यात किया गया और उससे कुल कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई;

(ग) प्रेषित माल को भारत वापस लौटाने वाले देश का ब्यौरा क्या है, और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान दार्जिलिंग, दुअर्स तथा असम राज्य में चाय का उत्पादन निम्नानुसार रहा :-

(आंकडे मिलि. कि.ग्रा.)

चाय क्षेत्र	1992	1993*	1994*
दार्जिलिंग (पश्चिम बंगाल)	9.87	10.85	10.75
दूअर्स (पश्चिम बंगाल)	118.94	129.90	120.30
असम	387.81	402.95	399.33

*अनुमानित

(ख) ठीक-ठीक यह बताना संभव नहीं है कि चाय के समस्त निर्यातों में दार्जिलिंग में उत्पादित चाय का भाग कितना है क्योंकि अधिकांश मामलों में चाय का निर्यात मिश्रित रूप में किया जाता है। तथापि व्यापार सूचना के अनुसार प्रतिवर्ष लगभग 80 प्रतिशत दार्जिलिंग में उत्पादित चाय का निर्यात मुख्य रूप से यू. के. जर्मनी, जापान और सी आई एस देशों विशेष रूप से रूसी - परिसंघ को किया जाता है।

(ग) टी बोर्ड को ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) उपर्युक्त "ग" को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

लहसुन की तस्करी

3843. **श्री मनोरंजन भक्त :**
श्री राम कापसे:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को चीन के लहसुन की भारी माला में नेपाल के रास्ते भारत को तस्करी की घटनाओं की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो लहसुन की तस्करी को रोकने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) नेपाल के रास्ते भारत में चीन के लहसुन की तस्करी किए जाने के कुछ मामले ध्यान में आए हैं।

(ख) नेपाल के रास्ते भारत में चीन के लहसुन की तस्करी को रोकने के लिए इस मामले को नेपाली प्राधिकारियों के साथ उठाया गया है। चीन के लहसुन की तस्करी सहित सभी प्रकार की तस्करी को रोकने तथा इसका पता लगाने के लिए क्षेत्रीय कार्यालय सतर्क हैं।

मध्य प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा

3844. **श्री सूरज भानु सोलंकी : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृमा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान, प्रतिवर्ष मध्य प्रदेश राज्य को पर्यटन और कला को बढ़ावा देने हेतु मेलों/उत्सवों के आयोजन के लिए कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन मेलों/उत्सवों के आयोजन के क्या परिणाम प्राप्त हुए?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) मध्य प्रदेश राज्य सरकार को वर्ष 1994-95 के दौरान मेलों और त्यौहारों का आयोजन करने के लिए 6.05 लाख रुपए की वित्तीय सहरायता स्वीकृत की गई थी। इस संबंध में वर्ष 1993-94 के दौरान कोई वित्तीय सहायता स्वीकृत नहीं की गई थी।

(ख) राज्य सरकारों द्वारा मेलों और त्यौहारों का आयोजन भारत की सांस्कृतिक विरासत को लोकप्यि बनाने और पर्यटन का संवर्धन करने की दृष्टि से किया जाता है। इस प्रकार के मेले और त्यौहार देश के भिन्न-भिन्न भागों से लोगों को एक साथ लाने में मदद करते हैं और उसके फलस्वरूप राष्ट्रीय एकता को भी प्रोत्साहन मिलता है।

100 सीटों वाले विमान

3845. प्रो. के. वी. थामसः क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इंडियन एयरलाइन्स और अन्य निजी विमान कम्पनियों के विमानों की यात्री वहन क्षमता का विमान कम्पनी-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इंडियन एयरलाइन्स द्वारा अपना यात्री वाहन क्षमता के कितने प्रतिशत भाग का उपभोग किया जाता है;

(ग) क्या कुछ वर्तमान निजी विमान कम्पनियों के साथ कुछ अन्य निजी समूहों ने 100 सीटों वाले और इससे अधिक सीटों वाले विमान के लिए लाइसेंस देने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या निर्णय लिया है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) मौजूदा सीट-विन्यास के अनुसार इंडियन एयरलाइन्स (प्रचालनात्मक बेडा) और प्राइवेट एयरलाइनों के पास उपलब्ध सीटों की संख्या नीचे दी गई है:-

क्र सं.	एयरलाइनों का नाम	सीटों की संख्या
1.	मै. इंडियन एयरलाइन्स	9444
2.	मै. ईस्ट वेस्ट एयरलाइन्स	1010
3.	मै. जेट एयरवेज प्रा. लि.	768
4.	मै. दमानिया एयरवेज	476
5.	मै. मोदी लुफ्त लि.	428
6.	मै. एन. ई. पी. सी. एयरलाइन्स	253
7.	मै. अर्चना एयरवेज	81

(ख) वर्ष 1994-95 के दौरान इंडियन एयरलाइन्स का औसत सीट गुणक 69.8 प्रतिशत होने का अनुमान है।

(ग) और (घ) प्राइवेट एयरलाइनों को 1995 में चार 100 सीटों वाले विमान आयात करने की अनुमति दे दी गयी है। सरकार के पास मौजूदा क्षमता में वृद्धि के लिए कोई अन्य अनुरोध लंबित नहीं है।

राज्य व्यापार निगम द्वारा गैर-सरणीकृत निर्यात

3846. श्री प्रमथेश मुखर्जी : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राज्य व्यापार निगम द्वारा पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान किये गये गैर-सरणीकृत निर्यात कारोबार (प्रति व्यापार के अलावा) का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त कारोबार में से राज्य व्यापार निगम द्वारा निर्धारित 1 प्रतिशत से कम सेवा प्रभार के अंतर्गत बुक किये गये कारोबार की माला कितनी है;

(ग) गैर-सरणीकृत निर्यात लक्ष्य की कमी को पूरा करने के लिए राज्य व्यापार निगम द्वारा 1994-95 के दौरान 1% से कम सेवा प्रभार के साथ बुक किये जाने वाले प्रस्तावित एसोसिएट-टर्न ओवर की मात्रा क्या है; और

(घ) सरकार अथवा राज्य व्यापार निगम प्राधिकारी वर्ग द्वारा गैर-सरलीकृत निर्यात लक्ष्य की कमी को पूरा करने के लिए 1% से कम सेवा प्रभार के साथ बुक करने की प्रथा को रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान ट्रेडिंग कॉरपोरेशन का गैर-सारणीकृत निर्यात कारोबार (प्रति व्याप्र को छोड़कर) निम्नानुसार रहा:

वर्ष	करोड़ रु.
1992-93	284
1993-94	363
1994-95	425 (अनंतिम)

(ख) एक प्रतिशत से कम सेवा प्रभार के तहत बुक किए गए गैर-सरणीकृत निर्यात कारोबार से संबंधित आंकड़े अलग से उपलब्ध नहीं है।

(ग) सहायता प्राप्त कारोबार के रूप में बुक किए गए एसोसिएट का कारोबार सामान्यया एक प्रतिशत से कम सेवा प्रभार पर रहा है। वर्ष 1994-95 में, बुक किए गए सहायता प्राप्त कारोबार की मात्रा का मूल्य 60 करोड़ रु. (अनंतिम) है।

(घ) स्टेट ट्रेडिंग कम्पोरेशन द्वारा वसूल किया जाने वाला सेवा मार्जिन बाजार की स्थितियों पर निर्भर करता है। तथापि स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन द्वारा ऐसे निर्यातों को क्रमबद्ध करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

मजदूरों के लिए कल्याणकारी योजनाएं

3847. डा. अमृतलाल कालिदास पटेल :
डा. साक्षीजी:
क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) संगठित क्षेत्र में कार्यरत मजदूरों की संख्या राज्यवार कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने वर्ष 1994-95 के दौरान राज्य सरकारों द्वारा इन मजदूरों के लिए उठाए गए कल्याण उपायों के लिए धनराशि उपलब्ध कराए जाने पर सहमति प्रकट की है;

(ग) यदि हां, तो राज्यवार लागू की गई ऐसी योजनाओं का ब्यौरा क्या है और इसके लिए कितनी सहायता प्रदान की गई है; और

(घ) किन योजनाओं को केन्द्रीय सहायता मिलनी शेष है ?

श्रम मंत्री (श्री पी. ए. संगमा): (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

तम्बाकू पर उत्पाद शुल्क

3848. श्री सी. पी. मुदाल गिरियप्पाः
श्री वी. कृष्णा रावः
श्री के. जी. शिवप्पाः
क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तम्बाकू उद्योग के लिए विशेष उत्पाद शुल्क सम्बन्धी ढांचे को बनाये, रखने के सम्बन्ध में कोई ज्ञापन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का विचार असंगठित तम्बाकू उद्योग को भी कराधान के अन्तर्गत लाने का है;

(घ) क्या सरकार का विचार अतिरिक्त उत्पाद शुल्क सम्बन्धी प्रावधानों को ऐसे राज्यों के लिए समाप्त करने का है जो तम्बाकू पर अतिरिक्त कर लगाते हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चंद्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) सिगरेटों की लंबाई के आधार पर उत्पाद शुल्क की मात्रानुसार दर बनाए रखने और साथ ही उत्पाद शुल्क ढांचे को मात्रानुसार से बदलकर उसके स्थान पर मात्रानुसार - एवं -मूल्यानुसार करने अथवा मूल्यानुसार दरें रखने के संबंध में सरकार को विनिर्माताओं से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। सिगरेटों पर शुल्क ढांचे की जांच की गई है। सभी संगत बातों को ध्यान में रखते हुए, यह महसूस किया गया है कि सिगरेटों पर मौजूदा शुल्क ढांचे को जारी रखना वांछनीय होगा।

(ग) इस समय, गैर संगठित तम्बाकू सेक्टर को कराधान के अंतर्गत लाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(घ) इस समय ऐसे राज्यों को संवितरण हेतु अतिरिक्त उत्पाद शुल्क के उपबन्धों को समाप्त करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है जो तम्बाकू पर और अधिक कर लगाते हैं।

(ङ) ऊपर (घ). को देखते हुए, यह प्रश्न नहीं उठता।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों के लघु उद्यमी तथा अत्यंत लघु उद्यमी

3849. डा. जी. एल. कनौजिया: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लघु उद्यमियों और अत्यंत लघु उद्यमियों को सरकार द्वारा आसान शर्तों पर वित्तीय सहायता उपलब्ध की जाती है; और

(ख) यदि हां, तो सीमान्त धनराशि और राज सहायता संबंधी सुविधा सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति): (क) और (ख). अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों सहित पिछड़े वर्गों के ऋणकर्ताओं के लिए ऋण प्रवाह में वृद्धि करने के उद्देश्य से कई कदम उठाए गए हैं। महत्वपूर्ण कदम नीचे दिए गए हैं:

(i) बैंकों को निर्देश दिया गया है कि वे 25,000/-रु. की ऋण सीमा तक के सभी आवेदन पत्रों को दो सप्ताह के अन्दर-अन्दर और 25,000/ रु. से अधिक के ऋण आवेदन पत्रों को 8-9 सप्ताह तक निपटा दें।

(ii) आवेदन पत्रों को तेजी से निपटाने की दृष्टि से आवेदन फार्मों को क्षेत्रीय भाषा में उपलब्ध कराया गया है। मार्जिन/प्रतिभूति से संबंधित शर्तों को आवेदन फार्मों के दूसरी तरफ ही छापा जाना चाहिए।

(iii) 25,000/-रु. तक के ऋणों पर ब्याज दर को 12 प्रतिशत वार्षिक रखा गया है।

(iv) सावधि ऋणों को रियायती दरों पर प्रदान किया जाता है।

(v) 10,000-रु. तक ऋणों के लिए तीसरी पार्टी की गारंटी या संपार्श्विक प्रतिभूति पर जोर नहीं दिया जाता है।

(vi) वर्तमान देय राशियों पर चक्रवृद्धि ब्याज नहीं लगाया जाना चाहिए।

(vii) ग्रामीण शाखा प्रबंधकों को मंजूरी की उपयुक्त शक्तियाँ प्रत्यायोजित की गई हैं ताकि अधिकांश ऋण आवेदन शाखा स्तर पर ही मंजूर किए जा सकें।

(viii) ऋणों का संवितरण करते समय, बैंकों को रेखांकित चैकों/मांग ड्राफ्टों के माध्यम से आस्तियों/निविष्टियों के सप्लायरों को यथासंभव सीधे भुगतान करना होता है।

(ix) हिताधिकारियों को ऋण का सुचारू प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए सूखा, बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों के खराब होने/एककों को क्षति पहुंचने की वजह से उधारकर्ताओं को कृषि एवं संबंद्ध गतिविधियों के लिए ऋणों के रूपांतरण/पुनर्निर्धारण की अनुमति प्रदान की जाती है।

(x) गैर-लक्ष्य समूहों को 60 प्रतिशत तक नए ऋण मंजूर करने की हाल की अनुमति से (01 जनवरी, 1994 से) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अपने परिचालन में सभी प्रकार के कृषकों (अर्थात छोटे, मझोले और बड़े कृषकों) की आवश्यकताओं को पूरा करने की बेहतर स्थिति में होंगे।

आन्ध्र प्रदेश में पुष्प कृषि उद्यान

3850. **डा. के. वी. आर. चौधरी:** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास आन्ध्र प्रदेश में हैदराबाद में एक पुष्प कृषि उद्यान स्थापित करने संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस संबंध में एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए विदेशी सलाहकार का चयन करने का है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) जी, नहीं;

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम

3851. **श्रीमती शीला गौतम:**
श्री रामेश्वर पाटीदार :
श्री राजेश कुमार :
श्री प्रभु दयाल कठेरिया :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम बोर्ड के गैर-सरकारी निदेशक कितने हैं और उनकी नियुक्ति के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गये हैं:

(ख) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से सम्बद्ध ऐसे निदेशकों की संख्या कितनी है, जो हथकरघा क्षेत्र का वास्तविक रूप से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं;

(ग) क्या गैर-सरकारी निदेशकों का राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम के साथ कोई वाणिज्यिक लेन-देन है;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान कितना लेन-देन हुआ; और

(ङ) राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम के चेयरमैन और निदेशकों, विशेषत: गैर-सरकारी निदेशकों को दी जा रही सुविधाओं का ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) इस समय राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लि. के निदेशक मंडल में 6 गैर सरकारी निदेशक हैं।

नियुक्ति के लिए मार्गदर्शिका:-

भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय के लोक उद्यम विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 18(6)/91-जी. एम. दिनांक 16.3.1992 में गैर सरकारी निदेशकों की नियुक्ति के संबंध में मार्गदर्शिका जारी की गई। इस मार्गदर्शिका के अनुसार विभिन्न समितियों और आयोग ने बोर्ड को अधिक व्यवसायिक बनाने के लिए लोक उद्यमों के निदेशक मंडल में गैर सरकारी निदेशकों को शामिल करना आवश्यक बताया गया है। राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम के गैर सरकारी निदेशकों की नियुक्ति नीति के अनुसार ही की गई है और इनमें आम कुशल व्यक्ति, तकनीकी अधिकारी, प्रबंध विशेषज्ञ और उद्योग तथा व्यापार में व्यवसायिक प्रबंधक और परामर्शदाताओं को शामिल किया गया है। ऐसे निदेशकों की संख्या कुल निदेशक मंडल के एक तिहाई के बराबर है। अंश कालिक गैर सरकारी निदेशकों की नियुक्ति के संबंध में उपयुक्त व्यक्ति का चयन लोक उद्यम बोर्ड और प्रशासनिक मंत्रालय के संबंधित सचिव के परामर्श से किया जाता है।

(ख) एक अनुसूचित जाति।

(ग) और (घ) श्री ओ. पी. माटा के अतिरिक्त राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम के किसी भी गैर सरकारी निदेशक के निगम के साथ अपने व्यापारिक संबंध की घोषणा नहीं की है। श्री ओ. पी. माटा की घोषणाओं के अनुसार वह मै. माटा कताई मिल, पानीपत में साझीदार हैं।

श्री माटा को 23.6.94 को राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम में गैर सरकारी निदेशक के रूप में शामिल किया गया। निगम के निदेशक मंडल में आने से पूर्व उनके निगम के साथ व्यापारिक संबंध थे। इस समय नियमानुसार उनके निगम के

साथ व्यापारिक संबंध है। निगम के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों से मिली जानकारी के अनुसार उनके मै. माटा कताई मिल, पानीपत के साथ निम्न प्रकार के व्यापारिक संबंध रहे:-

वर्ष	(लाख रुपयों में)
1991-92	12.83
1992-93	110.25
1993-94	99.00
1994-95	0 (22.6.94 तक)
22.6.94 से	8.44

इसमें हथकरघा समितियों जिसमें श्री माटा का भी सहयोग है, वर्ष 1992-93, 1993-94, 1994-95 में हई (22.6.94 तक) क्रमश: 19.57 लाख रुपये 5.85 लाख रुपये और 0.40 लाख रुपये मूल्य के कपड़े की आपूर्ति के आंकड़े शामिल नहीं हैं। निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित क्रय पद्धति के अनुरूप और बाजार मूल्य को देखते हुए सभी व्यापारिक घटकों में 3 प्रतिशत से 5 प्रतिशत तक सामान्य सेवा शुल्क लिया जाता है।

(ङ) सभी निदेशकों को बोर्ड और अन्य. बैठकों में भाग लेने और साथ ही निगम के कार्यों में की.गई माला का वास्तविक याला व्यय बिल प्रस्तुत करने पर लौटाया जाता है। गैर सरकारी निदेशकों को बोर्ड की बैठक के लिए शुल्क दिया जाता है। विकास आयुक्त, हथकरघा को इस निगम के पदेन अध्यक्ष हैं, को कार की सुविधा दी गई है। निदेशकों द्वारा विभिन्न बैठकों के संबंध में किये गये व्यय का बोझ भी निगम वहन करता है। विकास आयुक्त/अध्यक्ष के कार्यालय में लगे टेलिफोन का 50 प्रतिशत व्यय राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लि. सरकार को लौटाता है।

[अनुवाद]

इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन पर सुविधाएं

3852. श्री प्रकाश वी. पाटील : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन पर यात्रियों, गैर-सरकारी, मरकारी और विदेशी विमान कम्पनियों को और अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा वर्तमान सुविधाओं में सुधार लाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन सुविधाओं को उपलब्ध कराने हेतु यदि कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है, तो वह क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ग)

क्र. सं.	निर्माण कार्य का क्षेत्र	परियोजना की लागत (करोड़ रुपये में)	पूरा करने की निर्धारित तारीख
1.	एअर टैक्सी प्रचालकों आदि के लिए हैंगर एनैक्सी और एप्रेन का निर्माण	6.98	दिसम्बर, 95
2.	कार्गो काम्पलेक्स में सार्वजनिक सुविधाओं के ब्लाक का निर्माण	1.44	मई, 95
3.	आईजी.आई.ए.में.अतिरिक्त कार्गो बेज का निर्माण	3.66	टैंडरों की छानबीन की जा रही है। निर्माण कार्य पूरा होने की संभावित तारीख दिसम्बर, 96 है।
4.	अतिरिक्त 4 दूरस्थ पार्किंग बेज का निर्माण	6.75	तकनीकी बोली की छानबीन की जा रही है। निर्माण कार्य पूरा होने की संभावित तारीख अप्रैल, 1997 है।

क्र. सं.	निर्माण कार्य का क्षेत्र	परियोजना की लागत (करोड़ रुपये में)	पूरा करने की निर्धारित तारीख
5.	इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन में अंतरराष्ट्रीय टर्मिनल फेज-II का निर्माण	500.00	व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार की जा रही है।
6.	बहुस्तरीय कार पार्क का निर्माण	2.00	योजना तैयार की जा रही है।

सरल उपकरण:

1. विमान आपात के दौरान उपयोग के लिए कमान पोस्ट इक्विमेंट करना - मार्च, 1996

2. उच्च क्षमता जल टेंडर (16000 लीटर क्षमता) को शुरू करना - मार्च, 96

3. नए डिजाइन सहिल निःशुल्क यात्री बैगेज ट्रालियां को बढ़ाना - मार्च, 96

4. टर्मिनल भवन में उपयोग के लिए बेटरी से प्रचालित साफ करने वाले उपस्करों को शुरू करना - मार्च, 96

5. नए उपस्कर के प्रतिस्थापन लगाने के उपाय के रूप में रंगीन एक्स-रे बैगेज निरीक्षण प्रणाली की व्यवस्था - मार्च, 96

6. इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन के टर्मिनल-II में आगन्तुकों के लिए उड़ान सूचना के अतिरिक्त फ्लेप प्रदर्शन बोर्ड - अप्रैल, 1995

7. आई.जी.आई ए. टर्मिनल-I के लिए सूक्ष्म निगरानी सर्किट टेलीविजन अप्रैल, 95

8. मौजूदा पार्किंग स्टेंड को सीधा करने के द्वारा 6-7 अतिरिक्त पार्किंग स्टेंड बनाना-मई, 95

[हिन्दी]

जड़ी-बूटी से निर्मित दवायें

3853. **श्री अमर पाल सिंह: क्या वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लंबी बीमारियों के इलाज में प्रयुक्त होने वाली जड़ी-बूटी से निर्मित दवाओं का देश से निर्यात किया जा रहा है;

(ख) क्या इन दवाओं का निर्यात देश के हित में है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार ऐसी दवाओं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का है;

(घ) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय ले लिया जाएगा; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) देश से जड़ी-बूटी उत्पादों का निर्यात आमतौर पर जड़ी-बूटी औषधि की बजाए जड़ी-बूटी स्वास्थ्य रक्षक उत्पादों के रूप में किया जा रहा है। इनमें से कुछ का प्रयोग पुरानी बीमारियों के इलाज में किया जा सकता है।

(ख) जड़ी-बूटी उत्पादों के निर्यात की अनुमति केवल पर्यावरण संरक्षण के निर्धारित ढांचे के भीतर ही दी जाती है और यह निर्यात आय में वृद्धि करते हुए देश के हित में है।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

अनिवासी भारतीयों के मुख्य आयुक्त

3854. **श्री अंकुशराव टोपे:**
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री:
डा. लक्ष्मीनारायण पांडेय:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1991-92 के बजट भाषण में की गई घोषणा के अनुसार अनिवासी भारतीयों के लिए मुख्य आयुक्त की नियुक्ति कर दी है;

(ख) यदि हां, तो उन्हें सौंपे गए कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में निर्णय कब तक लिया जाएगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) सरकार विदेशी और अनिवासी भारतीय निदेशों के लिए उदारीकृत माहौल के मौजूदा सन्दर्भ में अनिवासी भारतीयों के लिए मुख्य आयुक्त के पद की भूमिका और तर्काधार की जांच कर रही है।

कपास तथा सूती धागे का आयात/निर्यात

3855. डा. (श्रीमती) के. एस. सौन्दरम :
श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य की कपास तथा सूती धागे का निर्यात किया गया;

(ख) उक्त अवधि के दौरान कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य की कपास तथा सूती धागे का आयात किया गया; और

(ग) सूती धागे के निर्यात के लिए अधिकतम सीमा का कड़ाई से कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है?

वस्त्र मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) और (ख). एक विवरण-पत्र संलग्न है।

(ग) अधिकतम सीमा का कड़ाई से पालन करने के उद्देश्य से काटन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल (टेक्सप्रोसिल) वस्त्र आयुक्त के समग्र पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अंतर्गत सूती यार्न के निर्यात-पूर्व पोत परिवहन बिल पर प्रमाणन दे रहा है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यातित/आयातित कपास और सूती यार्न की मात्रा और मूल्य निम्नोक्त प्रकार के हैं:-

कपास

(मात्रा लाख गांठों में प्रत्येक गांठ 170 कि. ग्रा.)
(मूल्य करोड़ रु. में)

वर्ष	निर्यात		आयात	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1991-92	0.77	39.00	3.00	194.00
1992-93	13.766	725.00	1.15	90.00
1993-94	3.90	223.24	3.00	280.00

सूती यार्न

(मात्रा मिलियन किग्रा. में)
(मूल्य करोड़ रु. में)

वर्ष	निर्यात	
	मात्रा	मूल्य
1992	122.08	1104.40
1993	165.94	1461.20
1994	215.97	2285.10

सूती यार्न

वर्ष (अप्रैल-मार्च)	आयात मात्रा (मि.टन)	आयात मूल्य (लाख रु. में)
1991-92	59.9	31.66
1992-93	171.1	85.75
1993-94	375.1	450.37

भारतीय पर्यटन विकास निगम के होटल

3856. श्री गोपी नाथ गजपति:
श्री वी. कृष्णा राव:

क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय पर्यटन विकास निगम (आई. टी. डी. सी.) का अपने होटलों के विस्तार करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आई. टी. डी. सी. का इस सदी के अन्त तक कुछ नए होटल निर्मित करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इस हेतु किन स्थानों की पहचान की गई है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद): (क) और (ख) भारत पर्यटन विकास निगम की 1995-96 की वार्षिक योजना में अपने मौजूदा होटलों के विस्तार के लिए किसी योजनागत स्कीम/प्रावधान करने पर विचार नहीं किया गया है।

(ग) इस समय भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा देश में किसी नए होटल के निर्माण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में काफी बागान

3857. श्री प्रवीन डेका : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करें कि:

(क) क्या पूर्वोत्तर राज्यों की मिट्टी, कॉफी बागान के लिए अत्यन्त उपजाऊ है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र में कॉफी बागान का विकास करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्): (क) और (ख): उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कॉफी की खेती के लिए कुल 43.50 हेक्टेअर क्षेत्र को उपयुक्त पाया गया है। इस क्षेत्र में कॉफी के बागानों के विकास के लिए काफी बोर्ड ने एक मॉडल विकास योजना के बारे में सभी राज्य सरकारों से सम्पर्क किया था। काफी बोर्ड ने पंचवर्षीय योजनाओं के तहत राज्यवार कॉफी विस्तारण लक्ष्य भी तय किया। तदुपरान्त, बोर्ड ने उत्तर पूर्वी क्षेत्र में अनुसंधान, विस्तारण एवं अन्य समर्थन सुविधाएं विकसित की और वह राज्य सरकारों द्वारा चलाए जा रहे कॉफी कार्यक्रमों को आवश्यक सहायता देता रहा है। इन राज्यों में काफी विकास कार्यक्रम निगमों/राज्य सरकार के विभागों द्वारा लागू किए जा रहे हैं। उ. पूर्वी राज्यों में अब तक 10,063 हेक्टेअर क्षेत्र कॉफी की फसल लगाने में शामिल किया जा चुका है।

[हिन्दी]

नायक समिति

3858. डा. महादीपक सिंह शाक्य:
डा. चिन्ता मोहन:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्रामोद्योगों और अत्यंत लघु उद्योगों के विकास के संबंध में नायक समिति द्वारा की गई सिफारिशों में से प्रत्येक सिफारिश पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ख) वित्तीय वर्ष 1993-94 और 1994-95 के दौरान देश में अत्यंत लघु और ग्राम उद्योगों के लिए सरकारी क्षेत्र में बैंकों द्वारा कुल कितना ऋण जारी किया गया था, यह वर्ष 1992-93 में जारी ऋण की तुलना में कितना अधिक था?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति): (क) भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई) ने सूचित किया है कि नायक समिति की लगभग सभी महत्वपूर्ण सिफारिशों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्वीकार कर लिया गया है और बैंकों को आवश्यक अनुदेश जारी कर दिये गये है। भारतीय रिंजर्व बैंक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को जारी विस्तृत अनुदेशों में अन्य बातों के साथ-साथ ये शामिल हैं:-

i) उन लघु उद्योगों को, जिनकी ऋण सीमा अलग-अलग मामलों में एक करोड़ रुपये से कम है उनके अनुमानित वार्षिक कारोबार के न्यूनतम 20 प्रतिशत के आधार पर परिकलित कार्यशील पूंजी ऋण सीमा मंजूर करना।

ii) इस क्षेत्र की ऋण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करते समय ग्रामोद्योगों, अत्यंत लघु उद्योगों और अन्य लघु उद्योग एककों को उसी क्रम में वरीयता देना।

iii) 'निचले स्तर' (बाटम अप) पर वार्षिक बजट तैयार करना, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लघु उद्योगों की विधि सम्मत आवश्यकताओं को आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान पूर्ण रूप में पूरा किया जाता है।

iv) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की "एकल खिड़की योजना" को सभी जिलों में लागू करना।

v) यह सुनिश्चित करना कि लघु उद्योग क्षेत्र को ऋण की मंजूरी और संवितरण में कोई देरी न हो।

vi) बैंकों की ऋण सीमाओं को मंजूर करने के लिए "मुआवजे" के रूप में अनिवार्य जमा राशियों पर जोर नहीं देना चाहिए।

vii) विशेषज्ञ लघु उद्योग शाखाएं खोलना अथवा उन शाखाओं को विशेषज्ञ शाखाओं में परिवर्तित करना, जिनके पास लघु उद्योग उधार खातों की संख्या काफी अधिक है।

viii) अर्धक्षम रुग्ण एककों की पहचान की जानी चाहिए और उनको पोषण कार्यक्रम के अन्तर्गत लाने के लिए शीघ्र कार्रवाई की जानी चाहिए।

ix) ऋणों के लिए आवेदन करने के वास्ते लघु उद्योग एककों द्वारा प्रयोग में लाये जाने वाले मानकीकृत ऋण आवेदन पत्रों को और सरल बना दिया गया है।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक की आंकड़ा सूचना प्रणाली से पूछे गये ढंग से सूचना प्राप्त नहीं होती है। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि वर्ष 1993-94 के अंत की स्थिति के अनुसार कुटीर, खादी और ग्रामीण कारीगरों और अति लघु उद्योगों के मुकाबले सरकारी क्षेत्र के बैंकों की बकाया ऋणों की राशि 5868.96 करोड़ रु. थी।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय वस्त्र निगम की बंद पड़ी मिलें

3859. **श्री बलराज पासी :**
श्री श्रवण कुमार पटेल :
डा. खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय वस्त्र निगम की इस समय बंद पड़ी कपड़ा मिलों, विशेषत: उत्तर प्रदेश में, का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) इन मिलों के बंद हो जाने से कितना घाटा हुआ और कितने कर्मचारी बेरोजगार हो गए ;

(ग) क्या सरकार का विचार इन मिलों को निजी क्षेत्र या कामगार सहकारी समितियों को सौपने का है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) इन मिलों को पुन: शुरू करने के लिए अन्य क्या कदम उठाए हैं/उठाए जाएंगे ?

वस्त्र मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत एन. टी. सी .की कोई भी मिल "बंद" नहीं पड़ी है। तथापि, फरवरी, 1995 में उत्तर प्रदेश की 7 मिलों सहित 28 मिलों में उत्पादन गतिविधियों में विराम आया था और उत्तर प्रदेश की 2 मिलों सहित 51 मिलों में आंशिक विराम आया था, परिणामस्वरूप एन.टी.सी. मिलों में लगभग 52,000 कामगारों को बिना काम के मजदूरी का भुगतान करना पड़ा।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इन मिलों को निजी क्षेत्र या कामगारों की सहकारिता को सौंपने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) एन. टी. सी .की मिलों के आधुनिकीकरण के लिए एक सर्वांगीण सुधार योजना सरकार के विचाराधीन है। इस नीति को अंतिम रूप दिए जाने के

पश्चात् कार्यान्वयन से पूर्व इसको अनुमोदन हेतु इसे बी .आई .एफ .आर .के समक्ष रखा जाएगा।

पर्यटन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना

3860. श्री छेदी पासवान : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय कार्य योजना के अन्तर्गत पर्यटन के विकास हेतु कुछ राज्यों में एक से अधिक स्थानों का चयन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय कार्य योजना में कुछ राज्यों को छोड़ दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त योजना के अन्तर्गत स्थानों के चयन हेतु क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (घ) पर्यटन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना में देश में पर्यटन के विकास के लिए नियत लक्ष्यों और नीतियों को निर्दिष्ट किया जाता है। इसलिए यह, किसी विषेश स्थान या राज्य तक ही सीमित नहीं होती बल्कि इसमें देश के सभी पर्यटक केन्द्र शामिल होते हैं। तथापि कार्य योजना में सूचीबद्ध नीतियों में से एक नीति, एकीकृत विकास के लिए कुछ चुनिन्दा परिपथों और गंतव्य स्थलों के विकास से संबंधित है। ऐसे केन्द्रों की सूची भी कार्य योजना में दी गई है जिन्हें पहले आरम्भ किया जाना है। इन परिपथों और गंतव्य स्थलों को उनकी क्षमता, विविधतापूर्ण आवश्यकताओं और प्राकृतिक और सांस्कृतिक आकर्षण के आधार पर अभिनिर्धारित किया गया है। अभिनिर्धारित परिपथों गंतव्य स्थलों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

राष्ट्रीय कार्य योजना के अन्तर्गत गहन विकास के लिए अभिनिर्धारित परिपथ और गन्तव्य स्थल

यात्रा परिपथ

1. कुल्लु-मनाली-लेह
2. ग्वालियर-शिवपुरी-ओरछा-खजुराहो
3. बागडोगरा-सिक्किम-दार्जिलिंग-कालिम्पोंग
4. भुवनेश्वर-पुरी-कोणार्क
5. हैदराबाद-नागार्जुनसागर-तिरूपति
6. मद्रास-महाबलीपुरम-पांडिचेरी
7. ऋषिकेश-नरेन्द्रनगर-गंगोत्री-बद्रीनाथ
8. इंदौर-उज्जैन-महेश्वर-ओंकारेश्वर-मांडु
9. जैसलमेर-जोधपुर-बीकानेर-बाड़मेर
10. रायगढ़ किला-जंजीरा किला-कुड़ा गुफाएं-श्रीवर्धन-हरिहरेश्वर-सिंधुदुर्ग
11. बंगलौर-मैसूर-हसन

गंतव्य स्थल

1. लक्षद्वीप द्वीपसमूह
2. अण्डमान द्वीपसमूह
3. मनाली (सोलांग-नालाह)
4. बेकल बीच
5. मुत्तुकाडु बीच
6. कांगडा (पोंग बांध)

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में विमानपत्तनों का निर्माण

3861. श्री दत्ता मेघे: क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बता की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार महाराष्ट्र में नए विमानपत्तन बनाने का है

(ख) यदि हां, तो कहां-कहां पर; और

(ग) इनका निर्माण कार्य कब तक आरंभ होने की संभावना है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

बंगलौर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा

3862. श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार को स्वयं निर्माण कर संचालित करने की शर्तों के आधार पर बंगलौर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण की अनुमति दी गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने हासन, मैसूर और होसपेट हवाई पट्टी को विदेशी पूंजी की सहायता से बनाने के लिए निविदाएं आमंत्रित की हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी विवरण क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) भारत सरकार ने कर्नाटक सरकार को बंगलौर में देवनहेली में प्राईवेट पार्टियों की सहायता से अतंराष्ट्रीय स्तर के नए हवाई अड्डे के निर्माण के लिए अपनी अनापत्ति दे दी है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

करापवंचन के मामले

3863. श्री सत्यदेव सिंह :
श्री रामपाल सिंह :
श्री राम सिंह कास्वां :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषि भूमि पर आय दर्शा कर कतिपय कम्पनियों और उद्यमियों द्वारा करोड़ों रुपये के आय करापवंचन के कई मामले सरकार के ध्यान में आए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) भविष्य में करापवंचन के ऐसे मामलों की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जाएगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

परिधान कोटा निर्यात

3864. श्री अवतार सिंह भड़ाना : क्या **वस्त्र मंत्री** 4 मार्च, 1994 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1586 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सी. बी.आई. ने इस मामले में अपनी प्राथमिक जांच अब तक पूरी कर ली है;

(ख) यदि हां, तो इसके निष्कर्ष का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो सी. बी. आई. द्वारा अपनी जांच कब तक पूरी किये जाने की संभावना है ?

वस्त्र मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी): (क) से (ग) सी. बी. आई. ने 1994 में अपनी प्रारंभिक जांच पूरी कर ली थी और यह पाया गया है कि इसमें कोई भ्रष्टाचार विरोधी दृष्टिकोण शामिल नहीं था। तथापि, सी. बी. आई. ने सलाह दी थी कि मंत्रालय को वास्तविक तथ्यों का पता लगाने के लिए सत्यापन करना चाहिए और यदि इस प्रकार के प्रारंभिक सत्यापन के दौरान पार्टी द्वारा जाली कागजातों का प्रयोग प्रकाश में आता है तो जांच करने के लिए सी. बी. आई. के पास एक औपचारिक शिकायत दर्ज करनी चाहिए।

तदनुसार इस मामले में एक व्यापक जांच आरंभ की गई। जांच रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने पार्टी के विरूद्ध सी. बी. आई. के पास अगस्त, 1994 में एक शिकायत दर्ज कराई जिसमें उनके जालसाजी का कृत्य करने की बात कही गई है। यह मामला सी. बी.आई. द्वारा जांच के लिए लंबित पड़ा है।

[अनुवाद]

महंगाई भत्ते की अलग-अलग दरें

3865. श्रीमती वसुंधरा राजे: क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय सरकार में 40 अनुसूचित रोजगारों में विद्यमान मंहगाई भत्ते की अलग-अलग दरों में संशोधन किया है;

(ख) यदि हां, तो वे अनुसूचित रोजगार कौन-कौन से हैं; और

(ग) उन 40 अनुसूचित रोजगार क्षेत्रों के लिए घोषित मंहगाई भत्ते की अलग-अलग दरों का ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) केन्द्रीय सरकार उन 40 अनुसूचित नियोजनों में मजदूरी की न्यूनतम दरों के निर्धारण और संशोधन के लिए उत्तरदायी है, जो व्यापक रूप से निर्माण, कृषि, रेलवे और खनन क्षेत्रों से संबंधित है। केन्द्रीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 40 अनुसूचित नियोजनों को दर्शाने वाला विवरण-I संलग्न है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों से संबद्ध परिवर्ती मंहगाई भत्ते के घटक, जिसे विशेष भत्ता के नाम से जाना जाता है, का भी न्यूनतम मजदूरी के एक भाग के रूप में प्रावधान किया गया है। परिवर्ती मंहगाई भत्ते को उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों में परिवर्तन के आधार पर प्रत्येक छमाही में संशोधित किया जाता है। परिवर्ती मंहगाई भत्ते में पिछला संशोधन 1 अप्रैल, 1995 से किया गया था। केन्द्रीय क्षेत्र में अनुसूचित नियोजनों के लिए संशोधित मंहगाई भत्ते और संशोधित न्यूनतम मजदूरी दर्शाने वाला विवरण-II संलग्न है।

विवरण -I

उन 40 अनुसूचित नियोजनों की सूची जिनके लिए केन्द्रीय सरकार ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की है

1. कृषि में नियोजन
2. निर्माण अथवा सड़कों के रख-रखाव अथवा इमारत प्रचालनों में नियोजन
3. पत्थर तोड़ने अथवा पत्थर कूटने में नियोजन
4. इमारतों के रख-रखाव में नियोजन
5. हवाई पट्टियों के निर्माण और रख-रखाव में नियोजन
6. जिप्सम खानों में नियोजन
7. बैराइट्स खानों में नियोजन
8. बॉक्साइट खानों में नियोजन
9. मैगनीज खानों में नियोजन
10. चीनी मिट्टी खानों में नियोजन
11. कायनाइट खानों में नियोजन
12. तांबा खानों में नियोजन
13. चिकनी मिट्टी खानों में नियोजन
14. पत्थर खानों में नियोजन
15. सफेद चिकनी मिट्टी खानों में नियोजन
16. गेरू खानों में नियोजन
17. फायर कले खानों में नियोजन
18. सेलखड़ी (सेलखड़ी और पाउडर सहित) खानों में नियोजन
19. एस्बेस्टस खानों में नियोजन
20. क्रोमाइट खानों में नियोजन
21. क्वार्टजाइट खानों में नियोजन
22. क्वार्ट्ज खानों में नियोजन
23. सिलिका खानों में नियोजन
24. अभ्रक खानों में नियोजन
25. मैग्नेसाइट खानों में नियोजन
26. ग्रेफाइट खानों में नियोजन
27. फेल्सपार खानों में नियोजन
28. रेड-ऑक्साइड खानों में नियोजन
29. लेटराइट खानों में नियोजन
30. डोलोमाइट खानों में नियोजन

31. लौह-अयस्क खानों में नियोजन
32. ग्रेनाइट खानों में नियोजन
33. वोल्फार्म खानों में नियोजन
34. मैग्नेटाइट खानों में नियोजन
35. रॉकफॉस्फेट खानों में नियोजन
36. हेमेटाइट खानों में नियोजन
37. रेलवे मालगोदामों में सामान लादने और उतारने में नियोजन
38. रेलवे पर राख के गड्ढ़ों की सफाई करने में नियोजन
39. संगमरमर और कैल्साइट खानों में नियोजन
40. यूरेनियम खानों में नियोजन

विवरण- II

दिनांक 1.4.95 में संशोधित न्यूनतम मजदूरी दरें तथा संशोधित विशेष भत्ते

कर्मकार की श्रेणी	मूल मजदूरी (रूपयों में)	संशोधित विशेष भत्ता (रुपयों में)	कुल मजदूरी (रुपयों में)	मूल मजदूरी (रुपयों में)	संशोधित विशेष भत्ता (रुपयों में)
1	2	3	4	5	6
I. निमार्ण		क्षेत्र "क"			क्षेत्र "ख"
अकुशल	36.00	3.68	39.68	34.00	3.68
अर्ध कुशल/अकुशल	43.00	4.35	47.35	41.00	4.35
पर्यवेक्षीय कुशल	57.00	5.35	62.35	51.00	5.35
अत्याधिक कुशल	65.00	6.70	71.70	63.00	6.70
लिपिकीय	57.00	5.35	62.35	51.00	5.35
II. कृषि		क्षेत्र "क"			क्षेत्र "ख"
अकुशल	33.00	20.62	53.62	28.00	20.62
अर्ध कुशल/अकुशल	41.00	20.62	61.62	35.00	20.60
पर्यवेक्षीय कुशल/ लिपिकीय	48.00	20.62	68.62	41.00	20.62
अत्याधिक कुशल	58.00	20.62	78.62	50.00	20.62
III. रेलवे		क्षेत्र "क"			क्षेत्र "ख"
अकुशल	42.00	4.42	46.42	33.00	3.48

कर्मकार की श्रेणी	कुल मजदूरी (रुपयों में)	मूल मजदूरी (रुपयों में)	संशोधित विशेष भत्ता (रुपयों में)	कुल मजदूरी (रुपयों में)
1	7	8	9	10
I. निमार्ण			क्षेत्र "ग"	
अकुशल	37.68	28.00	3.02	31.02
अर्ध कुशल/अकुशल	45.35	34.00	3.68	37.68
पर्यवेक्षीय कुशल	56.35	43.00	4.68	47.68
अत्याधिक कुशल	69.70	51.00	5.35	56.35
लिपिकीय	56.35	43.00	4.68	47.68
II. कृषि			क्षेत्र "ग"	
अकुशल	48.62	26.00	20.62	46.62
अर्ध कुशल/अकुशल	62.29	29.00	20.62	49.62
पर्यवेक्षीय कुशल/ लिपिकीय	61.62	34.00	20.62	54.62
अत्याधिक कुशल	70.62	41.00	20.62	61.62
III. रेलवे			क्षेत्र "ग"	
अकुशल	36.48	29.00	3.08	32.08

कर्मकार की श्रेणी	मूल मजदूरी (रुपयों)	संशोधित विशेष भत्ता (रु में)	कुल मजदूरी (रुपयों)	मूल मजदूरी रुपयों में	संशोधित विशेषभत्ता (रु. में)	कुल मजदूरी (रुपयों में)
1	2	3	4	5	6	7
11./ खनन		भूमि के अमर			भूमिगत	
अकुशल	28.00	3.02	31.02	34.00	3.68	37.68
अर्ध कुशल/अकुशल	34.00	3.68	37.69	41.00	4.35	45.35
पर्यवेक्षीय कुशल	41.00	4.35	45.35	50.00	5.35	55.35
लिपिकीय	41.00	4.35	42.35			
अत्याधिक कुशल	50.00	5.35	60.00	60.00	6.36	66.36

टिप्पणी :-क्षेत्र "क" में शामिल हैं: 4 महानगरीय शहर तथा अहमदाबाद, हैदराबाद, बंगलौर, नागपुर, लखनऊ तथा कानपुर
"ख" में शामिल हैं: 54 शहर मुख्य: । लाख की जनसंख्या वाले
"ग" में शामिल हैं: अन्य सभी क्षेत्र

[हिन्दी]

गुजरात में किसानों को ऋण

3866. श्री महेश कनौडिया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान गुजरात में सहकारी बैंकों, वाणिज्यिक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा नलकूपों की स्थापना/खुदाई हेतु कितने लघु और सीमान्त किसानों को ऋण प्रदान किया गया;

(ख) क्या सरकार को उक्त अवधि के दौरान कुछ बैंकों द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान करने में बढ़ती गई अनियिमितताओं के संबंध में कुछ शिकायतें मिली है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने ऐसी अनियमितताओं की रोकथाम के लिए क्या उपाए किए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सहकारी, वाणिज्यिक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा अलग-अलग ट्यूब-वैल लगाने/बेधने के लिए गुजरात के छोटे और सीमान्त किसानों को दिए गए ऋणों का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है। तथापि, पिछले तीन वर्षों के दौरान गुजरात में विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के तहत कुआं खोदने के लिए किसानों को दिये गये वित्तीय सहायता संबंधी सूचना निम्नलिखित है:-

वर्ष	सहायता प्राप्त किसानों की संख्या
1991-92	11429
1992-93	8194
1993-94	7495

(ख) और (ग) वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के संबंध में अनियमितताओं के लिए जब कभी शिकायतें प्राप्त होती हैं, तो उपचारी कार्रवाई के लिए उन्हें बैंक के साथ उठाया जाता है।

[अनुवाद]

वित्तीय संस्थाओं की निगरानी

3867. प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में वित्तीय संस्थाओं द्वारा जिन अद्यतन मार्गनिर्देशों और भूमिका आदर्शों का निर्वहन किया जा रहा है, उनका ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार का निवेश मामले में अपनी प्राथमिकताएं पुन: निर्धारित करने के संबंध में वित्तीय संस्थाओं को परामर्श देने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इस समय यह प्रस्ताव किस चरण में है; और

(घ) इन संस्थाओं पर निगरानी तंत्र को मजबूत बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति): (क) अखिल भारत वित्तीय संस्थाओं (ए.आई.एफ. आई.) का मुख्य कार्य उद्योगों को मध्यावधिक एवं दीर्घावधिक ऋण उपलब्ध कराकर देश में औद्योगिक विकास को सहायता प्रदान करना है। बदलते हुए आर्थिक और औद्योगिक परिवेश में ए. आई. एफ. आई. अपनी भूमिका अधिक प्रभावशाली रूप में निभा सकें; इसके लिए बड़ी वित्तीय संस्थाएं जैसे भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लि. (आई.एफ सी.आई.) और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई.डी.बी.आई) को अधिक कार्यात्मक स्वायतत्ता और परिचालनात्मक लचीलापन प्रदान किया गया है। उन्हें इक्विटी शेयर पूंजी जारी करने के माध्यम से पूंजी बाजार में पहुंच बनाने और अपने शेयरधारक आधार को बढ़ाने की शक्ति भी दी है। यह वित्तीय प्रणाली से संबंधित नरसिंहम समिति की सिफारिशों के अनुरूप भी है।

(ख) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) अखिल भारत वित्तीय संस्थाओं का निदेशक.मण्डल संस्थाओं के कार्यकलापों की निगरानी करने के लिए जिम्मेदार है। सरकार ए.आई.एफ.एस द्वारा की गई समग्र मंजूरियों और संवितरणों की स्थिति की निगरानी करती है और ए.आई.एफ.आई. के बोर्डों में अपने नामित निर्देशक नामित करती है। इसके अलावा, सामान्य नीति विषयक मामलों और ए.आई.एफ आई. के सामान्य हितों के मामलों पर समय-समय पर हुई बैठकों में ए.आई.एफ.आई के मुख्य कार्यपालकों के साथ चर्चा की जाती है।

भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई) में एक वित्तीय संस्था कक्ष भी है जो अन्य बातों के साथ-साथ मौद्रिक और ऋण नीति के समन्वय के रूप में अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं के परिचालनों की विस्तृत निगरानी और जांच करता है। अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं और बैंकों के बीच अधिक समन्वय लाता है और उन विस्तृत नीतिगत क्षेत्रों, जहां संशोधन/परिवर्तनों की आवश्यकता है, पर विचार-विमर्श के लिए अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं और भारतीय रिजर्व बैंक के बीच आवधिक विचार-विमर्श की व्यवस्था करता है।

[हिन्दी]

सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा घाटा

3868. श्री अर्जुन सिंह यादव :
डा. असीम बाला :
डा. विश्वनाथ कैनिथी :
डा. मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय (एक) सरकारी क्षेत्र के बैंक, (दो) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, (तीन) राष्ट्रीयकृत बैंक, (चार) गैर सरकारी क्षेत्र के बैंक, तथा (5) अन्य अनुसूचित बैंकों की श्रेणियों के अन्तर्गत कार्यरत बैंकों का ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान इन बैंकों को हुए लाभ/घाटे का बैंक-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इन बैंकों में हुए घाटे के लिए कौन-कौन से कारक उत्तरदायी हैं; और

(घ) घाटे को रोकने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु योजना

3869. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आगामी पांच वर्षों के दौरान 5 मिलियन पर्यटकों को आकर्षित करने का कोई कार्यक्रम बनाया है;

(ख) क्या इस कार्यक्रम में आधारभूत सुविधाओं का विकास भी शामिल है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) पर्यटन विभाग ने 5 मिलियन पर्यटकों को आकृष्ट करने के लिए शुरू किए जाने वाले क्षेत्रीय क्रियाकलापों तथा अपेक्षित पूंजी निवेश के काल्पनिक प्राक्कलनों के सम्पूर्ण मैट्रिक्स को सूचीबद्ध करते हुए "पर्यटन सहक्रिया कार्यक्रम" नाम से एक कार्य-पत्र तैयार किया है।

(ख) और (ग) इस कार्यक्रम में एअर सीट क्षमता, विमानपत्तन, रेलवे नेटवर्क, सड़कें, होटल, रेस्टोरेंट, सम्मेलन और शॉपिंग सुविधाएं तथा पर्यटक केन्द्रों के उन्नयन जैसी आधारभूत सुविधाएं शामिल हैं।

"गैट" समझौते में परिवर्तन

3870. श्री एस. एम. लालजान वाशा : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत उन देशों में से एक है जिन्होंने "गेट" समझौते में कतिपय परिवर्तन किए जाने का अपना इरादा व्यक्त किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं।

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) जी, नहीं। उरूग्वे दौर की वार्ताएं दिसम्बर, 1993 में समाप्त हुयीं और डबल्यू .टी.ओ. करार 1 जनवरी, 1995 को प्रभावी हुआ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

आर्थिक सुधार

3871. डा. लाल बहादुर रावल : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष/विश्व बैंक ने भारतीय अर्थव्यवस्था में कुछ सुधार लाने के सुझाव दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो उनके द्वारा दिए गए सुझावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) सरकार ने अपना वृहत आर्थिक स्थिरीकरण और संरचनात्मक सुधार संबधी कार्यक्रम 1991 में प्रारंभ किया। औद्योगिक नीति, विदेशी व्यापार, विनिमय दर व्यवस्था, करारोपण, वित्तीय क्षेत्र और पूंजी बाजार सहित अनेक क्षेत्रों में विस्तृत उपाय किए गए हैं। इसका विवरण ''आर्थिक सुधार: दो वर्ष पश्चात और आगे के कार्य'' नामक परिचर्चा पत्र जिसे वित्त मंत्रालय द्वारा 1993 में प्रकाशित किया गया और 1992-93, 1993-94 और 1994-95 की आर्थिक समीक्षा में दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक ने भी अपनी रिपोर्टों में इन में से कुछ सुधार कार्यो का सुझाव दिया है। जैसाकि 1995-96 के बजट भाषण में कहा गया है सरकार का लक्ष्य सुधार प्रक्रिया को जारी रखना है।

पटसन से बुने कपड़े

3872. श्री मंजय लाल: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या पटसन से बुने कपड़े से बने परिधानों को विदेशो में लोकप्रियता मिली है;

(ख) यदि हां, तो क्या पटसन से बुने कपड़े के परिधानों की विदेशों में लोकप्रियता में वृद्धि करने और ऐसे कपड़ों के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु कोई कार्यवाही योजना तैयार की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा पटसन की पैदावार बढ़ाने हेतु पटसन आधारित उद्योगों के विकास हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वस्त्र मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी): (क) ऐसा प्रतीत होता है कि अन्य वस्त्र सामग्री के रूप में पटसन के रूप में उपयोग के लिए पटसन को विदेशों से अच्छा प्रत्युत्तर मिल रहा है।

(ख) से (घ) विभिन्न पटसन/टैक्सटाइल संगठन तथा टैक्सटाइल रिसर्च इंस्टीट्यूशन तथा मिलें, परिधानों में उपयोग के लिए पटसन वस्त्र सामग्री के विकास तथा उत्पादन पर ध्यान दे रहे हैं। निर्यात बाजार में इन सामग्रियों को लोकप्रिय बनाने तथा उत्पादन बढ़ाने के लिए किए गए कुछ उपाय नीचे दिए गए है:-

1. अन्य फाइबरों के साथ पटसन का उपयुक्त मिश्रण।
2. पटसन फैब्रिक के वास्तविक निष्पादन में सुधार।
3. विदेशों में प्रदर्शनियों में अन्तर्राष्ट्रीय डिजाइनरों तथा भागीदारों को आमंत्रित करना।

[अनुवाद]

एअर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइन्स का निजीकरण

3873. डा. पी. वल्लल पेरूमान:
श्रीमती भावना चिखलिया :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार एअर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइन्स का निजीकरण करने का है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(घ) क्या सरकार ने निजी विमान कंपनियों को अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की अनुमति दे दी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ग) जी, नहीं। एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स का सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनियों के रूप में पुन: संरचना का उद्देश्य एयरलाइन कम्पनियों की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए धन जुटाने हेतु पूंजी बाजार से सम्पर्क स्थापित करना है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) यह प्रश्न नहीं उठता।

आई. टी सी. लिमिटेड में भारतीय यूनिट ट्रस्ट की भागीदारी

3874. श्री के प्रधानी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इंडिया टोबेक्को कम्पनी लिमिटेड में भारतीय यूनिट ट्रस्ट की भागीदारी की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो 31 मार्च, 1995 की स्थिति के अनुसार इस बारे में क्या ब्यौरा है;

(ग) क्या आई. टी. सी. बोर्ड में भारतीय यूनिट ट्रस्ट के नामांकित निदेशक

को आई. टी. सी. लिमिटेड में विदेशी पूंजी निवेश बढ़ाने के संबंध में कोई विशिष्ट निर्देश दिये गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ). बैंकों में प्रचलित प्रथाओं और रीति रिवाजों तथा सरकारी क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को नियंत्रित करने वाली सांविधियों एवं लोक वित्तीय संस्था (विश्वस्तता एवं गोपनीयता विषयक बाध्यता) अधिनियम, 1983 के प्रावधानों के अनुसार, अलग-अलग ग्राहकों से संबंधित सूचना प्रकट नहीं की जा सकती। अलबत्ता भारतीय यूनिट ट्रस्ट जैसी वित्तीय संस्थाओं की सहायता प्राप्त कंपनियों को बोर्डों में नामिती निदेशकों की नियुक्ति संबंधित वित्तीय संस्थाओं द्वारा की जाती है। और सरकार द्वारा वित्तीय संस्थाओं के नामिती निदेशकों को कोई निर्देश देने का सवाल पैदा ही नहीं होता।

[हिन्दी]

जयपुर हवाई अड्डे का विस्तार

3875. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एन. ए. ए.) ने जयपुर हवाई अड्डे को अंतराष्ट्रीय स्तर पर लाने के उद्देश्य से हवाई पट्टी को 6000 फुट से 12000 फुट तक करने के लिए सहमति प्रदान कर दी थी;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक हुई प्रगति सहित ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अब राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने उक्त हवाई पट्टी को केवल 9000 फुट बनाने का निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या बड़े हवाई जहाजों और चार्टर्ड विमानों को उतारने के लिए जयपुर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा प्रदान किया जाना आवश्यक है;

(च) क्या सिंगापुर सरकार ने जयपुर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण के लिए प्रस्ताव भेजा है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (घ). जी, नहीं, तथापि, भारत विमानपत्तन प्राधिकरण ने प्रथम चरण में धावनपथ का 9000 फुट तक विस्तार करने के लिए अनुमोदन प्राप्त कर लिया है। यह लंबाई अंतर्देशीय एयरलाइनों तथा सीमित अंतर्राष्ट्रीय चार्टरित उड़ानों द्वारा प्रचलित ए बी-300 प्रकार के विमान के लिए उपयुक्त है। राज्य सरकार से भूमि लेने तथा इसे भारत विमानपत्तन प्राधिकरण को सौंपने का अनुरोध किया गया है जिससे कि जब आवश्यक हो धावनपथ को 12000 फुट तक बढ़ाया जा सके।

(ङ) जी, नहीं।

(च) और (छ). सिंगापुर सरकार अथवा निजी सैक्टर के सहयोग से जयपुर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण के लिए मैसर्स टाटा कंसलटेंसी ने एक प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा है।

मध्य प्रदेश में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक

3876. श्री खेलन राम जांगड़े : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन बैंकों में बैंकवार कितनी धनराशि जमा कराई गई और इन बैंकों द्वारा मध्य प्रदेश में किसानों को कितनी धनराशि ऋणों के रूप में मंजूर की गई और इनके द्वारा कितनी धनराशि वास्तव में वितरित की गई;

(ग) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों ने राज्य में ऐसे ऋणों को मंजूर करने हेतु तय लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार ने लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान किसानों से कितनी धनराशि वसूल की गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति): (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं का विवरण, जमाराशियां, किसानों के लिए ऋणों के लक्ष्य और इन बैंकों का संवितरण का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ). जैसा कि संयोजक बैंक सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया ने सूचना दी है, लक्ष्यों की तुलना में उपलब्धि, 1991-92 में 82.1% 1992-93 में 89.3% और 1993-94 में 82.4% है।

इस संबंध में बैंकों के कार्यनिष्पादन की ब्लाक, जिला और राज्य स्तर पर बराबर निगरानी की जाती है।

(ङ) किसानों से वसूली गई राशियां 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के वर्षों के लिए क्रमशः 200.75 करोड़ रुपए, 336.92 करोड़ रुपए और 323.67 करोड़ रुपए है, जो मांग की तुलना में क्रमशः 45.7%, 52.6% और 55.2% बैठती है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की बैंक-वार शाखाओं की संख्या, जमा राशियां, किसानों के लिए ऋणों का लक्ष्य और संवितरण

(राशि करोड़ रु.)

क्रम सं.	बैंक का नाम	शाखाओं की संख्या	जमा राशियां			किसानों को ऋण					
			1991-92	1992-93	1993-94	1991-92		1992-93		1993-94	
						लक्ष्य	संवितरण	लक्ष्य	संवितरण	लक्ष्य	संवितरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	इलाहाबाद बैंक	162	415.40	456.72	497.91	18.05	16.78	17.51	10.34	16.29	0.54
2.	आन्ध्रा बैंक	7	34.67	39.14	39.14	-	-	0.01	0.01	-	-
3.	बैंक आफ बड़ौदा	81	356.33	401.55	393.48	2.77	0.42	6.35	20.36	9.60	7.64
4.	बैंक आफ इंडिया	244	621.85	700.54	305.36	21.21	18.14	30.71	12.63	17.04	16.46
5.	बैंक आफ महाराष्ट्र	144	146.11	161.07	184.13	5.29	1.91	6.49	3.35	6.54	6.07
6.	केनरा बैंक	25	168.83	172.56	186.35	1.27	1.46	1.26	1.49	2.09	0.57
7.	सेन्ट्रल बैंक	432	920.94	988.46	1113.05	28.99	15.66	23.28	78.08	32.35	42.48
8.	कारपोरेशन बैंक	6	32.56	42.05	55.01	0.12	0.01	0.17	-	0.04	-
9.	देना बैंक	98	161.52	210.77	257.63	7.70	4.51	7.87	5.03	6.92	6.11
10.	इंडियन बैंक	11	51.51	43.44	49.91	1.51	0.52	0.89	0.21	0.35	0.10
11.	इंडियन ओवरसीज बैंक	8	33.70	40.19	42.32	-	-	0.08	0.06	-	-
12.	स्टेट बैंक आफ मैसूर	1	-	-	1.17	-	-	-	-	-	-

(राशि करोड़ रू.)

क्रम सं.	बैंक का नाम	शाखाओं की संख्या	जमा राशियां			किसानों को ऋण					
						1991-92		1992-93		1993-94	
			1991-92	1992-93	1993-94	लक्ष्य	संवतिरण	लक्ष्य	संवतिरण	लक्ष्य	संवतिरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	27	146.46	177.15	196.23	1.32	0.38	1.20	0.33	1.42	1.50
14.	पंजाब नेशनल बैंक	210	504.98	714.50	756.65	15.01	31.84	15.23	14.09	16.62	21.94
15.	पंजाब एंड सिंध बैंक	28	75.39	90.18	106.86	1.46	0.37	1.26	2.44	3.18	0.35
16.	भारतीय स्टेट बैंक	694	2337.31	2697.11	3183.03	94.55	91.25	94.95	57.66	68.82	50.56
17.	स्टेट बैंक आफ इंदौर	293	1016.42	1155.22	1396.35	8.95	5.02	10.05	5.92	12.40	8.29
18.	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर	11	14.37	14.35	14.35	-	-	-	-	-	-
19.	सिंडिकेट बैंक	22	90.01	98.43	108.5	1.57	0.40	1.12	0.07	0.85	0.31
20.	युनाइटेड बैंक आफ इंडिया	6	8.21	7.38	7.38	-	-	-	-	-	-
21.	यूको बैंक	122	421.14	429.13	424.06	8.72	1.68	5.50	10.85	6.89	1.47
22.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	181	409.43	473.62	629.82	26.90	11.33	56.02	27.62	15.01	14.49
23.	विजया बैंक	6	35.86	42.13	42.13	0.02	0.01	-	0.01	-	-
24.	स्टेट बैंक आफ पटियाला	3	2.23	4.24	4.24	-	0.01	-	-	-	-
25.	स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	2	32.36	2.36	3.14	-	-	-	-	-	-
26.	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	2	2.17	2.17	2.17	-	-	-	-	-	-
27.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्रा	3	-	13.05	4.97	-	-	-	-	-	-
28.	न्यू बैंक आफ इंडिया	-	10.69	-	-	0.94	0.31	0.84	0.44	-	-

[अनुवाद]

निर्यातकों को ऋण सुविधाएं

3877. श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या: क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का निर्यातकों को रियायती दरों पर विदेशी मुद्रा में पैकेज ऋण सुविधा की अनुमति देने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना के अन्तर्गत निर्यातक किस सीमा तक बैंक ऋण सुविधाओं का लाभ उठा पायेंगे ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्): (क) निर्यातकों को अन्तर्राष्ट्रीय रूप से प्रतिस्पर्धात्मक ब्याज दर पर विदेशी मुद्रा में पोतलदानपूर्व ऋण देने की योजना भारतीय रिजर्व बैंक ने, रुपया पैकिंग ऋण की वर्तमान योजना के साथ-साथ अतिरिक्त सुवधिा के रूप में नवम्बर, 1993 में शुरू की थी।

(ख) इस योजना के अन्तर्गत बैंक एल.आई.बी.ओ.आर. से संबंद्ध ब्याज दर पर किसी भी परिवर्तनीय मुद्रा में पैकिंग ऋण देते हैं। यह सुविधा निर्यातित माल के घरेलू तथा आयातित इनपुट दोनों पर उपलब्ध है। रुपया ऋण की तरह ही इस योजना के अन्तर्गत निर्यातक शुरू में 180 दिनों के लिए पैंकिंग ऋण प्राप्त कर सकते हैं।

(ग) निर्यातकों को यह विकल्प दिया गया है कि वे पैंकिंग ऋण रुपया में या विदेशी मुद्रा में प्राप्त कर सकते हैं। इस ऋण सुविधा का कितना उपयोग किया जाएगा यह इस बात पर निर्भर करता है कि दोनों योजनाओं के अधीन ऋण की तुलनात्मक लागत कितनी होगी और बैंकों के पास कितनी विदेशी मुद्रा उपलब्ध होगी।

करेंसी नोट

3878. श्री पी. कुमारसामी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पांच रुपये के नोटों का निर्माण बंद करने का निर्णय लिया है जैसा कि 23 जनवरी, 1995 के ''इकोनॉमिक टाइम्स'' में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति): (क) से (ग). चूंकि एक रुपए के नोट की औसत प्रचलन अवधि छह महीने होती है, जबकि दो रुपए के नोट की प्रचलन अवधि लगभग एक वर्ष होती है। इसके विपरीत, सिक्कों की प्रचलन अवधि लगभग 15-20 वर्षों तक होती है। अन्तिम लागत के विचार को ध्यान में रखते हुए इन मूल्यवर्ग के सिक्कों को चरणबद्ध ढंग से ढलाई किए जाने का निर्णय लिया गया है जिससे उच्चतर मूल्यवर्ग के नोटों के मुद्रण के लिए अब तक निर्मुक्त क्षमता का उपयोग किया जा सके। एक रुपए, दो रुपए और पांच रुपए के नए नोटों का उत्पादन तदनुरूप कम कर दिया गया है।

बाल मजदूर

3879. श्री आनन्द रत्न मौर्य : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मासूम बाल मजदूरों को शिक्षित करने के लिए सरकार की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान मुक्त कराए गए कितने बंधुआ बाल मजदूरों को शिक्षित किया गया;

(घ) क्या सरकार का विचार बाल मजदूरी से पीड़ित बच्चों को शिक्षित करने अथवा समय-समय पर प्रशिक्षण देने के लिए कोई सघन कार्यक्रम तैयार करने का है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का कोई आकर्षक प्रोत्साहन देने अथवा गैर-सरकारी संगठनों को उक्त उत्तरदायित्व सौंपने का भी प्रस्ताव है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्री (श्री पी. ए. संगमा): (क) और (ख). जी, हां। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के अंतर्गत एक प्रमुख कार्यकलाप रोजगार से हटाए गए बालकों को अनौपचारिक शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण अनुपूरक पोषणाहार आदि जैसी बुनियादी आवश्यकताओं के लिए विशेष स्कूलों की स्थापना करना है। फिलहाल, 8 राज्यों में ऐसी 12 परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं जिनमें अनुमानत: 14,000 बालकों को शामिल किया गया है। वर्ष 1995-96 के लिए, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के अंतर्गत 33 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है।

(ग) बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 के प्रारम्भ से ही कुल 1479 बंधुआ बालकों को मुक्त करा दिया गया है और उन्हें उनके माता-पिता को सौंप दिया गया है। आन्ध्र प्रदेश जैसे कुछ राज्यों में मुक्त करवाए गए बंधुआ श्रमिकों को रिहायशी स्कूलों में दाखिल करवाने की प्रथा प्रचलित है। ऐसे लाभानुभोगियों के ब्यौरे नहीं रखे जाते हैं।

(घ) से (छ) इस समय केन्द्रीय सरकार एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना कार्यान्वित कर रही है जिसके अंतर्गत राज्यों को पहचान किए गए बंधुआ श्रमिकों, जिसमें बंधुआ बाल श्रमिक भी शामिल हैं, के पुनर्वास के लिए 50 : 50 आधार पर सहायता प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारों को सलाह दी गयी है कि केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत उपलब्ध सहायता को विभिन्न निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों के अंतर्गत उपलब्ध सहायता के साथ समाकलित करें ताकि पहचान किए गए बंधुआ श्रमिकों के प्रभावी पुनर्वास के लिए संसाधन जुटाए जा सकें। बंधुआ बाल श्रमिकों को शिक्षित करने अथवा कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने अलग से कोई योजना तैयार नहीं की है।

[हिन्दी]

इंजीनियरिंग उत्पादो का निर्यात

3880. श्री रामपाल सिंह :
श्री पंकज चौधरी :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इंजीनियरिंग उत्पादों के निर्यात के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह योजना कब तक कार्यान्वित की जायेगी?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) से (ग) इंजीनियरी उत्पादों का निर्यात-संवर्धन करते रहना सरकार का सतत् प्रयास रहा है। इंजीनियरी उत्पादों का निर्यात बढ़ाने के लिए किए गए प्रयासों में शामिल हैं:- आयात-निर्यात नीति में दिए गए विभिन्न प्रोत्साहन जैसे शुल्क छूट योजना, निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल योजना विशेष आयात लाइसेंस, आदि, शुल्क वापसी, निर्यात से प्राप्त आय पर आयकर लगने से छूट और बाजार विकास निधि से सहायता।

अभी हाल ही में दिनांक 1.3.1995 को इंजीनियरी उत्पाद निर्यात (लोहा और इस्पात मध्यवर्तियों की पुन: पूर्ति) योजना नामक एक नई योजना अधिसूचित की गई है। इस योजना के अन्तर्गत इंजीनियरी माल के निर्यातक अपनी लोहा और इस्पात की मांग ऐसे इस्पात उत्पादकों से अन्तर्राष्ट्रीय भावों के बारबर भाव पर घरेलू स्रोत से पूरी कर सकते हैं, जो अपनी इनपुट के लिए शुल्क मुक्त आयात करने के हकदार हैं।

भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा महाराष्ट्र में किया गया निवेश

3881. श्री विलासराव नागनाथराव गुंडेवार : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान भारतीय पर्यटन विकास निगम ने अपने महाराष्ट्र के एककों में वर्षवार कितना-कितना निवेश किया;

(ख) ये एकक कहां-कहां पर स्थित हैं;

(ग) क्या भारत पर्यटन विकास निगम ने राज्य में स्थित अपने एककों के विकास के लिए कोई नई योजनाएं बनाई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) और (ख) पिछले दो वर्षों के दौरान, भारत पर्यटन विकास निगम ने महाराष्ट्र में अपनी मौजूदा इकाइयों पर 157.76 लाख रु. की राशि का योजनागत व्यय किया है, जिसका ब्यौरा निम्नलिखित है:-

इकाई का नाम	योजनागत व्यय		
	1993-94	1994-95	कुल (अनन्तिम) (लाख रुपयों में)
होटल औरंगाबाद अशोक	11.45	24.98	36.43
शुल्क मुक्त दुकानें	100.91	20.42	121.33
			157.76

(ग) और (घ) भारत पर्यटन विकास निगम की वार्षिक योजना 1995-96 में, होटल औरंगाबाद अशोक के अतिथि कक्षों, गलियारों, सम्मेलन हॉल, रसोई आदि के नवीकरण पर 44.00 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है।

[अनुवाद]

झींगा मछली पालन को बीमा के अन्तर्गत लाया जाना

3882. श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बीमा कम्पनियां चक्रवात हवाओं, ज्वारीय तरंगों और रोगों के कारण निष्क्रिय हो जाने वाले झींगा मछली पालन तालाबों के लिए बीमा सुरक्षा प्रदान नहीं करती है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का इस संबंध में ठोस उपाय करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति): (क) से (घ). साधारण बीमा उद्योग ने झींगा मछली पालन के कारोबार में हाल ही में दुर्घटनाओं, तूफानों और "रोग मुक्त" क्षेत्रों में बीमारियों के कारण हुई क्षति के लिए विस्तृत बीमा कवच प्रदान करना आरम्भ किया है । इस प्रकार के बीमा कवच बीमारियों और प्राकृतिक आपदा वाले क्षेत्रों में केवल दुर्घटना से संबंधित क्षति तक ही सीमित है ताकि अत्यधिक प्रभावन से बचा जा सके और समुद्री बीमे के परिणामों को नियंत्रित किया जा सके । बीमा कवच के क्षेत्र का दावों के अनुभवों और अन्य संबंधित तत्वों के आधार पर बीमा उद्योग द्वारा समय-समय पर पुनरीक्षण किया जाता है ।

आयुर्वेदिक औषधियां

3883. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यूरोप में भारतीय आयुर्वेदिक औषधों और प्राकृतिक जड़ी बूटियों की भारी मांग है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त वस्तुओं का गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष देश-वार कितना-कितना निर्यात किया गया और उससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई; और

(ग) इन वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) भारतीय आयुर्वेदिक दवाइयों तथा प्राकृतिक जड़ी-बूटियों की यूरोप में महत्वपूर्ण मांग है।

(ख) आयुर्वेदिक और यूनानी दवाइयों तथा आयुर्वेदिक एवं यूनानी जड़ी-बूटियों के पिछले तीन वर्षों के दौरान किए गए निर्यात के आंकड़े निम्नानुसार हैं:-

		करोड़ रु. में
1992-93	1993-94	1994-95 (अप्रैल-नवम्बर 1994)
32.59	29.13	30.03

देश-वार विस्तृत विवरण संसद पुस्तकालय में उपलब्ध डी. जी. सी. आई. एण्ड एस. के प्रकाशन "भारत के विदेश व्यापार के मासिक आंकड़े" में उपलब्ध हैं ।

(ग) सरकार ने आयुर्वेदिक दवायों तथा जड़ी -बूटियों सहित औषधियों एवं भेषजों की पहचान निर्यात संवर्धन के लिए "अत्यधिक ध्यान" देने वाली मद के रूप में की है । इसके अनुसार, सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में अन्य बातों के साथ-साथ बाजार विकास सहायता का विस्तार, नीति एवं प्रक्रियाओं का उदारीकरण तथा व्यापार प्रतिनिधमंडलों के आदान-प्रदान, विदेश में व्यापार मेलों में भागीदारी तथा सम्बद्ध सूचना के आदान-प्रदान एवं प्रचार-प्रसार जैसे उपायों को बढ़ावा देना शामिल है ।

सार्वजनिक निर्गम

3884. श्री येल्लैया नंदी: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ऐसी कई कंपनियों ने जिनकी प्रदत्त पूंजी कम है, हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड से बड़ी धनराशि के सार्वजनिक निर्गम जारी करने की अनुमति मांगी है जैसा कि 21 जनवरी, 1993 के "टाइम्स ऑफ इंडिया" में बताया गया है;

(ख) यदि हां, तो अब तक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने ऐसे कितने मामलों का पता लगाया है और उन पर क्या कार्यवाही की है; और

(ग) सरकार का मुख्यत: कम प्रदत्त पूंजी पर आधारित कम्पनियों द्वारा पूंजी बाजार में उत्पन्न की गई इस तेजी के रुख को शुरूआत में ही किस प्रकार रोकने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति):(क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी ।

बीड़ी श्रमिक

3885. डा. कृपासिन्धु भोई: क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा और मध्य प्रदेश में तेंदुपत्ता तोड़ने, उपार्जित करने और बीड़ी बनाने में लगे श्रमिकों की संख्या कितनी है;

(ख) इन श्रमिकों के लिए शुरु की गई कल्याण योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इन योजनाओं को लागू न करने के बारे में जानकारी है; और

(घ) यदि हां, तो उड़ीसा और मध्य प्रदेश में इन बीडी श्रमिकों के हितों की सुरक्षा हेतु उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्री (श्री पी. ए. संगमा): (क) उड़ीसा और मध्य प्रदेश में बीड़ी कर्मकारों की संख्या क्रमश: 1.52 लाख और 6.60 लाख होने का अनुमान है । तेंदुपत्ता तोड़ने और प्राप्त करने में लगे बीड़ी कर्मकारों की संख्या के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी ।

(ख) उड़ीसा और मध्य प्रदेश सहित सभी राज्यों में बीड़ी कर्मकारों के लिए कार्यान्वित की जा रही कल्याण योजनाओं की एक सूची संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ग) और (घ). पूरे देश में बीड़ी कर्मकारों को विभिन्न कल्याण सुविधाएं मुहैय्या करवायी जा रही हैं । बीड़ी कर्मकारों संबंधी कल्याण कार्यकलापों की गति को तेज करने और विभिन्न कल्याण योजनाओं को मूर्त रूप देने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं । बीड़ी कर्मकारों को आवास, शैक्षणिक और स्वास्थ्य सुविधाओं से संबंधित योजनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है । भिन्न-भिन्न योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय सहायता की मात्रा में वृद्धि की गयी है और शामिल किए गए लाभानुभोगियों की संख्या में भी काफी वृद्धि हुई है ।

विवरण

क्र.सं.	योजना का नाम
	स्वास्थ्य
1.	बीड़ी श्रमिकों के लिए स्थिर व सचल/स्थिर एलोपैथिक और स्थिर आयुर्वेदिक औषधालय ।
2.	बीड़ी श्रमिकों के लिए टी. बी. अस्पतालों में बिस्तरों को आरक्षित करने संबंधी योजना ।
3.	बीड़ी श्रमिकों के घरेलू उपचार संबंधी योजना ।
4.	कैंसर से पीड़ित बीड़ी श्रमिकों के उपचार संबंधी योजना ।
5.	मानसिक रोग से पीड़ित बीड़ी श्रमिकों के उपचार संबंधी योजना।
6.	कुष्ठ रोग से पीड़ित बीड़ी श्रमिकों (घर खाता श्रमिकों सहित) के उपचार संबंधी योजना ।
7.	चश्मों की खरीद के लिए बीड़ी श्रमिकों को वित्तीय सहायता प्रदान किया जाना ।
8.	महिला बीड़ी श्रमिकों के लिए प्रसूति प्रसुविधा संबंधी योजना ।
9.	बीड़ी श्रमिकों के बंध्याकरण के लिये आर्थिक क्षतिपूर्ति की अदायगी संबंधी योजना ।
10.	हृदय रोग के लिए बीड़ी श्रमिकों को वित्तीय सहायता के रूप में व्यय की प्रतिपूर्ति।
11.	गुर्दा प्रत्यारोपण के लिए बीड़ी श्रमिकों की वित्तीय सहायता के रूप में व्यय की प्रतिपूर्ति।
	सामाजिक सुरक्षा योजना
	आवास
1.	बीड़ी श्रमिकों के लिए अपना घर स्वयं बनाओ योजना ।
2.	बीड़ी कर्मकारों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु आवास योजना।
3.	वर्कशैड और गोदामों के निर्माण हेतु बीड़ी उद्योग की सहकारी समितियों को आर्थिक सहायता ।
4.	बीड़ी कर्मकारों हेतु समूह आवास योजना ।
	शिक्षा
1.	बीड़ी कर्मकारों के बालकों को छात्रवृत्ति प्रदान करना (घर खाता बीड़ी कर्मकारों सहित)

क्र.सं.	योजना का नाम
2.	बीड़ी कर्मकारों के स्कूल जाने वाले बच्चों को एक जोड़ा वर्दी और स्लेट, कॉपियां, पाठ्य पुस्तकें देने हेतु वित्तीय सहायता देने के लिए कम्पोजिट योजना ।
	आमोद -प्रमोद
1.	दृश्य-श्रव्य सैटों / सिनेमा वैनों /फिल्मों के प्रदर्शन की व्यवस्था ।
2.	बीड़ी कर्मकारों हेतु खेल-कूद, सामाजिक व सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित करना ।
3.	बीड़ी कर्मकारों हेतु अवकाश गृह योजना ।
4.	बीड़ी कर्मकार औद्योगिक सहकारी समितियों को टी. वी. सैट की आपूर्ति ।
5.	बीड़ी कर्मकार आवास कॉलोनी में रंगीन टी. वी. सैट सहित सामुदायिक हॉल बनाना ।

[हिन्दी]

"गैट" समझौते के अन्तर्गत निर्यात में वृद्धि

3886. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उरुग्वे दौर की बहुपक्षीय व्यापार वार्ता के बाद देश के निर्यात लक्ष्यों में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है ;

(ख)क्या भारत को निर्यात के क्षेत्र में वांछित सफलता नहीं मिली है;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा 1995-96 के दौरान निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई योजना का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित होगी ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) बहुपक्षीय व्यापार वार्ताओं के उरुग्वे दौर के सफल समापन के परिणामस्वरूप 1 जनवरी , 1995 से विश्व व्यापार संगठन अस्तित्व में आया । यह कहना बहुत जल्दबाजी होगा कि तब से भारतीय निर्यात में एक नया आवेग आया है या उसमें वृद्धि हुई है।

(ख) वर्ष 1993-94 के दौरान भारतीय निर्यात में अमेरिकी डालर में 20% वृद्धि हुई थी । अप्रैल -फरवरी, 1994-95, वह नवीनता अवधि जिसके कुल व्यापार के आंकड़े उपलब्ध हैं , के दौरान निर्यात में अप्रैल-फरवरी, 1993-94 के दौरान हुई 20.6% की उच्च वृद्धि पर डालर में 17.3% वृद्धि हुई है।

(ग) और (घ) निर्यात संवर्धन एक सतत प्रक्रिया है और व्यापार, उद्योग तथा आय संबंधित पक्षों के साथ विचार-विमर्श करके निर्यात में वृद्धि के उपाय किए जाते हैं । नीतियों और क्रियाविधियों को निर्यात के और अधिक अनुकूल बनाने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं । आठवीं योजना (1992-97 में योजना अवधि के दौरान मात्रा के रूप में (1991-92 की कीमतों पर) प्रतिवर्ष 13.6% निर्यात वृद्धि रखने का प्रावधान है । आठवीं योजना में योजना के टर्मिनल वर्ष अर्थात 1996 -97 की समाप्ति पर , 1991-92 की कीमतें (33,548 मिलियन अमरीकी डालर) पर 83,869 करोड़ रुपये मूल्य के निर्यात होने का अनुमान है।

[अनुवाद]

व्यापार घाटा

3887. श्री निर्मल कान्ति चटर्जी :
श्रीमती भावना चिखलिया:

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1994-95 के लिए आयात तथा निर्यात लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निर्यात की तुलना में आयात में तेजी से वृद्धि हो रही है;

(घ) यदि हां तो इसके क्या कारण है तथा गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कितना व्यापार घाटा हुआ; और

(ङ) 80 के दशक की तुलना में 90 के दशक के दौरान आयात तथा निर्यात में कितना परिवर्तन हुआ ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) और (ख) वर्ष 1994-95 के लिए कोई औपचारिक निर्यात लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था। फिर भी व्यापार और उद्योग को वर्ष 1994-95 के दौरान 25% निर्यात वृद्धि प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया गया था। आयात के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जाता है। अर्थात अर्थव्यवस्था की आवश्यकता के अनुरूप किए जाते हैं।

(ग) और (घ). अप्रैल-फरवरी, 1994-95 वह नवीनतम अवधि जिसके

लिए कुल व्यापार के आकंड़े उपलब्ध हैं, के दौरान निर्यात में 17.3% की वृद्धि हुई जबकि वर्ष 1993-94 की समसामयिक अवधि के दौरान आयात में 23.3 %वृद्धि हुई थी। आयात -निर्यात नीति (1992-97) का उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ विदेशी व्यापार के उदारीकृत ढांचे के अंतर्गत कुशल और अन्तर्राष्ट्रीय रूप से प्रतिस्पर्धात्मक आयात प्रतिस्थापनों को प्रोत्साहित करना है। आयात अर्थव्यवस्था की आवश्यकता के अनुरूप किये जाते हैं और आयातों का प्रमुख भाग कच्चा माल, मध्यवर्ती इनपुट और पूंजीगत माल होता है। ,निर्यात से जुड़े आयात और औद्योगिक उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि के कारण वर्ष 1993-94 और 1994-95 (अप्रैल फरवरी) के दौरान गैर-तेल आयात में वृद्धि हुई। पिछले तीन वर्षों के दौरान व्यापार घाटा मिलीयन अमरीकन डालर में नीचे दिया गया है:-

1992-93	-	3345
1993-94	-	1068
1994-95 (अप्रैल -फरवरी) *	-	1814

* अनन्तिम आंकड़े पूर्ण संख्या में

(ङ) नौवें दशक के दौरान, मूल्यवर्द्धित उत्पादित मदों के निर्यात के हिस्से में आठवें दशक की तुलना में वृद्धि हुई है। आयात के संबंध में कच्चे माल, मध्यवर्ती निवेश तथा पूंजीगत वस्तुएं नौवें दशक के दौरान मुख्य मदें बनी रही हैं।

[हिन्दी]

नए उद्यमों में भारतीय पर्यटन विकास निगम का पूंजी निवेश

3888. श्री हरिकेवल प्रसाद: क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क)गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय पर्यटन विकास निगम ने उत्तर प्रदेश में स्थापित अपने नए उद्याम में कितना पूंजी निवेश किया;

(ख) क्या भारतीय पर्यटन विकास निगम ने अपने एककों के विकास हेतु राज्य में कुछ नए एककों का चयन किया हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) गत तीन वर्षों के दौरान भारत पर्यटन विकास निगम ने उत्तर प्रदेश राज्य में किसी नई परियोजना में निवेश नहीं कियां है।

(ख) और (ग) भारत पर्यटन विकास निगम की वार्षिक योजना 1995-96 में उत्तर प्रदेश राज्य में नई परियोजना स्थापित करने के लिए कोई विशिष्ट योजनागत स्कीम/ परिव्यय शामिल नहीं है।

[अनुवाद]

मुक्त व्यापार पत्तन

3889. श्रीमती भावना चिखलिया:
श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्यें:

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को मुक्त व्यापार पत्तनों की स्थापना करने हेतु राज्य सरकारों एंव निजी क्षेत्रों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार एवं क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन पत्तनों की स्थापना राज्य सरकारों/निजी क्षेत्रों/ विदेशी सहयोग से संयुक्त उद्यम क्षेत्रों द्वारा की जा रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रत्येक पत्तन के लिए राज्यवार एवं क्षेत्र-वार लागत क्या है और उनके लिए कितना निवेश उपलब्ध कराया गया है;

(ङ) क्या सरकार ने देश में विशेषकर गोवा, महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्यों के लिए किसी प्रस्ताव की स्वीकृति दी है ताकि आर्थिक क्षेत्र में शुरू किए गए उदारीकरण एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रिया का लाभ उठाया जा सके;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार एव क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(छ) इन पत्तनों की कब तक स्थापना की जाएगी एवं इन परियोजनाओं के कायगन्वियन के परिणामस्वरूप क्या-क्या लाभ प्राप्त होंगे; और

(ज) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) से (ज) भारत में एक मुक्त पत्तन की स्थापना पर रौनक सिंह समिति ने विचार किया था। मुक्त पत्तन की स्थापना के लिए कहीं से भी कोई विशेष प्रस्ताव नहीं मिला है। तथापि, तमिलनाडु, गोवा और अंडमान एंव निकोबार की सरकारों ने अपने-अपने राज्य/राज्यक्षेत्र में मुक्त पन्तन के स्थान का सुझाव दिया है जिसे कुछ स्थानीय औद्योगिक संघों तथा व्यापारिक निकायों का भी समर्थन मिला है।

मुक्त पत्तन की स्थापना की जांच आर्थिक उदारीकरण की सतत प्रक्रिया के संदर्भ में चल रही है। इस संबंध में लिए जाने वाले निर्णय के संबंध में कोे

समय सीमा नहीं बतलाई जा सकती है।

चमड़ा वस्त्र उद्योग

3890. डा.खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी:
श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कितने मूल्य के चमड़े के वस्त्रों का उत्पादन व निर्यात किया गया;

(ख) क्या भारतीय वस्त्र उद्योग के लिए अन्य देशों के उत्पादों के साथ प्रतिस्पर्धा करना कठिन हो जाता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या पाकिस्तान, चीन और दक्षिण कोरिया भारत से कच्चा माल खरीदकर तैयार शुदा उत्पादन ऊंचे मूल्यों पर बेचते हैं और भारी लाभ अर्जित करते हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(च) देश के चमड़ा वस्त्र उत्पादकों का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सफलतापूर्वक प्रतिस्पर्धा करने के काबिल बनाने हेतु उनकी सहायता करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का विचार है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान चमड़े से बने परिधानों का निर्यात नीचे दर्शाया गया है:

	मूल्य मिलियन रु. में
1991-92	7368.71
1992-93	9429.45
1993-94	11066.32

(स्रोत: चर्म निर्यात परिषद)

कुल चर्म परिधान निर्यात के आंकड़े सदृश उत्पादन आंकड़ों के रूप में लिए जा सकते हैं, क्योंकि चर्म परिधानों की घरेलू बिक्री नगण्य है। हमारे चर्मपरिधानों का निर्यात मुख्यत: यूरोप एवं यू.एस.ए. को होता है जिसमें पिछले तीन वर्षों के दौरान निरन्तर वृद्धि प्रदर्शित हुई है।

(घ) और (ङ) पाकिस्तान भारत से परिष्कृत चर्म का आयात नहीं कर रहा है। चीन और कोरिया को हमारा परिष्कृत चर्म का निर्यात कुल निर्यात का लगभग 5% बैठता है।

(च) भारत में चर्म उद्योग के एकीकृत विकास के लिए सरकार ने "राष्ट्रीय चर्म विकास कार्यक्रम" नामक एक व्यापक योजना तैयार की है और इसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू. एन.डी.पी) से प्राप्त सहायता से लागू किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का एक प्रमुख उद्देश्य "निर्यात क्षमता को बढ़ाना" है। चर्म निर्यात परिषद, जो राष्ट्रीय चर्म विकास कार्यक्रम में एक भागीदार संस्था है उन विभिन्न उप परियोजनाओं को लागू कर रही है जिनका उद्देश्य चर्म परिधानों समेत चर्म उत्पादों के निर्यात का संवर्धन करना है।

श्रम मंत्री की चीन यात्रा

3891. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी: क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में श्रम राज्यमंत्री ने चीन जनवादी गणराज्य की यात्रा की है;

(ख) क्या इस यात्रा के दौरान कोई निर्णय लिया गया था; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (श्री पी.ए संगमा) :(क) केन्द्रीय श्रम मंत्री ने 4 और 10 सितम्बर, 1994 के बीच चीन जनवादी गणराज्य का दौरा किया।

(ख) और (ग). भारत तथा चीन के श्रम मंत्रियों के बीच विचार विमर्श मुख्यत: नय श्रम कानूनों, बेशी श्रम तथा औद्योगिक रुग्णता से निपटने के लिए संघों तथा सरकार की भूमिका, कर्मकारों के लिए सामाजिक सुरक्षा, श्रम उत्पादकता, अर्थव्यवस्था के व्यापकीकरण के लिए सामाजिक आयामों आदि पर केन्द्रित रहा। कोई औपचारिक निर्णय नहीं लिया गया क्योंकि विचार विमर्श संबंधित देशों के अनुभव के आधार पर सूचना तथा विचारों के आदान-प्रदान के स्वरूप के थे। यह सहमति हुई थी दोनों देश मित्रता की वर्तमान नींव को मजबूत बनाने और श्रम सहित सभी क्षेत्रों में और प्रगाढ़ता लाने के लिए सक्रिय रूप में कार्य करेंगे।

भारतीय परिधानों पर कोटा प्रणाली का लगाया जाना

3892. श्री तारा सिंह: क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को परिधानों और वस्त्र से बनी वस्तुओं पर कोटा प्रणाली लगाने के विश्व व्यापार संगठन के अधिकार के संबंध में उसके द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस कदम से भारतीय निर्यातकों को कठिनाई हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते।

(ङ) विश्व व्यापार संगठन को कोटा निर्धारित करने का कोई अधिकार नहीं है। वस्त्र और परिधान से संबंधित उरुग्वे दौर करार के अंतर्गत सदस्य देश कुछेक मामलों में कोटा निर्धारित कर सकते हैं।

[हिन्दी]

सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता

3893.श्री चन्द्रेश पटेल: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षो के दौरान महंगाई भत्ते का परिकलन करने के लिए समय-समय पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की स्थिति क्या रही;

(ख) उक्त अवधि के दौरान केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में कितनी वृद्धि की गई;

(ग) इस समय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कितना है;

(घ) हाल ही में सरकारी कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते में कब से वृद्धि की गई और यह वृद्धि किस दर पर की गई;

(ङ) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में हाल ही में की गई वृद्धि का क्या प्रभाव पड़ा है; और

(च) सभी सरकारी कर्मचारियों को घोषित मंहगाई भत्ते की राशि का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी.चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (च) चौथे केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा सिफारिश किए गए तथा सरकार द्वारा यथास्वीकृत फार्मूले के अनुसार, केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को दिए जाने वाले मंहगाई भत्ते का संशोधन वर्ष में दो बार पहली जनवरी और पहली जुलाई को किया जाता है जो सामान्यत: क्रमश: मार्च और सितम्बर माह के वेतन के साथ देय होता है। प्रत्येक ऐसी किस्त की गणना औद्योगिक कामगारों (सामान्य)के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (1960-100) के 12 महीने के औसत में 608 के आधार सूचकांक जिसमें 1-1-86 से प्रभावी मौजूदा वेतनमान संबंद्ध है, में हुई प्रतिशत वृद्धि के आधार पर की जाती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान, केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की छह अतिरिक्त किस्तें मंजूर की गई हैं।

31.12.1994 की स्थिति के अनुसार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के 12 महीने का औसत 1370 .16 निकलता था, जिससे 608 के आधार सूचकांक (जो 1.1.86को विद्यमान था) पर 125% की वृद्धि हुई। इस वृद्धि के आधार पर केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को 1.1.1995 से निम्नानुसार महंगाई भत्ते की एक अतिरिक्त किस्त पहले ही मंजूर कर दी गई है:-

वेतन रेंज	महंगाई भत्ते की दरें
3500/-रु. तक	वेतन का 125%
3500/-रु. से अधिक और 600/-रु. तक	वेतन का 94% किन्तु कम से कम 4375/-रु.
6000/रु.-अधिक	वेतन का 81% किन्तु कम से कम 5640/-रु.

महंगाई भत्ता और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत दोनों के कारण 1233 करोड़ रूपए प्रतिवर्ष का वित्तीय भार पड़ेगा।

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की योजनायें

3894. श्री जगत वीर सिंह द्रोण: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम अपने चल रहे कार्यक्रमों तथा योजनाओं का मूल्यांकन कराने की योजना बना रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति): (क) यू.एन.डी.पी.,भारत में अपने सहायता कार्यक्रम का समग्र मूल्यांकन शुरू करने की कोई योजना नहीं बना रहा है। तथापि, अपनी प्रचालनात्मक प्रक्रियाओं के एक

भाग के रूप में, यू.एन डी.पी. सरकार के साथ मिलकर आवधिक रूप से अपने सहायता कार्यक्रम की संयुक्त समीक्षाएं करता है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लाभांश शेयर जारी करना

3895. **कुमारी सुशीला तिरिया:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को सरकारी क्षेत्र की कई कम्पनियों के बारे में लाभांश शेयरों को जारी करके निर्धारित मानदंडों की उपेक्षा करने की सूचना मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इन कम्पनियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति): (क) और (ख). जी, नहीं सरकार ने सरकारी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा बोनस शेयर जारी करने के लिए कोई मानदण्ड निर्धारित नहीं किए हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

[हिन्दी]

बन्द औद्योगिक एकक

3896. **श्री चिन्मयानन्द स्वामी:** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश में बन्द हो चुके अथवा बन्द होने के कगार पर पहुँच चुके औद्योगिक एककों का स्थानवार ब्यौरा क्या है;

(ख)ये एकक कब से बन्द हैं अथवा बन्द होने की स्थिति में हैं तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) इन औद्योगिक एककों को पुन: चालू करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) इन एककों के बन्द होने के कारण कितने कर्मचारी व श्रमिक बेरोजगार हो चुके हैं; और

(ङ) इन एककों में कार्यरत श्रमिकों को राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (श्री. पी.ए. संगमा): (क) से (ङ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

हैरिटेज होटल

3897. **डा. साक्षी जी:** क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार उत्तर प्रदेश में हैरिटेज होटल खोलने का है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) सरकार के पास परियोजना तैयार करने की अवस्था में भिन्न-भिन्न श्रेणियों में होटलों के अनुमोदन करने और होटलों का वर्गीकरण करने की स्कीम है जिसमें देश भर के हैरिटेज होटल शामिल हैं। इस संबंध में प्रस्ताव प्रवर्तकों द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

[हिन्दी]

राष्ट्रीयकृत बैंकों की विदेश स्थित शाखाओं में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी

3898. **श्री रतिलाल वर्मा:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकारी क्षेत्र के बैंकों की विदेश स्थित शाखाओं में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कितने कर्मचारी कार्यरत हैं;

(ख) बैंकों की विदेश स्थित शाखाओं में नियुक्तियां करते समय क्या आरक्षण नीति का पालन किया जा रहा है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति): (क) सरकारी क्षेत्र के 8 बैंकों में से 6 बैंकों ने जिनकी शाखाएं विदेशों में हैं, बताया है कि विदेशी शाखाओं में नियुक्त उनके अधिकारियों /कर्मचारियों में से 20 अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति समुदाय के हैं।

(ख) और (ग). जहां तक सरकारी क्षेत्र के बैकों की विदेशी शाखाओं का संबंध है, लिपिकीय तथा अन्य निम्न संवर्गों के पदों में भर्ती, संबंधित देशों के नागरिकों में से स्थानीय रूप में की जाती है। उस देश से स्थानीय रूप से भर्ती किए

गए कर्मचारियों में भर्ती के लिए निर्धारित आरक्षण नीति का अनुपालन करने का प्रश्न ही नहीं उठता। कुछ वरिष्ठ पदों पर मुख्यत: अधिकारियों की श्रेणी के पदों को भारत से ही बैंको के अपने अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति द्वारा भरे जाते हैं। मौजूदा मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार अधिकारियों की ऐसी प्रतिनियुक्ति के लिए कोई आरक्षण लागू नहीं होता। तथापि, बैंक, विदेशों में नियुक्ति के लिए विचार करते समय अन्य अधिकारियों के साथ-साथ पात्र अनुसूचित जाति/ जनजाति के अधिकारियों पर भी गुणदोषों के आधार पर नियुक्ति को ध्यान में रखते हैं।

[अनुवाद]

साधारण जीवन बीमा निगम द्वारा दावों का निपटान

3899. डा. रमेश चन्द तोमर: क्या **वित्त मंत्री** साधारण बीमा निगम के पालिसीधारकों द्वारा दावों के भुगतान के संबंध में 9 दिसम्बर, 1994 के अतारांकित प्रश्न संख्या 605 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस बीच जानकारी एकत्र की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी .चन्द्रशेखर मूर्ति): (क) से (ग) दिनाँक 9.12.1994 के अतारांकित प्रश्न संख्या 605 के जवाब में दिया गया आश्वासन 8.3.1995 को पूरा कर दिया गया है। सम्पूर्ण विवरण सहित कार्यान्वयन रिपोर्ट की एक प्रतिलिपि विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

लोक सभा का 12वां सत्र, 1994

वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग

पूरा करने की तारीख 8.3.95

प्रश्न सं.तारीख और सदस्य का नाम	विषय	दिया गया आश्वासन	कब और कैसे पूरा किया गया	विलम्ब के कारण
1	2	3	4	5
डा. रमेश चन्द्र तोमर द्वारा दिनांक 9.12.94 को पूछा गया अतारांकित प्रश्न सं. 605	**साधारण बीमा निगम की अनुषंगी कम्पनियों द्वारा दावों का भुगतान** जिसमें पूछा गया था: (क) क्या साधारण बीमा निगम द्वारा बीमा अधिनियम की धारा 64V ख के अनुसरण में अपनी अनुषंगी कंपनियों को मार्गनिर्दशों का पालन करने के लिए निदेश जारी किए गए हैं; (ख) यदि हा, तो क्या दावों का भुगतान करते समय धारा 64V ख के उपबंधों का कड़ाई से अनुपालन किया जाता है; और	(क)से (ख): सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।	(क) और (ख): साधारण बीमा निगम ने सूचित किया है कि 1987 के बाद उन्होंने अपनी चार सहायक कम्पनियों को बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 64Vख के उपबंधों का पालन करने की हिदायतें दी गयी थी। यह समझा गया कि वाणिज्यिक प्रक्रिया में ये उपबंध सभी परिस्थितियों को कवर नहीं कर पायेंगे। इसलिए 1989 और 1990 के दौरान साधारण बीमा निगम द्वारा नये मार्गदर्शी निर्देश जारी किए गए ,जिसमें 31 दिसम्बर, 1989 से पूर्व घटित होने वाले 64 V ख के उल्लघंन वाले मामलों को निपटाने की प्रक्रिया दी गयी है। इसके अतिरिक्त इन हिदायतों के	

पूरा करने की तारीख 8.3.95

प्रश्न सं.तारीख और सदस्य का नाम	विषय	दिया गया आश्वासन	कब और कैसे पूरा किया गया	विलम्ब के कारण
1	2	3	4	5
	(ग) दिल्ली स्थित न्यू इंडिया एश्योरेंश कम्पनी और अन्य कम्पनियों द्वारा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कितने दावे अस्वीकार किए गए और धारा 64v ख के उपबंधों का उल्लंघन करते हुए कितने दावों का भुगतान किया और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?		अनुसरण में दावों की सभी टिप्पणियों में अब प्रीमियम के संग्रहण और धारा 64v ख के पालन से संबंधित प्रमाण पत्र के विवरणों का उल्लेख करना आवश्यक है उसके बिना दावों का निपटान नहीं किया जा सकता। (ग) साधारण बीमा निगम द्वारा बतायी गयी स्थिति निम्न प्रकार है:-	

बीमा कम्पनी का नाम	धारा 64/ख के उल्लंघन के लिए अस्वीकार किए गए दावों की संख्या	धारा 64v ख के उल्लंघन में निपटाए गए दावों की सं. और उनका ब्यौरा
(1)	(2)	(3)
नेशनल	शून्य	शून्य
न्यू इंडिया	शून्य	
ओरिएंटल	1	शून्य
यूनाइटेड इंडिया	1	शून्य

[हिन्दी]

इन्दौर-कलकत्ता विमान सेवा

3900. **श्रीमती सुमित्रा महाजनः** क्या **नगर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इन्दौर और कलकत्ता के बीच विमान सेवा पिछले कुछ दिनों से रद्द कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस विमान सेवा को दोबारा शुरू करने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो यह सेवा कब ते दांबारा शुरू की जाएगी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) विमान चालकों की कमी के कारण इंडियन एयरलाइन्स ने दिसम्बर, 1992 से इन्दौर-कलकत्ता सैक्टर पर अपनी सप्ताह में दो बार की बी-737 सेवाएं रोक दी हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

(घ) इंडियन एयरलाइन्स प्रचालन कर्मी दल की अत्यधिक कमी का सामना कर रही है और इसलिए इन्दौर-कलकत्ता सेवा को बरकरार रखना संभव नहीं है।

[अनुवाद]

भर्ती ऐजन्ट

3901. **श्री समनिहोर राय:** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार भर्ती ऐजन्टों का लाइसेंस प्रदान करने की प्रणाली को समाप्त करने का है;

(ख) यदि हां, तो यह प्रणाली कब तक समाप्त कर दी जाएगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्री (श्री पी.ए. संगमा): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भ्रष्ट भर्ती ऐजन्टों के शोषण से संभावित प्रवासियों को बचाने हेतु भर्ती ऐजन्टों का पंजीकरण आवश्यक है।

व्यापार मार्ग

3902. **श्री सनत कुमार मंडल:** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार मध्य एशियाई देशों के साथ व्यापार हेतु ईरान स्थित बंडार अब्बास बंदरगाह से होकर एक छोटे और सस्ते व्यापार मार्ग से व्यापार करने के लिए कोई व्यवस्था करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस समय यह प्रस्ताव किस स्थिति में है;

(ग) क्या सरकार मध्य एशियाई गणतंत्र देशों में भारतीय उत्पादों को पैठ को सुनिश्चित करने के लिए (कामनवल्थे ऑफ इंडिपेंडेन्ट स्टेट्स) स्वत्रंत राष्ट्रमंडल के नोवोरोसिस्क नामक स्थान पर एक वैकल्पिक विमान पत्तन का विकास करने के बारे में विचार कर रही; और

(घ) यदि हां, तो इस दिशा में अब तक कितनी प्रगति हुई है तथा इसमें कितनी पूंजी लगने की संभावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्): (क) और (ख) जी हां सरकार बंडार अब्बास से होकर केन्द्रीय एशियाई गणराज्यों में और ज्यादा सस्ते पारगमन व्यापार मार्ग को खोलने के लिए व्यवस्थाओं को अन्तिम रूप दे रही है।

एक पारगमन रास्ते की संभाव्यता की जांच करने के लिए वाणिज्य मंत्रालय के दो अध्ययन दलों ने क्रमशः जुलाई 1993 तथा नवम्बर, 1994 में ईरान और मध्य एशियाई गणराज्यों का दौरा किया। इन दलों ने रेल, सड़क और बंदरगाह सुविधाओं की गुणवत्ता तथा पर्याप्तता, पड़ोसी देशों के साथ परिवहन के सम्पर्क मार्गों, सीमा -शुल्क तथा अन्य नियमनकारी प्रक्रियाओं तथा भंडारण सुविधाओं तथा एक प्रभावी एवं लागत प्रभावी तरीके से पारगमन मार्ग को पूर्णरूप से प्रचालन योग्य बनाने की संभावना का अध्ययन किया। इन दलों ने निष्कर्ष निकाला कि ईरान से होकर व्यापार मार्ग व्यवहार्य, किफायती और अपेक्षाकृत ज्यादा तीव्र है। तदुपरान्त, इरान से होकर भारत और केन्द्रीय एशियाई गणराज्यों के बीच व्यापार के निर्बाध प्रवाह को सुकर बनाने के लिए सरकार की पहल पर भारत सरकार एवं ईरानी इस्लामिक गणराज्य तथा तुर्कमेनिस्तान गणराज्य के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये।

(ग) और (घ). जी, नहीं

तथापि सरकार रूस में नोवोरोसिस्क में समुद्री बंदरगाह के विकास को सुकर बनाने की योजना बना रही है। इस मुद्दे पर रूसी सरकार के साथ लगातार विचार-विमर्श किया जा रहा है तथा ऐसी आशा है कि इस बंदरगाह पर उपयुक्त अवस्थापना के विकास से रूस और मध्य एशिया के साथ व्यापार सुकर बनेगा।

[हिन्दी]

अनिर्णीत पड़े श्रमिक मामले

3903 **श्री सुरेन्द्र पाल पाठक:** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न मंचों में लंबित औद्योगिक विवादों और श्रमिकों के संबंधित मामलों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन मामलों का शीघ्र निपटान करने हेतु अधिक संख्या में न्यायालय/न्यायाधिकरण गठित करने का सरकार का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ये कब तक गठित कर लिए जायेंगे;

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इन मामलों के शीघ्र निपटान हेतु क्या प्रयास किये गये/जा रहे हैं ?

श्रम मंत्री (श्री पी.ए.संगमा): (क) से (घ) केन्द्रीय सरकार आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जहां कहीं आवश्यक समझा जाए और अधिक केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण सह-श्रम न्यायालय स्थापित किये जाने का प्रस्ताव

करती है।

(ङ) अन्य बातों के साथ-साथ लम्बित विवादों को तेजी से निपटाने के लिए किए जा रहे उपाय निम्नानुसार हैं:-

(i) संराधन तंत्र को बेहतर और सुदृढ़ बनाना ताकि बड़ी संख्या में विवादों का संराधन स्तर पर ही निपटान किया जा सके,

(ii) श्रम न्यायालय तथा औद्योगिक अधिकरणों के पीठासीन अधिकारियों के रिक्त पदों को शीघ्रता से भरना।

(iii) जहां कहीं आवश्यक हो अतिरिक्त श्रम न्यायालयों और औद्योगिक अधिकरणों की स्थापना करना,

(iv) जहां कहीं संभव हो, लोक अदालतें आयोजित करना ।

विवरण

I. राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के अंतर्गत श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण

क्रम स.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	की स्थिति के अनुसार लंबित औ. विवादों की संख्या			की स्थिति के अनुसार लंबित आवेदनों की संख्या		
		31.12. 1991	31.12. 1992	31.12. 1993	31.12. 1991	31.12. 1992	31.12. 1993
	1	2	3	4	5	6	7
1.	अंडमान और निकोबार	15	15	24	15	15	15
2.	आन्ध्र प्रदेश	6867	7073	8081	3662	4745	2969
3.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0
4.	असम	279	263	260	100	102	76
5.	बिहार	755	730	706	791	961	941
6.	चंडीगढ़	689	754	739	216	198	
7.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0
8.	दादर और नागर हवेली	1	0	0	0	0	0
9.	दिल्ली	20947	22209	21889	21328	22724	22623
10.	गोवा	213	233	224	120	96	100
11.	गुजरात	40437	उ.न	5798	684	उ.न	699
12.	हिमाचल प्रदेश	232	229	311	171	136	243

क्रम स.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्रा का नाम	की स्थिति के अनुसार लंबित औ. विवादों की संख्या			की स्थिति के अनुसार लंबित आवेदनों की संख्या		
		31.12. 1991	31.12. 1992	31.12. 1993	31.12. 1991	31.12. 1992	31.12. 1993
	1	2	3	4	5	6	7
13.	हरियाणा	4566	4838	4713	2568	3037	3110
14.	जम्मू और कश्मीर	उ.न	उ.न	88	उ.न	उ.न	उ.न
15.	केरल	1331	1544	1690	998	1134	1230
16.	कर्नाटक (अ)	9123	10146	7320	3343	3327	2383
17.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0
18.	मणिपुर	4	4	4	0	0	0
19.	मेघालय	1	7	2	0	0	0
20.	महाराष्ट्र	11646	12342	13302	25164	23696	25236
21.	मध्य प्रदेश	2310	2429	2522	1064	1274	1395
22.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0
23.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0
24.	उड़ीसा	1056	1191	1251	1255	1607	1757
25.	पंजाब	9250	6647	7184	10115	7336	5422
26.	पांडिचेरी	26	48	88	15	19	11
27.	राजस्थान	7801	8201	8404	5696	4942	5680
28.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0
29.	तमिलनाडु	7821	9553	9734	7271	9336	11084
30.	त्रिपुरा	5	2	2	5	2	2

क्रम स.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	की स्थिति के अनुसार लंबित औ. विवादों की संख्या			की स्थिति के अनुसार लंबित आवेदनों की संख्या		
		31.12. 1991	31.12. 1992	31.12. 1993	31.12. 1991	31.12. 1992	31.12. 1993
1		2	3	4	5	6	7
31.	उत्तर प्रदेश	13043	15241	17795	5536	5142	6091
32.	पश्चिम बंगाल	2210	2260	2211	170	175	1244
	कुल:	140628	105979	154343	90287	90004	92311

(अ) अनन्तिम उ.न. उपलबन्ध नहीं

(ii) केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण-सह-न्यायालय

क्रम सं.	के.स.ओ. अधि. का नाम	की स्थिति के अनुसार लंबित औ. विवादों की संख्या			की स्थिति के अनुसार लंबित आवेदनों की संख्या		
		31.12. 1992	31.12. 1993	31.12. 1994	31.12. 1992	31.12. 1993	31.12. 1994
1		2	3	4	5	6	7
1.	आसनसोल	47	60	79	9	27	24
2.	बंगलौर	312	386	374	15	27	24
3.	बंबई-1	276	298	233	774	796	831
4.	बंबई-2	198	256	257	2066	642	695
5.	कलकत्ता	279	298	343	231	242	251
6.	चंडीगढ़	709	744	777	2018	1845	1892
7.	धनबाद-1	546	635	789	125	164	183
8.	धनबाद-2	447	557	539	36	37	36
9.	जबलपुर	936	1188	1375	2094	2224	1469
10.	कानपुर	759	822	927	1150	1188	1279
11.	नई दिल्ली	577	605	676	1299	1220	1422
	कुल:	5086	5799	6369	9817	8400	8104

रबड़ प्रौद्योगिकी संस्थान

3904. श्री एन. जे. राठवा: क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रबड़ बोर्ड का गुजरात में विशेषकर जनजातीय क्षेत्रों में कोई रबड़ प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) रबड़ बोर्ड से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

बेरोजगार स्नातक

3905. श्री दत्तात्रेय बंडारू: क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आन्ध्र प्रदेश के विभिन्न रोजगार कार्यालयों में वर्तमान स्थिति में कितने बेरोजगार स्नातक पंजीकृत हैं; और

(ख) गत दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान रोजगार कार्यालयों में कितने व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया ?

श्रम मंत्री श्री पी.ए. संगमा) :(क) 31.12.1993 की स्थिति के अनुसार (नवीनतम उपलब्ध) आंध्र प्रदेश में रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर पंजीकृत रोजगार चाहने वाले स्नातकों (स्नातकोत्तर व्यक्तियों सहित) जिसमें यह आवश्यक नहीं कि सभी बेरोजगार हों की संख्या 350.6 हजार (अनंतिम) थी।

(ख) वर्ष 1992 तथा 1993 के दौरान आंध्र प्रदेश में रोजगार कार्यालयों द्वारा क्रमश: 2.3 तथा 1.1 हजार स्नातकों (स्नातकोत्तर व्यक्तियों सहित) को रोजगार उपलब्ध कराया गया।

अर्हता प्राप्त पायलट

3906. श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये: क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय घरेलू तथा अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए देश में अर्हता प्राप्त पायलटों की मांग 31 मार्च, 1994 को उनकी संख्या की तुलना में कितनी है तथा आठवीं पंचवर्षीय योजना में इसमें कितनी वृद्धि होने की संभावना हैं; और

(ख) इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) 31 मार्च, 1994 की स्थिति के अनुसार अर्हता प्राप्त लाइसेंसधारी पायलटों की कुल संख्या 5944 थी जो कि देश में उपलब्ध अनुसूचित विमान कम्पनियों एवं हवाई टैक्सी प्रचालकों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए पर्याप्त है। तथापि पायलटों के नियोजन की मांग से लाइसेंस जारी करने का कोई संबंध नहीं हैं।

(ख) निजी पायलट लाइसेंस तथा वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस प्राप्त करने के लिए उड़ान प्रशिक्षण सुविधाएं समुचित रूप से उपलब्ध हैं। ये प्रशिक्षण 36 उड़ान क्लबों/संस्थानों में दिए जाते है। इन 36 संस्थानों में ''इग्रुआ'' एवं चार निजी प्रबन्ध वाले संस्थान भी शामिल हैं।

राष्ट्रीयकृत बैंकों में ग्राहक सेवा

3907: श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश के विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों में घटिया ग्राहक सेवा के बारे शिकायतें मिली हैं; और

(ख) क्या सरकार को इसकी जानकारी है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों के कुछ अधिकारी/ कर्मचारी अपने निवास स्थान पर ही निरन्तर कार्यरत हैं जिससे उनके स्थानीय हित बन जाते हैं जो बैकों के व्यापक हित तथा ग्राहक सेवा के विरुद्ध है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति): (क) जी, हां।

(ख) बैंक अधिकारियों /कर्मचारियों की सेवा शर्तो को नियंत्रित करने वाले अधिकारी सेवा विनियमों/समझौतों/पंचाटों में निहित प्रावधानों के अनुसार, किसी अधिकारी का स्थानांतरण भारत में कहीं भी किया जा सकता है। अलबत्ता, उन कर्मकारों के मामले में जो अधीनस्थ स्टाफ से संबंधित नहीं हैं, जहां तक संभव हो उस राज्य या भाषा क्षेत्र से बाहर स्थानांतरण नहीं किया जाना चाहिए, जिसमें कर्मचारी कार्यरत हैं। किसी विशिष्ट शाखा में अधिकारियों/ लिपिकों के लम्बे अरसे तक रहने से उत्पन्न किसी निहित स्वार्थ को दूर करने के लिए, सरकार ने बैंकों से कहा है कि वे अपने अधिकारियों और लिपिकीय स्टाफ को हर 3/5 वर्ष बाद क्रमानुसार स्थानांतरित (रोटेट) करते रहें।

गेहूँ तथा चावल का निर्यात

3908. श्री डी. वेंकटेश्वर राव:
श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या:

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 1995 के दौरान गेहूँ तथा चावल के निर्यात की अनुमति दी है।

(ख) यदि हां, तो निर्यात के लिए निर्धारित इन मदों की दर तथा कुल मात्रा के देश-वार विवरण सहित इसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन पदों के मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय तथा स्वदेशी बाजार में इनके मूल्यों से कम है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ङ) इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) से (ङ). चावल बासमती एवं गैर बासमती के निर्यात की अनुमति बिना किसी मात्रा तथा कीमत संबंधी प्रतिबंधों के मुक्त रूप से दी जाती है। सरकार ने वर्ष 1995-96 में खुले बाजार से गैर- दुडुम गेहूं के निर्यात के लिए बिना किसी न्यूनतम निर्यात कीमत के 2.5 मिलियन मी.टन की अधिकतम मात्रा भी रिलीज की है। भारतीय खाद्य निगम को वर्ष 1995-96 में सरकारी स्टाक से गैर-दुडुम गेहूँ और चावल का निर्यात/निर्यात हेतु बिक्री करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। गेहूँ का यह निर्यात/ बिक्री 2.5 मिलियन मी.टन की समग्र अधिकतम सीमा के भीतर है जबकि चावल की फाइन तथा सुपर फाइन किस्मों के मामले में मात्रा की यह सीमा 2 मिलियन मी. टन की होगी। सरकारी स्टाक से गेहूं तथा चावल की बिक्री/निर्यात का निर्धारण इस प्रयोजन के लिए गठित समिति द्वारा समय-समय पर किया जाएगा। अन्तर्राष्ट्रीय तथा घरेलू बाजारों में विद्यमान कीमतों की ठीक-ठीक तुलना करना संभव नहीं है क्योंकि व्यापार की किस्में अलग-अलग होती है, क्वालिटी में अन्तर होता है और निर्यात हेतु गेडिंग तथा पैकेजिंग में अतिरिक्त व्यय होता है।

जम्मू और कश्मीर में रेशम उद्योग

3909. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल के वर्षों के दौरान जम्मू कश्मीर में रेशम उद्योग को झटका लगा है और क्या अब कश्मीरी रेशम का निर्यात विदेशों में नहीं होता;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हाल ही में सेंट्रल सिल्क बोर्ड ने राज्य में रेशम उद्योग के पुनरुद्धार और आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय एवं अन्य सहायता देने का निश्चय किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में बोर्ड द्वारा तैयार योजना का ब्यौरा क्या है. वित्तीय सहायता की कितनी धनराशि खर्च की जाएगी, कितने एककों का पुनरुद्धार कर उन्हें चलाने योग्य बनाया जाएगा और बीजों, कोयों, धागों और डिजायनों को सुधारने के क्या उपाय किए जा रहे हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री जी वेंकट स्वामी:) (क) और (ख) जम्मू तथा कश्मीर में रेशम के कोसों का उत्पादन जो कि 1991-92 में 820 टन का था। वर्ष 1992-93 (813 टन) कुछ स्थिर रहा परन्तु 1993-94 में इसमें 651 टन तक कमी आई। तथापि वर्ष 1994-95 के लिए आकंड़े उपलब्ध नहीं हैं।

जहां तक कश्मीर रेशम के निर्यातो का संबंध है, यह उल्लेखनीय हैं कि चूंकि रेशमी दरव उत्पादों का निर्यात अनिवार्यत: उस राज्य द्वारा नहीं किया जाता जिसमें कि अपरिष्कृत रेशम का उत्पादन होता है। राज्य वार निर्यात आंकड़े रखना व्यहार्य नहीं है। तथापि श्रीनगर में केन्द्रीय रेशम बोर्ड के प्रमाणन केन्द्र ने कार्य करना जारी रखा तथा इस केन्द्र द्वारा 1994-95 के दौरान प्रमाणित की गई रेशमी वस्तुओं का मूल्य 1993-94 के दौरान निर्यात के लिए प्रमाणित 166.51 लाख रु. की तुलना में 277.56 लाख रु. (अप्रैल, 94 -फरवरी 95) था।

(ग) और (घ) जम्मू तथा कश्मीर राज्य विश्व बैंक/ विकास सहयोग सहायित राष्ट्रीय रेशम उत्पादन परियोजना जो कि 1989-90 से कर्यान्वयनाधीन है, के अन्तर्गत शामिल पांच परम्परागत रेशम उत्पादक राज्यों में से एक है। परियोजना के अन्तर्गत विविध विकासात्मक कार्यकलाप करने के लिए राज्य के रेशम उत्पादन विभाग के लिए 17.5 करोड़ा रु. के आबंटन पर विचार किया गया है। कोकून के बीजों, यार्न की गुणवत्ता में सुधार मलबरी के अन्तर्गत क्षेत्र का विस्तार करने के कार्यकलाप शामिल हैं। इसके अतिरिक्त परियोजना के केन्द्रीय रेशम बोर्ड की अनुसंधान एंव विकास एकंकों को सुदृढ करना तथा बोर्ड द्वारा मूल बीज फार्मों, रेशम कीट बीज उत्पादन केन्द्र, रेशम अनुकूलन तथा परीक्षण गृह तथा 8 तकनीकी सेवा केन्द्रों की स्थापना करने पर भी विचार किया गया है।

परियोजना के अन्तर्गत शहतूती रेशम उत्पादन के विकास के लिए परिकल्पित 17.5 कोरड़ रु. के आवंटन की तुलना में परियोजना के आरम्भ से 31-12-94 तक राज्य द्वारा किया गया व्यय 10.73 करोड़ रु. बताया गया है। इस अवधि के दौरान केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा अपने एककों पर किया गया व्यय 4.37 करोड़ रु. बताया गया है।

त्रिवेन्द्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा

3910. श्री कोडीकुन्नील सुरेश: क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार त्रिवेन्द्रम अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आधुनिक राडार सुविधायें उपलब्ध करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके कब तक स्थापित किये जाने की संभावना है और इस पर कितना व्यय होने की संभावना है; और

(ग) इस राडार की स्थापना से क्या सुविधाएं/लाभ प्राप्त देने की संभावना है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) त्रिवेन्द्रम विमानपत्तन पर 29.29 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिकतम प्रधान एवं गौण राडार लगाए गए हैं और अप्रैल, 1995 के अंत तक इन्हें शुरू कर दिए जाने का कार्यक्रम है।

(ग) इन राडारों से सुरक्षा घटक तथा हवाई यातायात प्रबन्ध में सुधार होगा।

मशीनों का निर्यात

3911. श्रीमती दिल कुमारी भंडारी : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को वर्तमान आयात-निर्यात नीति में परिवर्तन लाने के लिए मशीन निर्यातकों से कोई सुझाव प्राप्त हुए है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) मशीनों के निर्यात को बढ़ाने के संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग) निर्यात आयात नीति में परिवर्तन करने के लिए मशीनरी के निर्यातकों से अनेक सुझाव मिले थे जिनमें लोहा और इस्पात मध्यवर्ती सामग्री अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आसपास मूल्य पर उपलब्ध कराने का सुझाव भी शामिल था। निर्यात आयात नीति में संशोधन करते समय इन सभी सुझावों पर विचार किया गया था। ''इंजीनियरी'' उत्पाद निर्यात (लोहा तथा इस्पात मध्यवर्तियों की प्रतिपूर्ति) योजना नामक एक विशेष योजना भी 1 मार्च 1995 को अधिसूचित की गई है जिससे इस्पात के घरेलू उत्पादक अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आसपास मूल्य पर लोहा और इस्पात की आपूर्ति कर सकेंगे।

उड़ान भत्ता

3912. श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को दिये जाने वाले कतिपय भत्ते आयकर से मुक्त होते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इंडियन एयरलाइन्स के कर्मचारियों को दिया जा रहा उड़ान भत्ता भी आयकर से मुक्त होता है;

(घ) क्या सरकार का विचार उड़ान भत्ते पर आयकर रियायत बन्द करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति): (क) और (ख) जी, नहीं। केन्द्रीय सरकार और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को आयकर अधिनियम,1961 के अधीन कोई विशेष छूट उपलब्ध नहीं है। तथापि, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (14) के उपबंधों के अन्तर्गत सरकारी राजपत्र में अधिसूचना की शर्त पर कुछ भत्तों जैसे (क) किसी कार्यालय के दायित्वों के निष्पादन में सम्पूर्ण आवश्यक रूप में और इसी के लिए खर्च किए गए व्ययों को पूरा करने के लिए स्वीकृत (ख) ड्यूटी के स्थान अथवा निवास पर किए गए वैयक्तिक व्ययों को पूरा करने या जीवन-निर्वाह में बढ़ी हुई लागत के संबंध में कर्मचारी की प्रतिपूर्ति के लिए स्वीकृत भत्तों पर छूट दी गई है। यह छूट सरकारी, सरकारी क्षेत्र या निजी क्षेत्र में सेवा कर रहे कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है।

(ग) जी, हां। उड़ान भत्ता सहित किसी भत्ते पर, जो किसी परिवहन तंत्र में कार्य कर रहे कर्मचारी को एक स्थान से दूसरे स्थान को ऐसा यातायात चलाने में अपने निष्पादित दायित्वों के दौरान उसके वैयक्तिक व्यय को पूरा करने के लिए स्वीकृत किया गया हो, प्रतिमाह (1-7-1992 से) अधिकतम 3000/रु. तक के भत्ते पर 7% तक की छूट दी गई है। परन्तु यह छूट उस स्थिति में उपलब्ध नहीं है यदि ऐसा कर्मचारी उसके द्वारा निष्पादित उक्त दायित्व के संबंध में दैनिक भत्ता प्राप्त करता हो।

(घ) ऐसा कोई प्रस्ताव इस समय विचाराधीन नहीं है।

(ङ) लागू नहीं होता।

पंजाब नेशनल बैंक के गार्ड की बन्दूक से अनजाने में गोली चलना

3913. श्री मोहन रावले: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या कनाट प्लेस, नई दिल्ली स्थित पंजाब नेशनल बैंक की शाखा में 30 मार्च, 1995 को गार्ड की बन्दूक चल जाने से एक बैंक लिपिक की मृत्यु हो गई थी और अनेक लोग घायल हो गए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) बैंक ने मृत कर्मचारी के निकट सम्बन्धियों तथा अन्य घायल व्यक्तियों को कितना मुआवजा दिया;

(घ) क्या सरकार ने सुरक्षा प्रणाली के संबंध में बैंकों को कोई दिशा-निर्देश जारी किए है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति): (क) से (ग) पंजाब नेशनल बैंक (पी.एन.बी.) ने बताया है कि दिनांक 30 मार्च, 1995 को बैंक की ई.सी.ई. हाउस ब्रान्च पर सुरक्षा कर्मचारी की बन्दूक चल जाने से एक टर्मिनल आपरेटर (लिपिक) की मृत्यु हो गई और एक अन्य टर्मिनल आपरेटर घायल हो गया। बैंक ने मृतक बैंक लिपिक के आश्रित को अनुकंपा एवं अनुग्रह पूर्वक अनुदान के रूप में 1,20,500 रुपए की धनराशि का भुगतान किया है।

(घ) और (ङ) सरकारी क्षेत्र के बैंकों को अपनी सुरक्षा-व्यवस्था मजबूत करने के लिए कुछ उपायों की सलाह दी गई है। इनमें विभिन्न कारकों के आधार पर शाखाओं को विशिष्ट श्रेणियों में वर्गीकृत करना, भारतीय रिजर्व बैंक में सुरक्षा के सभी पहलुओं पर ध्यान दिए जाने और बैंको के लिए सुरक्षा-व्यवस्था से संबंधित मार्गदर्शी सिद्धान्त उपलब्ध कराने के लिए केन्द्रीय सुरक्षा प्रकोष्ठ स्थापित करना, राज्य स्तर की सुरक्षा समितियों का गठन, आदि शामिल हैं।

[हिन्दी]

गुजरात के समुद्र तटों को रमणीक बनाना

3914. **श्री काशीराम राणा:**
श्री हरिसिंह चावड़ा:
क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु समुद्र तटों को रमणीक बनाने के संबंध में गुजरात सरकार की ओर से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान, प्रतिवर्ष इस प्रयोजनार्थ गुजरात तथा अन्य समुद्र-तटीय राज्यों में, राज्य-वार कितनी धनराशि खर्च की गई ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख): पर्यटन विभाग की समुद्र तटों के सौंदर्यीकरण हेतु राज्य सरकारों की सहायता करने की कोई स्कीम नहीं है।

तथापि, केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने गुजरात के तटीय क्षेत्रों पर पर्यटन आधारिक संरचना के विकास के लिए निम्नलिखित परियोजनाओं को मंजूरी दी है :

		वर्ष	मंजूर की गई राशि (रु. लाखों में)
1.	भुज पर पर्यटक परिसर	1991-92	13.08
2.	चोरवाड में बीच- रिजार्ट्स का परिरक्षण	1991-92	10.00
3.	पोरबंदर में कैफेटेरिया	1993-94	14.60
4.	सोमनाथ मंदिर की प्रकाश पुंज व्यवस्था	1993-94	17.46

(ग) वर्ष 1991-92 से पर्यटन आधारिक संरचना के विकास के लिए गुजरात और अन्य समुद्र तटीय राज्यों में राज्य-वार खर्च की गई राशि संलग्न विवरण में दी है।

विवरण

समुद्रतटों के विकास के लिए स्वीकृत परियोजनायें

क्रम सं.	परियोजना का नाम	स्वीकृति वर्ष	स्वीकृत राशि
आन्ध्र प्रदेश			
1.	तुप्पलीपालम, नेल्लोर में बीच रिज़ार्ट	1991-92	7.00

क्रम सं.	परियोजना का नाम:	स्वीकृति वर्ष	स्वीकृत राशि
गोवा			
1.	कोल्वा, मीराणर और दोना पौला में जन सुविधाएं	1992-93	11.95
2.	कालगिट बीच पर जन सुविधाएं	1993-94	13.34
गुजरात			
1.	भुज में पर्यटक परिसर	1991-92	13.08
2.	चोरवाड में बीच रिज़ार्ट का परिरक्षण	1991-92	10.00
3.	पोरबंदर में कैफेटेरिया	1993-94	14.60
4.	सोमनाथ मंदिर की प्रकाश पुंज व्यवस्था	1993-94	17.40
कर्नाटक			
1.	गोकरना में जन सुविधाएं	1993-94	3.21
केरल			
1.	बेकल का एकीकृत विकास	1991-92	190.00
2.	पैरावूर में बीच रिज़ार्ट	1993-94	26.13
3.	चेरथला में बीच रिज़ार्ट	1993-94	24.69
महाराष्ट्र			
1.	गणपतिफुले में पर्यटक परिसर	1993-94	26.57
2.	हरिहरेश्वर में समुद्र तट कुटीरें	1993-94	24.98
3.	कुंकेश्वर में पर्यटक परिसर	1993-94	24.80
उड़ीसा			
1.	पुरी में यात्री निवास	1992-93	44.85
2.	गोपालपुर में पर्यटक परिसर	1993-94	38.23
3.	पैरादीप में पर्यटक परिसर	1993-94	32.50

क्रम स.	परियोजना का नाम	स्वीकृति वर्ष	स्वीकृत राशि
तमिलनाडु			
1.	मामल्लापुरम की प्रकाश पुंज व्यवस्था	1991-92	9.90
2.	कन्याकुमारी समुद्रतट का सौन्दर्यीकरण	- वही -	6.00
3.	रामेश्वरम में यात्री निवास	1992-93	44.78
पश्चिम बंगाल			
1.	शंकरपुर में बीच रिज़ार्ट	1991-92	40.13
संघ शासित क्षेत्र			
अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह			
1.	दिगलीपुर में पर्यटक परिसर	1993-94	26.62
2.	रंगत में पर्यटक परिसर	1993-94	26.85
लक्षद्वीप			
1.	कोडमट द्वीप समूह में आवास	1991-92	23.00
दादारा, नागर, दमन और दीव			
1.	दमन में आगन्तुक केन्द्र	1991-92	10.74
2.	दीव में सेंट पाल चर्च का प्रदीप्तीकरण	1993-94	4.03
पांडिचेरी			
1.	करैकल में पर्यटक लॉज	1991-92	21.95

[अनुवाद]

गैट समझौता

3915. **श्री एम.वी.वी. एस मूर्तिः**
श्री बोल्ला बुल्ली रामय्याः
क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का ध्यान 6 नवम्बर, 1994 को "इंडियन एक्सप्रैस" में "उरूग्वे राउन्ड आफर्स लिमिटेड कंडीशनल बेनिफिट्स" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस समाचार की जांच की है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) जी हां

(ख) जी, हां

(ग) उरूग्वे दौर के लाभों के बारे में विभिन्न मूल्यांकन हैं जो कि अध्ययनों में अपनाए गए तरीके के अनुसार अलग-अलग हैं। सरकार के मूल्यांकन के अनुसार कुल मिलाकर उरूग्वे दौर के फलस्वरूप वस्तुओं और सेवाओं के क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करने वाले उन्नत नियम तथा बाजार पहुंच के अवसर हमारे निर्यात को बढ़ाने में हमारे लिए लाभकारी रहेंगे।

समाचार में एक चीनी अधिकारी की कथित टिप्पणी के बारे में जेनेवा स्थित चीन के सरकारी स्रोतों ने इस बात से इन्कार किया है कि उन्हें इसकी कोई जानकारी है।

बदला प्रणाली पर समिति

3916. श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री सनत कुमार मंडल:
श्री राम नाईक :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा स्थापित बदला प्रणाली पर त्रिसदस्यीय समिति की सिफारिश की जांच की है;

(ख) यदि हां, तो इस समिति द्वारा की गई सिफारिशों की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस समिति की सिफारिशों के आलोक में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा बदला प्रणाली सहित वायदा व्यापारों, सामान्य डिलीवरी और जाबिंग लेने-देन में क्या सुधार किए जाने हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति): (क) समिति का गठन भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा किया गया था और समिति की सिफारिशों की इस समय सेबी द्वारा जांच की जा रही है।

(ख) समिति ने शेयरों में लेन-देन की वायदा व्यापार की अनेक विशेषताओं से युक्त नई प्रणाली की सिफारिश की है। प्रस्तावित प्रणाली की मुख्य विशेषताएं संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ग) और(घ) चूंकि समिति की सिफारिशें सेबी के जांचधीन हैं, इसलिए सेबी द्वारा शुरू किए जाने वाली संभावित सुधारों को दर्शाना समयपूर्व होगा।

1. नई प्रणाली के अन्तर्गत शेयरों को शामिल करने का आधारभूत मानदंड यह होना चाहिए कि शेयर विशाल पूंजी आधार और जनता द्वारा व्यापक शेयरधारिता वाली लाभांशदेयी और विकासोन्मुखी कंपनियों के होने चाहिएं।

2. माइक्रो-स्तर पर लेनेदेनों की मानीटरिंग करने के संबंध में उचित जांचों और संतुलनों को सुनिश्चित करने के लिए प्रणाली के अन्तर्गत पर्याप्त सुरक्षोपाए किए जाने चाहिएं।

3. प्रत्येक वायदा-व्यापार लेनदेन अधिमानत: 90 दिनों में समाप्त हो जाना चाहिए।

4. अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, शेयरों में वायदा-व्यापार का पुनरारंभ यथासंभव, स्क्रीन आधारित व्यापार की सुविधा द्वारा किया जाना चाहिए।

5. जबकि जॉबिंग और वायदा-व्यापार के लिए नामोंदिष्ट लेनदेनों को 90 दिनों की अवधि के अन्दर किसी भी समय चुकता किया जा सकता है, डिलीवरी के लिए नामोदिष्ट किए गए लेनदेनों की डिलीवरी निपटान अवधि के अन्दर ही हो जानी चाहिए।

6. स्टॉक एक्सेजों द्वारा वायदा-व्यापार लेनदेनों के लिए 15 प्रतिशत की न्यूनतम दर पर और वास्तविक डिलीवरी के लेनदेनों के के लिए 7.5 प्रतिशत की दर पर सकल आधार पर दैनिक सीमांत धनराशि एकत्र की जानी चाहिए।

राष्ट्रीय वस्त्र निगम के रुग्ण एकक

3917. प्रो. सावित्री लक्ष्मणन: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय वस्त्र निगम के छ: रुग्ण एककों को अर्थक्षम बनाने के प्रयासों के अनुकूल परिणाम प्राप्त हुए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) राज्य में राष्ट्रीय वस्त्र निगम के अन्य एककों का आधुनिकीकरण करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

वस्त्र मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी): (क) से (ग) टेक्सटाइल रिसर्च एसोसियेशन के आंध्र प्रदेश में स्थित मिलों सहित एन.टी.सी. की मिलों के लिए

आधुनिकीकरण योजना तैयार की है। एन.टी.सी. पर श्रम मंत्रालय की विशेष त्रिपक्षीय समिति ने के अन्य बातों के साथ यह सिफारिश की है कि एन. टी. सी. की मिलों व इसकी अधिगृहित मिलों को टैक्सटाइल रिसर्च एसोसिशन द्वारा तथा प्रस्तावित आधुनिकीकरण से अर्थक्षम बनाया जा सकता है। टैक्साटाइल रिसर्च एसोसिएशनों द्वारा तैयार योजना के आधार पर एक सर्वांगीण सुधार नीति सरकार के विचाराधीन है। चूंकि एन.टी.सी. के 9 में से 8 सहायक निगमों के मामलों को बी.आई.एफ.आर. को भेजा गया है, जो भी अंतिम योजना उभरेगी उसका कार्यान्वयन करने से पूर्व उस पर बी .आई .एफ.आर. का अनुमोदन अपेक्षित होगा।

निजी एयरलाइनों में अनियमितताएं

3918. श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स: क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कुल कितने निजी एयरलाइन कार्यरत हैं;

(ख) क्या सरकार को निजी एयरलाइनों द्वारा की गई अनियमितताओं की जानकारी है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस संबध में कोई जांच की गई है; और

(घ) निजी एयरलाइनों द्वारा की जा रही अनियमितताओं को रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठाएगी ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) 19 प्राइवेट प्रचालकों में से छ: को अनुसूचित हवाई परिवहन सेवाएं प्रचालित करने के परमिट जारी किए गए हैं।

(ख) और (ग) सामान्यत: प्राइवेट एयरलाइनें निर्धारित नियमों का पालन करती रही हैं। तथापि, जब भी नियमों के उल्लंघन का काई मामला ध्यान में आता है तो सांविधिक प्राधिकारी द्वारा उपयुक्त रूप से जांच करने के पश्चात चूक करने वाले कार्मिकों और प्रचालकों के विरुद्ध जैसा भी मामला हो, कार्रवाई की जाती है।

(घ) दुर्घटना निवारक कार्यक्रम के अंग के रूप में और उड़नयोग्यता तथा प्रचालनात्मक नियंत्रण में वृद्धि के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाते हैं:-

(1) प्रचालकों की सुरक्षा सम्बन्धी जांच करना,

(2) उड़ान निगरानी,

(3) सुरक्षा सम्बन्धी सिफारिशों का कार्यान्वयन,

(4) उड़ान-रिकार्डरों को मोनिटर करना,

(5) सुरक्षा-सूचनाओं का प्रसार करना,

(6) प्रचालनों के प्रबन्धन में कमजोरियों का पता लगाने के लिए सुरक्षा संगोष्ठियों का आयोजन करना ताकि सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उन्हें अपनी प्रणालियों और कार्य चालन में सुधार करने का अवसर प्राप्त हो सके।

(7) उड़ान कर्मीदल द्वारा अपनाई जा रही उड़ानगत प्रक्रियाओं की निगरानी करना ।

साधारण बीमा निगम में व्यावसायिक पाठ्यक्रम

3919. श्री अमर रायप्रधान: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या साधारण बीमा निगम ने दिल्ली /नई दिल्ली के विभिन्न स्कूलों में छात्रों के लिए 10 +2 स्तर पर 1987 के दौरान रोजगारोन्मुख व्यावसायिक पाठयक्रम शुरू किए थे ताकि इस निगम में उनकी सहायकों (असिस्टेंट) के रूप में नियुक्ति की जा सके;

(ख) यदि हां, तो अब तक वर्ष-वार ऐसे कितने बैच निकले हैं और ऐसे कितने परीक्षार्थियों को नौकरी दी गई है;

(ग) उन परीक्षार्थियों की संख्या कितनी है जो साधारण बीमा निगम में नौकरी पाने हेतु अभी तक प्रतीक्षा कर रहे हैं; और

(घ) इन छात्रों को साधारण बीमा निगम में सहायकों के रूप में नौकरी कब तक दी जाएगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति): (क) भारतीय साधारण बीमा निगम ने यह सूचित किया है कि साधारण बीमा निगम ने कुछ चुनिंदा स्कूलों, जिनमें दिल्ली के कुछ स्कूल शामिल हैं,में आरंभिक प्रायोजन के आधार पर 1988 में व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू किए थे। उन विद्यार्थियों को, जिन्होंने अपेक्षित प्रतिशत अंक लेकर व्यावसायिक पाठ्यक्रम की 12वीं कक्षा के स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण की है, एक वर्ष का शिक्षुता प्रशिक्षण दिया जाता है। शिक्षुता और चिकित्सा जांच का कार्य संतोषजनक रूप से पूरा होने के बाद उन्हें साधारण बीमा उद्योग में सहायक के नियमित वेतनमान में समावेशन के लिए विचार किया जाता है।

(ख) चार बैच पास हो चुके हैं। पहले दूसरे और तीसरे बैचों में क्रमश: कुल 175, 148 और 163 परीक्षार्थियों, जिन्होंने दिल्ली से पास किया है को नौकरियां दे दी गई हैं।

(ग) और (घ) दिल्ली से चौथा बैच, जिसमें, 187 परीक्षार्थी हैं और जो पास

कर चुके है, को शिक्षु सहायकों के रूप में रखा जा रहा है। शिक्षुता को सफलता पूर्वक पूरा करने के बाद इन परीक्षार्थियों को बीमा उद्योग में सहायकों के रूप में समावेशन के लिए विचार किया जाएगा।

गोल्ड बैंक

3920. **श्री मनोरंजन भक्त:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1994 के दौरान सोने की कितनी आवक हुई;

(ख) सोना आयात नीति की घोषणा के बाद से सीमा शुल्क के माध्यम से सोने की आवक पर कितनी धनराशि एकत्र हुई है;

(ग) क्या सरकार का विचार "गोल्ड बैंक" स्थापित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति): (क) स्वर्ण आयात योजना (यात्री असबाब के जरिए) और विशेष आयात लाइसेंसों के अंतर्गत वर्ष 1994 के दौरान देश में वैध रूप से लगभग 178 मीट्रिक टन सोने का आयात किया गया इस आंकड़े में आभूषण निर्यात संबंधी पुनरभरण योजनाओं के अंतर्गत आयातित सोना शामिल नहीं है।

(ख) मार्च, 1992 से मार्च, 1995 तक देश में आयातित सोने पर लगभग एक हजार सात करोड़ रुपए के बराबर संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में सीमा शुल्क की वसूली हुई है।

(ग)और (घ) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

विमानों का टकराना

3921. **श्री हरिन पाठक:** क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विमान यातायात में वृद्धि होने के कारण आकाश में विमानों के आपस में टकराने की संभावना बढ़ गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसी स्थिति से बचने के लिए सरकार ने सभी प्राइवेट एयर टैक्सी आपरेटरों को अपनी समय-सारणी में परिवर्तन करने हेतु निर्देश जारी किए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार के निर्देशों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) ये प्रश्न नहीं उठते।

विमानपत्तनों का विस्तार

3922. **प्रो. के.वी. थॉमस:** क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विमानपत्तनों का आधुनिकीकरण और विस्तार करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) विमानपत्तनों एवं अन्य आधारभूत सुविधाओं का आधुनिकीकरण तथा विस्तार एक सतत प्रक्रिया है तथा यह कार्य प्रक्षेपित आवश्कताओं और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर एक चरणबद्ध तरीके से किया जाता है।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा आठवीं पंचवर्षीय योजना में परिकल्पित नए विमानपत्तनों के उन्नयन एवं निर्माण की प्रमुख परियोजनाएं निम्नवत हैं:-

(1) बम्बई और दिल्ली विमानपत्तनों पर हवाई यातायात नियंत्रण सेवाओं का आधुनिकीकरण।

(2) विमानपत्तन निगरानी रडार तथा मोनोपल्स गौण निगरानी रडार प्राप्त करना ।

(3) उपस्कर अवतरण प्रणालियां प्राप्त करना।

(4) आदर्श विमानपत्तन विकसित करना ।

(5) बम्बई विमानपत्तन पर अंतर्राष्ट्रीय यात्री टर्मिनल काम्प्लैक्स (चरण-III)का निर्माण।

(6) बम्बई विमानपत्तन पर अंतर्देशीय टर्मिनल कॉम्प्लैक्स (चरण-II) का निर्माण।

[हिन्दी]

कश्मीर की यात्रा करने आये पर्यटकों की संख्या

3923. डा. अमृतलाल कालिदास पटेल: क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1 जनवरी, 1994 तथा 31 जनवरी, 1995 के मध्य कश्मीर की यात्रा करने आये विदेशी और घरेलू पर्यटकों की संख्या कितनी थी; और

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान पर्यटकों की यात्रा से कितनी आय हुई?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, 1 जनवरी 1994 से 31 जनवरी, 1995 तक के दौरान कश्मीर घाटी की यात्रा करने वाले कुल पर्यटकों की संख्या 10110 थी जिसमें 500 स्वदेशी पर्यटक शामिल हैं।

(ख) पर्यटकों से उद्योग द्वारा अर्जित आय के आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

सस्ती दरों पर टिकटों की बिक्री

3924. श्री लाल बाबू राय: क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि भारत में कार्यरत विदेशी एयरलाइन्स बिना केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमित के सस्ती दरों पर टिकटों की बिक्री कर रही है;

(ख) यदि हां, तो पिछले छह मास के दौरान ऐसे कितने मामलों की जानकारी सरकार को प्राप्त हुई;

(ग) इसके परिणामस्वरूप भारतीय एयर कम्पनियों पर क्या प्रभाव पड़ा; और

(घ) इस स्थिति में सुधार के लिए सरकार द्वारा उठाए जाने वाले उपायों का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) :(क) और (ख) मौजूदा मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार तीसरी/चौथी स्वतंत्रता प्राप्त वाहक कम्पनियां नागर विमानन महानिदेशक के पास विशेष किराए दाखिल कर सकती हैं, जो ऐसे किरायों को दाखिल करने के 48 घंटे के भीतर अनुमोदित कर देंगे। अन्य वाहक कम्पनियां नागर विमानन महानिदेशालय को लिखित रूप में सूचित करने के पश्चात् ऐसे किरायों के समान किराए निर्धारित करने की पात्र होंगी। मार्गदर्शी सिद्धान्तों के उल्लंघन का कोई विशिष्ट मामला नागर विमानन महानिदेशालय के ध्यान में नहीं आया है।

(ग) और (घ) ये प्रश्न नहीं उठते।

चांदी का आयात

3925. श्रीमती शीला गौतम:
श्री राजेश कुमार:
श्री प्रभूदयाल कठेरिया:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने चांदी के ओयात पर लगाए गए प्रतिबंधों में ढील दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उपरोक्त ढील के पश्चात् कुछ श्रेणी के व्यक्तियों को देश में चांदी का आयात करने की अनुमति दी गई है;

(घ) यदि हां, तो वे किस श्रेणी के व्यक्ति हैं तथा प्रत्येक व्यक्ति को देश में कितनी मात्रा में चांदी लाने की अनुमति दी गई है;

(ङ) उस पर कितना सीमा शुल्क लगेगा;

(च) क्या उपरोक्त ढील के पश्चात् स्थानीय बाजारों में चांदी की कीमतों में गिरावट आई है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा चांदी की तस्करी पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति): (क) से (ङ) चांदी के आयात पर प्रतिबंधों में 8.2.93 को उस समय ढील दी गई थी जब अनिवासी भारतीयों को अपने असबाब के रूप में अधिक से अधिक 100 किलोग्राम प्रति यात्री चांदी लाने की अनुमति प्राप्त थी, बशर्ते कि ऐसा यात्री विदेश में कम से कम छह महीने की अवधि तक ठहरने के बाद भारत आ रहा हो और पांच सौ रुपये प्रति किलोग्राम की दर से संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में शुल्क की अदायगी की जाती हो।

इसके पश्चात 27.4.94 से, विशेष आयात लाइसेंसों के आधार पर चांदी के आयात के लिए भी अनुमति दी गई है। इस श्रेणी के अंतर्गत आयातित चांदी पर देय शुल्क की दर पांच सौ रुपये प्रति किलोग्राम है जिसे आयातक के विदेशी मुद्रा उपार्जक विदेशी करेंसी खाते में से अदा किया जाना होता है।

इन रियायतों को इसलिए दिया गया था जिससे कि चांदी की तस्करी के प्रति आकर्षण कम हो।

(च) और (छ) स्थानीय सर्राफा बाजार में प्रचलित चांदी के मूल्यों में इन रियायतों की घोषणा के बाद काफी कमी आ गई और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मूल्य वृद्धि के बावजूद लगभग मूल्य स्थिरता बनी रही है। इन रियायतों को देने अर्थात 8.2.93 से पूर्व अथवा बाद में बम्बई सर्राफा बाजार में प्रचलित चांदी के मूल्य इस प्रकार है:-

क्रम. सं.	दिनांक	लंदन मूल्य अमरीकी डालर टी.आर. 'ओजेड'	1.2.93 को प्रचलित मूल्य की तुलना में लंदन मूल्य में प्रतिशत वृद्धि/कमी	बम्बई मूल्य रू./ क्रि.ग्रा.	1.2.93 को प्रचलित मूल्य की तुलना में बम्बई मूल्य में प्रतिशत वृद्धि/कमी
1.	01.02.93	3.70	-	6700	--
2.	05.02.93	3.70	शून्य	6800	(+)1.49%
3.	10.02.93	3.69	(-)0.27%	6000	(-) 0.45%
4.	01.01.94	5.12	(+)38.38%	6725	(+) 0.37%
5.	02.01.95	4.86	(+)31.35%	6375	(-) 4.85%
6.	18.04.95	5.60	(+)51.35%	6900	(+) 2.99%

उपर्युक्त आकंड़ों से, यह स्पष्ट हो जाता है कि अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में परिवर्तन के बावजूद बम्बई सर्राफा बाजार में चांदी के मूल्यों में आमतौर पर स्थिरता रही, फरवरी 1993 में प्रचलित मूल्यों (रियायत देने से पहले) की तुलना में लंदन के मूल्यों में लगभग 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। बम्बई में चांदी के मूल्यों में स्थिरता आने तथा साथ ही चांदी के भारी मात्रा में वैध आयात (8.2.93 से 31.12.94 तक पांच हजार दो सौ सात मीट्रिक टन) करने से वर्ष 1993 से चांदी की तस्करी में कमी आ गई है।

[अनुवाद]

करेंसी नोट

3926. श्री प्रकाश वी. पाटील: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि एक रुपए तथा पांच रुपए के नोटों की अत्यधिक कमी चल रही है;

(ख) क्या सरकार यह भी जानती है कि दो रुपये और पांच रुपये के सिक्के लोकप्रिय नहीं हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार एक रुपये, दो रुपये तथा पांच रुपये के नोटों की पर्याप्त आपूर्ति के लिए क्या कदम उठाने का विचार कर रही है?

वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति): (क) से (ग) चूंकि एक रुपए के नोट की औसत प्रचलन अवधि छह महीने होती है, जबकि दो रुपये के नोट की प्रचलन अवधि लगभग एक वर्ष होती है। इसके विपरीत, सिक्कों की प्रचलन अवधि लगभग 15-20 वर्षों तक होती है। अन्तिम लागत के विचार को ध्यान में रखते हुए इन मूल्यवर्ग के सिक्कों को चरण बद्ध ढंग से ढलाई किए जाने का निर्णय लिया गया है जिसमें उच्चतर मूल्यवर्ग के नोटों के मुद्रण के लिए अब तक निर्मुक्त क्षमता का उपयोग किया जा सके। एक रुपए, दो रुपए और पांच रुपए के नए नोटों का उत्पादन तद्नुरूप कम कर दिया गया है।

उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

3927. श्री अमर पाल सिंह:
श्री अर्जुन सिंह यादव:
डा. लाल बहादुर रावल:
श्री राम पाल सिंह:
श्री बृज भूषण शरण सिंह:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश में कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आर. आर. बी.) कार्यरत हैं और ऐसे प्रत्येक बैंक में कुल जमा राशि और कार्यकारी पूंजी का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन बैंकों के लाभार्थियों की संख्या कितनी है और पिछले तीन वर्षों के दौरान, वर्षवार कुल कितना ऋण वितरित किया गया और कितनी वसूली हुई;

(ग) क्या सरकार को उपरोक्त अवधि के दौरान इन बैंकों द्वारा की गई अनियमितताओं के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(ङ) क्या इनमें से कुछ बैंकों को वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति): (क) उत्तर प्रदेश राज्य में 40 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं। मार्च 1994 के अंत तक की स्थिति के अनुसार, इन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की जमाराशियां और कार्यशील पूंजी की बैंक-वार स्थिति विवरण -I में दी गई है।

(ख) 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के वर्षों के दौरान ग्रामीण हिताधिकारियों की कुल संख्या, इन बैंकों द्वारा संवितरित ऋणों और की गई वसूलियों की स्थिति नीचे दी गई है:-

(लाख रुपए)

वर्ष (अप्रैल-मार्च)	ग्रामीण हिताधिकारियों की संख्या	संवितरित ऋण	वसूल किए गए ऋण
1991-92	364979	19470.74	11204.57 (30.6.91) के अनुसार
1992-93	284926	16665.06	17067.84 (जून, 92 के अनुसार)
1993-94	330753	24213.99	20116.16 (जून, 93 के अनुसार)

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के साथ-साथ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की सूचना प्रणाली से सामान्यत: देश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों अथवा उनकी शाखाओं के कार्यकरण से संबंधित शिकायतों की संख्या के बारे में सूचना प्राप्त नहीं होती है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अपने निदेशक मण्डल के सामान्य सर्वेक्षण और मार्गनिर्देशों के तहत और नाबार्ड भारतीय रिजर्व बैंक के साथ-साथ सरकार द्वारा दिशानिर्देशो के अनुरूप कार्य करते हैं। सरकार सहित विभिन्न स्तरों पर जब कभी शिकायतें प्राप्त होती हैं, तो सम्बद्ध क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के प्रबंधन अथवा प्रायोजक बैंकों अथवा नाबार्ड द्वारा यथास्थिति अनुसार जांच की जाती है। ऐसी जांचों के पूरा होने के पश्चात सक्षम प्राधिकारी द्वारा उपचारात्मक उपाय किए जाते हैं।

(ङ) और (च) मार्च, 1994 के अंत तक की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश के 40 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में से 32 को हानि हुई थी। इन 32 क्षेत्रीय ग्रामीण बैकों की सूची और 31.3.94 की स्थिति के अनुसार इन बैंकों की संचित हानि की राशि विवरण-II में दी गई है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को मजबूत बनाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक तथा राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक ने उपाय किए हैं और उपायों के एक पैकेज की घोषणा दिसम्बर, 1993 में की गई थी। 1994-95 के दौरान व्यापक पुनर्गठन के लिए देश के कुल 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में से 49 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का पता लगाया गया है। इन 49 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अनुभव बाद के वर्षों में दूसरे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए अपनायी जाने वाली योजना का मार्गदर्शन करेगा। इस समय कमजोर और बीमार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को विकेन्द्रीयकृत ग्रामीण बैंकिंग के वित्तीय रूप से सक्षम और प्रभावी लिखत में परिवर्तित करने का उद्देश्य है। भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश के 9 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित देश के 149 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए 1.50 करोड़ रुपए की अतिरिक्त पूंजी जारी की है। इसके साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक ने जनवरी, 1995 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको को उनकी गैर-एस.एल.आर. अधिशेष निधियों को विनिर्दिष्ट लाभप्रद क्षेत्रों और प्रायोजक बैंकों द्वारा जारी किए जाने वाले जोखिम रहित शेयर भागीदारी प्रमाणपत्रों के माध्यम से अपने प्रायोजक बैंकों के ऋण पोर्टफोलियो में निवेश करने की अनुमति दी है।

विवरण-I

31 मार्च, 1994 को समाप्त अवधि के लिए उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की जमाराशियों और कार्यशील पूंजी का विवरण

सं.	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का नाम	कुल जमाराशियां	कुल कार्यशील पूंजी
1	2	3	4
01	प्रथमा बैंक	16578.05	21966.57
02	गोरखपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	27089.55	35357.16
03	समयोत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	22481.17	25003.93
04	बाराबंकी ग्रामीण बैंक	8058.52	9194.90
05	रायबरेली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	6446.88	7497.29
06	फरुखाबाद ग्रामीण बैंक	7897.66	9194.64
07	भागीरथ ग्रामीण बैंक	12069.36	13809.59
08	बलिया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	7860.51	9144.62
09	सुलतानपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	10299.24	11807.01
10	अवध ग्रामीण बैंक	12442.35	14140.51
11	कानपुर क्षे. ग्रामीण बैंक	8107.85	9601.64
12	स्त्रावस्ती ग्रामीण बैंक	5498.88	6806.32
13	इटावा क्षे. ग्रामीण बैंक	3247.89	4185.36
14	किसान ग्रामीण बैंक	2108.91	2682.62
15	क्षेत्रीय किसान ग्रामीण बैंक	2460.07	3247.56
16	काशी ग्रामीण बैंक	6605.80	7458.59
17	बस्ती ग्रामीण बैंक	7862.93	9545.44
18	इलाहाबाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	7306.07	8251.74

सं.	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का नाम	कुल जमाराशियां	कुल कार्यशील पूंजी
1	2	3	4
19	प्रतापगढ़ क्षे. ग्रामीण बैंक	5553.60	6134.77
20	फैजाबाद क्षे. ग्रामीण बैंक	5532.02	6152.14
21	फतेहपुर क्षे. ग्रामीण बैंक	2851.09	3567.94
22	बरेली क्षे. ग्रामीण बैंक	4298.64	5023.58
23	देवी पाटन क्षे. ग्रामीण बैंक	4014.18	4775.43
24	अलीगढ़ क्षे. ग्रामीण बैंक	5997.33	7436.42
25	तुलसी ग्रामीण बैंक	3960.98	4663.27
26	एटा ग्रामीण बैंक	2838.80	3583.80
27	गोमती ग्रामीण बैंक	7609.63	8771.34
28	छत्रसाल ग्रामीण बैंक	4397.93	5245.85
29	रानी लक्ष्मीबाई क्षे. ग्रामीण बैंक	1963.63	2674.66
30	विदुर ग्रामीण बैंक	2400.81	3003.34
31	शाहजहाँपुर क्षे. ग्रामीण बैंक	1581.35	2093.98
32	नैनीताल अल्मोड़ा क्षे. ग्रामीण बैंक	2327.96	2947.16
33	विन्ध्यवासिनी ग्रामीण बैंक	3430.67	4273.77
34	सरयु ग्रामीण बैंक	3712.59	4435.77
35	जमुना ग्रामीण बैंक	2087.75	2931.09
36	मुजफ्फरनगर क्षे. ग्रामीण बैंक	1464.29	1967.91
37	पिथौरागढ क्षे. ग्रामीण बैंक	1269.08	1605.18
38	गंगा यमुना ग्रामीण बैंक	1777.46	2120.48

सं.	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का नाम	कुल जमाराशियां	कुल कार्यशील पूंजी
1	2	3	4
39	अलकनन्दा ग्रामीण बैंक	1658.89	2025.65
40	हिंडन ग्रामीण बैंक	1125.06	1337.13
	उत्तर प्रदेश के लिए योग	246276.33	295666.15

विवरण-II

उत्तर प्रदेश में कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की 31.03.94 की स्थिति के अनुसार संचित हानियों का ब्यौरा।

क्र. सं.	क्षेत्रीय. ग्रा. बैंक का नाम	संचित हानियां
01	प्रथमा बैंक	285.71
02	बाराबंकी ग्रामीण बैंक	123.50
03	रायबरेली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	746.41
04	बलिया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	32.10
05	सुलतान पुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	1468.62
06	कानपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	1258.97
07	स्रावस्ती ग्रामीण बैंक	759.96
08	इटावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	429.39
09	किसान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	742.18
10	क्षेत्रीय किसान ग्रामीण बैंक	830.91
11	काशी ग्रामीण बैंक	947.31
12	इलाहाबाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	1537.39
13	प्रतापगढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	1060.20
14	फैजाबाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	863.71

क्र. सं.	क्षेत्रीय. ग्रा. बैंक का नाम	संचित हानियां
15	फतेहपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	925.21
16	बरेली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	1265.73
17	अलीगढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	1231.33
18	तुलसी ग्रामीण बैंक	7045.08
19	एटा ग्रामीण बैंक	745.47
20	गोमती ग्रामीण बैंक	485.34
21	छत्रसाल ग्रामीण बैंक	681.81
22	रानी लक्ष्मीबाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	844.47
23	विदुर ग्रामीण बैंक	534.84
24	शाहजहांपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	416.27
25.	नैनीताल अल्मोड़ा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	702.53
26	सरयु ग्रामीण बैंक	14.73
27	जमुना ग्रामीण बैंक	365.03
28	मुजफ्फनगर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	136.87
29	पिथौरागढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	168.93
30	गंगा यमुना ग्रामीण बैंक	304.24
31	अलकनन्दा ग्रामीण बैंक	224.14
32	हिंडन ग्रामीण बैंक	147.33

भारत पूंजी निवेश केंद्र

3928. **श्री अंकुशराव टोपेः**
श्री राजेन्द्र अग्निहोत्रीः
क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली स्थित भारत पूंजी निवेश केन्द्र को बंद करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस केन्द्र के कर्मचारियों को किसी अन्य विभाग में खपा लिया जायेगा अथवा उन्हें अनिवार्य सेवा-निवृत्ति दे दी जाएगी; और

(घ) कुल कितने कर्मचारियों का वर्गीकरण अथवा पुन: नियोजन किया जायेगा और अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया जायेगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति): (क) से (घ) सरकार ने विदेशी और अनिवासी भारतीय निवेशों के लिए उदारीकृत व्यापारिक एवं आर्थिक महौल के वर्तमान संदर्भ में भारतीय निवेश केन्द्र की भूमिका और प्रासंगिकता की समीक्षा आरम्भ कर दी है।

एयर इंडिया एवं इंडियन एयरलाइन्स के विमानों द्वारा खाद्य आपूर्ति

3929. डा. (श्रीमती) के. एस. सौन्दरम: क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एयर इंडिया एवं इंडियन एयरलाइन्स के उड़ानों में भारतीय पर्यटन विकास निगम अथवा किसी निजी आपूर्तिकर्ता द्वारा खाद्य वस्तुएं उपलब्ध की जाती हैं;

(ख) उड़ानों में सप्लाई किये गये भोजन की गुणवत्ता आदि के संबंध में क्या मानदंड अपनाए जाते हैं; और

(ग) प्रत्येक यात्री के विमान भाड़े में खाद्य वस्तुओं के लिए कितनी राशि शामिल होती है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) इंडियन एयर लाइन्स विमान में परोसने के लिए खान-पान संबंधी आपूर्ति भुवनेश्वर/कलकत्ता और बंगलौर स्थित भारत पर्यटन विकास निगम से करती है। एयर इंडिया केवल कलकत्ता में भारत पर्यटन विकास निगम से भोजन प्राप्त करती है। अन्य स्टेशनों पर भोजन विख्यात खान-पान प्रबन्धकों जिनमें निजी खान-पान प्रबंधक भी शामिल हैं, से लिया जाता है।

(ख) अंतर्देशीय/अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की मांगों की पूर्ति करने के लिए विनिर्देशों का कड़ाई से पालन करके अच्छी गुणवत्ता का भोजन प्राप्त किया जाता है तथा विभिन्त स्तरों पर गुणवत्ता की निगरानी की जाती है। विभिन्न भोजनों के लिए स्तरीय पाक विधियों को अपनाया जाता है तथा गुणवत्ता, मात्रा एवं प्रस्तुतीकरण की निगरानी के लिए भोजन के नमूने आवधिक रूप से लिए जाते हैं।

(ग) विमान में परोसे जाने वाले भोजन के लिए किराया-ढांचे में कोई भाग विशेषीकृत नहीं किया गया है। तथापि, इंडियन एयरलाइंस ने बताया है कि प्रति यात्री भोजन की औसत लागत किराये के 2.5 प्रतिशत लगभग बैठती है।

12.00 बजे मध्याह्न

[अनुवाद]

जल संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ ....(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आज श्री शुक्ला जी इस 'समय' से अपनी बात कहना शुरू करना चाहते हैं

(व्यवधान)

श्री विद्याचरण शुक्ल: महोदय, हमारे एक साथी की दुर्भाग्यपूर्ण और असामयिक निधन के कारण इस सभा को कल स्थगित करना पड़ा था और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करने हेतु आबंटित समय को पूरा नहीं किया जा सका। कल कार्य मंत्रणा समिति में हमने इस विषय पर चर्चा की थी और मैं आपके तथा सभा के विचार हेतु यह प्रस्ताव रखना चाहता हूं कि आज हम पत्रों को सभा पटल पर रखने जैसे औपचारिक कार्य के बाद शीघ्र ही राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करने हेतु हम उपलब्ध समय का उपयोग करें और इस पर लगभग तीन से साढ़े तीन घंटे का समय दें। माननीय प्रधान मंत्री जी 3.30 म. प. पर वाद-विवाद का उत्तर देंगे और उस समय तक अन्य सभी दल और माननीय सदस्य, जिन्हें इस कार्य में भाग लेने का मौका नहीं मिला है, अब भाग ले सकते हैं।

कार्य मंत्रणा समिति के माननीय सदस्यों की इस बात पर आम सहमति है और मुझे आशा है कि आप मेरे निवेदन को अनुमति देंगे।....(**व्यवधान**)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : महोदय, दो समस्याएं हैं, माननीय नेतागण इस पर बिना गंभीरता से विचार किए सहमत हुए होंगे यह कारण हो सकता है (**व्यवधान**) समस्या यह दिखाई पड़ती है कि मानो गैर सरकारी विधेयक ...(**व्यवधान**) कृपया एक मिनट रुकिए, मैं अध्यक्ष महोदय को संबोधित कर रहा हूं। क्या आप मुझे आश्वस्त कर सकते हैं कि मैं अध्यक्ष महोदय को संबोधित नहीं कर रहा हूं ?(**व्यवधान**)महोदय, यह मंत्री महोदय का कर्त्तव्य होगा कि वे तत्काल उस दिन की घोषणा करें जिस दिन गैर-सरकारी विधेयक लिया जायेगा, क्या यह मंगलवार को लिया जायेगा अथवा नहीं, यह एक समस्या है।

दूसरा यह है और यह आपसे अनुरोध हो सकता है। कम्प्यूटर प्रशिक्षण का कार्य चल रहा है। आज आखिरी दिन है और हम विद्यार्थियों ने उन लोगों के साथ यह तय किया है कि कल का कोर्स आज के लिए लिया जायेगा। अतएव संसदीय अध्ययन तथा प्रशिक्षण ब्यूरो जो कि लोक सभा सचिवालय के अन्तर्गत है.....

अध्यक्ष महोदय : यह स्वीकार किया जाता है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : हमें पुनः इसे शिफ्ट कर देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : कठिनाई यह है कि अगले महीने के 2 से 5 तारीख तक 'सार्क' सम्मेलन हो रहा है और मैं समझता हूँ कि माननीय प्रधान मंत्री और माननीय विदेश मंत्री जी को उस सम्मेलन में भाग लेना होगा। इसलिए हम माननीय सदस्यों से अनुरोध कर रहे हैं कि वे इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लें जो संसदीय कार्य मंत्री की ओर से आया है।

जहां तक तिथि निर्धारित करने की बात है हम निश्चय ही यह तिथि सोमवार को घोषित करके निर्धारित करेंगे।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, सोमवार की छुट्टी है।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, किसी अन्य कार्य दिवस को इसे निर्धारित करेंगे संभवत: अगले कार्य दिवस को संभवत: मंगलवार 2 मई को। हम इसे घोषित करेंगे और हम माननीय सदस्यों को बताएंगे कि किस दिन गैर सरकारी सदस्यों का कार्य लिया जायेगा जिसे हम आज स्थगित कर रहे हैं। मुझे आशा है इस पर सभी माननीय सदस्यों की सहमति होगी और मैं इस सहयोग के लिए उनका धन्यवाद करना चाहूंगा।

कुछ माननीय सदस्य : कम्प्यूटर ट्रेनिंग कोर्स का क्या हुआ?

अध्यक्ष महोदय : इसे भी किया जायेगा

..........(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : अध्यक्ष जी, जीरो-आवर कर्टेल सिर्फ आज ही भर के लिए है न?

अध्यक्ष महोदय : इसको भी कम्पन्सेट करेंगे बाद में।

.......(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब सभा पटल पर पत्र रखे जायेंगे।

12.03 म. प.

[अनुवाद]

सभा पटल पर रखे गए पत्र

भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन आदि

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(2) भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1993-94 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल. टी. 7446/95)

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 आदि।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक): मैं श्री सीताराम केसरी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:

(1) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 23 की उपधारा (2) के अंतर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995, जो 31 मार्च, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 316 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए एल. टी. संख्या 7436/95]

(2)(एक) भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास परिसंघ लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास परिसंघ लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्नों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 7437/95]

केन्द्रीय रेशम बोर्ड, बंगलौर के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन, वार्षिक लेखे तथा इसके कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा आदि

वस्त्र मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी): मैं निम्नलिखित पत्न सभा पटल पर रखता हूँ:

(1)(एक) केन्द्रीय रेशम बोर्ड, बंगलौर के वर्ष 1993-94 के वार्षिक

प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) केन्द्रीय रेशम बोर्ड, बंगलौर के वर्ष 1993-94 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) केन्द्रीय रेशम बोर्ड, बंगलौर के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल. टी. 7447/95]

(3)(एक) पटसन विनिर्माता विकास परिषद, कलकत्ता के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पटसन विनिर्माता विकास परिषद, कलकत्ता के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल. टी. 7448/95]

(5) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क)(एक) भारतीय केन्द्रीय कुटीर उद्योग निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय केन्द्रीय, कुटीर उद्योग निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1993-94 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल. टी. 7449/95]

(ख)(एक) भारतीय हस्तशिल्प और हथकरघा निर्यात निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय हस्तशिल्प और हथकरघा निर्यात निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1993-94 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल. टी. 7450/95]

(ग)(एक) पूर्वोत्तर हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, शिलांग के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पूर्वोत्तर हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, शिलांग का वर्ष, 1993-94 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल. टी. 7451/95]

(6)(एक) ऊन और ऊनी वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ऊन और ऊनी वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषिद, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल. टी. 7452/95]

कर्मचारी राज्य बीमा निगम के वर्ष 1995-96 के वित्तीय प्राक्कलन और निष्पादन बजट

श्रम मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 36 के अन्तर्गत कर्मचारी राज्य बीमा निगम के वर्ष 1995-96 के वित्तीय प्राक्कलनों और निष्पादन बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल. टी. 7453/95]

वर्ष 1994-95 के लिए टेलीकम्युनिकेशन्स कन्सल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड और दूरसंचार विभाग के बीच हुआ समझौता ज्ञापन

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:

वर्ष 1994-95 के लिए टेलीकम्युनिकेशन्स कन्सल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड और दूरसंचार विभाग के बीच हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल. टी. 7438/95]

रसायन और सम्बद्ध उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद, कलकत्ता के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन और इसके कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा आदि

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:

(1)(एक) रसायन और सम्बद्ध उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद, कलकत्ता के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रसायन और सम्बद्ध उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद, कलकत्ता के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल. टी. 7454/95]

(2)(एक) चाय बोर्ड, कलकत्ता के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) चाय बोर्ड, कलकत्ता के वर्ष 1993-94 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) चाय बोर्ड, कलकत्ता के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल. टी. 7455/95]

(4) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) इंडिया टी एण्ड रेस्टोरेन्ट्स लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडिया टी एण्ड रेस्टोरेन्ट्स लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 1993-94 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 7456/95]

(6)(एक) खेल सामान निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) खेल सामान निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 7457/95]

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम 1994 आदि के अंतर्गत अधिसूचनाएं

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति): मैं निम्नलिखित सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा. का. नि. 880 (अ), जो 23 दिसम्बर, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 19 मई, 1992 की अधिसूचना संख्या 203/92 सी. शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि निर्यात-आयात नीति निविष्टि उत्पादन मानदण्डों में विनिर्दिष्टों निविष्टियों के शुल्क मुक्त आयात की स्वीकृति प्रदान की जा सके, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) का. आ. 74 (अ), जो 4 जनवरी, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 1 अक्टूबर, 1977 की अधिसूचना संख्या 208/77-सी. शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि जयगांव और मोरेह के भू-सीमाशुल्क स्टेशनों के

द्वारा भूटान और म्यांमार को माल निर्यात करने के लिए शुल्क प्रति अदायगी सुविधा उपलब्ध कराई जा सके बशर्ते कि ऐसे माल के लिए अदायगी मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा द्वारा की जाती है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा. का. नि. 117 (अ), जो 7 मार्च, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो लौह और इस्पात मध्यक के विनिर्माण के लिए अपेक्षित निवेशों को, जब उनका भारत में आयात किया जाए, कतिपय शर्तों के अध्यधीन उन पर उदग्रहणीय संपूर्ण मूल और अतिरिक्त सीमा शुल्क से छूट देने के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल. टी. 7458/95]

(2) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1994 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा. का. नि. 83(अ), जो 22 फरवरी, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 4 जुलाई, 1994 की अधिसूचना संख्या 32/94-के. उ. शु. में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा. का. नि. 126 (अ), जो 10 मार्च, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 4 जुलाई, 1994 की अधिसूचना संख्या 32/94-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किये गये हैं ताकि माडवेट वाले बीजकों को जारी करने के इच्छुक आयातकों के लिए यह आवश्यक हो जाएगा कि वे केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग के पास पंजीकृत हों, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (पहला संशोधन) नियम, 1995, जो 10 मार्च, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 127(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल. टी. 7459/95]

(3) स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 77 के अंतर्गत स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (संशोधन) नियम, 1995, जो 14 फरवरी, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 82 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल. टी. 7460/95]

(4) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 1994 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन-संघ सरकार (1995 का संख्या 6) (विज्ञान विभाग)

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल. टी. 7439/95]

(दो) भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 1994 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन-संघ सरकार (1995 का संख्या 7) (डाक और दूरसंचार)

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल. टी. 7440/95]

(5) वर्ष 1993-94 के लिए संघ सरकार, विनियोग लेखों (डाक सेवायें) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल. टी. 7441/95]

(6) वर्ष 1993-94 के लिए संघ सरकार, विनियोग लेखों (दूरसंचार सेवायें) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल. टी. 7442/95]

राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की समीक्षा, वार्षिक प्रतिवेदन और इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : मैं श्री पी. वी. रंगय्या नायडू की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1993-94 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी

संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 7443/95]

दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 के अंतर्गत अधिसूचनाएँ

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक): मैं श्री पी. एम. सईद की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा 481 क के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) दिल्ली नगर निगम (आनुपातिक मूल्य का निर्धारण) उप-विधि, 1994, जो 24 अक्तूबर, 1994 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. 22(11)/यूडी/94/11422 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) दिल्ली नगर निगम (सम्पत्ति कर विवरणी) उप-विधि, 1994, जो 24 अक्तूबर, 1994 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. 22(11)/यूडी/94/11423 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गईं। देखिए संख्या एल. टी. 7444/95]

12.05 म. प.

प्राक्कलन समिति

उनचासवां, बावनवां, तिरेपनवां प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश

डा. कृपासिन्धु भोई (सम्बलपुर) : महोदय, मैं प्राक्कलन समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:

(1) वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) - अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों पर कस्टम क्लियरेंस के संबंध में उनचासवां प्रतिवेदन तथा समिति की तत्संबंधी बैठकों के कार्यवाही सारांश।

(2) वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग-बैंकिंग डिवीजन)-समाज के कमजोर वर्गों को ऋण सुविधाओं के संबंध में बावनवां प्रतिवेदन तथा समिति की तत्संबंधी बैठकों के कार्यवाही सारांश।

(3) नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय-दूरस्थ तथा पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यटन और नागर विमानन के विकास के संबंध में तिरपनवां प्रतिवेदन तथा समिति की तत्संबंधी बैठकों के कार्यवाही सारांश।

12.05 1/2 म. प.

लोक लेखा समिति

चौरानवेवां, सतानवेवां, सौंवा, एक सौ एकवां, एक सौ दोवां और एक सौ तीनवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा) : महोदय, मैं लोक लेखा समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ:-

(1) वर्ष 1991-92 के दौरान सरकारी क्षेत्र के चुनिंदा उद्यमों में सरकारी शेयरधारिता के विनिवेश से संबंधित लोक लेखा समिति (10वीं लोक सभा) के पचहत्तरवें प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही के बारे में चौरानवेवां प्रतिवेदन।

(2) प्रणाली मूल्यांकन अन्वेषण सर्किलों के कार्यकरण के संबंध में लोक लेखा समिति (10वीं लोक सभा) का सतानवेवां प्रतिवेदन।

(3) संघ सरकार विनियोग लेखे (सिविल) के प्रपत्र में परिवर्तन के संबंध में लोक लेखा समिति (10वीं लोक सभा) का सौवां प्रतिवेदन।

(4) परिहार्य या अपव्ययी आयात के संबंध में लोक लेखा समिति (दसवीं लोक सभा) का एक सौ एकवां प्रतिवेदन।

(5) धार्मिक और धर्मार्थ न्यासों का कर-निर्धारण के संबंध में लोक लेखा समिति (दसवीं लोक सभा) का एक सौ दोवां प्रतिवेदन।

(6) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड - लेखा परीक्षा समीक्षा के संबंध में लोक लेखा समिति (दसवीं लोक सभा) के पैंसठवें प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही के बारे में एक सौ तीनवां प्रतिवेदन।

12.06 म. प.

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

चालीसवां, बयालीसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री ई. अहमद (मंजेरी): महोदय, मैं सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा

पटल पर रखता हूँ:

(1) एज्युकेशनल कंसलटेंट्स इंडिया लिमिटेड के संबंध में समिति के पैंतीसवें प्रतिवेदन (दसवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में चालीसवां प्रतिवेदन।

(2) भारतीय तेल निगम लिमिटेड के संबंध में बयालीसवां प्रतिवेदन तथा समिति की तत्संबंधी बैठकों के कार्यवाही सारांश।

12.06½ म. प.

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

कार्यवाही सारांश

श्री ई. अहमद (मंजेरी): महोदय, मैं प्रक्रियात्मक तथा प्रकीर्ण मामलों के बारे में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति की बैठकों का कार्यवाही सारांश (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

12.07 म. प.

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति

(एक) **अड़चालीसवां, उनतासवां, पचासवां और इक्यावनवां प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश**

डा. (श्रीमती) पदमा (नागापट्टीनम): महोदय, मैं अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा समिति की तत्संबंधी बैठकों के कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करती हूँ:

(1) उद्योग मंत्रालय-भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और उनके नियोजन के संबंध में 48वां प्रतिवेदन।

(2) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय-गैस/पेट्रोल एजेन्सियां प्रदान करने में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण सहित भारतीय तेल निगम लिमिटेड में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और उनके नियोजन के संबंध में 49वां प्रतिवेदन।

(3) वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग)-केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और उनके नियोजन के संबंध में 50वां प्रतिवेदन।

(4) कल्याण मंत्रालय-महाराष्ट्र में समेकित जनजातीय विकास परियोजनाओं के कार्यकरण के संबंध में 51वां प्रतिवेदन।

(दो) अध्ययन दौरा प्रतिवेदन

डा. (श्रीमती) पदमा (नागापट्टीनम): मैं निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूँ:-

(1) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जानजातियों के कल्याण संबंधी समिति के अध्ययन दल-एक के जनवरी-फरवरी, 1995 के दौरान कलकत्ता, पोर्ट ब्लेयर, मद्रास और पांडिचेरी के अध्ययन दौरे के बारे में प्रतिवेदन।

(2) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के अध्ययन दल-दो के जनवरी-फरवरी, 1995 के दौरान नागपुर, अहमदाबाद, मुम्बई और गोवा के अध्ययन दौरे के बारे में प्रतिवेदन।

12.08½ म. प.

कार्य मंत्रणा समिति

उनचासवां प्रतिवेदन

जल संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): महोदय, मैं कार्य मंत्रणा समिति का उनचासवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

12.09 म. प.

ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति

तेरहवां प्रतिवेदन

श्री अनिल बसु (आरामबाग) : महोदय, मैं नब्बे के दशक और उसके पश्चात् ऊर्जा: संभावना, वास्तविकता और चुनौतियों के संबंध में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के तीसरे प्रतिवेदन (दसवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति का तेरहवां

प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ।

[हिन्दी]

12.09½ म. प.

विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति

पांचवां और छठा प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ): महोदय, मैं विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ:

(1) वर्ष 1994-95 के लिए विदेश मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के संबंध में समिति के दूसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की गई कार्यवाही के बारे में पांचवां प्रतिवेदन।

(दो) वर्ष 1995-96 के लिए विदेश मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के संबंध में छठा प्रतिवेदन

12.10 म. प.

पेट्रोलियम और रसायन संबंधी स्थायी समिति

चौदहवां, पन्द्रहवां और सोलहवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री श्री बल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : महोदय, मैं पेट्रोलियम और रसायन संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:

(1) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय -अनुदानों की मागों (1994-95) के संबंध में समिति के पांचवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में चौदहवां प्रतिवेदन।

(2) 'रसायन और उर्वरक मंत्रालय, रसायन और पेट्रोरसायन विभाग-अनुदानों की मांगों-(1994-95)' के संबंध में समिति के छठे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में पन्द्रहवां प्रतिवेदन।

(3) 'रसायन और उर्वरक मंत्रालय, उर्वरक विभाग-अनुदानों की मांगों (1994-95)' के संबंध में समिति के सातवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में सोलहवां प्रतिवेदन।

12.10½ म. प.

मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति

बाईसवां प्रतिवेदन

श्री इन्द्रजीत (दार्जिलिंग): महोदय, मैं वर्ष 1995-96 के लिए शिक्षा विभाग की अनुदानों की मांगों के संबंध में मानव संसाधन विकास संबंधी विभागीय संसदीय स्थायी समिति के बाईसवें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

12.11 म. प.

विज्ञान और प्रोद्यौगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति

उन्नीसवां प्रतिवेदन

प्रो. राधिका रंजन प्रमाणिक (मथुरापुर): महोदय, मैं महासार विकास विभाग की अनुदानों की मांगों (1995-96) के संबंध में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति का उन्नीसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

12.11½ म. प.

सभा का कार्य

जल संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): महोदय, आपकी अनुमति से मैं यह घोषणा करता हूं कि 2 मई, 1995 से आरम्भ होने वाले सप्ताह के दौरान निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जाएगा:

1. आज की कार्य-सूची से बकाया सरकारी कार्य की किसी मद पर विचार।

2. सामान्य बजट 1995-96 पर आगे सामान्य चर्चा।

3. निम्नलिखित मंत्रालयों के नियंत्रणाधीन वर्ष 1995-96 के लिए लेखानुदान मांगों (सामान्य) पर चर्चा और मतदान:

(क) रक्षा
(ख) विदेश

प्रो. प्रेम धूमल हमीरपुर : मेरा अनुरोध है कि अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित को शामिल किया जाए:-

1. भूत पूर्व सैनिकों की पेंशन में एक बारगी वृद्धि को क्रियान्वित करने में विसंगतियों को दूर करना और इन लाभों को उन भूतपूर्व सैनिकों को देने के लिए तत्काल कार्यवाही करना जिन्हें इनसे वंचित किया गया है।

2. हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में स्वान नदी से शीघ्र नहरें निकालना और इसकी वहां कई सहायक नदियां निकालना।

[हिन्दी]

श्री जनार्दन प्रसाद मिश्र: आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषय जोड़ने की कृपा करें-

1. पूरे देश में विशेषकर उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली ढंग से लागू करने के उपायों पर विचार किया जाए।

2. ग्रामीण क्षेत्रों को विद्युतीकरण का लाभ पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण विद्युतीकरण नीति पर पुनर्विचार किया जाए।

[अनुवाद]

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर): महोदय, मेरा अनुरोध है कि निम्नलिखित को अगले सप्ताह की कार्यसूची में शामिल किया जाए:-

1. इस आशय की लगातार आ रहे समाचारों की पृष्ठभूमि में कि टिहरी क्षेत्र में कोई बड़ी भूकम्पीय हलचल हो सकती है, टिहरी बांध परियोजना की पुनरीक्षा करने के बारे में,

2. सरकार की मारुति लिमिटेड में 50 प्रतिशत ईक्विटी को जापान की सुजुकी कम्पनी को बेचने के बारे में सरकार के निर्णय के संबंध में।

श्री काशीराम राणा (सूरत): महोदय, मेरा अनुरोध है कि अगले सप्ताह की कार्य सूची में निम्नलिखित विषय को शामिल किया जाए।

1. बम्बई हाई और अन्य अपतटीय क्षेत्रों से गुजरात को गैस का शीघ्र आवंटन करने के बारे में।

श्री बी. एन. रेड्डी (मिरयालगुडा): महोदय, मेरा अनुरोध है कि निम्नलिखित को आगामी सप्ताह की कार्यसूची में शामिल किया जाए:-

आंध्र प्रदेश के नालगोंडा जिले में मिरयालगुडा में भारतीय खाद्य निगम की एक आधुनिक चावल मिल शीघ्र पुनः खोलने के बारे में।

[हिन्दी]

डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय (मंदसौर): अध्यक्ष महोदय, कृपया आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषयों को जोड़ा जाए-

1. विभिन्न प्रदेशों में रासायनिक द्रव्यों को उपयोग में लाने वाली फैक्ट्रियों द्वारा जल व वायु को प्रदूषित किए जाने वाली स्थिति से रोकने की दृष्टि से प्रभावी कानून बनाने की आवश्यकता, जिससे विभिन्न प्रदेशों के साथ-साथ मध्य प्रदेश व राजस्थान में बढ़ती हुई प्रदूषण समस्या को रोका जा सके।

2. लाखों की संख्या में अफीम उत्पादकों की समस्याओं को लेकर व्याप्त असंतोष व उन्हें हल करने की दृष्टि से एक सुनिश्चित नीति की आवश्यकता, जिससे किसान निर्धारित औसत के साथ लाभकारी मूल्य प्राप्त कर सकें।

श्री शिवराज सिहं चौहान (विदिशा): अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषय को जोड़ा जाये:-

सीहोर जिले की सरूल्लागंज तहसील के जिन आदिवासियों के नाम (1980 से पूर्व के वनभूमि की कब्जेधारी) सर्वे सूची में प्रशासन की गलती के कारण छूट गये हैं, पुनः सर्वे कराया जाये।

श्री राम टहल चौधरी (रांची): आगामी सप्ताह की कार्यसूची में दिए गए निम्न विषय और जोड़े जाने का अनुरोध करता हूं:-

रांची शहर में बाई पास सड़क अभी तक नहीं बनी है। अतः शीघ्र बाईपास सड़क का निर्माण किया जाये।

[अनुवाद]

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़): महोदय, मेरा अनुरोध है कि आगामी

सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषय को शामिल किया जाए:

1. राज्यपाल को वापस बुलाने के संबंध में तमिलनाडु विधान सभा द्वारा पारित संकल्प के संवैधानिक पहलुओं के बारे में।

2. सरकारी क्षेत्र में तलचर उर्वरक संयंत्र सहित रुग्ण उर्वरक संयंत्रों को अर्थक्षम बनाने के बारे में।

12.13. म.प.

समिति के लिए निर्वाचन

तम्बाकू बोर्ड

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : मैं प्रस्ताव करता हूँ:

> "कि तम्बाकू बोर्ड निगम, 1976 के नियम 3 और 4 के साथ पठित तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 4 की उपधारा (4) (ख) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य अपने में से दो सदस्य उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों तथा उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों के अध्यधीन ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, तम्बाकू बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

> "कि तम्बाकू बोर्ड नियम, 1976 के नियम 3 और 4 के साथ पठित तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 4 की उपधारा (4) (ख) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य अपने में से दो सदस्य उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों तथा उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अध्यधीन ऐसी रीति से, जैसाकि अध्यक्ष निर्देश दें, तम्बाकू बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए निर्वाचित करें।"

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।)

श्री तरित वरण तोपदार (बैरकपुर): महोदय, भारतीय कपास निगम को आर्डर दिया गया है कि वह 25 प्रतिशत तक अपने कामगारों में कटौती करे।

अध्यक्ष महोदय : समूची सभा ने एक तरफ का निर्णय लिया है। आप इसे बाद में ले सकते हैं।

श्री तरित वरण तोपदार: महोदय, वे भूख हड़ताल पर हैं, मैंने मंत्री महोदय को भी लिखा है।

अध्यक्ष महोदय: लेकिन समूची सभा ने एक तरफ का निर्णय लिया है, आप इसके विरुद्ध जा रहे हैं। उपयुक्त समय आने पर बाद में, इसकी अनुमति दूँगा।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): क्या यह प्रधान मंत्री के उत्तर देने के बाद होगा?

अध्यक्ष महोदय: जी हां, धन्यवाद। एक बात और है, आज हम लंच का समय भी छोड़ दें, माननीय प्रधान मंत्री को आज शाम 5 बजे वाद-विवाद का उत्तर देने राज्य सभा जाना है, जो कठिनाई इस सभा को है वह दूसरी सभा को भी है, मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपना वक्तव्य संक्षेप में दें और अधिक से अधिक 3 बजे या 3.15 म. प. तक वक्तव्य समाप्त करने में पीठासीन अधिकारियों की सहायता करें ताकि ठीक उसके बाद उत्तर दिया जा सके और आप को उठाए गए मुद्दों पर सरकार के उत्तर प्राप्त हो सकें, क्या मैं दलों के नेताओं से यह भी अनुरोध करूं कि वे यह देखें कि यदि कोई सदस्य बोलने का अवसर चाहता है तो उनके नाम हमें दिये जाने चाहिएं ताकि हम उसको समय दे सकें, यह विभिन्न दलों के नेताओं और सचेतकों की सुविधा के लिए किया गया है।

श्री शरद दिघे (मुम्बई उत्तर मध्य): महोदय, यदि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव और अन्य सारा कार्य 6 बजे से पूर्व समाप्त हो जाता है तो क्या आप रेल बजट पर चर्चा आरम्भ करेंगे अथवा आप आगामी सप्ताह के लिए इसे लेंगे?

अध्यक्ष महोदय: हम इसे आगामी सप्ताह के लिए लेंगे, यदि माननीय सदस्य इस पर वक्तव्य देना चाहें तो हम उसकी अनुमति देंगे कि वे इस पर वक्तव्य देने के लिए इच्छुक हैं।

श्री ई. अहमद (मंजेरी): महोदय, हमें लंच का समय छोड़कर सभा का काम जारी रखने में कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु एक ही समस्या है कि आज शुक्रवार होने के कारण कुछ सदस्य मस्जिद जाना चाहेंगे।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है।

[हिन्दी]

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी (हैदराबाद): जनाबे सदर, हमें जाना है यदि आप हमें जल्दी मौका दे दें तो अच्छा होगा।

अध्यक्ष महोदय: आप जाकर आ सकते हैं। और बाद में बोल लीजियेगा।

[अनुवाद]

12.20 म.प.

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव- जारी

अध्यक्ष महोदय: यह सभा राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर आगे चर्चा करने हेतु इसे लेगी। श्री जनार्दनन अपना वक्तव्य जारी रखें।

*** श्री एम.आर. कादम्बूर जनार्दनन** (तिरुनेलवेली): अध्यक्ष महोदय, कल जहां पर मेरा भाषण समाप्त हुआ था मैं वहीं से आगे शुरू कर रहा हूं मेरा सभा को कहना है कि मीडिया में 1966-1970 की इंदिराजी की सरकार की और माननीय प्रधानमंत्री श्री पी. वी. नरसिंहराव की 1991-1994 की सरकार की तुलना की गई थी।

12.21 म.प.

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

हमने देखा है कि उस समय अकाल, सूखा और खाद्यानों की कमी थी। हमने पी. एल. - 480 के अंतर्गत संयुक्त राज्य अमेरीका से गेहूं भी लिया। हमने बड़ी कठिनाई के साथ उस समय स्थिति को संभाला और हमने आत्मनिर्भरता में विश्वास किया और गांधीजी के रास्ते का अनुसरण करते हुए बहुत अधिक प्रयास किया है। अब हमने राष्ट्रपति के अभिभाषण में 'स्व आश्वासन' शब्द का उल्लेख देखा है, यह गांधीवादी आदर्शों को पूर्णतया तिलांजलि देना है, मैं यह भी कहना चाहूगां कि यह प्रवृत्ति चिन्ताजनक है, हमारा कृषि प्रधान देश है जहां बड़ी संख्या में किसान काम करते हैं और मैं सरकार द्वारा किसानों के लिए पैदा की गई समस्याओं की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं।

किसानों के हितों की रक्षा करने में यह सरकार बुरी तरह से असफल रही है। राजसहायता वापस ले ली गई है। प्रभावी कृषि नीतियों को प्रोत्साहित करने के लिए कोई उचित योजना नहीं बनी हुई हैं, आने वाले वर्षों में यह साम्राज्यवादी ताकतें जिनके साथ कांग्रेस सरकार हाथ मिला रही है, देखेगी कि हमारी औद्योगिक और कृषि उत्पादन अवरुद्ध हो, संभवत: कांग्रेस सरकार ने यह कसम खाई है कि देश को मैक्सीकन स्थिति की ओर ले जाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि मैं गलत नहीं कह रहा हूँ।

सरकार दावा करती है कि इस नई आर्थिक नीति के कारण 1,480 मिलियन श्रम दिवस और रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण में यह नहीं बताया गया है कि कितने नए लाभार्थी निर्धनता रेखा से ऊपर आए हैं इसलिए मुझे इस ओर इशारा करना पड़ा है,

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के प्रस्तुत करने के समय श्री मणिशंकर अय्यर ने यह प्रश्न उठाया था कि तमिलनाडु सरकार तमिलनाडु में पंचायत चुनाव कब करेगी, उन्होंने कहा कि हमें इसका उत्तर देना चाहिए। चूंकि वे जानना चाहते थे कि पंचायत चुनाव होंगे भी तो मैं उनको स्पष्ट कर दूँ कि तमिलनाडु में पंचायत चुनाव होंगे।

मैं जोरदार शब्दों में यह बात रिकॉर्ड में लाना चाहता हूँ कि आल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कजगम, जिसे स्वर्गीय एम. जी. रामचन्द्रन ने स्थापित किया था और इस समय जिसका नेतृत्व हमारे महासचिव कर रहे हैं, चुनाव से कभी नहीं घबरायेगा। हम आल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कजगम के लोग इतिहास के किसी भी समय चुनाव से नहीं डरे और हम चुनाव से नहीं घबराने वाले हैं चाहे यह पंचायत का चुनाव हो या संसदीय चुनाव..........**(व्यवधान)**........

श्री आर. अन्बारासु (मद्रास मध्य): चुनाव के समय यह वादा किया गया था कि आम चुनाव के तुरन्त बाद पंचायत चुनाव कराये जायेंगे। परन्तु अब तक निगम के कोई चुनाव नहीं हुए हैं, मैं मद्रास का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: आपको बोलने का अवसर मिलेगा।

श्री आर. अन्बारासु: उन्हें चुनाव कराने दो।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री अन्बारासु, इंतजार कीजिए, आपको बोलने का अवसर मिलेगा।

***श्री एम. आर. कादम्बूर जनार्दनन:** चुनावों से कौन घबराता है ? चाहे यह आल इंडिया अन्ना डी. एम. के. हों या कांग्रेस-आई, यह सब स्पष्ट हो जाएगा जब हम पुदुक्कोत्ताई लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव कराएंगे । हम किसी भी चुनाव के लिए तैयार हैं, यह हमारा भी.........**(व्यवधान)**

श्री आर. अन्बारासु: मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। निगमों का चुनाव पिछले चार वर्षों से क्यों स्थगित किया जा रहा है क्या आप इसका जवाब दे सकते हैं ?

श्री पी. जी. नारायणन (गोबिचेट्टिपालयम): महोदय, वह आकारण ही हस्तक्षेप कर रहे हैं।

***श्री एम. आर. कादम्बूर जनार्दनन:** श्री मणि शंकर अय्यर ने पंचायत चुनावों का जिक्र किया है इसलिए मैं उसका उल्लेख कर रहा हूं मुझे इस सभा को यह बताते हुए खुशी है कि कांग्रेस महात्मा गांधी की फोटो, नेहरू की फोटो, इंदिरा जी की फोटो और हमारे नेता एम. जी. आर. की फोटो चुनावों और राजनीतिक मेल के लिए उपयोग कर रही है। इसलिए मैं कांग्रेस को धन्यवाद देता हूं कि वे हमारे नेता एम. जी. आर. के आगे झुक गए हैं और उनकी फोटो के माध्यम से वे तमिलनाडु की जनता के पास जा सकते हैं। इसलिए अब हम पंचायत का चुनाव

*मूलत: तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर

अथवा संसदीय चुनाव अथवा विधान सभा का चुनाव लड़ने को तैयार हैं।

संविधान का उल्लेख करते हुए मैं सभा को बताना चाहूंगा कि नेहरू जी ने राज्यपाल के नामांकन के बारे में क्या कहा था, मैं उनको उद्धृत करूँगा:

''राज्यपाल राज्य की सरकार को अवश्य ही स्वीकार्य होना चाहिए'', ... **(व्यवधान)**

श्री आर. अन्बारासु: उपाध्यक्ष महोदय, जी राज्यपाल के पद पर यहां चर्चा नहीं हो सकती।

***श्री एम. आर. कादम्बूर जनार्दनन:** उपाध्यक्ष महोदय वह अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप कर रहे हैं। वह सभा की गरिमा को विकृत कर रहे हैं।

श्री आर. अन्बारासु: महोदय वह सभा को गुमराह कर रहे हैं इसकी यहां अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। राज्यपाल के पद पर यहां चर्चा नहीं होनी चाहिए, **(व्यवधान)**

***श्री एम. आर. कादम्बूर जनार्दनन:** मैंने यह बताने के लिए नेहरूजी का उदाहरण दिया है कि राज्यपाल की नियुक्ति के क्या सिद्धान्त होने चाहिएं।

श्री आर. अन्बारासु: उन्होंने राज्यपाल के पद का उल्लेख किया है।

***श्री एम. आर. कादम्बूर जनार्दनन:** मैंने राज्यपाल के पद का उल्लेख नहीं किया है। मैने राजयपाल की नियुक्ति के बारे में नेहरूजी ने जो कहा है उसे उद्धृत किया है। **(व्यवधान)** क्या आप नेहरूजी का विरोध कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री अन्बारासु, कृपया आप बैठ जाएं।

***श्री एम. आर. कादम्बूर जनार्दनन:** मैं केवल कांग्रेस का इतिहास बता रहा हूँ कि इस प्रकार वे संवैधानिक तौर पर राज्यपालों को नियुक्त करते थे। संविधान के अन्तर्गत राज्यपाल औपचारिक रूप से राज्य का संवैधानिक प्रमुख है जिसे कुछ मामलों को छोड़कर जिनमें उसे स्वयं स्वविवेक पर निर्णय लेना होता है, मंत्रिपरिषद जिसका प्रधान मुख्य मंत्री होता है की सहायता और परामर्श पर कार्य करना होता है। यह कृत्य नहीं है, यह मार्गनिर्देश है जिसके अनुसार उसे काम करना होता है। प्रो. बी. जी. खेर ने निम्न कहा है और मैं उसे उद्धृत करना चाहता हूँ:

> ''मैं इस कथन से सहमत नहीं हूँ कि राज्यपाल केवल एक प्रमुख है। यदि वह एक अच्छा राज्यपाल है तो बहुत अच्छा काम कर सकता है। उसी प्रकार वह काफी शरारत भी कर सकता है।''

यह मेरे शब्द नहीं हैं यह प्रो. बी. जी. खेर के शब्द हैं। अब मैं नेहरू का कथन उद्धृत करूँगा। उन्होंने कहा था:

> ''मेरा सिद्धान्त है कि इसमें सुविख्यात व्यक्ति आएं। कभी ऐसे व्यक्ति आएं जिन्होंने राजनीति में कोई बड़ा हिस्सा नहीं लिया है।''

यह नेहरू जी के शब्द हैं परन्तु तमिलनाडु और त्रिपुरा में क्या हो रहा है। यह एक बिल्कुल अलग बात है। सरकारिया आयोग की रिपोर्ट पर अब तक कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है **(व्यवधान)**

श्री ए. चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम): महोदय, मेरा व्यवस्था का एक प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय: आपका व्यवस्था का पश्न क्या है ?

श्री ए. चार्ल्स: मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है। कल मद्रास उच्च न्यालालय के डिवीजन बेंच ने इस विषय पर अपना निर्णय दिया है, क्या यह ठीक है कि यहां राज्यपाल के कार्यकरण पर चर्चा की जाए ?

*** श्री एम. आर. कादम्बूर जनार्दनन:** मैं राज्यपाल के कार्यकरण की चर्चा नहीं कर रहा हूं।

श्री ए. चार्ल्स: जी नहीं, औचित्य की मांग है कि इस पर यहां चर्चा न की जाए। मेरे विचार में यह उचित नहीं है।

श्री आर. अन्बारासु: राज्यपाल के कार्यकरण पर इस सभा में चर्चा नहीं की जा सकती है। यदि उन्हें कोई शिकायत है तो भारत के राष्ट्रपति से कहना चाहिए या प्रधान मंत्री से मिलना चाहिए। सभा का उपयोग राज्यपाल के कार्यकरण पर चर्चा करने के लिए नहीं किया जा सकता। यह मामला न्यायालय के विचाराधीन है, इसलिए मेरा उपाध्यक्ष महोदय से निवेदन है कि इसकी इस तरह अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। जो कुछ भी उन्होंने राज्यपाल के कृत्य के बारे में कहा है उसे कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया जाना चाहिए। **(व्यवधान)**

श्री ए. चार्ल्स: केवल अंतरिम निर्णय आया है मुख्य आवेदन पत्र अभी भी लंबित है, अतएव मेरे विचार में इस पर यहां चर्चा नहीं करनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय: ठीक है, मैं जहां तक इस पहलू का संबंध है अपना विनिर्णय सुरक्षित रखता हूं।

*** श्री एम. आर. कादम्बूर जनार्दनन:** उपाध्यक्ष महोदय, मैंने प्रो. बी. जी. खेर को उद्धृत किया है। मैंने पंडित जवाहर लाल नेहरु को उद्धृत किया है अब मैं

*मूलत: तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर

अलादी जी को उद्धृत करने जा रहा हूं। मैं प्रमुख वरिष्ठ व्यक्तियों को उद्धृत कर रहा हूं।

श्री ए. चार्ल्स: आप राज्यपाल के कार्यकरण को उद्धृत कर रहे हो।

***श्री एम. आर. कादम्बूर जनार्दनन:** मैं श्री चेन्ना रेड्डी को उद्धृत नहीं कर रहा हूं?

श्री ए. चार्ल्स: उन्होंने विशेषरूप से तमिलनाडु के राज्यपाल को उद्धृत किया है, इस संबंध में आवेदन पत्र मद्रास उच्च-न्यायालय में लंबित है।

उपाध्यक्ष महोदय: उन्होंने बताया है कि राज्यपाल को कैसे कार्य करना चाहिए। उन्होंने कुछ प्रमुख व्यक्तियों को उद्धृत किया है।

श्री ए. चार्ल्स: उन्होंने तमिलनाडु के राज्यपाल के कार्यकरण के संदर्भ में उद्धृत किया है।

*** श्री एम. आर. कादम्बूर जनार्दनन:** राज्यपाल आयेंगे और जायेंगे पर अलादि और नेहरूजी हमेशा इस देश में रहेंगे .... **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया जारी रखिए। समय बहुत कम है।
............**(व्यवधान)**

*** श्री एम. आर. कादम्बूर जनार्दनन:** महोदय, मैं श्री अलादि को उद्धृत कर रहा हूँ।

> "राज्यपाल को सार्वजनिक जीवन में निःसन्देह योग्यता वाला और हैसियत वाला व्यक्ति होना चाहिए जो प्रान्त के दलीय संघर्ष और गुटबाजी से अलग हो।"

यह मेरे शब्द नहीं हैं, यह अलादि के शब्द हैं। यह राज्यपालों के बारे में अलादि के उदाहरण हैं न कि किसी विशेष राज्यपाल के बारे में, इसलिए मैं संसद को कहना चहता हूं कि यहां तक कि सरकारिया आयोग के प्रतिवेदन को अलग रखा जा रहा है और उस पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है और यह दुखद तथ्य है कि अनेक मामलों में राज्यपालों का इस्तेमाल राज्य सरकारों को अस्थिर करने में किया जा रहा है, यह स्थिति है।

मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि देश की अखंडता और एकता के लिए सरकारिया आयोग के प्रतिवेदन को स्थगित न रखा जाए।

आज मुझे मीडिया से पता चला है -मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोल रहा हूँ इसलिए मैं मीडिया को उद्धृत कर रहा हूं जिसमें राष्ट्रपति. द्वारा व्यक्त विचार दिए गए हैं कि राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने केन्द्र को तमिलनाडु में हस्तक्षेप करने के लिए कहा है और यह परामर्श दिया है कि राज्यपाल को वापस बुलाने के संबंध में राज्य विधान सभा द्वारा अभूतपूर्व संकल्प पारित करने से उत्पन्न संवैधानिक अवरोध से बचा जाए। तमिलनाडु के लोग इससे बहुत उत्तेजित हैं।

श्री आर. अन्बारासु: किस बात के लिए ?

*** श्री एम.आर. कादम्बूर जनार्दन:** आप की कारगुजारी के लिए .... **(व्यवधान)**

श्री आर. अन्बारासु: महोदय, एक अभूतपूर्व संकल्प पारित किया गया है जो अवैध है। यदि इसकी अनुमति दी गई तो प्रत्येक राज्य ऐसे संकल्प पारित करेगा ...... **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: जब आपको अवसर दिया जाए तब आप बोलें।

*** श्री एम. आर. कादम्बूर जनार्दनन:** मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोल रहा हूं और मैं राष्ट्रपति जी के विचार रख रहा हूं जो मीडिया में प्रकाशित हुए हैं और इससे अधिक नहीं बोल रहा हूं। ..... **(व्यवधान)** निश्चय ही यह एक अभूतपूर्व संकल्प है पर हम ऐसा करने को मजबूर हुए हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि तमिलनाडु के लोग और निर्वाचित सरकार को रोज के प्रशासन में परेशान किया जा रहा है, इसलिए मेरा कांग्रेस के लोगों से अनुरोध है कि वे पंडित नेहरू के मार्ग का अनुसरण करें............. **(व्यवधान)**

श्री आर. अन्बारासु: आप अपने मुख्य मंत्री के मार्ग का अनुसरण करना चाहते हैं, राज्य में एक अभूतपूर्व **(व्यवधान)** **.......... तमिलनाडु में कोई लोकतंत्र नहीं है और किसी भी राजनैतिक दल को बोलने की अनुमति नहीं है। क्या आप उन्हें इस तरह की स्थिति सहने देंगे? विधान सभा में कांग्रेस दल के सदस्यों को विधान सभा में बोलने की अनुमति नहीं दी जाती है। .... **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: यह शब्द कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किए जायेंगे।
.... **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: बोलने के लिए अभी बहुत समय है, कृपया बीच में दखल न दीजिए। श्री जनार्दनन, कृपया अपना भाषण समाप्त करें।
.... **(व्यवधान)**

*मूलत: तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*** श्री एम. आर. कादम्बूर जनार्दननः** इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि सरकारिया आयोग की रिपोर्ट को स्थगित न रखा जाए। कृपया इस पर कार्यवाही की जाए।

केन्द्र की सरकार एक अल्पमत की सरकार है और मैं आपको आगाह करता हूं कि यदि आप इस तरह करते रहे .... **(व्यवधान)**

श्री आर. अन्बारासुः केन्द्रीय सरकार बहुमत की सरकार है, आप इसे ठीक कर लें........ **(व्यवधान)**

***श्री एम. आर. कादम्बूर जनार्दननः** कैसे ? जनता दल के आठ सदस्यों को लेकर यह सरकार बनी हुई है। श्री सुब्रहमण्यम स्वामी ने आपकी मदद की है। आप और सभी इस बात को जानते हैं .... **(व्यवधान)** आल इंडिया अन्ना डी. एम. के. की पार्टी आरिनजार अन्ना के मूल सिद्धान्त पर अपना रुख अपनाने को बाध्य हो जाएगी। कांग्रेस की पार्टी इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगी यदि हम इस मामले में ऐसा कोई रुख अपनाने के लिए बाध्य किए जाते हैं।

मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का विरोध करता हूं क्योंकि इसमें सदर्न ग्रिड गैस कनेक्शन, कावेरी जल विवाद का कोई उल्लेख नहीं है और इसमें 1995-96 के दौरान तमिलनाडु में पूरी तरह से इकहरी लाइन बनाने का कोई उल्लेख नहीं है। इसलिए मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी (हैदराबाद): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका मशकूर हूं कि आपने मुझे प्रेजीडेंट एड्रेस पर लाये गये मोशन ऑफ थैंक्स पर बोलने का मौका दिया क्योंकि मुझे जुम्मे की नमाज के लिये जाना है। जब भी मोशन ऑफ थैंक्स पर इस सदन में बहस होती है तो हम लोग अपने ख्यालात का इजहार करते हैं परन्तु ऐसा मालूम पड़ता है कि हम लोग यहां जो कुछ भी कहते हैं, उसका कोई नतीजा नहीं निकलता और यह सब एक सालाना उर्स और यात्रा के जैसा हो गया है कि हम यहां आयें, अपनी बात कहें और उसके बाद चले जायें लेकिन उसके ऊपर कोई अमल नहीं होता।

मैं कहना चाहता हूं कि हमारे सामने मसाइल बहुत ज्यादा है, जिनके ऊपर ज्यादा से ज्यादा तवज्जह देने की जरूरत है। बड़े अफसोस की बात है कि जब 6 रियासतों से कांग्रेस खत्म हो चुकी है लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस जागी नहीं और न उसने मसाइल को हल किया। आप जानते हैं कि 6 रियासतों में कांग्रेस के हारने की बुनियादी वजह यह रही की मुसलमानों ने उनका साथ नहीं दिया। मुसलमानों ने इस वजह से कांग्रेस का साथ नहीं दिया क्योंकि उसने बावरी मस्जिद को ढहाया और उसकी जिम्मेदारी हिन्दुस्तान के वजीरे आजम की है। यही वजह थी कि सतही तौर पर अगर देखा जाये तो खुद कांग्रेस के मुसलमानों ने अपने वोट का इस्तेमाल नहीं किया। मैं समझता हूं कि आज से एक साल के बाद कांग्रेस का सफाया हो जायेगा क्योंकि आज भी मसाइल के ऊपर कोई तवज्जह नहीं दी जा रही है। इस मुल्क में अकलियते मौत के साये में अपनी जिन्दगी गुजार रही है। हैदराबाद में सड़कों पर नमाज पढ़ी जाती है तो उनको टाडा के तहत पकड़ लिया जाता है। क्या कांग्रेस का कोई मैम्बर यहां उठकर कहेगा कि यह गलत है।।

श्री मणि शंकर अय्यर (मईलादुतुराई): मैं कहता हूँ, बिल्कुल गलत है।

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसीः आप तो कह देंगे...

श्री मणि शंकर अय्यरः बताइये स्वीकार कीजिये, मैं कांग्रेस का मैम्बर हूं और मैने कहा है कि बिल्कुल गलत है।

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसीः वहां अदालतों में मुकदमें चल रहे हैं और आप यहां कह रहे हैं कि बिल्कुल गलत है।

श्री मणि शंकर अय्यरः मैं कह रहा हूं कि सड़कों पर नमाज पढ़ने पर किसी को टाडा में पकड़ना गलत है ।

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी : आप कहते हैं गलत है, लेकिन वहां तो लोगों पर मुकद्दमें चल रहे हैं। हमने कई बार यहां कहा कि यह जुल्म नहीं तो और क्या है लेकिन उस पर कोई तवज्जह नहीं दी जाती। दूसरी तरफ पार्टियां तोड़ने के लिये हैदराबाद में एक असैम्बली के मैम्बर के साथ क्या सलूक किया जाता है, यह मैं नहीं कह रहा हूँ बल्कि वहां की पुलिस का पेपर में बयान आया है कि कलकत्ता में एक शख्स को पकड़ा गया, उसने हैदराबाद के एक एम. एल. ए. के बच्चे के साथ मिलकर पाकिस्तान से साज-बाज किया, उसके पास से एक रिवाल्वर भी निकला, पहले तो उसके बच्चे को पकड़ लिया गया लेकिन जैसे ही वह एम. एल. ए. पार्टी छोड़ता है तो उसके बेटे के खिलाफ मुकदमा खत्म कर दिया जाता है। दूसरी तरफ बम्बई में एक फिल्म स्टार को, वह आपका ही बच्चा है, टाडा में पकड़ लिया जाता है और वह अब तक जेल में है लेकिन हमारे यहां पार्टी छोड़ते ही मुकदमा खत्म कर दिया गया।

आप ही बताइये कि 500 करोड़ रुपये आपने अकलियतों के लिये देने की बात कही, अकलियती फाइनेन्सियल कार्पोरेशन के बारे में हम कई वर्षो से सुनते आ रहे हैं, लेकिन आखिर वह क्या है, उसमें क्या हो रहा है, सारा पैसा किसके पास जा रहा और उससे कौन फायदा उठा रहा है। मेरा कहना है कि आप सिर्फ पेपर में ऐलान करते हैं लेकिन अमल में आज तक कुछ नहीं किया।

उसी का नतीजा है और आप देखते हैं कि अकलियती कमीशन आपने बनाया, एक को सदर बनाया लेकिन उसको कोई अखित्यार नहीं है। उसकी रिपोर्ट खाली डाल दी जाती है और उसके लिए कुछ भी नहीं किया जाता है। मैं यह कहूंगा कि आप यहां के अकलियतों के मसाइल को हल कीजिये। जब तक आप उनकी

*मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रुपान्तर

मसा ल को हल नहीं करेंगे तब तक उसका मसला हल नहीं होने वाला है। आजादी के क्त सरकारी मुलाजिमातों में 30 फीसदी मुसलमान थे लेकिन आज सिफर के मु ब, उनको कहा गया है। आप काश्मीर के मसले के बारे में बताइये। काश्मीर से ब पंडित आते हैं तो हिन्दुस्तान में, दिल्ली के अंदर उनके लिए कैम्प कायम किये गये, उ सुहलियतें दी गयी लेकिन जब काश्मीर से मुसलमान आता है तो उसके ऊपर भीख मांगने तक की पांबदी है। हैदराबाद में जब वे घर-घर जाकर भीख मांग रहे थे तो पुलिस ने उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया और कहा कि तुम काश्मीर से आकर यहां भीख मांग रहे हो। यहां उनको भीख तक मांगने की इजाज़त नहीं है। क्या यह आपकी दोतरफा पालिसी नहीं है? आज आप कहते हैं कि आई.ए.एस. या आई.पी.एस. का महाराष्ट्र में कैडर है। आंध्र प्रदेश में कैडर है लेकिन काश्मीर का कैडर कहां है। आप कहते हैं कि काश्मीर हिन्दुस्तान का सर है लेकिन वहां के लोगों के लिए आप क्या कर रहे हैं? वहां के लोग जब हैदराबाद में रमजान के महीने में भीख मांग रहे थे तो उनको पकड़कर जेल में डाल दिया गया। हम लोगों ने वहां जाकर उनको छुड़वाया। वह बेचारे तो भीख तक नहीं मांग सकते। दिल्ली में पंडितों के लिए आपने कैम्प खोल दिये लेकिन मुसलमान अगर भीख मांगता है तो उसके लिए कोई चीज नहीं। आप ही बताइये कि यह जुल्म नहीं तो और क्या है? आज हजारों की तादाद में मुसलमान टाडा में पकड़े गये हैं। जब तक आप उनके ऊपर टाडा नही उठायेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। आप याद रखिये कि यही टाडा आपके खाते में कबयाज बनेगा और आप एक बरस के बाद देखेंगे कि क्या होने वाला है।

आपने उर्दू के मसले पर कुछ नहीं किया। इसी तरीके से यू.पी. का ताल्लुक चल रहा था। लेकिन श्री मुलायम सिंह ने यू.पी. के लोगों के लिए तुरजमा करने वालों को मुकर्रर किया। उर्दू के टीचर को मुकर्रर किया। इसी तरीके से मेरठ में हाशिमाबाद और मलियाना में फसाद हुआ था तो वहां के लोगों ने मुकदमा कायम किया था लेकिन हमारे लिए कुछ भी नहीं किया गया। हम देखते हैं कि जहां-जहां कांग्रेस की रियासते हैं वहां क्या हो रहा है? सिवाय हमारे ऊपर जुल्म और ज्यादती के और कुछ नहीं। तालीम के मैदान में हम पीछे हैं। मैं मणि शंकर अय्यर की तव्वजो इस ऐवाम की तरफ दिलाना चाहता हूँ कि आप हमें एक भी पैसा नहीं देते लेकिन फिर भी हम अपनी तालीमी इदारे में खुद कायम करते हैं। आप हमें पैसे मत दीजिये। आपका ऑर्डर आता है कि आपकी अकलियती इदारे में 50 प्रतिशत नांन मॉइनौरिटी को दीजिये। यह जुल्म है या नहीं?

श्री मणि शंकर अय्यर : हम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को इनके पास पहुंचाते हैं और यह कहते हैं कि हम इन पर जुल्म कर रहे हैं। यह तो बड़ी अजीब बात है।

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी: आप पहले मेरा जुमला तो सुनिये। आपने जुल्म तो सुन लिया लेकिन उसके बाद के जुमले को नहीं सुना कि यह मुकदमा अदालत में कैसे आया? सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि हमने मॉइनौरिटीज के ताल्लुक से कोई फैसला नहीं दिया लेकिन आपकी स्टेट से, जहां कांग्रेस की हुकूमत है, उन्होंने कहा कि हम इसे नहीं मानते हैं। जब वह सुप्रीम कोर्ट के पास गये तो उन्होंने कहा था कि जब यह आ गया है तो फैसला होने तक यहीं रहेगा। मैंने आपके मिनिस्टरों के पास जाकर नुमाइंदगी की कि आप सुप्रीम कोर्ट में हाजिर होईये थे लेकिन वे हाजिर नहीं हुए।

जुल्म देखिए, हम अपने बच्चों को फीस देकर पढ़ाएं और नान माईनौरिटीज के बच्चे फ्री पढ़े यह जुल्म नहीं तो क्या है, अंग्रेजों से भी बदतर जुल्म है। जुनूबी अफ्रीका में मंडेला से पहले जो जुल्म होता था, उससे बढकर जुल्म आज आप कर रहे हैं। इंस्टीटयूशन हमारा है, पैसा हमारा है, फिर भी हमारे बच्चे फीस देकर पढ़ें और आपके बच्चे फ्री पढ़ें। आप बताइए इसके लिऐ आपने, क्या किया? आप खामोश बैठे रहे हमने बार-बार खुतूत लिखे लेकिन न आपने न प्राइम मिनिस्टिर ने और न ही एजुकेशन मिनिस्टर ने कुछ किया। खुतूत का अम्बार लगा है। आपके पास तार दिए लेकिन आप खामोश बैठे रहे। इसके बाद आज कहते हैं कि बोलने दो, जो चाहे बोलो यात्रा जैसा उर्स है, सालाना आकर फूल चढा दो, उसके बाद घर चले जाओ। तुमको जो करना है तुम करो, हमको जो करना है हम करेंगे। याद रखिए, यदि जमहूरियत के जरिए हमारे मसाइल हल नहीं हो सकते तो फिर हमको दूसरा रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। हम कब तक मरते और पिसते रहेंगे। हमने हर तरह की कुर्बानी दी है। हमने अपने मदारिस कायम किए। मैडिकल कालेज. इंजीनियरिंग कालेज और आई.टी.आई. कायम किए, आपने एक पैसा नहीं दिया लेकिन आज जब वे चलते हैं तो आप कहते हैं 50 प्रतिशत दे दो और हमको फ्री पढ़ाओ। हम अपने बच्चों को पैसे से पढ़ाएं या आप एलान करेंगे कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और वहां कहेंगे कि यह जुल्म है। आर्टिकल 31(ए) है, आप बताइए, इसकी तोजीह कीजिए। यदि आप वाजें करते होते तो आज ये तमाम मसाइल नहीं उठते। लेकिन आप खामोश बैठे रहे। जब इलैक्शन आता है तो कहते हैं कि आप हमारे भाई हैं, जिगर का टुकड़ा हैं। आखिर आप कब तक हमको बेवकूफ बनाते रहेंगे। आज हम उठ चुके हैं।...**(व्यवधान)**

श्री मणि शंकर अय्यर: हिन्दु हो या मुसलमान, सम्प्रदाय का रुख एक ही रहता है। हमारे सामने पूरा सबूत है। आप दोनों में कोई अन्तर नहीं।.... **(व्यवधान)**

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा): यह गलत बात है.........**(व्यवधान)**

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी: आप सैकुलरिज्म की बात करते हैं। मुझ पर जुल्म हो रहा है, मैं जुल्म के खिलाफ लड़ रहा हूँ। आप जुल्म कर रहे हैं तो सैकुलर है, मैं जुल्म के खिलाफ बोल रहा हूँ तो कम्युनल हूं। यह अजीबोगरीब बात है। ...**(व्यवधान)** अभी भी आपकी आंख नहीं खुली। हमारे ही कंधों पर आपका जनाजा उठने वाला है। उस समय मालूम होगा कि क्या है। आप अल्फाज़ से नहीं, अमल से अपनी बात कीजिए। जुल्म हम पर हो रहा है, हम पुकार रहे हैं और आप कह रहे हैं कि नहीं, आप कम्युनल हैं। यह अजीबोगरीब सैकुलरिज्म है और आप उसके दावेदार हैं...**(व्यवधान)** बार-बार घंटियां बज रही हैं, ये कांग्रेस के लिए है या किस लिए है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। फिर भी मैं अपनी तकरीर खत्म करता हूं।

[अनुवाद]

श्री जगमीत सिंह बरार (फरीदकोट): महोदय, मेरा आपसे एक विनीत निवेदन है। मेरे दल ने कुछ सदस्यों के नाम आपको भेजे हैं जो राष्ट्रपति के

अभिभाषण पर बोलना चाहते हैं मैने अपने दल से अनुरोध किया था कि मैं भी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलना चाहूँगा। पंजाब के हम 12 सदस्य हैं परन्तु किसी ने भी इस पर नहीं बोला है। मैं यह बताना चाहता हूं कि सभा के कुछ वरिष्ठ सदस्य जैसे श्री इन्द्रजीत गुप्ता और श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा है कि हम राष्ट्रपति के अभिभाषण को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। सदस्य वाद-विवाद के समय पर्याप्त संख्या में उपस्थित नहीं होते हैं। यदि राष्ट्रपति के इस अभिभाषण जो इस लोक सभा का आखिरी राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा पर हमें बोलने नहीं दिया गया तो मैं अध्यक्ष पीठ का संरक्षण चाहता हूँ। आप जो भी समय मुझे दें मैं अभिभाषण पर बोलना चाहूँगा।

उपाध्यक्ष महोदय: आप की पार्टी के सचेतक ने आपका नाम नहीं भेजा है पर आपने एक पत्र भेजा है और वह यहां है।

श्री जगमीत सिंह बरार: यही मैंने पत्र में अनुरोध किया है, महोदय, क्या मुझे मौका दिया जाएगा?

उपाध्यक्ष महोदय: जी हां, आखिर में आपको अवसर दिया जायेगा।

श्री जगमीत सिंह बरार: आपका धन्यवाद।

श्री ई. अहमद (मंजेरी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री मणि शंकर अय्यर द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

इस पर कुछ टिप्पणियाँ करने से पूर्व मैं यह कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में आज के भारत की सही तस्वीर प्रस्तुत की है। परन्तु मैं कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रपति ने यह नहीं बताया कि सरकार आगे आने वाले वर्षों में क्या कार्यवाही करेगी। इस देश में वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य बहुत तेजी से बदल रहा है। इस समय एक दल का शासन है परन्तु मैं नहीं समझता कि 1996 के आगामी चुनावों के बाद देश में कोई भी अकेला राजनैतिक दल बहुमत स्थापित कर सकेगा। देश में रुझान मिली- जुली सरकार बनाने की ओर है। पहले केरल में और अब दूसरे अनेक राज्यों में हम मिली-जुली सरकारें देखते है। इससे पता चलता है कि भारत के लोगों ने आज की राजनीति को किस प्रकार लिया है और आने वाले वर्षों में वे क्या निर्णय करने जा रहे हैं। ऐसे परिदृश्य में सत्तारूढ दल पर यह दुरूह जिम्मेदारी आ जाती है कि वह इस देश के लोगों की आवश्यकताओं के अनुरूप कार्य करे।

यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि अनेक संवेदनशील मामलों में सरकार ने ढुलमुल रवैया अपनाया है। मेरे मित्र द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करते हुए मैं उन अनेक गम्भीर विषयों के बारे में कहना चाहूँगा जिनका सरकार ने उल्लेख नहीं किया है। उदाहरण के लिए इस देश में अल्पसंख्यक समुदाय का एक बड़ा वर्ग है जिसके बारे में मैं कहना चाहूँगा कि यह सभवत: विश्व में सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय है। उस समुदाय के 15 करोड़ लोगों की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। उनके विचार, उनकी आकांक्षाओं और उनकी भावनाओं की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि इस देश में अल्पसंख्यक समुदाय सुरक्षा चाहता है। जो भी दल अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करेगा, उस दल को वे अपना समर्थन देंगे, अल्पसंख्यकों को उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में अनुभव है। वे जानते है कि वहां विभिन्न शासन में उनके साथ किस प्रकार का सलूक किया गया और उन्हें वर्तमान राज्य सरकार से कैसा सलूक मिल रहा है। इसलिए अल्पसंख्यक वर्ग वर्तमान सरकार का काफी हद तक समर्थन कर रहा है। उस सरकार का जो भी विरोध करता है, तो काफी हद तक अल्पसंख्यक वर्ग उन तत्वों का विरोध करेंगे चाहे यह कांग्रेस दल हो अथवा कोई अन्य राजनीतिक दल हो, महाराष्ट्र में क्या हुआ, यह सभी जानते हैं कि वहां एक मुख्य मंत्री थे-जो मेरे मित्र थे -बोलने में बहुत अच्छे थे पर वह कोई काम नहीं कर रहे थे। सभी जानते हैं कि उस राज्य में अल्पसंख्यकों को कैसा नीचा देखना पड़ा। मैं स्वंय अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों का एक प्रतिनिधिमंडल और अपने दल के नेताओं को लेकर तत्कालीन मुख्य मंत्री से मिला।

उन्होनें कार्यवाही करने के लिए सभी तरह के आश्वासन दिए। परन्तु 9-10 महीने बाद भी उन्होंने कुछ नहीं किया। मैं प्रधान मंत्री के पास गया। मुझे यह कहते हुए दुख होता है कि यद्यपि प्रधान मंत्री ने हमारे अनुरोध पर कार्यवाही करने के लिए आशाजनक उत्तर दिया परन्तु दुर्भाग्यवश वे कुछ नहीं कर सके क्योंकि तत्तकालीन मुख्य मंत्री ने सभी आश्वसनों को अनदेखा कर दिया अब हर कोई कहता है, "मुस्लिमों के साथ क्या हो रहा है"? निश्चय ही मैं महाराष्ट्र में वर्तमान राजनीतिक ढांचे के दुष्परिणामों का सामना कर रहा हूँ। जबकि एक पार्टी लोगों के एक वर्ग का अपमान कर रही है तो स्वभावत: वो राजनैतिक प्रक्रिया को उलट देंगे और जब परिणाम आयेगा तब आप कहेंगे हम इससे सहमत नहीं हैं, 'मुस्लिमों को क्या हुआ है,' अब महाराष्ट्र में क्या हो रहा है वे कौन लोग हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। इसके लिए कौन उत्तरदायी है? जब सत्ता दल और सरकार लोगों के एक वर्ग का विरोध कर रहे हैं और उसे अपमानित कर रहे हैं तो आप उन लोगों से कैसे आशा कर सकते हैं कि वे महाराष्ट्र में समुद्रतट पर जाएं और कहें कि भा. ज. पा. और शिव सेना को सत्ता में नहीं आने देना चाहिए। यह वास्तविकता है, दुर्भाग्यवश कांग्रेस इस बात का अनदेखा कर रही है। यही बात मैं कह रहा हूँ यह अल्पसंख्यकों के साथ मनमानेपूर्ण ढंग का व्यवहार है जिसके कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है।

यह ठीक है कि हम महाराष्ट्र की वर्तमान व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं। महाराष्ट्र में हमारी समस्याएं है, वहां क्या हुआ? वहां के एक नेता हैं, वह लोगों के एक वर्ग के नेता हैं जिनके साथ मेरा व्यक्तिगत रूप से कोई झगड़ा नहीं है। परन्तु जब उन्होनें कहा कि भारत के अल्पसंख्यकों को नाजी जर्मनी के यहूदियों की भांति समझा जाएगा तो यह सरकार क्या कर रही थी? क्या आपने कोई कार्यवाही की। जब उन्होंने कहा कि वह बाबरी मस्जिद को गिराने का समर्थन करते हैं और अपने सैनिकों को उकसा रहे हैं तो राज्य सरकार ने क्या किया? जब उन्होंने कहा कि वे एक समुदाय को मिटा देंगे तब आप यहां क्या कर रहे हैं? लेकिन हम उन लोगों में कोई ईमानदारी नहीं पाते हैं जिन्होंने उस समय उनका समर्थन किया था और अब उसका विरोध कर रहे हैं। हम इस बात को ध्यान में रख रहे हैं।

इसलिए, इन परिस्थितियों में सरकार से यह पूछना चाहता हूँ कि क्या सत्ताधारी दल की यह नीति है? धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक ताकतों को इकट्ठा करने के लिए सकारात्मक कदम उठाइए, ऐसा क्यों हो रहा है? इसका कारण यह है कि

फासिज्म तेजी से बढ़ रहा है। यह दैत्य की भांति बढ़ रहा है और इसे कौन रोकेगा? क्या यह कार्य जवाहर लाल नेहरू की पार्टी नहीं करेगी? क्या यह कार्य श्रीमती इंदिरा गांधी की पार्टी नहीं करेगी? क्या यह कार्य राजीव गांधी की पार्टी नहीं करेगी। फासिज्म तेजी से बढ़ रहा है और आप प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से उसका समर्थन कर रहे हैं। इस देश का क्या होने जा रहा है? यह मैं पूछ रहा हूँ।

इसलिए जहां तक अल्पसंख्यकों का सवाल है, उन्होंने सकारात्मक कदम उठाया है- जो भी उनका समर्थन करेगा, जो भी उनके हित की बात उठायेगा अथवा जो भी उनका स्वाभाविक हितैषी होगा तो वे निश्चय ही उसके मित्र होंगे उन्होंने इस देश के किसी राजनैतिक दल के पास अपने समर्थन को गिरवी में नहीं रखा है।

मेरी पार्टी दि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग भारत-पाकिस्तान के सम्बंधों के मामले में श्री नरसिंह राव की सरकार द्वारा ली गई नीति का पूरी तरह से समर्थन करती है? इन दो देशों के बीच सम्बन्धों का समान्यीकरण इस उपमहाद्वीप के लिए जरूरी है, उनके बीच अच्छे पड़ौसी के सम्बन्ध होने से दोनों देशों में रहने वाले लाखों लोगों को मदद मिलेगी। मैं इस अवसर पर यह कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की सरकार दो देशों के बीच स्थिति को सामान्य बनाने के लिए हमारी सरकार द्वारा अपनाई गई नीति का साथ देगी।

कश्मीर के मामले में भारत सरकार ने राष्ट्र समुदाय को यह वचन दिया हुआ है कि वहां चुनाव कराए जाएंगे, सभी ने उस राजनैतिक प्रक्रिया का समर्थन किया है, पर एक बात का ध्यान रखना होगा, जब वहां चुनाव कराये जायेंगे तो हमें चुनाव प्रक्रिया में बहुत बड़ी संख्या में कश्मीरी लोगों को शामिल करना होगा। सभी दलों के नेता -मैं अन्य दलों के अपने मित्रों को जानता हूँ जिन्होंने जिनेवा सम्मेलन मे भाग लिया था और अन्य सम्मेलनों में भारत की नीति को समर्थन मिला था- इसका समर्थन कर रहे हैं और कोई भी जो सरकार वहां कर रही है उसका विरोध नहीं कर रहे हैं। परन्तु कश्मीर को प्रभावित करने वाले मामलों में पारदर्शिता होनी चाहिए।

दूसरा मैं स्वायत्तता के बारे में कहना चाहता हूँ। हमारे प्रधान मंत्री जी ने कश्मीर की जनता को आश्वस्त किया है कि उन्हें संविधान के ढाचें में स्वयत्तता दी जाएगी। स्वायत्तता दी जानी चाहिए। उन्हें कुछ स्वायत्तता दी जानी चाहिए। तभी जनता चुनावों में भाग लेने के लिए बड़ी संख्या में आएगी जो सफल होगा पाकिस्तान चुनाव की प्रक्रिया को विफल बनाने के लिए हर गलत कदम उठायेगा क्योंकि चुनाव की सफलता से अंतराष्ट्रीय जगत में पाकिस्तान को भारी धक्का लगेगा।

इसलिए सरकार को कश्मीर की जनता को यह आश्वस्त करने के लिए गंभीर कदम उठाने चाहिएं कि उन्हें इतनी स्वयत्तता दी जाएगी,

1.00 म. प.

महोदय, मैं टाडा के बारे में एक बात कहना चाहता हूँ। इस देश में क्या हो रहा है? कांग्रेस एक मजबूत संगठन है, क्या क्रांग्रेस समझती है कि वे टाडा जैसे कठोर कानून की सहायता के बिना इस देश का शासन नहीं चला सकते हैं। इस देश में कितने बेगुनाह लोगों को कठिनाइयों और मुसीबतों मे डाला गया है? शासक यहां और राज्यों में बैठकर शासन चला रहे हैं। और उनकी नाक के नीचे बेगुनाह लोग बिना किसी गलती के टाडा के अंतर्गत बंद जेलों में सड़ रहे हैं, क्या यह सरकार का कर्त्तव्य नहीं है कि वह इस प्रश्न पर विचार करे? मैं तो कहूँगा कि टाडा इस देश में एक विशेष समुदाय के दमन का समानार्थी हो गया है। आप इस तथ्य से इंकार नहीं कर सकते। सरकार को यह पता लगाने के लिए इस मामले को देखना पड़ेगा कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है। इसलिए मैं कहूंगा कि आपको टाडा तत्काल समाप्त करना चाहिए, यह एक बात है।

दूसरी बात, इस समुदाय से संबंधित अनेक विषय हैं। केरल, में हमने एक नीति अपनाई है, केरल की जनता ने, केरल की सरकार ने और केरल की हर पार्टी ने यह नीति अपनाई है कि मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय को पिछड़ी जाति माना जाए और उन्हें उनकी जनसंख्या के अनुपात में सरकार में प्रतिनिधित्व दिया गया है, यहां भारत सरकार में इस देश के सबसे बड़े अल्पसंख्यक सुमदाय को क्या प्रतिनिधित्व दिया गया है। यह केन्द्रीय सरकारी सेवा में सबसे निचले स्तर पर केवल 4.4 प्रतिशत है जबकि यह समुदाय, जनता के इस वर्ग का 15 प्रतिशत से अधिक प्रतिनिधित्व है तो सरकार ने ऐसा कोई कदम क्यों नही उठाया है? सेवाओं में, अर्द्ध सरकारी उपक्रमों में और राष्ट्रीयकृत बैंकों में उनका आनुपातिक प्रतिनिधित्व होना चाहिए, डा. मनमोहन सिंह ने कार्यभार संभालने के बाद ही........(**व्यवधान**)

श्री श्रीकान्त जेना (कटक): मंत्रिमंडल में भी उनको आनुपातिक प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए।

श्री ई. अहमद: यह आप पर निर्भर है कि आप ऐसा कहें, मंत्रीमंडल में कुछ सदस्यों के होने पर भी लोगों को संतुष्ट नहीं किया जा सकेगा आपको लोगों के लिए कुछ करना पड़ेगा। श्री जेना, क्या कारण है कि आप सरकारी सेवाओं में अल्पसंख्यकों को आनुपातिक प्रतिनिधित्व देने के मेरे विचार को आप समर्थन नहीं दे रहे हैं।

श्री श्रीकान्त जेना: मैं उस विचार का समर्थक हूँ।

श्री ई. अहमद: आप कह सकते है कि कम से कम न्यायपालिका में उन्हें प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए, परन्तु आपने अभी तक एक ऐसी मांग नहीं की है।

श्री श्रीकान्त जेना: ऐसा हमारी पार्टी की नीति रही है।

श्री ई. अहमद: हालांकि मैं ऐसा कहना नहीं चाहता पर आपकी पार्टी की प्रत्येक राज्य के मामले में अलग-अलग नीति रही है। आपकी उड़ीसा की नीति कर्नाटक के लिए नहीं है और कर्नाटक की नीति बिहार के लिए नहीं है।

श्री मणि शंकर अय्यर: श्रीमान् अहमद, आप गलती पर हैं, उनकी उड़ीसा के मामले में दो नीतियां हैं। एक बीजू पटनायक की नीति है और दूसरी श्रीकान्त जेना की नीति।

श्री श्रीकान्त जेना: यह पूर्णतया गलत है। हमारी एक ही नीति है और हम उस नीति को सब जगह समान रूप से लागू कर रहे हैं।

श्री ई. अहमद: इसलिए, महोदय, मैं इस सभा के समक्ष कहना चाहता हूं कि अल्पसंख्यकों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सरकारी सेवाओं में प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। एक महत्वपूर्ण बात यह कि भारत के लोग विशेषकर अल्पसंख्यक सरकार से अनुरोध करते हैं कि उन नेताओं के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाए जो इस देश के लोगों के बीच घृणा की भावना पैदा कर रहे हैं इस देश के लोग शान्ति और खुशी चाहते हैं, परन्तु ऐसे भी लोग और स्वयं बने हुए नेता हैं जो एक तरह का विचार फैला रहे हैं जिससे इस देश के लोगों के बीच नफरत पैदा हो रही है। मैं कहूंगा कि इस विचार से कोई असहमत नहीं होगा कि सभी पार्टियों को आपस में बैठकर विचार करना चाहिए और यह देखना चाहिए कि ऐसे लोगों पर नियंत्रण कैसे रखा जा सकता है चाहे वे महाराष्ट्र अथवा उत्तर प्रदेश अथवा आंध्र उत्तर प्रदेश अथवा कहीं और के हों, यही लोग लोगों के बीच घृणा पैदा कर रहे है। इस देश के लोग शान्ति और प्रसन्नता में रहना चाहते हैं इसलिए, महोदय, सरकार को इस दिशा में कुछ ठोस कदम उठाने चाहिएं। सरकार को सिर्फ बातें नहीं करनी चाहिए। उन्हें कुछ करना चाहिए।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: ठीक है, थोड़ा गड़बड़ हो गया है........ **(व्यवाधाय)**

दोनों को प्लेन पकड़ना था इसलिए थोड़ा सा इंबैलेंस हो गया है।

[अनुवाद]

मैं आपको अवसर दूंगा, श्री ई. अहमद ने कुछ भ्रांति पैदा कर दी है।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति जी का जो अभिभाषण है यह वर्ष भर का सरकार का लेखा-जोखा भी है और इसमें उपलब्धियों का जिक्र भी रहता है। इस अभिभाषण को पढ़ने के बाद हम फिर महसूस करते हैं कि राष्ट्र के सामने जो चुनौतियां है उनसे बराबर अपना मन चुराए रहते हैं। इतनी चुनौतियों से यह देश आज घिरा हुआ है और इतनी बीमारियों से हम घिरे हुए हैं। लेकिन राष्ट्रपति जी का जो अभिभाष्ण है वह एक तरह से सरकार का, उनके द्वारा कहा हुआ साल भर का और आने वाले कल का लेखा-जोखा माना जाता है। मैं सोचता हूं कि यह बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत ही अहम चीज है।

महोदय, आज सम्पूर्ण राष्ट्र में इतनी समस्याएं, इतनी तकलीफें होने के बावजूद भी आज जिस हालत में देश है, उसे इतना उदासीन कर दिया है कि सदन को ही देख कर एहसास हो जाता है कि यह सरकार का जो एक वर्ष का लेखा-जोखा है, राष्ट्रपति जी का जो अभिभाषण है उस पर ये जो प्राचीरें हैं वे ही गवाह बन कर खड़ी हैं, यानी इस सदन में जो लोग हैं वे कोई आकाश से आए हुए लोग नहीं हैं वे इस देश के भीतर से ही आए हुए लोग हैं। इस देश के बीच में रहने वाले लोग हैं उन्हें महसूस होता है कि यह जो भाषण है, डिबेट है इससे कोई नतीजा नहीं निकलेगा और जब भी मन में होता है कि नतीजा निकलेगा तो फिर इस सदन में जरूर चहल-पहल होती है। यह जो आज चहल-पहल, सक्रियता, बेचैनी पूरे राष्ट्र में बाहर है वह आज इस सदन में नहीं है और इसलिए सदन में नहीं है कि लोग यह महसूस करते हैं कि आज जो सरकार है वह सरकार अपनी रफ्तार से चलेगी, बदलेगी नहीं। देश की जनता हाथ खड़ा करके कह दे कि तुम्हारी नीतियां और तुम्हारा जो रास्ता है उसके खिलाफ खड़े हो करके, हाथ खड़ा करके कह दे तब भी यह सरकार उठने और जगने के लिए तैयार नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, आज हालत यह है कि इस अभिभाषण पर जो रूची होनी चाहिए वह यहां नहीं है उसके लिए सब दोषी हैं। देश में इस अभिभाषण में जो देश के अंदर सार्वजनिक जीवन है वह लगातार कलंकित हो रहा है, गिर रहा है। ये जो पिछले तीन वर्ष से इस तरह के केस हो रहे हैं जैसे जे.पी.सी. की रिपोर्ट के मुताबिक जो इतने करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, बिजली, पानी, विकास के लिए जो पैसा जमा था उसको सट्टे बाजार में लगा-लगा कर डुबोने का काम किया है। बैंक घोटाला, सिक्युरिटी घोटाला, मतलब यह कि सदन इन घोटालों से जूझता ही रहा । कांग्रेस पार्टी और विरोधी पक्ष गहमा-गहमी करता रहा, चर्चा होती रही, मगर इस विषय पर सरकार की कोई चिंता नजर नहीं आती है । उपाध्यक्ष महोदय, सारा राष्ट्र और जनता महसूस करती है कि आज देश में चारों तरफ लूट-खसोट चल रही है, जिसके हाथ में अधिकार है, वह जनता की खिदमत नहीं कर रहा है। भ्रष्टाचार इतना व्याप्त हो गया है कि अच्छे और सच्चे आदमी पर भी लोग विश्र्वास करने के लिए तैयार नहीं है। अपने सुकून के लिए कोई सच्चाई और ईमानदारी से रह सकता है, लेकिन लोगों का आदर घट गया है, राजनीतिक लोगों की साख गिर गई है। कोई अंदाजा नहीं कर सकता कि एमपीज को टेलीफोन कनेक्शंस और गैस कनेक्शंस की जो सुविधाएं अपने क्षेत्र के लोगों को राहत देने के लिए दी गई, लोग पैसा देकर उन सुविधाओं को ले जाते हैं और यह एक धंधा बन गया है, यह लोगों में आम विश्वास है । जिस तरह से भ्रष्टाचार फैल रहा है, जिससे यह सदन 3 साल से जूझ रहा है, लेकिन इसके प्रति इस अभिभाषण में कोई चिंता या बेचैनी प्रकट नहीं की गई है, जो राष्ट्र की संपत्ति डूबी है, वह कहां गई, किसके यहां चली गई, किसको सजा मिली ? इन चीजों का कोई नतीजा नहीं निकला। देश की जनता का चुनाव में विश्वास है, लोकशाही में विश्वास है, लेकिन यह सर्वोच्च सदन ही जब लाचार हो जाए, बांझ हो जाए, कोई नतीजा न निकले, तो ऐसे लोकतंत्र को लोग कब तक अपनी छाती पर, पीठ पर ढोएंगे, यह एक गंभीर मसला है। इस विषय पर सरकार कुछ नहीं बोलती।

उपाध्यक्ष महोदय, सरकार नई आर्थिक नीति का, ग्लोबोलाइजेशन का ढोल पीटती है, सरकार कहती है कि हमारा विदेशी मुद्रा का भंडार लबालब है, लेकिन सब जानते है कि कैसे यह भंडार भर गया है। कहते हैं कि औद्योगिक विकास हुआ है, हमारी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत हो गई है, जैसे पहले कभी नहीं थी। मनमोहन सिंह जी कहते है, सरकारी रेडियो और टेलीविजन रोज चिल्ला रहा है

कि महंगाई घट गई है, थोक मूल्य सूचकांक घट गया है, लेकिन इस बात पर देश की जनता विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है, मानने के लिए तैयार नही है। इन बातों को मानने में कोई दिक्कत नहीं होती यदि इनमें कोई सच्चाई या हकीकत होती और जनता इन बातों को महसूस करती ।

सरकार कह रही है कि राष्ट्र आगे जा रहा है, महंगाई घट रही है, अन्न के भंडार लबालब हैं और विकास जोरों से चल रहा हैं। आजादी आने के बाद महात्मा जी ने कहा था कि मैं बड़ा अर्थशास्त्री नहीं हूं, लेकिन मैं बड़े से बड़े अर्थशास्त्री से ज्यादा महसूस करता हूं कि इस देश में समस्या क्या है, उसका कारण क्या है और उसका निदान क्या है। बहुत ज्यादा किताब में मत जाना, भाषा के दाव-पेंच में न फंसना। यदि दिल्ली, लखनऊ, अहमदाबाद की सरकारें कहें कि हमने यह कर दिया, वह कर दिया, समाजवाद धरती पर उतार दिया तो उनकी बात को न सुनना। हिन्दुस्तान में बनिहार होता है, रोज की मजदूरी करने वाला। देश में हर किलोमीटर पर वह आपको मिल जायेगा। याद रखना सरकार जो कह रही है, जो रोज की मजदूरी करके पेट भरता है, उसकी जिंदगी में फर्क नहीं देखो तो सोच लेना दिल्ली, लखनऊ और अहमदाबाद की सरकारें गलत बोल रही हैं। उसी दिन से उस राज को पलटने के लिए अपनी जान की बाज़ी लगाना और अपनी पूरी ताकत को लगाकर उस झूठे राज को मिटाना और सचाई को धरती पर लाना। हिन्दुस्तान में बसी ज्यादा आबादी इसी वर्ग के लोगों की है। वह हर जगह बसता है और सारी जगहों पर नजर आयेगा।

श्री मणि शंकर अय्यर : पटना की सरकार को भी उन्होंने क्या छूट दे दी ?

श्री शरद यादव: आप ठीक कह रहे हैं। मणि शंकरजी, देश गरीब है। इस दुनिया में सबसे ज्यादा लाचार, बेबस और बेकार लोग इसी देश में हैं। अंधे और कोढ़ी भी सबसे ज्यादा इसी देश में हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा इतिहास में लातें खाने वाले, पराजय का मुंह देखने वाले भी हमीं हैं। इस देश में जहां ब्रिटिश हुकूमत का लम्बा राज रहा वह क्षेत्र उड़ीसा, बंगाल और बिहार का तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश का था। हम तो पांच वर्ष से राज कर रहे हैं। आपने तो वहां 40 साल राज किया है। अगर हमने गुनाह किया है तो उसके हिसाब से हम सजा भुगतने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपकी सजा कितनी होगी, यह आप बतायें ? आपने ही आठ पंचवर्षीय योजनायें बनाई हैं और ढोई हैं। देश की आजादी की लड़ाई लड़ने वालों ने देश की समृद्धि का रास्ता इसी पंचवर्षीय योजना के माध्यम से देखा था। विचार करिये अपने देश का प्रधान मंत्री अमेरिका में जाता है, किसी भी दल का हो, यह अफसोस की बात नहीं है, लेकिन जब वह अमेरीका जाता है तो वहां के मीडिया, अखबारों में उसको पहले सफे पर दो लाइनें भी नहीं मिलती हैं। चीन का छोटा सा मंत्री भी अगर वहां जाये तो पूरा अमेरिका हिल जाता है । यह हालत है। इसलिए यह हालत है कि देश में गरीब, लाचार और बेबस लोग बहुत हैं। आपने जिस छल और प्रपंच से देश का बखान किया है, इस सदन के माध्यम से ऐसी बातें कहीं हैं जो लोगों की समझ में नहीं आती हैं। मैं भी मंत्री रह चुका हूं, मुझे भी काफी कुछ मालूम है। किसी अर्थशास्त्री से पूछो तो वह गलत ही बोलेगा, मिथ्या बोलेगा। लेकिन इस देश का अंगूठा टेक आदमी आपको सही बात और सही हालत बता देगा। हमारा देश मुख्यत: खेती और दस्तकारी पर निर्भर है। यह दोनों ही क्षेत्र बेहद कमजोर हैं और तकलीफ में हैं। खेती हमारी मौसम और पानी पर ही निर्भर है। आप लोक गीतों को उठाकर देखें सबमें सिर्फ बादल, पानी और मौसम की ही बात मिलेगी। जहां आपने खेत में पानी पहुंचाया वहां के लोगों की जिंदगी में फर्क आया है। जगदलपुरा में चले जाइये, उड़ीसा, बिहार के इलाकों में चले जाइये। एक मजदूर को 5 रुपये मिलता है और जहां पर पानी खेत को जोड़ता है वहां पर मजदूर को 60-70 रुपये मिलते हैं। तो जहां एक खेत में पानी जुड़ गया है वहां पर रोजगार में और जिन्दी में फर्क आ गया है। वहां के आदमी के चेहरे पर रौनक आयी है। दूसरा धंधा दस्तकारी का है इसमें लिखा हुआ है लेकिन महात्मा जी खादी का काम नहीं करते थे। हमारे देश में एक ही दस्तकार हुआ है जिसका कोई धर्म, मजहब या जाति नहीं थी। उसका नाम कबीर था। वह न मुसलमान था और न हिन्दू था। सब लोग इस बात का पता लगाते रहे लेकिन किसी को कामयाबी नहीं मिली । उसने जितने गीत लिखे सब दस्तकारी के जरिये ही लिखे।

पाथर पूजें हरि मिले तो मैं पूजूं पहार,
तासे तो चक्की भली, पीस खाय संसार॥

मेहनत और श्रम पर कबीर जी ने बहुत कुछ लिखा है। हमारे देश में दस्तकारी नं. दो पर था और जब हमारा दस्तकार विश्व में अपनी पकड़ बनाये हुये था तभी सात समन्दर पार से लोग यहां आये। चूंकि मशीन उसको मार नहीं रही थीं, इसलिये हमारा हिन्दुस्तान गुलाम हो गया । हम लोग यहां पर खड़े होकर मोरारजी को श्रद्धाजलि दे रहे थे कि वे गांधीवादी थे। हम ढोंग में थे क्योंकि गांधी कोई भगवान नहीं था या गांधी कोई भजन नहीं है। हमने उसे पार्लियामेंट के सामने बिठला दिया। हमारा यह पाखंड हमारे देश को बर्बाद कर देगा और यह देश बर्बाद होता रहता है। प्रतापसिंह कैरों कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे उन्होंने सारा पैसा सिंचाई के लिये पंचवर्षीय योजना का ले लिया आज हरियणा और पंजाब के लोगों के चेहरे रौनक वाले इसीलिये हुये हैं। आज वहां के आदमी की लम्बाई बढ़ गयी है। जिसके गांव में सड़क, बिजली और खेत में पानी चला गया हो, वे ही पनपे हैं। आपने तो खेतों के लिये कुछ भी नहीं किया। आप कहते हैं कि हमारे यहां पर अनाज के भंडार लबालब हैं। यहां कैसा दुर्भाग्य है कि स्कीमें अनाउंस की जाती हैं कि गरीब आदमी को दो रुपये किलो चावल देंगे लेकिन दुनिया की व्यवस्था और इस देश की व्यवस्था इतनी क्रूर है कि धरती ने हमें जीने के लिये अनाज दिया, सब कुछ दिया लेकिन हम उस अनाज को खा नहीं सकते हैं और वह सड़ जाता है हम ऐसी विश्वव्यवस्था में फंस गये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे प्रधानमंत्री जब अमेरीका जाते हैं तो उनकी बात को वहां के समाचार पत्र पहले सफे पर दो लाईन नहीं देते हैं। हमारा राष्ट्र कमजोर होगा उसमें चाहे प्रधानमंत्री कांग्रेस का हो या विपक्ष का हो, वह इज्जत नहीं पा सकता है। यदि हमारे यहां पर गौर्बाचेफ आता है तो अपनी मातृभाषा बोलता है लेकिन अपने यहां के सभी आदमी अंग्रेजी बोलते हैं । हम भाषा के मामले में गांधीजी, मोरारजी का नाम लेते है लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि दुनिया में कोई भी विचार क्रिएटिव ट्रांस्लेशन से पैदा नहीं होता है, वह शिक्षा और अनुभव से पैदा होता है। खेत में जो काम करता है, जो सब्जी उगाता है, उसकी

विद्या है। यह ज्ञान नहीं है। मैंने कहा कि इस देश का एक बड़ा कवि हमारे इलाके में हुआ और इस देश के किसी विज्ञान से ज्यादा उसकी कविता में सोच और विज्ञान का अहसास आपको होगा।

उपाध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूं कि हमने खेत के बारे में, गरीब के बारे में, खेती के बारे में, जो इस देश में बनिहार है, डेली वेजर्स हैं, उनके बारे में नहीं सोचा है। हम कह रहे है कि हमारा अनाज भंडार भरा हुआ है। इसके बावजूद भी लोग भूखे सो रहे हैं। इसका मतलब यह है कि कहीं गड़बड़ है। हमने विश्व में ऐसा जाल बनाया हुआ है कि हमारे यहां जो नयी आर्थिक नीति आने वाली है वह बहुत रोजगार पैदा करने वाली है। बेकारी और बेरोज़गारी की हमारे देश में क्या हालत है यह आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। चाहे श्रम करने वाला हो, चाहे रचना करने वाला हो, चाहे मिट्टी तोड़ने वाला हो, चाहे खेत-खलिहान में काम करने वाला हो चाहे कलम से काम करने वाला हो, सारे लोग बेकारी की हालत में काम करते हैं। आप कहते हैं कि कानून-व्यवस्था से यह ठीक होगा।

उपाध्यक्ष जी, हमारी विदेश नीति का हाल यह है कि रूस के टूटने के वाद हम संकट में हैं। अमेरिका की जरा सी टेढ़ी नज़र हमारी पतलून खराब कर देती है। यह सिद्ध करता है कि हम कितने कमजोर हैं। दूसरी ओर ईरान को देखिये। वहां के महामहिम राष्ट्रपति आते हैं तो मैं सोचता हूं कि बहुत दिनों बाद एक शानदार आदमी हमारे देश में आया ईरान मुल्क की बहादुर और मजबूत है और बहादुरी से बोलने वाला आदमी यहां आया और उन्होंने बहुत अच्छी बातें कहीं। हमारी जो परंपराएं है और हमारे देश में जो सेक्यूलरिज्म की आस्थाएं हैं, उन्होंने कहां कि हमें इस पर गर्व है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान, हिन्दुस्तान और बंग्लादेश का एक महासंघ बनना चाहिए। स्वर्गीय डा. लोहिया कहा करते थे कि यह बंटवारा हमें जीने नहीं देगा। आज अगर पता लगाएं कि तीनों देशों में युद्ध और सुरक्षा पर कितना खर्च होता है तो आपको पता चल जाएगा कि यहां इतनी गरीबी और बेकारी क्यों है। रूस टूट गया तो हमें कुछ रास्ता नहीं सूझ रहा था। नोन अलाइनमेंट के लिए 45 साल तक अरबों रुपया इस देश का बहा दिया गया। हमने दुनिया भर में जाकर कितनी सभाएं की। पता नहीं चल रहा कि वह नोन अलाइनमेंट कहां गुम हो गया है। हमारी विदेश नीति पूरी तरह से बांझ है। आजादी के इतने वर्ष बाद भी हमने कमेरा वर्ग के बारे में कुछ नहीं सोचा है। इस देश में सांप्रदायिकता की बीमारी का ठोस जवाब क्या है उस पर कोई संकेत इस अभिभाषण में नहीं है। इस देश में जो जाति-व्यवस्था है, उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है। बिहार में चुनाव हुए तो पूरे देश में पढ़े-लिखे वर्ग ने ऐसा वातावरण बनाया कि जैसे बिहार में आदमी नहीं रहते हैं। चुनाव सुधार की बात हो रही है। अगर पूरे देश के लिए चुनाव सुधार का बिल नहीं आता तो उस पर कोई जिक्र नहीं है। चुनाव सुधार के बारे में सभी पार्टियों ने अपनी रिपोर्ट दे दी और गोस्वामी रिपोर्ट भी वैसे ही रखी हुई है। गरीबों के इलाकों में ही इलेक्शन के लिए बूथ रखवा दें तो लोकतंत्र और लोकशाही में बड़ा चुनाव सुधार हो सकता है। लेकिन हम लोग ऐसा करने को तैयार नही हैं। इस देश की जाति व्यवस्था से ही सारी बीमारी निकली हुई है। हम इस पर भी सच्चाई से बात करने को तैयार नहीं हैं। हर कोई कहता है कि जाति व्यवस्था ठीक नहीं है मगर खुद भी उसमें फंसा हुआ है।

और मैं उनको दोष नहीं देता । जाति व्यवस्था हजारों वर्षों से है। इसकी अच्छाई-बुराई पर सच्चाई से बहस तो होनी चाहिए किन्तु पूरे देश में ढोंग कर रहे हैं कि जाति-पाति नहीं होनी चाहिए और जाति में बने भी रहते हैं। सामाजिक नीति के बारे में कोई रास्ता निकालना चाहिए लेकिन इसके बारे में ठीक से सोच ही नहीं पाते कि क्या करना है। समाज नीति इसलिए थी क्योंकि बाबा साहब और गांधीजी के बीच करार था और आरक्षण का सवाल इसलिए था कि देश में समझदारी के साथ आरक्षण करके हिन्दुस्तान की जातियों को इकट्ठा करने का काम करना था। लेकिन जाति व्यवस्था पर या कास्ट सिस्टम पर इस सदन में कभी बहस नहीं हुई। कोई यह सोचने को तैयार नहीं कि हिन्दुस्तान में जो मुसलमान बसे हुए हैं। या इस देश में जो लोग बसे हुए हैं वे यह फैसला करके बसे हुए है कि हमें यहीं बसना है। नौकरियों में उनकी सब जगह कम संख्या क्यों है? हम ने कभी इस पर गंभीरता से विचार नहीं किया कि इस देश में जो 90 प्रतिशत लोग प्रोडक्शन करते हैं, मेहनत करते है, पसीना बहाते हैं, दौलत पैदा करते हैं उनकी इस देश को चलाने में कितनी भागीदारी है? हमने स्कूल अलग खोल लिए, हमने यात्रा करने के रास्ते अलग खोल लिए, हमने मुट्ठी भर ऐसी दुनिया बना ली है जो बीसवीं सदी में जी रही है और ऐसे मुट्ठी भर लोगों के लिए दुनियां भर के बाजार खुल गए हैं और ये लोग चालाकी से, दांव से पूरी दुनिया भर को अपनी लपेट में लिए हुए हैं। कर्नल साहब से मिलेंगे तो वे लगातार कोशिश करेंगे, बतायेंगे कि इसमें बिलकुल दिक्कत नहीं, कोई हर्ज़ नहीं, उनकी मजबूरी मैं जानता हूं। वह उस सरकार के मंत्री हैं, उस भारत राष्ट्र के मंत्री हैं जो भारत राष्ट्र गरीबी, बेरोजगारी और भूख से इतना अपाहिज है कि इसमें कहीं कोई काम चलता नहीं है। मैं यह बात नहीं कह रहा हूं कि हम लोग पहुंच जायेंगे तो यह दूर हो जायेगी लेकिन सच्चाई से मुल्क को चलाने का कभी न कभी, कोई न कोई संकल्प लेकर खड़ा होना होगा।

उपाध्यक्ष जी, जाति व्यवस्था व समाज नीति पर इस सदन में ठीक ढंग से कभी विचार नहीं किया गया। आरक्षण के सवाल पर काबलियत का बहुत जिक्र होता है। दुनिया में यही तरीका चला हुआ है कि प्रोपर्टी राइट क्या है, साइंस में, टेक्नोलॉजी में, क्रिएटिविटी में आगे चले गये हैं वे अब सब चीज को पैटेंट करना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष जी, मैं कह रहा था कि जो कमजोर हैं, पिछड़े लोग हैं उनको उठाने का काम करना चाहिए लेकिन जब कहते हैं कि इन गरीब लोगों को उठायेंगे तो पूरे देश में इन लोगों के खिलाफ गाली-गलौच, नफरत का वातावरण पैदा किया जाता है। कोई अंग ऐसा नहीं है जो टूटा हुआ नहीं है, जहां जाते हैं पत्थर फैंके जाते हैं, टांग तोड़ी जाती है, कुछ कर दिया जाता है। हम देखते हैं कि सदन में जो भाषण कर रहे हैं वह भी जाति के अनुसार छपता है। इस पर ठीक से बहस हो जाये तो पता चल जाये। मैं मानता हूं कि जाति है और इसमें गलत भी क्या है, हजारों वर्षों से बेटी देने, रोटी देने व जन्म-मरण में जाति ही काम आती है तो आप कैसे कह सकते हैं कि उसका सेंटिमेंट नहीं रहेगा। अगर हम इस जाति व्यवस्था का निदान नहीं पायेंगे तो किसी समस्या का निदान होना बहुत कठिन है। समाज नीति पर कोई काम नहीं, कोई संकल्प नहीं तो फिर यह कैसे मिटे? मैं कहता हूं कि 50 वर्ष में हमने अन्तर्जातीय विवाह करने वाले लोगों को

नौकरियां दी होतीं, नौकरी बहुत बड़ी चीज है चाहे वह चपरासी की हो, सिपाही की हो या कलक्टर या कप्तान की हो, तो इस समस्या का कुछ हल निकलता । इस देश में जाति की मार से जो तकलीफ होगी उसकी सुरक्षा की कोई गारण्टी कर देते तो जाति के टूटने और मिटने का सवाल उठता ।

मैं जाति-पाति की बात नहीं करता लेकिन इस देश में ऊंची जाति के 6-6 मुख्यमंत्री हो जायें तो कोई जूं नही रेंगती लेकिन गरीब लोगों में से कोई आदमी यदि कहीं बैठ जाये तो लोगों को नींद नहीं आती है और इसलिए नहीं आती कि हजारों साल से हमने समाज को इसी तरह का कर रखा है।

विचार बदल जाता है लेकिन संस्कार नहीं बदलते हैं। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि अभिभाषण में जातिवाद और समाज-नीति का कहीं कोई जिक्र नहीं है।

टाडा के बारे में हमने कितना चिल्लाया, आज हिन्दुस्तान में कितने लोग इसकी वजह से परेशान हैं, तंग हैं और मैं ऐसा महसूस करता हूं कि अकलियत के भाई इसके ज्यादा शिकार हैं। आज उन्हें ऐसा महसूस होता है कि पता नहीं सुबह या शाम कब मौत उनके घर में दाखिल हो जाये, उनमें भारी दहशत है और ऊपर से आपका टाडा कानून है। आपने कहा कि कई जगह बहुत गड़बड़ है, मैं स्वयं निश्चित तौर से मानता हूं कि कई जगह ऐसी स्थिति है जिससे राष्ट्र के टूटने का खतरा है और वहां ऐसे कानून की जरूरत है। जब आप इस कानून को यहां लाये थे तो आपने खुद यही बात कही थी कि हम इसे वहां लागू करेंगे जहां इसकी आवश्यकता है, जहां गड़बड़ है, जहां राष्ट्र को खतरा है लेकिन उसके स्थान पर आज जहां राष्ट्र को कोई खतरा नहीं है, वहां राजनैतिक कार्यकर्ताओं को ज्यादा संख्या में पकड़ा जा रहा है और अकलियत के भाईयों की संख्या सबसे ज्यादा है, मुसलमान भाईयों की संख्या उनमें सबसे ज्यादा है, आज उनके मन में जो कष्ट है, पीड़ा है, क्या हम उसे दूर नहीं करेंगे। हिन्दुस्तान की आजादी बचाने के लिये इतने लोगों ने जान नहीं गवाई, क्योंकि हमारे लोग अजीब हैं, जितने लोग आपसी दंगों के कारण, एक दूसरे के खिलाफ लड़कर मरे, युद्ध में मरने वालों से उनकी संख्या करीब 20 गुना ज्यादा है। बड़ी अजीब स्थिति इस देश में है। हम आपस में कटकर मरने को तैयार हैं लेकिन जब राष्ट्र पर कोई खतरा आये तो मरने के लिये तैयार नहीं हैं। उसी तरह हमारे टाडा कानून की स्थिति है। टाडा के प्रयोग में भी फर्क है क्योंकि बाल ठाकरे जब बोलते हैं तो हिन्दुस्तान का कोई कानून उन पर लागू नहीं होता जबकि कोई एक छोटा सा आदमी कहीं गड़बड़ करता है............ **(व्यवधान)** हां, मोहन रावले यदि कुछ कहेंगे तो उनको पकड़ लेंगे।

मैं, कहना चाहता हूं कि जब तक कानून के हाथ बराबर नहीं होंगे, एक जगह लम्बे दिखायी देंगे और दूसरी जगह छोटे दिखाई देंगे, जब संजय दत्त पर हाथ डालते हैं तो कानून के हाथ लम्बे होते हैं और बाल ठाकरे पर हाथ डालते हैं तो कानून के हाथ छोटे होते हैं, छोटे ही नहीं बल्कि पीछे हो जाते हैं, यह फर्क मुल्क को बनाने में मदद नहीं करेगा बल्कि इससे मुल्क के लोगों का मन टूट जाता है। इसलिये मैं चाहता हूं कि टाडा को आप स्क्रैप कर दीजिये। क्या उन राज्यों में कानून और व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं चल रही है जहां टाडा का प्रयोग नहीं हुआ, जहां एक भी आदमी को टाडा में बंद नहीं किया गया लेकिन कुछ राज्य आज टाडा के बगैर चलने को तैयार नहीं हैं। कई सरकार के मंत्री और इनकी पार्टी के एक भाग के माननीय सदस्य मानते हैं कि टाडा में जो कुछ हो रहा है, वह नहीं होना चाहिये, लेकिन कुछ लोग तो उसका समर्थन करते हैं। मैं खुद साढ़े चार साल तक मीसा में बंद रहा हूं और इसकी तकलीफ और दर्द को अच्छी तरह जानता हूं क्योंकि कोई सुनता ही नहीं। इसके लिये जो बोर्ड बनाया जाता है, वह भी गुलाम सरकार का बनाया होता है। मैं इंजीनियरिंग कालेज में पढ़ा हूं, एक इंजीनियर हूं और मैं हमेशा एक नम्बर पर रहा हूं, कभी दो नम्बर पर नहीं रहा लेकिन साढ़े चार साल तक मुझे भी इस कानून के अंतर्गत जीना पड़ा है इसलिए इसके दर्द को मैं महसूस करता हूं, मैंने भोगा है। मैं यह भी जानता हूं कि एमर्जेंसी में कई लोगों ने दो साल काटे और कुछ लोग माफी मांग कर बाहर आ गये और आज हमारे सामने बहादुरी दिखा रहे हैं, बहादुर बन रहे हैं। मेरा मत है कि इस तरह देश बन नहीं सकता, मजबूत नहीं हो सकता और अभिभाषण में इसका कोई जिक्र नहीं आया है।

जिस तरह हम लोग घरों में दिवाली मनाते हैं, होली मनाते हैं, दिवाली पर जब लक्ष्मी की पूजा की जाती है, वैसे लक्ष्मी गरीबों के घर में कभी आयी -ही नहीं, फिर भी घर की महिलायें सूप उठाकर कहती हैं। दलिद्दर भागो, लक्ष्मी आओ-वही सूप आज भी चलता आ रहा है और वैसी ही स्थिति इस सरकार की है, बिल्कुल यही काम है। देश भर में गरीब मां बहनें और बेटियां हजारों सालों से गरीबी भोग रही हैं। लेकिन वह क्या कह रही है? जब वह पूजा करके खड़ी होगी तो कहेगी क लक्ष्मी आओ दरिद्रता भगाओ लेकन दरिद्रता कभी भागती नहीं है। दरिद्रता हर घर में घुस आती है। माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं अंत में इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि यह पहला अभिभाषण है जिसमें मैं बोला। मैं मानता हूं कि मैं थोड़ा वक्त के अनुसार नहीं बोला लेकिन मुझे तकलीफ और अफसोस है कि इस बहस को हम जीवंत नहीं बना पाये। यह जो सदन है वह टुकड़े-टुकड़े कर दिया गया है, बांट दिया गया है। मैं इस अभिभाषण में यह भी कहना चाहता हूं कि यह सदन सब खराबियों के बावजूद भी पूरे देश में सबसे ज्यादा बेहतर और बढ़िया सदन है लेकिन इसकी बहस मर गयी है, लोगों में उदासीनता आ गयी है। जब यह सदन लगातार चलता है तो इसमें रंग भर आता है, लोगों की इसमें तबीयत लगती है। जब हम चले जाते हैं तो फिर कई तरह की दिक्कतों में फंसकर हमारा माथा खराब हो जाता है। यह जो स्टैंडिंग कमेटियां है, उनको कोई भी धर्म नहीं मानता। जे. पी. सी. को जब कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं तो फिर इन स्टैंडिंग कमेटियों को कौन मानने के लिए तैयार होगा? इस सदन में गड़बड़ करना मुश्किल है क्योंकि ऊपर भी लोग बैठे हैं और नीचे भी। इसमें बोला जा रहा एक-एक शब्द नोट हो रहा है इसलिए यहां गड़बड़ चलती नहीं है। इससे ज्यादा ताकतवर जगह और कहीं नहीं है। इस ताकतवर जगह को कमजोर करने का जो काम हुआ है, वह बदनीयती से नहीं हुआ है। यह काम सद्इच्छा से हुआ है। यह सदन ऐसे लगता है जैसे इसमें उदासी छा गयी है, जैसे मय्यत में लोग बैठे हैं। आपने जो सदन को बांटा है, वह ठीक नहीं है। मैं स्वामी जी की बात मान लेता हूं कि यह बड़ी जबर्दस्त जगह है। इसका मान-सम्मान है लेकिन लगता है कि यहां उदासी छा गयी है। इसका सबसे बड़ा कारण

सदन का बंटवारा है। जो स्टैंडिंग कमेटियां हैं, पहले हम भी इन कमेटियों में माथा मारा करते थे लेकिन अब हम समझ गये हैं कि वहां केवल भाषण शुरू करके और नाश्ता करके चले आने के सिवा और कोई काम नहीं है।

उपाध्यक्ष जी, मेरा आपसे कहने का मतलब यह है कि सदन का और राष्ट्रपति जी का जो अभिभाषण है, उसके बारे में मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि तुम अपना बाजा खुद बजाकर खुद नाच सकते हो कि हमने मुल्क बहुत बढ़िया बना दिया है लेकिन देश गरीबी, भूख, बेकारी, गुरबत, कानून-व्यवस्था व नई-नई समस्याओं व बीमारियों से भरता जा रहा है। आजादी की उम्र जितनी बढ़ रही है उतना ही समस्याओं का विस्तार होता जा रहा है। महामहिम जी का जो अभिभाषण है, उस पर मैं बधाई देता तो मुझे कष्ट होता लेकिन यह सारी सरकार के द्वारा पढ़ायी हुई चीज है, उनका लेखा जोखा ही उनके विचारों में रखा है। मैं इसका सम्पूर्ण तौर पर विरोध करता हूं । मैं इस अभिभाषण को केवल रस्म अदायगी ही मानता हूं । आपकी जो आर्थिक नीति है, वह देश को बरबाद कर रही है। इस नीति का नतीजा यह हुआ कि जो देशी उद्योग हैं, उसमें से 10 लाख लोगों को बाहर निकाल दिया गया है।

उपाध्यक्ष जी, इस अभिभाषण पर धन्यवाद देने के लिए मेरा मन नहीं है इसलिए मैं इसका अपनी पूरी शक्ति से व अपनी पार्टी की तरफ से विरोध करता हूं। आपने मुझे जो समय दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री के. प्रधानी (नवरंगपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं 13.2.1995 को संयुक्त रूप से समवेत संसद की दोनों सभा के समक्ष दिए गए राष्ट्रपति के अभिभाषण पर 25 अप्रैल, 1995 को श्री मणि शंकर अय्यर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। हमारी सरकार की नई आर्थिक नीति और अन्य नीतियों के अच्छे परिणाम निकले हैं। विश्व में जिन देशों की अर्थव्यवस्था तेजी के साथ विकसित हो रही है उनमें भारत भी एक है।

देश में कानून तथा व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण में है, हाल के चुनावों ने यह सिद्ध कर दिया है कि चुनाव शान्तिपूर्ण ढ़ग से संपन्न हुए हैं। केवल बिहार में ही कुछ घटनाएं हुई हैं और सरकार अलगाववादी और साम्प्रदायिक ताकतों जो हमारी एकता और अखंडता के लिए खतरा बने हुए हैं, के मामले में सतर्क है । वह उनके विरुद्ध पर्याप्त कार्यवाही कर रही है।

महोदय, हमारा सकल घरेलू उत्पादन पिछले वर्ष के 4.3 प्रतिशत की तुलना में बढ़कर 5.3 प्रतिशत हो गया है, औद्योगिक उत्पादन में 8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, विदेशी मुद्रा का भंडार 15.1 बिलियन डालर से बढ़कर 19 बिलियन डालर हो गया है। आयात भी 16.9 प्रतिशत से बढ़कर 23.3 प्रतिशत हो गया है जो डालरों में है।

कृषि उत्पादन पिछले वर्ष 182 मिलियन टन से बढ़कर इस वर्ष 185 मिलियन टन हो गया है, 2.77 मिलियन हेक्टेयर में सिंचाई सुविधाएं प्रदान की गई हैं जिसमें इसका कुल क्षेत्र बढ़कर 87.82 मिलियन हेक्टेयर हो गया है।

महोदय, अब में ग्रामीण विकास मंत्रालय पर आता हूं जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की देखभाल करता है, हमारे देश में 80 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और करोड़ों लोगों के पास रोजगार नहीं है तथा उनमें भुखमरी व्याप्त है, मंत्रालय उन लोगों को खाना और कपड़े दे रहा है जिनमें भुखमरी है और जो अपने परिवारों का पालन-पोषण करने में कठिनाई का अनुभव कर रहे हैं, आप इस तथ्य से अवगत हैं कि वास्तव में ग्रामीण विकास के लिए 7010 करोड़ रुपये, इ. ए. एस. और जवाहर रोजगार योजना के लिए 5055 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। यह योजनाएं हमारे देश के सबसे अधिक पिछड़े 2275 ब्लाकों में चल रही हैं, इसके अतिरिक्त 120 सर्वाधिक पिछड़े जिलों में गहन जवाहर रोजगार योजना चल रही है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय का एक अन्य मुख्य और महत्वपूर्ण विषय पंचायती राज है, महोदय, हमने 73वां और 74वां संविधान (संशोधन) अधिनियम पारित किया है जिनमें समूचे देश में पंचायती राज और नगरपालिका की व्यवस्था करने का प्रावधान है इससे राज्य सरकारों पर जिम्मेदारी आ जाती है कि वे नियमित रूप से इसके लिए चुनाव करायें और पंचायतों अर्थात जिला, मध्यवर्ती तथा ग्राम पंचायतों में प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियां विकेन्द्रित करें।

महोदय, अनुच्छेद 243(ड) अनुसूची क्षेत्रों में पंचायतीराज व्यवस्था का विस्तार न करने के राज्य सरकारों के अधिकार पर रोक लगाता है, इसी तरह अनुच्छेद 243(य) अनुसूची क्षेत्रों में नगरपालिका का विस्तार न करने के राज्य सरकारों के अधिकार पर रोक लगाता है, अब अधिकांश राज्यों ने संविधान (73वां संशोधन) अधिनियम और (74वां संशोधन) अधिनियम के अनुसार अपने पंचायती राज अधिनियम बनाए हैं, कुछ राज्यों ने पंचायतीराज के लिए चुनाव करवाने पहले ही आरम्भ कर दिए हैं।

अब, जब अनुच्छेद 243 (ड) ग्रामीण और अनुसूची क्षेत्रों में इस अधिनियम का विस्तार करने के लिए राज्य सरकारों पर रोक लगाता है तो यदि संसद इसका विस्तार उन अनुसूची क्षेत्रों में नहीं करता है तो इससे रिक्तता उत्पन्न होगी। अनुसूची 243(ड) 4(ख) के अनुसार संविधान संसद को प्राधिकृत करता है कि वह इस पंचायती राज अधिनियम को अनुसूची क्षेत्रों में लागू करे। यह केन्द्रीय सरकार और संसद की जिम्मेदारी है कि वे इसमें जोड़ करके अथवा परिवर्तन करके अनुसूची क्षेत्रों में लागू करे, अनुच्छेद 243 में उल्लिखित सामान्य पंचायती राज अधिनियम सामान्य है और अनुसूची क्षेत्रों के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी लागू होता है।

सरकार, योजना आयोग और योजना आयोग द्वारा नियुक्त कृतिक बल ने यह कहा है कि सरकार के लिए अब समय आ गया है कि वह शान्ति और अच्छी सरकार लाने पर विचार करे। पांचवीं अनुसूची, भाग 5(i) और (ii) यह कहा गया है कि शान्ति और अच्छी सरकार के लिए अनुसूची क्षेत्रों वाले किसी राज्य

की सरकार जनजाति परामर्शदात्ती परिषद के साथ सलाह मशविरा करके विनियम बना सकती है और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन- जातियों के कल्याण के लिए अनुमोदन हेतु उसे राष्ट्रपति के पास भेज सकती है।

नगरपालिका के संबंध में भी संसद अधिनियम में परिवर्धन और परिवर्तन करके उसे अनुसूची क्षेत्रों में लागू कर सकती है जो अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु उपयुक्त हैं। इसलिए, मेरा भारत सरकार से हार्दिक अनुरोध है कि वह रिक्तता को भरने के लिए यथासंभव एक विधेयक लाए और पंचायतराज अधिनियम को अनुसूची क्षेत्र में लागू करे जिससे विशेषकर जनजाति क्षेत्र में रहने वाले लोग लाभान्वित हो सकें और वे अपना स्वशासन स्थापित कर सकें जिसमें उनका उचित प्रतिनिधित्व हो और उनकी मदद के लिए शक्ति का विकेन्द्रीयकरण हो सके .... **(व्यवधान)**

प्रो. वेंकटेस्वरलु उम्मारेड्डि (तेनाली) : महोदय, तेलुगु देशम पार्टी को अब तक कोई अवसर नहीं दिया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अगली बार बोलेंगे।

[हिन्दी]

श्री चिन्मयानन्द स्वामी (बदायूं) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर माननीय श्री अय्यर जी द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर जो एक महत्वपूर्ण चर्चा है, उस पर मुझे बोलने का अवसर दिया है, उसमें मुझे सम्मिलित किया है।

मैं अपने को भाग्यशाली समझता, यदि यह अभिभाषण एक सरकारी रपट की तरह न होकर देश की समस्याओं का, देश की परिस्थितियों का, देश के सामने जो चुनौतियां हैं, उनका एक दर्पण बनकर सामने आता। उसमें सभी सरकारें, सभी राजनैतिक दल और राष्ट्र के सभी नागरिक अपने-अपने चेहरे ठीक ढंग से देख पाते । उनमें क्या कमियां हैं, उनको दूर करने के बारे में सोच पाता उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं, उनको समझ पाते तो शायद इस रपट पर, इस अभिभाषण पर रपट जैसी प्रतिक्रिया न होती और इसमें किन्तु परन्तु न जुड़ता और यह सदन सर्वसम्मति से इस धन्यवाद प्रस्ताव का स्वागत करता, उसके प्रति आदर व्यक्त करता।

राष्ट्रपति जी के प्रति हमारे जैसे साधारण व्यक्ति के मन में एक आस्था और आदर का होना स्वाभाविक है, लेकिन राष्ट्रपति जी के अभिभाषण की चर्चा किन्तु परन्तु से जुड़ जाये, किन्तु परन्तु से प्रभावित हो जाये, यह राष्ट्र के लिए कोई सम्मानजनक बात नहीं है।

मैं यह कहते हुए सदन से यह अपेक्षा करना चाहता हूं कि सरकार भविष्य में राष्ट्रपति जी के अभिभाषण को व्यापक बनाये और देश की सभी समस्याओं को, सभी वर्गों के लोगों के दर्द को, उनकी पीड़ा को, उनकी कठिनाइयों को और जो उनके सामने चुनौतियां हैं, उन सब को सम्मिलित करें जिससे सभी लोगों को इस अभिभाषण के प्रति उत्सुकता हो, जिज्ञासा हो कि महामहिम राष्ट्रपति जी क्या कहने जा रहे हैं और उससे हम को क्या मिल रहा है?

अभिभाषण पर विस्तार से चर्चा हो चुकी है। हमारे विद्वान सांसद माननीय अय्यर जी अपनी प्रतिभा से गलत बातों को सही साबित करने में सक्षम हैं। उन्होंने सभी बातों को प्रस्तुत करने में अपनी प्रतिभा का पूर-पूरा उपयोग किया लेकिन प्रतिभाएं सच को नहीं बदल सकतीं। प्रतिभाओं की एक सीमा होती है। वे शब्दों का चयन करती हैं। वे शब्दों के माध्यम से गलत बात को अच्छे ढंग से प्रस्तुत कर लेती हैं लेकिन गलत-गलत रह जाता है और सही सही रह जाता है।

यदि कानून और व्यवस्था की चर्चा करते समय जो कानून और व्यवस्था के सामने संकट हो, उनकी भी चर्चा की जाती तो अच्छा होता। आज इस देश में कानून और व्यवस्था के प्रति संतोष व्यक्त करना स्वयं को शोभा नहीं देता । इसी दिल्ली से जुड़ा हुआ एक प्रदेश उत्तर प्रदेश है, वहां अपराध का ग्राफ निरन्तर बढ़ रहा है। वह किस कद्र बढ़ रहा है, उससे आप भी वाकिफ हैं। आज उस प्रदेश के मुख्यमंत्री को देश से दूर विदेश में इस मामले में सफाई देनी पड़ रहीं है। वह कठघरे में खड़े हो रहे हैं। हमने आज समाचार-पत्रों में पढ़ा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को विदेशों में सफाई देनी पड़ी कि हमारे यहां अपहरण नहीं हो रहे है. ये गलत अफवाहें हैं।

देश की पहली आवश्यकता सुरक्षा की है कि हम आम आदमी को कितनी सुरक्षा दे पाते हैं? थोड़े दिन पहले मैं भी विदेश में था, मेरे सामने भी यही प्रश्न था कि बदलती हुई आर्थिक नीतियों में हमारी भी रुचि है, हम वहां निवेश करना चाहते हैं लेकिन निवेशकों की सुरक्षा का क्या प्रबन्ध होगा, हमारी जान-माल की सुरक्षा का क्या प्रबन्ध होगा, बच्चों की सुरक्षा का क्या प्रबन्ध होगा? जिस समय ये प्रश्न किये जा रहे थे, उसी समय गाजियाबाद में एक पूंजीपति के बच्चे का अपहरण हुआ था । उसके बारे में तरह-तरह की अफवाहें थीं।

सबसे प्रमुख स्थान जीवन का होता है, सारे साधन इसी जिन्दगी से जुटाये जाते हैं। अगर हम जिन्दगी को सुरक्षा नहीं दे पाते हैं, उसको सुविधा नहीं दे पाते हैं, उसको स्वतंत्रता नहीं दे पाते हैं, उसको निर्भीकता नहीं दे पाते हैं तो सारी मशीनरी, सारे तंत्र, उस समय कठघरे में खड़े हो जाते हैं और हमारी सारी बातें बेमानी हो जाती हैं, उनका कोई अर्थ नहीं रह जाता है।

उत्तर प्रदेश की स्थिति के बारे में यहां कई बार ध्यानाकर्षण के माध्यम से सरकार का ध्यान दिलाया गया, शून्य पहर में सभी पक्षों के सदस्यों ने सरकार का ध्यान आकर्षित किया कि किस कद्र वहां विधि व्यवस्था प्रभावित है? यह केवल उत्तर प्रदेश तक ही सीमित नहीं है, सीमा प्रान्तों में भी कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब है-चाहे वह उत्तर पूर्व के क्षेत्र हों, चाहे दक्षिण के क्षेत्र हों, चाहे कश्मीर का क्षेत्र हो, आज वहां जो कुछ हो रहा है, वह सदन के सामने है। सदन उनसे भली प्रकार अवगत है। विधि व्यवस्था और शांति व्यवस्था के मामले में हम आम आदमी को सुरक्षा दे पाते हैं या नहीं, उसका सबसे बड़ा उदाहरण यह

है कि आज महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा पर कितना पैसा खर्च किया जा रहा है ? अगर देश में विधि व्यवस्था सामान्य होती, आम आदमी सुरक्षित होता तो जितना पैसा देश के प्रधान मंत्री पर, पूर्व प्रधान मंत्री पर, सांसदों पर और मंत्रियों पर खर्च हो रहा है, वही देश के विकास पर लग सकता था, देश के आम आदमी के निर्वाह पर उसका उपयोग हो सकता था, शिक्षा और रोजगार पर उसका उपयोग हो सकता था लेकिन हम उसको अभी प्रभावी नहीं बना पाये हैं। अगर विधि व्यवस्था और शांति व्यवस्था को प्रभावी बना पाते तो आज इतने असुरक्षा के वातावरण में जीने के लिये देश बाध्य नहीं होता। हम एक ओर इस देश को गौतम, महात्मा गांधी और महावीर से जोड़ते हैं और दूसरी तरफ हम अपने को इतना असुरक्षित महसूस करते हैं कि शायद ही कोई इस देश का व्यक्ति हो, कोई सांसद हो, कोई विधायक हो,

2.00 म. प.

जो बिना गार्ड के चलता हो और जिसके लिए सुरक्षा का प्रबन्ध न किया गया हो। सुरक्षा का सवाल इस सदन में कितनी ही बार उठ चुका है। मैं मानता हूं, कुछ अपवाद में लोग हैं, कुछ हमारे मित्र हैं, जो साहस करते है कि हम बिना सुरक्षा के चलेंगे। यह उनका व्यक्तिगत साहस है, जो अपनी सुरक्षा से इन्कार करते हैं। लेकिन व्यवस्था में एक असुरक्षा का वातावरण बना हुआ है।

यह कहा गया कि देश में कोई बड़ा दंगा नहीं हुआ । क्या प्रतीक्षा करती है सरकार, कि बड़ा कोई दंगा हो, तभी उसका उल्लेख होगा ? बड़े दंगे का माप क्या है ? क्या कर्नाटक में चुनाव के पहले जो दंगा हुआ था, उसको दंगा नहीं कहा जा सकता है ? वह चाहे उर्दू के सवाल पर हुआ हो, चाहे हुबली में हुआ हो, उन दंगो को दंगा नहीं कहा जा सकता है ? क्या छोटे-मोटे दंगों को दंगों की परिभाषा में नहीं लाया जा सकता है ? जब तक जातीय दुश्मनी है, जब तक जातीय शत्रुता है, जब तक साम्प्रदायिक तनाव है, जब तक राष्ट्र में राष्ट्रीय भावना पैदा नहीं होती है, उस राष्ट्रीय भावना को पैदा करने के लिए हम चेष्टा नहीं करते हैं, तब तक इन दंगों का प्रश्न हमारे सामने खड़ा रहेगा। मुझे लगता है, कभी कभी इन दंगों को राजनीतिक उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है। अन्यथा कर्नाटक में चुनाव के कुछ दिन पहले ही उर्दू में समाचार पढ़ने का कोई औचित्य नहीं था। उर्दू से किसी को बैर नहीं है, किसी को शिकायत नही है, लेकिन समय से निर्णय लिया गया होता, तो कोई परेशानी नहीं होती। इसी तरह से हुबली के प्रश्न को यदि उसी तरह से सुलझाया गया होता, जैसे देवगौड़ा जी ने सुलझाया, तो उस समय भी दंगा न हुआ होता। लेकिन इसको राजनीति से जोड़ा जाता है, राजनीतिक लाभ से जोड़ा जाता है या अपने अहम से जोड़ा जाता है, तो उसमें कठिनाई पैदा हो जाती है और दंगे का स्वरूप ग्रहण कर लेती है।

उपाध्यक्ष महोदय, अयोध्या के मामले में माननीय अय्यर जी ने बी. जे. पी. पर आरोप लगाया है। मैं इस संबंध में कहना चाहता हूं कि अयोध्या के मामले में साफ दृष्टि अपनानी चाहिए। इसे किसी प्रकार से भी अपने बचाव के लिए या अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए अयोध्या के मामले का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अयोध्या का मामला एक ऐसा मामला है, जिसमें हमें साफगोई से काम लेना चाहिए । क्या हम ध्यान आमंत्रित कर सकते हैं अपने सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों का कि माननीय प्रधान मंत्री जी ने अयोध्या के मुद्दे पर जितने ब्यान दिए हैं, उन बयानों में कभी तालमेल रहा है ? कितने बयान हुए हैं, कितनी तरह के बयान हुए हैं। कभी लालकिले से बयान हुआ तो दूसरी तरह का हुआ और कभी लखनऊ से बयान हुआ, तो दूसरी तरह का हुआ और कभी कांग्रेस की वर्किंग कमेटी से बयान हुआ, तो दूसरी तरह का हुआ। उस बयान को लेकर भी कठिनाइयां हुई हैं। हम जानते हैं, सर्वोच्च न्यायालय से निर्णय पाने में केन्द्रीय सरकार विफल रही है। केन्द्रीय सरकार ने जो इच्छा व्यक्त की थी, जो सुप्रीम कोर्ट से जानना चाहा था, उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय देने से इन्कार कर दिया। उसने कहा, यह मामला हमारा नहीं है। यह हम नहीं बताना चाहते हैं कि वहां क्या था, वहां पहले मंदिर था या मस्जिद थी। यह बताना हमारा काम नहीं है और हम कोई राय नहीं देना चाहते हैं। उन्होंने एक सुझाव दिया, अच्छा सुझाव दिया कि अगर आप चाहें, तो वार्ता से इस चीज को आगे बढ़ सकते हैं। मैं सत्ता पक्ष से जानना चाहता हूं, क्या सुप्रीम कोर्ट की राय आने के बाद वार्ता की दिशा में कोई प्रयास हुआ, उस दिशा में पहल की गई, उस दिशा में कोई चर्चा चली ? शायद नहीं या मुझे कोई जानकारी नहीं है। लेकिन चर्चा होनी चाहिए थी। अगर हम राय-मश्विरा करते, बातचीत करते, तो कोई रास्ता निकल सकता था, खुल सकता था। हमारे सत्ता पक्ष के एक साथी, माननीय सोनकर जी ने एक बात कही थी, हम न्यायालय का आदर करते है और यह मामला 430 बरस न्यायालय में चल चुका हैं। क्या हम 430 बरस और इसको न्यायालय में चलाना चाहते हैं ? अगर हम न्यायालय में ही रखना चाहते हैं,तो निश्चित ही कहना पड़ेगा कि अगर यह मसला लम्बे दिनों तक न्यायालय में रहेगा, तो लोगों में आक्रोश पैदा होगा, लोगों में तनाव पैदा होगा और उससे झगड़ा खड़ा हो सकता है। न्यायालय ने अपना मन्तव्य जता दिया है कि यह प्रश्न न्यायालय से हल होने वाला नहीं है। अगर आपमें हिम्मत है, तो संसद में एक बिल ला कर , एक विधेयक लाकर, संसद में आप इसकी चर्चा कीजिए, संसद से राय लीजिए कि संसद क्या कहना चाहती है। संसद भी तो लोगों की अपनी एक सभा है और देश इससे जुड़ा हुआ है। देश का बच्चा-बच्चा इससे जुड़ा हुआ है। जब देश का बच्चा -बच्चा इससे जुड़ा हुआ है, तो संसद की राय इस पर क्यों नहीं मानी जाती है। संसद राय दे कि इस पर क्या होना चाहिए और एक बिल लाना चाहिए, लेकिन संसद उसके लिए तैयार नहीं है और आप इस बात को छिपाना चाहते हैं।

आप कभी रामालय ट्रस्ट बनाते हैं, बड़ी विचित्र बात एक न्यास का गठन सन 1986 में हुआ था— राम जन्मभूमि न्यास वह पहले से काम कर रहा है और वह पंजीकृत है। सरकार के कार्यालय से ही पंजीकृत है, वह स्वतंत्र रूप से काम कर रहा है। यद्यपि हम मानते हैं कि विश्व हिन्दू परिषद पर प्रतिबंध है उसका भी कोई कारण नहीं है, कोई औचित्य नहीं है, इसके पीछे कोई गहरा कारण है। केवल दो भाषणों को लेकर संस्था पर प्रतिबंध लगा दिया है। एक ऐसी संस्था पर प्रतिबंध लगा दिया गया है जिसके सदस्यों की संख्या देश में बहुत बड़ी है, वह संस्था बहुत व्यापकक्षेत्र में काम कर रही है। हम मानते हैं, ठीक है आपने प्रतिबंध लगाया है, उसका फोरम पर जो जवाब दिया जा रहा है। वह दिया जाएगा, लेकिन रामजन्म भूमि न्यास पर कोई प्रतिबंध नहीं था। आप चाहते तो उसमें कोई संशोधन करके उस न्यास को यह काम सौंप सकते थे लेकिन आपने

एक समानान्तर न्यास बनाया और उस न्यास का निर्माण करने के लिए हिन्दुओं की सर्वोच्च संस्था, सर्वमान्य संस्था शंकराचार्यों का उपयोग किया। उनके यहां सरकारी अधिकारी सरकारी विमानों से गए और उनको तैयार किया। सरकार द्वारा एक अयोध्या सैल बनाया गया। अयोध्या सैल के लोगों ने ड्राफ्ट तैयार किया और उस ड्राफ्ट पर उनके हस्ताक्षर कराए गए। बाद में किसी ने मना कर दिया। वह पाठ्य अंग्रेजी में था हमारी समझ में नहीं आया, हमने उस पर हस्ताक्षर कर दिए, हम उसको वापस लेते हैं। एक अजीब सी स्थिति पैदा की गई, भ्रम की स्थिति पैदा की गई और अब भी सरकार का दृष्टिकोण इस मामले में साफ नहीं हैं। महामहिम से भी कुछ कहलवाया गया है, उससे कुछ भी बात समझ में आने वाली नहीं है कि आप इस मामले में क्या करना चाहते हैं, आपका क्या दृष्टिकोण है।

महोदय, मैं स्पष्ट कहता हूं कि इसके लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आप या तो वार्ता करके इस मामले का हल निकालें या संसद में एक बिल ला कर इस मामले का हल निकालें इसके अलावा कोई तीसरा रास्ता नहीं है और तीसरे रास्ते पर अगर आप लम्बे समय तक चलेंगे तो इससे मामले को लटका कर एक तनाव और पैदा करेंगे, कठिनाई पैदा करेंगे जिससे बचने के लिए आपके पास कोई रास्ता नहीं होगा।

महोदय, जम्मू कश्मीर के बारे में हमारे माननीय अय्यर जी ने बड़े ढंग से अपनी बात रखी थी। वहां निश्चय ही सुधार हुआ है और उसका देश को कायल होना चाहिए, लेकिन सुधार इस सीमा तक नहीं हुआ है जिस सीमा तक बात को कहा जा रहा है। आश्चर्य है पूरे देश में इस समय परिचय पत्रों की बात चल रही है, पूरे देश में परिचय पत्र बन रहे है। परिचय पत्रों की बात चल रही है, फोटो लगा हुआ पहचान पत्र चाहिए और कई-कई प्रांतों में तो चुनाव आयुक्त ने अनिवार्य कर दिया है कि जब तक यह नहीं होगा तब तक चुनाव नहीं हो सकता। लोग कोर्ट तक में गए लेकिन मतों के पहचान पत्रों की बात कश्मीर में क्यों नहीं उठाई गई? वहां यह पहचान पत्र, जहां इनकी ज्यादा आवश्यकता है, जहां चरार-एशरीफ में कब्जा करने के लिए हजरत बल में कब्जा करने के लिए ऐसे विदेशी मेहमान आते हैं जिनको वापस भेजने के लिए सरकार को कम से कम हाथ जोड़ कर खड़ा होना पड़ता है उनसे मित्रता करनी पड़ती है, अनुरोध करना पड़ता है कि अगर आप वापस जाना चाहते हैं तो हम समम्मान वापस करने के लिए तैयार है। आप चरार-ए-शरीफ में बैठे हुए उग्रवादियों को ससम्मान वापस करते हैं, उनको पाकिस्तान को वापस करना चाहते हैं लेकिन साध्वी ऋतंभरा को गिरफ्तार करके अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि आपने बड़ी बहादुरी की है। यह संतुलन बनाने का कोई तरीका नहीं है। अगर आप संतुलन बनाना चाहते हैं तो उसमें आपको विवेक का प्रयोग करना चाहिए और यह चाहिए कि उसमें निष्पक्षता बनी रहे, किसी पक्ष के साथ ज्यादती न हो।

महोदय, कश्मीर के 7 लाख से ज्यादा लोग जब तक बाहर हैं, जब तक मतदाता सूची में उनका प्रवेश नहीं होता, जब तक मतदाता सूची का जो पुनरीक्षिण चल रहा है उसमें उनकी एंट्री नहीं होती, जब तक उनका पहचान पत्र नहीं बनता तब तक चुनाव का क्या अर्थ है और चुनाव होगा भी तो किस तरह चुनाव होगा? जैसे पहले एक बार असम में हुआ था वैसे ही जैसे पंजाब में हुआ था, अगर इसी तरह चुनाव करने हैं तो चुनाव का मजाक लम्बे समय तक उड़ाना ठीक नहीं होगा, क्योंकि चुनाव लोकतंत्र की एक रीढ़ जिस पर सारी लोकतांत्रिक प्रणाली निर्भर करती है। जिस दिन लोगों का चुनाव पर से विश्वास उठ गया तो लोकतंत्र पर विश्वास लाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए यह कोशिश होनी चाहिए, प्रयास होना चाहिए कि उस चुनाव में सब की हिस्सेदारी हो, अधिक से अधिक लोगों की हिस्सेदारी हो, सब की सहमति हो। आप बंदूकों के साये में, आतंक के माहौल में किस तरह चुनाव कराएंगे, यह सवाल देश के सामने है। इस सवाल को देश का बच्चा-बच्चा पूछ रहा है लेकिन आप चुनाव कराने की बात बराबर दोहरा रहे हैं। शायद आपके पास कोई जादुई तरीका होगा, जिससे आप चुनाव कराना चाहते हैं।

इसी प्रकार से उत्तर पूर्वी इलाकों में विद्रोही गतिविधियों से दृढ़तापूर्वक निपटने की सरकार की नीति की सराहना की गई है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि यह नीति नागालैंड में क्यों संदिग्ध होती जा रही है, क्यों असफल हो रही है मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के बारे में रोजाना अखबारों में आ रहा है कि किस तरह से कबीलों के बीच आपसी टकराव चल रहा है, किस तरह से कबीलों को माध्यम बना कर टकराव पैदा किया जा रहा है, लेकिन इस समस्या को सुलझाने के लिए कोई उपाय नहीं सुझाया गया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह की बातें सदन के सामने आनी चाहिए और जब तक ये बाते नहीं आती हैं, तब तक यह अभिभाषण अधूरा है।

सितंबर 1994 में आपने झारखंड करार किया था। वनांचल के लिए, उत्तरांचल के लिए, झारखंड के लिए, ये मागें क्यों उठती हैं। ये लोग अपने अधिकारों के लिए अलग राज्य की मांग क्यों कर रहे हैं। आज इस देश में कोई राज्य तो इतना बड़ा है कि उसका कोई ओर-छोर नहीं है और कोई राज्य इतना छोटा है कि उसको एक छलांग में पार कर सकते हैं। किसी राज्य की भौगोलिक स्थिति दूसरे राज्य के एक जिले के बराबर है। बस्तर जिला इतना लंबा है कि हरियाणा के बराबर है, जहां प्रशासन आसानी से नहीं पहुंच सकता है। ऐसी स्थिति में यदि वे अलग राज्य की मांग करते हैं, वे चाहते हैं कि हमारी पीड़ा प्रशासन तक पहुंचे तो यह अनुचित नहीं है। इस संबंध में एक आयोग गठित किया गया था, जिसमें छोटे राज्यों की चर्चा की गई थी, कुछ काम हुआ था, लेकिन फिर बात वहीं रह गई। यदि छोटे राज्यों के मामले को सुलझा लिया जाए तो रोज-रोज राज्यों को लेकर जो संघर्ष होता है, तमाम श्रम शक्ति का ह्रास होता है, समय बरबाद होता है, आपसी तनाव और द्वेष पैदा होता है, दरार पैदा होती है, इनको दूर करने के बारे में हमको विचार करना चाहिए। हम उत्तरांचल की बात करते हैं। मैं माननीय अय्यर जी से आग्रह करूंगा कि वे एक बार बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा करें, जिस यात्रा का प्रबंध मैं करवा दूंगा। मैं उनको दिखाऊंगा कि वहां पर गांवों में क्या स्थिति है। मैं प्रति वर्ष बद्रीनाथ में आश्रम पर रहता हूं, मैं जानता हूं कि वहां पर गांवों में पहुंचने में कितनी कठिनाई है। इन स्थितियों में वहां की जनता यदि अपने कानून बना कर अपने ढंग का राज्य चाहती है, तो अलग राज्य उनको मिलना चाहिए। उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दो-दो बार प्रस्ताव पारित करके भेजा है, लेकिन आप विलंब कर रहे हैं। विलम्ब ही नहीं कर रहे हैं, आवाज उठाने वालों

पर अपनी मित्र सरकार के माध्यम से अत्याचार करवा रहे हैं, बलात्कार करवा रहे हैं। रामपुर तिराहा और खटीमा में जो घटनाएं हुई हैं, 2 अक्तूबर तक वहां की सरकार को आपका समर्थन था।

श्री मणि शंकर अय्यर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ। मैं देहरादून का पला हूं और उस इलाके का हूं और बद्रीनाथ-केदारनाथ की यात्रा पैदल कर चुका हूं और मैं आपसे सहमत हूं कि वहां उत्तरांचल की जरूरत है, मैं भी उत्तरांचल के पक्ष में हूं और इस विषय पर सरकार भी गौर कर रही है।............. **(व्यवधान)**

श्री बीरेन्द्र सिंह (मिर्जापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी अय्यर जी ने कहा कि वे उत्तरांचल के पक्ष में हैं, लेकिन दूसरी तरफ उत्तरांचल की मांग करने वालों पर गोली चलाई जाती है, महिलाओं से बलात्कार किया जाता है, यह काम उनके द्वारा समर्थित सरकार के चलते होता है तो मैं नहीं समझता हूं कि अय्यर जी अपना पक्ष किस तरह से प्रस्तुत करना चाहते हैं।

श्री चिन्मयानन्द स्वामी : मैं अय्यरजी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारा सहयोग किया, यह कहकर कि आप भी पक्ष में हैं, यानि केन्द्र भी पक्ष में है, उत्तर प्रदेश की सरकार भी पक्ष में है।

श्री मणि शंकर अय्यर : मैंने कहा कि मैं इसके पक्ष में हूं सरकार गौर कर रही है। वह हमें मंत्री बनाये, तब दिखायें।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आपको मंत्री बनाना स्वामी जी के हाथ में नहीं हैं।
(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री चिन्मयानन्द स्वामी : मैं अय्यरजी की ईमानदारी के लिए उनको धन्यवाद देता हूं। अगर इसी ईमानदारी से हम संसद में चर्चा करें तो हम लोगों को निर्णय पर पहुंचने में देर नहीं लगेगी।

उत्तरांचल के साथ एक विषय मैं और जोड़ना चाहता हूं, मध्य प्रदेश में छत्तीस गढ़ एक इलाका है, जहां से 90 विधायक चुनकर आते हैं। उसके अपने हालात हैं, अपनी आर्थिक स्थिति है, अपना अलग स्थान वह क्षेत्र रखता है, वहां की गरीबी भी देखने लायक है। वहां का आदमी सारे देश में जाकर ईंट भट्टों पर ईंटें बनाने का काम करता है। आप किसी भी भट्टे पर चले जाइये वहां जो मजदूर मिलेंगे वे अधिकतर बिलास पुर या उस क्षेत्र के ही मिलेंगे। वह अत्यधिक गरीब क्षेत्र है। इतनी वन सम्पदा है, इतनी खनिज मम्पदा है, धन का कटोरा है, इतनी समृद्धि वाला क्षेत्र है, लेकिन वहां के लोग अत्यधिक गरीब हैं। पृथक छत्तीस गढ राज्य का आन्दोलन करने वाले मुख्यत: लोग आज सत्ता पक्ष के हैं। हमारे मित्र पवन दीवानजी उस आन्दोलन के जन्मदाता ते। चन्दूलालजी जो आज हमारे बीच में नहीं रहे, उन्होंने पृथक छत्तीस गढ राज्य आन्दोलन का नेतृत्व किया। लेकिन खेद का विषय है कि इस अभिभाषण में छत्तीसगढ जैसे महत्वपूर्ण विषय पर कोई चर्चा नहीं की गई है। यहां भी उसकी चर्चा नहीं होती है। हर चुनाव से पहले राजनैतिक दल आश्वासन देते हैं कि हमारा शासन आते ही हम अलग राज्य का दर्जा देंगे। लेकिन वास्तव में कुछ नहीं होता है। वहां के लोग फिर पिछड़ जाते हैं जब आप वनांचल और उत्तरांचल की बात करते हैं, तो इसकी भी बात होनी चाहिए। मध्य प्रदेश में आपकी ही सरकार है। माननीय दिग्विजय सिंह की सरकार है। जिन्होंने यह कहकर चुनाव जीता था कि कांग्रेस सत्ता में आई तो राज्य का मुख्य मंत्री आदिवासी होगा। मैं धन्यवाद देता हूं कि पूरे मध्य प्रदेश में आपको राजा दिग्विजय सिंह जैसा आदिवासी मिला। आदिवासियों की परिभाषा कांग्रेस के लोगों की यही है तो इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ।

उत्तर प्रदेश में हुई घटना की सी. बी. आई. रिपोर्ट आ गई है। मुझे याद है जब बिहार में बेलछी कांड हुआ था। जिसमें छ:-सात औरतों के साथ अभ्रद व्यवहार हुआ था, बलात्कार साबित नहीं हुआ था उस समय लोक सभा में विपक्ष की नेता श्रीमती इंदिरा गांधी थी। वे वहां गई और यहां आकर इस सदन में उन्होंने आवाज उठाई थी और कहा था कि ऐसी सरकार को नहीं चलने देना चाहिए। उत्तर प्रदेश में रामपुर तिराहे की ही घटना नहीं है, यह सरकारी रिकार्ड में है कि एक बरस में प्रदेश में दो हजार महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ है। आप किस की प्रतीक्षा कर रहे हैं? ऐसी सरकार को चलने देने का क्या औचित्य है, यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है। जो सरकार महिलाओं के शील की, सम्मान की रक्षा नहीं कर सके, मैं नहीं समझता ऐसी सरकार को आगे चलने देने का मौका देना चाहिए। लेकिन आप किस की प्रतीक्षा कर रहे हैं, कौन सी रिपोर्ट चाहिए? सी. बी. आई. ने भी साबित कर दिया है। मैं समझता हूं इसके उल्लेख के बिना यह अभिभाषण अधूरा है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया है, यह एक अच्छी बात है। कम से कम मानवीय पीड़ा को समझने के लिए आपने जिस व्यक्ति को उसका अध्यक्ष बनाया है, वे काफी उच्च पदों पर रहे चुके हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं। लेकिन उसके द्वारा जो रपट आयेगी उस पर आप क्या काम करेंगे। उन्होंने भी उत्तरांचल के पहाड़ी इलाकों का दौरा किया था और महिलाओं के दर्द को वहां जाकर देखा। वे भी थोड़े दिन बाद अपनी रिपोर्ट भेज देंगे। महिला आयोग की महिलायें वहां गयीं। उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट दी है फिर पता नहीं क्यों किस बात की प्रतीक्षा हो रही है?

उपाध्यक्ष महोदय, चुनाव सुधारों की बात आती है लेकिन समझ में नहीं आता कि दिनेश गोस्वामी रिपोर्ट आ चुकी है और एक बिल भी इस बाबत लाया गया था लेकिन उसमें चुनाव सुधार के नाम पर एक पार्टी को चुनाव से बाहर करने के लिये उपाय सोचा गया थ। उस दिन विनोद में श्री पवन बंसल कह रहे थे कि स्वामी जी, आपका क्या होगा। मुझे आप लोगों ने संसद में आने का अवसर दिया है, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आगे आप अवसर नहीं देंगे तो

मुझे अफसोस नहीं होगा लेकिन अगर साधू-संत यहां सदन में आते हैं तब उनको रोकने के लिये उपाय करते हैं लेकिन माफिया को यहीं आने से रोकने के लिये कोई उपाय नहीं करते हैं और न उस बिल में ऐसा कोई उपाय किया गया था। अपराधियों को किस तरह से रोका जाये, यदि इसका कोई उपाय नहीं करेंगे तो चुनाव सुधार नहीं होगा। अभी उ. प्र. में पंचायत के चुनाव हुये हैं। लोकसभा और विधानसभा के चुनावों में जन साधारण एकदम से नहीं जुड़ता है लेकिन पंचायत चुनावों में ज्यादा जुड़ता है। मैं स्व. राजीव गाँधी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि नीचे के स्तर पर पहुंचने का प्रयास तो किया था। नीचे के लोगों को जिस तरह से अधिकार मिल रहे थे लेकिन उ. प्र. में चुनावों में जिस तरह से धाधली हुई, लगता है कि एक पूर्वाभ्यास किया गया है कि बिहार में लालू यादव के रास्ते पर चलने के लिये अगले साल इस तरह की प्रणाली ठीक रहेगी। आश्चर्य की बात तो यह है कि आज गाजियाबाद में एक सांसद धरने पर बैठे हुये हैं और वह इसलिये कि जो उम्मीदवार 5600 वोटों से जीता उसे बाहर कर दिया गया और जिसे 3600 वोट मिले उसे जिता दिया गया। एक महिला को हराने के लिये तहसीलदार का उपयोग किया गया और जब बात खुल गयी तो महिला उम्मीदवार को जीता घोषित तो कर दिया गया और तहसीलदार को गिरफ्तार कर लिया गया। इस प्रकार पंचायत चुनाव को लेकर जब ऐसी स्थिति पैदा हो गयी कि विधानसभा चुनावों में बिहार में भी हम विपक्ष में बैठे।

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : बिहार में आप लोगों के हारने का क्या कारण हुआ ?

चिन्मयानन्द स्वामी: मैं तो नहीं जानता लेकिन आप लोग बखूबी जानते हैं कि आप लोगों ने वहां चुनाव कैसे जीते।

उपाध्यक्ष महोदय, अब बात रह गयी आर्थिक सुधारों की। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्माल स्केल इंडस्ट्रीज की उपेक्षा की जा रही है । मैं आपको एक उदाहरण द्वारा बताना चाहूंगा कि अभी पैट्रोलियम मिनिस्ट्री ने आदेश दिया है कि गैस सिलेंडर बनाने वाली छोटी छोटी इकाईयां जो छोटे छोटे पुरजे बनाकर सिलेंडर तैयार करती थी, उनकी जगह कोई विदेशी कम्पनी पूरा सिलेंडर बनायेंगी और इस प्रकार से छोटे उद्योगों में काम करने वाले हजारों मजदूर भूखमरी का शिकार होकर रह जायेंगे। हमारे सासंद श्री लोढ़ा जी भी एक प्रश्न के अंतर्गत कह रहे थे कि क्यों नहीं इन बीमार इकाईयों को मजदूरों को सौंप देते क्योंकि वे उद्योग को भी ठीक प्रकार से चला पायेंगे और उनकी रोजी भी बनी रहेगी। इससे उनमें एक आत्मविश्वास भी पैदा होगा और उत्पादन भी बढ़ेगा। वे हमारे देश के नागरिक हैं और ठीक ढंग से चलाने की क्षमता अर्जित कर देश को दिखा देंगे कि हमारा श्रम केवल श्रम ही नहीं विवेक है, प्रशासनिक क्षमता भी है और उत्पादन क्षमता भी है। इससे मजदूर अपने पैरों पर खड़ा होने का आत्मविश्वास पैदा कर सकेगा। ऐसा करने से देश को भी फायदा होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, अब तो अखबारों में पढ़ने को मिल रहा है कि आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, टोमैटो सॉस भी विदेशी कम्पनियां बनायेंगी। कल को हमारे यहीं सब्जी, चावल, रोटी बनायेंगी और हमारी रसोई पर उनका अधिकार हो जायेगा। आलू के चिप्स का इतना बड़ा दाम कर दिया गया है कि किसान को आलू का सही दाम नहीं मिलता है। इस संबंध में निवेदन करना चाहूंगा कि यहां के लोगों का हिस्सा होना चाहिये। लोग लम्बे समय तक प्रतीक्षा नहीं कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, आप बार बार घंटी बजा रहे हैं। मेरे पास कहने के लिये काफी बातें थी लेकिन सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि इस अभिभाषण में मूलभूत समस्याओं के निदान के लिये कोई उपाय नहीं किये गये हैं जिसके कारण देश के सामने बहुत बड़ा संकट खड़ा हुआ है, इसलिये भारी मन और दुख के साथ कहना चाहता हूं कि इस अभिभाषण का समर्थन नहीं कर पा रहा हूं । अच्छा होता यदि इसमें ऐसी बातें होती तो इसका समर्थन किया जा सकता था।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : हरेक माननीय सदस्य को बोलने के लिए दस मिनट मिलेंगे। यदि मैं घंटी बजाता हूँ तो इसका यह मतलब नहीं है कि भाषण बहुत ही अच्छा है और आपको और अधिक बोलने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। यह इस बात का द्योतक है कि आप अपना वक्तव्य समाप्त करने के लिए प्रयास करें। प्रत्येक माननीय सदस्य को बोलने के लिए दस मिनट मिलेंगे क्योंकि अनेक माननीय सदस्य इस चर्चा में भाग लेना चाहते हैं।

प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु: महोदय, इस सिद्धान्त का पालन आरम्भ से ही किया जाना था।

राष्ट्रपति की संस्था के प्रति आदर व्यक्त करते हुए मैं यह कहना चाहता हूं कि 13 फरवरी, 1995 को राष्ट्रपति द्वारा संसद के संयुक्त अधिवेशन को दिया गया अभिभाषण हमेशा किया जाने वाला एक कृत्य है और एक वार्षिक रस्म निभाने की प्रक्रिया में कांग्रेस सरकार की चाशनी में डूबी एक रिपोर्ट है, अभिभाषण सरकार के कार्य की वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित नहीं करता है यहां तक कि महत्वपूर्ण समस्याओं और उनकी प्राथमिकताओं के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

श्री पी. वी. नरसिंह राव सरकार के पिछले चार वर्ष के शासन को गिनीज बुक आफ रिकार्ड्स में दर्ज करना चाहिए, ऐसा इसकी उपलब्धियों के लिए नहीं अपितु इसके दुष्कार्यों, दुरुपयोगों, असफलताओं, घोटालों, भ्रष्टाचार, निर्धन विरोधी, किसान विरोधी, लोकतंत्र विरोधी कदमों, अभूतपूर्व मंहगाई और बाबरी मस्जिद को गिराकर समाज के धर्मनिरपेक्ष तानेबाने के प्रति अनादर करने के लिए किया जाना चाहिए।

इस सरकार की शुरुआत अल्पसंख्यक सरकार के रूप में हुई, लोगों ने उसे बहुमत नहीं दिया, लेकिन कांग्रेस सरकार सभा में इस समय जिस बहुमत का दावा कर रही है वह कांग्रेस विरोधी पार्टियों में विभाजन लाकर सिद्ध कर रही है

वे वास्तव में सभा में कांग्रेस का बहुमत होने का दावा करने में शर्मिन्दा नहीं हैं, लोगों ने उन्हें बहुमत नहीं दिया है।

सरकार ने लोकतंत्र विरोधी रुख अपनाया हुआ है, श्री राजीव गांधी ने स्वयं दल बदल विरोधी विधेयक पुर:स्थापित किया था। श्री पी. वी. नरसिंह राव की सरकार सफलता के साथ इसका अनादर करती रही है।

इसी विशेष अवधि में सबसे बड़ा घोटाला हुआ। यह विश्व का सबसे बड़ा घोटाला था जिसमें एक लाख करोड़ रुपये से अधिक का सरकारी धन अन्तर्ग्रस्त था, यह इसी सरकार के समय हुआ। इस शेयर घोटाले के आगे तथाकथित रोंगटे खड़े करने वाला बोफोर्स घोटाला भी मंद पड़ गया है।

बोफोर्स के मामले में एक विदेश मंत्री को अपने पद से हटना पड़ा जब वह दोषी पाए गए व्यक्तियों के नामों को दबाने का प्रयास कर रहे थे।

शेयर घोटाले में, जो आज भी विश्व का सबसे बड़ा घोटाला माना जाता है, दो माननीय मंत्रियों को अपने पद से हटना पड़ा सरकार ने संयुक्त संसदीय समिति और सी. बी. आई. एजेंसियों के स्पष्ट निष्कर्षों के बावजूद दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही का सबसे बड़ा मजाक बनाया।

प्रसिद्ध चीनी घोटाले में सरकार सारा दोष, नौकरशाहों पर डालना चाहती थी परन्तु इस प्रक्रिया में सरकार और नौकरशाहों के बीच समन्वय नहीं था जिसके कारण अन्तत: एक और मंत्री को अपमानित होकर अपना पद छोड़ना पड़ा आप रेलवे इंजन घोटाले के बारे में जानते होंगे जिसमें 550 करोड़ की बड़ी राशि अन्तर्ग्रस्त थी इसका सौदा बहुत अधिक मूल्य पर विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के पक्ष में रद्द कर दिया गया था यह संबंधित तकनीकी विशेषज्ञों की सिफारिशों के विरुद्ध था, समूचे मामले को बनाकर खरीद की गई थी।

देश की आर्थिक संप्रभुता विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास गिरवी रख दी गई है। इन दो संस्थाओं के आदेश देश में चल रहे हैं। जब से श्री पी. वी. नरसिंह राव पद पर आए हैं तब से आर्थिक नीतियों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ओर विश्व बैंक के हाथों सौंप दी गई हैं, विदेशी कर्ज तीन लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। आन्तरिक और विदेशी कर्ज बढ़कर अब लगभग छ: लाख करोड़ रुपये हो गया है, उधार सर्विसिंग के लिए नए ऋण लेने की जरूरत है जब तक नए ऋण नहीं लिए जाते, उधार सर्विसिंग भी नहीं की जा सकेगी।

उदारीकरण और भूमण्डलीकरण के नाम पर देश गेट प्रस्तावों का सहभागी बन गया है, कुछ राज्यों की इच्छाओं के विरुद्ध डेकेल प्रस्तावों को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया गया। यहां तक कि आंध्र प्रदेश राज्य विधान सभा ने सर्वसम्मत से संकल्प पारित करके उसे केन्द्रीय सरकार के पास भेजा है जिसमें कहा गया है कि डंकेल प्रस्ताव को स्वीकार न किया जाए क्योंकि इससे विशेषकर किसानों को नुकसान पहुंचेगा। इस चेतावनी के बावजूद, विपक्षी दलों और देश के प्रसिद्ध आर्थिक विशेषज्ञों की चेतावनी के बावजूद इन प्रस्तावों को स्वीकार किया गया और देश गेट प्रस्तावों का सहभागी बन गया। इससे देश की अर्थव्यवस्था की संभावनाओं को नुकसान पहुँचेगा।

इसके अलावा मुद्रा स्फीति पर नियंत्रण नहीं रखा जा सका है। यह अभी भी दो अंकों में है, कल तक यह लगभग 10 प्रतिशत थी, इससे आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में बहुत अधिक वृद्धि हुई है, कुछ वस्तुओं के संबंध में यह वृद्धि पिछले चार वर्षों के दौरान 100 से 150 प्रतिशत से अधिक दर्ज की गई है।

यह प्रवृत्ति कांग्रेस सरकार द्वारा 1991 के चुनावों के दौरान किए गए चुनाव वायदों के बिलकुल विपरीत है जब उन्होंने कहा था कि यदि कांग्रेस सत्ता में आती है तो मूल्यों को 1990 के स्तर पर ला दिया जायेगा, कांग्रेस सरकार इसका पालन नहीं कर सकी है।

बेरोजगारी, जो बहुत अधिक बढ़ गई है और सरकार की तथाकथित औद्योगिक उदारीकरण नीति ने स्थिति को उग्र बना दिया है, कांग्रेस पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र और इसके वायदों पर अमल नहीं हो सका है, इसने हर वर्ष, 1 करोड़ अतिरिक्त रोजगार सृजित करने का जो चुनाव के समय वायदा किया था उसे यह सरकार पूरा नहीं कर सकी है।

अब मैं कृषि क्षेत्र पर आऊंगा। कांग्रेस सरकार के दौरान कृषि की ओर ध्यान नहीं दिया गया है और उसके साथ सौतेला व्यवहार किया गया है, कांग्रेस सरकार बड़े-बड़े दावे कर रही है कि उसने 106 मिलियन टन खाद्यान्न का उत्पादन किया है यह केवल झूठा दावा है जो कर रही है। जब हम पिछले वर्षों को देखते हैं, जब हम पिछले 10 वर्षों का औसत लेते हैं तो यह पाते हैं कि कृषि का औसत उत्पादन 2.5 प्रतिशित वार्षिक वृद्धि दर से आगे नहीं बढ़ा है जबकि लक्ष्य 4.5 वार्षिक वृद्धि दर का था देश केवल 2.5 प्रतिशत वृद्धि दर को प्राप्त कर सका है, यह कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है, आज भी इस देश में प्रति व्यक्ति खाद्यान्न की उपलब्धता प्रति दिन लगभग 400 ग्राम से अधिक नहीं बढ़ी है यह कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है जबकि 1947 में यह 454 ग्राम थी, इसलिए कृषि क्षेत्र में इस सरकार के कार्यकाल के दौरान कोई बड़ी उपलब्धि नहीं हुई है।

उर्वरक मूल्य के बारे में आपने देखा ही होगा कि इसके मूल्यों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। डी. ए. पी. का मूल्य, जो 1991-92 में मुश्किल से प्रति टन लगभग 4,600 रुपये था, वह बढ़ कर 11,000 रुपये प्रति टन हो गया है जो कि बहुत ही अधिक है, किसान उर्वरक खरीदने की स्थिति में नहीं है जिसका वह अपनी जमीन, पर इस्तेमाल कर सकें, इससे जमीन पर पोषक तत्वों के इस्तेमाल में बहुत असंतुलन आ गया है, भारतीय जमीन में नाइट्रोजन, फास्फेट और पोटाश के इस्तेमाल का सामान्य अनुपात 4 : 2 : 1 है। अब यह अनुपात 93 : 31 : 1 हो गया है, यदि यह प्रवृत्ति कुछ और समय जारी रही तो भारतीय जमीन फसल उत्पादन के लिए उत्पादनकारी नहीं रहेगी निकट भविष्य में अपेक्षित पोषक तत्वों का इस्तेमाल बंद हो जाएगा।

बहु प्रतीक्षित कृषि नीति क्रियान्वित नहीं की जा सकी है। यद्यपि यह कहा

गया है कि राष्ट्रीय कृषि नीति बनाकर देश को दी जाएगी परन्तु आज तक कुछ नहीं हुआ है, इसी तरह कृषि के बारे में यह कहा गया था कि इसे उद्योग के बराबर का दर्जा मिलेगा परन्तु इस पर भी कुछ नहीं हुआ है, मैं नहीं जानता कि कृषि के संबंध में भानुप्रताप सिंह समिति और हनुमंत राव समिति द्वारा प्रस्तुत सिफारिशों का क्या हुआ। उन्होंने सिफारिश की थी कि राष्ट्रीय कृषि नीति बनाई जाए और भारतीय कृषि को उद्योग के बराबर माना जाए। इन सिफारिशों पर कुछ नहीं हुआ है, कृषि उत्पादों का देश में परिवहन करने के लिए जिस एकल जोन बनाने का वायदा था तथा जो केन्द्रीय कृषि मंत्री द्वारा इस सभा में अनेक बार दिया गया था, उस पर कुछ नहीं हुआ है, आज भी कृषि उत्पादों को एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने के मार्ग में काफी अवरोध हैं, यहां तक कि जिला अवरोध भी है, वे सारे देश को एक एकल जोन नहीं मान रहे हैं।

कृषि क्षेत्र को संस्थागत ऋण में उसका भाग नहीं मिल रहा है। जैसा कि आपको ज्ञात है लगभग 40 प्रतिशत संस्थागत ऋण प्राथमिकता वाले क्षेत्र को जा रहा है। कम से कम 23 से 24 प्रतिशत ऋण कृषि को मिलना चाहिए। परन्तु अब यह केवल 16 प्रतशित रह गया है जो कृषि क्षेत्र को जा रहा है, इस तरह कृषि को उसका उचित भाग नहीं मिल रहा है।

अब मैं फसल बीमा पर आता हूं, माननीय प्रधान मंत्री ने एक विस्तृत फसल बीमा का वायदा किया था। परन्तु इसे अभी तक बनाया नहीं गया है, यदि जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने सुझाव दिया है, कृषि क्षेत्र में प्रस्तावित विद्युत शुल्क पचास पैसे प्रति यूनिट लगाया जाता है तो यह कृषि क्षेत्र के लिए घातक सिद्ध होगा। डुंकेल प्रस्ताव को स्वीकार करना और कुछ नहीं है बल्कि किसानों के लिए मौत की घंटी है, आखिर, कृषि में सरकारी निवेश योजना दर योजना कम होता जा रहा है। यह पहली योजना में 34.5 प्रतिशत था और अब यह केवल 19.5 प्रतिशत रह गया है, इसलिए कृषि की उपेक्षा की गई है।

मैंने उर्वरकों से राजसहायता को वापस लेने और उर्वरकों पर से नियंत्रण हटाने का पहले ही उल्लेख किया है, इसके कारण इनके मूल्यों में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। यदि इस गलती को सुधारा नहीं जाता है तो देश में कृषि को बहुत नुकसान पहुंचेगा और खाद्य उत्पादन में कमी होगी। कीटनाशक औषधियों के मूल्यों में हाल ही में पिछले चार वर्षों के दौरान लगभग 100 से 200 प्रतिशत वृद्धि हुई है, इसलिए नकली कीटनाशक औषधियों की समस्या और इन पर उचित नियंत्रण का अभाव किसानों को चिन्तित कर रहा है।

जैसा कि आप जानते हैं कि किस प्रकार बाबरी मस्जिद को गिराने के साथ इस देश में धर्मनिरपेक्षता का ताना बाना भी टूट गया है, इसने मुस्लिम अल्पसंख्यकों के आत्मविश्वास को हिला दिया है और बाबरी मस्जिद जो संविधान में उल्लिखित धर्मनिरपेक्षता के स्मारक रूप में खड़ी थी, को गिरा दिया गया था। अब वे कह रहे हैं कि वे एक दूसरी मस्जिद बनाने जा रहे हैं, यदि अब मस्जिद बनती है तो इसे बाबरी मस्जिद कहा जाएगा, क्योंकि इसे बाबर ने बनाया था इसलिए इसे बाबरी मस्जिद कहा जाता था, यदि यह सरकार अब एक मस्जिद बनाती है तो इसे नरसिंह राव मस्जिद कहा जाएगा न कि बाबरी मस्जिद।

विपक्षी दल इस देश में सरकार के कार्य के प्रति अपना असंतोष व्यक्त कर रहे हैं। परन्तु यह शर्म की बात है कि शासक दल के सदस्य स्वयं वर्तमान, सरकार के कार्य पर अपना रोष प्रकट करने के लिए कटौती प्रस्ताव के साथ आ रहे हैं। यही कारण है कि कांग्रेस आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात जैसे सभी राज्यों में हाल में हुए विधान सभा के चुनावों में हारी थी। कर्नाटक में यह पार्टी तीसरे नम्बर पर आई थी जबकि आंध्र में यह मान्यता प्राप्त विपक्षी दल कहलवाने हेतु न्यूनतम संख्या भी नहीं ले सकी। लोगों के मन को देखते हुए और समूचे देश में कांग्रेस विरोधी लहर के कारण कांग्रेस पार्टी ने देश पर शासन चलाने के अपने अधिकार को खो दिया है, इसलिए बेहतर होगा कि देश और लोगों के हित में सत्ता छोड़ दी जानी चाहिए।

हाल ही में विधान सभा चुनावों में यह पर्याप्त रूप से सिद्ध हो गया है कि भारतीय जनता की तात्कालिक आवश्यकताएं कल्याणकारी उपाय हैं जिनमें न्यूनतम मूल आवश्यकताओं पर जोर दिया गया है जैसे दो रुपये प्रति किलो की चावल योजना, दुर्बल वर्गों के लिए पक्के मकान, निर्धन वर्गों आदि के लिए जनता कपड़ा योजना आदि, यह सिद्ध हो गया है कि वे महज लुभावनी योजनाएं नहीं हैं अपितु उत्पादनोमुख कल्याणकारी योजनाएं हैं।

हमारे नेता श्री एन. टी. रामाराव देश में निर्धन वर्गों के लिए ऐसी कल्याणकारी योजनाओं को बनाने और उन्हें सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने के मामले में पथ प्रदर्शक, संघर्शील व्यक्ति, मसीहा और प्रवर्त्तक के रूप में समाने आए हैं। उनका जो यह संदेश है कि समाज एक पवित्र मन्दिर है और निर्धन व्यक्ति वस्तुतः भगवान है और निर्धन व्यक्ति की सेवा करना भगवान की सेवा करना है, उसका आज लगभग सभी राजनैतिक दल अनुसरण कर रहे हैं। अनेक राजनैतिक दलों ने अपने चुनाव घोषणा पत्रों में ऐसे ही कल्याणकारी उपाय रखे हैं, हाल ही में यहां तक कि केरल के मुख्य मंत्री श्री एन्थ्नी ने भी यह प्रस्ताव रखा है कि सस्ते चावल की योजना का वायदा लोगों से किया जाना चाहिए, इस योजनाओं के महत्व को महसूस करते हुए अनेक राजनीतिक दलों, जिनमें कांग्रेस पार्टी शामिल है, ने विभिन्न राज्यों में विभिन्न रूपों में ऐसी योजनाओं की घोषणा की है। संघ सरकार को इसका महत्व समझना चाहिए और ऐसी स्वीकृत योजनाओं के भार को वहन करके राज्य सरकार की सहायता करनी चाहिए।

हमारे नेता श्री एन. टी. रामाराव ने मुख्य मंत्री का पद धारण करने के तुरन्त बाद प्रधान मंत्री को एक अभ्यावेदन देकर व्यक्तिगत रूप से यह अनुरोध किया था कि पूर्ण नशाबंदी योजना को क्रियान्वित करने में होने वाली हानि के अतिरिक्त 2 रुपये प्रति किलोग्राम चावल योजना में होने वाले खर्च के भार को सरकार वहन करे, परन्तु दुर्भाग्यवश संघ सरकार ने अब तक कोई उत्तर नहीं दिया है, दूसरी ओर प्रधान मंत्री ने अपने पार्टी मंच, कांग्रेस पार्टी की एक बैठक में, इस बात का मजाक उड़ाया कि श्री एन. टी. रामाराव ने अपने चुनाव घोष्रणा पत्र में दो रुपये प्रति किलोग्राम चावल योजना का वायदा किया है और अब वह सहायता के लिए केन्द्र के पास आ रहे हैं, महोदय, यह निर्धन व्यक्तियों की सहायता करना है, यह कल्याणकारी उपाय की सहायता करना है, यह किसी राजनैतिक पार्टी की सहायता करना नहीं है, इसलिए मैं संघ सरकार से अनुरोध करता हूँ बल्कि उनसे

यह मांग करता हूं कि वह इस भार को भी वहन करें जो आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार द्वारा की जा रही है।

आज खाद्य सुरक्षा की बहुत आवश्यकता है। खाद्य सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी है और यदि आवश्यक हुआ तो इस मामले पर राष्ट्रीय विकास परिषद में चर्चा की जाएगी जिसकी बैठक अभी शीघ्र होने जा रही है और जिसमें सभी मुख्य मंत्री भाग लेंगे और जहां यह नीति कल्याणकारी उपायों के पक्ष में ली जाएगी।

पूर्ण नशाबंदी लागू करने से आंध्र प्रदेश राज्य सरकार को 1200 करोड़ रुपये की हानि हो रही है, संघ सरकार को इसमें भी सहायता करनी चाहिए। यह कोई नई नीति नहीं है जो आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने बनाई है, यह योजना संघ सरकार ने पहले 1977 में आरम्भ की थी, सातवें वित्त आयोग ने भी इसे स्वीकार किया था और इसकी सिफारिश की थी। लगभग चार राज्यों को उन दिनों जब श्री मोरारजी देसाई प्रधान मंत्री थे, 50 प्रतिशत सहायता दी गई थी, इस पूर्ण नशाबंदी की क्रियान्विति केवल लुभावना उपाय नहीं है परन्तु इससे ग्रामीण परिवारों की आर्थिक दशा सुधरी है। ग्रामीण जनता का स्वास्थ्य भी सुधरेगा और लोगों की उत्पादकता में भी वृद्धि होगी। इसके अतिरिक्त अपराध दर और महिलाओं पर अत्याचार तथा समाज में ऐसी अन्य बुराइयां भी इस विशेष नीति को लागू करने से कम हो जाएंगी इसलिए हमारा अनुरोध है कि इसमें सहायता की जानी चाहिए।

श्री मणि शंकर अय्यर ने प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय सहकारी संस्थाओं का उल्लेख किया और कहा कि कांग्रेस सरकार सहकारी क्षेत्र में लोकतंत्री मूल्यों को बनाए रखेगी, यह सत्यता से बहुत दूर है। आंध्र प्रदेश में जब 1990 में सहकारी चुनाव हुए थे तो उन्होंने सहकारी निकायों में दो सदस्य नामांकित किए थे। उन्हें मतदान का अधिकार दिया गया था। केवल नामांकित व्यक्तियों को मतदान का अधिकार देकर उन्होंने सहकारी संस्थाओं की सत्ता पर कब्जा कर लिया था। यह अलोकतांत्रिक है। यह लोकतंत्र के सिद्धान्त के अनुरूप नहीं है। यद्यपि हमने इसे अनेक बार इस सभा में उठाया था कि आंध्र प्रदेश में ऐसा हो रहा है, इसे संघ सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है और उसने इसका समर्थन किया है। सहकारी संस्थाओं में लोकतंत्री मूल्य स्थापित करने में उनकी कोई आस्था नहीं है .... **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : अन्य सदस्य भी हैं जो भाग लेना चाहते हैं। कृपया समाप्त कीजिए 3.30 म. प. तक सभी सदस्यों ने अपना वक्तव्य समाप्त करना है।

.... **(व्यवधान)**

प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु: दूसरी बात यह है, ...**(व्यवधान)** केन्द्रीय चुनाव आयोग को स्थानीय निकायों का चुनाव कराना चाहिए, यदि ऐसा है तो समूची संघीय व्यवस्था खत्म हो जाएगी .... **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : डा. वेकटेस्वरलु, आपने बीस मिनट ले लिए हैं, कृपया समाप्त कीजिए

(व्यवधान)

प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु : अंत में मैं इस समय तमिलनाडु में चल रहे संवैधानिक संकट के संबंध में एक शब्द कहना चाहता हूँ। मैं संवैधिक संस्था पर कोई आक्षेप नहीं करना चाहता हूँ। दो संस्थाएं संवैधानिक रूप से गठित की गई हैं, एक मुख्य मंत्री है और दूसरा राज्यपाल है, अब दुर्भाग्यवश इन संस्थाओं में झगड़ा हो रहा है, हमें एक ही बात की चिन्ता है, इन संस्थाओं के प्रति आदर बनाए रखना चाहिए और केन्द्रीय सरकार उस राज्य में जो कुछ चल रहा है उसके प्रति मूक दर्शक बने नहीं रह सकती है। मेरा कहना है कि वह संवैधानिक प्रावधानों को बनाए रखने और उनकी रक्षा करने की अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती है। मेरा अनुरोध है कि केन्द्रीय सरकार को तत्काल कुछ करना चाहिए नहीं तो यह मान लिया जाएगा कि जहां तक इन संस्थाओं का ताल्लुक है, यहां हो रही हलचलों में यह भी सहभागी है।

चूंकि इस अभिभाषण में वास्तविकताओं का उल्लेख नहीं है और चूंकि सरकार आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे कल्याणकारी उपायों जैसे दो रुपये का एक किलो चावल योजना और पूर्ण नशाबंदी के लिए वित्तीय सहायता नहीं दे रही है। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : डा. वेंकटेस्वरलु, आप बहुत सुंदर तरीका अपना रहे हैं।

.... **(व्यवधान)**

प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटे स्वरलु : इसके अतिरिक्त इसका दुष्कार्यों दुरुपयोगों, असफलताओं, घोटालों, भ्रष्टाचार आदि में भी हाथ है और इसलिए मैं श्री मणि शंकर अय्यर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री सैयद मसूदल हुसैन (मुर्शिदाबाद) : उपाध्यक्ष जी, राष्ट्रपति जी का अभिभाषण एक तरफ प्रोग्रैस रिपोर्ट है और दूसरी तरफ एनुअल प्रोग्राम है। जो लड़का क्लास में फेल हो जाए, उसकी क्या प्रोग्रैस रिपोर्ट होगी। पिछले साल और इस साल के जो दो अभिभाषण हुए हैं, क्या आप बता सकते हैं कि उनमें कहीं भी कोई प्रोग्रैस हुई है ? पिछले साल कोई बड़ा कम्युनल रॉयट नहीं हुआ, यह आपकी एचीवमेंट है। यदि यह आपकी एचीवमेंट है तो अयोध्या में जो मस्जिद गिराई गई, वह आपका फेल्योर था। पैरा 3 में आपने बताया कि कम्युनल और सक्सैशनिस्ट फोर्स पर गहरी नजर रखने की कोशिश कर रहे हैं। उसका नतीजा यह हुआ कि आपके हाथ से महाराष्ट्र और गुजरात निकल गया और जिनको आप कम्युनल फोर्स कहते हैं, उनके हाथ में सरकार चली गई। आपने इतना केयरफुली वॉच किया कि दो स्टेट आपके हाथ से निकल गए। आपका एक के बाद एक क्या हाल हो रहा है, वह मैं बताता हूं। आपकी नीति से देश के मुसलमान खुश नहीं हैं। नागपुर की घटना से साबित हो गया है कि पूरे देश के ट्राईबल्स आपसे खुश नहीं हैं, शैड्यूल

कास्ट्स खुश नहीं हैं। जिस तरह से बेकारी और बेरोजगारी बढ़ रही है, उससे नौजवान खुश नहीं हैं। लिंग्विस्टिक माईनौरिटीज आपसे खुश नहीं हैं।

कहां जायेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। जिस तरह से इण्डस्ट्रीज बन्द हो रही हैं, ढ़ाई लाख के ऊपर जो इण्डस्ट्रीज बन्द हो गईं, वहां छंटनी हो रही है, वह इण्डस्ट्रिल वर्कर्स आपसे खुश नहीं हैं तो आपको वोट कहां से मिलेंगे ?

आपके दल के अन्दर भी लोग कहते हैं कि टाडा में एक समुदाय विशेष के लोगों को पकड़ा गया, इसलिए टाडा को हटा देना चाहिए। शायद मणि शंकर अय्यर जी भी इस बात से सहमत होंगे कि एक विशेष समुदाय के लोगों को पकड़ने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया है इसलिए इसको हटा देना चाहिए। आप इसको हटाना चाहते हैं या नहीं ? अगर यह बात सच है कि टाडा का इस्तेमाल गलत तरीके से हुआ है, एक विशेष समुदाय के खिलाफ इसको लगाया गया है तो टाडा को हटा तो जरूर देंगे, लेकिन इसके गलत इस्तेमाल के लिए चीफ मिनिस्टर सहित जो लोग जिम्मेदार थे, क्या उनके खिलाफ आप कुछ करेंगे ? यही एलीमेंट्स आपकी पार्टी के अन्दर हैं, यही एलीमेंट सरकार के अन्दर हैं, यही एलीमेंट राज्य सरकार के अन्दर सत्ता संभालते हैं, उनके खिलाफ आप क्या करेंगे ?

इस बार के राष्ट्रपति के अभिभाषण के पैरा पांच में कश्मीर का, पैरा छह में नोर्थ ईस्टर्न रीजन का, पैरा सात में झारखण्ड का और पैरा आठ में उत्तराखण्ड का जिक्र है, जो पूरा डिस्टर्ब एरिया है। इसके बारे में आपने कुछ जिक्र नहीं किया। इस समस्या का हल आप अभी तक नहीं निकाल पाये। कश्मीर के बारे में बहुत चर्चा होती है। मैं इसमें सिर्फ इतना कहूंगा कि कश्मीर का हाल सब को मालूम है, वहां रास्ता बंद है, वहां अनाज नहीं जा रहा है, जिससे लोगों को बहुत तकलीफ है, सब कुछ ठीक है। पाकिस्तान के लोग घुसपैठ कर रहे हैं, वहां से ट्रेण्ड मिलिटेंट्स आते हैं, उनके खिलाफ आपने जो कार्रवाई की है, वह ठीक है, और जरूरत पड़ी तो देश के लोग उन पर टूट पड़ने के लिए तैयार हैं। हम लोग चाहते हैं कि कश्मीर की समस्या को हम लोग खुद हल करें। बाहर की कोई भी शक्ति अगर इसको बिगाड़ने की कोशिश करेगी तो हम उसके साथ सख्ती से निपटेंगे।

मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान से तो हम जरूर लड़ लेंगे लेकिन कावेरी नदी के सवाल पर मैं किससे लड़ूं ? पंजाब के बारे में आपने कुछ जिक्र नहीं किया। आज पंजाब शान्त है। के. पी. एस. गिल की बन्दूक की नोंक पर यह शान्त है। यह अभी सोया हुआ है। आपने अबोहर के बारे में नहीं सोचा, चण्डीगढ़ के बारे में नहीं सोचा, पंजाब में जो जातीय मामला था, उसके बारे में आपने ध्यान नहीं दिया। बन्दूक की नोंक पर आप कुछ लोगों को कुछ दिनों के लिए सुलाए रख सकते हैं, लेकिन उनकी जो असली मांग है, जो असली मुद्दा है, जब तक आप उसका समाधान नहीं करेंगे, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। आज पंजाब के जवान खामोश हैं तो आप यह मत सोचिये कि वह सब कुछ भूल गये हैं। मैं स्वर्ण मंदिर और दिल्ली के दंगों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वैद्य जी की बात कर रहा हूँ, जो वहां मिलिट्री के जनरल थे, उनको उन्होंने पूना में जाकर खत्म कर दिया, अगर वह भूले हुए होते तो ऐसा नहीं करते। यह इतनी आसान बात नहीं है, लेकिन इस मसले पर आप नहीं सोचते हैं।

आप चुनाव के वक्त कुछ करते हैं और चुनाव के बाद कुछ करते हैं। आपका जो रवैया है, यह उसका नतीजा है कि कर्नाटक में आप खत्म हैं, आन्ध्र प्रदेश में आपको 25 सीटें मिलीं, बिल्कुल बीड़ी का बंडल बन गया। लेकिन उसके बाद आपने भण्डारी की सरकार को तोड़कर वहां का कंडारी बनने की कोशिश की थी लेकिन जनता ने आपकी वह पिटाई की कि वहां आपको सिर्फ एक सीट मिली, लेकिन फिर भी आपको कोई सबक नहीं मिला। मणिपुर में जोड़ तोड़ करके आपने सरकार बना ही ली। मणिपुर में आपने यह काम कर दिया।

आप कभी तो कुछ सोचो। आप समझते हैं कि बी. जे. पी. जीत गई, महाराष्ट्र में, गुजरात में, बी. जे. पी. के हाथ में चार स्टेट्स हैं तो वह बहुत खुश है लेकिन यह भूल गये कि और भी एक शक्ति है जिन के हाथ में त्रिपुरा है, बंगाल है, कर्नाटक है, आन्ध्र प्रदेश है और बिहार है। लैफ्ट फ्रंट और नेशनल फ्रंट को आप भूल रहे हैं। हमारी मजबूरी थी कि उड़ीसा, महाराष्ट्र और गुजरात में हमारा एलाइंस नहीं हुआ। अगर एलाइंस होता तो ऐसी स्थिति पैदा नहीं होती। नैक्सट टाइम हमारा एलाइंस हो जायेगा। यह वक्त की मांग है। डेमोक्रेटिक और सैकुलर फोर्सिज उभर रही हैं और आगे बढ़ रही हैं। वह सत्ता सम्भालने के लिये तैयार है।

श्री मणि शंकर अय्यर : लैफ्ट हमारे साथ आने वाली है।

श्री सैयद मसूदल हुसैन: ठीक है, वह आपके पास जाने के लिए तैयार हैं लेकिन आप पहले कुमारमंगलम को तो सम्भालिये।

श्री मणि शंकर अय्यर : आप ही उन्हें सम्भालिये। वह आपके आदमी हैं।

श्री सैयद मसूदल हुसैन : मुझे बहुत खुशी है कि आपने यह मान लिया है कि वह मेरे आदमी हैं। कांग्रेस में अभी भी कुछ भले आदमी हैं जिन का परिचय मैं अभी दे सकता हूं। जे. पी. सी. के चेयरमैन मिर्धा जी ऐसे भले लोगों में से हैं और वह कांग्रेस से निकल कर आने वाले हैं। इन्होंने आपको फंसा दिया। वह सच्चे और ईमानदार आदमी हैं।

श्री मणि शंकर अय्यर : हमने भी रिपोर्ट तैयार की है। आप हमारी भी तारीफ कीजिये।

श्री सैयद मसूदल हुसैन : मैंने आपको बेईमान नहीं कहा है। मैंने यह नहीं कहा है कि चीनी घोटाले में आपका भी हाथ था। आपको मिनिस्टर नहीं बनाया। मिनिस्टर बनाया होता तो ही हम जान पाते कि आप कैसे आदमी हैं।

ऐचिवमेंट्स के बारे में 2-4 बातें बोलना चाहता हूं। यहां कहा गया कि विभिन्न क्षेत्रों में बहुत प्रगति हुई लेकिन आपने इस बात का ध्यान नहीं दिया कि 1981 से 1991 तक सैन्सस रिपोर्ट के मुताबिक पापुलेशन का ग्रोथ रेट क्या था ? उस समय पापुलेशन का ग्रोथ रेट 2.14 था। इसकी फूड प्रोडक्शन के साथ तुलना की जाये तो कोई प्रोग्रैस होती दिखायी नहीं देगी। हमारा फूड प्रोडक्शन पिछले साल 1.01 परसैंट इनक्रीज हुआ था। पापुलेशन के ग्रोथ रेट को देखें तो यह फूड प्रोडक्शन

बहुत कम दिखायी देगा।

आज इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं। जी. डी. पी. और जी. एन. पी. के साथ आप तालमेल नहीं रख पा रहे हैं। ऐसी हालत में आप कारोबार को और इंडस्ट्रीज को बंद करके बहुराष्ट्रीय कंपनियों को ला रहे हैं। आप उन्हें लाइये। वे पहले भी थे, अभी भी हैं और बाद में भी आयेंगे लेकिन मुझे एक बात ही कहनी है कि कोर सैक्टर को किस तरफ ले जा रहे हैं और सर्विस सैक्टर को क्या दे रहे हैं? आप बार-बार वैस्ट बंगाल का नाम लेते हैं। क्या वैस्ट बंगाल भारत का भाग नहीं है? यह वैस्ट बंगाल की मजबूरी है कि पूरा भारत जिस रास्ते पर चलेगा, उस रास्ते पर वैस्ट बंगाल भी चलेगा।

3.00 म. प.

हमें भी मानना पड़ेगा मजबूरी में, लेकिन यह विदेशी पूंजी और विदेशी कंपनियां हमारे देश में आ रही हैं। इनके आने से कोर-सैक्टर में जो हमारी बर्बादी होगी, उसको हम रोक नहीं पायेंगे। दूसरे देशों में पेटेंट कानून में अमेंडमेंट नहीं हुआ है, लेकिन आपको इसको पास करने की बड़ी चिन्ता है। इस सब चीजों के ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए।

अंत में, मैं आपको बताना चाहता हूं, काश्मीर से लेकर मेघालय तक या आप अरुणाचल तक कहें, जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, सब जगह के लोग परेशान हैं, क्योंकि वे पिछड़े हुए हैं। इनके बारे में आप नहीं सोचते हैं। हाल ही में त्रिपुरा में, वहां नई सरकार आई है, वहां के चीफ मिनिस्टर के मना करने पर भी आपने पैरा मिलिटरी फोर्स को बिदड़ा कर लिया। इससे जो क्षति हुई है, उससे लगता है कि आप बिखराव आन्दोलन को मदद देना चाहते हैं। खैर, आप मदद दीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, बाहर जनता कह रही है कि नरसिंहराव जी कांग्रेस के आखिरी प्राइम मिनिस्टर हैं...

एक माननीय सदस्य: यहां की जनता की बात नहीं करते हैं।....(**व्यवधान**)

श्री कालका दास (करोलबाग): भारतीय जनता पार्टी भी यही कह रही है।..(**व्यवधान**)

श्री सैयद मसूदल हुसैन: आप सोचते हैं कि हम उधर चले जायेंगे, तो यह इतना आसान नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी से एक बात कहना चाहता हूं। भारत के लोग धार्मिक हैं, धर्म में विश्वास करते हैं, धर्म को पसन्द करते हैं, ठीक है मैं नास्तिक हूं। आप उनको कुछ देर के लिए भड़ाका सकते हैं, लेकिन भारत के लोग साम्प्रदायिक नहीं हैं। भारत की जनता चाहती है केन्द्र में डैमोक्रेटिक सैक्युलर फोर्स आए।

इतना कहकर, माननीय अय्यर जी ने राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं कर सकता हूं, मैं इसका विरोध कर रहा हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री पी. जी नारायणन, इसके बाद श्री श्रवण कुमार पटेल और श्री भोगेन्द्र झा बोलेंगे।

श्री पी. जी. नारायणन (गोबिचेट्टिपालयम): उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने की अनुमति देने के लिए आपका धन्यवाद .....(**व्यवधान**)

श्री याइमा सिंह युमनाम (आंतरिक मणिपुर): मैं आपसे बोलने की अनुमति देने के लिए अनेक बार कह रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने स्लिप भेजी है।

श्री याइमा सिंह युमनाम : सभी दलों को बोलने का अवसर दिया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री याइमा सिंह, आप अकेले व्यक्ति हैं, यहां लोगों का ग्रुप है। सूची के अनुसार और नियमों के अनुसार मैं नाम बुला रहा हूं, मैं स्वविवेक का प्रयोग नहीं कर रहा हूं। कृपया बैठ जाइये। आपको मौका मिलेगा।

श्री याइमा सिंह युमनाम: अकेला सदस्य होने के नाते क्या मैं सभा से पदत्याग कर दूँ?

उपाध्यक्ष महोदय: नहीं, नहीं, ऐसा किसने कहा है? यह मेरा कहना नहीं है, आपका नाम सूची में है, नियमों के अनुसार मैं आपका नाम बुलाऊँगा। ....(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय: यदि सभी जल्दी बोलकर सभा से चले जाना चाहते हैं तो यहां कौन बैठेगा? ऐसा कहना आपको शोभा नहीं देता है, कांग्रेस के तीन सदस्य हैं जिन्होंने अपने नाम भेजे हैं। आपने पत्र दिया है, अवश्य ही आपको अपनी बारी आने का इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि सचेतक ने आपका नाम नहीं भेजा है।

श्री जगमीत सिंह बरार: मुझे भी बोलना है।

उपाध्यक्ष महोदय: मैं चाहता हूं कि आपको मौका मिले, श्री नारायणन।

श्री पी. जी. नारायणन : मैं सिर्फ एक बात पर जोर देना चाहता हूं। तमिलनाडु में वर्तमान राज्यपाल के बने रहने के कारण एक गम्भीर संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया है। राज्य विधान सभा ने एक संकल्प पारित किया है जिसमें उसे वापस बुलाने की मांग की गई है और केन्द्र से कहा है कि राज्यपाल को नियुक्त करने से

पूर्व मुख्य मंत्री से परामर्श किया जाना चाहिए।......(**व्यवधान**)

श्री कोडीकुन्नील सुरेश (अडूर) : आप संकल्प कैसे पारित कर सकते हैं?

श्री पी. जी. नारायणन: संकल्प पारित किया गया है, मैं कैसे समझा सकता हूं....(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : जो वे कहते हैं उसे हम सुनें।

......(**व्यवधान**)

श्री पी. जी. नारायणन: महोदय, यह विधान सभा का अपमान है,......(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय: हम उसे देखेंगे, जो टिप्पणी वे कर रहे हैं यदि वह नियमों के अनुसार है तो वे कार्यवाही वृत्तांत में लायेंगे अन्यथा उन्हें कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया जायेगा।

.........(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय: श्री नारायणन, आप तथ्य इस तरीके से रखें कि इससे संवैधानिक उपबंधों का उल्लंघन न हो।

.......(**व्यवधान**)

श्री पी. जी. नारायणन: जी हां, मैं जानता हूँ। ....(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय: श्री नारायणन अपनी बात कह रहे हैं, वह एक दल के नेता हैं, उनका आदर किया जाना चाहिए।

श्री पी. जी. नारायणन: तमिलनाडु विधान सभा में जो संकल्प पारित किया गया है वह सरकारिया आयोग के प्रतिवेदन में की गई मुख्य सिफारिशों में से एक है, एक अन्य सिफारिश सरकारिया आयोग ने यह की है कि राजनीतिक रूप से सक्रिय लोगों को राज्यपाल नियुक्त नहीं करना चाहिए। इन मुख्य और महत्वपूर्ण सिफारिशों की सरकार द्वारा अब तक उपेक्षा की गई है, केन्द्रीय सरकार ने पिछले अनेक वर्षों से सरकारिया आयोग के समूचे प्रतिवेदन पर अब तक कोई कार्यवाही नहीं की है। यह केन्द्रीय सरकार के उदासीन रवैये के कारण और संघीय व्यवस्था के प्रति कोई आदर न होने के कारण है, सरकार यह कह कर अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती है कि उसे तमिलनाडु की स्थिति के बारे में जानकारी नहीं है। दूसरे दिन श्री शुक्ल ने सभा में कहा था कि उन्हें स्थिति की जानकारी नहीं है। महोदय, केन्द्रीय सरकार शासन चलाने के अयोग्य है, राज्यपाल कोई आसमान से नहीं टपके हैं, आखिरकार राज्यपाल केंद्र द्वारा भेजे जाते हैं और वे उसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, महोदय, मेरा अभियोग है कि केन्द्र का यह कहना कि वह तमिलनाडु की स्थिति से और राज्यपाल द्वारा मुख्य मंत्री के विरुद्ध दी गई स्वीकृति से अवगत नहीं हैं....(कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया) सत्यता से बहुत दूर है। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय: हम राज्यपाल का नाम हटा देते हैं, श्री नारायणन, नामों का प्रयोग न करें।

.....(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय: हमने नाम को हटा दिया है।

......(**व्यवधान**)

श्री पी. जी. नारायणन : दूसरी ओर, मेरे पास सूचना है कि वे तमिलनाडु की सरकार को अस्थिर करने के लिए राज्यपाल के साथ सांठगांठ कर रहे हैं।..(**व्यवधान**) केन्द्र द्वारा अपनाई जा रही ब्लैकमेल करने की यह प्रवृत्ति देश की एकता और अखंडता के लिए निश्चित रूप से खतरा पैदा करेगी।

तमिलनाडु विधानसभा में संकल्प पर चर्चा के दौरान हस्तक्षेप करते समय मुख्य मंत्री ने एक चौंकाने वाली बात कही। जब वह अगस्त 1993 में राज्यपाल से मिली थी तो उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया गया और उसे अपमानित किया गया....(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय: यह सब प्रशासनिक मामले हैं।

(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जनार्दनन, आपके नेता बोल रहे हैं, कृपया बैठ जाइये।

(**व्यवधान**)

श्री पी. जी. नारायणन : महोदय, संवैधानिक प्रभुत्व से इस प्रकार की अमर्यादापूर्ण और आपत्तिजनक व्यवहार की आशा नहीं की जा सकती। सामान्यत: मुख्य मंत्री और राज्यपाल के बीच सौहार्दपूर्ण सम्बन्द्ध होने चाहिए (**व्यवधान**)

श्री मणि शंकर अय्यर (मईलादुतुराई) : यदि उनको अपमानित किया गया तो वे हमें बताने के लिए दो वर्ष तक क्यों रुकी रहीं। उन्होंने इसे गोपनीय क्यों रखा?

डा. (श्रीमती) के. एस. सौन्दरम (तिरुचेंगौड़): उन्होंने प्रधान मंत्री और भारत के राष्ट्रपति को सूचित किया था। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप बैठ जाइये। जो कुछ भी वे कह रहे हैं उसे

कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)......**

श्री पी. जी. नारायणन : उन्होंने राज्यपाल द्वारा उनसे किए गए दुर्व्यवहार और अपमान के बारे में राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री को लिखा था....(**व्यवधान**)

श्री मणि शंकर अय्यर : उन्होंने सार्वजनिक वक्तव्य तब दिया जब राज्यपाल ने ....(**व्यवधान**)

श्री एम. आर. कादम्बूर जनार्दनन: उन्होंने विधान सभा में भी इसका उल्लेख किया था।

श्री पी. जी. नारायणन : संवैधानिक प्रमुख को मित्र और दार्शनिक के नाते मुख्य मंत्री को परामर्श देना चाहिए परन्तु इसके विपरीत हमारे मुख्य मंत्री का एक महिला होने के नाते राज्य के प्रमुख द्वारा भारी अपमान किया गया। इस कारण से राज्यपाल को तत्काल वापस बुलाया जाना चाहिए। हमारी परंपरा और संस्कृति यह बर्दाश्त नहीं करेगी कि महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जाए। तमिलनाडु की जनता मुख्यमंत्री जी, जिसको उन्होंने चुनकर भेजा है, के साथ किए गए अपमानजनक व्यवहार से उत्तेजित है, केन्द्र को उग्र प्रतिक्रिया रोकने के लिए उपचारात्मक कार्यवाही करनी चाहिए।

महोदय, राज्याध्यक्ष के इस असभ्य व्यवहार की भर्त्सना करते हुए मैं केन्द्र से उन्हें तत्काल वापस बुलाने के लिए कहता हूँ।

मैं यह भी मांग करता हूं कि संविधान के अनुच्छेद 155 को उपयुक्त रूप से संशोधित किया जाए और यह प्रावधान होना चाहिए कि राज्यपाल को नियुक्त करने से पूर्व राज्य के मुख्य मंत्री से परामर्श किया जाये। महोदय, अध्यक्ष जी ने पहिले ही सरकार को निदेश दिया है कि वाद-विवाद का उत्तर देते समय प्रश्न का समुचित रूप से उत्तर दिया जाए, महोदय, मुझे आशा है कि सरकार इस समस्या का समाधान करने के लिए तत्काल कदम उठाएगी। महोदय, भारत के राष्ट्रपति के लिए मेरे मन में अगाध श्रद्धा है। मैं, अपने साथी श्री मणि शंकर अय्यर द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करने में असमर्थ हूँ।

श्री श्रवण कुमार पटेल (जबलपुर) : माननीय, उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपको इस चर्चा में भाग लेने के लिए यह अवसर देने पर धन्यवाद करना चाहूँगा। महोदय, भारत के राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में पिछले वर्षों के दौरान आर्थिक, घरेलू और विदेशी मामलों पर हुई प्रगति का उल्लेख किया है। महोदय, चूंकि सत्ता पक्ष के मेरे अधिकांश साथियों ने नई आर्थिक नीति और राष्ट्र में चल रही गतिविधियों पर बोला है, इसलिए मैं भारत को विदेशी मामलों में जो सफलता मिली है, उस पर बोलूँगा। महोदय, 1994-95 का वर्ष विश्व के बड़े राष्ट्रों के साथ संबंध सुधारने के मामले में वस्तुतः घटनापूर्ण रहा है। प्रधानमंत्री की संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ब्रिटेन और रूस की बहुप्रतीक्षित यात्रा इस वर्ष हुई है और उनसे निकट के तथा मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने में काफी सफलता मिली है। प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा के दौरान उस देश ने काश्मीर के संबंध में भारत की नीति के प्रति अपनी समझ दिखाई है और इस बात को माना है तथा घोषित किया है कि कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय मामला है जिसे शिमला समझौते के अन्तर्गत द्विपक्षीय रूप से सुलझाया जाना चाहिए। अमरीकी प्रशासन ने भी सीमा पार से आतंकवादी गतिविधियाँ चलाने और भारत के विरुद्ध अप्रत्यक्ष युद्ध जारी रखने में पाकिस्तान की भूमिका को उचित नहीं माना है। यह ध्यान देने योग्य बात है कि पाकिस्तान की प्रधान मंत्री मिसेज बेनजीर भुट्टो की हाल ही की संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा से पाकिस्तान को अधिक सफलता नहीं मिली है और कश्मीर का मामला भी वहीं रह गया जहां वह था, जहां तक प्रेसलर संसोधन को लागू करने का संबंध है, इसमें कोई छूट नहीं दिखाई गई है। इसलिए प्रधानमंत्री की यात्रा से भारत अमरीकी व्यापार और आर्थिक संबंध को प्रोत्साहन मिला है जिससे अमरीकी निवेशकों ने पूंजीनिवेश के अनेक प्रस्ताव दिए हैं और उच्च प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों और आधारभूत ढांचे वाले क्षेत्र में अमरीकी फर्मों के साथ समझौते हुए हैं, अमरीका ने जो कहा है उससे पता चलता है कि परमाणु अप्रसार संधि पर भारत के रुख को काफी समझा गया है।

प्रधान मंत्री की ब्रिटेन की यात्रा के परिणामस्वरूप भारत-ब्रिटेन संबंधों को भी न केवल राजनयिक और आर्थिक क्षेत्र में अपितु रक्षा क्षेत्र में भी प्रोतसाहन मिला है, ब्रिटेन ने भी भारत के साथ गहरे रक्षा संबंधों को विकसित करने में अपनी उत्सुकता दिखाई है। जहां तक प्रधान मंत्री की रूस की यात्रा का संबंध है, क्रायजेनिक इंजन के सौदे को फिर से बहाल किया गया और रूस को भारत की ओर से ऋण की अदायगी का जटिल मामला भी सौहार्दपूर्ण ढंग से हल कर लिया गया।

3.19 म. प.

(श्रीमती संतोष चौधरी पीठासीन हुईं)

इस वर्ष भारत को दक्षिण अफ्रीका के प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति डा. नेलसन मंडेला का स्वागत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यह वस्तुतः रंगभेद नीति और नस्ल पर आधारित भेदभाव के विरुद्ध हमारे संघर्ष के इतिहास में एक महत्वपूर्ण कदम था। यह संघर्ष राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने नस्लवाद को खत्म करने के लिए, जो विशेषकर दक्षिण अफ्रीका में और सामान्यतः विश्व में कहीं भी प्रचलित था, आरम्भ किया था। इस देश के लोगों के लिए यह एक महान गौरव और सौभाग्य की बात थी कि उसने गणतंत्र दिवस पर सम्माननीय अतिथि के रूप में डा. मंडेला का स्वागत किया।

पाकिस्तान एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग में कश्मीर के मामले में प्रस्ताव प्रस्तुत करने में असफल रहा। यह श्री नरसिंह राव जी की मापक दूरदृष्टिता और राजनीतिज्ञता थी कि उन्होंने संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग

** कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

में जाने वाले भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने के लिए विपक्षी नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी को चुना। इससे विश्व ने भी यह जाना कि जब भी भारत की एकता और अखंडता का प्रश्न उठता है तो भारत के लोग एक हो जाते हैं।

भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार करने और उसका अधिक लोकतन्त्रीकरण करने के लिए जो माँग की है, उसे विश्व के विभिन्न सदस्य राष्ट्रों से समर्थन मिल रहा है और वह दिन दूर नहीं जब भारत अपने आपको विस्तारित सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के बीच पाएगा।

महोदया, जहां तक आर्थिक सुधारों का संबंध है हमें नई सरकार के सत्ता में आने से पूर्व 1991 में व्याप्त स्थिति और वर्तमान स्थिति के बीच तुलना करना पड़ेगी। महोदया, जब यह सरकार सत्ता में आई, तब स्थिति बहत नाजुक थी। भुगतान संतुलन की स्थिति बहुत खराब थी। मुद्रा स्फीति दो अंकों में थी जो लगभग 17 से 18 थी और विदेशी मुद्रा का कोष बहुत कम हो गया था। अनिवासी भारतीयों का भारतीय अर्थव्यवस्था में विश्वास खत्म हो गया था और हमें लाखों डालर मूल्य का सोना विदेशों में गिरवी रखना पड़ा था। भारत धीरे-धीरे ऐसी स्थिति की ओर जा रहा था जब हम उधार के जाल में फँस जाते।

अब हम उस स्थिति से उबर आए हैं और अब भुगतान संतुलन ठीक हो गया है। भारत के पास 20 बिलियन अमरीकी डालर का विदेशी मुद्रा का रिकॉर्ड आरक्षित कोष है। देश में विकास की वृद्धि दर बढ़ रही है और औद्योगिक वृद्धि दर लगभग 8.7 प्रतिशत है। पहली बार भारत समय से पहले ही 1.1 बिलियन अमरीकी डालर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का ऋण का वापसी भुगतान करने में सफल रहा है।

महोदया, सभी आर्थिक विकास का मूल्यांकन किया जाना है और इस राष्ट्र के निर्धन लोगों को लाभ पहुँचाने की दृष्टि से इसको देखना है, मूल्यों का स्थिरीकरण बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। सरकार इससे पूर्णतया अवगत है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 2 के अनुसार राज्यों पर यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है कि लोगों को दिया जाने वाला पोषक तत्वों का स्तर बना रहे। इस राष्ट्र के लगभग 35 प्रतिशत लोग निर्धनता रेखा से नीचे हैं और इसलिए सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आरम्भ किया है, हमने सार्वजनिक वितरण व्यवस्था को नया रूप दिया है जिसके अंतर्गत 800 और नए ब्लॉक लाए जाने हैं,

बजट की घोषणा के बाद मुद्रास्फीति पहले ही कम होकर एकल अंक पर आ गई है और मुख्य वस्तुओं के थोक मूल्यों में स्थिरता आ गई है और वे कम हो रहे हैं। श्री पी. वी. नरसिम्ह राव ने 15 अगस्त 1993 को जिस प्रधान मंत्री रोजगार योजना की घोषणा की थी और जिसे 2 अक्तूबर, 1993 से क्रियान्वित किया गया था तथा जिसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करना था, उसे ग्रामीण क्षेत्रों में लागू किया गया है। इस वर्ष दो लाख युवाओं को इससे लाभ मिला है। जबकि पिछले वर्ष 31,797 युवक इससे लाभान्वित हुए थे। आर्थिक विकास से हमारे लोगों के लिए नए रोजगार सृजित हुए हैं और वित्त मंत्री के शब्दों में प्रति वर्ष 60 लाख नए रोजगार और सृजित हो रहे हैं, 1994-95 में यह वृद्धि और भी अधिक होने की आशा है।

महोदया, सरकार ने ग्रामीण विकास की ओर भी बहुत अधिक ध्यान दिया है। आठवीं योजना में ग्रामीण विकास हेतु केन्द्रीय योजना परिव्यय के लिए 30,000 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। इस वर्ष वित्त मंत्री महोदय ने ग्रामीण विकास प्रयोजन के लिए 7,700 करोड़ रुपये आबंटित किए हैं।

महोदया, विपक्ष के एक सदस्य ने जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि होने का उल्लेख किया है। मैं व्यक्तिगत रूप से यह अनुभव करता हूँ कि सरकार को इस देश की जनसंख्या को कम करने पर अधिक ध्यान देना चाहिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जितनी जनसंख्या थी वह अब बढ़कर लगभग तीन गुना हो गई है, प्रत्येक वर्ष हम इस राष्ट्र में एक नया आस्ट्रेलिया बना रहे हैं और जब तक कठोर और प्रभावी उपाय नहीं लिए जाते, मैं नहीं समझता कि भारत ने जो लक्ष्य निर्धारित किया है उसे वह प्राप्त कर लेगा, इस प्रयोजन के लिए मैं यह सुझाव दूंगा कि परिवार को कम रखने के लिए न केवल प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए अपितु बड़े परिवार रखने वाले लोगों के लिए कराधान के रूप में अन्य दंडात्मक कार्यवाही भी करनी चाहिए।

महोदया, जहां तक इस देश में महिलाओं की स्थिति का सम्बंध है, यद्यपि उनका भाग इस राष्ट्र की जनसंख्या का 50 प्रतिशत है और संविधान ने महिलाओं के लिए बराबरी के अधिकार की गारंटी दी हुई है, सार्वजनिक निकायों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व संतोषजनक नहीं है। यह राजीव गांधी ही थे जिन्होंने पहली बार पंचायत विधेयक के माध्यम से निर्वाचित निकायों में महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की कोशिश की। यदि आप लोक सभा का उदाहरण लें, ऐसी स्थिति कभी नहीं आई जब 10 प्रतिशत से अधिक महिलाएं सदस्या थीं, इसलिए हमें कुछ करना चाहिए ताकि इस देश में महिलाओं की स्थिति में सुधार आए।

महोदया, अन्त में मैं एक समस्या पर बोलकर अपना वक्तव्य समाप्त करूंगा। यह समस्या मध्य प्रदेश के महाकौशल क्षेत्र की है। मैं महाकौशल क्षेत्र से संबंध रखता हूं। रेलवे मंत्रालय ने एक समिति बनाई थी जिसे सरीन समिति से जाना जाता था। इसने देश में रेलवे जोनों की स्थापना करने के प्रश्न पर विचार किया था। उस समिति की सिफारिशों के अनुसार दसवां रेलवे जोन, जबलपुर में स्थापित किया जाना था और उस समिति ने सरकार को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया था। अभी हाल में रेलवे मंत्रालय ने उस प्रश्न पर विचार करने के लिए एक और समिति दुबारा नियुक्त की और दूसरी समिति ने भी जबलपुर को दसवें मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय बनाने की सिफारिश की है। फिर भी हमारे सामने कुछ बाधाएं आ रही हैं, मैं सरकार से यह सुनिश्चित करने के लिए कहूंगा कि महाकौशल क्षेत्र के लोगों के मन में इस बात को लेकर आंदोलन चल रहा है-जबलपुर का अधिकार उसे दिया जाए, मैं समझता हूं कि जबलपुर महाकौशल क्षेत्र का केन्द्र है और यह उपयुक्त होगा यदि इस क्षेत्र को मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय घोषित कर दिया जाता है।

महोदया, मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे समय दिया और

मैं श्री मणि शंकर अय्यर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

[हिन्दी]

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी): महोदया, जो धन्यवाद का प्रस्ताव राष्ट्रपति के अभिभाषण पर पेश किया गया है, उससे मैं सहमत नहीं हूं और मैं उसका विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैं कुछ तथ्य और तर्क उसके पक्ष में दूं, उसके पहले मैं एक बात का सुधार कर दूं कि सरकार से हमारी गहरी शिकायत है। यह राष्ट्रीय परंपराओं के प्रतिकूल जा रही है और भविष्य के लिए भयंकर खतरा उत्पन्न कर रही है, वर्तमान में तो संकट को बढ़ा ही रही है। आजादी के बाद भारत संसार में ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा बेकारी है, जहां सबसे ज्यादा लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं, जहां सबसे ज्यादा लोग निरक्षर हैं इसलिए हम भग्गू हैं। मैं संसोधन कर दूं उन मंत्रियों और नेताओं की जानकारी के लिए, कि चीन को छोड़कर संसार में सबसे अधिक साक्षर भारत में हैं। चीन को छोड़कर सबसे अधिक काम करने वाले आदमी भारत में हैं। चीन को छोड़कर सबसे अधिक गरीबी रेखा के नीचे लोग भारत में है। दूसरे देशों को देखते हुए हम अपने को हतोत्साहित और नीचा कर लें तो हमारी आजादी बेकार है, आजादी के लिए हम जितना लड़े, वह बेकार हैं। मैं समझता हूं कि इस सरकार की विफलता और दुर्नीतियों को समस्त देश की विफलता से हम न जोड़ें। 1950 में हमारे देश में पांच करोड़ टन अनाज पैदा होता था और आबादी 35 करोड़ थी। बहुत सारी विफलताएं हुई हैं जिसके लिए शासक दल जिम्मेदार है। हम लोग जिम्मेदार नहीं हैं, यह कहने की मेरी हिम्मत नहीं है क्योंकि बारी-बारी से सरकार में बहुत लोग गए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हिस्सा इनका है। आज हम पांच करोड़ टन के स्थान पर साढ़े अठारह करोड़ टन अनाज पैदा कर रहे हैं और आबादी 35 करोड़ से बढ़कर 90 करोड़ से ऊपर हो गई हैं।

सभापति महोदया, मुझे सरकार से सबसे बड़ी शिकायत आर्थिक नीति के बारे में है। अच्छा है कि प्रधानमंत्री जी यहां बैठे हैं। समेकित आर्थिक नीति हमारे देश में बन गई थी। वह केवल जवाहरलाल नेहरू की बात नहीं थी। यह ठीक है कि वे उसके प्रणेता थे, मगर वह राष्ट्रीय नीति थी। निजी क्षेत्र को कभी खत्म नहीं किया गया है। टाटा, बिरला सभी यहां पनपते रहे। पिछले कुछ वर्षों में लगातार राजकीय क्षेत्र पर चोट की जा रही है। राजकीय क्षेत्र में जो लाभप्रद उद्योग हैं उनको बेचा जा रहा है और विदेशी मुद्रा अर्जित करने के नाम पर नयी आर्थिक नीति की सफलता दिखाई जा रही है। बात यह हो रही है कि घर को जलाकर हम हाथ सेंक रहे हैं। यह इतना बड़ा खतरा हमारे देश में पैदा किया जा रहा है जिसका अधिकार न तो इस सरकार को है और हमारी संसद को भी नहीं है। चूंकि बहुत सी मौलिक नीति 90 करोड़ के देश के लिए इस बदलते हुए संसार में आप लाए हैं, आज भी उसका उतना ही बड़ा महत्व है कि समेकित वित्तीय नीति हो। इस संबंध में मैं एक बात पर जोर दूंगा कि जो सदस्य मित्र कहते हैं कि बेकारी बढ़ रही है और बढ़ेगी, मैं उस दृष्टि से इसे नहीं देख रहा हूं। मैं देख रहा हूं कि हमारे युवा वर्ग के करोड़ों लोग जिनका जीवन, जिनका हुनर, जिनकी समझ देश का उत्पादन बढ़ाने के काम में आ सकती है, उनका उपयोग नहीं हो रहा है। केवल बेकारी को हम देखेंगे तो जरूरत से ज्यादा लोगों को हर कार्यालय में, हर कारखाने में भर देंगे और उनको हम घाटे में डाल देंगे। मगर सबकी शक्ति का उपयोग नहीं हो रहा है। हमारे देश की जनसंख्या 90 करोड़ है, 180 करोड़ हाथ हैं। आप हर हाथ को हुनर सिखायें, माकूल तकनीक सिखायें। हमारे वित्त मंत्री जी और प्रधान मंत्री जी को अभी केवल विदेशी झलक आ रही है। प्रधान मंत्री जी को कैसे आ रही है क्योंकि ये स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सेदार थे। मैं कहता हूं कि सबसे बड़ी शक्ति श्रम शक्ति है। हमें बड़ी तकनीक चाहिए, छोटी तकनीक चाहिए, सबसे अच्छी माकूल तकनीक चाहिए।

3.31 म.प.

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

मेरा आग्रह है कि उसके जरिये हम बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का मुकाबला कर सकते हैं और हरेक हाथ को काम दे सकते हैं। इसलिए अच्छी तकनीक का उत्पादन चाहे निजी क्षेत्र करे या राजकीय क्षेत्र करे उसको बढ़ावा देना चाहिए। वह खेतों को जोतने के लिए, गृह उद्योग के लिए, लघु उद्योगों के लिए काम करें। स्विट्जरलैंड जैसे छोटे देश में घड़ी को गृह उद्योग के रूप में लेकर वह आज दुनिया की अगली कतार में है। वहां घर में एक बच्चा स्विच जलाता है, एक बच्ची पुर्जा बनाती है, दूसरा पुर्जा घर का कोई बुजुर्ग सदस्य बनाता है और चौथा उसको असेम्बल करता है। लेकिन हम इसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। हम नौकर तो बन सकते हैं लेकिन मालिक नहीं बनते। देश में प्रधानमंत्री के नाम पर परियोजना है, गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के लिए परियोजना है लेकिन उनका ठीक ढंग से कार्यान्वयन नहीं होता। वह ज्यादा पैसा बेकार जा रहा है। वह पैसा जिस चीज के लिए दे रहे हैं उसका उपयोग उसमें नहीं हो रहा है। कुछ बैंक वाले खा जाते हैं, कुछ ब्लॉक वाले खा जाते हैं और कुछ जो लेते हैं वे खा जाते हैं लेकिन गरीब को नहीं मिलता। आज जनतंत्र के नाम पर हम कायर बन गये हैं। मैं आम लोगों के लिए कह रहा हूँ किसी राजनैतिक पार्टी के लिए नहीं कह रहा हूँ अगर कोई उत्पादन करे तो 5 वर्ष में लखपति बन सकता है। मैं आग्रह करूंगा कि आप कुछ इलाकों में जांच करायें। मैं अपने इलाके के लिए तैयार हूँ, मेरा क्षेत्र ही नहीं बल्कि दो-तीन जिलों के लिए तैयार हूं कि वहां क्या-क्या काम कराया। वृक्ष हम रोपें और फल कोई खाये। कालिदास ने भी नासमझी की थी और वे उसी डाली को काटने लगे थे। आप जो रुपया दे रहे हैं उसका उपयोग नहीं हो रहा है।

अध्यक्ष जी, जब हम विदेशी बाजार को बढ़ायेंगे तो इससे हमारी प्रभुसत्ता पर खतरा होगा। पिछले साल मैंने कहा था तो वित्त मंत्रीजी को कुछ तकलीफ हुई थी। मीर जाफर ने व्यापारी समझकर ईस्ट इंडिया कम्पनी को कुछ सुविधाएं दीं तो हम 200 वर्षों तक गुलाम रहे। मगर ये मगरमच्छ जैसी कम्पनियां आ रही हैं ये राजनीति पर असर डालेंगी। जहाँ हममें से बहुत से लोग बिकने को तैयार हैं, जहां हम बिकने को तैयार हैं तो वहां खरीदने के लिए भी आयेंगे। जिसके हाथ में वित्तीय लगाम होगी तो राजनीति उससे अलग नहीं हो सकती। इसलिए हमारी आर्थिक प्रभुसत्ता पर खतरा है और तब राजनैतिक प्रभुसत्ता पर खतरा पैदा होगा। इसलिए कम से कम उपभोक्ता सामान में किसी बहुराष्ट्रीय कम्पनी को मत आने दीजिए। देश के उद्योग और उद्योगपति बढ़ें और जो चीज हम हासिल नहीं कर सकते, जो तकनीक

हम नहीं बना सकते उसको विश्व से खरीदा जाये तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कल ही एक अखबार में एक सनसनीखेज बात मिली है कि अमरीका में जहां धन का अम्बार है वहां एक फीसदी जनता के हाथ में 40 फीसदी सम्पत्ति है।

20 प्रतिशत लोगों के हाथ में सम्पत्ति कहां से आयेगी, अमेरिका में जब ऐसी स्थिति है कि 5 प्रतिशत लोगों के हाथ में आमदनी के साधन हैं, भले ही लोगों के पास रहने को थोड़ी भी जमीन न हो, पर्चा हम देते हैं लेकिन वे लोग महलों में किराये पर रहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : टाइम बहुत लिमिटेड है, इसलिये आप खत्म कीजिये।

श्री भोगेन्द्र झा: मैं खत्म कर रहा हूं। संयोगवश मुझे अंत में समय मिला है।

अध्यक्ष महोदय : आपको पहले बोलने के लिये कहा गया था लेकिन आप हमेशा अंत में बोलना चाहते हैं।

श्री भोगेन्द्र झा: अब मैं इतना ही कहूँगा कि अध्यक्ष महोदय की बात का जवाब नहीं दूंगा।

ऐसी स्थिति में, मैं समझता हूं कि हमारे ऊपर खतरा है जो खतरा पेटेंट एक्ट को बदलने के रूप में आया है। जिस समय 1973 में पेटेंट एक्ट यहां आया था, उस समय मैं भी सदन में था और हम लोगों ने सोच समझकर उसे पास कराया था लेकिन आज जिस तरह आप लाना चाहते हैं, हमारे एक्ट में भी पेटेंटिंग की व्यवस्था है कि जिस तरह कोई चाहता है, उसका पेटेंटिंग होगा। दूसरे तरीके से, दूसरी प्रक्रिया से भी कई देश, कई कम्पनियां और कई व्यक्ति कर सकते हैं क्योंकि प्रोडक्ट का, सामान का पेटेंटिंग होगा, लेकिन यह तो हमारे ज्ञान-विज्ञान पर हमला है, मानवाधिकार पर और मानव विकास पर हमला है और इसे अपनी पूरी शक्ति के साथ हम पारित नहीं होने देंगे, पूरी शक्ति से इसका विरोध करेंगे। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि वह कोई ऐसा दुस्साहस न करे।

यहां मैं एक और बात की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि कश्मीर में चुनाव का मामला उठता रहा है और बारबार हमने कहा है कि राष्ट्रपति शासन के हम खिलाफ हैं फिर भी मजबूर होकर हमें वोट देना पड़ रहा है, लेकिन इस बार वोट नहीं देंगे। मैं चाहूंगा कि आप कश्मीर में चुनाव की सारी तैयारी करें। आतंकवादियों के हाथ में वीटो पावर न दें कि जब तक वे न चाहें चुनाव नहीं होगा। पाकिस्तान के हाथ में भी वीटो पावर न दें कि जब तक उसके सदर न चाहें, चुनाव नहीं होगा। आप वहां चुनाव करायें और अपने दल की तरफ से मैं कह रहा हूं कि अगर आप संविधान संशोधन बिल लायेंगे, राष्ट्रपति शासन कि अवधि बढाने के लिये, तो हम उसका समर्थन नहीं करेंगे, बल्कि विरोध करेंगे। थोड़ा खतरा आजाद रहने में जरूर है लकिन जनतंत्र में भी खतरा है और जनतंत्र का जवाब बेहतर जनतंत्र है। यहां जनतंत्र को खत्म करने का सवाल नहीं है। इसलिये आप चुनाव की सारी तैयारी करिये। ऐसा आग्रह मैंने पहले भी किया था। हमारे उधर के कुछ मित्र इसका विरोध करते हैं, जो मेरी समझ में नहीं आता। वहां चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होने चाहिए। जो भी जीते, आने दीजिए। सदन में आकर वह यही कहेगा - आजाद कश्मीर - उसको कहने का अधिकार है। यदि वह कहता है कि हम अलग चले जायेंगे तो भी उसे अधिकार है। कई नासमझी की बातें हम लोग भी तो यहां करते हैं, कुछ और लोग करने लगेंगे।

अध्यक्ष महोदय : देखिये, झा साहब, आप प्लीज खत्म कीजिये।

श्री भोगेन्द्र झा: मैं गैर-जरूरी बातों को छोड़कर अब अंतिम बिंदु किसान के बारे कहना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय: प्रधान मंत्री को दूसरे हाउस में भी जवाब देना है, यह मैं सुबह से कह रहा हूँ।

श्री भोगेन्द्र झा: कृषि और मूल्य नीति के बारे में हम मांग करते हैं कि किसानों को लाभप्रद मूल्य मिले, बाहर शहरों में मांग करते हैं कि उपभोक्ताओं को सस्ते दाम पर चीजें मिलें, दो रुपये किलो के हिसाब से मिले, कुल मिलाकर उससे मुद्रा-स्फीति बढ़ती जा रही है। इस सरकार के पास कोई समेकित मूल्य-नीति नहीं है। समेकित मूल्य नीति का जहां तक सवाल है, जो वास्तविक उत्पादक हैं, पैदा करता है, उसे लाभप्रद मूल्य मिले, खेती और उद्योगों द्वारा बने माल में तारतम्य हो, पैरिटी हो और वास्तविक उत्पादक को जो कुछ मिलता है तथा उपभोक्ता को जो दाम देने पड़ते हैं, उनमें आप कोई सीमा तय कर दीजिये, भले ही वह 20-25 परसेंट हो, लेकिन बिचौलियों की लूट पर आप लगाम लगायें। खेती के जितने उपादान हैं, जैसे पानी, बिजली, उर्वरक, औजार आदि, उन्हें सस्ते दामों पर उपलब्ध करायें। ऐसी आप नीति बनायें। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो अखिल भारतीय किसान सभा के महा सचिव के नाते मैं कहना चाहता हूं कि आगामी 9 अगस्त को किसानों की ओर से हम संसद के घेराव पर आयेंगे, यदि किसानों के उत्पादन को घटाकर बाहर से बाजार बनाया जायेगा तो ठीक नहीं होगा।

[अनुवाद]

श्री याइमा सिंह युमनाम (आंतरिक मणिपुर) : महोदय, मैं भारी निराशा के साथ यह कहना चाहता हूँ कि मणिपुर राज्य के बारे में राष्ट्रपति के अभिभाषण में एक शब्द भी नहीं कहा गया है। मणिपुर राज्य की हालत बहुत खराब है, वहां अनेक निरपराध लोग सी. आर. पी. के जवानों द्वारा गोली से मार दिए गए हैं, उस राज्य में अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है, दिन दहाड़े सैंकड़ों मकानों को जला दिया गया है, परन्तु वहां न सेना है, न सी. आर. पी. का जवान है, न वहां राज्य सशस्त्र पुलिस का कोई जवान है,यह उस राज्य की स्थिति है, परन्तु इसका राष्ट्रपति के अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है मानो वह देश का भाग नहीं है, महोदय, यह मेरी शिकायत है।

चूंकि समय बहुत कम है इसलिए मैं उन्हीं बातों पर बोलूंगा जो मैं सभा के समक्ष रखना चाहता हूँ। यद्यपि राज्य में स्थिति पिछले चार वर्षों से इसी तरह की

है, मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि न तो हमारे प्रधान मंत्री ने और न ही गृह मंत्री ने उस राज्य का दौरा किया। प्रधान मंत्री अथवा गृह मंत्री को कम से कम उस राज्य का दौरा करके लोगों को ढाढस देना चाहिए था और लोगों में विश्वास पैदा करना था, परन्तु ऐसा नहीं किया गया। इसलिए मेरा कहना यह है कि केन्द्रीय सरकार राज्य के मामले में क्या ठोस कार्यवाही कर रही है, क्या यह सरकार की नीति है कि विद्रोह को केवल सशस्त्र बल से अथवा केवल बंदूकों से कुचल दिया जाए, यदि यह नीति है तो मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि ऐसा करना सफल नहीं होगा। इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि सरकार को पहले इन भूमिगत विद्रोही युवकों को आम माफी देने की घोषणा करनी चाहिए और फिर अन्य राजनीतिक कार्यवाही करनी चाहिए।

सरकार उन लोगों के साथ वार्ता कर सकती है जो विलय समझौते पर पुनर्विचार करने की मांग कर रहे हैं। वे मणिपुर के एक बहुत महत्वपूर्ण भाग को, जो काबो घाटी के नाम से जाना जाता है, अलग करने के बदले कोई अन्य क्षेत्र देने की मांग कर रहे हैं। यह मणिपुर का एक भाग था और म्यांमार को दे दिया गया था, मणिपुर राज्य के लोगों को आश्वस्त करना पड़ेगा कि वे उसके बदले कोई अन्य क्षेत्र देने को तैयार हैं।

मेरा केन्द्रीय सरकार से यह अनुरोध है कि विद्रोही उग्रवादियों के प्रति कोई तुष्टीकरण की नीति न अपनाई जाए, यह पता चला है कि सरकार मणिपुर का कुछ भाग पड़ौसी राज्यों नागालैंड और अन्य के साथ मिलाकर इन उग्रवादियों को प्रसन्न करने में लगी है। मणिपुर के लोग इसे स्वीकार नहीं करेंगे, यदि लोगों को इसे स्वीकार करने के लिए मजबूर किया जाता है तब राज्य में गृह युद्ध आरम्भ हो जाएगा। इस राज्य के लोगों ने अपनी मातृभूमि, अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए देशभक्ति की भावना से अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी। इसलिए मणिपुर राज्य की एकता के संबंध में कोई समझौता नहीं होना चाहिए। मेरा केन्द्रीय सरकार से अनुरोध है कि राज्य का कुछ भाग उन्हें देकर इन उग्रवादियों को संतुष्ट करने का विचार छोड़ दें।

अब मैं राज्य के वर्तमान हालात पर बोलूंगा। वहां निरपराध लोगों को जान से मारा गया है और महिलाओं के साथ बलात्कार हुए हैं हाल ही में 17 अप्रैल को एक लड़की का अपहरण किया गया और उससे बलात्कार करने के बाद उसे मार डाला गया।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अब अपना वक्तव्य समाप्त कीजिए।

*** श्री याइमा सिंह युमनामः** अब यह समझा जाता है कि मौजूदा मंत्रिमंडल के एक सदस्य का कोई नजदीकी रिश्तेदार इस बलात्कार में शामिल है लेकिन सरकार द्वारा उसे बचाया जा रहा है। मुझे हाल ही में इस आशय का एक संदेश मिला है। इस प्रकार हैं उस राज्य के हालात।

महोदय, यह अत्यंत खराब स्थिति है। मैं अपनी बात को पूरी करने के लिए दो-तीन मिनट और लूंगा।

अध्यक्ष महोदय : आप पहले ही काफी समय ले चुके हैं। कृपया अपनी बात समाप्त करिए।

श्री याइमा सिंह युमनाम : महोदय, राज्य में पिछले चुनावों के क्या परिणाम निकले ? 59 स्थानों में से जिनके लिए चुनाव हुए थे। कांग्रेस केवल 21 स्थानों में विजयी रही और शेष 38 स्थान गैर कांग्रेसी पार्टियों ने जीते। लेकिन कांग्रेस पार्टी को सरकार बनाने दिया गया। यह कितनी अजीब बात है, यह हमारे माननीय प्रधान मंत्री के लिए उचित नहीं है कि वे इन दल बदलुओं का दिल्ली में स्वागत करें और उन्हें मंत्री पद तथा अन्य बातों का आश्वासन दें, यह उचित नहीं है, वहां सरकार इस बेईमानी से बनी।

श्री मणिशंकर अय्यर को इस प्रस्ताव पर वाद-विवाद आरम्भ करते हुए गर्व हुआ है, परन्तु हम इसके पूरी तरह से विरुद्ध हैं।

अन्त में, मैं केवल एक बात कहना चाहूँगा। मुझे अभी और अनेक बातें करनी हैं लेकिन मैं उन्हें छोड़ रहा हूँ।

अध्यक्ष महोदय : आपके लिए उन बातों पर बाद में बोलने के लिए समय होगा, कृपया अभी समाप्त कीजिए।

श्री याइमा सिंह युमनाम (आंतरिक मणिपुर) : महोदय, मैं असम राईफल्स को कांगला फोर्ट से अन्यत्र ले जाने के बारे में बोलना चाहूँगा, कांगला फोर्ट इम्फाल राजधानी के मध्य में स्थित है। यह ऐतिहासिक रूप से एक महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है और वहां मन्दिर हैं। इस बात पर विचार करते हुए कि असम राईफल्स, जो एक अर्द्धसैनिक बल है, द्वारा उस स्थान को अपने कब्जे में रखने से लोगों की भावनाओं को चोट पहुंच रही है, केन्द्रीय सरकार ने उसे अन्यत्र ले जाने के लिए निर्णय लिया है परन्तु यह अभी क्रियान्वित नहीं हुआ है .... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री याइमा सिंह, कृपया बैठ जाइए, जो भी श्री याइमा सिंह कह रहे हैं वह कार्यवाही वृत्तांत में नहीं जाएगा।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब श्री मोहन रावले बोलेंगे, श्री रावले संक्षेप में बोलिए।

श्री याइमा सिंह युमनाम : महोदय, बस एक मिनट, मणिपुर के सामने एक समस्या है मैं प्रधान मंत्री से अनुरोध करता हूँ कि वह उस क्षेत्र में जाएं और स्वयं देखें कि लोग किस प्रकार तकलीफें सह रहे हैं। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव का

*कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

विरोध करता हूँ।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : अध्यक्ष महोदय, केवल एक मिनट, माननीय सदस्य ने मणिपुर के क्षेत्रीय विवाद के बारे में कहा है और उन्होंने कहा है कि मणिपुर के कुछ क्षेत्र को नागालैंड अंतरित करने पर विचार हो रहा है,यह पूर्णतया गलत है, सरकार इस संबंध में दृढ़ है, जहां तक मणिपुर के क्षेत्रीय अखंडता का प्रश्न है, भारत सरकार किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं करेगी, हम इसे बनाए रखेंगे। हम इस बारे में दृढ़ हैं और हम किसी भी ऐसे प्रस्ताव पर विचार नहीं करेंगे।

***श्री मोहन रावले** (मुम्बई-दक्षिण मध्य) : अध्यक्ष महोदय, 1 मई 'महाराष्ट्र दिवस' के रूप में मनाया जाता है। बम्बई कारपोरेशन बम्बई का प्रतिनिधित्व करता है।

अध्यक्ष महोदय : आप मराठी में बोल सकते हैं। इसका अनुवाद किया जा रहा है।

श्री मोहन रावले : त्रिवेन्द्रम का नाम बदल कर तिरुवनंतपुरम रखा गया है, वाराणसी का नाम बदलकर बनारस रखा गया है, कोचीन का भी नाम बदला गया है, बम्बई के निवासियों की मांग है कि बम्बई नाम बदलकर मुम्बई रखा जाए, बम्बई कारपोरेशन के सभी नगर सेवकों ने, जो विभिन्न राजनैतिक दलों के हैं, मांग की है कि बम्बई का नाम बदलकर मुम्बई कर दिया जाए। कारपोरेशन में सर्वसम्मति से 1985 में एक संकल्प पारित हुआ था जिसमें बम्बई का नाम बदलकर मुम्बई करने के लिए कहा गया था। परन्तु अब तक बम्बई का नाम नहीं बदला गया है। 'मुम्बई' नाम संविधान और कानूनों में दिया गया है, मैं माननीय प्रधान मंत्री जी से व्यक्तिगत रूप से मिला था और उन्होंने कहा था कि उन्हें बम्बई का नाम मुम्बई करने में कोई आपत्ति नहीं है, 'पेकिंग' का नाम बदल दिया गया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा है, यह एक अंतर्राष्ट्रीय राजधानी है, राष्ट्रपति के अभिभाषण में बम्बई का नाम बदलकर मुम्बई करने का कोई उल्लेख नहीं है, इसलिए मैं माननीय प्रधान मंत्री से अनुरोध करूँगा कि 1 मई के अवसर पर बम्बई के निवासियों को 'मुम्बई' तोहफा दें, 'सहर' हवाई अड्डे का नाम छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा कर दिया जाना चाहिए।

बम्बई में बहुत बड़ी संख्या में कपड़ा कामगार हैं वहां अनेक कपड़ा मिलें बंद पड़ी हैं, सरकार ने इन मिलों को पुन: खोलने के लिए केवल 1 करोड़ रुपये प्रति वर्ष आबंटित किए हैं, सभी एन. टी. सी. मिलों के लिए केवल 1 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं, लेकिन स्वैच्छिक सेवानिवृत्त योजना के लिए उसी सरकार ने 300 करोड़ रुपये आबंटित किए हैं, इसलिए क्या सरकार की मिलों को बंद करने की नीति है ? राष्ट्रपति के इस अभिभाषण में इन मिलों के लिए रिवाईवल पैकेज, कार्यशील पूंजी अथवा कच्चे माल के बारे में कोई उल्लेख नहीं है, यदि एन. टी. सी. द्वारा ली गई मिलों का राष्ट्रीयकरण नहीं किया जाता है तो मिलों को उनके अपने-अपने मालिकों को सौंप देना पड़ेगा। श्री वेंकटस्वामी जो अब केन्द्रीय मंत्री बन गए हैं ने इस सभा को कहा था कि सरकार कपड़ा मिलों के पुनर्वास और आधुनिकीकरण के संबंध में एक संकल्प लाएगी। परन्तु अब तक वह संकल्प सभा के समक्ष नहीं लाया गया है, कच्चा माल के उपलब्ध न होने के कारण अनेक मिलें बंद करनी पड़ेंगी।

अध्यक्ष महोदय, मैं राष्ट्रीय भाषा के बारे में संक्षेप में बोलना चाहूँगा। अधिकांश देशों की अपनी-अपनी राष्ट्रीय भाषा है। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, जर्मनी, इंगलैंड, फ्रांस में उनकी अपनी राष्ट्रीय भाषाएं जर्मनी, इंगलिश और फैन्च हैं परन्तु दुर्भाग्यवश हिन्दी भारत की राष्ट्रीय भाषा नहीं है, इस देश में हमारे यहां राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय चिड़िया, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय ध्वज हैं परन्तु दुर्भाग्यवश कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, हिन्दी अभी तक राष्ट्रीय भाषा नहीं बनी है, यह सरकार का दुर्भाग्य है। यह एक राजभाषा है परन्तु राष्ट्रीय भाषा नहीं है, हिंदी को बहुत बड़ी संख्या में लोग बोलते हैं।

आपने मुझे जो अवसर दिया है उसके लिए मैं आपका कृतज्ञ हूँ, मैं केवल एक या दो बातें उठाना चाहता हूँ, मणिशंकर अय्यर ने 'रिमोट कंट्रोल' का उल्लेख किया है, मेरे मन में वाजपेयी और आडवाणी के लिए बहुत आदर है। हाल ही में महाराष्ट्र में हुए चुनावों में जीत केवल बालासाहेब ठाकरे के कारण हुई। उन्होंने कहा है कि जो यहां बड़ा होता है उसे इस जमीन और अपनी मातृभूमि से प्यार करना चाहिए। उनका कहना है कि जो 'भारत माता' से प्रेम नहीं रखता है उसे इस देश को छोड़ कर चला जाना चाहिए, ऐसा कहने की हिम्मत श्री ठाकरे में है। उन्होंने कहा है कि यदि परिवार में दो बच्चे होते हैं और यदि हम उनके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार करें तो उनमें झगड़े पैदा होंगे, हम हिन्दू और मुसलमान भारत माता के बच्चे हैं, लेकिन क्या हम यहां समान नागरिक संहिता नहीं ला सकते हैं ? जब शाह बानो का मामला न्यायालय के समक्ष आया था तब राजीव गांधी ने उस समय कहा था कि वे समान नागरिक संहिता लायेंगे। लेकिन शिव सेना प्रमुख को, जो समान नागरिक संहिता का प्रचार कर रहे हैं, देशद्रोही कहा जाता है, शिव सेना प्रमुख को अपने देश से प्यार है।

गृह मंत्री श्री राजेश पायलट बम विस्फोट के बाद बम्बई गए थे, मैं उस समय उनके साथ टूर में गया था। 24 फरवरी को श्री पायलट ने कहा था कि इन बम विस्फोटों के पीछे पाकिस्तान और आई. एस. आई. का हाथ है। इन विस्फोटों में 300 से अधिक लोग मारे गए जिनमें अनेक निर्धन लोग भी शामिल हैं। केन्द्रीय जांच ब्यूरो के मुख्य अभियोजक श्रीमती नटराजन ने 14 जुलाई को 'टाडा' कोर्ट में कहा था कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय षडयन्त्र है, मद्रास, अहमदाबाद, कलकत्ता आदि बड़े शहरों में बम विस्फोट करने की योजना थी। उसने 15 जुलाई को बम्बई के टाडा कोर्ट में कहा था कि बम विस्फोट का षड़यन्त्र रचने के लिए ताज महल होटल में एक बैठक हुई थी, इस बैठक में मेमन और अन्य अपराधी, जो अभी पकड़ में नहीं आए हैं, उपस्थित थे,परन्तु इस सरकार ने चुनावों को ध्यान में रखते हुए उनके विरुद्ध देशद्रोह के अभियोग वापस ले लिए, परन्तु राष्ट्रपति के अभिभाषण में देशद्रोह के लिए उन पर अभियोग दुबारा लगाने का कोई उल्लेख नहीं है। शिव

*मूलत: मराठी में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर

सेना के प्रमुख बाल ठाकरे ने जरूर कहा था कि उन्हें बाबरी मस्जिद गिराने वालों पर गर्व है। परन्तु आपको समझना चाहिए कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, जब हिटलर ने प्रथम विश्व युद्ध जीता था।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक): यह ऐसी घटना है जिसके कारण देश को शार्मिन्दा होना पड़ा और विश्व में हर जगह भारतीय लोगों का सिर झुका।

[हिन्दी]

यह बोलने की कोशिश किस तरह से कर रहे हैं।

[अनुवाद]

यह पूरी तरह से गलत है।

***श्री मोहन रावले :** जब जर्मनी ने युद्ध जीता था तो फ्रांस में जर्मनी के प्रतीक स्तम्भ को ढहा दिया गया था। जब हिटलर ने फ्रांस को जीता था तो पहली बात उसने यह की कि उसने अपमान के उस प्रतीक को ढहा दिया, हमने केवल अपने मंदिर के लिए मांग की, यह हमारा विश्वास और आस्था है, यह ऐसा मंदिर है जिसके लिए लाखों लोगों ने अपना जीवन बलिदान दिया, एक लाख से भी अधिक लोगों ने अपना बलिदान दिया, क्या ये लोग पागल थे ?

[हिन्दी]

श्री मुकुल वासनिक : अध्यक्ष महोदय, यह सरासर गलत है। इसके कारण हिन्दुस्तान में तनाव पैदा हुआ ... **(व्यवधान)** ...

अध्यक्ष महोदय : आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है, आप बैठ जाये।

श्री राम नगीना मिश्र (पडरीना) : माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया ... **(व्यवधान)**

क्या हिन्दुस्तान के बंटवारे का कम्युनिस्ट पार्टी ने समर्थन नहीं किया था ... **(व्यवधान)**

पाकिस्तान का समर्थन करने वाली पार्टी आज यह बात कह रही है ... **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय मेरा व्यवस्था का एक प्रश्न है, मुझे बहुत दुख है कि मुझे यह व्यवस्था का प्रश्न उठाना पड़ रहा है, एक माननीय सदस्य सभा में कुछ कहकर इस देश के लोगों में दरार डालने का प्रयास कर रहे हैं और ऐसी बात की तारीफ कर रहे हैं जो मैं समझता हूं कि यह राष्ट्रीय शर्म की घटना है। अब माननीय सदस्य मस्जिद गिराने का गुणगान कर रहे हैं। हम कहाँ जा रहे हैं ? इस सभा को कुछ मूल न्यूनतम सिद्धान्तों का प्रतिनिधित्व करना है, इस देश का लोकाचार लोगों के बीच सद्भाव होना चाहिए। यह बहुत ही गम्भीर बात है। मुझे आशा है कि माननीय सदस्य कम से कम अपने पर नियन्त्रण रखेंगे, उनके पास ऐसा बोलने के लिए बहुत अधिक अन्य स्थान हैं। इस सभा के अन्दर के वातावरण को इस प्रकार से खराब मत कीजिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूँ कि इस सभा में जो सदस्य वक्तव्य दे रहे हैं, उन्हें यह समझना चाहिए कि उनके द्वारा यहां दिए जाने वाले वक्तव्य के क्या परिणाम निकलेंगे, वे एक प्रकार से स्वीकारोक्ति कर रहे हैं। उन्हें समझना चाहिए, कि सभा में की गई ऐसी स्वीकारोक्ति के क्या परिणाम निकलेंगे।

***श्री मोहन रावले :** महोदय, लोगों में यह भावना थी कि बाबरी मस्जिद किसी विदेशी का स्मारक थी, सबके मन में भगवान रामचन्द्र के लिए प्रेम है उन्होंने मस्तिष्क में इस विचार के साथ इसके लिए लड़ाई लड़ी। मैं स्वयं वहां गया था, वहां सीता जी और लक्ष्मणजी का मन्दिर है। यहां 47 वर्षों के बाद भी प्रार्थना होती है। यहां ताला पड़ा हुआ है। यह देश हिन्दुस्तान है, हमने आपको जगह दी है। हमने भारत में सभी धर्मों को जगह दी है।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : अध्यक्ष जी, सोमनाथ बाबू ने अपनी भावना यहां प्रकट कर दी। मेरा प्वाइंट आफ आर्डर यह है कि यह पार्टी के अकेले मैम्बर हैं। समय की कोई लिमिट होनी चाहिए।

[अनुवाद]

***श्री मोहन रावले :** मैं ईमानदारी के साथ बोल रहा हूँ।

अध्यक्ष महोदय : श्री रावले, कृपया आप अपना वक्तव्य समाप्त कीजिए।

*** श्री मोहन रावले :** मैं बंगलादेशियों के बारे में बोलना चाहूँगा। हाल ही में एक समाचार आया था कि 32 पाकिस्तानी घुसपैठिए जिन्होंने सीमा पार की थी, मारे गए थे। मैंने एक प्रश्न श्री पी. एम. सईद से किया जिन्होंने मुझे कहा था कि 78441 बंगलादेशी सीमा पर पकड़े गए थे। यूनिसेफ का रिकार्ड कहता है कि डेढ़

*मूलतः मराठी में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर

करोड़ से अधिक संख्या में बंग्लादेशी भारत में रहते हैं। गृह मंत्री ने कहा है कि 5 लाख से अधिक लोग शहरों में रहते हैं। बम्बई में उन्हें नकली राशन कार्ड जारी किए गए थे। चौधरी नाम का एक व्यक्ति पकड़ा गया था, इसलिए उन्हें वापस उनके अपने देश भेज दिया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : श्री रावले अब आप अपना वक्तव्य समाप्त करें।

***श्री मोहन रावले :** जी हां, सरकार ने इन विदेशियों को निकालने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की है और इसके बारे में राष्ट्रपति के अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है, आप कश्मीर के बारे में बोल रहे हैं, हम कश्मीर खो रहे हैं क्योंकि अनुच्छेद 370 लागू है। श्री मणिशंकर अय्यर बड़े गर्व से कहते हैं कि वी. पी. के शासनकाल में 560 उग्रवादी मारे गए थे जबकि हमारे शासनकाल में 1500 उग्रवादी मारे गए, क्या आप मतदान करते हैं।

स्वतंत्रता दिवस के दिन कश्मीर में पाकिस्तान जिन्दाबाद के नारे लगते हैं और पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस पर ये नारे वहां लगते हैं। इसके लिए कौन जिम्मेदार है ? यदि आपने अनुच्छेद 370 हटा दिया होता तो ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होती। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे यह अवसर दिया।

4.00 म. प.

श्री श्रीकान्त जेना (कटक) : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

श्री श्रीकान्त जेना : महोदय, माननीय सदस्य श्री मोहन रावले ने बताया है कि उनके नेता और उनका संगठन बाबरी मास्जिद को गिराने के लिए जिम्मेदार है।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : जिन्होंने बाबरी मस्जिद तोड़ी है, उनके लिए हमें नाज है- हमने ऐसा कहा है ....**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री श्रीकान्त जेना : उनके विरुद्ध सरकार कोई कार्यवाही क्यों नहीं कर रही है ? प्रधान मंत्री स्थिति स्पष्ट करें और बताएं कि उनका इस संबंध में क्या करने का विचार है।

अध्यक्ष महोदय : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

.... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बोलने के लिए समय है। आप बाद में बोल सकते हैं।

श्री जगमीत सिंह बरार (फरीदकोट) : मैं कुछ कहना चाहता हूं। मैंने अपना अनुरोध माननीय उपाध्यक्ष महोदय को दिया है, उन्होंने मुझे पर्ची में लिखकर कहा है कि मुझे बोले की अनुमति दी जाएगी, मैं पांच मिनट बोलूँगा। ...**(व्यवधान)**

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, हम उस समय यहां थे।...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री जगमीत सिंह बरार : स्पीकर साहब, सबसे पहले हमारे बहुत वरिष्ठ और लायक साथी श्री मणिशंकर अय्यर जी ने जो राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव रखा है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। चूंकि, मणिशंकर अय्यर जी ने मेरा नाम लेते हुए अपने धन्यवाद प्रस्ताव की बात शुरू की और उन्होंने कहा कि पंजाब में अमन है। मैं उनकी इस बात से सहमत हूँ। उन्होंने यह भी कहा कि पंजाब में टैरेरिज्म खत्म हो गया है, लेकिन पंजाब के मुख्य मंत्री जी अगर किसी शख्सियत और नाम से खतरा है, तो वह है-जगमीत सिंह बरार। मेरे साथी ने यह बात हाउस में कही। इस पर मैं सिर्फ फैज अहमद फैज का यह एक शेर पढ़ कर अपनी बात समाप्त करूंगा। मैं अपने वरिष्ठ साथी से कहना चाहूंगा—

गरूरों सर्वो समन से कह दो कि फिर वही ताजदार होंगे,
वो खासोखास जो वालिए चमन थे गरूरो सर्वो समन से पहले।

एक माननीय सदस्य : इस को एक्सप्लेन कर दीजिए।

श्री जगमीत सिंह बरार : मैं इसको एक्सप्लेन करके अपना वक्त नहीं जाया करना चाहता हूँ। इसका सिम्पल मतलब है —

जारे अकल उन्हीं के दम से रोशन है,
जो गाहे-गाहे जुनू अख्तियार करते हैं।

अगर दिल की बात कही जाए, दिल की गहराई की बात कही जाए, तो उसका बुरा नहीं मानना चाहिए। मैं अपना लायक और इन्टैलिजेंट साथी की बात का वैलकम करता हूँ और कहना चाहता हूँ कि मुझ से उनको कोई खतरा नहीं है।

मैं सबसे पहले आज सदन में यह कहना चाहूंगा कि आज से आठ दिन पहले हमारे प्रधान मंत्री जी, देश के प्रधान मंत्री जी, पंजाब जाकर आए हैं। वहां उनका भव्य स्वागत हुआ है और तीन बरस के बाद वे पंजाब गए थे।

अध्यक्ष महोदय : समय बहुत कम है और इस डिसकशन के लिए तो

*मूलतः मराठी में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर

बिल्कुल भी नहीं है।

श्री जगमीत सिंह बरार (फरीदकोट) : लोग वहां उपस्थित थे और उनका प्यार से वैलकम किया गया। सर, आप मेरी बात तो सुनिए। आप पहले ही टोक रहे हैं। ...(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

श्री जगमीत सिंह बरार: आप पहले मेरी बात तो सुन लीजिए।

अध्यक्ष महोदय : आप अपने आपको इस तरह नहीं थोप सकते हैं।

श्री जगमीत सिंह बरार : मैं अपने आपको नहीं थोप रहा हूँ। मैंने कहा है कि पंजाब के लोगों ने माननीय प्रधान मंत्री का जोरदार स्वागत किया।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको अपनी बात संक्षेप में कहने के लिए कह रहा हूँ।

[हिन्दी]

श्री जगमीत सिंह बरार : मैं केवल एक बात कहना चाहूंगा कि पंजाब के साथ पिछले 40-45 वर्षों से वादा-खिलाफी हुई है। प्रधानमंत्री जी ने लुधियाना में 6500 करोड़ रुपए का कर्ज, क्योंकि नेशनल यूनिटी के लिए पंजाब के लोग लड़े इसलिए उसको माफ करने की बात कही है, मैं सदन में, 80 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली इस सभा में, केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि यह बहुत बड़ी बात कह कर प्रधानमंत्री जी आए हैं। मैं उस बात का सभी पंजाबवासियों के साथ स्वागत करना चाहता हूँ, लेकिन 6500 करोड़ रुपए माफ कर पाएंगे या नहीं। जो फाइनेंस कमीशन को टर्म्स ऑफ रेफरेंस गया है उसमें केवल यह कहा गया है कि जो 6500 करोड़ का इंटरेस्ट 900 करोड़ रुपए सालाना बनता है, उसका एक-तिहाई माफ किया जाए। प्रधानमंत्री जी का बयान है,

[अनुवाद]

> "पंजाब से ऋण की अब और वसूली नहीं की जाएगी, राजीव लोगोंवाल समझौते के लंबित खंडों को क्रियान्वित किया जाएगा और केन्द्रीय सहायता दी जाएगी"।

अध्यक्ष महोदय : आपको अखबार को पढ़कर सुनाने की अनुमति नहीं दी जाती है।

श्री जगमीत सिंह बरार : मैं अखबार से नहीं पढ़ रहा हूँ। मैं प्रधान मंत्री का प्रमाणित वक्तव्य पढ़ कर सुना रहा हूँ।

अध्यक्ष महोदय : क्या उन्होंने लिख कर दिया है ?

श्री जगमीत सिंह बरार : जी, हां, उन्हें वाद विवाद का उत्तर देना है और हमारे महान नेता इसका उत्तर देंगे।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप जानते हैं कि हमारे पास समय बहुत कम है दोनों सभाओं में जाना है।

[हिन्दी]

श्री जगमीत सिंह बरार : दूसरी बात, क्योंकि टाइम बहुत कम है, मैंने कभी हाउस से वाक आउट नहीं किया है, मैं हाउस के एटीकेट्स के मुताबिक चल रहा हूँ। ...(**व्यवधान**) प्रधानमंत्री का एक बयान यह है कि,

[अनुवाद]

पंजाब देश का सबसे अधिक शान्ति वाला राज्य है उन्होंने कहा पंजाब और असम में कानून तथा व्यवस्था की बहाली हमारे दल की सरकार के 4 वर्ष के शासन की बहुत बड़ी उपलब्धि है।

अध्यक्ष महोदय : आप क्या पढ़ रहे हैं ?

श्री जगमीत सिंह बरार : यह प्रधान मंत्री का बयान है।

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृत्तांत में नहीं जाएगा, समाचार पत्रों का उदाहरण नहीं जाएगा।

....(**व्यवधान**)**

श्री जगमीत सिंह बरार : हमने यह सब सुना है।

अध्यक्ष महोदय : झगड़िए मत, इस प्रकार की चर्चा जारी मत रखिए।

श्री जगमीत सिंह बरार : मैं वक्तव्य को उद्धृत नहीं करूंगा।

[हिन्दी]

(**व्यवधान**) प्रधानमंत्री जी का एक बयान यह है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं इस वक्तव्य की अनुमति नहीं दे रहा हूं।

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री जगमीत सिंह बरार : मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर पंजाब में अमन है तो हमारे साथियों की तरफ से सैंकड़ों दस्तखत करके टाडा के खिलाफ मुल्क में जो अकलियतों के खिलाफ बरता गया है, पंजाब से उनकी शुरुआत हुई। पंजाब में अमन लाने के लिए, एक्रास द बार्डर शक्तियों से लड़ने के लिए टाडा को इंट्रोड्यूस किया गया। 15 हजार से ज्यादा लोग पंजाब की जेलों की काल-कोठरियों में हैं। अकलियतों के और लोग देश में हैं। मैं कम से कम यह गुजारिश तो कर सकता हूं, मेरी पार्टी के लीडर हैं और वह यहां मौजदू हैं। अगर पंजाब में अमन है और अगर पंजाब के लिए ही टाडा को लाया गया था तो आप कृपा करके टाडा के इस काले कानून को, जिससे देश का माइनोरिटीज़ में बहुत बड़ी गलत भावनाएं पैदा हो रही हैं वह ठीक हो जाए, इसका उनको ऐलान करना चाहिए।

महोदय, मैं एक बात और कहना चाहूंगा, लोक सभा का सदस्य होने के नाते मैं अपनी बात कह सकता हूं कि जो **(व्यवधान)*** ....

हमने भी इस देश का कास्टीट्यूशन पढ़ा है, हमने भी पोस्ट ग्रेजुएशन पोलिटिकल साइंस में किया है, मैं कम से कम यह जानता हूं कि (व्यवधान)....

[अनुवाद]

श्री आर. अन्बारासु : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं उनके व्यवस्था के प्रश्न को सुनना चाहूँगा।

श्री आर. अन्बारासु : राज्यपाल की प्रशासनिक कार्यवाही की यहां सभा में चर्चा नहीं की जा सकती। मद्रास उच्च न्यायालय ने भी याचिका को खारिज कर दिया है,

श्री एम. आर. कादम्बूर जनार्दनन : उन्हें इसे उठाने का कोई मतलब नहीं है। ...**(व्यवधान)**

श्री एम. आर. कादम्बूर जनार्दनन : यदि वे थोड़ी अंग्रेजी जानते हैं तो निर्णय पढ़ना चाहिए । ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस बात पर मेरा विनिर्णय यह है कि राज्यपाल की कार्यवाही पर इस सभा में चर्चा नहीं हो सकती है, जो मामला, न्यायाधीन है, उस पर इस सभा में चर्चा नहीं हो सकती और जो इस तरह के मामलों को उठा रहे हैं उन्हें यह ध्यान से पढ़ना चाहिए, यदि यह नियमों और संविधान के विरूद्ध है तो यह कार्यवाही वृत्तांत का भाग नहीं बनेगा।

[हिन्दी]

श्री जगमीत सिंह बरार : अध्यक्ष महोदय, रावले जी अभी बोल रहे थे, मैं सिर्फ एक टिप्पणी करना चाहूंगा हमारे देश के महान नेता और लीडर आफ अपोजीशन श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी और श्री आडवाणी जी बहुत ध्यान से अपनी सहयोगी पार्टी शिवसेना के सदस्य की तकरीर बहुत ध्यान से सुन रहे थे, जब हम देश में घूमते हैं तो एक सवाल किया जाता है कि बाल ठाकरे जी जब अपने दफ्तर में बैठते हैं तो शेर का निशान उनके दफ्तर में लगा रहता है।

अध्यक्ष महोदय : इन बातों को करने का अभी हमारे पास समय नहीं है।

....**(व्यवधान)**

श्री जगमीत सिंह बरार : मैं एक सिम्पल टिप्पणी करना चाहता हूं। अगर कोई अपनी तकरीर में कहे कि 15-17 करोड़ अक्लियत को देश से निकाल दिया जाए, कोई मैन ईटर बन जाए तो मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से एक ही बात कहना चाहूंगा.... ।

* **श्री मोहन रावले :** बाला साहब ठाकरे ने ऐसा कभी नहीं कहा।

श्री जगमीत सिंह बरार : मैं कहना चाहूंगा कि हमारी गलतियों की वजह से वहां पर सत्ता में आने का सपना तो भारतीय जनता पार्टी का पूरा भले ही हो गया हो, लेकिन ऐसी तकरीरों और बयानों से भारतीय जनता पार्टी कभी दिल्ली के तख्त पर नहीं बैठ सकेगी, यह बात मैं पार्लियामेंट में कहना चाहूंगा ...**(व्यवधान)**

मैं सिर्फ दो प्वाइंट कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा। मैं दिल की गहराई से यह बात कहना चाहता हूं कि माइनारिटीज कमीशन ऑफ इंडिया, शेड्यूल्ड कास्ट कमीशन ऑफ इंडिया, बैकवर्ड क्लासेस कमीशन ऑफ इंडिया, सफाई कर्मचारी कमीशन ऑफ इंडिया, ये कमीशन देश के गरीबों, अनुसूचित जातियों और कबीलों के कल्याण के लिए बनाए गए हैं। इन कमीशनों को केन्द्र सरकार की तरफ से नोटिस दिया गया है अपने दफ्तर इमीजिएटली दिल्ली से शिफ्ट कर दिए जाएं, जबकि राष्ट्रपति के अभिभाषण में इन वर्गों की ओर अधिक ध्यान देने की बात की गई है, जबकि इन कमीशनों को अपना दफ्तर दिल्ली से, देश की राजधानी से हटाने के लिए कहा जा रहा है, जो कि इन वर्गों के साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा। मैं प्रधान मंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि इसकी ओर अवश्य ध्यान दिया जाए।

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को सूचित करना चाहती हूं कि वह आदेश निरस्त किया जा चुका है।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, ऐसा नहीं किया जा रहा है, आपकी बात मान

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

ली गई है। अब आप बैठ जाइए।

.... (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब समय नहीं है। आपको यह भी समझना चाहिए कि समय की कमी है।

[अनुवाद]

श्री जगमीत सिंह बरार : मैं अपनी अन्तिम बात कहूंगा।

[हिन्दी]

मैं कहना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री जी ने देश के लिए और पंजाब के लिए कुछ किया है, उसके लिए मैं उनका बहुत आभारी हूं, लेकिन यदि रूलिंग पार्टी और देश यह समझे कि कर्जे माफ करके पंजाब को हमेशा के लिए शांत किया जा सकता है, तो यब एक बहुत बड़ी गलतफहमी होगी।

अध्यक्ष महोदय : अब आप बैठ जाएं, यह भी आप देश की बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं।

श्री जगमीत सिंह बरार : मैं कोई फिरकापरस्ती का भाषण नहीं कर रहा हूं, मैं हकीकत बयान कर रहा हूं। जो पंजाब के आउटस्टैंडिंग इशूज हैं, उनको ब्यान कर रहा हूं, 29 वर्ष से पंजाब को राजधानी नहीं मिली है। 15000 लोगों का कत्ल होने के बाद, कमीशन नियुक्त होने के बाद भी दिल्ली दंगों के दोषी दनदनाते हुए घूम रहे हैं, एक भी आदमी को सजा नहीं दी गई है, इससे बड़ी खतरे की घंटी देश के लिए और क्या हो सकती है।

इसलिए मैं यह गुजारिश करूंगा कि उन केसेज को फौरी तौर पर एक्स्पीडाइट करके जो जिम्मेदार लोग हैं उनको गिरफ्तार किया जाये। अंत में मैं यह कहना चाहता हूं...

अध्यक्ष महोदय : इसको कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है, कृपया बैठ जाइए, मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा कृपया बैठ जाइए।।

(व्यवधान)*

प्रधान मंत्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उन माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने वाद विवाद में भाग लिया और अपने बहुत अमूल्य सुझाव दिए। जिन सदस्यों ने अपनी बातें कहीं हैं मैं उनके नाम सहित उनकी बातों को नहीं उठाऊंगा। मैंने उनमें से कुछ बातें, कुछ मामले चुने हैं जिनके बारे में मैं सभा को अपने विचार प्रस्तुत करना चाहूँगा।

महोदय, हमने 1991 और 1994 में व्याप्त स्थितियों से अब तक एक लम्बा सफर तय किया है। मैं उनको याद नहीं करना चाहता हूं और न उनके बारे में सभा को दिलाना चाहता हूं, मैं केवल इतना कहूँगा कि राष्ट्र के इस लंबे सफर में हम अब एक ऐसे बिंदु पर पहुंचे हैं जहां से हम आत्मविश्वास और आशा से भविष्य की ओर देख सकते हैं और संसद सदस्यों को दिए गए राष्ट्रपति के अभिभाषण में इसी बात पर जोर दिया गया है। मैं इस भावना का समर्थन करता हूँ। मैं उस आशावाद का समर्थन करता हूँ क्योंकि पिछले चार वर्षों के दौरान जो भी हुआ है वह इस आशावाद का औचित्य सिद्ध करता है, तथ्य, आंकड़े, स्थिति जैसा कि हमने समय-समय पर देखा है —हमने ये चार वर्ष गुजारे हैं — ये सब इस तथ्य के साक्षी हैं कि राष्ट्रपति जी का आशावाद पूर्णतया उचित है।

महोदय ऐसा लगता है कि हम यह भूल रहे हैं कि हमने पिछले वर्ष और उससे पहले के वर्ष में क्या कहा था क्योंकि जब हम इस वर्ष बात कह रहे हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम पहली बार कुछ कह रहे हैं। महोदय, मैं सभा को याद दिलाना चाहता हूं कि 1991 से ही सरकार के कार्य की भावना वही रही है। सरकार के कार्यों का प्रयोजन और सरकार की नीतियां नहीं बदली हैं। यह उसी पद्धति पर हैं। 1991 से 1992 तक हम केवल प्रयोग कर रहे थे। 1992 के कार्यक्रमों में, नीतियों में, दृष्टिकोण में और जो कुछ केन्द्रीय सरकार कर रही है उनमें निरन्तरता पाऐंगे। मैंने 1991 में यह कह कर शुरुआत की थी कि हमारे कार्य परिवर्तन सहित निरन्तरता के मूल सिद्धान्त का अनुसरण कर रहे हैं। जैसे ही हमारी आर्थिक स्थिति सुधारी है, निर्धनों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता उनके लिए निर्धारित अधिक परिव्यय में परिलक्षित होती है, यह अधिक परिव्यय सभा में उपलब्ध आकड़ों से देखा जा सकता है, हर साल ऐसा होता रहा है, राष्ट्रपति के अभिभाषण, बजट और नीति निरुपण में इसी बात पर जोर दिया जाता रहा है, इसके परिणामस्वरूप 1992 से प्रत्येक वर्ष हम आरम्भ किए जाने वाले कार्यक्रमों की बढ़ती संख्या को देख रहे हैं। मैने स्पष्ट रूप से कहा था कि हम असीमित पूंजीवाद के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेंगे और निर्धनों को कार्यक्रमों से बाहर नहीं कर देंगे, हमने अपनी स्थिति को बहुत स्पष्ट कर दिया था, 1993 में मैंने बताया था कि 1993-94 के बजट का उद्देश्य निर्धनता को कम करने और रोजगार को बढ़ाने की नीति पर जोर देने की है। हमने उसी दिन से इसे 'ह्यूमन फेस' का नाम दिया। हम इस वर्ष पहली बार ऐसा नहीं कह रहे हैं। निर्धनों का उत्थान हमारा लक्ष्य रहा है, इसलिए 1994 में राष्ट्रपति के अभिभाषण में आशावाद था और इस वर्ष उस आशावाद और आत्मविश्वास की पुष्टि हुई है। कांग्रेस के मूल दर्शन के प्रति हमारा जोर और प्रतिबद्धता अबाधित रूप से जारी है। जबकि हमारी उपलब्धियां महत्वपूर्ण रही हैं, अभी अनेक समस्याएं ऐसी हैं जिनका देश समाना कर रहा है, उस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं। माननीय सदस्यों ने इन समस्याओं का उल्लेख किया है और मैं अधिक से अधिक का उत्तर दूँगा।

महोदय, पहली आलोचना जो न केवल आज की गई है अपितु हर वर्ष की जाती रही है वह नई आर्थिक नीति के विरुद्ध है कि यह नीति गलत है और देश के हितों के विरुद्ध है, महोदय, इस आलोचना का उत्तर मुझे बहुत अधिक जोर देकर नहीं देना पड़ेगा और न इस बात को बार-बार कहना पड़ेगा क्योंकि पिछले कुछ वर्षों से अथवा कम से कम एक वर्ष से, हो सकता है 1 वर्ष से अधिक समय के दौरान जो कुछ हो रहा है जब उत्तरोत्तर सरकारें जो कांग्रेस द्वारा शासित नहीं थी, उसी पद्धति पर आई तो इससे मेरा काम आसान हो गया। पिछले दो अथवा तीन दिनों के दौरान हम समाचार पत्रों में पढ़ते रहे हैं कि मुख्य मंत्री, 'अभी निर्वाचित

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

मुख्य मंत्री' जहां से भी उपलब्ध हो, पूंजी निवेश के लिए आते हैं तो इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि उन्हें पूंजी निवेश लेने में कोई हिचकिचाहट नहीं है क्योंकि वे जानते हैं कि पूंजी निवेश जरूरी है। फर्क केवल इतना है कि कुछ व्यक्ति समय को पहले ही जान लेते हैं और कुछ व्यक्ति बाद में परन्तु अंततोगत्वा सभी इसे जान लेते हैं, यह इस देश की सबसे बड़ी बात है, मुझे इसका उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है।

महोदय, एक बात पर कुछ अधिक जोर दिया गया है और मैं समझता हूं कि ऐसा आगामी एक साल में आने वाली किसी अपरिहार्यता के कारण किया गया है। विदेशी निवेशक और स्थानीय उद्योगपति के बीच दरार डालने की कोशिश की जा रही है, यह ऐसी बात है जो विद्यमान नहीं है, यहाँ भेदभाव नहीं है लेकिन इसे ऐसा दिखाया जा रहा है, मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे ऐसा न करें क्योंकि ऐसा करना देश के हित में नहीं होगा हमने कोई भेदभाव नहीं किया है, स्थानीय निवेशक अथवा स्थानीय उद्योगपति के विरुद्ध कोई भेदभाव नहीं किया है। वास्तव में स्थानीय उद्योग को संरक्षण के लिए जिस किसी चीज की आवश्यकता हुई हमने वह दिया और यह दिया जाता रहेगा। परन्तु यह ऐसा संरक्षण नहीं होगा जिससे उन्हें बाहर वालों से बचा कर रखा जाए जैसा कि उन्हें पिछले 30 या 40 वर्षों से मिल रहा है। परिवर्तन आना चाहिए और वह परिवर्तन आ गया है। यह संभव है कि कुछ सदस्य कह सकते हैं कि इस संरक्षण अथवा संरक्षण वापस लेने, कम करने करने की गति आवश्यकता से अधिक तेज है। यह अनुभूति की बात है; और मैं समझता हूं कि सरकार के अनुसार, सरकार द्वारा किए गए सभी अनुमानों के अनुसार, सरकार द्वारा किए गए आकलन के अनुसार, यह संरक्षण अथवा संरक्षण को वापस लिया जाना, संरक्षण को कम करना, स्थानीय उद्योग के लिए अहित में नहीं रहा है।

यह आलोचना हुई है कि विदेशी पूंजी निवेश को प्रोत्साहन करने की नीति से घरेलू उद्योग का अहित हुआ है। हमने सीधे विदेशी पूंजी निवेश को आमंत्रित करने का निर्णय संसाधन की उपलब्धता को बढ़ाने, आधुनिक प्रौद्योगिकी लाने और देश में उपलब्ध विपणन और प्रबंधन कुशलता का स्तर बढ़ाने के कारण लिया है। तदनुसार, जब भी किसी विदेशी कंपनी ने वित्तीय कर अथवा शुल्क में रियायतें मांगी है तो हमने उन्हें कहा कि प्रस्ताव-विशिष्ट-रियायत हमारी प्रणाली का भाग नहीं है, हम सबके साथ समान व्यवहार करते हैं, जब भी नीतियों में कोई परिवर्तन होता है तो सबको उस नीति का पालन करना पड़ता है। इसमें किसी के साथ पक्षपात नहीं किया जाता है। ऐसे परिवर्तन बजट के भाग के रूप में किए जाते है और किसी क्षेत्र में सभी कंपनियों पर लागू होते हैं चाहे वे भारतीय हों, संयुक्त उद्गम के हों या विदेशी स्वामित्व वाली हों। हम यह सुनिश्चित करने के लिए निरंतर निगरानी रखते हैं कि भारतीय कंपनियों का किसी प्रकार से अहित न हो।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि इस नीति से बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भारतीय उद्योग अपने नियंत्रण में लेने को प्रोत्साहन मिला है। यह सच नहीं है। उदाहरण के लिए जहां भारतीय कंपनियों ने पूंजी अथवा प्रौद्योगिकी को शामिल करने के कारणों से विदेशी कंपनी को अपनी ईक्विटी बढ़ाने के लिए अनुमति देने की मांग की तो सरकार ने इसकी अनुमति दी, तथापि हमने ईक्विटी ढांचे में ऐसा परिवर्तन करने के लिए आवेदन करने वाली भारतीय कंपनियों के लिए यह अनिवार्य बना दिया है कि वे सरकार से अनुमोदन कराने से पूर्व भारतीय कंपनी के प्रबंधन बोर्ड अथवा शेयरधारियों से प्रमाणीकरण करा लें। ये सभी कदम कंपनी के स्वैच्छिक निर्णय हैं न कि सरकार द्वारा थोपे हुए।

श्री बसुदेव आचार्य : मारुति के बारे में क्या कहना है?

श्री पी. वी. नरसिंह राव : मारुति आज की बात नहीं है। मारुति एक पुराना मामला है,

मुझे यह सुनकर आश्चर्य हुआ है कि इन नीतियों से घरेलू उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। अब मैं कुछ आंकड़े दे रहा हूं। निगमित क्षेत्र के वित्तीय परिणाम ऐसा नहीं बताते हैं। मैं समझता हूं कि सितम्बर 1994 में समाप्त होने वाले 6 महीने की अवधि के लिए 135 बड़ी कंपनियों के अंतिम वित्तीय परिणाम लाभ का उच्च स्तर बताते हैं। पांच कंपनियों को छोड़कर बाकी कंपनियों ने अच्छा काम किया है और अनेक कंपनियों की पिछले वर्ष का लाभ का प्रतिशत वृद्धि तीन अंकों में है— दो अंकों में भी नहीं बल्कि तीन अंकों में है। नमूने के तौर पर यह घरेलू उद्योग की बात नहीं बताता है जिसका सुधार प्रक्रिया से अहित हुआ है।

मैं एक बार फिर बताना चाहता हूं कि विदेशी निवेश ऐसे क्षेत्रों मे हुआ है जिनको हमने महत्व दिया हुआ है, मैं इस बात को जोर देकर कहना चाहता हूं कि विदेशी ईक्विटी निवेश के लिए 83 प्रतिशत अनुमोदन प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए हुआ है, ईक्विटी निवेश का बड़ा भाग विद्युत, तेल शोधक कारखानों, धातु कर्म उद्योग, रसायन, परिवहन, खाद्य प्रसंस्करण, इलेक्ट्रानिक उपकरण आदि को गया है। यहां तक की बाकी 17 प्रतिशत इस तरह से दिया गया है : सर्विस (8%), कपड़ा (4%),चमड़ा और रबड़ की वस्तुएं (8.8%), साबुन, सौंदर्य प्रसाधन सामग्री और वेजिटेबल ऑयल (0.3%) ट्रेडिंग कंपनीज (0.3%) फरमेंटेशन उद्योग (1.0%) और विविध उद्योग (2%) यथा जवाहिरात, खिलौने, ताले, खेलकूद के उपकरण आदि, इस प्रकार उपभोक्ता उद्योगों के अवांछित वृद्धि के पक्ष में पूंजी निवेश प्रतिमान में कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया है ....(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : श्री आचार्य, कृपया हस्तक्षेप न करें।

श्री पी. वी. नरसिंह राव : मैं माननीय सदस्यों का ध्यान सरकार द्वारा अनुमोदित विदेशी पूंजी निवेश प्रस्तावों के दो रोचक बातों की ओर दिलाना चाहता हूं। नीति के प्रथम तीन वर्षों में कंपनियों के लिए अनुमोदित परियोजनाओं, जिनमें विदेशी ईक्विटी 75 प्रतिशत से अधिक थी, की संख्या कुल की तुलना में केवल 8.7 थी। इससे यह पता चलता है कि भारतीय भागीदारों के साथ पूंजी निवेश किया जा रहा है और इससे सुनिश्चित होगा कि भारतीय कंपनियों को उन्नत प्रौद्योगिकी, विपणन और प्रबंधन आदान, अतिरिक्त पूंजी के प्रवेश और रोजगार में वृद्धि का लाभ मिले, इसी प्रकार यदि हम 300 करोड़ रुपये से अधिक विदेशी ईक्विटी वाली परियोजनाओं के लिए अनुमोदन की कुल संख्या को देखें तो पायेंगे कि यह 2526 में से केवल 13 हैं। दूसरी ओर 3 करोड़ रुपये से कम वाली विदेशी ईक्विटी वाली परियोजनाओं की संख्या 2006 है। इससे यह स्पष्ट होगा कि विदेशी पूंजी निवेश का लाभ लेने वाली कंपनियां बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां नहीं हैं अपितु छोटे और मध्यम कंपनियां हैं। उभरने वाले छोटे और मध्यम उपक्रमियों के साथ उनकी सहभागिता को बढ़ावा देना चाहिए न कि उनको त्यागना चाहिए। महोदय, यह इस संबंध में जो आलोचना की गई है, उसका उत्तर है, आकंड़े बिल्कुल स्पष्ट हैं, मैं महसूस करता हूँ कि उद्योग ने बदले हुए वातावरण में अपने को ढाल दिया है।

1994-95 में निर्माण करने क्षेत्र की वृद्धि 9.2 प्रतिशत थी। यह विशेषकर ध्यातव्य है कि हमारे पूंजीगत माल क्षेत्र ने लचीलापन दिखाया है और उसी अवधि में उसकी वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना 24.7 प्रतशित अधिक रही है। निश्चय ही यह नहीं बताता है कि हमारा औद्योगिक क्षेत्र विदेशी पूंजी के दबाव में है।

इसके अतिरिक्त हम निरन्तर स्थानीय, घरेलू औद्योगिक क्षेत्र से संपर्क बनाए हुए हैं। मेरी उनके साथ बातचीत हुई है। मुझे विश्वास है कि अन्य मंत्रियों के साथ भी बातचीत हुई है, मुझे यह भी विश्वास है कि विपक्ष के माननीय सदस्य, विपक्ष के नेता, कांग्रेसी राज्यों से इतर अन्य राज्यों के मुख्य मंत्री उनके साथ संपर्क में हैं। हमें ऐसी कोई प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष शिकायत नहीं मिली है कि विदेशी निवेश के आगमन के परिणामस्वरूप भारतीय उद्योग का अहित हो रहा है। यह मेरे ध्यान में नहीं आया है, परन्तु मैं निश्चय ही जानना चाहता हूं कि यदि इस तरह के यदि कोई उदाहरण हैं और यदि ऐसी कोई भावना व्याप्त है कि ऐसी बात हो रही है तो मैं अवश्य ही उसके बारे में जानना चाहूँगा, मैं आपसे कह रहा हूं, मुझे ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : बम्बई क्लब के बारे में क्या कहना है?

श्री पी. वी. नरसिंह राव : यही मैं कह रहा हूं, यदि कोई उदाहरण है तो हम निश्चय ही उनको देखेंगे, परन्तु, जहां तक नीति का सवाल है और इसके परिणाम का सवाल है, ऐसा नहीं हुआ है, यही मैं कहना चाहता हूं।

महोदय, डब्ल्यू टी. ओ. के बारे में कुछ आलोचना हुई है, यह एक ऐसा मामला है जो हमारे वाद विवाद में आया है, **(व्यवधान)**

श्री बसुदेव आचार्य : यदि भारतीय उद्योग का अहित नहीं हो रहा है तो हर दूसरे दिन यह कैसे सुनने में आता है कि कोई उद्योग पश्चिम बंगाल में बंद हो रहा है?

श्री पी. वी. नरसिंह राव : हर तीसरे दिन मैं विशेषकर पश्चिम बंगाल के भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संसद सदस्यों के बहुत प्रभावशाली प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात करता हूँ जिनके साथ यूनियन के नेता उनके अपने नेता होते हैं। वे मेरे पास आते हैं और मुझे कहते हैं कि हम जो कुछ कर रहे हैं वह गलत है। मैं उनके मामले को पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री के पास भेजता हूं और कुछ नहीं करता।

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या आप उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं?

श्री पी. वी. नरसिंह राव : माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री सोमनाथ चटर्जी ने पिछले 6 महीनों में इतना अधिक विदेशी निवेश किया है जितना समूची भारत सरकार 4 वर्षों में ले सकी है, इसलिए उनकी बातें भी उपयुक्त रूप से बदल गई हैं। यह परिवर्तन स्वागत योग्य है।

महोदय, अब मैं 'गेट' के बारे में बोलूंगा, हम आरम्भ से ही संविदाकारी पार्टियां रही हैं। मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि जब उरुग्वे में पुन्टा डैल एस्ट में हमारी चर्चा हुई थी तो तत्कालीन वित्त मंत्री श्री वी. पी. सिंह, जिनके साथ श्री के. सी. पंत थे, जो संभवत: उन दिनों रक्षा मंत्री थे, एक बहुत महत्वपूर्ण प्रतिनिधिमंडल के साथ वहां गए थे, हम आरम्भ से ही विकासशील देशों की ओर से लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस लड़ाई में, कई अन्य विकासशील देश, यहां तक कि बड़े विकासशील देश पीछे छूट गए। यदि कोई लगातार संघर्ष करता रहा तो वह भारत था और संभवत: एक अथवा दो अन्य देश थे। लेकिन अधिकांश देश पीछे रह गए। पर हमने हार नहीं मानी। यह एक बहुपक्षीय मंच है, हम गुट निरपेक्ष सम्मेलन, जी-77 अथवा विकासशील देशों के किसी भी मंच पर निरन्तर और दृढ़ता से जो कह रहे हैं वह यह है कि हम बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली चाहते हैं। यह प्रणाली चल रही है और हम पिछले 25 अथवा 30 वर्षों से ऐसा कह रहे हैं। जब भी कोई देश बहुपक्षीय व्यवस्था द्वारा दूसरे पर हावी होना चाहता है तो हम उसका विरोध कर रहे हैं, हम इसका पूरी तरह से विरोध कर रहे हैं। इसलिए जब आज हमने बहुपक्षीय मंच को अंतिम रूप दे दिया है और जो कार्य कर रहा है तो यह कहना कि यह सब गलत है वह उल्टी गंगा बहाने के समान है, मुझे आशंका है कि हम ऐसा नहीं कर सकते और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना राष्ट्रीय हित में नहीं है। जी हां, जब बहुपक्षीय बातचीत हो रही है तो हमेशा वहां 'देना' और 'लेना' चलेगा, हमें यह देखना होगा कि हमारे हित कहां तक पूरे हो रहे हैं और पूर्ण विश्वास है, महोदय, इस लम्बी बातचीत में, जो निरन्तर चल रही है तथा जो आसानी से हल नहीं हो रही है, हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है और मुझे कुल मिलाकर हमें अधिक लाभ हुआ है और इस प्रकार से हम विकासशील देशों के अगुवा बन गए हैं, हमने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिसके लिए हम शर्मिन्दा हों, कोई कारण नहीं है कि मैं इसके लिए क्षमा मांगू।

महोदय, मैं अब यहां उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण मामलों पर बोलूंगा जैसा कि सामाजिक क्षेत्र, अब पुन: मानवीय पहलू के क्रम में जिसका हम समर्थन कर रहे हैं, मैं सभा में यह कहना चाहता हूं कि इस सरकार द्वारा प्रस्तुत पहले बजट में हमने अपनी प्रतिबद्धता स्पष्ट कर दी है, जैसा कि मैंने अभी कहा है ग्रामीण विकास के लिए हमने अधिक धन आबंटित किया है। मैं समझता हूं कि अनेक अन्य सदस्यों ने इन आंकड़ों को उद्धृत किया है, मुझे उन्हें दुबारा नहीं कहना है, मैं यह कहना चाहता हूं कि हम प्रत्येक वर्ष निर्धनता का उन्मूलन करने और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए नए कार्यक्रम दे रहे हैं। निर्धनों और कमजोर वर्गों के लिए विशेष कार्यक्रम पिछले चार वर्षों में आरम्भ किए गए हैं। ये कार्यक्रम हैं — सुधरी हुई सार्वजनिक वितरण प्रणाली, रोजगार आश्वासन योजना, महिला समृद्धि योजना, प्रधान मंत्री की रोजगार योजना, गहन जवाहर रोजगार योजना और दस्तकार टूल किट्स कार्यक्रम, सुधरी हुई वितरण प्रणाली से जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, खाद्यान्न कम मूल्यों पर सप्लाई किया जाता है, यह केन्द्रीय निर्गम मूल्य से कम लगभग 50 रुपये प्रति क्विंटल है, इस बात पर मैं यह कहना चाहता हूं —कुछ सदस्यों ने यह बात उठाई है, यह बिल्कुल वैध बात है — कि बाजार मूल्य और सुधरी हुई सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मूल्य काफी सीमा तक एक जैसे हैं। इसलिए इनकी बिक्री कम हो रही है, मैं मानता हूं कि एसी बात है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, हम इस बारे में अभी स्पष्ट नहीं हैं, हम इस बारे में अध्ययन कर रहे हैं और मेरे अपने विचार हैं कि 50 रुपये के इस अन्त को और बढ़ाना पड़ेगा ताकि सुधरी हुई सार्वजनिक वितरण प्रणाली के ब्लाकों में, सरकार द्वारा चलाई जा रही दुकानों में इस समय ये जितने मूल्य पर बाजार में विक रही हैं उसकी तुलना में इन वस्तुओं को और भी कम मूल्यों पर बेचना संभव हो सके। लेकिन यह भी संभव है कि बिक्री में कमी होने के अन्य कारण हैं। यह संभव है कि लोग खुले बाजार में जाते हैं। उन्हें उचित दर की दुकानों में जाने के बजाए खुले बाजार में

जाकर चीजें खरीदने में ज्यादा लाभ है। उचित दर का दुकानदार नियमित रुप से न आता हो तथा और भी अनेक बातें हो सकती हैं। अनेक कारण हो सकते हैं। हम इन कारणों पर विचार करेंगे। परन्तु मैं मानता हूं कि 50 रुपये का यह अन्तर जरूरी रूप से एकमात्र कारण नहीं है। यह कारण कहां तक वैध पाया जाता है, मैं निश्चय ही इस पर विचार करुंगा।

वास्तव में, आज हमारा अध्ययन निर्धनतम परिवार और उनके पारिवारिक बजट पर केन्द्रित है। हम वहां जा रहे हैं और वहां से हम नीतिगत ढांचा बनाएंगे कि हम मूल्यों के मामले में क्या करें, खाद्य सबसिटी के मामले में क्या करें। जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं। खाद्य सबसिडी पिछले वर्षों तक 4000 करोड़ रुपये थी, इस वर्ष यह 5,200 करोड़ रुपये हो गई है, इसे केवल बढ़ाने की बात नहीं है, बात यह है कि हम इसे क्यों बढ़ा रहे हैं ? इसको बढ़ाने के क्या लाभ हैं ? यह संभव है कि हम इसे बढ़ा रहे हैं परन्तु इसका फायदा केवल भारतीय खाद्य निगम और उसके अधिकारियों को हो रहा हो या इससे उनका खर्चा निकल रहा हो आदि और यह उपभोक्ता को न पहुंच रहा हो, इसलिए हम शुरू से लेकर अन्त तक इस बात पर विचार कर रहे हैं, यह अध्ययन आरम्भ हो चुका है महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि उत्पादक को कितना प्रतिशत मिलता है और कितना प्रतिशत उत्पादक और अन्तिम उपभोक्ता के बीच बरबाद हो जाता है, हमने यह हिसाब लगाया है कि 61.2 प्रतिशत उत्पादक को मिलता है, मैं मानता हूं कि अन्य लोगों को भी काफी मिल रहा है और उसका एक मात्र उपभोक्ता या उत्पादक को जाना चाहिए। सिद्धान्त रूप में मैं इस बात से सहमत हूं परन्तु यह कैसे किया जाना चाहिए ? हमारे यहां भारतीय खाद्य निगम जैसा एक बड़ा संगठन है, यदि भारत जैसे देश में ऐसा संगठन न हो तो खाद्य सुरक्षा बनाए रखना संभव नहीं होगा, क्योंकि हमने चार अथवा पांच अच्छे सीज़न देखे हैं तो क्या अपनी खाद्य सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करें ? यह बहुत गलत होगा, लेकिन साथ में यदि आपके पास ऐसा इतना बड़ा संगठन है जैसा कि आज है, तो आप किस प्रकार जो उत्पादक को मिल रहा है और जो उपभोक्ता को मिल रहा है और जो लोगों को मिल रहा है उसके बीच अन्तर को कैसे कम करेंगे। हमारा यही प्रश्न है। महोदय, आगामी कुछ सप्ताहों में, मुझे विश्वास है कि हम ऐसा कोई रास्ता ढूंढ निकालेंगे कि उत्पादक को अथवा उपभोक्ता को यह रियायत कुछ अधिक मिले ताकि बिचौलिया को, जो केवल व्यापारी नहीं अपितु एक संगठन है या चाहे कुछ और नाम दो, मिलने वाले लाभ में जहां तक हो सके कमी हो और लाभ या तो उत्पादक को जाए अथवा उपभोक्ता को जाए या जरूरत हो तो दोनों को जाए।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे (विजयवाड़ा) : खाद्यान्न की ढुलाई सभी क्षेत्रों मे निर्बाध रूप से करने की अनुमति अभी नहीं दी जा रही है।

श्री पी. वी नरसिंह राव : हमने निर्बाध ढुलाई का परीक्षण किया है, यह सारे देश में उपयोगी नहीं पाया गया है। हमने देखा कि यदि आज आप निर्बाध ढुलाई की अनुमति देते हैं तो कुछ राज्यों को लाभ होगा, अनेक राज्यों को नुकसान होगा। यह सब इस पर निर्भर करता है कि क्या वह राज्य खाद्यान्न बहुल्य खाद्यान्न वाला राज्य है। अथवा कमी वाला राज्य है। यह सर्वजिदित है। हमने पिछले 20-25 वर्षों से इसके लिए किसी न किसी रूप में आजमाया है और हमने देखा है कि यह पता लगाने के लिए कोई साधन होना चाहिए कि खाद्यान्न की ढुलाई में क्या हो रहा है क्योंकि सारा देश एक है और हमें यह सुनिश्चित करना है कि मूल्यों में अन्तर बहुत अधिक न हो।

महोदय, ग्रामीण शिल्पकारों को सुधरे हुए टूल किट्स की सप्लाई एक बहुत शान्त कार्यक्रम है, लेकिन यह बहुत सफलतापूर्वक चल रहा है और हमारे गांवों में इससे शिल्पकारों को भारी फायदा हो रहा है। अब तक 2.46 लाख शिल्पकारों को जिसका तात्पर्य है लगभग आधे गांव अथवा एक तिहाई से भी अधिक गांव इसके अन्तर्गत लाए गए हैं। शिल्पकार प्रसन्न हैं, वे अब वास्तव में शहरों की ओर नहीं जा रहे हैं क्योंकि उनके औजार बेहतर हैं। वे अब अधिक उत्पादन कर रहे हैं और उस तरह का शहरीकरण काफी हद तक कम हो गया है। महोदय, यह योजना देश में सभी जिलों में लागू की गई है।

[हिन्दी]

श्री राजवीर सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, प्रधानमंत्री जी ग्रामीण विकास के बारे में जो कह रहे हैं, उसके बारे में उनको गलत जानकारी दी गयी है, यह सब कागजी आंकड़े हैं। गांवों में ऐसा नहीं हो रहा है। कृपया आप इसे सही कराइये।

[अनुवाद]

जल संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): महोदय, प्रधान मंत्री के भाषण की समाप्ति के बाद प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मैं आप से अनुरोध करुंगा कि आप व्यवधान उपस्थित न होने दें।

[हिन्दी]

श्री राजवीर सिंह : अध्यक्ष जी, अगर हमने पूछ लिया तो यह टोका-टाकी हो गयी, लेकिन जब दूसरे पूछते हैं तो क्या यह टोका-टाकी नहीं होती ?

[अनुवाद]

श्री पी. वी. नरसिंह राव : मैनें देखा, मैं कुछ नहीं छोड़ रहा हूं, मैं इन बातों को न केवल व्यक्तिगत रूप से देख रहा हूं, मैंने इस मंत्रालय को किसी विचार से किसी प्रयोजन से अपने पास रखा है, मैं स्वयं हर कार्यक्रम पर निगरानी रख रहा हूं, शत प्रतिशत नहीं बल्कि नमूने के तौर पर, कल मैं उड़ीसा जा रहा हूं, हमारा गांवों में जाने, जिला कलेक्टरों के साथ बैठने उन लोगों के साथ बैठने का कार्यक्रम बना था जिनको इससे लाभ पहुंचा है। हमने यह जानने का प्रयत्न किया कि क्या हो रहा है। हमने बैंक के लोगों को पी. एम. आर. वाई में बुलाया था, हम खुद सहित सभी को इसमे शामिल कर रहे हैं। इसीलिए मैंने यह मंत्रालय अपने पास रखा है, मैं स्वयं की जानकारी से कह सकता हूं— मैं यह नहीं कह रहा हूं कि मैं जो कुछ कह रहा हूं वह शत प्रतिशत हो रहा है लेकिन मैं कम से कम यह देख रहा हूं कि कुछ हो रहा है और मैं संतुष्ट हूं कि लोगों तक कुछ पहुंच रहा है जबकि पहले ऐसा नहीं था क्योंकि मार्ग में बहुत अवरोध आ रहे थे।

अब मैं टूल किट कार्यक्रम पर बोलूंगा, अब हमने विद्युत चालित टूल किट्स देने शुरू कर दिए हैं। अब शिल्पकार कह रहे हैं कि उनके गांवों में बिजली आ गई है इसलिए वे पुराने टूल किट्स का प्रयोग क्यों करें जिनमें विद्युत इस्तेमाल नहीं होता। अब हम बदल रहे हैं। कुछ दिन पहले पंजाब में अनेक लोगों ने मुझसे कहा कि पंजाब में हर गांव में बिजली है, इसलिए आप इसे बदलते क्यों नहीं हैं ? मैंने

तुरन्त वहां सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि जहां कहीं भी टूल किट्स बिजली से नहीं चलते हैं, उनको बदल दिया जाएगा और विद्युत चालित नए टूल किट, जिनका मूल्य अन्य की तुलना में 1,000 रु. या 2,000 रु. से अधिक है, दिए जाएंगे, परन्तु हम वैसा करने को तैयार हैं। हरेक गांव में, किसी भी गांव में जहां बिजली है वहां हम ऐसा परिवर्तन करने को तैयार हैं।

शिक्षित बेरोजगार युवाओं में स्वरोजगार बढ़ाने के लिए-एक माननीय सदस्य ने कहा है कि यह सब धन व्यर्थ जा रहा है — मैं अब उनको आश्वस्त करना चाहूँगा, यदि वे चाहते हैं तो वे मेरे पास आ सकते हैं, मैं उनको उन लोगों की सूची दूँगा जो इससे लाभान्वित हुए हैं, मैं उनको वे जो कर रहे हैं उनकी सूची दूँगा, जिससे पता चल जाए कि प्रत्येक लाभ प्राप्तकर्ता क्या कर रहा है। मैंने खंड वार, जिला वार और गांव वार उन सूचियों को मंगाया है जैसा आप चाहते हैं।

परन्तु इस आकार के देश में, 30,000 या 2 लाख या 3 लाख से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मैं मानता हूं परन्तु शुरुआत तो करनी है, हो सकता है अगले वर्ष यह संख्या 5 लाख हो जाएगी और उसके बाद 10 लाख हो जाएगी। हर लड़का या लड़की, जो कुछ शिक्षित है न कि बहुत अधिक शिक्षित और न उच्च शिक्षा प्राप्त गांव से बाहर नहीं जा सकता क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है, अब उसका इस तरह से पुनर्वास किया जा रहा है। हम आपको सब ब्यौरे दिखा सकते हैं। आपको सभी ब्यौरे दे सकते हैं जिनकी आवश्यकता है। यदि कोई गलत जानकारी दी गई है तो मैं कार्यवाही करने को तैयार हूं। मुझे बताया गया है कि बैंक के लोग अनेक मामलों में उतना सहयोग नहीं दे रहे हैं जितना देना चाहिए। अब हम बैंक के लोगों को झिड़की दे रहे हैं, हम यह देखेंगे कि वे सहयोग करें और यदि उन्हें वास्तविक काम करने में कोई कठिनाई है तो हम देखेंगे कि वे कठिनाइयां दूर हों। इसलिए महोदय, यह कार्यक्रम ऐसा बनाया गया है कि इसके अन्तर्गत देश में समाज के सभी वर्ग और सभी क्षेत्र आयें।

जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं पिछले वर्ष एक शहरी निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम आरम्भ किया गया था जिसके अन्तर्गत 345 श्रेणी-दो के कस्बे आने थे और चौहत्तरवें संविधान (संशोधन) अधिनियम के अनुसार इस योजना के तहत शहरी स्थानीय निकाय आने थे। 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है और मुझे विश्वास है कि यह इस वर्ष वास्तविक रूप से बड़े पैमाने पर आरम्भ होगा। तिहत्तरवां संविधान (संशोधन) अधिनियम की ग्यारहवीं अनुसूची ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों से संबंधित है और इसमें 29 कृत्य हैं जो उनको सौंपे जा सकते हैं। अब यह पूरी तरह से करना है। इस समय यह अंशत: किए गए हैं क्योंकि पंचायतें अस्तित्व में आने की प्रक्रिया में हैं और जब वे आ जायेंगी तो इन सभी को क्रियान्वित करना पड़ेगा और अधिकांश कार्यक्रम जो हमने आरम्भ किए हैं, पंचायतों को देना पड़ेगा और पंचायतों के लिए यह संभव हो सकेगा कि वे उन्हें तैयार करें और जहां वे चाहते हैं वहां उन्हें लागू करें।

महोदय, इस वर्ष पहली बार उनको भी किसी कार्यक्रम के अन्तर्गत लाया जा रहा है जिनको पहले नहीं लाया गया था। जैसे वृद्ध ऐसे परिवारों के बचे हुए जीवित लोग जिनके आजीविका कमाने वाले लोग नहीं रहे, निर्धन महिलाओं को पहले दो सन्तान के पैदान होने पर प्रसव पूर्व और प्रसव बाद मातृत्व देख रेख के लिए आहार भत्ते का प्रावधान, नए ग्रामीण अवस्थापना विकास निधि का बनाया जाना, स्कूल के बच्चों के लिए दोपहर के भोजन की योजना का विस्तार, जीवन बीमा निगम की ग्रुप जीवन बीमा योजना जिसे पंचायतों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में लागू किया जाएगा और लघु उद्योगों के लिए बेहतर ऋण के द्वारा सहायता करने की योजनाएं, खादी और ग्रामोद्योग। महोदय, इस संबंध में मुझे यह कहते हुए खुशी है कि इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत हमने लक्ष्य दुगना कर दिया है। इस वर्ष 10 लाख मकान बनाए जाएंगे।

महोदय, मैंने अब यह भी निर्णय लिया है कि भूतपूर्व सैनिकों के परिवारों को जो उन गांवों से आते हैं, इंदिरा आवास योजना के लाभ ग्राहियों में शामिल किया जाएगा। कल मैंने यह भी निर्णय लिया कि इस सुविधा को अर्द्ध सैनिक बलों के मामले में भी लागू किया जाएगा। कल मुझे अर्द्ध सैनिक बलों में कुछ सामाजिक सुधार लाते हुए बड़ा सुखद अनुभव हुआ। कश्मीर में कुछ लोग लड़ाई में मारे गए थे। उनकी विधवाएं केवल 20 वर्ष, 22 वर्ष, 23 वर्ष की हैं, एक सामाजिक संगठन ने उनकी उसी बल में जवानों से शादी कराई, ... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं ....

श्री पी. वी. नरसिंह राव : मैं कुछ दूसरी बात पर हूं, मैं धन के बारे में नहीं बोल रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : श्री आचार्य, यह ठीक नहीं है।

श्री पी. वी. नरसिंह राव : यह मैं परिवर्तन के बारे में बोल रहा हूं और यदि इसकी सराहना की जाती है तो निश्चित रूप से सोचेंगे कि इसे कैसे लिया जाए, यह एक भिन्न मामला है, इसलिए इंदिरा आवास योजना में, मैं यह कह रहा था कि इन सभी वर्गों के लोगों को शामिल किया जा रहा है।

महोदय, अब मैं जम्मू और कश्मीर पर बोलूंगा। महोदय, अनेक सदस्यों ने इस विषय को उठाया है। जम्मू और कश्मीर में जो कुछ किया गया है, मैं उस पर आऊंगा। बंदूक का डर कम करने के लिए आंतकवादियों के विरुद्ध निरन्तर कार्यवाही द्वारा उग्रवाद पर नियंत्रण रखने के लिए प्रयास तेज किए गए हैं। सुरक्षा बलों को अनेक महत्वपूर्ण सफलताएं मिली हैं। दूसरा, प्रमुख अलगाववादी नेताओं सहित अनेक नजरबंदियों को रिहा कर दिया गया है, वे न केवल रिहा किए गए हैं अपितु उन्हें दिल्ली आने दिया गया। उन्हें राजनीतिक दलों के अनेक नेताओं से मुक्त चर्चा करने दिया गया। उन्हें कुछ दूतावास जाने दिया गया आदि, इस प्रकार की सामान्य बातचीत को प्रोत्साहन दिया जा रहा है जो चल रही हैं।

परिसीमन की प्रक्रिया चल रही है और मतदाता सूची का पुनरीक्षण का कार्य शीघ्र ही पूरा होने की आशा है। राजनीतिक प्रक्रिया पुन: आरम्भ करने हमारे प्रयासों के संदर्भ में यह महत्वपूर्ण है कि सिविल प्रशासन कार्य करना आरम्भ कर दे, स्थानीय प्रशासन का मनोबल पुन: कायम करने और जनता को उग्रवादियों के साथ

मोहभंग होने से संपूर्ण स्थिति में सुधार आया है। यह मैं जिम्मेदारी की भावना के साथ कह रहा हूं। सभा को वह नहीं बताया जा रहा है जो सच नहीं है। मैं यह सब केवल रिपोर्टों के आधार पर नहीं कह रहा हूं बल्कि यह खबर मुझे विश्वसनीय स्त्रोतों से मिली है। मैं समझता हूं कि वहां स्थिति में सुधार आया है और लोग चुनाव चाहते हैं वे चाहते हैं कि चुनाव प्रक्रिया आरम्भ हो। वे अभी भी बंदूक से डरे हुए हैं। हालांकि बंदूक का डर काफी कम हो गया है, यह अभी भी है। महोदय यह स्थिति है।

पिछले एक वर्ष से विकास गतिविधियों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। पिछले 1 वर्ष से हम जम्मू और कश्मीर में विकास पहलुओं की तरफ विशेष ध्यान दे रहे हैं। जम्मू और कश्मीर को 1994-95 में एक विशेष योजना सहायता प्रदान की गई थी। योजनाओं पर निकट से निगरानी रखी जा रही है, मैंने स्वयं विकास के संवेदनशील क्षेत्रों में सरकार के 15 महत्वपूर्ण मंत्रालयों से लिए गए अपर सचिवों की दो टीमें भेजी हैं। विभिन्न केन्द्रीय क्षेत्र कार्यक्रमों के अंतर्गत 1994-95 के दौरान 200 करोड़ रुपये उपलब्ध किए गए थे। आई. आर. डी. पी., जवाहर रोजगार योजना और रोजगार आश्वासन योजना जैसे कार्यक्रमों के अंतर्गत लाभों का उपयोग करने के लिए लोगों में काफी उत्साह है।

मैं अब 1993-94 के साथ उपलब्धियों की तुलनात्मक तस्वीर प्रस्तुत करना चाहूंगा जबकि 1993-94 में जवाहर रोजगार योजना, के अंतर्गत 25.50 लाख श्रम दिवस पैदा किए गए, 1994-95 में 65.93 लाख श्रम दिवस पैदा किए गए इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत 1993-94 में 390 मकान बनाए गए जबकि 1994-95 में 1697 मकान बनाए गए। मिलियन कुंआ योजना 1993-94 में 1,563 कुंए खोदे गए, 1994-95 में 3,409 कुएं खोदे गए। जो इसमें वृद्धि हुई है उसे नोट किया जाना चाहिए। राज्यों को सप्लाई होने वाले चावल 36,200 टन से बढ़कर 44,000 टन और गेहूं का आबंटन 20,000 टन से बढ़कर प्रतिमाह 30,000 टन हो गया है।

चूंकि जम्मू और कश्मीर के लोग मोटा चावल अच्छा मानते हैं, इसलिए विशेष टीमें पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से जम्मू और कश्मीर चावल लाने के लिए वहां भेजी गईं। 1994 से अब तक घाटी में 45,000 टन चावल भेजे गए हैं। ...(**व्यवधान**)

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : कश्मीर घाटी पर खर्च हुआ है या जम्मू और लद्दाख पर भी खर्च हुआ है।

श्री पी. वी नरसिंह राव : सब जगह हुआ है।

[अनुवाद]

उग्रवादियों द्वारा नष्ट किए गए स्कूलों, पुलों, अस्पतालों, विद्युत प्रतिष्ठापनाओं की मरम्मत करने को उच्च प्राथमिकता देने के लिए भी एक वृहत कार्यक्रम बनाया गया है। आतंकवादियों ने 450 शैक्षिक संस्थाओं को नुकसान पहुंचाया था जिनमें प्राइमरी स्कूलों से लेकर कालेज आते हैं। इन सबकी मरम्मत की जा रही है। इस काम को हाथ में लिया हुआ है।

मैं अधिक ब्यौरा नहीं दूंगा। मैं सभा में यह कहना चाहता हूं कि मैंने इस मामले में सभी सदस्यों की राय को नोट किया है मैंने बड़ी सावधानी के साथ सभा में ठीक स्थिति जैसा कि वह आज है, बताई है सभी बातों को देखते हुए पता चलता है कि चुनाव प्रक्रिया को आरम्भ करने के लिए स्थिति सुधर रही है मैं विपक्षी दलों के नेताओं से परामर्श कर रहा हूं। विभिन्न क्षेत्रों में लोगों ने अपनी इच्छा जताई है, उसे सरकार ने नोट किया है सलाह मशविरा का दौर पूरा होने के बाद मैं संसद को विश्वास में लेकर स्पष्ट प्रस्ताव रखूंगा, मेरा यह इस सत्र में करने का विचार है और आगामी कुछ दिनों में मैं चाहता हूं कि आप सभा को विश्वास में लेने के लिए मुझे समय दें।

रक्षा के मामले में बोलते हुए सभा में अग्नि और पृथ्वी कार्यक्रमों का उल्लेख किया गया, जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, अग्नि एक प्रौद्योगिकी निदर्शक है और इस प्रोजेक्ट से हम संतुष्ट हैं। मैं तीन अथवा चार दिन पहले फैक्टरी में गया था।

जहां तक पृथ्वी का संबंध है प्रयोक्ता परीक्षण का चरण पूरा हो गया है और उसके बाद के कार्य चल रहे हैं। मैं सभा को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि इसमें विलम्ब करने और हमारी रक्षा आवश्यकताओं से समझौता करने के लिए मजबूर करने हेतु हम पर किसी बाहरी दबाव के पड़ने का प्रश्न नहीं उठता। जो भी हमारा विश्वास है कि राष्ट्र की रक्षा करने के लिए ऐसा करने की आवश्यकता है तो उसे हम करेंगे।

महोदय, जहां तक विदेश मामलों का संबंध है, मैं संक्षेप में कहना चाहूंगा कि अगले दो-तीन दिनों में यहां 'सार्क' देशों का सम्मेलन होने जा रहा है। मैं सार्क शिखर सम्मेलन होने के अवसर पर अलग-अलग देशों के साथ हमारे संबंधों के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। मैं यही कहना चाहता हूं कि हम अपनी ओर से संबंध सुधारने के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं, इसमें कोई चूक नहीं हुई है, यदि दूसरी तरफ से भी हमें उचित जवाब मिलता है तो उसका हम स्वागत करेंगे।

पहली बार इस वर्ष 'साप्टा' (दक्षिण एशियाई अधिमानी व्यापार प्रबन्ध) आरम्भ किया जा रहा है। दस वर्षों तक हम सार्क की बैठकों में और अन्य देशों के साथ व्यापार समझौता अथवा व्यापार सम्बन्ध में कोई प्रगति नहीं कर सके हैं।

यह बहुत पहले कर लिया जाना था परन्तु अज्ञात कारणों से ऐसा नहीं हुआ।

5.00 म. प.

इस वर्ष यह हो रहा है और मैं सभा को बताना चाहूंगा कि यह एक शुभ संकेत है कि इन सात देशों के बीच अधिमानी व्यापार प्रणाली एक दूसरे के बीच लाई जा रही है और इसका वास्तव में परिणाम, जैसा हमने देखा है, देशों के सम्मिलन में होगा जैसा 'एशियान' बना है हमने देखा है कि पिछले 15 से 20 वर्षों में किस प्रकार एशियान जोर पकड़ता गया है। इसी तरह सार्क देशों के लिए आने वाले वर्षों में ऐसा करना संभव है।

महोदय, मैं यही वस्तुतः सभा के समक्ष रखना चाहता हूं, महोदय, यदि और कोई बात है तो मैं उसका उत्तर देने को तैयार हूं। ...(**व्यवधान**)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, अनेक महत्वपूर्ण विषय जैसे मंहगाई, बेरोजगारी, एग्जिट नीति, रूग्ण उद्योग विशेष रूप से उठाए गए हैं, महोदय, माननीय प्रधान मंत्री जी ने उनका उल्लेख भी नहीं किया है, ये ऐसे विषय हैं जो जनता से बहुत सम्बन्ध रखते हैं .....**(व्यवधान)** ये बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं जिन्हें लोगों ने हर दिन उठाया है .... **(व्यवधान)**

श्री पी. जी . नारायणन : तमिलनाडु की स्थिति के बारे में क्या कहना है .... **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी (गढ़वाल) : मुजफ्फरनगर की घटना के बारे में कुछ कहिए।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : अन्य अनेक महत्वपूर्ण मामले हैं जिन पर हमें सरकार के विचार जानने चाहिएं .... **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी : मुजफ्फरनगर की घटना के बारे में कुछ कहिए। सी. बी. आई. की रिपोर्ट इलाहाबाद कोर्ट में पड़ी हुई है।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : अनेक महत्वपूर्ण मामले जैसे टाडा , बेरोजगारी, रूग्ण उद्योग, मंहगाई उठाए हैं......... **(व्यवधान)**

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य (जादवपुर) : ऐसा लगता है कि कोई बेरोजगारी नहीं है, कोई मंहगाई नहीं है..........**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री सैयद शहाबुद्दीन (किशनगंज) : महोदय, मुल्क में नई नई तहरीकें छेड़ी जा रही हैं, मथुरा और काशी के बारे में, एक नया अयोध्या छेड़ा जा रहा है, उनको भी बचाना आपका फर्ज है।

श्री पी. वी. नरसिंह राव : उसके लिए कानून मौजूद हैं, **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : देश में फासिज्म का खतरा है .... **(व्यवधान)**

श्री पी. वी. नरसिंह राव: महोदय, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि टाडा, जिसे 1986 में कानून बनाया गया था, एक विशेष प्रयोजन, एक विशेष स्थिति के लिए था जो कि उस समय देश में व्याप्त थी , इसका तब से अनेक राज्यों ने प्रयोग किया है कुछ राज्यों ने नहीं किया है; कुछ राज्यों ने किया है ....(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : इसका दुरुपयोग हुआ है........**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

शरद यादव (मधेपुरा) : अध्यक्ष महोदय, सरकार की तरफ से टाडा के बारे में कहा गया है कि उसका हम संशोधित रूप लाना चाहते हैं। हम सब तरफ के लोगों ने टाडा के सवाल को उठाने का काम किया है। इसका क्या रूप होगा ? जो एक्सट्रीमिस्ट इलाके हैं वहां टाडा का इस्तेमाल किया गया है और लोग बन्द हैं। आप इसको किस रूप में लाना चाहते हैं । यह बात भी आपको साफ करनी चाहिए ।

[अनुवाद]

श्री पी. वी. नरसिंह राव : जब यह कानून देश के कुछ भागों में आंतकवादी गतिविधियों के कारण उत्पन्न कठिन स्थिति से निबटने के लिए 1986 में बनाया , मुझे यह कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि इसके कुछ प्रावधानों का दुरुपयोग किया गया जिससे कुछ लोगों को परिहार्य कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मेरे विचार स्पष्ट हैं कि इस कानून को , जैसा कि यह है, जारी नहीं रखा जाना चाहिए। गृह मंत्री द्वारा परामर्श किए जाने के बाद गृह मत्रांलय अभी विकल्पों के बारे में, जो कि हमारे सामने हैं, विपक्ष के नेताओं के साथ परामर्श कर रहा है कि क्या विकल्प हैं और उनके अनुसार कौन सा विकल्प सबसे अच्छा है... तब वह किसी निष्कर्ष पर पहुँचेंगे ....**(व्यवधान)**

श्री बसुदेव आचार्य : हमने अपना विकल्प दे दिया है .... **(व्यवधान)**

श्री पी. वी. नरसिंह राव : कृपया आप बैठ जाइए, आप सारी सभा नहीं हैं।

गृह मंत्री के साथ परामर्श करने के बाद महोदय, यह सरकार आवश्यक विधान लेकर आयेगी ....**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। जब मैं खड़ा हूँ तो आप बैठ जाइए, यह सच है कि अनेक सदस्यों ने अनेक महत्वपूर्ण विषय उठाए हैं, परन्तु प्रत्येक विषय पर इस सभा में उपलब्ध समय पर उनका उत्तर देना कठिन है, अब ये विषय एक ही स्थान पर इकट्ठे उठाए गए हैं और इससे जानने की भावना का पता चलता है। मैं एक या दो सदस्यों को इन महत्वपूर्ण विषयों को उठाने की अनुमति दूँगा। ये ऐसे विषय नहीं होंगे जिन्हें सरकार को प्रश्न के रूप में उठाया जा सकता है परन्तु ऐसे महत्वपूर्ण विजय होंगे जिन्हें प्रश्न के रूप में नहीं उठाया जा सकता है, मुझे विश्वास है कि माननीय प्रधान मंत्री जी इनका उत्तर देंगे मैं सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे प्रश्न पूछें और यह मेरे स्वाविवेक पर निर्भर करेगा कि मैं इसकी अनुमति दूँ या न दूँ , मैं सदस्यों से अनुरो

करूंगा कि वे प्रश्न पूछें और इसकी अनुमति देने का या न देने का और उन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए प्रधान मंत्री से कहने का स्वाविवेक अपने पास रखूँगा।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : अध्यक्ष जी, मैंने अपने भाषण में ईरान के राष्ट्रपति की लखनऊ यात्रा का उल्लेख किया था। वह हमारे आदरणीय मेहमान थे। ईरान के साथ हमारे संबंध और भी महत्वपूर्ण हों, इस लक्ष्य से सभी लोग सहमत हैं। लेकिन उनकी लखनऊ यात्रा के दौरान जो कुछ हुआ, जिस तरह से उनकी यात्रा का एक दल विशेष द्वारा संकुचित लाभ उठाने की कोशिश की गई, साम्प्रदायिकता को भड़काने की कोशिश की गई। उन्हें भारत के घरेलू मामलों में दखल देने के लिए निमंत्रण दिया गया, क्या प्रधानमंत्री जी के पास जो कुछ लखनऊ में हुआ, उसकी रिपोर्ट है।

श्री पी. वी. नरसिंह राव : मैं इतना ही कह सकता हूँ कि जिस किसी ने जो कुछ भी किया हो, उन्होंने हमारे घरेलू मामलों में बिलकुल दखल नहीं दिया और जो भी उन्होंने कहा उससे साफ जाहिर है कि वह इस कोशिश को बिलकुल कामयाब नहीं बनाना चाहते थे कि कोई ऐसी बात उनसे कहलवाई जाए जो वह कहना नहीं चाहते थे। उन्होंने जो कहा उससे हमारी पुष्टि होती है, हमारी नीति की पुष्टि होती है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : मैं ईरान के राष्ट्रपति जी को दोष नहीं दे रहा हूं। प्रधानमंत्री जी ने शायद मेरी बात को ठीक समझा नहीं या मैं अपनी बात को ठीक समझा नहीं सका। ...... (व्यवधान) मैं उनकी आलोचना कर रहा हूँ जिन्होंने ईरान के राष्ट्रपति को घरेलू मामलों में दखल देने के लिए खींचने की कोशिश की। क्या प्रधानमंत्री जी को मालूम है कि जब ईरान के राष्ट्रपति अमोसी एयरपोर्ट से इमामबाड़ा तक गए तो भारत का राष्ट्रीय झंडा नहीं था? कांग्रेस के नेता जो लखनऊ में मंच पर मौजूद थे उनमें से किसी को बोलने नहीं दिया गया। ईरान के राष्ट्रपति जी के सामने यह कहा गया कि देश में अल्पसंख्यक खतरे में है और केवल उन्हीं की सरकार है, उन्हीं की पार्टी है, जिनकी ओर मैं इशारा कर रहा हूँ वही अल्पसंख्यकों को बचा सकते हैं। क्या इसलिए ईरान के राष्ट्रपति को लखनऊ ले जाया गया था। मैं लखनऊ का निर्वाचित प्रतिनिधि हूं, मगर उस समारोह में मुझे नहीं बुलाया गया था। विदेश के मेहमानों की यात्राओं का क्या इस तरह से दुरूपयोग किया जाएगा।

श्री पी. वी. नरसिंह राव : हम उस बात से बिलकुल सहमत नहीं हैं। लेकिन किसी पार्टी के नेता को अपनी पार्टी की बढ़ाई करने से कैसे रोकेंगे, आप यह बताएं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूँ कि मैं सदस्यों को अपना प्रश्न पूछने की अनुमति दूँगा और मैं समझता हूं कि माननीय प्रधान मंत्री जी के लिए उन सबका उत्तर एक साथ देना सुविधाजनक रहेगा, नहीं तो बहुत अधिक प्रश्न होंगे और बहुत अधिक उत्तर होंगे।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे अवसर दिया। अनेक ऐसे विषय हैं जिन पर उन्होंने कुछ नहीं कहा है। हम परेशान हैं।

परन्तु जहां तक मंहगाई का सम्बन्ध है यह ऐसा विषय नहीं है जिसके बारे में यहां बैठे हम लोग ही चिन्तित हैं बल्कि सारा देश इससे प्रभावित है। सभी कांग्रेसी सदस्यों ने यह चिन्ता व्यक्त की है। हो सकता है कि सचेतक के कारण उन्होंने यहां कुछ नहीं कहा परन्तु बाहर वे कह रहे हैं, इसलिए यह एक ऐसा मामला है जिसका कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया है और न ही प्रधान मंत्री जी ने इसके बारे में कुछ कहा है, मैं जानना चाहता हूँ कि सरकार के इस संबंध में क्या दृष्टिकोण हैं और इस पर सरकार की क्या नीतियाँ हैं।

दूसरी बात रूग्ण उद्योगों को पुनः चालू करने की है, यह कहना बहुत अच्छा है कि पश्चिम बंगाल के सभी संसद सदस्य अथवा ट्रेड यूनियन वहां जा रहे हैं क्योंकि हम बहुत उत्सुक हैं कि इन्हें पुनः चालू किया जाए। महोदय, कंपनियों की सूची में से, जो इस सरकार द्वारा सत्ता में आने से पूर्व तैयार की गई थी, बहुत सी कंपनियों को बंद किया जाना चाहिए था अथवा वे बहुत खराब हालत में थी। वे अपने प्रयासों से पुनः चालू हुई हैं, वे अब लाभ अर्जित कर रही हैं, जहां तक अन्य एककों का प्रश्न है, हम बराबर यह कह रहे हैं कि उनमें से अधिकांश एककों को पुनः चालू किया जा सकता है परन्तु वास्तव में कोई गम्भीर प्रयास नहीं किए गए। सरकार की कंपनियों में यहां तक कि मजूरी और वेतन नहीं दिए गए।

अध्यक्ष महोदय : सोमनाथ जी, प्रधान मंत्री को दूसरी सभा में भी जाना है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, मैं केवल यह बता रहा हूँ कि इन मिलों को आसानी से चालू किया जा सकता है।

श्री पी. वी. नरसिंह राव : यहां तक कि अलग–अलग मामले, जो मुझे मिल रहे हैं उन्हें मैं विभागों को भेज रहा हूँ, मैं उन्हें पुनः चालू करने में रूचि ले रहा हूँ। (व्यवधान)

ऐसा नहीं है कि सरकार उन्हें अनदेखा कर रही है, ऐसी बात नहीं है, ये अलग–अलग मामले हैं, कुछ अच्छे मामले हैं, कुछ पुराने मामले हो गए हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी: इस पर विचार नहीं किया गया है, मैंने यह सूची दी है, हमें प्रत्येक एकक के बारे में प्रधान मंत्री से उनकी पुनरीक्षा करने का आश्वासन मिला है, वित्त मंत्री जी ने भी ऐसा कहा है और श्रीमती कृष्णा साही ने भी ऐसा कहा है, परन्तु ऐसा नहीं किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : इसलिए हमारा यह प्रश्न है : सरकार का इस बारे में क्या उत्तर है?

श्री पी. वी. नरसिंह राव : इस प्रश्न का उत्तर पहले ही दिया जा चुका है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप एक समय सीमा निर्धारित क्यों नहीं करते हैं या एक कृतिक बल क्यों नहीं नियुक्त करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : बहुत संक्षेप में , श्री शरद यादव ।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव : अध्यक्ष जी, ईरान के राष्ट्रपति जी जब यहां आए, मैं महसूस करता हूं कि उनके आने से राष्ट्र को बहुत राष्ट्रीय फायदा पहुंचा है। उनके बयान जिस तरीके से थे, वे भी बहुत संतुलित थे। उसी दौरान अमरीका के खजाना सचिव भी यहां आए हुए थे । उन्होंने कहा कि यदि हमें मालूम होता कि ईरान के राष्ट्रपति यहां आने वाले हैं तो हम अपना प्रोग्राम रीशेडयूल कर लेते । इस मामले में मैं समझता हूं कि उनका रिमार्क खेदजनक है। इस बाबत सरकार का क्या मत है, इसको स्पष्ट करने का काम भी होना चाहिए ।

[अनुवाद]

श्री पी. जी. नारायणनः महोदय, तमिलनाडु की स्थिति के बारे में मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आप बहां के राज्यपाल को वापस बुला रहे हैं या नहीं? क्या आप इस संकट का समाधान निकाल रहे हैं? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः नहीं, नहीं यह संभव नहीं है।

(व्यवधान)

श्री पी. जी. नारायणन : हम सरकार के रवैये से संतुष्ट नहीं हैं, हम सभा से बहिर्गमन कर रहे हैं।

श्री एम. आर. कादम्बूर जनार्दनन : तमिलनाडु भारत का एक भाग है।

5.13 म. प.

इस समय श्री पी. जी. नारायणन और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए ।

[हिन्दी]

श्री रवि राय (केन्द्रपाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री जी अपने भाषण के दौरान कुछ महत्वपूर्ण चीजों के बारे में बोले, परंतु हमें खेद है कि भ्रष्टाचार उन्मूलन के बारे में वे कुछ नहीं बोले । प्रधानमंत्री जी ने कुछ महीने पहले कहा था कि बोफोर्स के बारे में वे स्वयं मानीटर करके सदन को बताएंगे । संसदीय कार्य मंत्री श्री विद्या चरण शुक्ल जी ने भी विरोधी पक्ष के नेताओं को बुलाकर बोफोर्स कागजात दिखाने का ऐलान शीघ्र करने के बारे में आश्र्वासन दिया था । इस देश में लोग कई वर्षों से भ्रष्टाचार और बोफोर्स के बारे में चिंतित हैं, मैं प्रधान मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इसके बारे में कब जानकारी देंगे ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि मैं पहले सभी माननीय सदस्यों को आज बेहतर सहयोग देने के लिए धन्यवाद दूँ और मुझे विश्वास है कि वे दूसरी सभा के सदस्यों की भावनाओं का आदर करेंगे जहां प्रधान मंत्री ने जाना है। इसलिए मैं प्रधान मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि एक या दो बातों का संक्षेप में उत्तर दें जो अभी कहे गए हैं और मैं समझता हूँ कि यह सभा सहमत होगी कि उन्हें दूसरी सभा में जाने दिया जाए । हम शेष कार्य को ले सकते हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी : आपके मन में कोई पीड़ा नहीं है । उत्तरांचल के बारे में कुछ नहीं कहते हैं । वहां की रिपोर्ट के बारे में कुछ नहीं कहते। मुजफ्फरनगर की घटना के बारे में कुछ नहीं कहते। .... (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मेजर जनरल खण्डूरी, यह प्रश्नोतर काल नहीं है।

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी : मैंने अपने भाषण में इसका उल्लेख किया है ।

अध्यक्ष महोदय : आप ठीक हो सकते हैं । आपने इसे उठाया है। उनसे आशा नहीं की जा सकती कि वे सभी प्रश्नों का उत्तर दें , राज्यों का पुनर्गठन कोई छोटा मामला नहीं है जिसका वे तत्काल उत्तर दें । आपको यह समझना चाहिए।

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी : कृपया मुझे एक मिनट का समय दीजिए, मैं पुनर्गठन की बात नहीं कर रहा हूँ (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : मुझे दुख है, यद्यपि हमने पूरी गंभीरता के साथ इसका उल्लेख किया था फिर भी ऐसा लगता है कि माननीय प्रधान मंत्री के पास इसका उत्तर देने के लिए समय नहीं है। हम लोगों के पास जा रहे हैं। इस बात को यहां जारी रखने में कोई तुक नहीं है, इसलिए विरोध में हम बहिर्गमन कर रहे हैं।

5.16 म. प.

इस समय श्री सोमनाथ चटर्जी और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए ।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : यहां भ्रष्टाचार के बारे में कुछ नहीं कहा। सामाजिक न्याय के बारे में कुछ नहीं कहा। इसके विरोध में हम वाक आउट करते हैं ।

5.17 म. प.

इस समय श्री शरद यादव और कुछ माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चल गए ...... (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : कामगारों को महीनों से मजूरी नहीं मिली है। (व्यवधान) * *

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

5.18 म. प.

इस समय श्री बसुदेव आचार्य और कुछ माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मैं मानता हूँ कि इस तरह की बहस में सभी सवालों का, सभी मुद्दों का जबाव देना संभव नहीं है, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो लोगों के मन को आन्दोलित कर रहे हैं। उनका चर्चा में भी उल्लेख हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : जैसे आप बतायें ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उत्तरांचल का सवाल है। राज्य के पुनर्गठन की बात नहीं हो रही है। उत्तरांचल के आंदोलनकारियों के साथ उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर में जिस तरह का बर्ताव हुआ, महिलाओं के साथ बलात्कार के आरोप लगे, सी. बी. आई. ने उसकी जांच की, उसकी रिपोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने रख दी गई है। प्रधान मंत्री उस सरकार का समर्थन कर रहे हैं। आपको याद होगा कि उस दिन पंचायतों के चुनाव के बारे में इतनी शिकायतें आई थीं। किस तरह वहां लोकतंत्र का मखौल उड़ाया गया है, राही जी ने इसको लेकर भूख हड़ताल की थी , वह यहां बैठे हुए हैं। प्रधान मंत्री जी ने उनकी भूख हड़ताल तुड़वाई.......

श्री पी. वी. नरसिंह राव : फिर आप कैसे कह रहे हैं कि हम वहां की सरकार को समर्थन दे रहे हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी दोरंगा खेल खेल रही है।

राही जी भूख हड़ताल भी करते हैं और प्रधानमंत्री जी उस सरकार को बचाये भी रखते हैं। आखिर धारा 356 किस के लिये है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह हाजिरजवाबी की लड़ाई है।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी उत्तर दें। जो बलात्कार की घटनायें हुई हैं और पंचायत चुनावों में जो धांधलियां हुई हैं, उनके बारे में सरकार अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करे ।

[अनुवाद]

श्री पी. वी. नरसिंह राव : जिस दिन गृह मंत्री की मांग का दिन आएगा मैं गृह मंत्री महोदय से कुछ बोलने के लिए कहूंगा ।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: अध्यक्ष जी, यह क्या कहा है? यह आपके और प्रधानमंत्री के बीच में क्या बातचीत हो रही है? क्या कहा आपने?

अध्यक्ष महोदय : अगर मंहगाई पर कुछ कहना चाहें तो?

[अनुवाद]

श्री सैयद शहाबुद्दीन : एक छोटी बात है, महोदय................ (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अभी नहीं , नहीं तो मुझे सबको अनुमति देनी पड़ेगी।

(व्यवधान) **

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा ।

(व्यवधान) **

अध्यक्ष महोदय : शहाबुद्दीन जी, यह कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। कृपया बैठ जाइए । जब आपकी बात होगी तो मैं आपको समय दूंगा, इस समय आपको अपनी बात कहने का समय नहीं है।

श्री पी. वी. नरसिंह राव : महोदय, मुझे प्रयास के साथ यह समझाना पड़ रहा है कि हम किसान को जो मूल्य देते हैं और जो मूल्य उपभोक्ता को देना पड़ता है उसके अन्तर को यदि समाप्त नहीं तो कम से कम कैसे कर रहे हैं । यह मैंने स्पष्ट करने का

** कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

प्रयास किया है। इसके लिए कोई बना–बनाया उत्तर नहीं है। हम यह नहीं कह सकते कि हम किसान को उचित मूल्य नहीं देंगे। हमें देना पड़ेगा। परन्तु साथ ही साथ उसमें से लगभग 38 प्रतिशत अथवा 37 प्रतिशत उपभोक्ता को पहुंचने के पूर्व उनके बीच के व्यक्ति (बिचौलिए) के पास जा रहा है। इसको समाप्त किया जा सकता है। हम वही कर रहे हैं।

तेल के बारे में मैं यह कहना चाहूँगा कि इसे खुली सामान्य लाइसेंस नीति (ओ. जी. एल.) के अंतर्गत लाया गया है, अब तेल के मूल्यों में स्थिरता आ रही है।

दालों के मामले में, मुझे दुख है हमारा देश आत्मनिर्भर नहीं है और अन्य देशों में जहां से हम दालें लेते हैं, वहां उनके वर्तमान मूल्य भारत में इनके मूल्यों से अधिक हैं, यह ऐसा है जिसके बारे में सरकार कुछ नहीं कर सकती, इसलिए आज जो वहां स्थिति है हमें उससे काम चलाना है जब तक कि अन्य देशों में स्थिति सुधर नहीं जाती अथवा मूल्य कम नहीं हो जाते, इसलिए प्रत्येक वस्तु के मामले में मूल्यों पर नियंत्रण रखने या उसको कम करने या उनको कम रखने और उसमें वृद्धि न होने देने के लिए एक खास तरीका है। इसलिए इन में से प्रत्येक वस्तु के मामले में सरकार जो कर सकती है वह कर रही है। मैं वस्तुवार बता सकता हूं कि क्या किया जा रहा है। परन्तु मेरा यह कहना है कि अन्ततः उत्पादक को उचित मूल्य देना पड़ेगा और इसी आधार पर दूसरी चीजों का हिसाब लगाया जाएगा, हम एक सीमा से अधिक राज सहायता बढ़ाते नहीं रह सकते, इसलिए प्रश्न यह है कि हम कितना कर सकते हैं, प्रश्न यह है कि हम कितना दे सकते हैं, स्थिति यह है। मूल्य स्थिति किसी एक व्यक्ति या किसी एजेंसी के हाथ में नहीं है कि बटन दबाया और इसके मूल्य नियंत्रित हो गए या कम हो गए।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, जिन सदस्यों ने मामला उठाया था, वह चले गए, उनके जाने के बाद प्रधानमंत्री जी जवाब दे रहे हैं, क्या वे चाहते हैं कि हम भी चले जाएं तो हमारी बात का जवाब देंगे ? आप क्या कर रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, आप जवाब दिलवाईये, उत्तरांचल के बारे में सरकार ....

श्री पी. वी. नरसिंह राव : जो गये थे, उन्होंने मुझे नोटिस तो नहीं दिया है कि वे जाने वाले हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंनें आपसे उत्तर देने के लिए अनुरोध किया था।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, अगर उत्तरांचल के बारे में प्रधानमंत्री अपना मौन तोड़ते तो अच्छा होता, हमें गृह मंत्री कहते हैं कि चर्चा हो रही है, आन्दोलनकारियों से बातचीत हो रही है प्रधानमंत्री कहते क्यों नहीं।

श्री पी. वी. नरसिंह राव : कह रहा हूँ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : और सी. बी. आई. ने बलात्कार के बारे में जो रिपोर्ट दी थी, उसका क्या होगा।

[अनुवाद]

श्री पी. वी. नरसिंह राव : महोदय, उत्तर देने के लिए कुछ बातें उस दिन के लिए छोड़ देना ठीक रहेगा जब हम गृह मंत्रालय की मांगों को लेंगे, मैं गृह मंत्री जी से उस दिन उत्तरांचल पर बोलने के लिए कहूँगा।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, हम प्रधान मंत्री के उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं।

5.24 म. प.

इस समय श्री अटल बिहारी वाजपेयी और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए। ......(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : अध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री ने आंध्र प्रदेश में "एक किलो चावल दो रुपये में" कार्यक्रम के लिए केन्द्रीय सहायता देने के बारे में कुछ नहीं बोला है, सरकार की इस निर्धन व्यक्ति विरोधी नीतियों कहे विरोध में हम सभा से बहिर्गमन करते हैं।

5.25 म. प.

इस समय श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा–भवन से बाहर चले गए।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : अध्यक्ष जी, मुम्बई के बारे में मैं प्रधान मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ .... (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : वे इसका सभा में उत्तर नहीं देंगे, यह ठीक नहीं है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : अध्यक्ष जी, मुझे एन. टी. सी. मिल के बारे में पूछना है कि वह पैसा दे रहे हैं या नहीं .... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ये रिकॉर्ड पर नहीं जा रहा है।

(व्यवधान)**

श्री मोहन रावले : अध्यक्ष जी, प्रधान मंत्री जी ने अपने जवाब में मुम्बई की समस्याओं के बारे में कुछ नहीं कहा है, मैं इसके विरोध में सदन से बहिर्गमन करता हूँ।

5.26 म. प.

इस समय श्री मोहन रावले सभा–भवन से बाहर चले गए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों ने धन्यवाद प्रस्ताव पर अनेक संशोधन दिए हैं, क्या मैं उन सबको एक साथ सभा में मतदान के लिए रखूं या कोई माननीय सदस्य किसी विशेष संशोधन को अलग से रखना चाहते हैं?

मैं सभी संशोधनों को एक साथ सभा में मतदान के लिए रखता हूं क्योंकि किसी सदस्य ने उन्हें अलग से रखने के लिए नहीं कहा है। संशोधन संख्या 1 से 38, 51 से 65, 103 से 125, 311 से 365, 373 से 388, 433 से 607, 700 से 716, 799 से 834, 846 से 874, 887 से 894, 899 से 912, 927 से 931, 942, 943, 992 से 995, 1052 से 1066 और 1084 से 1097 सभा में मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं सभा में मुख्य प्रस्ताव को मतदान के लिए रखूंगा।

प्रश्न यह है :

" कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाए :– ' कि इस सत्र में समवेत लोक सभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिए जो उन्होंने 13 फरवरी, 1995 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है उनके अत्यन्त आभारी हैं। "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

अध्यक्ष महोदय : श्री तोपदार अब अपनी बात कह सकते हैं, संबंधित मंत्री सभा में उपस्थित रहेंगे।

श्री तरित वरण तोपदार (बैरकपुर) : महोदय, भारतीय पटसन निगम के कर्मचारी इस महीने की 25 ता. से भूख हड़ताल पर हैं। उनकी मांग है कि भारतीय पटसन निगम में काम फिर से चालू हो न कि सरकार आदेश दे कि कामगारों की संख्या कम की जाए और मा. प. नि. संगठन को पूरी तरह बंद कर दिया जाए। किसी भी मंच पर चर्चा करने के बजाए सरकार ने इस संगठन को समाप्त करने का एकतरफा निर्णय लिया है। इसका पटसन उद्योग और किसानों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा जिनकी संख्या पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और असम में 12 लाख से कम नहीं है, वस्त्र मंत्री यहां पर हैं, इसलिए मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि इन बातों का उत्तर दें।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): परमाणु ऊर्जा आयोग, बम्बई के कार्यालय में गंभीर स्थिति बनी हुई है। वहां 21 अप्रैल से भूख हड़ताल चल रही है और स्थिति आगे और बिगड़ गई है, कामगार मकानों के आबंटन के लिए माँग कर रहे हैं। 250 मकान खाली पड़े हुए हैं। उसके बावजूद इन मकानों को आबंटित नहीं किया जा रहा है। उन्हें भूख हड़ताल पर जाना पड़ा है। कल परमाणु ऊर्जा आयोग, बम्बई के प्राधिकारियों ने 2 बजे से कार्यालय बंद कर दिया है और वहां तनाव व्याप्त है।

मैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह तत्काल मामले में दखल दें ताकि स्थिति सामान्य बन सके और बिगड़े नहीं जिससे वहां भूख हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों के जीवन को बचाया जा सके।

[हिन्दी]

श्री रवि राय (केन्द्रपाड़ा): अध्यक्ष महोदय, इन्टरनेशनल लेबर ऑग्रेनाइजेशन की वर्ल्ड लेबर रिपोर्ट 1995 का परसों दिल्ली में प्रकाशन हुआ है। आप जानते हैं कि इन्टरनेशनल लेबर आग्रेनाइजेशन दुनिया के मजदूरों के हितों की रक्षा करने हेतु काम करता है और आई. एल. ओ. का डाइरेक्टर हमारे देश में नेशनल रिनिवल फण्ड को लेकर स्ट्रक्चरल चैंजेज वगैरह कर रहे हैं उसके बारे में वर्ल्ड लेबर रिपोर्ट 1955 है। उसमें है कि नेशनल रिनिवल फण्ड का जो सबसे बड़ा काम है वह "टू रिट्रेंड दी वर्कर्स है। भारत सरकार ने वह नहीं किया है और जब से न्यू इकॉनोमिक पालिसी लागू हुई है तबसे सिर्फ 500 मजदूरों व कर्मचारियों को ट्रेंड किया गया है, वर्ल्ड लेबर रिपोर्ट में यह भी शिकायत है कि :

[अनुवाद]

रिपोर्ट में यह भविष्यवाणी की गई है कि यदि युवा बेरोजगारों के लिए रास्ता बनाने हेतु पुराने कामगारों को शीघ्र सेवानिवृत्ति लेने के लिए दबाव डाला जाए तो सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था ढह जाएगी। रिपोर्ट में बेरोजगारी की वास्तविक संभावना की समस्या से निबटने के लिए कामगारों को प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है जिससे ढांचागत समायोजन करना पड़ेगा। पुनः प्रशिक्षण और श्रमिक कातार उपाय उन कामगारों को अपने रोजगार में जाने के लिए समर्थ बनाने का एक शक्तिशाली साधन बनेगा जो अपने

** कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

पिछले सेजगारों से अलग कर दिए गए हैं।

[हिन्दी]

मेरा कहना है कि जिस तरीके से सरकार नेशनल इकॉनोमिक पालिसी को चलाकर मजदूरों का भला करने का वादा करने के बावजूद भी अपने वादे से मुकरी है उसके कारण इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को भारत सरकार के खिलाफ टिप्पणी करनी पड़ी है इसलिए मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि वर्करों को रिट्रेंड देने के लिए जो सुझाव आई.एल.ओ. ने अपनी 1995 की रिपोर्ट में दिये हैं उसके लिए सरकार वेलफेयर सिस्टम को आगे बरकरार रखने के लिए वर्करों को लार्ज स्केल में ट्रेनिंग देने का काम करे। नेशनल रिनिवल फण्ड के चलते सरकार ने वादा किया था वह नहीं किया है और आई.एल.ओ. ने शिकायत की है इसलिए मैं सरकार को कहूंगा कि वह उस शिकायत को देखकर कर्मचारियों और मजदूरों को रिट्रेंड करने का काम करें।

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा): अध्यक्ष जी, इस सदन में दलित क्रिश्चियन्स का सवाल बहुत दिनों से उठता आ रहा है और सरकार ने बार बार एश्योरेंस दिया है। जब नेशनल फ्रंट की सरकार थी तो हम लोगों ने भी कहा है। जो दलित सिक्ख हैं उनको रिजर्वेशन मिल गया है और दलित बौद्धों को भी रिजर्वेशन मिल गया है। दलित क्रिश्चियन्स की भारी संख्या है लेकिन उनको अभी तक कोई सुविधा नहीं मिल पायी है। यहां पर कल्याण राज्य मंत्री जी बैठे हैं, सीतारामजी ने भी बार–बार कहा है कि दलित क्रिश्चियन्स के सवाल को गंभीरता से लेंगे और उनको भी अनुसूचित जाति का दर्जा देने का काम किया जायेगा लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि आज तक उनको अनुसूचित जाति का दर्जा नहीं दिया गया है। वे लोग धरने पर बैठे हुए हैं। सरकार के पास 200 ट्राइब्स का बिल बनकर तैयार है। तमाम जातियों के लोग जिनमें ट्राइब्स भी हैं वे धरने पर बैठे हुए हैं। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ट्राइब्स या अन्य जातियां, जैसे दलित क्रिश्चियन्स का सवाल है या धवांग इश्यू है तो क्या दलित क्रिश्चियन्स को अनुसूचित जाति का दर्जा देने के लिए संसद के इस सत्र में विधेयक लाने का विचार कर रही है ? हम सरकार से मांग करते हैं कि सरकार इसी सत्र में विधेयक लाये। हम लोग उसका समर्थन करेंगे इसलिए सरकार उसको पास कराने का काम करे।

आज मैं इस बारे में मंत्री जी से मिला था और हम लोगों ने इस मामले को उनके सामने उठाया था। मंत्री जी यहां पर बैठे हुये हैं। यदि इस संबंध में वे कुछ प्रकाश डाल सकें तो मैं अनुगृहीत हूंगा।

[अनुवाद]

श्री पीटर. जी. मरबनिआंग (शिलांग): महोदय, इस महीने की 20 तारीख को दिन में 1.30 बजे एक चक्रवात मेघालय में पूर्वी खासी हिल्स और जयन्तिया की पहाड़ियों में आया और उसने लगभग 20 गांवों को नष्ट कर दिया इस चक्रवात में लगभग 10 लोग मारे गएथे। यह एक विनाशकारी चक्रवात था और इसमें 100 से अधिक मकान ध्वस्त हो गए थे। इस चक्रवाती तूफान से 20–25 स्कूल के भवनों को भी नुकसान पहुंचा।

मेरी सरकार से अपील है कि प्रधान मंत्री राहत कोष से मेघालय सरकार को तत्काल राहत दी जाए। जिससे इन क्षेत्रों में पीड़ित लोगों को तात्कालिक राहत मिल सके।

अध्यक्ष महोदय: प्रधान मंत्री राहत कोष से सहायता लेने के लिए आपको यह मामला सभा में उठाने की आवश्यकता नहीं है। आप वहां उनसे मिलिए और आपको सहायता मिलेगी।

श्री पीटर. जी. मरबनिआंग: महोदय, इन घटनाओं को सरकार के ध्यान में ला रहा हूं।

मैं दलित ईसाईयों का मामला उठाने के लिए श्री राम विलास पासवान की बात का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री अमर पाल सिंह (मेरठ): आदरणीय अध्यक्ष जी, इन दिनों गेहूं की फसल की थ्रैशिंग हो रही है और किसान को उसके लिए डीजल की आवश्यकता होती है लेकिन उसे डीजल नहीं मिल रहा है, मेरे जनपद में डीजल के लिए हर डीजल पम्प पर एक–एक किलोमीटर लम्बी किसानों की कतार लगी है, मेरठ जिला प्रशासन ने भारत सरकार को डीजल की कमी होने की सूचना भेजी है मैं आपके और सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान मेरठ जनपद में डीजल की कमी के बारे में आकृष्ट करना चाहता हूं तथा पैट्रोलियम मिनिस्टर साहब से मेरठ जनपद में कृषकों को डीजल उपलब्ध कराये जाने और विशेष कोटा रिलीज करने की मांग करता हूं।

[अनुवाद]

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य (जादवपुर): महोदय, सरकारी क्षेत्र के एककों में गंभीर स्थिति इस बात से स्पष्ट होती है कि इन संगठनों के अधिकारियोंतक ने कल से संगठित रूप से और शान्तिपूर्ण हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है। यह धारणा बल पकड़ती जा रही है कि उदारीकरण के नाम से जो हो रहा है वह वास्तव में सरकारी क्षेत्र के एककों की बड़े पैमाने पर हत्या है जो कि उन्हें न्यूनतम सुरक्षोपाय देने से इंकार करके की जा रही है। बड़े प्राइवेट कंपनियों मुख्य रूप से बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्द्धा पर टिकने के लिए इन उपायों की उन्हें जरूरत है। उनको कार्यशील पूंजी देने से और आधुनिकीकरण के लिए पूंजी निवेश करने से इंकार करके, जैसा 'इसको' (इंडियन आयरन स्टील कंपनी) और राष्ट्रीय कपड़ा निगम के साथ हुआ है, वैगन उद्योग को अपेक्षित सरकारी आर्डर न देकर, रुग्ण उद्योगों को पुनर्जीवित करने के लिए अपेक्षित बैंक ऋण के लिए सरकारी गारंटी देने से इंकार करके जैसा कि ब्रेथवेट के मामले में हुआ है और उच्च प्रबंधन स्तर पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को होने देकर इन एककों की लाभप्रदता व्यवस्थित रूप से नष्ट की जा रही है। लाभ अर्जित करने वाले एककों को उनके शेयरों को बहुत कम मूल्य पर बेचकर प्राइवेट क्षेत्र को बहुत सस्ते में सौंपे जा रहे हैं। जेसप और राष्ट्रीय कपड़ा निगम में कामगारों को मजूरी नहीं मिल रही है, टैनरी एंड फुटवीयर कारपोरेशन को पुनः चालू करने के लिए उन्हें कोई कार्यशील पूंजी नहीं दी जा रही है। इसलिए घोर लापरवाही के कारण यह कारपोरेशन ऐसी स्थिति में आ गया है जब बी.आई.एफ.आर. को इसे बंद

करने का आदेश देना पड़ा। दूसरी ओर यहां तक कि एम.एस.शूज जैसी प्राइवेट कंपनियों को जो अनुचित व्यापार व्यहवहार में लगी हुई हैं, सरकारी क्षेत्र के बैंकों से सात दिनों के अंदर करोड़ों रूपया मिलने में कोई कठिनाई नहीं होती है।

हम जानना चाहते हैं कि क्या इस प्रक्रिया को, जो चल रही है, उदारीकरण अथवा कार्टेलकरण का नाम दिया जा सकता है।

तेल क्षेत्र में, बम्बई हाई और कृष्ण–गोदावरी बेसिन में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को जो प्राप्ति हुई है उसे एक समझौते के आधार पर बहुराष्ट्रीय निगमों को दिया जा रहा है जिससे न केवल तेल तथा प्राकृतिक आयोग का अहित होगा परंतु उससे हमारे अपने क्षेत्रों में उत्पादित लाखों मिलियन डालर मूल्य के तेल से हमारा देश वंचित हो जाएगा। इसके अलावा सरकारी क्षेत्र के एककों में वेतन मानों, मंहगाई भत्ते आदि की पुनरीक्षा न करने से वहां से प्रतिभाशाली व्यक्तियों का पलायन हो रहा है जबकि प्राइवेट क्षेत्र के एककों में विशेष लब्धि और वेतन असीमित रूप से बढ़ रहा है।

हम महसूस करते हैं कि इसका अन्त होना चाहिए और जिस तरीके से राष्ट्र की बहुमूल्य परिसम्पत्ति बरबाद की जा रही है उसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। यह ऐसे नहीं चल सकता।

इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि वह इसको नए सिरे से देखे, प्रधानमंत्री के भाषण से पता चलता है कि वे इस समूची बात से अनभिज्ञ हैं।

मैं चाहती हूं कि सरकार सरकारी क्षेत्र के एककों के क्रमबद्ध रूप से विनाश की ओर अपनी आंखें खोलें।

मैं आपसे अनुरोध करती हूं और अपील करती हूं कि आप सभा में इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमें तत्काल अनुमति दें।

श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी (सिक्किम): महोदय, तमोंग समुदाय के लोग जो चार राज्यों जैसे सिक्किम, पश्चिम बंगाल, (अधिकतर पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के हैं) मेघालय और असम से आए हैं, लगभग 1 सप्ताह से जंतर मंतर के सामने भूख हड़ताल पर हैं। उनकी मांग है कि उनके समुदाय को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल किया जाए, यह तमोंग समुदाय उसी जातीय समूह से संबंध रखता है जिसके भूटिया, लेपया, शेरपा, योलमो और कागत्या हैं। उनमें से सभी तिब्बत–बर्मा नस्ल के हैं। जबकि उपरोक्त समुदायों को जो उसी जातीय समूह के हैं, अनुसूचित जनजाति सूची में 40 वर्ष से अधिक समय से शामिल किया हुआ है, दुर्भाग्य से तमोंग जाति को इससे बाहर रखा हुआ है। तमोंग समुदाय की अपनी विशिष्ट संस्कृति है और उनके अपने रीति रिवाज, सामाजिक परंपराएं और गीत, नृत्य, भाषा और बोली है, तमोंग धर्म लामा बौद्ध धर्म है और वे तिब्बती भाषा में लिखी गई वही पाठ को पढ़ते हैं जो अन्य तिब्बती लामा पढ़ते हैं। शैक्षिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से तमोंग अभी भी पिछड़े हुए हैं और राष्ट्रीय जीवन की मुख्य धारा से अलग हैं, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस समुदाय के लोगों को अनेक आश्वासन देने के बावजूद अभी तक कुछ नहीं किया गया है।

इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करूंगी कि वह इस समुदाय को मान्यता प्रदान करे अथवा इस समुदाय को यथासंभव अविलम्ब अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करे।

प्रो. सावित्री लक्ष्मण (मुकुन्दपुरम): महोदय, कृषि फसल तथा मूल्य आयोग ने खोपरा के जिस मूल्य की सिफारिश की है वह वही है जो 1994 के सीजन के लिए अनुमोदित की गई थी अर्थात केवल 2,350 रूपये। केरल सरकार ने 30.10.1994 को ही केन्द्रीय सरकार को 1995 के सीजन के लिए समर्थन मूल्य देने का एक प्रस्ताव भेजा था परंतु आयोग का यह दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय उसकी 21.12.1994 को राज्य सरकार के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत हो जाने के बाद भी लिया गया था। जब हम 1995–96 के लिए खोपरे के मूल्य की 1989–90 में प्रचलित मूल्यों से तुलना करते हैं तो हम देखते हैं कि खोपरे के समर्थन मूल्य में केवल 57 प्रतिशत ही परिवर्तन आया है, 1989–90 में इसकी कीमत 1,500 रूपये थी जो अब केवल 2,350 रूपये है, मेरे पास इसके सही आंकड़े दिए हुए हैं।

धान	1989–90	185
	1995–96	355
	परिवर्तन प्रतिशतता में	92
गेहूं	1989–90	183
	1995–96	360
	परिवर्तन प्रतिशतता में	97
जौ	1989–90	145

	1995–96	285
	परिवर्तन प्रतिशतता में	97
चना	1989–90	325
	1995–96	670
	परिवर्तन प्रतिशतता में	106
मूंगफली	1989–90	500
	1995–96	860
	परिवर्तन प्रतिशतता में	72
सोयाबीन	1989–90	370
	1995–96	650
	परिवर्तन प्रतिशतता में	76
कपास निर्यात	1989–90	690
	1995–96	1200

केवल खोपरा का ही समर्थन मूल्य 1,500 रुपये से 2,350 रुपये हुआ है अर्थात परिवर्तन की प्रतिशतता 57 है । इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह अविलम्ब खोपरा का समर्थन मूल्य 3500 रुपये घोषित करे ।

अध्यक्ष महोदय: मैं प्रत्येक सदस्य को वक्तव्य देने के लिए समय देना चाहता हूं, चाहे इसके लिए 6 बजे के बाद भी बैठना पड़े ।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव (पटना): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार के कल्याण मंत्रालय का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। बिहार में बैस समाज की उपजाति कमलापुरी बैस होती है। बिहार की पिछड़े वर्ग की सूची में तो उस जाति का नाम है लेकिन केन्द्र की सूची में उसकी कहीं भी चर्चा नहीं है। कल्याण मंत्रालय के मंत्री जी से कई बार बैस समाज के लोग मिले हैं और मैंने स्वयं भी पत्र लिखा है लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है जिसकी वजह से पिछड़े वर्ग के नौजवान लाभ से वंचित हो रहे हैं। इसलिए मेरा आग्रह है कि कमलापुरी बैस समाज के लोगों के नाम भी उसमें शामिल किए जाएं।

श्री राजवीर सिंह (आंवला): अध्यक्ष महोदय, मेरे चुनाव क्षेत्र से राम गंगा नदी बहती है। प्रदूषण और डैम बन जाने के कारण उसमें पानी नहीं छोड़ा जा रहा है। उसमें कई फैक्ट्रियों का गंदा पानी भी आ रहा है। लोग पीने के पानी के लिए तरस गए हैं। पशुओं के पीने के पानी का भी अभाव हो गया है। धार्मिक भावना के कारण वहां मेले, दशहरे में लोग स्नान करने आते हैं। हालत इतनी खराब है कि उसमें स्नान करने के बाद कुएं में स्नान करना पड़ता है। अब ज्येष्ठ का दशहरा आने वाला है, इसलिए सरकार को निर्देशित किया जाए कि उसमें निर्धारित मात्रा में पानी छोड़ा जाए। आज स्थिति यह आ गई है कि वहां जन–आन्दोलन शुरू हो गया है। स्थिति विस्फोटक न हो जाए, इससे पहले मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार, पर्यावरण विभाग और वाटर रिसोर्से के डिपार्टमैंट के लोगों को कहना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र के लोगों को कम से कम को पीने का पानी तो दिया जाए, सिंचाई तो हो नहीं सकती क्योंकि डैम बना दिया गया है। मैंने इस मामले को कई बार स्टैंडिंग कमेटी में भी उठाया है लेकिन सुनकर बात खत्म कर दी जाती है।

मैं विनम्रतापूर्वक आग्रह करना चाहता हूं, संसदीय कार्य मंत्री यहां बैठे हैं, इनको निर्देशित करें कि वहां कम से कम ज्येष्ठ के महीने में पीने के पानी की व्यवस्था करवाएं।

आप यदि उनको इशारा ही कर देंगे तो वे काम करवा देंगे।

अध्यक्ष महोदयः मैं समझता हूं कि पीने के पानी का इन्तजाम इनको नहीं करना है लेकिन पानी गन्दा न हो, वह इनको देखना है। इसलिए हम उसका स्टेटमैंट लेना चाहेंगे।

[अनुवाद]

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे (विजयवाड़ा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण विषय सरकार के ध्यान में लाने के लिए अवसर दिया। आप जानते होंगे कि पोल्ट्री उद्योग बहुत विकसित हुआ है। कुछ समय से आंध्र प्रदेश में मछली पालन और खारा जल प्राउन मछली पालन बड़ी तेजी से बढ़ा है। मैं आपका ध्यान एक गंभीर स्थिति की ओर दिलाना चाहता हूं कि पोल्ट्री गैमबोरा बीमारी लगने के कारण प्रभावित हुई है, उसी प्रकार प्राउन मछली पालन को अस्थायी रूप से बैक्टीरिया और वाइरल बिमारी लगने से झटका लगा है, उनका बीमा करने की आवश्यकता है, परंतु ऐसे नाजुक समय में बीमा कंपनियां ऐसे जोखिम का बीमा करने के लिए नहीं आ रही हैं, इस प्रकार बीमा का मुख्य उद्देश्य विफल हो रहा है जब कोई जोखिम नहीं रहता है। जब कोई आकस्मिक दुर्घटना नहीं होती है तो कोई किसान अथवा कोई उद्योग अथवा संगठन बीमा क्यों कराए। यह एक गंभीर स्थिति है, मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह इस मामले को देखे और पोल्ट्री फार्मर्स और मछली पालन फार्मर्स के हितों की रक्षा करने हेतु ऐसी बिमारियों को दीमा के अन्तर्गत लाने के लिए संबंधित प्राधिकारियों को उपयुक्त अनुदेश देने हेतु आवश्यक कदम उठाए।

श्री पी.सी. थामस (मुवत्तुपुजा): दि नेशनल कानफेडरेशन आफ आफिसर्स एसोसिएशन, जो अनेक आफिसर्स एसोसिएशन का एक कानफेडरेशन है, में अनेक सरकारी उपक्रमों के 1.5 लाख अधिकारी सदस्य हैं। वे दिल्ली में 2 दिन से हड़ताल पर हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मुख्य मांग वेतन का पुनरीक्षण है।

अध्यक्ष महोदयः यह कार्यवाही वृत्तांत का भाग बन गया है। उसको दोहराने की क्या आवश्यकता है?

श्री पी.सी. थामसः मैं उसका समर्थन करना चाहता हूं। श्रम मंत्री भी यहां हैं। मैंने सोचा कि जब इस बात को दुबारा कहूंगा तो श्रम मंत्री वेतन पुनरीक्षण के मामले को पुनः सुनेंगे जो 1.1.92 से लंबित पड़ा है और क्रियान्वित नहीं किया गया है, मेरा निवेदन है कि इस मामले को अविलम्ब लिया जाए क्योंकि हमारे अनेक प्रतिभाशाली लोग नए और बेहतर रोजगार के लिए प्राइवेट संगठनों में जा रहे हैं। इसलिए मैं इस एक पहलू को श्रम मंत्री के ध्यान में लाना चाहता हूं।

श्री लाइता उम्ब्रे (अरुणाचल पूर्वी): महोदय, हाल में एक संसद सदस्य की कार साउथ एवेन्यू के संसद सदस्यों के फ्लैटों से चोरी हो गई है माननीय सदस्य सहित अनेक लोगों ने अपनी चिन्ता जाहिर की है......

अध्यक्ष महोदयः ऐसा मामला नहीं उठाया जाना चाहिए।

श्री लाइता उम्ब्रेः यह सुरक्षा के बारे में है। साउथ एवेन्यू और नार्थ एवेन्यू में कोई सुरक्षा नहीं है।

अध्यक्ष महोदयः सौभाग्य से गृह मंत्री जी से जो यहां बैठे हैं, मैं समझता हूं कि उन्होंने इस बात को नोट कर लिया है, मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं। यह कार्यवाही वृत्तांत में नहीं जा रहा है।

(व्यवधान) **

अध्यक्ष महोदयः हमें सदस्यों और सभा का भी स्तर और गरिमा बनाए रखा चाहिए। आप इसे गृह मंत्री जी के पास उठा सकते थे।

श्री लाइता उम्ब्रेः यह मामला उठाया गया है।

अध्यक्ष महोदयः मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं। कृपया बैठ जाइए, जो विषय हमसे संबंधित हैं वे सभा में नहीं उठाए जा सकते हम दूसरों के लिए चर्चा करते हैं न कि अपने लिए । कृपया बैठ जाइए ।

श्री सुदर्शन राय चौधरी (सीरमपुर): आपकी अनुमति से यह विषय एक से अधिक बार उठाया गया है। लेकिन समस्या तब से बनी हुई है। वस्त्र मंत्री यहां हैं। राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलों के कामगारों और कर्मचारियों की शोचनीय स्थिति का मामला अनेक बार उठाया गया है। परंतु समस्या अभी भी बनी हुई है। वस्त्र मंत्रालय ने त्रिपक्षीय बैठक में यह निर्णय किया था कि 2000 करोड़ रुपये से अधिक आधुनिकीकरण कार्यक्रम में निवेश किए जाएंगे ताकि फैक्टरी का आधुनिकीकरण किया जा सके। जैसा कि आप जानते हैं कि 80 के दशक के दौरान पश्चिम बंगाल, असम और बिहार में राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलों के लिए एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ था और तदनुसार श्रमिकों के लिए कार्य व्यवस्था और कार्य भार बढ़ाया गया था। परंतु पिछले 2–3 वर्षों से पश्चिम बंगाल अन्य क्षेत्रों की बात छोड़िए के राष्ट्रीय वस्त्र निगम के मिलों के कामगारों को ठीक समय पर मजूरी नहीं मिल रही है, उन्हें समय पर वेतन नहीं मिल रहा है। कार्यशील पूंजी वहां नहीं है, कच्चा माल नहीं है। इसलिए इस समस्या का अविलम्ब समाधान करना चाहिए।

एक बात और, चूंकि डा. मालिनी भट्टाचार्य ने सभी अन्य सरकारी क्षेत्र विशेषकर पश्चिम बंगाल के एककों का मामला उठाया है......

अध्यक्ष महोदयः ये यहां उठाए जाने वाले मामले नहीं हैं। श्री रासा सिंह रावत बोलेंगे।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावतः मान्यवर अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक महत्वपूर्ण समस्या की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

देश के अन्दर कैंसर की बीमारी जिस ढंग से बढ़ती चली जा रही है, वह अत्यन्त

** कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

चिंताजनक है। एक सर्वे हुआ था। उसमें पता लगा था कि यूरोपीय देशों की तुलना में भारत में मुंह का कैंसर अधिक होता है। हमेशा मुंह में कुछ न कुछ चबाते रहना और पान, तम्बाकू, पान मसाला, गुटके के निरन्तर इस्तेमाल करने से यह बीमारी हो जाती है। दूसरी बात यह है कि शादियों और समारोहों में मिठाइयों और सब्जियों में रंग लाने के लिये विशेष तरह का रसायन जिसमें भारी धातु का सम्मिश्रण होता है, वह मिलाया जाता है। इसको खाने से पिताशय का कैंसर होता है। मैं सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूं कि मिठाइयों और सब्जियों में रंग लाने के लिये जो रसायन मिलाया जाता है, उस पर प्रतिबंध लगाया जाये और सब प्रकार के गुटके, पान मसाले और तम्बाकू इत्यादि पर कैंसर की बढ़ती हुई बीमारी को देखते हुए प्रतिबंध लगाया जाये।

मैं एक और प्रार्थना करना चाहता हूं कि प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों से लेकर ऊपर के अस्पतालों और जिला मुख्यालयों के अस्पतालों में कम से कम कैंसर की प्रारम्भिक जांच के लिये देखरेख, उचित इलाज और परिचर्या का इंतजाम होना चाहिए।

श्री तेज नारायण सिंह (बक्सर): अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य में बक्सर से तिलकराय के होता तक गंगा में भीषण कटाव आ रहा है। करीबन हजारों गांव गंगा की चपेट में चले गये हैं।

अध्यक्ष महोदयः यह स्टेट सबजैक्ट है।

श्री तेज नारायण सिंहः बक्सर का ऐतिहासिक हिस्सा भी गंगा में जाने वाला है। इसके अलावा मझरिया, उमरपुरदियाल, अर्जुनपुर, अहिरावली, केशवपुर और मणिपुर इत्यादि गांव भी गंगा की चपेट में जाने वाले हैं। मैं भारत सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि बक्सर से लेकर कोयलेवार तक तटबंध बनाने का पहले सरकार ने जो निर्णय लिया था, उसको तुरन्त लागू किया जाये। गंगा के कटाव को रोकने के लिये बक्सर से तिलकराय के होता तक ठोकर बनायी जाये।

डा. लक्ष्मी नारायण पांडेय (मंदसौर): अध्यक्ष महोदय, सीमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया द्वारा देश में संचालित कतिपय सीमेंट फैक्ट्री जो स्वयं सीमेंट कारपोरेशन के कुप्रबन्ध के कारण लाभ में होते हुए भी घाटे में आ रही है, उनको निजी हाथों में बेचने का प्रयास और सौदेबाजी चल रही है। इसके कारण हजारों मजदूरों में असंतोष बढ रहा है। मेरे निर्वाचन क्षेत्रमंदसौर में नया गांव में सीमेंट की एक फैक्ट्री है। उसको भी निजी हाथों में बेचने का प्रयास चल रहा है। इस बारे में वहां के मजदूरों ने ज्ञापन भी दिया। मैंने मंत्रालय को इस बारे में लिखा भी है। सरकार द्वारा किसी प्रकार की कार्यवाही न करने के कारण मजदूर भूख हड़ताल करने पर आमादा हैं। सरकार इसमें हस्तक्षेप करे और उसे निजी हाथों में न बेचें।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद): अध्यक्ष महोदय, बिहार के जहानाबाद में उग्रवाद बड़ी तेजी से फैल रहा है। इसके बारे में आप भी अखबार में पढ़ते होंगे। प्रतिदिन 3–4 आदमियों की हत्या हो रही है। वहां एक समानांतर सरकार भी कायम है। वह इलाका सामंतियों के चंगुल में रहा जिससे उनका बहुत शोषण हुआ। इसके कारण उनका कोई विकास नहीं हुआ। गरीबों और दलितों के नौजवान धडल्ले से उनके गिरोह में शामिल हो रहे हैं। वे हतियारबंद होकर ये सब काम कर रहे हैं। वहां के एक गांव ऐरा जहां वारात आई थी, वहां करीब 10 आदमियों की हत्या एम.एम.सी. के लोगों ने कर दी। इस तरह की रोज वहां घटनायें हो रही हैं। मैंने कई बार इस सवाल को उठाया। अगर वहां विकास का काम तेज कर दिया जायेगा तो इन उग्रवादियों को खदेड़ा जा सकेगा और उनकी समानांतर सरकार को खत्म किया जा सकेगा। सरकार इस तरफ जरूर ध्यान दे।

श्री राम टहल चौधरी (रांची): अध्यक्ष महोदय, बिहार के आदिवासी क्षेत्र छोटा नागपुर तथा संथाल परगना से केन्द्र सरकार के कार्यालय धीरे–धीरे स्थानांतरित किये जा रहे हैं। विज्ञान एवं तकनीकी मंत्रालय का अंचल कार्यालय भुवनेश्वर, पत्र सूचना कार्यालय रांची से कानपुर, फिल्म निर्माण तथा स्टूडियो रांची से कलकत्ता, नेशनल फिल्म डैवलपमैंट कारपोरेशन को रांची से पश्चिम बंगाल, रेल्वे वैगन फैक्ट्री को रांची से पश्चिम बंगाल, केन्द्रीय विद्यालय परीक्षा समिति के अंचल कार्यालय को इलाहाबाद की दो इकाई का स्थानांतरण दिल्ली आकाशवाणी की सिविल स्कन्ध इकाई को रांची से कलकत्ता कर दिया गया है। क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय को भी अब स्थानांतरित किया जा रहा है। इन सब के कारण क्षेत्र के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इस संबंध में केन्द्रीय कर्मचारी महासंघ का धरना, अनशन तथा जुलूस भी निकाला जा रहा है। अतः केन्द्र सरकार इस स्थानांतरण पर शीघ्र रोक लगाये।

6.00 म. प.

डा. रमेश चन्द तोमर (हापुड़): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से संचार मंत्री जी का ध्यान अपने क्षेत्र के दो प्रमुख स्थानों की ओर ले जाना चाहता हूं। मुरादनगर और पिलखवा दो बड़े व्यापारिक केन्द्र हैं, जहां पर हैंडलूम का व्यापार होता है। इन दोनों स्थानों का गाजियाबाद से एरियल डिसटैंस 13 और 17 किलोमीटर है, जबकि नौएडा और दादरी का एरियल डिसटैंस 26 और 18 किलोमीटर है। यहां के लिए तो गाजियाबाद से लोकल टेलीफोन की सुविधा प्राप्त है, जबकि मुरादनगर और पिलखवा के लिए यह सुविधा प्राप्त नहीं है।

मेरा संचार मंत्री जी से निवेदन है कि वे पिलखवा और मुरादनगर के लोगों के लिए गाजियाबाद से लोकल टेलिफोन की सुविधा प्राप्त करायें, जिससे वहां के व्यापारियों और अन्य सामान्य लोगों को लाभ हो सके।

सैयद मसूदल हुसैन (मुर्शिदाबाद): अध्यक्ष महोदय, मैं राजेश पायलट जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मेरा चुनाव क्षेत्र बंगलादेश के बार्डर पर है। यहां पर सड़क बनाने का काम और फैंसिंग का काम शुरू हुआ है। यह जो रक्षा का काम है, इस काम में बहुत देरी हो रही है, इसको तो आप देखेंगे। लेकिन हमारे सामने जो कठिनाई आई है, वह यह है कि वहां सी.पी. डब्ल्यू. डी. द्वारा काम हो रहा है और जो फैंसिंग का काम हो रहा है, उसमें हमारे देश का कुछ हिस्सा बंगलादेश की तरफ जा रहा है, अभी हालत यह है कि मेरे देश के किसान, जिसकी जमीन उस पार है, उनका वहां आबाद होना मुश्किल हो गया है। इस बात को हम लोग बार–बार कह रहे हैं। इसमें बंगलादेश का कोई कसूर नहीं है, गलती हमारे सी. पी. डब्ल्यू. डी. और डिफेंस मिनिस्ट्री की है, जो सड़क बना रहे हैं।

मैं आपके माध्यम से राजेश पायलट जी का ध्यान दोबारा आकर्षित करना चाहता

हूं कि वे इस ओर ध्यान दें और हमारे देश की जमीन बंगलादेश के चपेट में न आ जाए और हमारे देश का किसान जमीन से महरूम न हो जाए।

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी : अध्यक्ष महोदय, अपने क्षेत्र में बाघों के द्वारा जो आतंक छाया हुआ है, उसके बारे में मैं माननीय पर्यावरण मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे क्षेत्र में प्रोजेक्ट टाइगर है, जिसकी वजह से बाघों के द्वारा बड़ी संख्या में लोग मारे जा रहे हैं। दो साल पहले भी यह हुई थी, लेकिन पिछले तीन महीनों में कम से कम 20/25 आदमियों की हत्यायें हो चुकी हैं और अनेक जानवर मारे जा चुके हैं। ऐसा इसलिए होता है, जो प्रोजैक्ट टाइगर के बूढ़े टाइगर हैं, उनको फारैस्ट के अन्दर नहीं रखा जाता है और उनको बाहर आने के लिए मजबूर होना पड़ता है। ये टाइगर आदमियों को मारकर अपना पोषण करते हैं। इस समस्या को मैंने पहले भी उठाया था। आज हालत यह हो रही है कि बच्चे स्कूलों में भी नहीं जा पा रहे हैं। कारण यह कि बच्चों को 8–10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, प्राइमरी, माध्यमिक और कालेज तक की शिक्षा के लिए। शाम को लोग घर भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। आए दिन इस प्रकार की घटनायें हो रही हैं। मेरा निवेदन है कि ये जो बूढ़े बाघ हैं इनकी व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि वे आम जनता के बीच में आकर इस प्रकार नुकसान न करें।

दूसरी बात, इस घटना का मुआवजा फिक्स किया है, वह पहाड़ी क्षेत्रों में लागू करना बड़ा ही मुश्किल है। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई जानवर मारा गया, उसको डाक्टरी मुआयने के लिए डाक्टर को लाना पड़ता है और उसको सर्टिफिकेट देना पड़ता है। डाक्टर को लाने के लिए कम से कम उसको दिन भर पैदल चलना पड़ेगा। यदि डाक्टर उपलब्ध है और वह पैदल चलने के लिए तैयार है और जब तक डाक्टर पहुंचता है, तब तक जानवर खत्म हो जाता है। ऐसी स्थिति में लोगों को मुआवजा नहीं मिलता है इसलिए मेरा पर्यावरण मंत्री जी से निवेदन है, ऐसी स्थिति में मुआवजा देने और लेने में पर्वतीय क्षेत्र के लोगों को छूट दें और बूढ़े बाघों का प्रबन्ध करें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः इस विषय पर एक वक्तव्य दिया जाए।

[हिन्दी]

श्री हाराधन राय (आसनसोल): कोल इंडिया सुरक्षा कानूनों को स्वीकार करके खदान चला रहा है और इसके चलते हमारे इलाके में....

अध्यक्ष महोदयः इसके बारे में आप प्रश्न भी पूछ सकते थे।

(व्यवधान)

श्री हाराधन राय : इसके चलते हमारे बहुत से गांव और शहर को डायरेक्टर जनरल, माइंस एंड सेफ्टी ने अनसेफ घोषित किया है। इस सदन में एश्योरेंस दी गई कि गांवों को रिहेबिलिटेट किया जाएगा लेकिन अभी तक कुछ नहीं किया गया है। जिसको जमीन दी गई है उसके लिए भी पेकेज है। जिसके लिए शिफ्टिंग करना है उसके लिए भी रिहेबिलिटेशन पकेज है, लेकिन उसको भी अभी तक इम्पलीमेंट नहीं किया गया है। हमारे इलाके का आदमी कहां जाएगा? वे लोग भूखे मर रहे हैं। दूसरी तरफ हमारे इलाके में जो बर्न स्टैंडर्ड कंपनी, फायरब्रिक्स का जो सब कारखाना है, साइकिल कार्पोरशन ऑफ इंडिया, इसको, बल्को, इन सब को बंद करने के लिए तय कर लिया गया है।....(व्यवधान) ये लोग भूखे मर रहे हैं क्योंकि इनकी नौकरी जा रही है।........ (व्यवधान)

महोदय, इसलिए प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि हमारे गांव के लोगों के लिए संरक्षण की व्यवस्था करें।.....(व्यवधान)

प्रो. प्रेम धूमल (हमीरपुर): महोदय, मैं आपके माध्यम से उत्तरी भारत और विशेष कर हिमाचल प्रदेश में जो गंभीर संकट पैदा हो गया है उस और सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पैट्रोल प्रोडक्ट्स की हिमाचल प्रदेश में इतनी किल्लत हो गई है कि कई मीलों तक ट्रकों की लाइनें लगी हैं। प्राइवेट और गवर्नमेंट की बसें खड़ी हैं, यहां तक कि हिमाचाल प्रदेश की सरकार ने आज खुद कहा है, प्रधानमंत्री महोदय ने जिक्र भी किया है सार्क का जो सम्मेलन हो रहा है उसके राष्ट्राध्यक्ष शिमला में भी जाएंगे और सरकार कह रही है कि शायद उसमें भी उसके लिए पैट्रोल उपलब्ध होगा कि नहीं, ऐसी स्थिति है। फल, सब्जी, फूल सड़कों पर पड़े हैं, उठाने के लिए ट्रक वालों के पास डीजल नहीं है। जो बसें सार्वजनिक चलती हैं, प्राइवेट बसें, सब बसों के लिए बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है।

महोदय, मैं 3 दिन से लगातार इसी इशु को उठाने के लिए नोटिस दे रहा हूं। लोग बार–बार फोन कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदयः आपका नोटिस देना, आपको परमिशन मिलना यह नहीं है।

[अनुवाद]

आपको उस सूचना का उल्लेख नहीं करना चाहिए।

........(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. प्रेम धूमलः ठीक है।..... (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः इस पर भी एक वक्तव्य दिया जाए। यह एक महत्वपूर्ण विषय है।

क्या आप उत्तर देना चाहेंगे?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी): अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो सवाल जूट के बारे में उठाया है, पहले तो मुझे मालूम ही नहीं है। जो भी है. अगर रिप्रजंटेशन दी है तो उस सिलसिले में मैं जल्दी मीटिंग बुला कर माननीय सदस्य को भी बुला लूंगा। पहले मैं समझूं वह समस्या क्या है फिर उसके बाद मैं हल करने की कोशिश करूगा।....**(व्यवधान)**

श्री तरित वरण तोपदार: एन.टी.सी. के बारे में बताएं।

श्री जी. वेंकट स्वामी: इस बारे में सभी जानते हैं....**(व्यवधान)**

एक सप्ताह के अंदर हो जाएगा।

[अनुवाद]

कुछ माननीय सदस्य: यह एक आश्वासन है....**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: आपको ऐसा आश्वासन नहीं मिलेगा जो पूरा नहीं हो सकता।

....**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: आप इसे यथासंभव जल्दी कीजिए।

श्री तरित वरण तोपदार: यह भले आदमी का आश्वासन है, मैं इसे आश्वासन समिति में नहीं उठाऊंगा।

अध्यक्ष महोदय: सभा स्थगित करने से पहले मैं आज सहयोग देने के लिए सबका धन्यवाद करना चाहूंगा।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवाकार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक): मैं आपको भी बहुत धन्यवाद देता हूं। हम आपके हस्तक्षेप और मार्गदर्शन के कारण इसे आज पूरा करे सके हैं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने बहुत अच्छा काआपरेशन किया।

[अनुवाद]

हमें उनका भी आभारी होना चाहिए।

सभा मंगलवार 2 मई, 1995 को 11.00 म.पू. पर पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

6.11 म.प.

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार 2 मई, 1995/12 वैशाख, 1917 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।